



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042023-245299
CG-DL-E-21042023-245299

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 2

PART II — Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945 (शक)
No. 6]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

लोक सभा

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

20 मार्च, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

17 मार्च, 2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/फाल्गुन, 1944 (शक)

LOK SABHA

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON
THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022

(SEVENTEENTH LOK SABHA)

Presented to Lok Sabha on the 20th March, 2023

Laid in Rajya Sabha on the 17th March, 2023

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

MARCH, 2023/PHALGUNA 1944 (SAKA)

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति की संरचना

	श्री पी.पी. चौधरी - सभापति
	लोक सभा
2.	डॉ. संजय जायसवाल
3.	श्री उदय प्रताप सिंह
4.	श्री संजय सेठ
5.	श्रीमती कवीन ओझा
6.	श्री खगेन मुर्मू
7.	श्रीमती पूनमबेन माडम
8.	श्रीमती पूनम महाजन
9.	श्रीमती अपराजिता सारंगी
10.	श्री अरविंद धर्मापुरी
11.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल
12.	श्री रतन लाल कटारिया
13.	श्री गौरव गोगोई
14.	एडवोकेट डीन कुरियाकोस
15.	श्री ए. राजा
16.	प्रो. सौगत राय
17.	डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
18.	श्री गजानन कीर्तिकर
19.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
20.	श्री पिनाकी मिश्रा
21.	श्री गिरीश चन्द्र
	राज्य सभा
22.	श्री घनश्याम तिवाड़ी
23.	श्री जी.वी.एन. नरसिंहा राव
24.	श्री महेश जेठमलानी
25.	डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
26.	श्री विवेक के. तन्खा
27.	श्री सुखेन्दु शेखर राय
28.	डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू

29.	श्री नारायण दास गुप्ता
30.	श्री सुजीत कुमार
31.	श्री मस्थान राव बीडा

सचिवालय		
1.	श्री विनय कुमार मोहन	- संयुक्त सचिव
2.	श्री एच. राम प्रकाश	- निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	- उप सचिव
4.	सुश्री माया मेनन	- अवर सचिव
5.	श्री दिनेश कुमार	- कार्यकारी अधिकारी
6.	सुश्री वंदना	- कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति जिसे जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 भेजा गया था, का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर विधेयक के साथ यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ, जैसा कि इससे संबद्ध संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 दिनांक 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था **(देखिए परिशिष्ट-एक)** जिस पर 23 दिसंबर 2022 को राज्य सभा द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी **(देखिए परिशिष्ट-दो)**।

3. सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन संसद के बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना है।

4. विधेयक के महत्व, 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में 183 संशोधनों सहित इसके व्यापक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, इस विषय की विस्तार से जांच करने के लिए सीमित समय उपलब्ध होने के कारण समिति ने उन संबंधित विभागों/मंत्रालयों जो इन अधिनियमों को प्रशासित कर रहे थे, के प्रतिनिधियों से विधेयक की अनुसूची में उल्लिखित 42 अधिनियमों में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की।

5. समिति ने कुल मिलाकर नौ बैठकें कीं। पहली बैठक में डीपीआईआईटी के प्रतिनिधियों द्वारा इस कानून को लाने के उद्देश्य और औचित्य के समग्र दृष्टिकोण को

प्रस्तुत करते हुए सामान्य जानकारी दी गई थी। बाद की छह बैठकों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को विधेयक में विनिर्दिष्ट अधिनियमनों में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचारों को सुना। समिति ने विधेयक पर खण्ड-वार विचार करने के लिए दो बैठकें आयोजित कीं। संयुक्त समिति की बैठकों का ब्यौरा **परिशिष्ट-तीन** में दिया गया है।

6. समिति ने 13 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया तथा सभापति को उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद समिति की बैठकों की कार्यवाही की एक प्रति संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद ग्रंथालय में रखी जाए। संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

7. समिति सभी मंत्रालयों/विभागों यथा कृषि और किसान कल्याण; वाणिज्य; उपभोक्ता मामले; रक्षा; आर्थिक कार्य; वित्तीय सेवाएं; खाद्य और सार्वजनिक वितरण; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; डाक; उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग; सूचना और प्रसारण; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग; रेल; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; आवासन और शहरी कार्य; सड़क परिवहन और राजमार्ग; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन; राजस्व; तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और विधेयक की जांच के दौरान समिति द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अपनी सुविचारित विचार रखने के लिए धन्यवाद करती है।

8. समिति इस अवसर पर डीपीआईआईटी के अधिकारियों की अन्य सभी विभागों/मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करने और संयुक्त समिति के विचार-विमर्श के दौरान बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए विधायी विभाग के अधिकारियों की भी सराहना करती है। समिति इसकी सभी बैठकों को सुचारु रूप से संचालित करने और समिति को दिए गए समय के भीतर समिति का प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करने के लिए

लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किए गए ईमानदार और समर्पित प्रयासों का संज्ञान लेते हुए उनकी भी सराहना करती है।

पी.पी. चौधरी,
सभापति,
जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022
संबंधी संयुक्त समिति

दिनांक: 13 मार्च, 2023

स्थान: नई दिल्ली

अध्याय एक

उद्देश्य, आवश्यकता और कार्यक्षेत्र

1. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 के उद्देश्य

1.1. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022¹ को लोक सभा में 22 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित किया गया था। इसका आशय 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों के 183 उपबंधों में संशोधन करना है ताकि व्यक्तियों और व्यवसायों की अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम किया जा सके जिससे नागरिकों के कारबार और जीवनयापन की सुगमता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस विधेयक को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रवर्तित अधिनियमों पर विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग निकायों और प्रमुख हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा करने के पश्चात संचालित किया गया है। विधेयक में मौजूदा कानूनों में कई बदलावों का प्रस्ताव है, जिनमें (क) विभिन्न अपराधों का निरपराधीकरण; (ख) विभिन्न जुर्मानों और शास्तियों का पुनरीक्षण; (ग) न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति; (घ) अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना; और (ङ) समय-समय पर जुर्माने और शास्ति में वृद्धि करना, शामिल है लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है। इस विधेयक के कार्यक्षेत्र में सुधारों के लिए क्षेत्रों की पहचान करना और स्थानीय कारोबारी माहौल में सुधार के साथ-साथ व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाना शामिल है।

1.2. यह प्रक्रिया कारबार और नागरिकों की अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करने हेतु शुरू की गई है जिसका लक्ष्य अंतिम लाभार्थी को कठिनाई मुक्त और निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने का है। जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 के माध्यम से निम्नलिखित तरीकों से निरपराधीकरण करने का प्रस्ताव है:

- (i) कारावास और/या जुर्माना दोनों को हटाए जाने का प्रस्ताव;
- (ii) कारावास को हटाए जाने और जुर्माना बनाए रखने/बढ़ाने का प्रस्ताव है;
- (iii) कारावास और/या जुर्माने को दंड में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव; और
- (iv) अपराधों का शमन किए जाने का प्रस्ताव।

1.3. **कतिपय अपराधों का निरपराधीकरण:** जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 के अंतर्गत, कतिपय अधिनियमों में कारावास की अवधि वाले कई अपराधों को केवल एक आर्थिक जुर्माना लगाकर निरपराधीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है। उदाहरण के लिए, चलचित्र अधिनियम, 1952

¹यह विधेयक दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र, भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित हुआ था।

के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी फिल्म वितरक या प्रदर्शक को फिल्म के शीर्षक, फिल्म की अवधि या फिल्म के लिए दिए गए प्रमाण पत्र की संख्या और प्रकृति आदि के बारे में अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से सूचित करने में विफल रहता है, तो उसके लिए एक अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। विधेयक में अब इसके स्थान पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 के अंतर्गत श्रेणी अभिधान चिह्न का कूटकरण करने पर तीन वर्ष तक के कारावास और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में इसके स्थान पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

1.4. जुर्माना और शास्ति में अंतर: कतिपय अधिनियमों में जुर्माने के स्थान पर शास्ति लगाकर अपराधों का निरपराधीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत, किसी वस्तु को कपटपूर्वक भारत में पेटेन्टकृत के रूप में निरूपित करके बेचने वाले व्यक्ति पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। विधेयक में जुर्माने के स्थान शास्ति कर दिया गया है जो कि दस लाख रुपये तक हो सकती है और सतत उल्लंघन की स्थिति में प्रति व्यक्ति एक हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति लगेगी।

1.5. जुर्माना और शास्ति का पुनरीक्षण: जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 में इस विधेयक की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में कतिपय अपराधों के लिए जुर्माना और शास्ति को बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, विधेयक के खंड 3 में अनुसूची में विनिर्दिष्ट जुर्माने और शास्तियों में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, उसके लिए विहित, जुर्माने या शास्ति की न्यूनतम राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जो कि संसद के सीमित बहुमूल्य समय को बचाने के लिए पहली बार पुरःस्थापित किया गया विधायी प्रस्ताव प्रतीत होता है।

1.6. न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति: जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 के अनुसार, भारत सरकार शास्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से एक या अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। न्यायनिर्णयन अधिकारी व्यक्तियों को साक्ष्य के लिए बुला सकते हैं और संबंधित अधिनियमों के उल्लंघन की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अन्य अधिनियमों के साथ-साथ कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 हैं, जिनमें न्यायनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।

1.7. अपीलीय तंत्र: जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 में उन व्यक्तियों के लिए अपीलीय तंत्र को भी विनिर्दिष्ट किया गया है, जो एक न्यायनिर्णयन अधिकारी/प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित हैं। उदाहरण के लिए, चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत, अपील करने का

प्रावधान किया गया है। इसी तरह वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर महानिदेशक के समक्ष अपील करने का प्रावधान किया गया है। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील की जा सकती है।

1.8. 19 मंत्रालयों/विभागों तथा विधेयक में विचाराधीन 42 अधिनियमों के संबंध में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 द्वारा निरपराधीकरण किए जाने हेतु प्रस्तावित उपबंधों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

प्रस्ताव			
42 -विभाग/मंत्रालय 19अधिनियम			
क्रम सं.	श्रेणी	निरपराधीकृत किए जाने वाले उपबंधों की संख्या (अधिनियम)	
1	कारावास औरया जुर्माना हटा दिया गया/		55 (21)
	कारावास और जुर्माना हटाया गया	42	
	कारावास हटाया गया	3	
	जुर्माना हटाया गया	10	
2	कारावास औरया जुर्माना का शास्ति में परिवर्तन/		89 (22)
	कारावास और जुर्माने का का शास्ति में परिवर्तन	69	
	कारावास का शास्ति में परिवर्तन	2	
	जुर्माने का शास्ति में परिवर्तन	18	
3	कारावास हटाया गया और जुर्माना यथावत् रखा गया		14 (6)
4	कारावास हटाया गया और जुर्माना बढ़ाया गया		18 (5)
5	अपराधों के शमन को शामिल किया गया		6 (3)
निरपराधीकृत किए गए कुल उपबंध			182

1.9. विधेयक में प्रस्तावित परिणामी और अन्य संशोधनों वाले उपबंधों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है:

विधेयक में परिणामी और अन्य संशोधन		
क्रम सं .	प्रस्तावित कार्रवाई	उपबंधों की संख्या (अधिनियम)
1	न्यायनिर्णयन वसूली तंत्र का पुरःस्थापन अपील	41 (10)
2	कारावास और/या जुर्माना का पुरःस्थापन	6 (6)
3	शास्ति का पुरःस्थापन	1 (1)
4	शास्ति/जुर्माना बढ़ाना	4 (1)
5	कारावास कम किया गया और या जुर्माना यथावत् रखा गया/बढ़ाया गया	3 (2)
6	कारावास यथावत् रखा गया और जुर्माना बढ़ाया गया	7 (2)
7	परिणामी संशोधन	
	अपराध को अंतरित करना	6
	अनुसूची से लोप	6
	निधि का सृजन	12
	अन्य संशोधन जैसे परिभाषा	55
कुल		141

2. जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक, 2022 की आवश्यकता

2.1. लोकतांत्रिक शासन के लिए विश्वास एक पूर्व आवश्यकता है और यह इसका आधार है। पुराने नियमों और विनियमों के कारण आम जनता और उद्यमियों के बीच विश्वास की कमी होती है। लोकतांत्रिक शासन की मुख्य बात यह है कि सरकार अपने स्वयं के संस्थानों के साथ-साथ आम नागरिकों पर भी विश्वास करती है। छोटे अपराधों के लिए कारावास का भय व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में बाधा डालने और उद्यमियों के विश्वास को तोड़ने का एक प्रमुख कारक है। अनुपालन जटिलताओं को कम करने से व्यापार प्रक्रिया को संशोधित करने में तेजी आती है और लोगों का जीवनयापन सुगम होता है। भारत को 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' की भावना का अनुसरण करते हुए, उन पुराने कानूनों को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है जो देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे और सरकार की अवधारणा के अनुरूप नहीं थे। प्रौद्योगिकी के आगमन और

सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में बदलाव के साथ, देश के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों की उद्यमशीलता की भावना को अभिव्यक्त होने दे ताकि विश्वास पैदा किया जा सके और व्यापार सुधारों के नए युग की ओर कदम बढ़ाया जा सके और स्थानीय और वैश्विक स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करके भारत को वैश्विक निवेश की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।

2.2. विश्व बैंक समूह ने कारबार की सुगमता सूचकांक नामक एक रैंकिंग प्रणाली स्थापित की थी, जिसमें पिछली वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत 2014 के 142वें स्थान और 2018 के 77वें स्थान की तुलना में 63वें स्थान पर है। इस बात की अत्यधिक सराहना की गई है कि 2014 के बाद से सरकारी प्रक्रियाओं में भारी परिवर्तन आया है और यह नवोन्मेषी रूप से कार्य कर रही हैं। सरकार ने भारत को सर्वाधिक लोकप्रिय व्यावसायिक गंतव्य बनाने के एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाते हुए पुनर्गठन शुरू किया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कारबार की सुगमता कार्यक्रम के लिए संस्थागत नियंत्रक है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने एक आधार के रूप में कार्य किया है और आपसी वर्जनाओं को तोड़ते हुए और सभी सरकारी एजेंसियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए काम करते हुए एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण स्थापित किया है।

2.3. कारबार की अधिक सुगमता का अर्थ है कि अधिक निकासी या नियमों में ढील देना और निस्संदेह यह जीवन को आसान बनाता है; यद्यपि निवेशक किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश करने का निर्णय लेने से पहले कई अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कानूनी ढांचा, लोकतांत्रिक स्थिति, व्यापार की संभावित वृद्धि, भू-राजनैतिक स्थिति, सरकार की स्थिरता, बाजार की क्षमता, अप्रत्याशित घटनाएं, कानून और व्यवस्था, आदि। जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का आशय यथा पुरःस्थापित रूप में बड़ी संख्या में लघु प्रकृति के अपराधों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक शास्तियों के साथ उनका निरपराधीकरण करना है। इसका उद्देश्य न केवल जीवनयापन और कारबार में सुगमता लाने बल्कि न्यायिक बोझ को भी कम करना है। न्यायालयों को शामिल किए बिना प्रशासनिक तंत्र द्वारा शमन विधि और निर्णयन द्वारा बड़ी संख्या में मामलों का निपटान किए जाने से लोगों की मामूली उल्लंघनों और चूकों को दूर करने में सहायता मिलेगी जिससे समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत होगी।

2.4. निम्नलिखित कारणों से जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित किया जाना आवश्यक है:

- ❖ संशोधन विधेयक में लघु, तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक के लिए आपराधिक उपबंधों के भय को समाप्त करके कारबार पर जोर देने की परिकल्पना की गई है। यह कारबार और जीवनयापन को

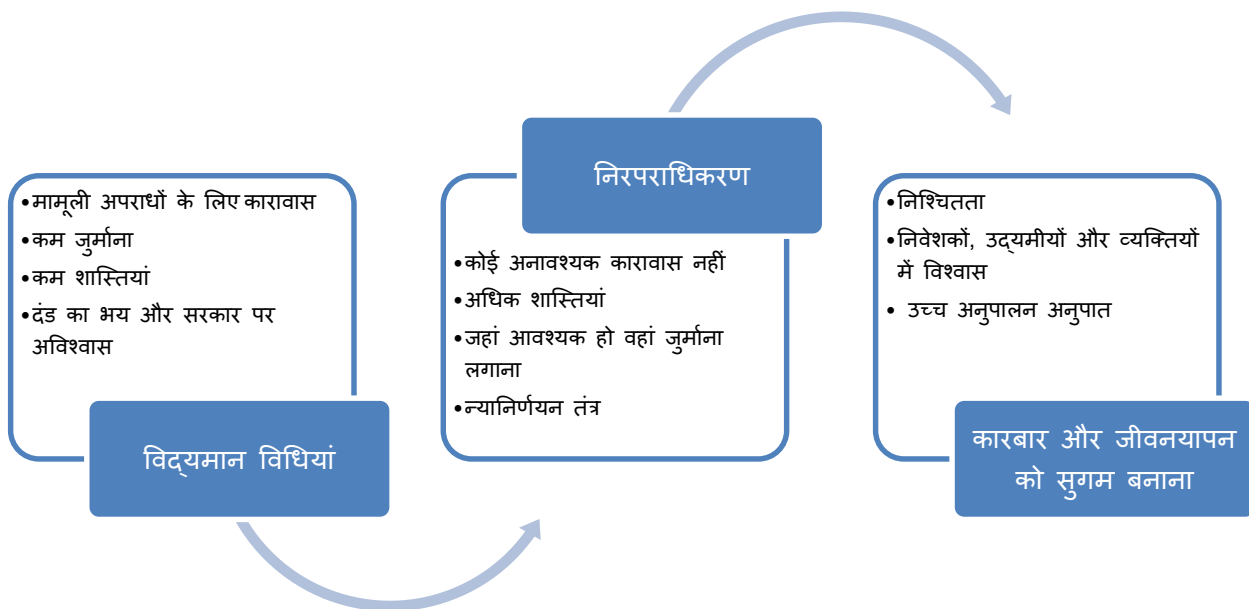
सुगम बनाने और एक 'आत्मानिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

- ❖ सही और कुशल कारबार विनियमन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि एक स्वस्थ निजी क्षेत्र के बिना कोई अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर सकती। स्थानीय कारबार का विकास रोजगार सृजित करता है जिससे आय प्राप्त होती है, जिसे घरेलू स्तर पर व्यय और निवेश किया जा सकता है। प्रभावी कारबार विनियमन सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों को अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में विकास, नवाचार और स्थानांतरित करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- ❖ प्रभावी नियमों और विनियमनों का होना महत्वपूर्ण है जो समझने और पालन करने में आसान हों। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी विशेष रूप से उभरते हुए उद्यमी जब अपना कारबार स्थापित करते हैं और उसका संचालन शुरू करते हैं, तो उन्हें विभिन्न वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। वित्तीय लाभ प्राप्त करने, भ्रष्टाचार को कम करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को फलने-फूलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनावश्यक लालफीताशाही को समाप्त किया जाना चाहिए।
- ❖ मामूली प्रक्रियागत भूलों और मामूली चूकों के लिए आपराधिता के खंड न्यायपालिका पर बोझ को बढ़ाते हैं और बड़े अपराधों के न्यायनिर्णयन में विलंब करते हैं। प्रस्तावित संशोधनों में से कुछ संशोधन मामूली अपराधों से निपटने के लिए, उचित न्यायनिर्णयन तंत्र, जहां भी लागू हो और संभव हो, की शुरुआत कर रहे हैं। यह न्यायपालिका पर बोझ कम करने, न्यायालयों को अनवरुद्ध करने और कुशल न्याय व्यवस्था में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- ❖ आपराधिक प्रकृति के मामलों में वृद्धि हुई है जहां भूल चूक या तो मामूली प्रकृति के हैं या शमनीय हैं और केवल शास्ति के साथ निपटाए जाते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, 23 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार कुल 4,24,02,907 लंबित मामलों में से 3,15,86,284 मामले आपराधिक कार्यवाही से संबंधित हैं। 31 दिसंबर, 2021 के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कारागार आंकड़ों के अनुसार, 4,25,609 की क्षमता की तुलना में कुल 5,54,034 कैदी भारत के विभिन्न कारागारों में कैद थे। मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से निश्चित रूप से न्यायपालिका और कारागारों पर बोझ कम होगा और व्यवसाय करना आसान हो जाएगा और साथ ही व्यक्तिगत जीवन आसान हो जाएगा।
- ❖ सदोष आचरण को दंडित करने के विपरीत, भूल चूक के मामूली कृत्यों का अपराधीकरण प्रायः कार्यपालिका के लिए मजबूत छवि प्रस्तुत करने का एक साधन बन जाता है। चूंकि कई अधिनियम ब्रिटिश काल के हैं जहां राष्ट्र अपने नागरिकों पर विश्वास नहीं करता था, देश में अब ऐसा नहीं है।

विधि में शास्तियों को उचित ठहराकर और लचीलापन लाकर इस "अति-अपराधीकरण" का निवारण किए जाने की आवश्यकता है।

- ❖ विनियामक बोझ अक्सर निवेशकों के लिए काफी बाधा उत्पन्न करता है। विद्यमान विधियों में विसंगतियां अनावश्यक और विरोधाभासी अनुपालन आवश्यकता उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा, आवश्यक अनुमोदन के लिए लंबी प्रक्रिया अवधि लागत में वृद्धि कर सकती है और उद्यमी के उत्साह को कम कर सकती है। प्रस्तावित संशोधन सुगम प्रक्रियाओं के कारण निवेश निर्णयों में तेजी लाएंगे और अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे।

कारबार को सुगम बनाने के लिए विद्यमान उपबंधों में निर्बाध परिवर्तन



3. विधेयक का दायरा

3.1 जैसा कि जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है, इस विधेयक का आशय बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन बोझ को कम करना और लोगों के जीवनयापन को सुगम बनाना है। विधेयक के माध्यम से बड़ी संख्या में सुधारों के लिए जाने से सभी प्रकार के व्यावसायिक उद्यमों जैसे लघु और मध्यम उद्यमों से लेकर बड़े कॉर्पोरेशन तक, निवेशकों से लेकर स्टार्ट-अप तक, कामगारों से लेकर उद्यमियों तक, और कंपनियों से लेकर अर्थव्यवस्थाएं तक और सबसे महत्वपूर्ण रूप से देश के नागरिक प्रभावित होंगे।

3.2 अत्यधिक अनुपालन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बोझ को बढ़ाता है। विधेयक में 'अर्ध-निरापराधीकरण' करने का प्रस्ताव है। 'निरापराधीकरण' के लिए विचाराधीन विनियामक अपराधों को न केवल कारबार को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से बल्कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाली कमियों के दृष्टिकोण से भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन द्वारा 'जेल फ़ॉर इज़िंग बिज़नेस' शीर्षक वाला एक मोनोग्राफ़ भारत के कारबार अनुपालन विनियमन ढांचे को प्रभावित करने वाले कारावास खंडों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट के अनुसार 69,233 अनोखे अनुपालन जो भारत में कारबार करने को विनियमित करते हैं, उनमें से 26,134 खंडों में गैर-अनुपालन के दंड के रूप में कारावास के खंड हैं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, 150 से अधिक कर्मचारियों वाले विनिर्माण क्षेत्र में एक औसत भारतीय उद्यम एक वर्ष में 500-900 अनुपालन करता है, जिसकी लागत एक वर्ष में लगभग 12 से 18 लाख रुपये होती है। पाँच में से लगभग दो अनुपालन एक उद्यमी को कारागार भेज सकते हैं। इस आलोक में, विधेयक के अंतर्गत अविनियमित किए गए अपराधों की संख्या सही दिशा में एक पहल है। यह विधेयक सरकार की समझ के अनुरूप है कि निरापराधीकरण विनियामक डोमेन तक सीमित होना चाहिए।

3.3 वर्तमान में, लोग भारत में व्यापार करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि मामूली चूक भी उन्हें जेल भेज सकती है और जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 एक ओर लोगों की व्यावसायिक मानसिकता को निर्विवाद प्रभावित करेगा और दूसरी ओर न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्रणाली पर बोझ को कम करेगा। कुल मिलाकर जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का उद्देश्य विभिन्न मामूली विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के साथ व्यापार के अवसर प्रदान करना और उनका विस्तार करना है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकार जुर्माना एकत्र करने में सक्षम हो।

3.4 वर्तमान परिदृश्य में, कारबार समुदाय और व्यक्तियों द्वारा अनुपालन बोझ को निम्नलिखित चरणों के माध्यम से कम किया जा सकता है, जो अनुपालन बोझ को कम करने के प्रयास के केंद्र बिंदु भी हैं:

- (i) अनावश्यक कानूनों को निरस्त, संशोधित या हटाकर कानूनी उपबंधों का युक्तिकरण।
- (ii) आवेदन, नवीनीकरण, निरीक्षण, फाइलिंग रिकॉर्ड आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- (iii) ऑनलाइन इंटरएसिज बनाकर सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण।
- (iv) मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना।

3.5 कारबारों को अपने कार्य का विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित विनियमन और संपत्ति अधिकारों तक समान पहुंच आवश्यक है। यदि सरकारें पर्याप्त सुरक्षा कानून नहीं बनाती हैं और व्यापारिक समुदाय के लिए विवादों की गुंजाइश छोड़ देती हैं, तो हितधारक विकासात्मक परियोजनाओं में निवेश करने के इच्छुक नहीं होंगे। अल्पसंख्यक निवेशकों के हितों का संरक्षण सर्वोपरि है। अधिक सुरक्षा विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में सहायता करती है और बदले में, उद्यमियों के लिए वित्त तक अधिक पहुंच को बढ़ावा देती है। स्पष्ट नियम और विनियमन, अधिकार और संवर्धित पारदर्शिता नियामक कुछ ऐसे उपकरण हैं जो सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए। एक सतत और केंद्रित सुधार कार्यसूची अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी और सतर्क रखती है। नागरिकों की क्षेत्रीय विविधता और अलग-अलग आय स्तर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ नौकरशाही बाधाओं और मजबूत कानूनों और विनियमनों से, कोई भी अर्थव्यवस्था शीर्ष पर पहुंच सकती है। कारबार और जीवनयापन को सुगम बनाने में बेहतर निष्पादन हेतु विनियमनों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सबसे ज्यादा मायने रखती है। सभी स्तरों पर विश्वास आधारित शासन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए विनियामक वातावरण अधिक अनुकूल होना चाहिए।

4. विचाराधीन अधिनियम

4.1 जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की अनुसूची में शामिल निम्नलिखित अधिनियमों को विधेयक द्वारा संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है:

1. प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867
2. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898
3. बायलर अधिनियम, 1923
4. भारतीय वन अधिनियम, 1927
5. कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937
6. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
7. लोक ऋण अधिनियम, 1944
8. रबड़ अधिनियम, 1947

9. भेषजी अधिनियम, 1948
10. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951
11. चलचित्र अधिनियम, 1952
12. चाय अधिनियम, 1953
13. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957
14. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958
15. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961
16. भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962
17. खाद्य निगम अधिनियम, 1964
18. पेटेन्ट अधिनियम, 1970
19. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972
20. उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978
21. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
22. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981
23. मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986
24. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
25. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987
26. मोटर यान अधिनियम, 1988
27. रेल अधिनियम, 1989
28. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
29. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

30. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999
31. माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
32. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
33. मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002
34. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
35. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
36. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006
37. छावनी अधिनियम, 2006
38. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
39. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008
40. विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009
41. फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011
42. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016

अध्याय दो

विधेयक की जांच हेतु समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

2.1. जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए छोटे अपराधों के निरापराधीकरण और युक्तिकरण हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा लोकसभा में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्या 299) पुरःस्थापित किया गया। लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर, 2022 को विधेयक की जांच के उद्देश्य से एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन और बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक सदन में तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया और स्वीकार किया गया। राज्यसभा ने संयुक्त समिति में शामिल होने संबंधी लोकसभा की सिफारिश पर सहमति व्यक्त की और 23 दिसंबर, 2022 को राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और स्वीकृत प्रस्ताव पर संयुक्त समिति में सेवा देने के लिए 10 सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया। तदनुसार, विधेयक की जांच करने और तत्संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने के लिए श्री पी पी चौधरी के सभापतित्व में लोक सभा के 20 सदस्यों और राज्य सभा के 10 सदस्यों को शामिल करते हुए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया।

2.2. इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 में जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता संबंधी सुधारों के तहत देश के विनियामक परिदृश्य को पुनः परिभाषित करते हुए 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' के सिद्धांत को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है और इसमें प्रस्तावित संशोधन विभिन्न क्षेत्रों में कई हितधारकों को प्रभावित करेंगे, समिति ने 09 जनवरी, 2023 को हुई अपनी पहली बैठक में इस विधेयक द्वारा लाए जाने वाले आशयित सुधारों के प्रत्येक पहलू की जांच करने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ विधेयक की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए निम्नवत् बताया:

“xxx, 2014 में विश्वास आधारित शासन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया था। xxxxxx, 2014 में सरकार के शुरुआती निर्णयों में से एक निर्णय राजपत्रित अधिकारियों या किसी जन प्रतिनिधि द्वारा सत्यापन को समाप्त कर स्व-सत्यापन को लाना था, जिसने वास्तव में उन लाखों युवाओं को प्रभावित किया, जिन्हें वस्तुतः दाखिले या रोजगार के लिए आवेदन करते समय

विभिन्न आवेदनों को सत्यापित कराना होता था, जिससे उन्हें छुटकारा मिल गया। इसके बाद, कारबार करने में सुगमता संबंधी रैंकिंग जिसे विश्व बैंक प्रकाशित करता था, में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए गए और 2014 के आंकड़ों के आधार पर विश्व बैंक रैंकिंग 2015 में भारत को 142वें स्थान पर रखा गया। पांच साल की छोटी सी अवधि के भीतर, 2019 के आंकड़ों के आधार पर, 2022 की रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया, जो पांच साल की छोटी अवधि में 79 रैंक की छलांग है। लेकिन विश्व बैंक द्वारा केवल दो शहरों यानी दिल्ली और मुंबई में कारबार की सुगमता का आकलन किया जाता था। परंतु सरकार चाहती थी कि सुधार पूरे देश में होना चाहिए और इसलिए डीपीआईआईटी ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया। इसमें सबसे पहले टीम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से सुधार किए जाने वाले बिंदुओं की एक सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा, और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एजेंडा बन जाएगा जिसका उन्हें अनुपालन करना है। समय-अवधि के अंत में जो भी परिवर्तन किए गए, उनका तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद रैंकिंग जारी की जानी चाहिए।

XXXXX विश्व बैंक ने 2020 में रैंकिंग बंद कर दी। लेकिन हमने इसके बाद भी अपनी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को जारी रखा है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। xxxxxxx जब हम अनुपालन संबंधी जटिलता को सरल या कम करने का प्रयास करते हैं, तो हम इसे चार प्रकार से करते हैं। सबसे पहले, हम यह देखते हैं कि क्या इस विशेष उपबंध की आवश्यकता है या नहीं। और, यदि यह उपबंध निरर्थक होता है, तो हम इसे हटा देते हैं। यदि इसे सरल बनाया जा सकता है, तो इसका सरलीकरण किया जाता है। यदि यह ऑफ़लाइन है, तो क्या इसे ऑनलाइन किया जा सकता है? और क्या इसमें डिजिटलीकरण से मदद मिल सकती है। चौथा और समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू निरापराधीकरण था। XXXXX, ऐसे उपबंध थे जिनमें छोटी-छोटी बातों जैसे शौचालयों की सफेदी न करने या कैंटीन की सफेदी न करने के लिए किसी व्यापारी को एक या दो साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। वास्तव में ये उपबंध इस तथ्य से उत्पन्न हुए हैं कि हमारे अनेक अधिनियमों में सामान्य उपबंध होता है। सामान्य उपबंध कहते हैं कि- "यदि कुछ उपबंधित नहीं हैं, और यदि किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन होता है, तो एक साल या छह महीने या दो साल के कारावास, जैसा अधिनियम उपबंध करेगा, की सजा होगी। इनमें से अधिकांश बातें

सामान्य उपबंधों से उत्पन्न हुई हैं। यह सोच बदलनी आवश्यक थी। दरअसल अधिकांश अधिनियम स्वतंत्रता से पूर्व के थे। इसलिए, हमने राज्यों के परामर्श से एक प्रक्रिया शुरू की। चिह्नित अधिनियमों को सूचीबद्ध किया गया। हमने उन प्रस्तावों की पहचान की जिनमें कारावास की सजा से जुड़े उपबंध थे। भारत सरकार की ओर से लगभग ऐसे 1500 उपबंधों की पहचान की गई। हमने उन सभी संबंधित विभागों के साथ कार्रवाई की जो उस अधिनियम विशेष के प्रशासक थे। विभागों ने कहा कि 1500 में से लगभग 900 उपबंधों को यथावत् बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि वे गंभीर प्रकृति के हैं। इस अवधि के दौरान लगभग 350 उपबंधों का पहले ही निरापराधीकरण किया जा चुका है क्योंकि इस दौरान संशोधन हुए हैं।

Xxxxxx

इस प्रकार से लगभग 350 उपबंधों पर कार्रवाई की जा चुकी है; और 900 उपबंधों को यथावत् बनाए रखने की आवश्यकता है। चिह्नित उपबंधों में से लगभग 250 उपबंध अभी भी शेष थे। इसलिए, हमने सभी विभागों के साथ बातचीत की। एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें यह इच्छा व्यक्त की गई कि हमने जितने उपबंध चिह्नित किए हैं, उन्हीं के साथ इस कवायद को समाप्त कर लें। xxxxx, विधि और विधायी कार्य विभाग के साथ चर्चा के उपरांत हमने इस कार्यप्रणाली पर अंतिम निर्णय लिया कि हम एक सामान्य अधिनियम के माध्यम से शेष सभी उपबंधों में संशोधन करेंगे। फिर, हमने पाया कि वास्तव में कतिपय विभागों के पास उनके विधेयक थे और वे लगभग अंतिम चरणों में थे और कुछ मामलों में विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया था।

वे व्यापक रूप से संशोधन कर रहे थे; और विधेयक पहले ही संसद में पुरःस्थापित किया जा चुका था। इसलिए, स्पष्टतः हमने। कुछ मामलों में हमने पाया कि हितधारक के साथ अपनी बातचीत पूरी करने से पहले ही उन्हें काफी समय लगेगा। XXXXX ऐसे में हमारा सामान्य विधेयक लंबित रह जाता। इसलिए, हमने उन कुछ अधिनियमों को छोड़ दिया जिन्हें अंतिम चरण में संसद में पुरःस्थापित किया गया था या हमने उन अधिनियमों को छोड़ दिया, जिनमें अभी और अधिक समय लगेगा। शेष अधिनियमों के लिए हमने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बैठकें

की। XXXX और उस समिति की एक उप-समिति भी थी जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग थे।

XXXX हमने प्रत्येक विभाग के साथ बैठक की और ऐसे प्रत्येक खंड का अध्ययन किया जो कारावास की सजा से जुड़े थे। फिर, हमने कुछ सामान्य सिद्धांत बनाए। वस्तुतः जो बातें अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की जाती हैं, वे निरपवाद रूप से कम महत्व की होती हैं। अतः ऐसी बातों से कारावास की सजा नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि किसी बात की सजा कारावास हो, तो यह अच्छी तरह से सोचा-समझी बात होनी चाहिए। सामान्य उपबंधों में शास्ति या जुर्माने का उपबंध होना चाहिए। इसी तरह कोई छोटी जानकारी न देने या कतिपय प्रक्रियात्मक चूकों के कुछ मामलों को शास्ति या अधिक से अधिक जुर्माने के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। यहां तक कि कुछ मामलों में शमनीयता (कंपाउंडिंग) को भी निरापराधीकरण के रूप में लिया जा सकता है ताकि इसका निपटान हो सके। इससे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। इससे पुलिस का बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि वास्तव में उन्हीं को मामलों को अदालतों के समक्ष रखना होता है। इस प्रकार से इसके विविध लाभ होंगे। इसके अलावा, XXXX, कुछ हास्यास्पद उपबंध थे। XXXXX उन्हें हमने हटा दिया है।

समिति द्वारा सुझाए गए सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए विभाग ने हितधारकों के साथ परामर्श किया और हमें बताया कि किस-किस का निरापराधीकरण किया जा सकता है। फिर, हमने सभी बातें संकलित की और विधि विभाग के साथ परामर्श किया। फिर, पूरी बात मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अनुमोदित कर दिया गया और फिर इसे एक विधेयक में परिवर्तित कर दिया गया और संसद के समक्ष रखा गया। XXX"

मंत्रालय ने इस मामले पर आगे विस्तार से बताते हुए निम्नानुसार बताया:

हम लोगों ने वर्ष 2014 से ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। उसका कारण यह था कि हमें बिजनेस प्रोसेसरी-इंजीनियरिंग के ऊपर विशेष ध्यान रखना था, क्योंकि हम देश में आने वाले निवेशकों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना चाहते थे। XXXXX, हम लोगों ने रेगुलेटरी कम्प्लायंस बर्डन के इश्यू को भी देखा है और अनुपालन की जटिलता को कम करना संवर्धन और उद्योग और आंतरिक व्यापार

विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बन गया। जनवरी 2021 में एक पोर्टल बनाया गया और विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को ऐसे विनियामक अनुपालनों की पहचान करने और अनावश्यक अनुपालनों को कम करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया। इसकी स्ट्रेटजी चार माध्यमों के तहत बनाई जा रही है। हमने या तो अप्रचलित कानूनों, प्रक्रियाओं और रूपों के उन्मूलन पर ध्यान दिया और यदि उनकी आवश्यकता नहीं थी, तो हमें उन्हें समाप्त कर दिया या फिर रूपों और प्रक्रियाओं को सरल बना दिया।

बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया गया। इनमें से कई प्रक्रियाओं को ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन किया गया। इसका दूसरा पहलू छोटे अपराधों का निरापराधीकरण करना था।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पोर्टल सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के लिए खुला है। इसे तीन प्रमुख उद्योग संघों के लिए भी खोल दिया गया था और वे विभिन्न हितधारकों और व्यावसायिक विभागों और राज्य सरकारों द्वारा समीक्षा के लिए अपनी ऐसी प्रक्रियाओं और अनुपालनों को भी प्रस्तुत कर सकते थे, जो उनके अनुसार जटिल थे। वे भी 'अनुपालन की जटिलता को भी कम करने' की प्रक्रिया में शामिल थे।

अभी तक, 39,000 से अधिक अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम किया गया है। उनमें से कुछ की अभी भी समीक्षा की जा रही है। अनुपालन के सरलीकरण की यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। जब भी व्यावसायिक संस्थाएं हमें या ऐसे विभागों, जो लगातार इन प्रक्रियाओं को देख रही हैं, के समक्ष इस आशय से इन्हें रखती हैं कि इनमें आगे सरलीकरण के लिए तथ्यों को शुरू से देखने की आवश्यकता है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

कुछ उपबंध थे जो हितधारकों द्वारा और पोर्टल के माध्यम से उद्योग संघों द्वारा विभागों और राज्य सरकारों के ध्यान में लाए गए थे। इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के संघों यथा क्षेत्रीय, व्यावसायिक संस्थाओं आदि के हितधारकों के साथ की गई गहन चर्चा को अपलोड भी किया जाता है। फिर, प्रत्येक हितधारक इसे सूक्ष्मता से देखता है। उनमें से कुछ को यथावत् बनाए रखने की आवश्यकता थी क्योंकि व्यावसायिक प्रक्रियाओं के कुछ भागों के लिए विनियमों की आवश्यकता होती है।

वर्तमान जन विश्वास विधेयक में 19 मंत्रालयों के 42 अधिनियम शामिल हैं और कुल मिलाकर 182 उपबंधों का निरापराधीकरण किए जाने का प्रस्ताव है और वे विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। हमने इन सभी उपबंधों को कतिपय आवश्यकताओं के साथ देखा जिसमें पहले यह सुनिश्चित करना था कि अपराध का किया जाना अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, कुछ बहुत मामूली उपबंध हैं जिनके लिए जेल होती है और वह केस कई सालों तक चलता रहता है। उनका आशय बिल्कुल आपराधिक नहीं है या उन्हें आपराधिक उपबंधों के रूप में नहीं माना जाता है। इसमें उन पर विचार किया गया।

XXXXX

इसके अलावा, कुछ उपबंध तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक या बहुत मामूली अननुपालन से संबंधित हैं। ये भी कारावास के अंतर्गत आते थे। XXXX उन पर भी इस प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत विचार किया गया।

इस विधेयक को लाने के पीछे मंशा यह भी थी कि आपराधिक उपबंध असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं और संभावित निवेशकों और व्यवसायों द्वारा निवेश निर्णयों को बाधित करते हैं। यही कारण है कि इन अधिनियमों को और इन तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों या दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई कतिपय चूकों या अगर कोई प्रोविजन जान-बूझकर या क्रिमिनल इंटेन्शन के साथ किया जाए या असावधानी के कारण या भूलवश चूक का मामूली कृत्य या यह अनजाने में किये गये कृत्य को अलग करना अनिवार्य था। इन सब पर भी विचार किया गया और तदुपरांत कुछ आपराधिक उपबंधों को बदला गया। कारावास को हटा दिया गया, मंशा के आधार पर जुर्माने को यथावत् रखा गया और क्या विभाग के लिए यह संदेश देना महत्वपूर्ण है कि हम आपको कारावास की सजा नहीं देंगे लेकिन जुर्माने की प्रक्रिया को बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

समिति ने यह जानना चाहा कि क्या सरकार ने भूतलक्षी अथवा भविष्यलक्षी प्रभाव से जुर्माना या शास्ति लगाने और सजा देने के संबंध में निर्णय लिया है। मंत्रालय ने बताया है कि ऐसा भविष्यलक्षी प्रभाव से किया जाएगा।

इसके बाद समिति ने जुर्माने और शास्ति के बीच अंतर के बारे में पूछा। इस संबंध में, विधायी विभाग के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

“जुर्माना न्यायिक अदालत द्वारा लगाया जाता है। यदि आप सभी मौजूदा उपबंधों का अवलोकन करेंगे, तो पाएंगे कि अदालत व्यक्ति को कुछ महीनों या वर्षों तक कारावास की सजा दे सकती है और जुर्माना लगा सकती है या दोनों दंड भी दे सकती है। विधेयक में यह प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है कि कारावास की सजा देने और जुर्माना लगाने की बजाय एक न्यायनिर्णयन तंत्र विकसित किया जाए जिसके तहत प्रशासनिक प्राधिकरण यानी अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा आर्थिक शास्ति लगाई जाए। इसलिए, शास्ति से हमारा तात्पर्य कुछ और नहीं बल्कि आर्थिक दंड से है ताकि उस पर कोई जुर्माना न लगाया जाए; वह जुर्माना भरेगा और सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली से मुक्त हो जाएगा। हम यह नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति अदालत के चक्कर काटे। इसका यही प्रयोजन है।”

2.3. यह पूछे जाने पर कि क्या शास्ति का अनुपालन न करने के लिए संबंधित अधिनियमों में किसी तंत्र का प्रावधान किया गया है, समिति को निम्नानुसार बताया गया:

“हमने इस पर विचार किया है। हमारे पास एक न्यायनिर्णयन तंत्र है। न्यायनिर्णयन तंत्र द्वारा अर्थ दंड लगाने के आदेशों को चुनौती देने के लिए एक अधिकारी अथवा एक प्राधिकरण अथवा एक अपीलीय तंत्र का प्रावधान किया गया है।”

2.4. आगे यह भी बताया गया कि:

“इस विधेयक में विभिन्न अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। संबंधित अधिनियमों में, जहां भी शास्ति लगाने के तंत्र का उल्लेख है, हमने इस प्रणाली का प्रावधान किया है। यदि व्यक्ति शास्ति देने में विफल रहता है, तो इसे भूमि राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा।”

2.5. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विधेयक द्वारा संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित अधिनियमों को 19 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रशासित और लागू किया जा रहा है, समिति ने सबसे पहले इन अधिनियमों को लागू करने वाले मंत्रालयों के विचारों को सुनने का निर्णय लिया।

2.6. तदनुसार, समिति ने प्रशासनिक मंत्रालयों से पृष्ठभूमि टिप्पण और अन्य अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त किए। समिति ने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों से भी संक्षेप में जानकारी प्राप्त की।

नोडल मंत्रालय अर्थात् उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो सभी 18 मंत्रालयों / विभागों के साथ समन्वय कर रहा है और कानून मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी समिति की सभी बैठकों में उपस्थित रहे। समिति द्वारा प्राप्त की गई संक्षिप्त जानकारी का कालक्रमानुसार ब्यौरा सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है:

विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा संक्षिप्त जानकारी का कालक्रम

बैठक सं.	दिनांक और दिन	कार्य-सूची
1.	09 जनवरी, 2023 (सोमवार)	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा समग्र विधेयक और उक्त विधेयक के उद्देश्यों और प्रयोजनों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दिया जाना। विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रति निधि भी बैठक में उपस्थित रहे।
2.	16 जनवरी, 2023 (सोमवार)	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 (i) की अनुसूची के क्रम सं. 32 और 42 के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; (ii) की अनुसूची के क्रम सं. 5 के संबंध में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग); (iii) की अनुसूची के क्रम सं. 16 और 17 के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य दिया जाना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहेंगे।
3.	17 जनवरी, 2023 (मंगलवार)	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022(i) की अनुसूची के क्रम सं. 4, 21, 24 और 28 के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; और (ii) की अनुसूची के क्रम सं. 33 के संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य दिया जाना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

4.	31 जनवरी, 2023 (मंगलवार)	मंत्रालय द्वारा उससे संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन (i) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और (ii) वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य दिया जाना।
5.	06 फरवरी, 2023 (सोमवार)	वित्त मंत्रालय के अधीन (i) वित्तीय सेवाएं विभाग (ii) आर्थिक कार्य विभाग और (iii) राजस्व विभाग से संबंधित विधेयकों में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में विभाग के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य लिया जाना।
6.	07 फरवरी, 2023 (मंगलवार)	(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (ii) रेल मंत्रालय और (iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य लिया जाना।
7.	09 फरवरी, 2023 (गुरुवार)	(i) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (ii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (iii) डाक विभाग (संचार मंत्रालय), (iv) उपभोक्ता मामले विभाग, (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय), (v) रक्षा विभाग, (रक्षा मंत्रालय), और (vi) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य लिया जाना।

2.7. साक्षी अधिकारियों के लिखित और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर, समिति ने विधेयक के प्रत्येक उपबंधसहित विधेयक की अनुसूची में विनिर्दिष्ट 42 अधिनियमों में प्रस्तावित प्रत्येक संशोधन की गहन जांच की है और अनुवर्ती पैराओं में सूचीबद्ध अपनी सुविचारित राय/सुझाव दिए।

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम सं. 1]

2.8. प्रशासनिक मंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय

2.9 अधिनियम का प्रयोजन: प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 देश में मुद्रित होने वाली सभी सूचनात्मक सामग्री का रिकॉर्ड रखने के लिए देश में समाचार पत्रों और पुस्तकों सहित प्रिंटिंग प्रेसों, पत्रिकाओं के पंजीकरण का प्रावधान करता है।

2.10. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

क्रमांक	धाराएं	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
1	धारा 8ग	8ग. अपील. --(1) मजिस्ट्रेट के, धारा 6 के अधीन किसी घोषणा को अधिप्रमाणित करने से इंकार करने वाले या धारा 8ख के अधीन किसी घोषणा को रद्द करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से साठ दिन के भीतर, जिसको ऐसा आदेश उसे संसूचित किया गया था, मुद्रणालय तथा रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड नामक अपील बोर्ड को, जो [प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से	मजिस्ट्रेट के, धारा 6 के अधीन किसी घोषणा को अधिप्रमाणित करने से इंकार करने वाले या धारा 8ख के अधीन किसी घोषणा को रद्द करने वाले आदेश या <u>धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रेस रजिस्ट्रार के किसी आदेश द्वारा निलंबित करने या रद्द करने वाले आदेश से या धारा 13 के अधीन या धारा 19ट के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने</u> से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से साठ दिन के भीतर, जिसको ऐसा आदेश उसे संसूचित किया गया था, मुद्रणालय तथा रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड नामक अपील बोर्ड को, जो केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य से

		नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य से मिल कर बनेगा,] अपील कर सकेगा: परन्तु अपील बोर्ड उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।	मिल कर बनेगा, अपील कर सकेगा; परन्तु अपील बोर्ड उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।
		(2) इस धारा के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील बोर्ड, मजिस्ट्रेट से अभिलेखों को मंगवाने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझता है, उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, अपांतरित या अपास्त कर सकेगा।	(2) इस धारा के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील बोर्ड, मजिस्ट्रेट <u>से अभिलेखों को मंगवाने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझता है, उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, अपांतरित या अपास्त कर सकेगा।</u>
2	धारा 12	धारा 3 में दिए गए नियम के विरुद्ध मुद्रण के लिए शास्ति- जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 में दिए गए नियम के अनुरूप कोई पुस्तक या पत्र मुद्रित या प्रकाशित न करके	यथा प्रस्तावित विधेयक में लोप करने का प्रस्ताव

		अन्यथा प्रकाशित करेगा, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो [दो हजार] रुपए से अधिक का नहीं होगा, या सादे कारावास से, जिसकी अवधि [छह मास] से अधिक की नहीं होगी, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।	
3	विद्यमान धारा 12 के स्थान पर नई धारा 12 को अन्तःस्थापित करना	---	12. रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्द किया जाना— (1) प्रेस रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, किसी समाचारपत्र के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा, यदि— (क) प्रकाशक समाचारपत्र को लगातार प्रकाशित करने में असमर्थ रहता है । स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि समाचारपत्र अपने अंकों के आधे से कम का प्रकाशन करता है जैसा कि धारा 5 के नियम (6) के अधीन प्रकाशन करना अपेक्षित है तो ऐसे समाचारपत्र के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह लगातार प्रकाशन करने में असमर्थ रहा है ; या

		(ख) किसी समाचारपत्र के प्रकाशक ने वार्षिक विवरण में मिथ्या विशिष्टियां दी हैं; या (ग) किसी समाचारपत्र का प्रकाशक उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिसके लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने थे । (2) प्रेस रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को वहां रद्द कर सकेगा, जहां— (i) कोई समाचारपत्र चौबीस मास से अधिक की अवधि के लिए प्रकाशन से प्रविरत रहा है; (ii) किसी समाचारपत्र का प्रकाशक उस अवधि के अवसान के पश्चात् भी वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है जिसके दौरान रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र उपधारा (1) के उपखंड (ग) के अधीन निलंबित किया गया था; (iii) रजिस्ट्रीकरण मिथ्या अभ्यावेदन या किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाने के आधार पर अभिप्राप्त किया गया था; (iv) समाचारपत्र का शीर्षक किसी अन्य समाचारपत्र के स्वामी द्वारा पहले से ही धृत उसी भाषा में भारत में कहीं भी या किसी अन्य भाषा में उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में वही और समान हक

			के साथ धृत हैं। (3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्द करने का कोई आदेश, यथास्थिति, समाचारपत्र के प्रकाशक या स्वामी को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा । (4) इस धारा के अधीन पारित निलंबन या रद्द करने के आदेश की प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाएगी
4	धारा 13	धारा 4 में अपेक्षित घोषणा किए बिना मुद्रणालय रखने के लिए शास्ति- जो कोई, पूर्वोक्त कोई मुद्रणालय, [इस अधिनियम की धारा 4 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में,] अपने कब्जे में रखेगा, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो [दो हजार] रुपए से अधिक का नहीं होगा या सादे कारावास से, जिसकी अवधि [छह मास] से अधिक की नहीं होगी, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।	यथा प्रस्तावित विधेयक में लोप करने का प्रस्ताव

5	विद्यमान धारा 13 के स्थान पर नई धारा 13 को अन्तःस्थापित करना		13. कतिपय उल्लंघन के लिए शास्ति— प्रेस रजिस्ट्रार,— (i) जो दस हजार रुपए से अधिक का न हो, जहां प्रकाशक धारा 3 में अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुरूपता से भिन्न कोई पुस्तक या पत्र मुद्रित करता है या प्रकाशित करता है ; (ii) जो दस हजार रुपए से अधिक का न हो, जहां प्रेस की पर धारा 4 में अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुरूपता में घोषणा करने और अभिदाय करने में असफल रहता है; (iii) जो बीस हजार रुपए से अधिक का न हो, जहां प्रकाशक धारा 19घ के खंड (क) के अधीन यथा अपेक्षित वार्षिक विवरण उस वित्तीय वर्ष के अन्त से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है जिसके संबंध में वार्षिक विवरण का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था; (iv) जो बीस हजार रुपए से अधिक का न हो, जहां व्यक्ति जो अब किसी समाचार पत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रहा है या धारा 8 के उपबंधों के अनुपालन में कोई घोषणा करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है; (v) पुस्तकों का परिदान करने में या धारा 9 में निर्दिष्ट मानचित्र सहित मुद्रण की आपूर्ति न करने के लिए दो हजार रुपए से अनधिक; (vi) जो दो हजार रुपए से अधिक न हो, जहां समाचारपत्र का कोई मुद्रक धारा 11क और धारा 11ख के उपबंधों के अनुपालन में समाचारपत्र की

			प्रतियों का परिदान करने में उपेक्षा करता है ।”
6	धारा 14	मिथ्या कथन करने के लिए दंड- कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन [कोई घोषणा या अन्य कथन] करते हुए ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो यह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या उसके सही होने के बारे में वह विश्वास नहीं करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो [दो हजार] रुपए से अधिक का नहीं होगा और कारावास से, जिसकी अवधि [छह मास] से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा।	यथा प्रस्तावित विधेयक में लोप करने का प्रस्ताव
7	धारा 15क	धारा 8 के अधीन घोषणा न करने के लिए शास्ति- यदि कोई व्यक्ति, जो किसी समाचारपत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रह गया है, धारा 8 के अनुपालन में घोषणा करने में असफल रहेगा या घोषणा करने में उपेक्षा करेगा तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष	

		दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो, दो सौ रुपए से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा।	
8	धारा 16	16. पुस्तकें न देने के लिए या मुद्रक को मानचित्र न देने के लिए शास्ति- यदि इस अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट किसी पुस्तक का कोई मुद्रक उस धारा के अनुसरण में उसकी प्रतियां देने में उपेक्षा करेगा तो, वह ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए सरकार के पक्ष में पचास रुपए से अनधिक उतनी राशि समपहत करेगा जितनी उस स्थान में, जहां वह पुस्तक मुद्रित की गई थी, अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट, उस अधिकारी के, जिसे प्रतियां दी जानी थीं, या इस निमित्त उस अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के आवेदन पर उन परिस्थितियों में उस व्यतिक्रम के लिए उचित शास्ति अवधारित करे, और ऐसी राशि के अतिरिक्त उतनी राशि और समपहत	यथा पुरःस्थापित रूप में विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया।.

		करेगा जितनी वह मजिस्ट्रेट उन प्रतियों के मूल्य के रूप में अवधारित करे, जो मुद्रक द्वारा दी जानी थीं। यदि कोई प्रकाशक या अन्य व्यक्ति, जो मुद्रक को नियोजित करे इस अधिनियम की धारा 9 के दूसरे पैरे में विहित रीति से, ऐसे मानचित्रों, मुद्रणों या उत्कीर्णों को जो उस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करने में मुद्रक को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं, उसे देने में उपेक्षा करेगा, तो ऐसा प्रकाशक या अन्य व्यक्ति प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम के लिए, पचास रुपए से अनधिक उतनी राशि जितनी पूर्वोक्त मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त आवेदन पर उन परिस्थितियों में उस व्यतिक्रम के लिए उचित शास्ति अवधारित करे, सरकार के पक्ष में समपहत करेगा और ऐसी राशि के अतिरिक्त उतनी और राशि समपहत करेगा जितनी वह	

		मजिस्ट्रेट उन मानचित्रों, मुद्रणों या उत्कीर्णों के मूल्य में अवधारित करे, जो ऐसे प्रकाशक या अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाने थे।]	
9	धारा 16क	16क. सरकार को समाचारपत्र की प्रतियां मुफ्त न देने के लिए शास्ति- यदि भारत में प्रकाशित किसी समाचारपत्र का कोई मुद्रक धारा 11क के अनुपालन में उसकी प्रतियां देने में उपेक्षा करेगा तो वह, उस अधिकारी को, जिसे प्रतियां दी जानी चाहिए थीं या इस निमित्त उस अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की शिकायत पर, उस स्थान में, जहां समाचारपत्र का मुद्रण किया गया था, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, जुर्माने से दंडनीय होगा जो प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा।	यथा पुरःस्थापित रूप में विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया।.
10	धारा 16ख	16ख. प्रेस रजिस्ट्रार को	यथा पुरःस्थापित रूप में विधेयक में

		समाचारपत्र की प्रतियां न देने के लिए शास्ति- यदि भारत में प्रकाशित किसी समाचारपत्र का कोई प्रकाशक धारा 11ख के अनुपालन में उसकी प्रतियां देने में उपेक्षा करेगा तो वह, प्रेस रजिस्ट्रार की शिकायत पर, उस स्थान में, जहां उस समाचारपत्र का मुद्रण किया गया था, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, जुर्माने से दंडनीय होगा, जो प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा।	लोप का प्रस्ताव किया गया।
11	धारा 17	धारा 16 के अधीन सरकार के पक्ष में समपहत कोई भी धनराशि, उस राशि का अवधारण करने वाले मजिस्ट्रेट या पद में उसके उत्तरवर्ती के अधिपत्र के अधीन जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए उस समय प्रवृत्त दंड प्रक्रिया संहिता (1882 का 10) द्वारा प्राधिकृत रीति से तथा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा विहित अवधि के भीतर, वसूल की जा सकेगी।	यथा पुरःस्थापित रूप में विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया।

12	धारा 19ट	धारा 19घ या धारा 19ड आदि के उल्लंघन के लिए शास्ति- यदि किसी समाचारपत्र का प्रकाशक- (क) धारा 19घ या धारा 19ड के उपबंधों का अनुपालन करने से इंकार करेगा या उसकी उपेक्षा करेगा, या * * * * (ग) समाचारपत्र में, उस समाचारपत्र से सम्बन्धित कोई ऐसी विशिष्टियां धारा 19घ के खंड (ख) के अनुसरण में प्रकाशित करेगा, जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का उसके पास कारण है, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	19ट. धारा 19घ या धारा 19ड के उल्लंघन के लिए शास्ति- यदि किसी समाचारपत्र का प्रकाशक— (क) धारा 19घ के खंड (ख) या धारा 19ड के उपबंधों का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है ; या (ख) किसी समाचारपत्र से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों को धारा 19घ के खंड (ख) के अनुसरण में समाचारपत्र में प्रकाशित करता है, जिसके मिथ्या होने के बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है, तो वह शास्ति से, जो दस हजार रुपए से अधिक का न हो, दंडनीय होगा।
13	धारा 19ठ	19ठ. जानकारी के अनुचित प्रकटन के लिए शास्ति- यदि इस अधिनियम के अधीन जानकारी के संग्रहण	यथा पुरःस्थापित रूप में विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया।

		के सम्बन्ध में लगा कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी जानकारी या प्रस्तुत की गई किसी विवरणी की विषयवस्तु को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निष्पादन से या इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजनों से अन्यथा जानबूझकर प्रकट करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।	

2.11. मंत्रालय द्वारा निवेदन :

2.11.1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में बताया कि यह महसूस किया गया है कि कारावास से संबंधित प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता से समझौता करते हैं और इसलिए मौजूदा कानून का निरपराधीकरण और वर्तमान परिदृश्य के अनुसार इसे और अधिक सुसंगत बनाने की आवश्यकता है। अतः प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मौजूदा कानून अपराध की श्रेणी से बाहर करने का है। यह देश में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप भी है। मौजूदा धाराओं में अर्थात् धारा 12 से 17 और 19ठ अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए समाचारपत्रों पर शास्ति, कारावास या मजिस्ट्रेट द्वारा शास्ति शामिल है, का प्रावधान है।

2.11.2. मंत्रालय ने आगे बताया कि जन विश्वास विधेयक में प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा विभिन्न आधारों पर पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन और रद्द करने से संबंधित उपबंधों को लाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में, प्रेस रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित और रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है। विधेयक में कारावास को शास्ति में परिवर्तित किया गया है जो वर्तमान समय के अनुरूप है।

2.12. समिति की बैठक के दौरान चर्चा:

2.12.1. 9 फरवरी, 2023 को आयोजित समिति की बैठक के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने प्रस्तावित संशोधनों पर संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने यह बताया कि मंत्रालय ने अधिनियम की किस प्रकार समीक्षा की और उपबंधों का निरपराधीकरण करने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि:

“समीक्षा के बाद उपबंधों का निरपराधीकरण करने के लिए कतिपय संशोधन का प्रस्ताव करने का निर्णय लिया गया। अतः, अधिनियम के अंतर्गत सात उपबंधों अर्थात् धारा 12 से 14, धारा 15 से 17 और 19 का लोप करने का प्रस्ताव है, जो कि ऐसे उपबंध हैं जिनके आपराधिक निहितार्थ हैं और जिन्हें इसके स्थान पर पुरःस्थापित किया जाना है और जुर्माने के बजाय आर्थिक शास्ति का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। नियम 3 के विपरीत अधिनियम की धारा 12 में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अनिवार्यतः नियम 3 के अंतर्गत यदि कोई पत्र मुद्रित किया जाता है, तो पत्र में कुछ प्रकार के विवरणों का उल्लेख करना होता है और यदि वे विवरण मुद्रित नहीं होते हैं, तो शास्ति लगाई जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः, इस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, धारा 13 और 14 का भी लोप करने का प्रस्ताव है। ये मुद्रणालयों से भी संबंधित उपबंध हैं जिसमें किसी मुद्रणालय को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक घोषणा करनी होती है। यदि उसने वह घोषणा नहीं की है और मुद्रणालय चला रहा है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि के माध्यम से शास्ति/जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः, धारा 12 और 13 दोनों का लोप करने का प्रस्ताव है और इसके स्थान पर विधेयक में एक नई धारा 12 और धारा 13 प्रस्तावित की गई है।”

2.12.2. इस संबंध में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि इसमें उल्लिखित कुछ उदाहरणों के संबंध में प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन या रद्द करने के संबंध में नई धारा 12 का अंतःस्थापन प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में समिति ने यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या प्रेस रजिस्ट्रार को पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने की शक्ति देने के प्रस्तावित अधिकार से उनके पक्ष में सुनवाई का अवसर मिलेगा। समिति ने यह सुनिश्चित किया कि प्रशासनिक मंत्रालय जिन परिवर्तनों को शामिल करने का प्रस्ताव कर रहा है, उनसे प्रेस की स्वतंत्रता से साथ समझौता न हो। समिति ने अधिनियम में अपील के लिए उपबंध की उपलब्धता के संबंध में पूछा जिसपर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि इसका उपाय धारा 8 में निहित है, जो आदेश के विरुद्ध अपील के लिए अवसर प्रदान करता है।

2.12.2क समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत् बताया:

“प्रत्येक समाचार पत्र को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक घोषणा पत्र देना होता है, जिसके उपरांत यह प्रेस रजिस्ट्रार के पास आता है। यदि हम किसी का पंजीकरण रद्द कर रहे हैं या निलंबित कर रहे हैं, तो डीएम को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि यह आदेश प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पारित किया गया है।”

2.12.3. समिति ने विश्लेषण किया और निम्नवत् नोट किया:

“निलंबन और रद्द करने के लिए, वे इसका बचाव कर सकते हैं। अतः, सुनवाई का पूरा अवसर है। यहां तक कि अगर आदेश किसी भी व्यक्ति के हित के लिए पूर्वाग्रह से पारित किया जाता है, तो उसके पास अपील करने का उपाय है।”

2.12.4. इसके अलावा, समिति ने पाया कि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय में जा सकता है। समिति ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में प्रस्तावित सभी संशोधनों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

2.13. समिति द्वारा दिए गए सुझाव:

2.13.1. समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 1 में विनिर्दिष्ट प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में प्रस्तावित संशोधनों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की और खंडवार विचार के दौरान, यदि आवश्यक हो तो, सुझावों/संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया। तथापि, समिति ने सुझाव दिया कि धारा 19ट में, "दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "जिम्मेदार होगा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1989

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रम सं 2]

2.14. प्रशासनिक मंत्रालय: संचार मंत्रालय
[डाक विभाग]

2.15. अधिनियम का प्रयोजन: भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 एकमात्र ऐसा अधिनियम है, जो डाक विभाग द्वारा अधिशासित है। भारतीय डाकघर नियम, 1933 इसके अधीनस्थ विधान के रूप में कार्य करती है। भारतीय डाकघर अधिनियम, 1837 को डाक प्रचालन कार्यों में एकरूपता लाने के लिए लागू किया गया था। इसके बाद, अधिक समग्र भारतीय डाकघर अधिनियम, 1854 लाया गया, जिसने देश में आधुनिक डाक तंत्र की नींव रखी। भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 ने देश में डाक तंत्र को और सुदृढ़ बनाया।

2.16. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन: इस विधेयक में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अध्याय दस का लोप करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, निम्नलिखित मौजूदा धाराओं (धारा 49 से 56 और 58 से 72) (धारा 57 का वित्तीय अधिनियम, 1950 द्वारा पहले ही लोप कर दिया गया है) का लोप करने का प्रस्ताव है:

क्रमांक	धाराएं	मौजूदा उपबंध
1.	धारा 49	डाक थैलों या डाक वस्तुओं को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित व्यक्ति के अवचार के लिए शास्ति- जो कोई डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक थैले या डाक वस्तु को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित होते हुए- (क) उस समय, जबकि वह इस प्रकार नियोजित है, नशे की हालत में होगा; या (ख) असावधानी या अन्य अवचार का दोषी होगा जिससे कि यथापूर्वोक्त किसी डाक थैले या डाक वस्तु की सुरक्षा संकटापन्न होती है; या (ग) घूमता फिरता रहेगा अथवा यथापूर्वोक्त किसी डाक थैले या डाक वस्तु के पहुंचाने या परिदान में विलम्ब करेगा; या (घ) यथापूर्वोक्त किसी डाक थैले या डाक वस्तु को सुरक्षित रूप से पहुंचाने या परिदत्त करने में सम्यक् सावधानी और तत्परता का प्रयोग नहीं करेगा,

		वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
2	धारा 50	डाक थैलों या डाक वस्तुओं को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित व्यक्ति द्वारा इजाजत या सूचना के बिना कर्तव्य से स्वेच्छया अलग हो जाने के लिए शास्ति- जो कोई डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक थैले या डाक वस्तु को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित होते हुए, इजाजत लिए बिना या एक मास की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना अपने पद के कर्तव्य से स्वेच्छया अलग हो जाएगा यह कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।
3	धारा 51	डाक वस्तुओं को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित व्यक्ति द्वारा रखे गए रजिस्टर में मिथ्या प्रविष्टि करने के लिए शास्ति- जो कोई डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित होते हुए और इस प्रकार नियोजित रहने के दौरान कोई रजिस्टर रखने के लिए अपेक्षित होते हुए उस रजिस्टर में कोई मिथ्या प्रविष्टि यह विश्वास उत्प्रेरित करने के आशय से करेगा, कराएगा या करने देगा कि वह किसी स्थान पर गया है या उसने कोई डाक वस्तु परिदत्त की है, जब कि वह वहां नहीं गया है या उसने परिदान नहीं किया है वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
4	धारा 52	डाक वस्तुओं की चोरी करने, बेईमानी से दुर्विनियोग करने, छिपाने, नष्ट करने या फेंक देने के लिए शास्ति – जो कोई डाक विभाग का अधिकारी होते हुए डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु या उसमें अन्तर्विष्ट किसी चीज की चोरी करेगा, या बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करेगा या किसी भी प्रयोजन के लिए उसे छिपाएगा नष्ट करेगा या फेंक देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

5	धारा 53	डाक वस्तुओं को खोलने, निरुद्ध करने या विलम्बित करने के लिए शास्ति- जो कोई डाक विभाग का अधिकारी होते हुए डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु को अपने कर्तव्य के प्रतिकूल बोलेगा या खुलवाएगा या खोलने देगा या ऐसी किसी डाक वस्तु को जानबूझकर निरुद्ध या विलम्बित करेगा या निरुद्ध या विलम्बित कराएगा या करने देगा, वह कारावास से,

		जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा : परन्तु इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेश या किसी सक्षम न्यायालय के निदेश के आज्ञापालन में किसी डाक वस्तु को खोलने, निरुद्ध करने या विलम्बित करने पर लागू नहीं होगी।
6	धारा 54	शासकीय चिहनों के सम्बन्ध में कपट के लिए तथा अधिक डाक महसूल की प्राप्ति के लिए शास्ति- जो कोई डाक विभाग का अधिकारी होते हुए- (क) किसी डाक वस्तु पर कपटपूर्वक कोई गलत शासकीय चिह्न लगाएगा. या कराएगा या (ख) किसी शासकीय चिह्न को, जो किसी डाक वस्तु पर लगा है , कपटपूर्वक बदलेगा, हटाएगा या विलुप्त कराएगा; या (ग) किसी डाक वस्तु का परिदान करने के भाराधीन होते हुए उसके डाक महसूल के बारे में कोई ऐसी धनराशि जो इस अधिनियम के अधीन प्रभाव नहीं है, मांगेगा या प्राप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
7	धारा 55	डाकघर दस्तावेजों को कपटपूर्वक तैयार करने, बदलने, छिपाने या नष्ट करने के लिए शास्ति-जो कोई डाक विभाग का ऐसा अधिकारी होते हुए जिसे किसी दस्तावेज को तैयार करने या रखने का काम सौंपा गया है उस दस्तावेज को कपटपूर्वक गलत रूप में तैयार करेगा या उस दस्तावेज को बदलेगा या छिपाएगा या नष्ट करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
8	धारा 56	असंदत्त डाक वस्तुओं को कपटपूर्वक भेजने के लिए शास्ति- जो कोई डाक विभाग का अधिकारी होते हुए ऐसी डाक वस्तु को जिस पर डाक महसूल संदत्त नहीं किया गया है या इस अधिनियम द्वारा विहित रीति में प्रभारित नहीं किया गया है डाक से भेजेगा या डाक थैले में रखेगा जिसका आशय तद्वारा ऐसी डाक वस्तु पर डाक महसूल से सरकार को कपटवंचित करना है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी. दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

9	धारा 58	धारा 4 के उल्लंघन के लिए शास्ति- (1) जो कोई- क) धारा 4 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी पत्र को डाक से पहुंचाने से अन्यथा पहुंचाएगा; या (ख) पूर्वोक्त अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी पत्र को डाक से अन्यथा पहुंचाने के आनुषंगिक कोई सेवा करेगा; या (ग) पूर्वोक्त अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी पत्र को डाक से अन्यथा भेजेगा या भेजे जाने के लिए निविदत या परिदत्त करेगा; या (घ) पूर्वोक्त अनन्य विशेषाधिकार से अपवादित पत्रों का संग्रहण, उन्हें डाक से अन्यथा भेजने के प्रयोजन के लिए करेगा, वह जुर्माने से, जो हर ऐसे पत्र के लिए पचास रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) जो कोई इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष किए जाने पर तद्धीन पुनः सिद्धदोष किया जाता है वह हर ऐसी पश्चात्कर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
10	धारा 59	धारा 5 के उल्लंघन के लिए शास्ति- (1) जो कोई धारा 5 के उपबन्धों के उल्लंघन में पत्रों को ले जाएगा ग्रहण करेगा. निविदत्त करेगा या परिदत्त करेगा या पत्रों को संगृहीत करेगा वह जुर्माने से, जो हर ऐसे पत्र के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) जो कोई इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष किए जाने पर तद्धीन पुनः सिद्धदोष किया जाता है वह हर ऐसी पश्चात्कर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
11	धारा 60	धारा 16 के अधीन नियमों के भंग के लिए शास्ति- जो कोई डाक महसूल स्टाम्पों को बेचने के लिए नियुक्त होते हुए- (क) किसी डाक महसूल स्टाम्प या कितने ही डाक महसूल स्टाम्पों के लिए क्रेता से ऐसी कीमत लेगा जो धारा 16, उपधारा (3), खंड (क) के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा नियत कीमत से उच्चतर है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा; या

		(ख) धारा 16 के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियम को भंग करेगा वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
12	धारा 61	धारा 19, 19क या 20 के उल्लंघन के लिए शास्ति - (1) जो कोई धारा 19 [या धारा 19क] या धारा 20 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी डाक वस्तु या किसी चीज को डाक द्वारा भेजेगा, या भेजे जाने के लिए निविदत्त या सपुर्द करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा। (2) किसी डाक वस्तु का डाक विभाग में इस आधार पर निरोध, कि उसे धारा 19 [या धारा 19क] या धारा 20 के उपबन्धों के उल्लंघन में भेजा गया है, भेजने वाले को किसी ऐसी कार्यवाही से छूट नहीं देगा जो तब की जा सकती जब वह डाक वस्तु डाक के अनुक्रम में परिदत्त की जाती।
13	धारा 62	डाकघर लेटरबक्सों को खराब करने या क्षति पहुंचाने के लिए शास्ति- जो कोई डाक वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए डाक विभाग द्वारा उपलब्ध किसी लेटरबक्स में या पास कोई अग्नि, दियासलाई या बत्ती, कोई विस्फोटक, खतरनाक, गन्दा, अपायकर या हानिकारक पदार्थ या कोई तरल पदार्थ रखेगा, या किसी ऐसे लेटरबक्स में या के समीप कोई न्यूसेन्स करेगा या कोई ऐसी बात करेगा जिससे यह सम्भाव्य है कि किसी ऐसे लेटरबक्स या उसके अनुलग्नों या अन्तर्वस्तुओं को क्षति पहुंचे, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
14	धारा 63	प्राधिकार के बिना डाकघर या डाकघर के लेटरबक्स में कोई चीज लगाने या पोतने, तारकोल लगाने या विरूपित करने के लिए शास्ति- जो कोई किसी डाकघर या डाक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए डाक विभाग द्वारा उपलब्ध किसी लेटरबक्स में, या उस पर उचित प्राधिकार के बिना कोई प्लेकार्ड, विज्ञापन, सूचना, सूची, दस्तावेज, बोर्ड या कोई अन्य चीज लगाएगा या रंग पोतेगा या तारकोल लगाएगा या उसे किसी प्रकार विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
15	धारा 64	मिथ्या घोषणा करने के लिए शास्ति- जो कोई डाक द्वारा भेजी जाने वाली किसी डाक वस्तु या उसकी अन्तर्वस्तुओं या मूल्य के विषय में घोषणा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित होते हुए अपनी घोषणा में कोई ऐसा कथन करेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास

		करने का कारण है कि वह मिथ्या है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा और यदि मिथ्या घोषणा सरकार को धोखा देने के प्रयोजन के लिए की जाएगी, तो जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
16	धारा 65	धारा 40 या 41 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहने वाले पोत के मास्टर के लिए शास्ति-जो कोई किसी पोत का मास्टर होते हुए (क) धारा 40 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल होगा; या (ख) युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना, जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा, आगमन पत्तन में, किसी डाक वस्तु या डाक के थैले को परिदत्त करने में या वहां के डाकघर के भारसाधक अधिकारी के निदेशों का अनुपालन करने में, जैसा कि धारा 41 द्वारा अपेक्षित है असफल होगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
17	धारा 66	पत्तन में पहुंचने वाले जलयान पर के पत्रों को निरुद्ध करने के लिए शास्ति- (1) भारत में किसी पत्तन पर पहुंचने वाले किसी पोत का मास्टर या पोत पर कोई भी जो पोत पर की डाक वस्तुओं या उनमें से किसी को आगमन के पत्तन पर डाकघर को भेज दिए जाने के पश्चात्, किसी ऐसी डाक वस्तु को धारा 4 द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रदत्त अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत है, जानबूझकर अपने सामान में या अपने कब्जे में या अपनी अभिरक्षा में रखेगा वह जुर्माने से, जो यथापूर्वोक्त हर डाक वस्तु के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) जो कोई यथापूर्वोक्त मास्टर या अन्य व्यक्ति होते हुए यथापूर्वोक्त किसी डाक वस्तु को डाक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा उसकी मांग किए जाने के पश्चात् निरुद्ध रखेगा वह जुर्माने से, जो हर ऐसी डाक वस्तु के लिए एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
18	धारा 67	डाक को निरुद्ध करने के या डाक थैले को खोलने के लिए शास्ति – जो कोई इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के प्राधिकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेश या किसी सक्षम न्यायालय के निदेश के आज्ञापालन में के सिवाय, डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में डाक या किसी डाक वस्तु को निरुद्ध करेगा या डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक थैले को किसी बहाने से खोलेगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

		परन्तु इस धारा की कोई बात डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में डाक या किसी डाक वस्तु को ले जाने वाले डाक विभाग के किसी अधिकारी का निरोध इस आरोप पर किए जाने से नहीं रोकेगी कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा संज्ञेय घोषित हैं।
19	धारा 68	गलत तौर से परिवर्तित डाक वस्तुओं या डाक थैलों को प्रतिधारित रखने के लिए शास्ति- जो कोई डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु को, जो किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त की जानी चाहिए थी, या किसी वस्तु को अन्तर्विष्ट रखने वाले डाक थैले को कपटपूर्वक प्रतिधारित रखेगा या जानबूझकर छिपाएगा या हटाएगा या रखेगा या निरुद्ध करेगा या डाक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाने पर, उसे परिदत्त करने में उपेक्षा करेगा या उससे इन्कार करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
20	धारा 69	पत्रों को विधिविरुद्ध तथा मोड़ने के लिए शास्ति — जो कोई डाक विभाग का अधिकारी न होते हुए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से किसी पत्र को, जो परिदत्त किया जाना चाहिए था, जानबूझकर या विद्वेषतः या तो खोलेगा या खुलवाएगा या कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे किसी व्यक्ति को पत्र का सम्यक् परिदान निवारित हो जाए या उसमें अड़चन पड़ जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा : परन्तु इस धारा की कोई बात उस किसी व्यक्ति को, जो ऐसा कोई कार्य करता है जिसको यह धारा लागू होती है, उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें वह प्रेषिती के पिता या माता है या माता या पिता अथवा संरक्षक की स्थिति में है और प्रेषिती अवयस्क या प्रतिपाल्य है।
21	धारा 70	अधिनियम के अधीन अपराधों के दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न के लिए शास्ति- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या इस प्रकार दण्डनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा।
22	धारा 71	अपराधों के मामले में सम्पत्ति का डाक विभाग में होना- डाक द्वारा भेजे गए डाक थैले के या किसी डाक वस्तु के बारे में किसी अपराध के लिए हर

		अभियोजन में आरोप के प्रयोजन के लिए डाक वैसे या डाक वस्तु की बाबत यह वर्णन पर्याप्त होगा कि वह डाक विभाग की सम्पत्ति है और यह साबित करना आवश्यक नहीं होगा कि डॉक थैला या डाक वस्तु किसी मूल्य की थी।
23	धारा 72	अधिनियम की कतिपय धाराओं के अधीन अभियोजनों के लिए प्राधिकार—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 51, 53, 54 खंड (क) और (ख), 55, 56, 58, 59, 61, 64, 65, 66 और 67 के उपबन्धों में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान महानिदेशक या किसी महाडाकपाल के आदेश से या प्राधिकाराधीन परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

2.17. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.17.1. संचार मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि नोट में सूचित किया है कि डाक विभाग ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की तेईस धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है ताकि अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके और इस प्रकार अधिनियम को पूरी तरह से अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके। ये सभी 23 प्रावधान भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अध्याय X 'दंड और प्रक्रियाओं' के अंतर्गत आते हैं।

2.17.2. यह भी सूचित किया गया है कि अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की समीक्षा जुलाई, 2022 के महीने में विभाग की एक आंतरिक समिति द्वारा की गई थी। अधिनियम की धाराएं, जिसमें भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र के समग्र संदर्भ में और सभी प्रासंगिक विचारों के संदर्भ में आपराधिक दायित्व शामिल है, विशेष रूप से देश में इसी तरह के अपराधों के लिए उपलब्ध अन्य अधिनियमों/नियमों के संदर्भ में है।

2.17.3. प्रस्तावित संशोधनों के कारणों के संबंध में, मंत्रालय ने अपने नोट में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं:

- (i) विभाग के कार्यबल पर लागू आईपीओ अधिनियम, 1898 के आपराधिक प्रावधान जिन्हें अन्य मौजूदा नियमों, कानूनों और प्रावधानों के मद्देनजर निरस्त किया जा सकता है जिन्हें समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लागू किया जा सकता है। (धारा 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 60 इस श्रेणी में आते हैं)।

(ii) आईपीओ अधिनियम, 1898 के आपराधिक प्रावधान जो पुराने हो गए हैं और अब प्रासंगिक नहीं हैं। (धारा 58, 59, 65 और 66 इस श्रेणी में आते हैं)।

(iii) भारतीय दंड संहिता, 1860, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, खतरनाक वस्तुओं का परिवहन अधिनियम, 1992, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक संपत्ति (क्षति की रोकथाम) अधिनियम, 1985 आदि जैसे प्रवर्तन कानूनों में तुलनीय प्रावधानों के साथ आईपीओ अधिनियम, 1898 के आपराधिक प्रावधान। (धारा 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69 इस श्रेणी में आती है)।

(iv) कुछ गैर-आपराधिक प्रावधान जो गैर-प्रासंगिक हो जाएंगे क्योंकि वे निरसन के लिए अनुशंसित उपर्युक्त धाराओं से जुड़े हुए हैं (धारा 70, 71 और 72 इस श्रेणी में आते हैं)।

2.17.4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की सभी धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव है।

2.18. समिति की बैठक में चर्चा:

2.18.1. 9 फरवरी, 2023 को आयोजित समिति की बैठक के दौरान, डाक विभाग के प्रतिनिधियों ने विधेयक में अध्याय दस की प्रस्तावित चूक पर समिति को जानकारी दी। विभाग द्वारा यह विस्तार से बताया गया था कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के पूरे अध्याय दस को मुख्य रूप से चूक के लिए देखा गया है क्योंकि या तो प्रावधान निरर्थक या अप्रचलित हो गए हैं या वे भारतीय दंड संहिता, 1860, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) 1965 और विभिन्न अन्य अधिनियम/नियमों जैसे अन्य प्रावधानों और अधिनियमों के तहत कवर किए गए हैं।

2.19. समिति के सुझाव:

2.19.1. विभाग द्वारा जानकारी देने और प्रस्तावित चूकों पर चर्चा के बाद, समिति ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की, जो विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 2 में निर्दिष्ट है और खंड-वार विचार के दौरान यदि आवश्यक हो तो सुझावों/संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया।

बायलर अधिनियम, 1923

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रम संख्या 3]

2.20. प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय [उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग]

2.21. अधिनियम का उद्देश्य: स्टीम-बॉयलरों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना।

2.22. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा	मौजूदा प्रावधान	लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 22	22- गौण शास्तियां किसी बायलर का कोई ऐसा स्वामी जो- (i) धारा 9 द्वारा अपेक्षित अनन्तिम आदेश को अभ्यर्पित करने से, या (ii) जब धारा 15 के अधीन ऐसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षा की जाए तब प्रमाणपत्र या अनन्तिम आदेश को प्रस्तुत करने से या (iii) धारा 16 द्वारा अपेक्षित बायलर के नए स्वामी को प्रमाणपत्र या अनन्तिम आदेश सौंपने से, इंकार करेगा या उचित कारण के बिना उपेक्षा करेगा तो, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।	22- गौण शास्तियां किसी बायलर का कोई ऐसा स्वामी जो- (i) धारा 9 द्वारा अपेक्षित अनन्तिम आदेश को अभ्यर्पित करने से, या (ii) जब धारा 15 के अधीन ऐसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षा की जाए तब प्रमाणपत्र या अनन्तिम आदेश को प्रस्तुत करने से या (iii) <u>धारा 16</u> द्वारा अपेक्षित बायलर के नए स्वामी को प्रमाणपत्र या अनन्तिम आदेश सौंपने से, इंकार करेगा या उचित कारण के बिना उपेक्षा करेगा तो, जुर्माने से, जो] पांच सौ रुपए [तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। या

2.	धारा 22 में अंतःस्थापन	कुछ नहीं	(iv) किसी बायलर या बायलर घटक में हुई किसी दुर्घटना को रिपोर्ट करने से, जब धारा 18 के अधीन ऐसा करना अपेक्षित हो, जुर्माने से दंडित होगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।
3.	धारा 23	बायलर के अवैध उपयोग के लिए शास्तियां—किसी बायलर का कोई ऐसा स्वामी, जो किसी ऐसी दशा में जिसमें इस अधिनियम के अधीन बायलर के प्रयोग के लिए प्रमाणपत्र या अनन्तिम आदेश की अपेक्षा की गई है, बायलर का, या तो किसी ऐसे प्रमाणपत्र के बिना या ऐसे किसी आदेश के प्रवृत्त न रहने पर अथवा उसके द्वारा अनुज्ञात दबाव से अधिक दबाव पर उपयोग करेगा, तो जुर्माने से, जो [एक लाख रुपए] तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और अपराध चालू रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसकी बाबत अपराधक चालू रहने के लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।	धारा 23- बायलर के अवैध उपयोग के लिए शास्तियां— बायलर का कोई ऐसा स्वामी जो— (क) ऐसी दशा में, इस अधिनियम के अधीन बायलर के उपयोग के प्रमाणपत्र या अनन्तिम आदेश की अपेक्षा की गई है, बायलर का या तो किसी ऐसे प्रमाणपत्र या प्रवृत्त आदेश के बिना या अनुज्ञेय उच्च दबाव पर प्रयोग करता है ; (ख) किसी बायलर का प्रयोग करता है या उसके प्रयोग की अनुमति देता है, जो धारा 6 के खंड (ख) के अधीन यथापेक्षित रिपोर्ट किए गए ऐसे अंतरण के बिना एक राज्य से दूसरे राज्य को अंतरित किया है ; (ग) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन यथापेक्षित बायलर पर स्थायी रूप से चिह्नांकित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन बायलर को आबंटित रजिस्टर संख्या देने में असफल रहता है, दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और निरंतर अपराध

			की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा।”;
3.	धारा 24	24-अन्य शास्तियाँ ऐसे कोई व्यक्ति जो – (क) ऐसे किसी बायलर का उपयोग करेगा का उपयोग करने की अनुज्ञा देगा जिसका वह स्वामी है तथा जिसका अंतरण एक राज्य से दूसरे राज्य को धारा 6 द्वारा अपेक्षित ऐसे अन्तरण की रिपोर्ट किए बिना किया गया है, या (ख) किसी बायलर का स्वामी होते हुए इस अधिनियम के अधीन बायलर को आबंटित रजिस्टर संख्यांक को धारा 7 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार बायलर पर चिह्नित करवाने में असफल रहेगा, या (घ) जब किसी बायलर या बाष्प नली के दुर्घटनाग्रस्त होने की रिपोर्ट देने में, जबकि धारा 18 द्वारा ऐसा करना अपेक्षित है, असफल रहेगा, या	यथापुरःस्थापित विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया।

2.23. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.23.1. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 22, 23 और 24 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। विभाग ने अपनी पृष्ठभूमि नोट में कहा है कि

"बायलर" विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में आता है और बायलर अधिनियम, 1923 जो एक केंद्रीय अधिनियम है का प्रशासन, राज्यों के बायलर-निरीक्षणालय द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस अधिनियम में बायलर विस्फोट के खतरे से जान-माल की सुरक्षा का प्रावधान है। देश में 41000 से अधिक बायलर हैं। उपर्युक्त संशोधनों का प्रस्ताव विद्युत संयंत्रों, रासायनिक संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, चीनी मिलों आदि में, वृहत् और लघु स्तर के क्षेत्र में बायलर प्रयोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।

2.24. समिति की बैठक में चर्चा:

2.24.1. 31 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, समिति ने विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर गहन विचार-विमर्श किया। कमिटी ने पाया कि जहां कारावास का प्रावधान है, वहां जुर्माने को भी बरकरार रखा जा सकता है क्योंकि कारावास का न्यायनिर्णय करने वाला न्यायालय जुर्माने पर भी गौर करेगा और यह प्रक्रिया साथ-साथ चलती है; लेकिन जहां कारावास के दंड को हटाया जा रहा है, वहां कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए, वहाँ शास्ति होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को पांच हजार रुपये के मामूली जुर्माने के लिए न्यायालय का रुख करने की आवश्यकता नहीं है। समिति का आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि समिति न्यायालयों पर बोझ नहीं डालना चाहती है। समिति को मुकदमेबाजी की संभावना की जांच करनी चाहिए। समिति ने यह भी राय दी कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण भी बनाए जा सकते हैं जो शास्ति लगाने और वसूलने में सक्षम हों।

2.24.2. विभाग के प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि उन्हें राज्यों के साथ एक बार फिर से परामर्श करने और इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

2.25. समिति द्वारा दिए गए सुझाव:

2.25.1. प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार-विमर्श और स्पष्टीकरण के पश्चात् समिति ने विधेयक की अनुसूची की क्रम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट बायलर अधिनियम, 1923 में प्रस्तावित संशोधनों पर निम्नलिखित सुझावों/संशोधनों पर अन्य बातों के साथ-साथ खंड-वार विचार करने का निर्णय लिया:

- (एक) जुर्माने से संबंधित प्रावधान को शास्ति के प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- (दो) शास्ति के मामलों में, जहां शास्ति की राशि अधिक है, न्यायनिर्णयन और अपीलीय तंत्र का प्रस्ताव किया जा सकता है और जहां शास्ति की राशि कम है, उनमें न्यायनिर्णयन तंत्र की आवश्यकता नहीं है।
- (तीन) क्या अधिनियमों में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से हो सकता है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रमांक 4]

2.26. प्रशासनिक मंत्रालय : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

2.27. अधिनियम का उद्देश्य: भारतीय वन अधिनियम, 1927 को वनों, वन-उत्पादों के पारगमन और लकड़ी और अन्य वन-उत्पादों पर लागू शुल्क से संबंधित कानून को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वन प्रशासन और प्रबंधन का न्यायिक ढांचा प्रदान करता है। विभिन्न राज्यों ने समय-समय पर अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करते हुए उचित धाराओं में संशोधन किए हैं।

2.28. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धाराएं	वर्तमान प्रावधान	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित प्रावधान
1	धारा 26	(1) जो कोई व्यक्ति - (घ) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा; या (इ) किसी वृक्ष को गिराने या किसी इमारती लकड़ी को काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचाएगा, वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुमाने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।	यथापुरःस्थापित विधेयक में खंड (घ) और खंड (इ) के लोप का प्रस्ताव किया गया।

2	धारा 26 में उप-धारा (1) के पश्चात् नई उप-धारा (1क) का अंतःस्थापन	कुछ नहीं	(1क) कोई व्यक्ति, जो किसी आरक्षित वन में— (क) पशुओं से अतिचार कराता है या उन्हें चराता है या पशुओं को अतिचार करने देता है ; (ख) किसी वृक्ष को गिराने या काटने या किसी काष्ठ की खुदाई करने में उपेक्षा द्वारा कोई क्षति कारित करता है, वह जुर्माने से दायी होगा, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, वन में की गई क्षति के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, जो संदत्त करने के लिए सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय द्वारा निदेशित किया जाए ।
3	धारा 33	33. धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन वाले नियमों के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए शास्तियां.-- (1) जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:- XXXXXX (इ) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो या किसी संरक्षित वन के बन्द प्रभाग के सामीप्य में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा; (च) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराएगा या किसी इमारती लकड़ी को	यथापुरःस्थापित रूप में विधेयक में खंड (इ), (च) और (छ) के लोप का प्रस्ताव किया गया।

		इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है; या (छ) पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा, वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो यह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	
4	धारा 33 में उप-धारा (1) के पश्चात् नई उप-धारा (1क) का अंतःस्थापन	कुछ नहीं	(1क) कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई भी अपराध कारित करता है, अर्थात्:— “(क) धारा 30 के अधीन किसी आरक्षित वृक्ष के आस-पास उसके द्वारा पत्तियों को जलाने के लिए कोई आग लगाई गई है चाहे वह किसी संरक्षित वन के भाग के पास खड़ा हो या गिरा हो या गिराया गया हो; (ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराता है या किसी काष्ठ की खुदाई करता है कि उपरोक्त किसी संरक्षित वृक्ष को क्षति पहुंचाया जा सके; (ग) ऐसे किसी वृक्ष की पशुओं से क्षति होने देता है, वह जुर्माने से दायी होगा, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा।

2.29. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.29.1. प्रस्तावित संशोधन की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा करते हुए, मंत्रालय ने अपनी पृष्ठभूमि नोट में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

“भारतीय वन अधिनियम, 1927 में कुछ ऐसे कृत्यों के लिए दंड निर्धारित किया गया है जो वनों में निषिद्ध हैं। आईएफए, 1927 के प्रावधानों या उक्त अधिनियम के तहत जारी नियमों या निर्देशों का अनुपालन न करने या उल्लंघन के मामले में उल्लंघनकर्ता / अपराधी को कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कई बार, एक बड़े और छोटे अपराध के बीच अंतर करने में कठिनाइयां होती हैं और इस वजह से दंड अक्सर अलग नहीं होते हैं। इसलिए, आईएफए, 1927 में संशोधन करके अधिनियम में विभेदित दंड प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है। मामूली उल्लंघनों, जो साधारण हैं, जिससे मानव को कोई चोट नहीं पहुंचती या जंगल को कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं होता, के लिए कारावास के प्रावधान होने के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। इसके अलावा, कारावास का प्रावधान नागरिकों, विशेष रूप से वन में रहने वाले समुदायों और जंगल में के आसपास रहने वाले वन-आश्रित लोगों द्वारा सामान्य गैर-अनुपालन की स्थिति में उनके उत्पीड़न का कारण बन सकता है।”

2.29.2. प्रस्तावित संशोधन के पीछे तर्क देते हुए मंत्रालय ने कहा है:

“भारतीय वन अधिनियम, 1927 में कुछ छोटे अपराधों/उल्लंघनों के लिए कारावास के दंड का प्रावधान है। ऐसे मामूली उल्लंघनों/गैर-अनुपालन, जिससे मानव को महत्वपूर्ण चोट नहीं पहुंची या वन को नुकसान नहीं पहुंचता, के लिए कारावास का प्रावधान इस तरह के अपराध के अनुरूप नहीं है।

- कुछ मामूली अपराध के लिए कारावास का प्रावधान उचित नहीं है क्योंकि आपराधिक प्रावधान नागरिकों, विशेष रूप से वन निवासी समुदायों और वन आश्रित लोगों को परेशानी में डाल सकता है।

उपर्युक्त पर विचार करते हुए, यह प्रस्तावित है कि कुछ मामलों में मामूली चूक के लिए कारावास को हटा दिया जाएगा। इसलिए, आईएफए, 1927 में संशोधन में मवेशियों के अतिचार, किसी पेड़ को काटने या किसी लकड़ी को काटने या खींचने में लापरवाही से नुकसान पहुंचाने जैसे साधारण उल्लंघनों के लिए लोगों के उत्पीड़न को कम

करने का प्रयास किया गया है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के संशोधन के लिए वर्तमान विधेयक विशेष रूप से मामूली चूक के लिए वन आश्रित लोगों के लिए कारावास के भय को भी समाप्त कर देगा।

2.29.3. प्रस्तावित संशोधनों के लाभ के संबंध में बताते हुए, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया है कि संशोधन से:

(क) कानून का पालन करने वाले लोगों को एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि उत्पीड़न को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

(ख) विश्वास आधारित शासन का माहौल बनेगा।

(ग) आदिवासी और वनवासी समुदायों में मामूली चूक पर कारावास का भय समाप्त होगा।

(घ) मामूली अपराधों के तहत अभियोजन के लिए मुकदमेबाजी कम होगी।

2.30. समिति की बैठक में चर्चा:

2.30.1. 17 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, समिति ने यह जानना चाहा कि मंत्रालय अधिनियम की धारा 26(घ) में संशोधन क्यों करना चाहता है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया कि आरक्षित वन में पशु चराने वालों के लिए चारागाह को वन निपटान अधिकारी द्वारा कहीं और बसाया गया है और लगाया गया जुर्माना मवेशियों के अतिचार को रोकने के लिए मानसिक निवारक के रूप में कार्य करेगा।

2.30.2. यह पूछे जाने पर कि मवेशियों के चरने से आरक्षित वनों को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

“जो नेचुरलरी जनरेट्स हैं, जो छोटे-छोटे पौधे निकलते हैं, वे कुचल जाते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी फॉरेस्ट विलेज के पास वाले जंगल पूरे डिग्रडेड होते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं, वे ठीक रहते हैं। इसका कारण यही है कि इनिशियल स्टेज में कैटल प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि सारे पौधे दब जाते हैं।

दूसरा, वहाँ की मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है। मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो वहाँ जिमर्नेशन नहीं हो पाता है। कैटल के आने से काफी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि पैरीफेरी में हमारा फॉरेस्ट बहुत खराब होता है।”

2.30.3. समिति ने यह भी जानना चाहा कि शास्ति की राशि धारा 26(घ) और धारा 26(ड) दोनों के लिए समान क्यों रखी गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश के 13 राज्यों का अपना वन अधिनियम है और अधिकांश राज्यों के अपने दंड प्रावधान हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया कि राज्यों द्वारा संशोधन के माध्यम से अपने स्वयं के प्रावधानों को लाने के लिए भारत सरकार की सहमति लेने के पश्चात्, ये प्रावधान केंद्रीय प्रावधानों पर अभिभावी हो सकते हैं।

2.30.4. यह पूछे जाने पर कि क्या अधिनियम में कोई अधिनिर्णयन प्राधिकरण उपलब्ध है जो धारा 26 और धारा 33 के तहत लगाए जा रहे जुर्माने पर निर्णय ले सकता है, मंत्रालय ने सकारात्मक उत्तर दिया।

2.31. समिति द्वारा दिए गए सुझाव:

2.31.1. प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार-विमर्श और स्पष्टीकरण के बाद समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ खंड-वार विचार के दौरान विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 4 में विनिर्दिष्ट भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया।

धारा 26: (एक) "जुर्माना" शब्द को "शास्ति" से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
 (दो) अधिनियम की धारा 26(1)(घ) के उल्लंघन के लिए 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
 (तीन) मूल अधिनियम की धारा 26(1)(घ) और (इ) को शमनीय बनाया जाए और एक न्यायिक अधिकारी को शास्ति लगाने या क्षति के लिए मुआवजे का निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया जाए।
 (चार) अधिनियम की धारा 26(1)(इ) के उल्लंघन के लिए शास्ति की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए।

धारा 33: (एक) "जुर्माना" शब्द को "शास्ति" से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
 (दो) अधिनियम की धारा 33(इ) और 33(च) के उल्लंघन के लिए शास्ति की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए।
 (तीन) मूल अधिनियम की धारा 33(1)(इ) और 33(च) को शमनीय बनाया जाए और एक न्यायिक अधिकारी को शास्ति लगाने या क्षति के लिए मुआवजे का निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया जाए।
 (चार) धारा 33(1)(छ) का लोप।

कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937

[जन विश्वास(उपबंधों का संशोधन) विधेयक,2022]

2.32 प्रशासनिक मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

[कृषि और किसान कल्याण विभाग]

2.33 अधिनियम का उद्देश्य:

कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में मोटे तौर पर केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिदेश दिया गया है:

कृषि और अन्य उपज की श्रेणीकरण और चिह्नांकन के लिए दो से तीन गुणवत्ता श्रेणी वाले एगमार्क मानक कहे जाने वाले मानकों को अधिसूचित करना; और

(ii) एगमार्क ब्रांड के तहत कृषि और अन्य उत्पादों का प्रमाणन करने की प्रक्रिया विहित करना

2.34 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधित

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबंध	लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1	धारा 3(2) में खंड(छ क) का अंतःस्थापन	शून्य	(छक) धारा 5 ग की उप-धारा (1) के तहत जुर्माना लगाने के लिए जांच करना;
2	धारा 3(2) में खंड(छ ख) का अंतःस्थापन	शून्य	(छख) धारा 5 घ की उपधारा(1) के तहत अपील को प्राथमिकता देना।
3	धारा 4	4. अप्राधिकृत रूप से श्रेणी अभिधान चिन्हों से चिन्हांकित करने के लिए शास्ति - जो कोई भी किसी अनुसूचित वस्तु पर ग्रेड पदनाम चिह्न अंकित करता है, जो	4. अप्राधिकृत रूप से श्रेणी अभिधान चिन्हों से चिन्हांकित करने के लिए शास्ति - जो कोई भी किसी अनुसूचित वस्तु को ग्रेड पदनाम चिह्न के साथ चिह्नित करता है, जो धारा 3 के तहत बनाए

		धारा 3 के तहत बनाए गए नियम द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, उसे <u>छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास और पांच हजार रुपये से अधिक का जुर्माना हो सकता है।</u>	गए नियम द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, उस पर पांच लाख रुपये की शास्ति से दण्डनीय होगा।
4	धारा 5	धारा 5.- नकली ग्रेड पदनाम चिह्न के लिए दंड जो कोई भी ग्रेड पदनाम चिह्न की नकल करता है या उसके पास ग्रेड पदनाम चिह्न की जालसाजी के उद्देश्य से कोई डाई, प्लेट या अन्य उपकरण है, तो उसे <u>तीन साल से अधिक की कैद और पांच हजार रुपये से अधिक का जुर्माना हो सकता है।</u>	धारा 5.- नकली ग्रेड पदनाम चिह्न के लिए दंड जो कोई भी ग्रेड पदनाम चिह्न की नकल करता है, या उसके पास ग्रेड पदनाम चिह्न की जालसाजी के उद्देश्य से कोई डाई, प्लेट या अन्य उपकरण है, तो उसपर आठ लाख रुपये की शास्ति से दण्डनीय होगा।
5	धारा 5क	5क मिथ्या श्रेणीकरण की गई वस्तुओं का विक्रय करने के लिए शास्ति:- जो कोई भी किसी ऐसी अनुसूचित वस्तु का, जो कुश्रेणीकृत है,	5क मिथ्या श्रेणीकरण की गई वस्तुओं का विक्रय करने के लिए शास्ति:- जो कोई भी अनुसूचित वस्तु बेचता है जो मिथ्या श्रेणीकृत है, उस पर तीन लाख रुपये की शास्ति से दण्डनीय होगा।

		त्रिकय करेगा, वह कारावास से, जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	
6	धारा 5ख(4)	धारा 5ख कतिपय वस्तुओं की बाबत श्रेणी अभिधान अनिवार्यतः विहित करने की शक्ति;- (4)जो कोई भी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	धारा 5ख कतिपय वस्तुओं की बाबत श्रेणी अभिधान अनिवार्यतः विहित करने की शक्ति;- (4)जो भी इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उस पर पांच लाख रुपये की शास्ति से दण्डनीय होगा।
7	धारा 5 ग -	5ग. अभियोजन का संस्थित किया जाना - कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान	'5ग. न्याय निर्णायक अधिकारी' (1) केन्द्र सरकार धारा 4, 5, 5क और 5ख के अधीन दंड का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, इस तरीके

		निम्नलिखित के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं, अर्थात:- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी; या (ख) व्यथित व्यक्ति; या (ग) कोई मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संघ, चाहे व्यथित व्यक्ति उस संघ का सदस्य हो या न हो। स्पष्टीकरण.-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ है।	से, जैसा कि निर्धारित किया जाए, जांच करने के लिए और शास्ति लगाने के लिए निर्णायक अधिकारी होने के लिए एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर सकती है जो भारत सरकार के उप सचिव के रैंक से नीचे का न हो या कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार के उप सचिव के रैंक से नीचे का न हो। परन्तु केंद्रीय सरकार एक से अधिक न्याय निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जैसा अपेक्षित हो। (2) न्यायनिर्णय अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है और उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है, जो न्यायनिर्णय अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी, या प्रासंगिक हो और यदि, ऐसी पूछताछ के पश्चात वह संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति धारा 4, 5, 5क और 5ख के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल

			रहा है, तो वह दंड आरोपित कर सकता है: परन्तु संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा कोई दंड आरोपित नहीं किया जाएगा।
8.	नई धारा 5 घ का अंतःस्थापन	कुछ नहीं	5घ. अपील.- (1) खण्ड 5ग के तहत न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार को उस तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील कर सकता है, जिस तारीख को आदेश की प्रति न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा पीड़ित व्यक्ति को यथा-निर्धारित रीति से प्रदान की गई हो। (2) कृषि विपणन सलाहकार, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या अपास्त करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। (3) कृषि विपणन सलाहकार ऐसी अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

9.	नई धारा 5 घ जोड़ना	कुछ नहीं	5ड वसूली- इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि धारा 5ग के तहत न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा या धारा 5घ के तहत कृषि विपणन सलाहकार के आदेश से, जैसा भी मामला हो, आरोपित जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि को वसूला जाएगा।

2.35 मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.35.1 समिति को प्रस्तुत अपने पृष्ठभूमि नोट में, कृषि और किसान कल्याण विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) ने यह बताया:

2.35.2 कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 को विपणन और निरीक्षण निदेशालय जो DA & FW का एक संलग्न कार्यालय है जिसका मुख्यालय फरीदाबाद में है और क्षेत्रीय और उप-कार्यालय देश भर में फैले हुए हैं द्वारा लागू किया गया है।

2.35.3 एगमार्क खाद्य उत्पादों जैसे मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल, वसा प्रसार जो खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध)नियम 2011 द्वारा अनिवार्य बनाए गए हैं, जैसे खाद्य उत्पादों को छोड़कर, प्रमाणन एक स्वैच्छिक योजना है।

2.35.4 प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता पर मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि नोट में विस्तार से यह बताया है:

“व्यवसाय और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कानूनों को सुधारने और उनका निरपराधीकरण करने के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप कृषि और किसान कल्याण विभाग ने पूरी तरह से कारावास के खंडों को हटाकर और मौद्रिक दंड द्वारा उसको प्रतिस्थापित करके निरपराधीकरण

करने हेतु कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की पहचान की है।। कारावास के खंड, चार धाराओं अर्थात् अधिनियम के 4, 5, 5 क और 5 ख में मौजूद थे।

विभाग ने उपरोक्त कानून का निरपराधीकरण करने की आवश्यकता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एगमार्क पैकर्स / विनिर्माताओं, ग्रेडर / गुणवत्ता विश्लेषकों और राज्य सरकार के अधिकारियों जैसे हितधारकों के साथ परामर्श किया। इस प्रकार, संशोधन प्रावधानों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग में चर्चाओं पर विचार करते हुए, नीति आयोग के सुझाव और उद्योग और आंतरिक व्यापार के प्रचार विभाग (डीपीआईटी) और आगे के हितधारक परामर्श को ध्यान में रखते हुए कारावास के दंड प्रावधानों का निरपराधीकरण करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा, दंड के लिए उचित मौद्रिक राशि तय करने के लिए इसे खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के समान प्रावधानों के साथ बेंचमार्क किया गया था।

पूर्वोक्त अधिनियम में प्रस्तावित निरपराधीकरण संशोधन भोजन और कृषि व्यवसाय के लिए सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, प्रस्तावित संशोधन से अधिनियम अधिक कार्यान्वयन योग्य बनेगा। जन विश्वास (अनुबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022" के व्यापक विधेयक के तहत पूर्वोक्त अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन प्रावधानों के लाभार्थी काफी हद तक निर्माता/पैकर्स/फूड बिजनेस ऑपरेटर होंगे, जो एगमार्क के अधीन पैकेज्ड रूप में कच्ची या संसाधित वस्तु को ग्रेड और चिह्नित करते हैं। इसके अलावा, एगमार्क उत्पाद का उपभोग करने वाले उपभोक्ता भी लाभार्थी हैं। ऊपर के अलावा, व्यवसाय करने में आसानी निर्माताओं और पैकर्स को और अधिक मात्रा में कृषि उपज की ग्रेडिंग और चिह्नांकन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे बाजार में मांग पैदा होती है और बेहतर मूल्य प्राप्ति के मामले में खेती समुदाय को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है। "

2.36 समिति की बैठक में चर्चा:

2.36.1 16 जनवरी, 2023 में आयोजित बैठक के दौरान, समिति के सदस्यों द्वारा चिंताओं को व्यक्त किया गया था कि जुर्माना बढ़ाने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और बहुत छोटे खाद्य उद्यमियों से जबरन वसूली की जाएगी और उनका उत्पीड़न होगा। इस संबंध में, विभाग के प्रतिनिधि ने यह कहा:

“सर, इसके लिए कितनी पेनाल्टी लगायी जाए, 8 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है या 15 लाख भी हो सकती है, कैसे वह पेनाल्टी निर्धारित करें, इसके लिए हम लोगों ने एक स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन किया था। जहां पर ये सारे जितने भी मैनुफैक्चरर्स हैं, पैकर्स हैं, उन सभी के साथ मीटिंग हुई थी। स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन हुआ था। नीति आयोग के साथ

और कॉमर्स के साथ मीटिंग्स हुई थीं। इसके बाद हमने एफएसएसएआई के साथ बेंचमार्क भी किया। उनके साथ बेंचमार्क करके यह पेनॉल्टी अराइव किया गया है।”

2.36.2 नकली ग्रेड डिजाइन मार्क करने पर शास्ति लगाने से संबंधित अधिनियम की धारा 5 में दंड उपबंधों को हटाने के औचित्य के बारे में पूछे जाने पर सचिव, कृषि मंत्रालय ने यह बताया:

“सर, यह स्वेच्छा से वापस ले लिया गया है। जो ट्रेडर्स और मैन्यूफैक्चरर्स इस को ले रहे हैं, वह भी चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता मार्केट में स्थापित हो वह उसके लिए लेते हैं। अभी तक जितने लोगों ने भी लिए हैं, सिर्फ 3 हजार 770 लोगों ने लिया है। बहुत ज्यादा स्केल में लोगों ने नहीं लिया है। इसमें हर महीने हमारी मोनिटरिंग होती है, अभी तक इतने बड़े केस नहीं आए हैं, हम आईपीसी का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें चिटिंग और काउन्टरफिटिंग इसमें आ जाते हैं। अगर हमें लगेगा कि कोई जघन्य अपराध हो रहा है तो हम अपनी अथराइजेशन भी विड़ा कर सकते हैं।”

2.37 समिति द्वारा सुझाव:

2.37.1 खंड-दर-खंड विचार के दौरान अधिनियम में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा और स्पष्टीकरण के बाद, समिति ने, अन्य बातों के अलावा विधेयक की अनुसूची में क्रम सं 5 पर निर्दिष्ट कृषि उपज (श्रेकरण और चिंहांकन) अधिनियम, 1937 में प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार करने का निर्णय लिया।

धारा 5: आठ लाख रुपये की शास्ति को बढ़ा कर पंद्रह लाख रुपये करना।

धारा 5 घ: धारा 5 घ की उप-धारा (2) में "संशोधित" शब्द का विलोपन।

धारा 5इ: अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने के लिए शब्दों "राशि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में पुनर्प्राप्त की जाएगी" को शब्दों " राशि को उसी रूप में पुनर्प्राप्त किया जाएगा जिस रूप में भूमि राजस्व के बकाया की पुनर्प्राप्ति की जाती है " ।

ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 6]

2.38 प्रशासनिक मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग]

2.39 अधिनियम का उद्देश्य: यह भारत में ओषधियों और प्रसाधन सामग्रियों के आयात, विनिर्माण, वितरण और विक्रय को विनियमित करने वाला अधिनियम है। यह अधिनियम इस अधिनियम में दिए गए विभिन्न उपबंधों के उल्लंघनों हेतु शास्तियां निर्धारित करता है।

2.40 इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

क्रमांक	धाराएँ	विद्यमान उपबंध	लोकसभा में पुरस्थापित विधेयक : में यथासंशोधित उपबंध
1	धारा (2) 30	जो कोई धारा के अधीन किसी 29 अपराध का सिद्धदोष होने पर उसी : धारा के अधीन अपराध या पुन सिद्धदोष होगा वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का न होगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।	जो कोई धारा के अधीन 29 किसी अपराध का सिद्धदोष होने पर उसी धारा के अधीन अपराध सिद्धदोष होगा वह :या पुन जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।
2	धारा (1) ख 32	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का (2)में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 13 (ख) के खंड (1) की उपधारा, धारा क के अधीन 28 और धारा 28 चाहे वह) दंडनीय किसी अपराध का किसी कंपनी या उसके किसी (अधिकारी द्वारा किया गया हो, जो केवल कारावास के और जुर्माने से भी, दंडनीय अपराध नहीं है, किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 27 का खंड (घ) और धारा 27क का खंड (ii), धारा 28 और धारा 28क के अधीन दंडनीय किसी अपराध का (चाहे वह किसी कंपनी या उसके किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो), जो केवल कारावास के और

		या उसके पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, उस सरकार के खाते में ऐसी रकम के संदाय पर जो वह सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा : परन्तु किसी भी दशा में, ऐसी रकम जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी परन्तु : यह और कि पश्चातवर्ती अपराधों के मामलों में वह अपराध शमनीय नहीं होगा।	जुर्माने से भी, दंडनीय अपराध नहीं है, किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व या उसके पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, उस सरकार के खाते में ऐसी रकम के संदाय पर जो वह सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा: परन्तु किसी भी दशा में, ऐसी रकम जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी: परन्तु यह और कि पश्चातवर्ती अपराधों के मामलों में वह अपराध शमनीय नहीं होगा।

2.41 मंत्रालय द्वारा निवेदन

2.41.1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पृष्ठाधार टिप्पण में इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है:

"उक्त अधिनियम की धारा 30(2) विज्ञापन के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक रिपोर्ट के दूसरे/बाद में उपयोग करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने से संबंधित है। जिसमें जबरन/प्रभावित करने वाले नुस्खे या स्वयं दवा लेने आदि के अंतर्निहित जोखिम है या उसी अपराध को दोहरा कर अनुचित लाभ प्राप्त करना है? हालांकि, यह महसूस किया गया है कि कारावास के प्रावधान को हटाया जा सकता है और इस अपराध को रोकने के लिए उचित जुर्माना लगाना उचित होगा। इसलिए इस प्रावधान को गैर-अपराधीकरण करने का प्रस्ताव है

धारा 29 पहली बार विज्ञापन के लिए इस तरह की रिपोर्ट के उपयोग के मामले में लगाए जाने वाले जुर्माने से संबंधित है। धारा 30(2) में कारावास की धारा को हटाने का प्रस्ताव किया जा रहा है और जुर्माने दस हजार रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक किया जा रहा है।

धारा 32 ख (1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराधों के प्रशमन (कंपाउंडिंग) से संबंधित है। उक्त अधिनियम की धारा 27 (घ) और धारा 27क (ii) को धारा 32ख (1) में अंतःस्थापित करके कंपाउंडिंग के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है।

धारा 27(घ) इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में दवाओं के निर्माण, बिक्री आदि से संबंधित है (नकली, मिलावटी या वैध लाइसेंस न होने से भिन्न के अलावा)।

धारा 27 क (ii) इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में सौंदर्य प्रसाधनों के विनिर्माण, बिक्री आदि से संबंधित है (नकली या मिलावटी सौंदर्य प्रसाधनों से भिन्न)।

दोनों खंड गुणवत्ता न होने से संबंधित हैं। यह महसूस किया गया है कि बढ़ा हुआ जुर्माना और नियमों में कंपाउंडिंग तंत्र लागू करना इस अपराध को रोकने के लिए उपयुक्त होगा। इसलिए इस प्रावधान को प्रशमनीय बनाने और तदनुसार उस हद तक गैर-अपराधीकरण करने का प्रस्ताव है।"

2.42 समिति की बैठक में चर्चा:

2.42.1 इस संबंध में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 7.2.2023 को समिति की बैठक के दौरान समिति के समक्ष निम्नानुसार साक्ष्य दिया:

" संशोधन धारा 32, 27घ, 27क 2 में प्रस्तावित हैं। धारा 32 बाद के अपराधों के लिए शास्ति से संबंधित है। प्रस्ताव यह है कि कारावास, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता था, के उपबंध को हटा दिया गया है। जुर्माने का भी उपबंध था। मूल अधिनियम में, जुर्माना 10,000 रुपये तक या दोनों के साथ था, अर्थात् कारावास के साथ-साथ 10,000 जुर्माना रुपये भी था। अब जुर्माने की राशि बढ़ा दी गयी है। जो 5 लाख रुपए से कम की नहीं होगी। इसलिए अब यह 10,000 रुपए से बढ़कर 5 लाख से कम नहीं होगी, और दो वर्षों तक के कारावास के खंड को हटा दिया गया है।

धारा 27घ नकली या मिलावटी दवाओं के अलावा कतिपय दवाओं के निर्माण, बिक्री आदि के लिए शास्ति से संबंधित है। यहां भी एक अवधि के कारावास का प्रावधान था, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह, धारा 27क 2 में सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, बिक्री आदि के लिए शास्ति है। यह धारा 27घ के समान प्रावधान है, जो दवाओं पर

केंद्रित है और धारा 27क 2, जो सौंदर्य प्रसाधनों पर केंद्रित है। यहां एक साल तक की कैद थी। इसलिए धारा 27घ और 27क 2 दोनों में कारावास के प्रावधान को हटा दिया गया है और अपराधों के शमन (कंपाउंडिंग) को शामिल किया गया है।"

2.42.2 समिति जानना चाहती थी कि क्या धारा 32ख अपराधों के शमन का उपबंध करती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने कहा कि धारा 32ख एक सर्वव्यापी खंड होने के नाते इस अधिनियम की धारा 13, 28 और 28क को संदर्भित करता है और इसमें दो और धाराएं 27(घ) और 27(क) (ii) जोड़ी गई हैं।

2.42.3 इस संबंध में समिति ने धारा 32ख में इन दो धाराओं को शामिल करने और उन्हें शमनीय (कंपाउंडेबल) बनाने के औचित्य के बारे में जानना चाहा, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने जवाब दिया कि काल्पनिक रूप से, कुछ भी शमन (कंपाउंड) नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस अधिनियम के तहत सभी अपराध समाज के खिलाफ अपराध है।

2.42.4 धारा 30(2) में संशोधनों पर विचार करते हुए, समिति ने धारा 29 के तहत पहले अपराध के लिए 5000 रुपये से शास्ति को बढ़ाकर बाद के अपराध के लिए 5 लाख रुपये करने के तर्काधार के बारे में अवगत होने की इच्छा जताई। समिति ने सुझाव दिया कि इस अंतर को कम करने के लिए धारा 29 के तहत पांच हजार की राशि को भी बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जा सकता है और प्रशासनिक न्याय-निर्णयन को सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने को शास्ति में बदला जा सकता है। समिति ने मंत्रालय को धारा 29 का शीर्षक बदलने और उसमें 'दंड' शब्द का प्रयोग करने का भी सुझाव दिया।

2.42.5 समिति ने इसके परिणामी प्रभाव की जांच के बाद मंत्रालय से धारा 13, 27, 27क, 28, 28क, 28ख, 29, 30 और 33(झ) और 33ञ के संबंध में और अन्य जगहों पर भी, जहां अधिनियम में परिवर्तन की आवश्यकता है, 'शास्ति' के स्थान पर 'दंड' शब्द का उपयोग करने के लिए कहा।

2.43 समिति द्वारा सुझाव:

2.43.1 अधिनियम में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा और स्पष्टीकरण के बाद, समिति ने खंडवार चर्चा के दौरान अन्य बातों के साथ विधेयक की सूची की क्रम संख्या 6 में निर्दिष्ट औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 में प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

धारा 29 जुर्माना 5000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाए।

धारा 13(3) 27, 27क, 28, 28ख, 29, 30 और 33 (1): शब्द 'शास्ति' को 'दंड' से प्रतिस्थापित किया जाए।

इसके परिणामी प्रभाव की जांच के बाद शब्द का प्रतिस्थापन अन्य धाराओं में किया जा सकता है।

लोक ऋण अधिनियम, 1944

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 7]

2.44 प्रशासनिक मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

[आर्थिक कार्य विभाग]

2.45 अधिनियम का उद्देश्य: सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित विधि का समेकन करना और संशोधन करना तथा सरकार के लोक ऋण का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधन करना है। लोक ऋण अधिनियम, 1944 केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित एवं जारी की गयी सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू होती है।

अधिनियम के अनुसार, "सरकारी प्रतिभूति" का अर्थ है- (क) लोक ऋण लेने के लिए सरकार द्वारा बनाई और जारी की गई प्रतिभूति जो निम्नलिखित में से एक प्रारूप में हो सकते हैं, अर्थात्, (i) स्टॉक, (ii) धारक को देय एक वचन पत्र और (iii) इस संबंध में निर्धारित एक फॉर्म: (ख) सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई कोई अन्य प्रतिभूति को ऐसे फॉर्म में और ऐसे प्रयोजनों के लिए हो जिसे अधिनियम में विहित किया गया है।

2.4.5.1 वर्ष 2006 में, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और इसके प्रबंधन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (जीएस अधिनियम) अधिनियमित किया। जीएस अधिनियम की धारा 1 (2) में कहा गया है कि यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में बनाई और जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू होती है। इसके अलावा, जीएस अधिनियम की उप-धारा 31 (1) में यह प्रावधान है कि पीडी अधिनियम उन सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होगा जिन पर जीएस अधिनियम लागू है और जिन मामलों के लिए इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं।

2.46 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

क्रमांक	धारा	मौजूदा उपबंध	लोक सभा में पुरस्थापित विधेयक में: यथा संशोधित उपबंध
1	धारा 27	शास्ति(1)- यदि कोई व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए	यथा पुरस्थापित विधेयक में लोप : हेतु प्रस्तावित

		सरकारी प्रतिभूति का कोई हक प्राप्त करने के उद्देश्य से, इस अधिनियम के तहत किए गए किसी आवेदन में या इस अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी जांच के दौरान किसी प्राधिकारी को कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो गलत है और जिसे वह या तो गलत जानता है या सत्य नहीं मानता है, तो वह छह महीने तक की कैद या शास्ति या दोनों के साथ दंड का पात्र होगा।	
		कोई भी न्यायालय बैंक की (2) (1) धारा-शिकायत को छोड़कर उप के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।	

2.47 मंत्रालय द्वारा निवेदन:

आर्थिक मामलों के विभाग ने लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 27 की उपधारा (1) और इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) को हटाने का प्रस्ताव किया है। अपने पृष्ठाधार टिप्पण में, विभाग में उक्त धारा को हटाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिया है:

- (i) मौजूदा लोक ऋण अधिनियम, 1944 अधिनियम स्पष्ट रूप से जुर्माने की मात्रा का उल्लेख नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, लोक ऋण अधिनियम, 1944 का सह-अस्तित्व सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के साथ है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया था।
- (ii) वर्तमान में, प्रस्तावित संशोधन किसी भी हितधारक को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि लोक ऋण अधिनियम, 1944 का सहअस्तित्व तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के साथ है। तथापि, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के पश्चात जम्मू और कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया था और इस प्रकार लोक ऋण अधिनियम, 1944 को निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है जिससे सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों पर लागू सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 बनाया जा रहा है।

- (iii) जैसी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुष्टि की गयी है, लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 27 को लागू करने का कोई उदाहरण नहीं है।

2.48 समिति की बैठक में चर्चा:

6 फरवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, समिति ने आर्थिक मामले विभाग के प्रस्ताव पर विभाग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। विभाग ने लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 27 के लोप के संबंध में प्रस्तावित संशोधन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

2.49 समिति द्वारा सुझाव:

2.49.1 मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 27 के प्रस्तावित लोप के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दिए जाने के पश्चात, समिति विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 7 में निर्दिष्ट लोक ऋण अधिनियम, 1944 में प्रस्तावित संशोधन पर सिद्धांततः सहमत हो गयी और विधेयक पर खंडवार चर्चा के दौरान, यदि आवश्यक हो, सुझावों पर विचार करने का निर्णय लिया।

रबड़ अधिनियम, 1947

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रम संख्या 8]

2.50 प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

[वाणिज्य विभाग]

2.51 अधिनियम का उद्देश्य: रबड़ अधिनियम, 1947 संघ के नियंत्रणाधीन रबड़ उद्योग के विकास का उपबंध करता है। यह अधिनियम सरकार के मार्गदर्शन और नियंत्रण के अधीन रबड़ क्षेत्र के समग्र संवर्धन और विकास हेतु बोर्ड के गठन का उपबंध करता है। रबड़ अधिनियम में यह भी उपबंध किया गया कि किसी अनपेक्षित अत्यावश्यकता हेतु रबड़ उत्पादन पर सरकार नियंत्रण अवश्य बनाए रखेगी।

2.52. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा	वर्तमान उपबंध	लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1	धारा 11(3)	यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1), के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह किसी अधिकरण या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके दायित्व के अधीन वह उप-धारा (2) द्वारा यथा लागू सी कस्टम्स ऐक्ट , 1878 के उपबंधों के अधीन हो, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।	यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1), (धारा 11) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह किसी अधिकरण या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके दायित्व के अधीन वह उप-धारा (2) द्वारा यथा लागू सी कस्टम्स ऐक्ट , 1878 के उपबंधों के अधीन हो, शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी या धारा 14 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति को रद्द करके या दोनों से” दंडनीय होगा।;
2	धारा 13(3)	यदि कोई व्यक्ति रबड़ का उस कीमत पर, जो उस निमित्त उपधारा (1) के अधीन नियत अधिकतम कीमत से अधिक या न्यूनतम कीमत से कम है, क्रय या विक्रय करने का करार करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।	यथा पुरःस्थापित रूप से विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया।
3	धारा 26(1)	यदि कोई व्यक्ति-- (a) इस अधिनियम की धारा 11 या धारा 13 के भिन्न किसी	यदि कोई व्यक्ति-- (a) इस अधिनियम की धारा 11 या धारा 13 के भिन्न किसी उपबंध का या इस

	उपबंध का या इस अधिनियम के अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है, अथवा (b) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली किसी रिपोर्ट या विवरणी में ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है ; अथवा (c) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बोर्ड के किसी अधिकारी पर अधिरोपित या सौंपे गए किसी कर्तव्य के निर्वहन में उस अधिकारी को बाधा पहुंचाएगा, अथवा; (घ) किसी भी लेखा बही या अन्य अभिलेख को नियंत्रण या अभिरक्षा में रखते हुए , उस बही या अभिलेख को उस दशा में पेश करने में असफल रहेगा जब वैसा करने की अपेक्षा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाए, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।	अधिनियम के अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है, अथवा (b) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली किसी रिपोर्ट या विवरणी में ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है ; अथवा (c) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बोर्ड के किसी अधिकारी पर अधिरोपित या सौंपे गए किसी कर्तव्य के निर्वहन में उस अधिकारी को बाधा पहुंचाएगा, अथवा; (घ) किसी भी लेखा बही या अन्य अभिलेख को नियंत्रण या अभिरक्षा में रखते हुए , उस बही या अभिलेख को उस दशा में पेश करने में असफल रहेगा जब वैसा करने की अपेक्षा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाए, शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

2.53. मंत्रालय द्वारा निवेदन

2.53.1. प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि नोट में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है::

“रबर अधिनियम 1947 में सरकार के मार्गदर्शन और नियंत्रण के तहत रबर क्षेत्र के समग्र संवर्धन और विकास के लिए एक बोर्ड के गठन का प्रावधान है। रबर अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार को किसी भी अप्रत्याशित अनिवार्यता के लिए रबर उत्पादन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। रबर अधिनियम, 1947 में अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आपराधिक दंड निर्धारित करने के उपबंध थे। धारा 11, 13 और 26 अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड निर्धारित करती है।

- i) धारा 11 की उपधारा (3) रबड़ के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने, प्रतिषिद्ध करने या अन्यथा नियंत्रित करने पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी आदेश का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक दंड निर्धारित करती है।
- ii) धारा 13 की उपधारा (3) रबड़ के अधिकतम या न्यूनतम मूल्य के नियंत्रण से संबंधित धारा 13 (1) के उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड निर्धारित करती है और
- iii) धारा 26 में धारा 11 या धारा 13 के भिन्न रबर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए या ऐसा कथन करने जो मिथ्या है या बोर्ड के किसी भी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने या लेख बही और अभिलेख प्रस्तुत करने में विफलता के लिए आपराधिक दंड निर्धारित किया गया है।

आपराधिक प्रावधानों को उस अवधि के दौरान लागू किया गया था जब प्रतिबंध और प्रतिषिद्ध प्रमुख शब्द थे। वर्तमान में रबड़ अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि व्यापार करने में सुगमता हो और उदारीकृत वातावरण में रबड़ के व्यापार और वाणिज्य को सक्षम बनाया जा सके।

तदनुसार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की संख्या 8, रबर अधिनियम, 1947 की धारा 11, 13 और 26 के उपबंधों के अंतर्गत संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। धारा 11 की उपधारा (3) में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी या धारा 14 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति को रद्द करके या दोनों से” करने का प्रस्ताव है। धारा 26 (1) (घ) में कारावास की सजा और जुर्माने के स्थान पर शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा का प्रस्ताव है। इसके अलावा, रबर अधिनियम की धारा 13, जिसमें अधिनियम की धारा 13 (1) (रबर की बिक्री के लिए अधिकतम और न्यूनतम मूल्य तय करने की शक्ति से संबंधित) के उल्लंघन के लिए कारावास की सजा निर्धारित की गई है, को हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसका उद्देश्य विनियमन और व्यापार को सुगम बनाना है।

संशोधनों से लाभान्वित होने वाले हितधारक रबर डीलर, प्रोसेसर और निर्माता हैं। मौजूदा अधिनियम के उपबंधों के अपराध की श्रेणी से बाहर से व्यापार करने में सुगमता होगी और सभी हितधारकों को उचित और न्यायसंगत लाभ प्रदान होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि रबर बोर्ड क्षेत्र के नियामक के बजाय एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है और उदार वातावरण में रबर उद्योग के तेजी से विकास और विकास को बढ़ावा देता है। लाभान्वित होने वाले रबर डीलरों, प्रोसेसर और निर्माताओं की अनुमानित संख्या, क्रमशः 8,200, 110 और 4,500 हैं।

2.54. समिति द्वारा सुझाव:

2.54.1. मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी देने और अधिनियम में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर स्पष्टीकरण के बाद, समिति ने *अन्य बातों के साथ-साथ*, विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 8 में निर्दिष्ट रबड़ अधिनियम, 1947 में प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित संशोधनों पर खंड-वार विचार के दौरान करने का निर्णय लिया:

धारा 26: प्रस्तावित उपबंधों में दंड के लिए अपीलीय प्रावधानों के साथ एक अधिनिर्णयन तंत्र का प्रावधान किया जा सकता है।

भेषजी अधिनियम, 1948**[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की संख्या 9]**

2.55. **प्रशासनिक मंत्रालय:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
[स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग]

2.56. **अधिनियम का उद्देश्य:** भेषजी अधिनियम, 1948 भेषजी के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। जबकि भेषजी के व्यवसाय और कार्य के विनियमन के लिए बेहतर प्रावधान करना और उस उद्देश्य के लिए भेषजी परिषदों का गठन करना समीचीन है।

2.56.1. फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया भेषजी व्यापार का कार्य करने के लिए फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करके भेषजी शिक्षा को नियंत्रित करता है।

2.57. **अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:**

क्रमांक	धारा	मौजूदा उपबंध	लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक में यथा संशोधित प्रावधान
1	धारा 26A (3)	कोई व्यक्ति, जो निरीक्षक को इस अधिनियम या उसके बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारों का उसके द्वारा प्रयोग किए जाने से जानबूझकर बाधा डालेगा, कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का होगा, या दोनों से दंडनीय होगा।	कोई व्यक्ति, जो निरीक्षक को इस अधिनियम या उसके बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारों का उसके द्वारा प्रयोग किए जाने से जानबूझकर बाधा डालेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से अनधिक का हो सकेगा से दंडनीय होगा।
2	धारा 41 (1)	यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम राज्य के रजिस्टर में उस समय दर्ज नहीं है, मिथ्या रूप से दावा करेगा कि उसका नाम पदनाम के	यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य के रजिस्टर में, उस समय दर्ज नहीं है, यह दावा करता है कि उसका नाम इस प्रकार से दर्ज है या अपने नाम या पदनाम के

		संबंध में ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करेगा जो युक्तियुक्त रूप से यह दिखाने के लिए प्रकल्पित है कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है, तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी, या एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा: परंतु यह दिखाना प्रतिवाद होगा कि अभियुक्त का नाम किसी अन्य राज्य के रजिस्टर में दर्ज है और यह कि इस धारा के अधीन अभिकथित अपराध के समय राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया था।	संबंध में ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करता है, जो युक्तियुक्त रूप से यह दिखाने के लिए प्रकल्पित है कि उसका नाम इस प्रकार से दर्ज है, तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा : परंतु यह अपराध नहीं होगा कि व्यक्ति का नाम किसी अन्य राज्य के रजिस्टर में दर्ज है और यह कि दावा करते समय राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया गया था ।”
3	धारा 42 (2)	जो कोई भी उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक की हो सकेगी या एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।	(2) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से अनधिक का हो सकेगा से दंडनीय होगा।

2.58. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.58.1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उनकी पृष्ठभूमि नोट में दी गई जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है: -

“उक्त अधिनियम की धारा 26 (3) किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करने में जानबूझकर बाधा डालने के लिए दंड से संबंधित है। कारावास की मात्रा को कम करने और जुर्माने को बढ़ाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 41 (1) पंजीकृत होने का झूठा दावा करने के लिए दंड से संबंधित है। कारावास की मात्रा को कम करने और जुर्माने को बढ़ाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 42 (2) अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा उत्पादों के वितरण के लिए दंड से संबंधित है। कारावास की मात्रा को कम करने और जुर्माने को बढ़ाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।”

2.59. समिति की बैठक में चर्चा:

2.59.1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि ने 07.02.2023 को प्रस्तावित संशोधनों पर ब्रीफिंग के दौरान समिति को सूचित किया कि फार्मसी अधिनियम, जो एक पुराना अधिनियम है, में काफी बदलाव की आवश्यकता है। तथापि, इस विधेयक में धारा 26 (क) (3) और 41(1) में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। धारा 26 ए, निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण निरक्षण करने और किसी व्यक्ति द्वारा उसके कर्तव्य निर्वहन करने में जानबूझ कर बाधा डालने से संबंधित है। इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए इस धारा में कारावास की सजा को हटा दिया गया है। समिति ने मंत्रालय को “जुर्माने” को “शास्ति” में बदलने का सुझाव दिया क्योंकि कारावास को भी खत्म कर दिया गया है।

2.59.2. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि शास्ति की प्राप्ति और वसूली के लिए अधिनियम में प्रशासनिक अधिनिर्णयन तंत्र को शामिल करने की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में नहीं है और अधिनियम में प्राधिकरण के लिए तंत्र और प्रावधान को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.59.3. जहां तक धारा 41 का संबंध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्टों के रिकॉर्ड रखते हुए राज्य के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किए जाने का झूठा दावा करने से संबंधित है, मंत्रालय ने सूचित किया कि इस धारा से कारावास हटा दिया गया है।

2.59.4. समिति ने मंत्रालय को धारा 41 (1) में 'अपराध' शब्द को प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया और इसके बजाय 'उल्लंघन' या 'विफलता' का उपयोग किया जा सकता है। समिति ने मंत्रालय को धारा 41 (1) को पूरी तरह से अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं करने और सजा को केवल तीन महीने की अवधि तक कम करने और जुर्माने की राशि बढ़ाने का सुझाव दिया।

2.59.5. यह पूछे जाने पर कि क्या धारा 42 (2) में 'दंडनीय' शब्द को हटाया जा सकता है क्योंकि 41 (1) को आंशिक रूप से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि 42 (2) में कारावास को नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक गंभीर अपराध है। तदनुसार, समिति ने कारावास को 6 महीने से घटाकर 3 महीने करने और जुर्माने को एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का सुझाव दिया।

2.60. समिति के सुझाव:

2.60.1. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समिति ने *अन्य बातों के साथ-साथ*, फार्मैसी अधिनियम, 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के लिए निम्नलिखित सुझावों पर विचार करने का निर्णय लिया, जो यदि आवश्यक हो, तो खंड वार विचार के दौरान विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 9 में विनिर्दिष्ट हैं।:

- धारा 41:**
- (i) कारावास छह से घटाकर तीन माह किया जाएगा.
 - (ii) जुर्माना एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए तक किया जाएगा।
 - (iii) 'अपराध' शब्द को 'उल्लंघन' से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

धारा 42 (2): कारावास 6 महीने से घटाकर 3 महीने और जुर्माने की राशि एक हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये की जाएगी।

धारा 42 (3): परिणामी संशोधन।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रम संख्या 10]

2.61. प्रशासनिक मंत्रालय:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

[उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार

विभाग]

2.62. अधिनियम का उद्देश्य: अधिनियम भारत में औद्योगिक विकास और विनियमन के लिए वैचारिक और कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम कई महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास और विनियमन को केंद्रीय नियंत्रण में लाने के लिए तैयार किया गया था, जिनकी गतिविधियां आर्थिक कारकों को प्रभावित करती हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। यह अधिनियम शुरू में उद्योगों को विनियमित करने के उद्देश्य से बनाया गया था ताकि बड़े परिवर्तनकारी परिणामों के क्षेत्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके। तत्काल आर्थिक मुद्दों से निपटने के प्रयास में, वर्षों से अधिनियम में छोटे पैमाने पर संशोधन जारी रहा। 1991 की उद्योग नीति अधिनियम के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय संशोधन था, जहां औद्योगिक लाइसेंसिंग नियमों को रद्द कर दिया गया था, जिससे निजी क्षेत्र के साथ-साथ विदेशी निवेश से और अधिक भागीदारी के लिए दरवाजा खुल गया, इस प्रकार भारत को एक आर्थिक दिग्गज के रूप में दुनिया में अपनी जगह स्थापित करने की अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति मिली। इसकी स्थापना के बाद से इसमें कई संशोधन हुए हैं, जबकि अभी भी केंद्रीय सलाहकार परिषद और विकास परिषद के गठन जैसे कई परिभाषाओं और प्रावधानों के लिए एक संदर्भ सामग्री के रूप में कार्य कर रहा है।

2.63. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रम संख्या	धारा	मौजूदा प्रावधान	लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 24(1)	(1) यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, अर्थात् :- (i) धारा 10 की उपधारा (1) [या उपधारा (4)] के या धारा 11 की	(1) यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, अर्थात् :- (i) धारा 10 की उपधारा (1) [या उपधारा (4)] के या धारा 11 की

		उपधारा (1) के या धारा 11क के या धारा 13 की उपधारा (1) के [या धारा 29ख की उपधारा (2)], उपधारा (2क), उपधारा (2घ) उपधारा (2च) और उपधारा (2छ)] का उपबंध या (ii) धारा 16 के या धारा 18ख की उपधारा (3) के अधीन दिया गया कोई निदेश, या (iii) धारा 18छ के अधीन किया गया कोई आदेश, (iv) कोई नियम जिसका उल्लंघन इस धारा के अधीन दण्डनीय है, तो वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, प्रथम बार ऐसे उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।]	उपधारा (1) के या धारा 11क के या धारा 13 की उपधारा (1) के [या 'धारा 29ख की उपधारा (2)], उपधारा(2क), उपधारा (2घ) उपधारा (2च) और उपधारा (2छ)] का उपबंध या (ii) धारा 16 के या धारा 18ख की उपधारा (3) के अधीन दिया गया कोई निदेश, या (iii) धारा 18छ के अधीन किया गया कोई आदेश, (iv) कोई नियम जिसका उल्लंघन इस धारा के अधीन दण्डनीय है, वह जुर्माने के साथ दंडनीय होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकता है।”
2.	धारा 24क	मिथ्या कथन के लिए शास्ति-यदि कोई व्यक्ति, - (क) जब उससे इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश द्वारा कोई कथन करने या कोई जानकारी देने की अपेक्षा की जाए, कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसी जानकारी देगा जिसका कोई महत्वपूर्ण	यथा पुरः स्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित।

	अंश मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है; या (ख) यथा पूर्वोक्त कोई कथन किसी बही, लेखा, अभिलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेज में करेगा जिसे रखने या देने के लिए वह इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।]	

2.64. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.64.1. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24 में संशोधन करने और धारा 24 क को हटाने का प्रस्ताव किया है। अपने पृष्ठभूमि नोट में, विभाग ने कहा है कि 11.09.2019 के 2019 के प्रेस नोट 3 के अनुसार, केवल निम्नलिखित चार उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंसिंग के तहत कवर किया गया है:

- i. तंबाकू की सिगार और सिगरेट और तंबाकू निर्मित उत्पाद।
- ii. इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण।
- iii. औद्योगिक विस्फोटक।
- iv. खतरनाक रसायन।

2.65. समिति की बैठक में चर्चा:

2.65.1. 31 जनवरी, 2023 को आयोजित समिति की बैठक के दौरान, विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधनों पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम

की धारा 24 में प्रस्तावित संशोधन से प्रक्रिया के सरलीकरण, अनुपालन के भर में कमी और वह भी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा विचारों से समझौता किए बिना व्यवसाय करने की सुविधा में सुधार होगा। अधिनियम की धारा 24क का लोप करने के संबंध में, उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन यापन को आसान बनाने के लिए छोटे अपराधों के लिए इस अप्रचलित दंड प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। संभावित निवेशकों और व्यवसाय द्वारा सजा की धारणा असुरक्षा की ओर ले जाती है और निवेश निर्णयों में बाधा डालती है। दंडात्मक परिणामों के स्थान पर जुर्माना लगाने वाले कानून में संशोधन करने के उपरोक्त प्रस्ताव से अपराधी पर निवारक प्रभाव डालने वाले प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य बरकरार रहेगा।

2.65.2. समिति ने विभाग के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की। समिति की राय थी कि प्रावधान को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए जुर्माने की जगह 'शास्ति' लगाना उचित होगा। समिति ने यह भी महसूस किया कि शास्ति लगाने और वसूली के लिए न्याय-निर्णयन और अपीलीय तंत्र की आवश्यकता है।

2.66. समिति द्वारा दिए गए सुझाव:

2.66.1. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने खंडवार चर्चा के दौरान विधेयक की अनुसूची की क्रम संख्या 10 में विनिर्दिष्ट उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित संशोधनों के निम्नलिखित सुझावों/संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

- (i) वर्तमान में निर्धारित जुर्माने को शास्ति से प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) शास्तियों के मामले में, जहां शास्ति की राशि अधिक है, न्याय-निर्णयन और अपीलीय तंत्र प्रस्तावित किया जाए और जहां शास्ति की राशि कम है, वहां न्याय-निर्णयन तंत्र की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) क्या अधिनियमों में किए गए संशोधनों का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है।

चलचित्र अधिनियम, 1952

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रम संख्या 11)]

2.67. प्रशासनिक मंत्रालय: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

2.68. अधिनियम का उद्देश्य: 1952 का भारतीय चलचित्र अधिनियम एक कानून है जो प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों के प्रमाणन और चलचित्र प्रदर्शन के विनियमन को नियंत्रित करता है। चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने का वैधानिक कार्य करता है। चलचित्र अधिनियम, 1952 को चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 और 1991 के केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाता है, जहां से सीबीएफसी अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन का प्रवर्तन राज्य सरकार को सौंपा गया है।

2.69. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्र.सं.	धारा	मौजूदा प्रावधान	लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 7(1)	इस भाग के उल्लंघन के लिए शास्तियां - (1) यदि कोई व्यक्ति, - (क) किसी स्थान में, - (i) उस फिल्म से भिन्न कोई फिल्म प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने की अनुमति देगा जो बोर्ड द्वारा अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन या वयस्कों [या किसी वृत्ति के सदस्यों या किसी वर्ग के व्यक्तियों] के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई है और जो जब प्रदर्शित की जाए तब बोर्ड के विहित चिह्न को संप्रदर्शित करती है और जब से उस पर वह चिह्न लगाया गया है तब से उसमें किसी भी रूप में कोई फेरफार या बिगाड़ नहीं किया गया है; (ii) किसी ऐसे व्यक्ति को जो	7. इस भाग के उल्लंघन के लिए शास्तियां - " (1) यदि कोई व्यक्ति- (क) बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के (जिसको साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा) किसी फिल्म में उसके प्रमाणित किए जाने के पश्चात् किसी भी रूप में फेरफार करता है या बिगाड़ सकता है, तो वह 'कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडनीय होगा; (ख) किसी फिल्म को किसी स्थान पर प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है— (i) जिसे बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, (ii) जिसे, जब प्रदर्शित किया गया, बोर्ड के

	वयस्क नहीं है कोई ऐसी फिल्म प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने की अनुमति देगा जो बोर्ड द्वारा वयस्कों के लिए निर्वन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई है ; “(ii) कोई फिल्म, जो बोर्ड द्वारा किसी वृत्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्वन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई है, ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने की अनुमति देगा जो ऐसी वृत्ति का सदस्य नहीं है या ऐसे वर्ग का सदस्य नहीं है : या] (ख) बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के (जिसको साबित करने का भार उसी पर होगा) किसी फिल्म में, उसके प्रमाणित किए जाने के पश्चात् किसी भी रूप में फेरफार या बिगाड़ करेगा, या (ग) धारा 6क के उपबन्ध का या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा केन्द्रीय सरकार या बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों या कृत्यों में से किसी का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन नहीं करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा : परन्तु कोई व्यक्ति, जो खंड (क) के उपखण्ड (i) के उपबन्धों के उल्लंघन में, कोई वीडियो फिल्म	विहित चिह्न द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है; (iii) जिसे, बोर्ड के चिह्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चिह्न को नियत किए जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन या बिगाड़ दिया गया है तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ; (ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई वीडियो फिल्म किसी स्थान में प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; (घ) किसी फिल्म में प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, जिसे इस अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत "वयस्क" के रूप में बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है तो कोई व्यक्ति, जो ऐसी वृत्ति या वर्ग का सदस्य नहीं है, प्रति व्यक्ति दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा, जिसको ऐसी फिल्म प्रदर्शित की गई है, प्रत्येक प्रदर्शन के लिए ऐसे प्राधिकृत अधिकारी दद्वारा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उद्गृहीत की जाएगी : (ड) किसी फिल्म को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, जिसे इस अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत "विशेष" के रूप में बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है, तो कोई व्यक्ति, जो ऐसी वृत्ति या वर्ग का सदस्य नहीं है, प्रति व्यक्ति दस हजार रुपए तक की शास्ति के लिए दायी होगा, प्रत्येक ऐसे प्रदर्शन के लिए ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,

		किसी स्थान में प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने की अनुमति देगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा : परन्तु यह और कि कोई न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में वर्णित किए जाएंगे, तीन मास से कम की अवधि के कारावास या बीस हजार रुपए से कम के जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा:] [परन्तु यह और कि] दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विशेष रूप में सशक्त करे, इस भाग के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति पर पांच हजार रुपए से अधिक के जुर्माने का दण्डादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा: [परन्तु यह भी कि] कोई वितरक या प्रदर्शक या किसी चलचित्र गृह का स्वामी या कर्मचारी इस भाग के अधीन "अनिर्बन्धित वयस्क" के रूप में प्रमाणित किसी फिल्म पर चेतावनी के पृष्ठांकन की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए दण्ड का दायी नहीं होगा ।]	उद्गृहीत की जाएगी; (च) धारा 6क में अंतर्विष्ट उपबंध या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा केंद्रीय सरकार या बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों या कृत्यों में से किसी का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह पांच लाख रुपए तक की शास्ति के लिए, जो ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, उद्गृहीत पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा: परंतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है, खंड (क) से खंड (ग) के अधीन इस भाग के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति पर पांच हजार रुपए से अधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा : परंतु यह भी कि कोई वितरक या प्रदर्शक या किसी चलचित्र गृह का स्वामी इस भाग के अधीन " अनिर्बन्धित वयस्क" के रूप में प्रमाणित किसी फिल्म पर चेतावनी के पृष्ठांकन की शर्त के उल्लंघन के लिए दंड का दायी नहीं होगा ।
2.	धारा 7 में नई उपधारा (4) का	कुछ नहीं	(4) उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति से पीड़ित कोई व्यक्ति ऐसी रीति में और ऐसे अपील

	अंतःस्थापन		प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा ।
3.	धारा 8 में खंड (ग) के बाद नए खंडों का अंतःस्थापन		(गक) प्राधिकृत अधिकारी और धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) के निबंधनों में उसके द्वारा उद्गृहीत शास्ति की रीति ; (गख) अपील करने की रीति और धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी;
3.	धारा 14	इस भाग के उल्लंघन के लिए शास्तियां: यदि इस भाग के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के या शर्तों और निबन्धनों, के जिनके आधार पर या जिनके अधीन रहते हुए कोई अनुज्ञप्ति इस भाग के अधीन दी गई है, उल्लंघन में, किसी चलचित्र का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति उसका प्रयोग करेगा या उसके प्रयोग की अनुज्ञा देगा अथवा किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान को प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है एक सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।	इस भाग के उल्लंघन के लिए शास्तियां: यदि इस भाग के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के या शर्तों और निबन्धनों, के जिनके आधार पर या जिनके अधीन रहते हुए कोई अनुज्ञप्ति इस भाग के अधीन दी गई है, उल्लंघन में, किसी चलचित्र का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति उसका प्रयोग करेगा या उसके प्रयोग की अनुज्ञा देगा अथवा किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान को प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा तो वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए और अपराध जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

2.70. मंत्रालय का निवेदन:

2.70.1. समिति को दिए अपने लिखित अभिवेदन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचित किया कि चलचित्र अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन विभिन्न रूपों में हो सकता है। "चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ अधिनियम की धारा 7 (1) और 14 के तहत निर्धारित की गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शास्ति उपबन्धों के निरपराधिकारण और युक्तिसंगत बनाने तथा अधिनियम को सरकार की कारबार करने की सुगमता नीति के अनुरूप बनाने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 7(1) और 14 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित उपबन्धों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बनाने के लिए धारा 8 में नए खंडों को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

2.70.2. मंत्रालय ने अपनी पृष्ठभूमि नोट में आगे कहा कि अधिनियम, 1952 की धारा 7 (1) और 14 में शास्तियों का उपबंध है, जिनके निरपराधीकरण की रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

“क. भारत सरकार के निरपराधीकरण के जनादेश का पालन करने के लिए, कारावास के दंड को हटा दिया गया है और क) गैर-वयस्कों को 'ए' फिल्म का प्रदर्शन करने; ख) किसी ऐसे सदस्य को 'एस' फिल्म का प्रदर्शन करना जो ऐसे पेशे या वर्ग का नहीं है; और (ग) प्रमाणित फिल्मों के संबंध में वितरकों और प्रदर्शकों को दी जाने वाली सूचना और दस्तावेजों के संबंध में धारा 6क का उल्लंघन के मामलों में केवल शास्ति लगाया जाएगा; हालांकि, शास्ति की राशि को एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करने और इसे समय के अनुरूप बनाने के लिए बढ़ा दिया है।

यह प्रस्ताव किया गया है कि एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त मामलों में सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद शास्ति लगायी जाएगी। लगाई गई शास्ति से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, किस रीति से और ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करेगा, जो विहित किया जाए।

ख.) किसी फिल्म के प्रमाणित होने के बाद उससे छेड़छाड़ और ख) किसी फिल्म या वीडियो फिल्म की प्रदर्शनी उस रूप के अलावा किसी अन्य रूप में करना, जिसमें इसे प्रमाणित किया गया था, अर्थात् अंतर्वेषण, के मामलों में अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कारावास की सजा को बरकरार रखा गया है। जुर्माने की राशि को एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करने और इसे समय के अनुरूप बनाने के लिए बढ़ा दिया है।”

2.71. समिति की बैठक में चर्चा:

2.71.1. 09.02.2023 को आयोजित समिति की बैठक के दौरान, समिति को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई थी कि धारा 14 के तहत चलचित्र के मालिक या किसी भी प्रभारी व्यक्ति पर लगाई जाने वाली शास्ति की राशि को अधिनियम के उस हिस्से के उल्लंघन के मामले में एक हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है और अपराध जारी रहने की स्थिति में प्रतिदिन सौ रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये तक कर दिया गया है। समिति ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि शास्ति के मामले में इस धारा को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए "जुर्माने" या "दंडनीय" शब्दों के बजाय "शास्ति" ' "उल्लंघन" और "उत्तरदायी" शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है ताकि अधिनियम के उल्लंघन के प्रशासनिक निर्णय को सुगम बनाया जा सके।

2.71.2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति ने मंत्रालय से धारा 15 में भी परिणामी परिवर्तन करने को कहा, जो धारा 7 या 14 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए लाइसेंस धारक के

"लाइसेंस रद्द करने की शक्ति" प्रदान करता है, क्योंकि धारा 14 जिसे अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, के तहत कोई दोषसिद्धि नहीं होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सकारात्मक उत्तर दिया, कि धारा 7 अपने आप में अपराधों की दो श्रेणियों के लिए प्रावधान कर रही है जहां 3 अपराध अर्थात् 7(1) क, ख और ग मामूली श्रेणी के हैं।

2.71.3. समिति ने मंत्रालय से तदनुसार परिवर्तन करने के लिए कहा, क्योंकि उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना हो सकता है या कारावास हो सकता है, यदि दोनों का प्रावधान धारा 7 और 14 में किया गया है तो दोषी शब्द से बचा जा सकता है और इसके स्थान पर उल्लंघन का प्रयोग किया जा सकता है। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के सुझावों के आलोक में आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने हेतु मामले की जांच करने का समिति को आश्वासन दिया।

2.71.4. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि 7(1) (क) से (ग) के अंतर्गत पहले अपराध की स्थिति में लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है; यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए, मंत्रालय ने धारा 15 को 15 (1) और 15 (2) में विभाजित करने का प्रस्ताव किया है जिससे धारा 7 (1) की उपधारा (क) से (ग) के तहत छोटे अपराधों को तथा धारा 14 या धारा 7 (1) की उपधारा (घ) से (च) के तहत विभिन्न शास्तियों को धारा 15 की विभिन्न शास्तियों में शामिल किया जा सके।

2.71.5. इस संबंध में समिति ने मंत्रालय से अस्पष्टता को दूर करने के लिए धारा 15, जिसमें संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया गया है, में भी परिणामी परिवर्तन करने के लिए कहा। यह धारा "लाइसेंस रद्द करने की शक्ति" और ऐसी अस्पष्टता को दूर करने का उपबंध करती है, जो मामूली अपराधों और निरंतर अपराध के मामलों में जुर्माना लगाने में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाती। समिति ने धारा में वस्तुनिष्ठ विचार को शामिल करने के लिए कहा, जिसमें स्पष्ट रूप से पहली बार के और बार-बार अपराध के मामले में लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियों का विवरण हो।

2.72. समिति द्वारा दिए गए सुझाव:

2.72.1. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समिति ने विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 11 में विनिर्दिष्ट चलचित्र अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधनों से सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई और खंड-वार विचार के दौरान आवश्यकतानुसार निम्नलिखित सुझावों पर विचार करने का निर्णय लिया:

धारा 14 - "जुर्माना" या "दंडनीय" शब्दों को "शास्ति" "उल्लंघन" और "उत्तरदायी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

धारा 15 - धारा 7 (1) की उपधाराओं (क) से (ग) के तहत बड़े अपराधों तथा धारा 7 (1) की उपधाराओं (घ) से (च) या धारा 14 के तहत छोटे अपराधों के लिए के लिए अलग-अलग शास्तियां।

चाय अधिनियम, 1953

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रमांक 12]

2.73. प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
[वाणिज्य विभाग]

2.74. अधिनियम का उद्देश्य: चाय अधिनियम, 1953 में चाय उद्योग संघ द्वारा नियंत्रण का प्रावधान है, जिसमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप, भारत में चाय की खेती और चाय के निर्यात का नियंत्रण और इस उद्देश्य से एक चाय बोर्ड की स्थापना करना और भारत में उत्पादित चाय पर उत्पाद शुल्क लगाना शामिल है।

2.75. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धाराएं	वर्तमान प्रावधान	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित प्रावधान
1	धारा 38	38. बोर्ड के किसी अधिकारी या सदस्य को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए तथा बहियों और अभिलेखों को पेश करने में असफलता के लिए शास्ति - जो व्यक्ति- (क) अध्यक्ष द्वारा निश्चित रूप में प्राधिकृत किसी सदस्य को या बोर्ड के किसी अधिकारी को अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालेगा, या	यथापुरःस्थापित विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया।

		(ख) किसी लेखा बही या अन्य अभिलेख को नियंत्रण या अभिरक्षा में रखते हुए ऐसी बही या अभिलेख को तब पेश करने में असफल रहेगा जब उससे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।	
2	धारा 39	39. अवैध खेती के लिए शास्ति - जो कोई धारा 12 के उल्लंघन में किसी भूमि पर जानबूझकर चाय लगाएगा या चाय लगवाएगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	दिनांक 23.08.2021 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 3415(इ) द्वारा चाय अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियमन संख्यांक 29) से पहले ही निलंबित किया जा चुका है। यथापुरःस्थापित विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया।
3	धारा 40	40. अनुज्ञा के बिना लगाई गई चाय का हटाया जाना - जहां कोई व्यक्ति धारा 39 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराया गया है वहाँ सिद्धोष ठहराने वाला न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि वह चाय, जिसकी बाबत अपराध किया गया था, विनिर्दिष्ट कमर के भीतर उस भूमि से हटा ली जाए और आदेश का सम्यक् अनुपालन	दिनांक 23.08.2021 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 3415(इ) द्वारा चाय अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियमन संख्यांक 29) से पहले ही निलंबित किया जा चुका है। यथापुरःस्थापित विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया।

		न किए जाने की दशा में, चाय वहां से हटवा सकेगा और सिद्धोष ठहराए गए व्यक्ति से उसका खर्च ऐसे वसूल कर सकेगा मानो वह उस चाय-सम्पदा पर शोध्य भू-राजस्व की बकाया हो जिस पर अपराध किया गया था।	
4	धारा 41	कीमत और वितरण के नियंत्रण से संबंधित आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति - (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 30 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और जिस संपत्ति की बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है वह संपत्ति या उसका उतना भाग जितना न्यायालय ठीक समझे केन्द्रीय सरकार को समपहत हो जाएगा। (2) जो व्यक्ति धारा 30 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के उल्लंघन का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है।	यथापुरःस्थापित विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया।
5	धारा-42	42. अन्य शास्तियां -- जो कोई, उन उपबंधों से भिन्न, जिनके	यथापुरःस्थापित विधेयक में लोप करने का प्रस्ताव

		उल्लंघन के लिए धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 39 और धारा 41 में दंड उपबन्धित किया गया है, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, तथा जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।	

2.76 मंत्रालय द्वारा निवेदन:

प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में निम्नानुसार जानकारी प्रदान की:

"चाय अधिनियम, 1953 28 मई, 1953 को अधिनियमित किया गया था और चाय बोर्ड अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित एक निकाय है। चाय अधिनियम, 1953 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41 और धारा 42 का लोप करने का प्रस्ताव किया गया है जो विभिन्न अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 39 और धारा 40 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3415(ड) दिनांक 23.8.2021 के द्वारा निलंबन कर दिया गया है। धारा 38, 39, 40, 41 और 42 जो मामूली अपराधों के लिए सजा के रूप में कारावास निर्धारित करते हैं, वे अधिनियम के अधिनियमन के समय प्रासंगिक थे। हालांकि, 70 वर्ष बीत जाने के पश्चात्, इन दंडात्मक प्रावधानों की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है।

ये धाराएं वहां प्रासंगिक थीं जहां चाय की खेती, निर्यात पर प्रतिबंध था और चाय निर्यात के लिए कोटा प्रणाली प्रचलित थी। वर्तमान में, इस तरह के दंडात्मक प्रावधानों की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है और ये कारबार को सुगम बनाने की नीति के विरुद्ध हो सकती है। तदनुसार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्र.सं. 12 के द्वारा चाय अधिनियम, 1953 की धारा 38, 39, 40, 41 और 42 का लोप करने का प्रस्ताव किया गया है।

उक्त संशोधनों से लाभान्वित हितधारकों में चाय लगाने वाले, विनिर्माता, चाय के दलाल, चाय नीलामीकर्ता, चाय आयातक, चाय भांडागारों के स्वामी, चाय व्यापारी और चाय खरीदार शामिल हैं। जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 से लाभान्वित होने वाले हितधारकों की संख्या इस प्रकार है:

चाय हितधारकों की श्रेणी	संख्या
छोटे उत्पादक	2,29,526
बड़े उत्पादक	1567
निर्यातक	1970
आयातक	317
खरीदार	9524
भांडागार स्वामी	381
चाय अपशिष्ट लाइसेंस धारक	3645
दलाल	20
बोट लीफ कारखाने	788
नीलामीकर्ता	8

विद्यमान अधिनियम में उपबंधों के निरापराधीकरण से कारबार सुगम होगा और सभी हितधारकों को उचित और न्यायसंगत लाभ मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि चाय बोर्ड एक सहायक के रूप में कार्य करेगा और उदारीकृत वातावरण में चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ चाय क्षेत्र के तेजी से विकास और तरक्की को बढ़ावा देगा।"

2.77 समिति द्वारा सुझाव:

2.77.1 मंत्रालय द्वारा संक्षिप्त जानकारी के पश्चात और चाय अधिनियम, 1953 विधेयक की अनुसूची की क्रम संख्या 12 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर स्पष्टीकरण के पश्चात, समिति ने खंड-वार विचार के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

धारा 41: आदेशों के उल्लंघन पर भी दंडात्मक प्रावधान को बढ़ाया जा सकता है।

धारा 42: (i) दंड अन्य बोर्डों के सर्वव्यापी प्रावधानों के समान किया जाना चाहिए

(ii) प्रस्तावित उपबंधों में दंडों के लिए अपील प्रावधानों के साथ न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 13]

2.78 प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

[उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग]

2.79 अधिनियम का उद्देश्य: प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और समेकन करने के लिए अधिनियम।

2.80 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
1.	धारा 68	धारा 68: किसी प्राधिकारी या अधिकारी को प्रवंचित करने या उस पर असर डालने के प्रयोजन में मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो - (क) इस अधिनियम के अपबंधों के निष्पादन में किसी प्राधिकारी या अधिकारी को प्रवंचित करने की दृष्टि से, या (ख) इस अधिनियम या तद्धीन किसी विषय के संबंध में किसी बात के किए जाने या उसके लोप का उपापन करने या उस पर असर डालने की दृष्टि से, कोई मिथ्या कथन या	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप करने का प्रस्ताव किया गया

		व्यपदेशन यह जानते हुए करेगा कि वह मिथ्या है, वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।	

2.81 मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.81.1 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 68 का लोप करने का प्रस्ताव किया है जो प्राधिकरण को धोखा देने या प्रभावित करने के लिए गलत बयान देने या प्रतिनिधित्व करने के अपराध को दंडित करता है।

2.82 समिति की बैठक में चर्चा:

2.82.1 समिति ने 31 जनवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में विभाग द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण को देखा और पाया कि यह प्रावधान पहले से ही भारतीय दंड संहिता अधिनियम, 1860 की धारा 177 के तहत शामिल है, जो निम्नानुसार है:

177. मिथ्या इत्तिला देना - जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तिला के रूप में ऐसी इत्तिला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक ही हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, अथवा, यदि वह इत्तिला, जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

2.83 समिति द्वारा सुझाव:

विभाग द्वारा संक्षिप्त जानकारी दिए जाने के पश्चात, समिति, सैद्धांतिक रूप में, विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 13 में विनिर्दिष्ट प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 68 का लोप करने के प्रस्ताव से सहमत हुई, और विधेयक पर खंड-वार विचार करने के दौरान प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लिया।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958

[जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक 2022 की क्रम संख्या 14]

2.84 प्रशासनिक मंत्रालय:

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

2.85 अधिनियम का प्रयोजन: वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (एमएस अधिनियम) का प्रयोजन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रीति में भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के विकास का संवर्धन करने और उसका दक्षतापूर्ण रखरखाव सुनिश्चित करना है। इस प्रयोजन के लिए अधिनियम में भारतीय पोतों के रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणक, संरक्षा और सुरक्षा, श्रमिक स्थितियों और नाविकों के कल्याण और पोतों से प्रदूषण निवारण से संबंधित मामलों के लिए उपबंध किए गए हैं।

2.86 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

क्रमांक	धारा 436(2)	वर्तमान उपबंध			लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक द्वारा यथा संशोधित उपबंध	
		अपराध	इस अधिनियम की धारा जिससे अपराध का संबंध है।	शास्तियां	अपराध	शास्ति
1	16	यदि कोई व्यक्ति, भाग 5 के अधीन रजिस्ट्रार के समक्ष की गई किसी घोषणा में या उसे पेश की गई दस्तावेज में अथवा ऐसे रजिस्ट्रार को पेश की गई किसी दस्तावेज या अन्य साक्ष्य में;- (क) किसी पोत के हक या स्वामित्व के सम्बन्ध; या उसमें विद्यमान किसी हित के सम्बन्ध	साधारण	छह मास तक कारावास या, एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।	-	शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकेगी।

		में या पोत में किसी अंश के सम्बन्ध में जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करता है या मिथ्या कथन करने या उपाप्त करने में सहायता करता; अथवा (ख) ऐसे मिथ्या कथन से युक्त कोई घोषणा करता है या दस्तावेज पेश करता है या बनाता है या जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है।				
1.	29	यदि कोई स्वामी, मालिक या अभिकर्ता जानबूझकर धारा 115 के अंतर्गत किसी आदेश की जानबूझकर अवहेलना करता है।	115. व्यक्तियों को नाविकों के रूप में नियुक्त करने का प्रतिषेध करने की शक्ति - केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या यदि यह समाधान हो जाता है कि राष्ट्रीय हित में या साधारणतया नाविकों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उसे, लिखित आदेश द्वारा,	छह मास तक कारावास या, एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।	-	शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकेगी।

			भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत के मास्टर या अभिकर्ता को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, भारत में या भारत के किसी विनिर्दिष्ट भाग में ऐसे पोत पर नाविक के रूप में सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति होती।			
1.	35	यदि कोई व्यक्ति- (क) नाविक के किसी सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या कार्य के बारे में किसी प्रमाणपत्र या निरन्तर सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या किसी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि की कूटरचना करता है या उसमें कपटपूर्वक परिवर्तन करता है ; अथवा (ख) नाविक के किसी सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या कार्य के बारे में किसी प्रमाणपत्र या	साधारण	छह मास का कारावास या पांच सौ रुपए तक जुर्माना या दोनों।	-	शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकेगी।

		निरन्तर सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या किसी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि का, जो कूटरचित है या परिवर्ति किया गया है या उसका नहीं है, कपटपूर्वक प्रयोग करता है।				
2	43.	यदि कोई व्यक्ति किसी अधिनियम के ऐसे किसी निर्बन्धन को भंग करता है जो धारा 150 की उपधारा (5) के अधीन उस पर बाध्यकर है।	साधारण	छह मास तक कारावास या, एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।	-	शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकेगी।
3	44	यदि कोई नाविक या स्वामी धारा 151 का उल्लंघन करता है।	151. अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तों, आदि का अपरिवर्तित रहना- धारा 150 के अधीन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान- (क) कोई नाविक या नाविकों का वर्ग या नाविकों की यूनियन हड़ताल नहीं करेगी या हड़ताल पर नहीं रहेगी या अन्यथा कोई कार्य ऐसी	छह मास तक कारावास या, एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।	-	शास्ति जो दो लाख रुपये तक की हो सकेगी।

			रीति से नहीं करेगी जिसमें उन पोतों के, जिसमें नाविक नियोजित किए जा सकते हैं, सामान्य कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव पड़े ; और (ख) पोत को कोई स्वामी- (i) विवाद से संबंधित नाविकों को ऐसी कार्यवाही के आरम्भ के ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगा जो उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले ; या (ii) विवाद से संबंधित किसी विषय की बाबत किसी नाविक को सेवोन्मुक्त या दंडित नहीं करेगा।			
4.	57(क)	यदि नाविक या शिक्षु- (क) अपने पोत का अभित्यजन करता है।	191. छुट्टी के बिना अभित्यजन और अनुपस्थिति- (1) विधिपूर्वक नियुक्त किया गया कोई नाविक और कोई भी शिक्षु- (क) अपने पोत का	फलक पर छोड़ी गई उसकी सभी संपत्तियां या उनका कोई भाग तथा उसके द्वारा तब तक अर्जित मजदूरी और, यदि अभित्यजन ऐसे किसी स्थान पर	-	फलक पर छोड़ी गई उसकी सभी संपत्तियां या उनका कोई भाग तथा उसके द्वारा तब तक अर्जित मजदूरी और, यदि अभित्यजन ऐसे किसी स्थान पर

			अभित्यजन नहीं करेगा।	किया जाता है जो भारत में नहीं है तो, ऐसी कुल मजदूरी या उसका कोई भाग जो वह किसी अन्य ऐसे पोत पर, जिस पर उसके भारत लौटने पर्यन्त नियोजित किया जाए, उपार्जित कर सके, समपहत किए जाने के दायित्वाधीन होगी, और वह नाविक या शिक्षु उतनी अधिक रकम की पूर्ति करने के दायित्वाधीन भी होगा जो उस पोत के, जिस पोत का उसने अभित्यजन किया है, मास्टर या स्वामी द्वारा उसके स्थान पर नियोजित किए गए प्रतिस्थानी को मजदूरी की उस दर से उच्चतर दर पर देनी पड़े जिस दर पर ऐसे नाविक या शिक्षु को मजदूरी का	किया जाता है जो भारत में नहीं है तो, ऐसी कुल मजदूरी या उसका कोई भाग जो वह किसी अन्य ऐसे पोत पर, जिस पर उसके भारत लौटने पर्यन्त नियोजित किया जाए, उपार्जित कर सके, समपहत किए जाने के दायित्वाधीन होगी, और वह नाविक या शिक्षु उतनी अधिक रकम की पूर्ति करने के दायित्वाधीन भी होगा जो उस पोत के, जिस पोत का उसने अभित्यजन किया है, मास्टर या स्वामी द्वारा उसके स्थान पर नियोजित किए गए प्रतिस्थानी को मजदूरी की उस दर से उच्चतर दर पर देनी पड़े जिस दर पर ऐसे नाविक या शिक्षु को मजदूरी का

				संदाय करने के लिए अनुबंध किया गया था, तथा ऐसा नाविक या शिक्षु तीन मास तक कारावास के दायित्वाधीन भी होगा।		संदाय करने के लिए अनुबंध किया गया था।
5.	57(ख)	धारा 191 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) का उल्लंघन करता है।	191. छुट्टी के बिना अभित्यजन और अनुपस्थिति- (1) विधिपूर्वक नियुक्त किया गया कोई नाविक और कोई भी शिक्षु- (ख) उचित कारण के बिना पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने में या अपने पोत में यात्रा पर अग्रसर होने से उपेक्षा नहीं करेगा या उससे इंकार नहीं करेगा, समुद्र यात्रा के प्रारम्भ पर या यात्रा के दौरान पत्तन से पोत के चलने के चौबीस घंटे के भीतर किसी समय छुट्टी के बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा, या अपने पोत से या अपने कर्तव्य से	यदि उल्लंघन अभित्यजन नहीं है तो ऐसा नाविक या शिक्षु जिसकी मजदूरी में से दो दिन से अनधिक की मजदूरी के बराबर राशि और उसके अतिरिक्त, अनुपस्थिति के प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि के लिए या तो छह दिन की मजदूरी से न अनधिक राशि, या ऐसे कोई व्यय जो प्रतिस्थानी को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाएं, जाने के दायित्वाधीन होंगे तथा ऐसा नाविक या शिक्षु दो मास तक	-	यदि उल्लंघन अभित्यजन नहीं है तो ऐसा नाविक या शिक्षु जिसकी मजदूरी में से दो दिन से अनधिक की मजदूरी के बराबर राशि और उसके अतिरिक्त, अनुपस्थिति के प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि के लिए या तो छह दिन की मजदूरी से न अनधिक राशि, या ऐसे कोई व्यय जो प्रतिस्थानी को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाएं, जाने के दायित्वाधीन होंगे।

			छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना किसी समय अनुपस्थित नहीं रहेगा।	कारावास के दायित्वाधीन भी होगा।		
6.	59(iv)	यदि नाविक या शिक्षु (iv) धारा 194 के खंड (घ) और (ड) में विनिर्दिष्ट अपराधों के दोषी है।	194. अनुशासन के विरुद्ध साधारण अपराध-विधिपूर्वक नियुक्त किया गया नाविक या कोई शिक्षु अनुशासन के विरुद्ध अपराध का दोषी होगा यदि वह निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करेगा, अर्थात्:- (ड) यदि वह विधिपूर्ण आदेशों की अवज्ञा के लिए या कर्तव्य की उपेक्षा के लिए या पोत के नौवहन में अड़चन डालने के लिए या समुद्र यात्रा की प्रगति में बाधा डालने के लिए कर्मिंदल में से किसी के साथ मिल जाता है;	तीन मास का कारावास या पांच सौ रुपए तक जुर्माना या दोनों।	यदि नाविक या शिक्षु (iv) धारा 194 के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के दोषी है।	
9		-	-	-	(ivक) धारा 194 के खंड (ड) क्रम संख्या	ऐसे कारावास, जो एक मास तक का हो सकेगा और प्रत्येक चौबीस

					59	घंटे की ऐसी अवज्ञा या उपेक्षा के लिए दो दिन से अनधिक की मजदूरी के बराबर राशि या छह दिन की मजदूरी से अनधिक राशि, या ऐसे कोई व्यय, जो प्रतिस्थानों को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाए, के लिए दायित्वाधीन भी होगा।
10	60	यदि कोई मास्टर धारा 197 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	197. अभित्याजन और छुट्टी के बिना अनुपस्थिति की रिपोर्ट- किसी भारतीय पोत पर भारत के बाहर नियुक्त किया गया कोई नाविक यदि अभित्याजन करता है या भारत में छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है तो पोत का मास्टर ऐसे अभित्याजन या अनुपस्थिति की जानकारी मिलने के अड़तालीस घंटे	तीन मास तक कारावास या एक सौ रूपए तक जुर्माना, या दोनों		शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकेगी।

			के भीतर उसकी सूचना पोत परिवहन मास्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जैसा केन्द्रीय सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे, देगा जब तक कि इस बीच अभित्यजन करने वाला या अनुपस्थित वापस आता है।			
11.	65	यदि कोई व्यक्ति धारा 205 की उपधारा (1) के उल्लंघन में, पोत पर समुद्र यात्रा पर जाता है।	205. भराई करने वालों और नाविकों का विवशता के अधीन वहन- (1) कोई व्यक्ति पोत में स्वयं को नहीं छिपाएगा और स्वामी, अभिकर्ता या मास्टरों या मेट या भारसाधक व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना जो सम्मति देने के लिए हकदार है पोत में समुद्र यात्रा पर नहीं जाएगा।	एक मास तक कारावास या दौ सौ रुपए तक जुर्माना, या दोनों।	-	शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकेगी।
12	66(क)	(क) यदि कोई व्यक्ति धारा 206 के खण्ड (क) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध	206. भारत में पोत परिवहन न किए गए नाविक के मास्टर या	तीन मास तक कारावास, या एक हजार रुपए तक जुर्माना, या	-	शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकेगी।

		की जानबूझकर अवज्ञा करता है ; अथवा स्वामी की शिकायत पर, कारावासित किए जाने की दशा में प्रक्रिया- यदि भारत के बाहर नियुक्त किया गया कोई नाविक पोत के मास्टर या स्वामी द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी शिकायत पर या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए उसे एक मास से अनधिक अवधि के लिए कारावास का दंड दिया गया है कारावासित किया जाता है तो- (क) कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की या ऐसे अधिकारी की, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे पूर्व मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति को ऐसे कारावास की अवधि के दौरान नाविक के रूप में भारत में पोत के	दोनों।		

			फलक पर कार्य के लिए नियुक्त नहीं करेगा; और			
13.	68	यदि मास्टर धारा 210 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है	210. विदेश में नियुक्त किए गए नाविक या शिक्षु का भारत में छोड़ा जाना-(1) पोत का मास्टर भारत के बाहर नियुक्त किए गए नाविक या शिक्षु को तब तक भारत में किसी स्थान पर सेवोन्मुक्त नहीं करेगा जब तक वह ऐसे अधिकारी की, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, लिखित मंजूरी पहले अभिप्राप्त नहीं कर लेता है; किन्तु ऐसी मंजूरी को, तब तक इन्कार नहीं किया जाएगा जब तक नाविक या शिक्षु की सेवा समाप्ति पर उन्मोचित नहीं कर दिया जाता है।	तीन मास तक कारावास, या एक हजार रूपए तक जुर्माना, या दोनों	-	शास्ति जो पचास हजार तक की हो सकेगी
14.	72	यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी	साधारण	एक वर्ष तक कारावास		शास्ति जो दो लाख तक हो

		आफिशियल लॉग बुक में किसी प्रविष्टि को नष्ट करता है या विरूपित करता है या उसे अपाठ्य बना देता है या आफिशियल लॉग बुक में जानबुझकर कोई मिथ्या या कपटपूर्वक प्रविष्टि करता है या प्रविष्टि का लोप करता है या करने में सहायता देता है।				सकेगी
15.	84	यदि किसी विशेष व्यापार, पोत या तीर्थ यात्री पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता, भाग 8 में उल्लिखित प्रमाणपत्रों में से किसी प्रमाणपत्र को अभिप्राप्त करने के पश्चात कपटपूर्वक कोई ऐसा कार्य करता है या किए जाने देता है, जिससे प्रमाणपत्र, पोत की परिवर्तित स्थिति	साधारण	छह मास तक कारावास, या दो हजार रूपए तक जुर्माना, या दोनों	-	शास्ति जो पहली बार अपराध के लिए एक लाख रूपए और हर पश्चातवर्ती अपराध के लिए पांच लाख रूपए तक हो सकेगी।

		में, उसके विशेष व्यापार यात्रियों या तीर्थ यात्रियों को या उन अन्य विषयों को, जिनसे प्रमाणपत्र संबंधित है, लागू न रहे।				
16.	108ख	यदि भारतीय न्यूक्लीयर पोत धारा 344घ की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	344घ. सुरक्षा निर्धारण और संचालन मैनुअल- (1) प्रत्येक भारतीय न्यूक्लीयर पोत के फलक पर एक सुरक्षा निर्धारण और एक संचालन मैनुअल ऐसे प्ररूप ऐसे में, ऐसी विशिष्टियों सहित और ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित रूप में रहेगा जो विहित किए जाएं। (2) सुरक्षा निर्धारण और संचालन मैनुअल ऐसी रीति, में, जैसी विहित की जाए, तैयार किया जाएगा, बनाए	मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता छह मास तक कारावास, या दस हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों से, दंडनीय होगा।	-	मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता पांच लाख रुपए तक जुर्माने से दायी होगा और पोत को भी निरुद्ध किया जा सकेगा।

			रखा जाएगा और अद्यतन रखा जाएगा।			
17.	108ड.	(क) यदि न्यूक्लियर पोत का मास्टर धारा 344छ की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है।	344छ. न्यूक्लीर पोतों की दुर्घटनाओं की सूचना -(1) किसी भारतीय न्यूक्लीयर पोत के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और ऐसी दुर्घटना के कारण पर्यावरणीय परिसंकट होने की संभावना होने की दशा में पोत का मास्टर दुर्घटना की सूचना तुरन्त- (क) ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और (ख) यदि पोत किसी विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में है या उसमें	एक वर्ष तक कारावास या दस हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों		शास्ति जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी और पोत भी निरुद्ध किया जा सकेगा।

			प्रवेश करने का आशय रखता है तो उस राज्य के समुचित सरकारी प्राधिकारी को भी देगा। (2) जहां भारतीय पोत से भिन्न कोई न्यूक्लीयर पोत, जब वह भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में या पत्तन में है, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है तो पोत का मास्टर दुर्घटना की सूचना तुरन्त उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को देगा। (5) जहां भारतीय पोत से भिन्न कोई न्यूक्लीयर पोत भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान			

			में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है और क्षतिग्रस्त दशा में भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश करने का आशय रखता है वहां ऐसे पोत का मास्टर दुर्घटना की प्रवृत्ति और पोत की दशा की सूचना, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को देगा और ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जैसे उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए जाएं।			
		(ख) यदि न्यूक्लियर पोत का मास्टर धारा	344छ. न्यूक्लीयर पोतों की दुर्घटनाओं की	एक वर्ष तक कारावास या दस हजार रुपए	-	शास्ति जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी और

		344छ की उपधारा (3) या उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है।	सूचना (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निदेश दे सकेगा जैसा वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक या समीचीन समझता है तथा दुर्घटना के कारणों का ऐसी रीति में अन्वेषण करेगा जैसी विहित की जाए। (5) जहां भारतीय पोत से भिन्न कोई न्यूक्लीयर पोत भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है और क्षतिग्रस्त	तक जुर्माना या दोनों		पोत निरुद्ध किया जा सकेगा है।

			दशा में भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश करने का आशय रखता है वहां ऐसे पोत का मास्टर दुर्घटना की प्रवृत्ति और पोत की दशा की सूचना, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को देगा और ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जैसे उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए जाएं।			
18	109	यदि पोत का मास्टर या भारसाधक व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 348 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	348. टक्कर की दशा में सहायता देने का पोत के मास्टर का कर्तव्य- दो पोतों के बीच टक्कर के प्रत्येक मामले में प्रत्येक पोत के मास्टर या	तीन मास तक कारावास या तीन हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।	-	शास्ति जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगी।

			भारसाधक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह, यदि और वहां तक जहां तक उसके अपने पोत, कर्मीदल और यात्रियों को, यदि कोई हों, बिना किसी खतरे के करना सम्भव हो,- (क) अन्य पोत, उसके मास्टर, कर्मीदल और यात्रियों को, यदि कोई हों, टक्कर के कारण हुए किसी खतरे से उन्हें बचाने के लिए ऐसी सहायता प्रदान करे जैसी व्यवहार्य और आवश्यक है तथा अन्य पोत के साथ तब तक ठहरा रहे जब तक वह यह अभिनिश्चित न कर ले कि उसे और सहायता की आवश्यकता नहीं है, तथा (ख) अन्य पोतों के मास्टरों या			

			भारसाधक व्यक्तियों को अपने पोत का नाम और उस पत्तन का नाम, जिसका वह है, तथा उन पत्तनों के नाम जिनसे वह आ रहा है और जिनकी वह जा रहा है, बताएं।			
19.	115घ (ii)	(ii) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर तेल अभिलेख बही की किसी प्रविष्टि को नष्ट करता है या विरूपित करता है या आपाठ्य बना देता है या उस बही में कोई प्रविष्टि करने से रोकता है या धारा 356च के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में, ऐसी बही में मिथ्या प्रविष्टि करता है या किए जाने देता है।	356च अभिलेख बहियां—(1) प्रत्येक भारतीय तेल टैंकर या अन्य भारतीय पोत, जो अभिसमय द्वारा नियंत्रण के अध्यधीन ऐसे पदार्थ ले जाता है, उक्त तेल टैंकर या अन्य पोत के फलक पर विहित प्ररूप में यथा अपेक्षित अभिलेख बहियां रखेगा। (2) वह रीति, जिसमें अभिलेख बहियां रखी जाएंगी, उसमें की	अपराधी, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।		अपराधी, जुर्माने जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

			जाने वाले प्रविष्टियों की प्रकृति, उनकी अभिरक्षा और व्ययन और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय ऐसे होंगे, जो अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, विहित किए जाएं।			
20.	133	यदि कोई व्यक्ति धारा 428 के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है।	428. रजिस्ट्री प्रमाण पत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र, आदि के कपटपूर्ण प्रयोग का प्रतिषेध- (1) कोई व्यक्ति किसी चात जलयान के संबंध में मंजूर किए गए रजिस्ट्री प्रमाणपत्र का उस जलयान के विधिपूर्ण नौपरिवहन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग या उपयोग करने का प्रयास नहीं	तीन माह तक का कारावास या जुर्माना जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों	-	जुर्माना जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकता है।

			करेगा। (2) कोई व्यक्ति किसी चलत जलयान के पौपरिवहन के लिए किसी ऐसे रजिस्ट्री प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा जो उस जलयान के सम्बन्ध में मंजूर नहीं किया गया है। (3) कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में किसी चलत जलयान का रजिस्ट्री प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र है ऐसे प्रमाणपत्र की मांग किए जान पर, जलयान के स्वामी को, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना उस			

			परिदत्त करने से इंकार नहीं करेगा या उसे परिदत्त करने में लोप नहीं करेगा।			
21.	135	यदि स्वामी या टिंडल धारा 430 की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	430. स्थोरा के अवभारण के बारे में जांच- (1) किसी स्वामी या टिंडल ने यदि समुद्र यात्रा के दौरान, मौसम की असामान्य दशा के कारण या किसी अन्य कारण से, किसी चलते जलयान के सम्पूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को अवभारित किया है या अवभारित करने का दावा करता है तो जलयान के भारत में किसी पत्तन पर पहुंचने के पश्चात स्थान को अवभारित करने की सूचना ऐसे पत्तन के समुचित	तीन मास तक कारावास, या दो सौ रूपए तक जुर्माना या दोनों ।		शास्ति जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगी।

			अधिकारी को देगा और अवभारित स्थोरा की पूरी विशिष्टियां तथा वे परिस्थितियां जिनमें उसे अवभारित किया गया था, ऐसी सूचना में अन्तर्विष्ट होंगी।			
22.	137	यदि स्वामी धारा 434क की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	434क. चलत जलयान के कर्मिंदल के सदस्यों का बीमा- (1) इस धारा के अन्य उपबंधों और उपधारा(3) के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक चलत जलयान का स्वामी, उक्त स्कीम के उपबंधों के अनुसार बीमा पालिसी कराएगा और उसे चालू रखेगा जिससे कि ऐसे जलयान के कर्मिंदल के सभी सदस्य के रूप में	छह मास तक कारावास या पांच सौ रूपए तक जुर्माना, या दोनों।		शास्ति जो एक लाख रूपए तक हो सकेगी और पोत को भी निरुद्ध किया जा सकेगा।

			नियोजन के अनुक्रम में हुई मृत्यु या दुर्घटना द्वारा हुई वैयक्तिक क्षति के विरुद्ध बीमाकृत रहें।			
23.	137 अ	यदि कोई व्यक्ति धारा 435ध के उपबंधों का उल्लंघन करना है।	435ध. रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र आदि का कपटपूर्ण उपयोग (1) कोई व्यक्ति मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के संबंध में मंजूर किए गए रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र का उस मछली पकड़ने वाली नौका की विधि पूर्ण संक्रिया से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग या उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा। (2) कोई व्यक्ति, मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की संक्रिया	अपराधी कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकती है या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।		शास्ति जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकता है।

		के लिए ऐसे रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग रकने का प्रयास नहीं करेगा जो उस मछली पकड़ने वाली नौका के सम्बन्ध में मंजूर नहीं किया गया है। (3) कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियन्त्रण में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का रजिस्ट्र-प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र है, किसी ऐसे प्रमाणपत्र की मांग किए जाने पर, मछली पकड़ने वाली नौका के स्वामी को, युक्तियुक्त हेतुक के बिना उसे परिदत्त करने से इंकार नहीं करेगा			

			या उसे परिदत्त करने में लोप नहीं करेगा।			
24.	436 (3)				(3) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए विहित शास्ति वाणिज्य समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी: परंतु इस धारा के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हो ।	
25.	436 (4)				(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर महानिदेशक को ऐसे प्ररूप और रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अपील कर सके।	
26.	436 (5)				(5) महानिदेशक सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर समुचित आदेश पारित कर सकेगा ।	

27.	436 (6)				(6) इस अधिनियम के उपबंधों के किसी अतिक्रमण, जिसके लिए शास्ति विहित की गई है का उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचित किया जाए, पहले अतिक्रमण के लिए शमन कर सकेगा: परंतु जहां किसी ऐसे अतिक्रमण का शमन किया गया है, राशि किसी दशा में उस शास्ति जो ऐसे उल्लंघन के लिए अधिरोपित की जा सकेगी, की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।
28.	436क का अंतःस्था पन				धारा 436 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “436क नियम बनाने की शक्ति.—केन्द्रीय सरकार पूर्व प्रकाशनों की शर्तों के अधीन रहते हुए धारा 436 की उपधारा (4) के अधीन वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्ररूप और रीति विहित करते हुए नियम बना सकेगी।

2.87. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.87.1. पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि ने दिनांक 09.02.2023 की बैठक के दौरान समिति को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के उपबंधों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली विधि के बारे में जानकारी दी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

“मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की इस कवायद के तहत, हमने व्यापक समीक्षा की है और हितधारकों से परामर्श किया है। डीजी (शिपिंग) जो शिपिंग के नियामक हैं, ने ये उपबंध किए हैं। सबसे पहले, उन्होंने इसे 30 दिनों के लिए वेबसाइट पर रखा और इसके पश्चात् हितधारक परामर्श द्वारा अनुसरण किया गया, जिसके तहत जहाज मालिकों, ऑपरेटरों, चार्टर जहाज प्रबंधकों, नाविक संघों, समुद्री शिक्षा, प्रशिक्षण, मान्यता प्राप्त संगठनों, कानून विश्वविद्यालयों और समुद्री वकीलों और अन्य निकायों के कई संघ शामिल थे।”

2.87.2. प्रशासनिक मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में सूचित किया कि अपराध की श्रेणी से बाहर करने और युक्तिकरण के लिए जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत, मंत्रालय ने धारा 436 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दी गई दंड तालिका में 23 प्रविष्टियों (अर्थात् क्रम संख्या 16, 29, 35, 43, 44, 57क, 57ख, 59(चार), 60, 65, 66क, 68, 72, 84, 108ख, 108ड(क), 108ड(ख), 109, 115घ(दो), 133, 135, 137 और 137ज) की पहचान की है।

2.88. समिति की बैठक में चर्चा:

2.88.1. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 108 में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करते हुए, समिति ने धारा 108 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश की, जहां परमाणु जहाज का मास्टर धारा 344छ की उप-धारा (3) या उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी किए गए किसी भी निर्देश के अनुपालन करने में विफल रहता है, जो एक गंभीर अपराध से संबंधित है, सचिव, पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जवाब दिया कि चूंकि यह कार्य आपराधिक मंशा से नहीं किया गया है, इसलिए इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

2.88.2. समिति ने 5 लाख रुपये के शास्ति की छोटी राशि, जिसका भुगतान किसी भी चूककर्ता दुर्घटनाग्रस्त परमाणु जहाज द्वारा किया जाएगा, पर चिंता जताई क्योंकि इस संबंध में विफलता पर्यावरण और मानव जाति पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। समिति ने पूछताछ की कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या राशि को दोगुना करके 10 लाख रुपये किया जा सकता है। सचिव, पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रतिक्रिया दी: -

“सर, वैसे ही एक्सीडेंट हो गया और वह डैमेज्ड है, तो हमें लगता है कि पांच लाख रुपये का शास्ति ठीक है। फिर भी आप कहें कि इसको बढ़ाना है तो।”

2.88.3. समिति ने मंत्रालय के औचित्य को पर्याप्त ठोस नहीं पाया और तदनुसार सुझाव दिया कि या तो मूल धारा को बनाए रखा जाए या शास्ति को दस लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जाए।

2.89. समिति के सुझाव:

2.89.1. समिति विस्तृत विचार-विमर्श के बाद वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1898 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई, जो विधेयक की अनुसूची की क्रम संख्या 14 में निर्दिष्ट है। हालांकि, धारा 108ड(क) और (ख) के अंतर्गत विफलता के मामले में उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों को देखते हुए समिति ने खंड-वार विचार के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

धारा 108ड(क): या तो उपबंध यथावत रखें या शास्ति बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दें

धारा 108ड(ख): या तो उपबंध यथावत रखें या शास्ति बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दें

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961

[जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 15]

2.90. प्रशासनिक मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

[वित्तीय सेवाएं विभाग]

2.91. अधिनियम का उद्देश्य: निक्षेप जमा बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 सभी बैंक जमाओं के बीमा और ऋण सुविधाओं की गारंटी के प्रयोजन से और उससे जुड़े या प्रासंगिक अन्य मामलों के लिए एक निगम की स्थापना का उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निक्षेप जमा बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 तैयार किया गया है। निगम निम्नलिखित निधियों का रखरखाव करता है:

(एक) जमा बीमा निधि

(दो) क्रेडिट गारंटी निधि

(तीन) सामान्य निधि

2.91.1. पहले दो निधियों को क्रमशः बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य निधि का प्रयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीनों निधियों में अधिशेष शेष राशि को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत एकमात्र निवेश है और ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को संबंधित निधियों में जमा किया जाता है। अंतर-निधि ट्रांसफर अनुमेय है और यदि किसी एक निधि में कमी है, तो इसे अन्य दो निधियों में से किसी एक से ट्रांसफर करके ठीक किया जाता है।

2.92. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धाराएं	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
1.	धारा 47: शास्तियां	2) यदि कोई व्यक्ति कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज पेश करने में अथवा कोई ऐसा विवरण या जानकारी देने में, जिसे पेश करना या देना इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसका कर्तव्य है, असफल रहेगा तो वह जुर्माने से जो प्रत्येक अपराध के मामले में दो हजार रुपए तक का हो सकेगा और जारी रहने वाली असफलता की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी पहली असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	2) यदि कोई व्यक्ति कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज पेश करने में अथवा कोई ऐसा विवरण या जानकारी देने में, जिसे पेश करना या देना इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसका कर्तव्य है, असफल रहेगा तो वह <u>शास्ति</u> से जो प्रत्येक अपराध के मामले में <u>एक लाख पचास हजार रुपये</u> तक का हो सकेगा और जारी रहने वाली असफलता की दशा में अतिरिक्त <u>शास्ति</u> से जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी पहली असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् असफलता जारी रहती है, <u>सात हजार पांच सौ रुपये</u> तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
	धारा 47 में नई उप-धारा (3), (4) और (5) का अंतःस्थापन	कोई नहीं	3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए निगम अपेक्षित व्यक्तियों पर कारण बताओ नोटिस तामील करेगा कि क्यों न नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम अधिरोपित किया जाए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का भी युक्तियुक्त अवसर देगा। (4) इस धारा के अधीन निगम द्वारा यदि

		कोई शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो उस तारीख से, जिसको रकम की मांगी गई निगम द्वारा व्यक्ति पर जारी नोटिस से चौदह दिन की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा और ऐसी अवधि के भीतर रकम का संदाय करने में किसी व्यक्ति की असफल होने की दशा में ऐसे मूल सिविल न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता में ऐसे व्यक्ति को जिस क्षेत्र में निवास करता है अवस्थित है किए गए निदेश पर उद्गृहीत किया जा सकेगा: परंतु यह कि कोई ऐसी निदेश जो निगम द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय के अलावा कोई आवेदन नहीं दे सकेगा। 5) ऐसे न्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन निदेश देते हैं उस व्यक्ति द्वारा संदाय रकम विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र में ऐसी रीति में जो सिविल वाद न्यायालय द्वारा डिक्री किए गए थे।

2.93. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.93.1. वित्तीय सेवाएं विभाग ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उप-धारा (2) में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम द्वारा जुर्माना लगाने के मौजूदा उपबंधों को शास्ति लगाने के उपबंध के साथ बदलने का प्रस्ताव है। विभाग ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में प्रस्तुत किया है कि धारा 47(2) के अंतर्गत अपराध अपेक्षाकृत नियमित प्रकृति की विफलता से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम द्वारा शास्ति लगाने और शास्ति की वसूली के तरीके प्रदान करने के लिए धारा 47 में परिणामी प्रविष्टियों का प्रस्ताव किया है।

2.94. समिति की बैठक में चर्चा:

2.94.1. 6 फरवरी, 2023 को आयोजित बैठक के दौरान, समिति के सदस्यों द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी कि क्या दस्तावेजों को लाने में नियमित विफलता के लिए दो हजार रुपये के मौजूदा शास्ति को

एक लाख पचास हजार रुपये के शास्ति से बदलने का प्रस्ताव अत्यधिक नहीं है। इस संबंध में, विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि चूककर्ता बैंक के लिए शास्ति अत्यधिक नहीं है क्योंकि जमाकर्ताओं का हित सर्वोपरि है। इसके अतिरिक्त, यह शास्ति की अधिकतम राशि है जिसे निर्धारित किया गया है और न्यूनतम शास्ति के लिए किसी भी राशि को मामले और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जा सकता है।

2.94.2. इसके अतिरिक्त, विभाग ने बताया कि धारा 47 में नई उप-धाराओं (3), (4) और (5) को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जो शास्ति लगाने की प्रक्रिया और शास्ति नहीं देने की स्थिति में एक न्यायालय के माध्यम से शास्ति वसूली के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है।

2.94.3. उप-धारा (5) के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित उपबंधों के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले देय राशि को निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में, समिति ने न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रमाण पत्र के साथ जाने और पैसा प्राप्त करने के स्थान पर आधार प्रमाण के उपबंध के बारे में पूछताछ की। इस संबंध में, विधायी विभाग के प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि यदि कार्य जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 जैसे वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रशासित अन्य अधिनियमों में कानूनों की एकरूपता के लिए इसी तरह के संशोधन की आवश्यकता होगी, अन्यथा इस मामले को मूल सिविल न्यायालय पर छोड़ना उचित होगा। उप-मंडल मजिस्ट्रेट अन्यथा इस प्रकार की बातों से अतिभारित होंगे, लेकिन साथ ही, यदि मामला सिविल कोर्ट में जाता है, तो न्यायालय डिक्री जारी करने के लिए सभी नागरिक पहलुओं और प्रक्रियाओं पर विचार करेगी और यह उत्कृष्ट कानूनी अवधारणा के लिए बेहतर होगा।

2.95. समिति के सुझाव:

2.95.1. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार-विमर्श और आवश्यक स्पष्टीकरण के बाद, विधेयक की अनुसूची की क्रम संख्या 15 में निर्दिष्ट, समिति ने विधेयक पर खंड-वार विचार के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अवलोकन किया:

(एक) मूल सिविल कोर्ट के संदर्भ में 'निर्देश' शब्द में ऐसे न्यायालय का 'आदेश' भी शामिल हो सकता है।

(दो) शास्ति लगाने से पहले, व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख से व्यक्ति के पास सुनवाई के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए और विफलता की कमी के कारणों को शामिल करना चाहिए।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में शामिल करने के लिए प्रस्तावित दो अतिरिक्त उप-धाराओं में निहित उपबंध (किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के संबंध में जहां पहले से ही कोई शास्ति लगाया गया है से संबंधित, और किसी व्यक्ति द्वारा इरादतन उपशमन/चूक या इरादतन गलतबयानी के मामले में शास्ति का उपबंध लागू नहीं होते हैं) को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 में निरंतरता के लिए उपबंधों को भी यहां दोहराया जा सकता है और चूंकि उक्त अतिरिक्त उपबंधों की आवश्यकता है।

2.95.2. समिति की यह भी राय थी कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 के संबंध में विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के लिए बेहतर प्रारूपण की आवश्यकता है और विधि और न्याय मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग के परामर्श से इस पर पुनर्विचार कर सकता है।

भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 16]

2.96. प्रशासनिक मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
[खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग]

2.97. अधिनियम का उद्देश्य: कृषि उपज और कतिपय अन्य वस्तुओं के भण्डारण के प्रयोजन के लिए निगमों के निगमन और विनियमन का तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

2.98. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
1.	धारा 38	(1) जो कोई किसी भाण्डागारण निगम की लिखित सहमति के बिना, किसी प्रोस्पेक्टस या विज्ञापन में उस निगम के नाम का प्रयोग करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। (2) कोई न्यायालय सम्बन्धित भाण्डागारण निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करेगा, अन्यथा नहीं।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित।

2.99. प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निवेदन

2.99.1. प्रस्तावित संशोधनों के औचित्य को स्पष्ट करते हुए हुए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने निम्नवत बताया:

- प्रस्ताव का उद्देश्य भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 38 का लोप करना है क्योंकि इसमें आपराधिक दण्ड का उपबंध है।
- इसमें किसी भी विवरणिका या विज्ञापन में उनकी लिखित सहमति के बिना किसी भी निगम के नाम का उपयोग करने के अपेक्षाकृत मामूली उल्लंघन के लिए छह माह का कारावास शामिल है।
- उक्त धारा 38 को सीडब्ल्यूसी द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- कई अन्य सीपीएसई में ऐसा कोई उपबंध नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, देश की सामान्य विधियों में ऐसी अनियमितताओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
- तदनुसार, उक्त धाराओं के लोप करने के प्रस्ताव की सीडब्ल्यूसी द्वारा सिफारिश की गई थी।

2.100. समिति द्वारा सुझाव:

2.100.1. संक्षिप्त चर्चा करने के बाद, समिति ने विधेयक की अनुसूची के क्र.सं. 16 में निर्दिष्ट भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 38 का लोप करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की, और खंड-वार विचार के दौरान यदि आवश्यक हो, तो किसी भी और आशोधन पर विचार करने का निर्णय लिया।

खाद्य निगम अधिनियम, 1964

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम सं. 17]

2.101. प्रशासनिक मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

[खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग]

2.102. अधिनियम का उद्देश्य: खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार करने के प्रयोजन के लिए तथा तत्सम्बन्धित और तदानुषंगिक विषयों के लिए खाद्य निगमों के स्थापनार्थ उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

2.103. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 41	(1) जो कोई खाद्य निगम की लिखित सम्मति के बिना, उसके नाम का उपयोग किसी विवरण पत्रिका या विज्ञापन में करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों में, दण्डनीय होगा। (2) कोई भी न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, सम्बन्धित खाद्य निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप से किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित।

2.104. प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निवेदन

2.104.1. प्रस्तावित संशोधनों के औचित्य को स्पष्ट करते हुए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने निम्नवत बताया:

- प्रस्ताव का उद्देश्य खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 41 का लोप करना है क्योंकि इसमें आपराधिक दण्ड का उपबंध है।

- इसमें किसी भी विवरणिका या विज्ञापन में उनकी लिखित सहमति के बिना किसी भी निगम के नाम का उपयोग करने के अपेक्षाकृत मामूली उल्लंघन के लिए छह माह का कारावास शामिल है।
- उक्त धारा 41 को एफसीआई द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- कई अन्य सीपीएसई में ऐसा कोई उपबंध नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, देश की सामान्य विधियों में ऐसी अनियमितताओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
- तदनुसार, उक्त धाराओं का लोप करने के प्रस्ताव की एफसीआई द्वारा सिफारिश की गई थी।

2.105. समिति के सुझाव:

2.105.1. संक्षिप्त चर्चा करने के बाद, समिति ने विधेयक की अनुसूची के क्र.सं. 17 में निर्दिष्ट खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 41 का लोप करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की, और खंड-वार विचार के दौरान यदि आवश्यक हो, तो किसी भी और आशोधन पर विचार करने का निर्णय लिया।

पेटेंट अधिनियम, 1970

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम सं. 18]

2.106. प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

[उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग]

2.107. अधिनियम का उद्देश्य: पेटेंटों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने के लिए अधिनियम।2.108. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 120: पेटेंट अधिकारों का अप्राधिकृत दावा	यदि कोई व्यक्ति मिथ्या रूप से यह व्यपदेशन करेगा कि उसके द्वारा विक्रय की गई कोई वस्तु भारत में पेटेन्टकृत है, या भारत में पेटेन्ट के लिए आवेदन का विषय है तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	यदि कोई व्यक्ति मिथ्या रूप से यह व्यपदेशन करेगा कि उसके द्वारा विक्रय की गई कोई वस्तु भारत में पेटेन्टकृत है, या भारत में पेटेन्ट के लिए आवेदन का विषय है तो वह ऐसे शास्ति के रूप में, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी संदाय करेगा और निरंतर दावे की दशा में प्रथम अवधि जो निरंतर दावा के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए और शास्ति संदत्त करेगा।
2.	धारा 121: "पेटेन्ट कार्यालय" शब्दों का सदोष प्रयोग	यदि कोई व्यक्ति अपने कारबार के स्थान पर या अपने द्वारा जारी किए गए किसी दस्तावेज पर या अन्यथा, "पेटेन्ट कार्यालय" शब्दों या किन्हीं ऐसे अन्य शब्दों का प्रयोग करेगा जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास हो सकता है कि उसके कारबार का स्थान पेटेन्ट कार्यालय है या उससे शासकीय रूप से सम्बद्ध है, यह कारावास से,	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित।

		जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेंगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	
3.	धारा 122: जानकारी देने से इंकार करना या जानकारी देने में असफल रहना	(1) यदि कोई व्यक्ति:-- (क) केन्द्रीय सरकार की कोई ऐसी जानकारी जिसे वह धारा 100 की उपधारा (5) के अधीन देने के लिए अपेक्षित है; (ख) नियंत्रक को कोई ऐसी जानकारी या विवरण जिसे वह धारा 146 द्वारा या उसके अधीन देने के लिए अपेक्षित है, देने से इंकार करेगा या देने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो¹[दस लाख रुपये] तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) यदि कोई व्यक्ति, जिनसे ऐसी कोई जानकारी देने की अपेक्षा की गई है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, ऐसी जानकारी या विवरण देगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या वह विश्वास करने का कारण रखता है अथवा जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	(1) यदि कोई व्यक्ति,— (क) केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसी जानकारी जिसे वह धारा 100 की उपधारा (5) के अधीन देने के लिए अपेक्षित है; (ख) नियंत्रक को कोई ऐसी जानकारी या विवरण जिसे वह धारा 146 द्वारा या उसके अधीन देने के लिए अपेक्षित है, वह ऐसे शास्ति के रूप में, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, संदत्त करेगा और निरंतर इंकार की दशा में, प्रथम अवधि के पश्चात प्रत्येक दिन, जब तक चूक इंकार जारी रहता है, के लिए अतिरिक्त शास्ति, संदत्त करेगा (2) यदि कोई व्यक्ति, जिनसे ऐसी कोई जानकारी देने की अपेक्षा की गई है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, ऐसी जानकारी या विवरण देगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या वह विश्वास करने का कारण रखता है अथवा जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह शास्ति से जो पच्चीस लाख रुपए से अन्यून होगा,” दंडनीय होगा।
4.	धारा 123: अरजिस्ट्रीकृत	यदि कोई व्यक्ति धारा 129 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह	यदि कोई व्यक्ति धारा 129 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह

	पेटेन्ट अभिकर्ताओं द्वारा वृत्ति	जुर्माने से, जो प्रथम अपराध की दशा में एक लाख रुपए तक का और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध की दशा में पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	जुर्माने से, जो प्रथम अपराध की दशा में एक लाख रुपए तक का और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध की दशा में वह ऐसी शास्ति के रूप में, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, संदत्त करेगा और निरंतर व्यतिक्रम की दशा में, प्रथम अवधि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त शास्ति, संदत्त करेगा”
5.	धारा 124 के पश्चता नई धारा का अंतःस्थापन	कोई नहीं	धारा 124क. शास्तियों का न्यायनिर्णायन— (1) नियंत्रक, आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम आरंभ करने वाले व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। (2) नियंत्रक, कोई शास्ति अधिरोपित करने से पहले उस व्यक्ति को जिसने व्यतिक्रम किया है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा। (3) जहां कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति कारावास से जो एक वर्ष की अवधि तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अन्यून होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

6	धारा 159 (2) में खंड (13) के बाद खंड (13क) का अंतःस्थापन	कोई नहीं	“(xiii) धारा 124क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

2.109. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.109.1. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 120, 122, 123 का संशोधन करने, धारा 121 का लोप करने और धारा 124क और 159 (2) का अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव किया है।

2.110. समिति की बैठक में चर्चा:

2.110.1. 31 जनवरी, 2023 को आयोजित समिति की बैठक के दौरान, विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है और 2014 से पेटेंट प्रदान करने में पांच गुना वृद्धि देखी गई है। सभी फाइलिंग को अब ऑनलाइन किया जा चुका है और पेटेंट फाइलिंग में भारत सातवें स्थान पर है। तत्पश्चात्, समिति ने संशोधित धारा 120 और 122 में प्रस्तावित शास्तियों की मात्रा के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण मांगे। समिति ने धारा 122 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति करने में विफलता के मामलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों पर इतनी भारी शास्ति लगाने के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। विभाग के प्रतिनिधियों ने निवेदन किया कि आमतौर पर वे फार्मा कंपनियों जैसी बड़ी कंपनियों को देखते हैं जो आविष्कारों में शामिल हैं। उन्होंने शास्ति की राशि को एक निरोध के रूप में उचित ठहराते हुए कहा कि यह एकाधिकार है। किसी को 20 वर्ष की अवधि के लिए इसका लाभ उठाने के लिए पूरे समाज के खिलाफ एक उत्पाद के लिए पेटेंट अधिकार मिलता है। यदि कोई कंपनी पेटेंट कार्य के संबंध में गलत जानकारी प्रस्तुत करती है, तो उसके झूठे दावे के कारण, कोविड वैक्सीन या कैंसर की दवा जैसे उत्पाद जो किसी अन्य सार्वजनिक स्पिरिटेड कंपनी द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं, में देरी हो जाती है। प्रतिनिधियों ने बताया कि हितधारकों से परामर्श करने के बाद उच्च शास्ति प्रस्तावित की गई थी। समिति ने इस बात से असहमति जताई कि केवल बड़ी कंपनियों के पास पेटेंट हैं। इसके अलावा, समिति ने चिंता व्यक्त की कि धारा 122 में प्रस्तावित संशोधन में "25 लाख रुपये से अनधिक होना चाहिए" प्राधिकरण को निरंकुश शक्ति देता है और इसलिए, संशोधन में प्रस्तावित शास्ति के लिए एक ऊपरी सीमा होनी चाहिए। विभाग तदनुसार संशोधनों का पुनः प्रारूप तैयार करने पर सहमत हो गया। समिति ने विभाग को भारतीय दंड संहिता, 1960 के उपबंधों पर भी गौर करने का निर्देश दिया, यदि गलत सूचना देने का अपराध संहिता के अंतर्गत आता है।

2.110.2. समिति ने विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जैसे कि गलत सूचना के कारण गलत लाभ, पेटेंट के काम न करने के मामले में अनिवार्य लाइसेंस, नुकसान के लिए प्रतिकर

आदि। जहां तक धारा 124क में प्रस्तावित शास्ति की मात्रा का संबंध है, समिति ने कहा कि चूककर्ता को शास्ति के साथ जुर्माना भी देना होगा, जिससे शास्ति की राशि स्वतः ही वसूल हो जाएगी।

2.110.3. इसके अलावा, विभाग ने जानकारी दी कि उप-धाराओं (3), (4) और (5) को धारा 47 (2) के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जो शास्ति लगाने की प्रक्रिया निर्धारित करती है और यदि शास्ति का भुगतान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के माध्यम से शास्ति की वसूली की जाएगी।

2.110.4. विचार-विमर्श के दौरान, समिति ने एक सामान्य टिप्पणी की कि कुछ अधिनियमों में अधिनिर्णय की शक्ति उपलब्ध नहीं है। ऐसे सभी अधिनियमों में अधिनिर्णय की उक्त शक्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जहां शास्ति को दंड में परिवर्तित कर दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी जो शास्ति लगाएगा, ऐसे सभी अधिनियमों में निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

2.111. समिति के सुझाव:

2.111.1. विधेयक के क्रम सं.18 में विनिर्दिष्ट पेटेंट अधिनियम, 1970 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श और आवश्यक स्पष्टीकरण के बाद समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ खंड-वार विचार के दौरान निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

- (i) धारा 122(2): संशोधन में प्रस्तावित शास्ति की राशि के लिए एक अधिकतम सीमा होनी चाहिए।
- (ii) धारा 124क: नियंत्रक द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपीलीय तंत्र की आवश्यकता है।

सामुद्रीक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972
[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम सं. 19]

2.112. **प्रशासनिक मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
[वाणिज्य विभाग]

2.113. **अधिनियम का उद्देश्य:** अधिनियम में संघ के नियंत्रणाधीन समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास और उससे संबंधित मामलों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध किया गया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की स्थापना वर्ष 1972 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। एमपीईडीए को देश से निर्यात के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग को विकसित किए जाने, विनियमित किए जाने और बढ़ावा दिए जाने का जनादेश दिया गया। यह अधिनियम एमपीईडीए को अपतटीय/गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, मछली संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है।

2.114. **अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:**

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 11(2)	एक बार किया गया रजिस्ट्रीकरण तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक वह प्राधिकरण द्वारा रद्द न कर दिया जाए।	एक बार किया गया रजिस्ट्रीकरण तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक वह प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा रद्द न कर दिया जाए।
2.	धारा 20 (3)	यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह, किसी ऐसी अधिहरण या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिससे वह उपधारा (2) द्वारा यथा लागू किए गए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय हो, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह, किसी ऐसी अधिहरण या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिससे वह उपधारा (2) द्वारा यथा लागू किए गए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय हो, ऐसी शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा आदेश दिया गया था, के

			मूल्य के दुगुने के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा।
3.	धारा 23	कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई विवरणी दी जाने की अपेक्षा की जाने पर ऐसी विवरणी देने में असफल रहेगा या ऐसी विवरणी देगा जिसमें कोई ऐसी विशिष्ट है जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं कि वह सत्य है वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई विवरणी दी जाने की अपेक्षा की जाने पर ऐसी विवरणी देने में असफल रहेगा या ऐसी विवरणी देगा जिसमें कोई ऐसी विशिष्ट है जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं कि वह सत्य है वह जुर्माने से, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए तक हो सकेगी।
4.	धारा 24	कोई व्यक्ति- (क) जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी सदस्य को या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्यव्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; अथवा (ख) किसी लेखा-बही या अन्य अभिलेख को, जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसी अपेक्षा की जाने पर उस बही या अभिलेख को पेश करने में असफल रहेगा, वह कारावास	24. प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और बहियां और अभिलेख पेश करने में असफल रहने के लिए शास्तियां—कोई व्यक्ति— (क) जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी सदस्य को या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार

		से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। (ख) किसी लेखा-बही या अन्य अभिलेख को, जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसी अपेक्षा की जाने पर उस बही या अभिलेख को पेश करने में असफल रहेगा, वह ऐसी शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।
5.	धारा 25	जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का, उन उपबन्धों को छोड़कर जिनके उल्लंघन के लिए दण्ड का उपबन्ध धारा 20, 23 और 24 में किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	25. अन्य शास्तियां—जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का, उन उपबन्धों के सिवाय जिनके उल्लंघन के लिए दण्ड का उपबन्ध धारा 20, 23 और 24 में किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसी शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा आदेश दिया गया था, के मूल्य के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसी शास्ति के लिए जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा आदेश दिया गया था, के मूल्य के दुगने के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा।

2.115. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.115.1. प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय ने अपनी पृष्ठभूमि टिप्पणी में निम्नानुसार बताया:

“एमपीईडीए अधिनियम में अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए कारावास और जुर्माना विहित करने का उपबंध है। धारा 20(3), 23, 24, और 25 अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के लिए आपराधिक शास्ति विहित करती है।

i) धारा 20 की उपधारा (3) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति समुद्री उत्पादों के आयात या निर्यात पर रोक लगाने, प्रतिबंधित अथवा नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन करता है तो कारावास या शास्तिनिर्धारित करने का उपबंध करती है।

ii) धारा 23 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत रिटर्न प्रस्तुत करता है या ऐसा रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो जुर्माना लगाने का उपबंध करती है।

iii) धारा 24(क) में यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकृत सदस्य को अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करने या उस पर लगाए गए किसी भी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने पर कारावास या जुर्माने का उपबंध करती है। धारा 24(ख) में यदि कोई व्यक्ति अधिनियम द्वारा या उसके तहत ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर खाता पुस्तिका या अन्य रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहने पर कारावास या जुर्माने का उपबंध करती है।

iv) धारा 25 अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन या उल्लंघन करने के प्रयास या विरोध करने के लिए कारावास या जुर्माना निर्धारित करने का उपबंध करती है।

इन उपबंधों के अंतर्गत शास्तियां वास्तव में हाल ही में एमपीईडीए द्वारा लागू नहीं की गई हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नगण्य प्रभाव डालने वाले इन छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव किया गया है अर्थात् कारावास और जुर्माने के उपबंधों को सिविल शास्ति से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की धारा 20 (3), 23, 24 और 25 की क्रम सं. 19 के अनुसार संशोधनों पर प्रस्ताव किया गया है। कारावास और जुर्माने को शास्ति से बदलने का प्रस्ताव है। जुर्माना आम तौर पर आपराधिक कार्रवाई से संबंधित होता है और जिसके लिए न्यायालय द्वारा मंजूरी की आवश्यकता होती है जबकि शास्ति एक नागरिक दायित्व है। धारा 24(क) के अंतर्गत के अतिरिक्त कारावास और जुर्माने को समाप्त कर दिया गया है। धारा 24(क) किसी भी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के लिए कारावास का उपबंध करती है। सरकारी अधिकारियों के अवरोध के लिए, आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है लेकिन एमपीईडीए अधिकारियों को सरकारी अधिकारियों के रूप में नहीं माना जाता है। इसलिए एमपीईडीए की

धारा 24(क) के अंतर्गत कारावास और जुर्माने के उपबंध को बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि एमपीईडीए योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में बाधाओं को दूर किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन समुद्री निर्यातकों पर नियामक अनुपालन बोझ को कम करेगा। इसके अलावा, यह मत्स्य पालन क्षेत्र में व्यापार करने को आसान करने में बढ़ावा देगा और हितधारकों (समुद्री खाद्य निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, मछुआरों आदि) के बीच अनुचित उत्पीड़न के डर को रोकेगा।”

2.116. समिति की बैठक में चर्चा:

2.116.1. 31 जनवरी, 2023 को आयोजित बैठक के दौरान अपनी प्रस्तुतीकरण में, प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता का औचित्य बताते हुए, विभाग ने बताया कि संशोधन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में देश से निर्यात किए जाने वाले गुणवत्ता वाले समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह भी बताया गया कि दोषी संस्थाओं पर जुर्माने के माध्यम से वित्तीय देयता लागू करना विभिन्न गैर-अनुपालनों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। यह पूछे जाने पर कि विभाग धारा 24(क) में कारावास को बनाए रखने का प्रयास क्यों करता है जिसमें प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए शास्ति का उपबंध है, विभाग ने निम्नानुसार बताया:

“हम इस खंड को बनाए रखने का प्रस्ताव कर रहे हैं क्योंकि एमपीईडीए अधिनियम में जो हुआ है, वह यह है कि एमपीईडीए के अधिकारियों को लोक सेवक नहीं माना जाता है। अधिनियम वह खंड नहीं है। इसमें एक विशिष्ट खंड है जिसमें कहा गया है कि उस संगठन या बोर्ड के अधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा। यहां, उन्हें लोक सेवक के रूप में नहीं माना जाता है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता लागू नहीं की जाती है। यही कारण है कि हम इस खंड को बनाए रखने का प्रस्ताव करते हैं।”

2.117. समिति के सुझाव:

2.117.1. विधेयक की अनुसूची के क्रम सं.19 में विनिर्दिष्ट समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार-विमर्श और स्पष्टीकरण के बाद समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ खंड-वार विचारोपरांत निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

धारा 25: प्रस्तावित उपबंधों में शास्तियों के लिए अपीलीय उपबंधों के साथ एक अधिनिर्णयन तंत्र का उपबंध किया जाएगा।

उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम सं. 20]

2.118. प्रशासनिक मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
[आर्थिक कार्य विभाग]

2.119. अधिनियम का उद्देश्य: लोकहित में कुछ उच्च मूल्य बैंक नोटों के विमुद्रीकरण और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

2.120. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा	वर्तमान उपबंध	लोक सभा में विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 10	शास्त्रियां.—(1) यदि कोई बैंक धारा 5 में निर्दिष्ट कोई विवरणी उस धारा द्वारा उपबंधित समय के भीतर और रीति से तैयार और प्रस्तुत करने में असफल रहेगा या उस धारा के अधीन कोई ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है तो बैंक का प्रबंधक या अन्य भारसाधक व्यक्ति, जब तक कि वह यह नहीं साबित कर देता है कि उसकी जानकारी के बिना असफलता हुई थी या मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की गई थी अथवा उसने उसका निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन	शास्त्रियां.—(1) यदि कोई बैंक धारा 5 में निर्दिष्ट कोई विवरणी उस धारा द्वारा उपबंधित समय के भीतर और रीति से तैयार और प्रस्तुत करने में असफल रहेगा या उस धारा के अधीन कोई ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है तो बैंक का प्रबंधक या अन्य भारसाधक व्यक्ति जब तक कि वह यह नहीं साबित कर देता है कि उसकी जानकारी के बिना असफलता हुई थी या मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की गई थी अथवा उसने उसका निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, <u>जुर्माने से, दंडनीय होगा।</u> (2) जो कोई धारा के अधीन किसी घोषणा में जानते हुए कोई ऐसा कथन करेगा जो

	वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा। (2) जो कोई धारा के अधीन किसी घोषणा में जानते हुए कोई ऐसा कथन करागा जो मिथ्या है याकोवसभागतः सत्य है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है या इन अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा। (3) अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी ऐसी रकम में से, जो धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन जमा किए गए उच्च मूल्य बैंक नोट का विनिमय मूल्य है, ऐसे बैंक में रखे गए उस खाते में संदाय करेगा, जो ऐसा खाता नहीं है जिसे समुचित परिचय कराए जाने के पश्चात् खोला गया है वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।	मिथ्या है याकोवसभागतः सत्य है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है या इन अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, <u>जुर्माने से, दंडनीय होगा।</u> (3) अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी ऐसी रकम में से, जो धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन जमा किए गए उच्च मूल्य बैंक नोट का विनिमय मूल्य है, ऐसे बैंक में रखे गए उस खाते में संदाय करेगा, जो ऐसा खाता नहीं है जिसे समुचित परिचय कराए जाने के पश्चात् खोला गया है वह <u>जुर्माने से, दंडनीय होगा।</u>

2.121. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.121.1. आर्थिक कार्य विभाग ने जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, 2022 में उच्च मूल्य बैंकनोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 की धारा 10 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। विभाग

ने अपनी पृष्ठभूमि नोट में बताया है कि प्रस्तावित संशोधन आर्थिक कार्य विभाग के सिक्का और मुद्रा प्रभाग से संबंधित हैं।

2.121.2. अधिनियम की धारा 5 में उपबंध है कि प्रत्येक बैंक और सरकारी खजाना इस धारा में दिए गए तरीके से रिज़र्व बैंक को एक रिटर्न तैयार करेगा और भेजेगा, जिसमें प्रत्येक मूल्यवर्ग के मूल्य के अंतर्गत 16 जनवरी 1978 के दिन कारोबार की समाप्ति पर उसके पास मौजूद उस मूल्य के उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के कुल मूल्य और उस मूल्य के उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की विशिष्ट संख्या को अलग-अलग दिखाया जाएगा। यदि कोई बैंक धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो यह धारा 10 (1) के अनुसार दंडनीय होगा।

2.121.3. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 7 में यह उपबंध है कि बैंक और सरकारी खजाने के अलावा कोई भी व्यक्ति 19 जनवरी, 1978 तक कुछ शर्तों पर अपने पास रखे गए उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का आदान-प्रदान करेगा। इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी मिथ्या घोषणा धारा 10 (2) के अनुसार दंडनीय है और स्वामि या घोषणाकर्ता के उचित रूप से पेश किए गए खाते में राशि जमा करने में बैंक की कोई भी विफलता धारा 10 (3) के अनुसार दंडनीय है।

2.121.4. अधिनियम की धारा 10 की सभी तीन उप-धाराओं में प्रस्तावित संशोधन इस उपबंध में "तीन वर्षों तक का कारावास या जुर्माने या दोनों के से" का लोप कर रहे हैं और इसे "जुर्माने के साथ दंडनीय" के साथ प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अधिनियम की धारा 10 में शास्ति के रूप में कारावास का भी उपबंध है। अधिनियम की धारा 10 के शास्ति उपबंध *अधिनियम* की धारा 5 और धारा 7 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में हैं। अधिनियम की धारा 5 और धारा 7 का उल्लंघन दंडनीय होने की समयावधि 19 और 23 जनवरी, 1978 तक बीत चुकी है। यदि कारावास की सजा को हटा दिया जाता है तो अधिनियम के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा है क्योंकि यह अनिवार्य नहीं लगता है और यह अप्रचलित हो गया है। तथापि, जुर्माने से संबंधित शास्ति प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि अधिनियम, 1978 की धारा 5 और धारा 7 अधिनियम के मूल उपबंधों का हिस्सा हैं और जिनका उल्लंघन एक अपराध है।

2.122. समिति की बैठक में चर्चा:

2.122.1. समिति ने 6 फरवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की और इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। विधायी विभाग ने कहा कि उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण)

अधिनियम, 1978 अपनी उपयोगिता खो चुका है और इसलिए उन्होंने वित्त मंत्रालय को पूरे अधिनियम को निरस्त करने का सुझाव दिया था। आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जांच की है और संभावना नगण्य है क्योंकि उनके पास इस धारा से संबंधित कोई लंबित शिकायत नहीं है। आर्थिक मामलों के विभाग ने समिति के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत किए:

“हमने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विधि मंत्रालय द्वारा सुझाए गए सुझावों को उठाया और पूछा कि क्या इसे पूरी तरह से निरस्त किया जा सकता है या क्या कोई अन्य उदाहरण हैं। हम विचार-विमर्श कर रहे हैं और हम तुरंत जवाब देंगे। वे (आरबीआई) इसकी जांच कर रहे हैं।”

2.123. समिति के सुझाव:

2.123.1. उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर गहन चर्चा और स्पष्टीकरण के बाद, समिति ने अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की, जैसा कि विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 20 में निर्दिष्ट किया गया है; हालांकि, इसके साथ ही, समिति ने यह भी सिफारिश की कि अधिनियम को 'निरसन' की श्रेणी में भेजा जा सकता है। समिति ने आर्थिक कार्य विभाग से कहा कि वह विधेयक के दूसरे पाठ में सूचित करे कि क्या उस समय तक उन्हें संतोषजनक जवाब मिल गया है। संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने की स्थिति में अधिनियम को निरसन के लिए भेजा जाएगा और यदि उत्तर नहीं आता है तो समिति प्रस्तावित उपबंधों में संशोधन करेगी और तब भी समिति निरसन के लिए अधिनियम की गहन जांच के लिए सिफारिश करेगी। तदनुसार समिति ने विधेयक के खंड-दर-खंड विचार के दौरान सुझावों पर विचार करने का निर्णय लिया।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 21]

2.124. **प्रशासनिक मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

2.125. **अधिनियम का उद्देश्य:** वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन का उपबंध करना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अधिनियम के उपबंधोंको क्रियान्वित करने के लिए अनिवार्य करना और उन्हें कामकाजी शक्तियां प्रदान करना है।

2.126. **अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:**

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 21(1)	21. कुछ औद्योगिक संयंत्रों के प्रयोग पर निर्बन्धन.—(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्तिराज्य बोर्ड की पूर्व सम्मति के बिना, किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र स्थापित या प्रचालित नहीं करेगा: परंतु वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1987 की धारा 9 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी औद्योगिक संयंत्र को प्रचालित करने वाला व्यक्ति, जिसके लिए ऐसे प्रारंभ के पूर्व कोई सम्मति आवश्यक नहीं थी, ऐसे प्रारंभ से तीन मास की अवधि	(1) कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना तब तक किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या प्रचालन नहीं करेगा जब तक वह इस धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के अनुसरण में प्राप्त न की गई हो : परन्तु केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह से इस उपधारा के उपबंधों को लागू करने से औद्योगिक संयंत्रों के कतिपय प्रवर्गों को छूट प्रदान कर सकती है ।

		तक या यदि उसने उक्त तीन मास की अवधि के भीतर ऐसी सम्मति के लिए कोई आवेदन किया है, तो ऐसे आवेदन का निपटारा किए जाने तक ऐसा करता रहेगा ।	
2.	धारा 21 के पश्चात् नई धारा 21क का अंतःस्थापन	कोई नहीं	21क. दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति – (1) धारा 21 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बोर्ड के साथ परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायु प्रदूषण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र को स्थापित करने या प्रचालित करने के लिए किसी भी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान करने, इंकार करने, या रद्द करने से संबंधित मामलों पर जिसमें धारा 21 के अधीन किए गए आवेदन के निपटान की समय-सीमा के लिए तंत्र या ऐसी सहमति की विधिमान्य अवधि सम्मिलित है, पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी सकेगा। (2) प्रत्येक राज्य बोर्ड, धारा 21 के अधीन सहमति को प्रदान करने, इंकार करने या रद्द करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा ।
3.	धारा 37	धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों का या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफलता. (1) जो कोई धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों का या धारा 31क	37. धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों के अनुपालन में असफलता.- (1) जो कोई धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करता है या उनका अननुपालन करता है, तो वह इस संबंध में प्रत्येक उल्लंघन के लिए या

	के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा धारा 21 - कुछ औद्योगिक संयंत्रों के प्रयोग पर निर्बन्धन। धारा 22 - उद्योग आदि चलाने वाले व्यक्ति राज्य बोर्डों द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक वायु प्रदूषक उत्सर्जित नहीं होने देंगे। धारा 31क - निदेश देने की शक्ति। वह ऐसी प्रत्येक असफलता की बाबत, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, और यदि असफलता जारी रहती है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	अननुपालन के लिए ऐसी शास्ति के संदाय के लिए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पंद्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा :
	(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता दोषसिद्ध किए जाने की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की अवधि से परे जारी रहती है, तो अपराधी कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।	(2) जहां ऐसे व्यक्ति का उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, तो वह अतिरिक्तशास्ति, जो ऐसे उल्लंघन के जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए होगी, के संदाय के लिए दायी होगा ।

4.	धारा 38.	38. जो कोई— (क) बोर्ड के प्राधिकार से या उसके अधीन भूमि पर लगे किसी स्तम्भ, थम्ब या खूंटे को या लगाई गई, अन्तर्लिखित या रखी गई किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा या उसे विरूपित करेगा; या (ख) बोर्ड के आदेशों या निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में बाधा डालेगा; या (ग) बोर्ड के किसी संकर्म या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाएगा; या (घ) बोर्ड को या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोर्ड या ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपेक्षा करे; या (ङ) राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक परिमाण में वायु प्रदूषकों के वायुमण्डल में उत्सर्जन की घटना या ऐसी घटना होने की आशंका की सूचना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में राज्य बोर्ड और अन्य विहित प्राधिकरणों या अभिकरणों को	38. कतिपय अधिनियमों के लिए शास्तियां जो कोई— (क) बोर्ड के प्राधिकार से या उसके अधीन भूमि पर लगे किसी स्तम्भ, थम्ब या खूंटे को या लगाई गई, अन्तर्लिखित या रखी गई किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा या उसे विरूपित करेगा ; या (ख) बोर्ड के आदेश या निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में बाधा डालेगा ; या (ग) बोर्ड के किसी सकल या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा ; या (घ) बोर्ड को या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा, जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोर्ड या ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपेक्षा करे; या (ङ) राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक वातावरण में वायु प्रदूषण के उत्सर्जन होने की सूचना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में राज्य बोर्ड और अन्य विहित प्राधिकरणों या अभिकरणों को देने में असफल रहेगा ; या (च) कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन देने के लिए अपेक्षित है, ऐसा कथन करेगा, जिसमें कोई तात्त्विक विशिष्टियां मिथ्या है ; वह ऐसी शास्ति के संदाय के लिए, जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, किन्तु पचास लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी

		देने में असफल रहेगा; या (च) कोई ऐसी जानकारी देने में, जिसका दिया जाना उससे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, ऐसा कथन करेगा जिसकी कोई महत्वपूर्णविशिष्टमिथ्या है; या (छ) धारा 21 के अधीन कोई सम्मतिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा कथन करेगा जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्ट मिथ्या है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	होगा। (2) जहां ऐसे व्यक्ति का उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन या अननूपालन जारी रहता है, तो वह अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे उल्लंघन के जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए होगी, के संदाय के लिए दायी होगा।
5.	धारा 38 के पश्चात् नई धारा 38क का अंतःस्थापन	कोई नहीं	38क. (1)सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति (1) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, विभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का संदाय करने का दायी होगा : परंतु वह ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी

			अधिकारी की किसी असावधानी के कारण हुआ है तो अधिकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का संदाय करने का दायी होगा : परंतु वह उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती है ।
6.	धारा 39	39. अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति - जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्य किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है. उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुमाने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों में और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम ऐसे उल्लंघन के लिए दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	39. इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियां – यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का, जिसके लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा तो वह शास्ति के संदाय के लिए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह किसी अतिरिक्त ऐसी शास्ति के संदाय के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपए प्रति दिन तक हो सकेगी।
7.	नई धारा 39क का अंतःस्थापन	कोई नहीं	39क. न्यायनिर्णायक अधिकारी-(1) केन्द्रीय सरकार धारा 37, धारा 38 और धारा 39 के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के

		प्रयोजनों के लिए उस रीति में कोई जांच करने के लिए, जो विहित की जाए और शास्ति का अधिरोपण करने के लिए किसी ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के किसी सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा : परन्तु केन्द्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों। (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित हो, साक्ष्य देने या किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो और यदि ऐसी जांच पर उसे यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी शास्ति, जो यथास्थिति, धारा 37, धारा 38 या धारा 39 के उपबंधों के अनुसार उचित समझता है, निर्धारित कर सकेगा : परन्तु कोई शास्ति मामले में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी । (3) धारा 37, धारा 38 या धारा 39 के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम,

			2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रतिकर के संदाय के दायित्व के अतिरिक्त होगी ।
8.	नई धारा 39ख का अंतःस्थापन	कोई नहीं	39ख. अपील— (1) धारा 37, 38 या धारा 39 के अधीन किसी न्यायनिर्णायन अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकेगा। (2) उपधारा(1) के अधीन की प्रत्येक अपील उस तारीख से जिसमें न्यायनिर्णायन अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रति व्यथित व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी। (3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पक्षकारों को अपील के लिए सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे, उस अपील के विरुद्ध आदेश को पुष्टिकरण, उपांतरित या एक पक्षीय कर सकता है । (4) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायन अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध की गई हो, यह अधिकरण द्वारा तब तक नहीं देखी जाएगी जब तक व्यक्ति ने न्यायनिर्णायन अधिकारी अधिरोपित शास्ति के रकम के दस प्रतिशत अधिकरण के साथ जमा न कर दी गई हो।

9.	नई धारा 39ग का अंतःस्थापन	कोई नहीं	39ग. पर्यावरण (संरक्षण) निधि के लिए जमा की जाने वाली रकम की शास्ति—जहां कोई न्यायनिर्णयन अधिकारी, यथास्थिति, धारा 37, धारा 38 या धारा 39 के अधीन शास्ति या अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करता है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरणीय (संरक्षण) निधि के लिए जमा करेगी ।
10.	नई धारा 39घ का अंतःस्थापन	कोई नहीं	39घ. धारा 21 के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए तथा शास्ति के संदाय में असफलता के लिए अपराध—(1) जो कोई, धारा 21 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वर्ष और छह मास से अनधिक होगी किन्तु जो जुर्माने के साथ छह वर्ष तक की हो सकेगी, तथा असफलता जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने के साथ ऐसी असफलता की दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन जिस दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, के लिए पचास हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकेगी । (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि से परे जारी रहती है तो अपराधी कारावास से, जो दो वर्ष से अन्यून नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दंडनीय होगा । (3) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का ऐसे

		अधिरोपण से नब्बे दिन की अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो उस पर अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति की रकम के दुगुने तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा । (4) जहां कोई अपराध उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया हो, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध कारित करते समय भारसाधक के रूप में सीधे कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कारबार तथा कंपनी के आचरण के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था ऐसे अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडनीय होगा: परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में उपबंधित किसी दंड का दायी होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है या उसने ऐसे अपराध को कारित करने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था । (5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो गया है कि अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की, सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से किसी अपेक्षा के कारण

			हुआ है तो कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को उसी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा । स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— (क) “कंपनी” में कोई निगमित निकाय, फर्म, न्यास, सोसाइटी और कोई अन्य व्यक्तियों का संगम सम्मिलित है ; (ख) “निदेशक” में, यथास्थिति, कंपनी का निदेशक, फर्म का भागीदार, सोसाइटी का सदस्य या न्यास या व्यक्तियों के किसी संगम का सदस्य सम्मिलित है ।”;
11.	धारा 40	40. कम्पनियों द्वारा अपराध - (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का सीधे भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे : परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है, कि अपराध	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित।

		उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यावाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, - (क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा (ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।	

12.	धारा 41	41. सरकारी विभागों द्वारा अपराध -(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा: परन्तु इस धारा की कोई बात किसी विभागाध्यक्ष को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित।

		दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।	
14.	धारा 43(1) में, खंड (क) के पश्चात्, खंड (कक) का अंतःस्थापन	कोई नहीं	(कक) न्यायनिर्णायक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
15.	धारा 53 (1) में, खंड (छ) के पश्चात् खंड (ज) का अंतःस्थापन	कोई नहीं	(ज) धारा 39क की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायन अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति;

2.126.1 अधिनियम के विद्यमान विधिक ढांचे के अनुसार, वर्तमान में, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों का या अधिनियम के अंतर्गत जारी नियमों या निदेशों के गैर-अनुपालन अथवा उल्लंघन, जैसे कि अधिनियम की धारा 21 और 22 अथवा उसके अंतर्गत जारी निदेशों का गैर-अनुपालन, के किसी मामले में, उल्लंघनकर्ता को कारावास से, जिसकी अवधि से छह माह से अन्यून होगी किंतु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि ऐसी असफलता जारी रहती है, तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम असफलता के लिए दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त, यदि असफलता एक वर्ष की अवधि से परे जारी रहती है, तो अपराधी कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

2.127. मंत्रालय द्वारा निवेदन

2.127.1 अपने पृष्ठभूमि नोट में, मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन के लिए औचित्य दर्शाते हुए निम्नवत बताया:

- (i) ऐसे मामूली उल्लंघनों के लिए कारावास का प्रावधान, जिससे मानव या पर्यावरण को कोई क्षति न हो, न्यायोचित नहीं है।
- (ii) कई प्रावधानों के लिए पहली बार में ही कारावास का प्रावधान न्यायोचित नहीं है। आपराधिक प्रावधान कई बार सामान्य गैर-अनुपालन हेतु व्यवसायों और नागरिकों को प्रताड़ित करते हैं।
- (iii) उपलब्ध रिकॉर्ड / सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-2021 के दौरान ईपीए, 1986, जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल 1737 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से केवल कुल 39 लोगों को उपरोक्त अधिनियमों के तहत वास्तव में दोषी ठहराया गया था।
- (iv) मामूली और प्रक्रियात्मक दोषों पर ईपीए, 1986 की धारा 15 लागू करने के कारण न्यायालयों पर अनावश्यक रूप से बोझ डाला जा रहा था।

2.127.2 इस पर आगे विस्तारपूर्वक बताते हुए, मंत्रालय ने बताया कि उपरोक्त एवं 40 वर्षों की अवधि में एआईआर अधिनियम, 1981 के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया कि मौजूदा अधिनियम में निहित आपराधिक प्रावधान न तो एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं और न ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सहायक है। इसलिए, आईपीसी, 1860 के प्रावधानों के साथ-साथ भारी जुर्माना लगाना आदतन उल्लंघन करने वालों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। यह प्रस्ताव किया जाता है कि सामान्य चूकों के लिए कारावास की जगह भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि अपराध की प्रकृति के आधार पर तय की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, भारी जुर्माना लगाने से प्रस्तावित संशोधन एक ओर उल्लंघन करने वालों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा और दूसरी ओर गंभीर निकायों के लिए स्व-नियमन की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा।

2.127.3 मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर और अखिल भारतीय स्तर पर 61 समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) और सार्वजनिक परामर्श (पीसी) किया है। पीसी से कुल 41 टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए, आईएमसी से 6 टिप्पणियां और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों से 7 टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जिनकी विधिवत जांच की गई और प्रस्तावित विधेयक में, जैसा उचित समझा गया, शामिल किया गया।

2.127.4 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं बताते हुए, मंत्रालय ने निम्नवत उल्लेख किया:

- i. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत उल्लिखित दंड प्रावधान को दंड एवं अतिरिक्त जुर्माने के साथ प्रतिस्थापित करके आंशिक रूप से कम करने का प्रस्ताव है।

- ii. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन को न्यायनिर्णायक अधिकारी के माध्यम से जुर्माना लगाकर निपटाया जाएगा। हालांकि स्थापना संचालन के लिए पूर्व सहमति से संबंधित अधिनियम की धारा 21 के तहत उल्लंघन पर आपराधिक दंड विधान लागू होगा। धारा 22, 31क, 37, 38 और 39 से संबंधित उल्लंघनों पर न्यायालय में अभियोजन की जगह वित्तीय दंड लगाने का प्रस्ताव है।
- iii. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दंड निर्धारित करने के उद्देश्य से एक न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति प्रस्तावित है। हालांकि, यदि जुर्माना और अतिरिक्त जुर्माना, जैसा भी मामला से उल्लंघनकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तब आपराधिक प्रावधान लागू होगा।
- iv. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन क्रमशः कंपनियों द्वारा धारा 39घ और सरकारी विभागों द्वारा धारा 385 के तहत कवर किया जाएगा।
- v. पर्यावरण को नुकसान का न्यायनिर्णयन करते समय निर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी।
- vi. हालांकि, यदि जुर्माना और अतिरिक्त जुर्माना, जैसा भी मामला हो, उल्लंघनकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो आपराधिक प्रावधान लागू होगा।
- vii. निर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष धारा 39ख के तहत यथानिर्धारित अपील कर सकता है।
- viii. प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से केन्द्र सरकार को ईआईए अधिसूचना के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हरित उद्योग/गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे उद्योगों की कुछ श्रेणियों को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत औद्योगिक ईकाई स्थापित/संचालित करने से पहले पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट की अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- ix. केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र को स्थापित करने या संचालित करने के लिए किसी भी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने, इनकार करने या रद्द करने से संबंधित मामलों पर दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत किए गए आवेदन के समयबद्ध निपटान हेतु तंत्र भी शामिल है।

2.127.5. मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि नोट में बताया कि प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- (i) प्रस्तावित संशोधन स्व-नियमन को बढ़ावा देगा और विश्वास आधारित शासन का वातावरण बनेगा।

- (ii) तत्काल प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से उल्लंघकर्ताओं से निपटने के लिए निर्णायक अधिकारी की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसा करने से, प्रस्तावित विधेयक अपराध न्याय प्रणाली पर दबाव कम करेगा।
- (iii) बड़ी हुई जुर्माना राशि कानून का पालन करने वाले उद्यमियों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेगी जो कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने कार्य संचालन में बेहतर कॉर्पोरेट प्रबंधन प्रथाओं को भी बढ़ावा देगी।
- (iv) सामान्य उल्लंघनों पर कारावास का भय समाप्त हो जाता है। यह सुधार भारत में ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ़ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं के बारे में बड़े पैमाने पर कानून का पालन करने वाले उद्यमियों और कॉर्पोरेटों को एक स्पष्ट संदेश भेजेगा।
- (v) ये प्रयास भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे।

2.128. समिति के सुझाव

2.128.1. मंत्रालय द्वारा संक्षिप्त जानकारी और विधेयक की अनुसूची के क्रम सं. 21 पर निर्दिष्ट किए गए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में किए जाने हेतु प्रस्तावित संशोधनों पर स्पष्टीकरण दिए जाने के पश्चात, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आशोधनों पर खंड-वार विचार के दौरान विचार किए जाने का निर्णय लिया:

- धारा 21 क :** धारा 21क का आरंभिक भाग परिवर्तित करके "इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी के स्थान पर "इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी" पढ़ा जाए।
- धारा 39 क :** धारा 39क की उप-धारा (2) में "के अनुसार" को "उपबंधों के अंतर्गत" से परिवर्तित किया जाए।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981

(जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम सं. 22)

2.129 प्रशासनिक मंत्रालय : वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

2.130 अधिनियम का उद्देश्य : समेकित ग्रामीण विकास के संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कृषि सूक्ष्म उद्योगों, लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों, कुटीर और ग्राम उद्योगों हथकरघों, हस्तशिल्पों और अन्य ग्राम शिल्पों और ग्रामीण क्षेत्र में अन्य सहबद्ध आर्थिक क्रियाकलापों के संवर्धन और विकास के लिए उधार और अन्य प्रसुविधाएँ देने और उनका विनियमन करने के लिए और उनसे संबद्ध तथा उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए एक विकास बैंक की, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से ज्ञात होगा, स्थापना करना।

2.131 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रम सं.	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 56 (2)	(2) यदि कोई व्यक्ति किसी बही, लेखा या अन्य दस्तावेज को पेश करने में अथवा ऐसा कोई विवरण या अन्य जानकारी देने में, जिसे पेश करना या देना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसका कर्तव्य है, असफल होगा तो वह जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के लिए दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाली असफलता की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता ऐसी पहली असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहती है, सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	“(2) यदि कोई व्यक्ति, बहीखाता या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या कोई विवरणी या सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत करना या देना उसका कर्तव्य है तो वह <u>शास्ति का दायी होगा</u> , जो प्रत्येक असफलता के लिए <u>एक लाख पचास हजार रुपए</u> तक दायी हो सकेगा और यदि वह ऐसी <u>असफलता</u> जारी रखता है तो वह अतिरिक्त <u>शास्ति</u> , जो ऐसी असफलता के पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए <u>सात हजार पांच सौ रुपए</u> तक हो सकेगी, दायी होगा ।

2.	नई उप- धारा 56(3) से 56(7) का अंतः स्थापन	कुछ नहीं	(3) उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक शास्ति के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय बैंक उस व्यक्ति को नोटिस देगा, जिसे कारण बताना आवश्यक है कि नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम को शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए । (4) इस धारा के अधीन राष्ट्रीय बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति उस तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी जिस दिन राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी नोटिस में रकम के संदाय की मांग की जाएगी और असफलता की दशा में, ऐसी अवधि के भीतर रकम का संदाय करने के लिए, उस क्षेत्र में जहां वह व्यक्ति स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश पर उद्गृहीत की जा सकती है : परंतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा या राष्ट्रीय बैंक द्वारा इस बाबत प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय को नहीं दिया जाएगा । (5) न्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन निदेश देती है, वह व्यक्ति द्वारा संदेय रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी प्रकार से प्रवृत्तनीय होगा जैसे कि यह सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री में किया गया था । (6) कोई शिकायत उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय बैंक द्वारा किसी उल्लंघन या चूक के

			बाबत किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में फाइल नहीं की जाएगी । (7) जहां कोई शिकायत उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के उल्लंघन या चूक के बाबत किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति के विरुद्ध फाइल की गई है, तो उपधारा (2) के अधीन व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित करने की कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी ।

2.132 मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.132.1 वित्तीय सेवाएं विभाग ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 56 की उप-धारा (2) में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव जुर्माना अधिरोपित किए जाने के विद्यमान उपबंध को नाबार्ड द्वारा लगाई जाने वाली शास्ति को अधिरोपित किए जाने के लिए उपबंध से प्रतिस्थापित किए जाने का है। अपने पृष्ठभूमि नोट में, विभाग ने बताया कि धारा 56(2) के तहत अपराध दस्तावेज या सूचना आदि प्रस्तुत करने में विफलता से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने शास्ति को लगाने की रीति और नाबार्ड द्वारा शास्ति की वसूली के लिए उपबंध करने हेतु धारा 56 में परिणामी अंतःस्थापन प्रस्तावित किए हैं।

2.133. समिति की बैठक में चर्चा:

2.133.1. 6 फरवरी, 2023 को आयोजित बैठक के दौरान, वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित संशोधनों पर समिति को संक्षिप्त जानकारी दी। उनके प्रस्तुतीकरण के पश्चात, समिति ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में संशोधन के साथ-साथ सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित उप-धाराओं में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगे।

2.134. समिति के सुझाव:

2.134.1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर संक्षिप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के पश्चात, समिति ने स्वीकार किया कि प्रस्तावित संशोधन से अदालत पर बोझ कम होगा क्योंकि एक बार प्रस्तावित प्रावधानों के तहत शास्ति को अदा कर दिए जाने के बाद, मामला केवल उस विफलता के संबंध में ही रहता है। समिति ने सुझाव दिया कि विभाग को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 56 में प्रस्तावित उप-धाराओं (6) और (7) के तहत किए गए उपबंधों के समान उपबंध किए जाने के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 पर विचार करना चाहिए।

2.134.2. विचार-विमर्श के बाद, समिति ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की, जो विधेयक की अनुसूची की क्रम संख्या 22 में निर्दिष्ट हैं तथा किसी और संशोधन, यदि आवश्यक हो, पर खंड-वार विचार के दौरान विचार करने का निर्णय लिया।

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 23]

2.135. प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
[वाणिज्य विभाग]

2.136. अधिनियम का उद्देश्य: यह अधिनियम मसालों के निर्यात के विकास के लिए और इलायची उद्योग के नियंत्रण के लिए, जिसके अंतर्गत इलायची की खेती का नियंत्रण है, और उससे संबंधित विषयों के लिए बोर्ड का गठन करने का उपबंध करता है।

2.137. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रम सं.	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
1	धारा 27	(27) जो कोई व्यक्ति- (क) अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी सदस्य को या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उनके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग या अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालेगा; या (ख) इस बात के होते हुए कि कोई लेखा बही या अन्य अभिलेख उसके	(27) जो कोई व्यक्ति- (क) अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी सदस्य को या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उनके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग या अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालेगा; या (ख) इस बात के होते हुए कि कोई लेखा बही या अन्य अभिलेख उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में है, ऐसी बही या अभिलेख को

		नियंत्रण या अभिरक्षा में है, ऐसी बही या अभिलेख को तब पेश करने में असफल रहेगा जब उससे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	तब पेश करने में असफल रहेगा जब उससे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, वह शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराध के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दंडनीय होगा
2	धारा 28	28. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 16 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपय तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और वह सम्पत्ति जिसकी बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है, या उसका उतना भाग जो न्यायालय ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगा। (2) जो कोई व्यक्ति धारा 16 के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
3	धारा 29	(29) यदि कोई व्यक्ति धारा 11 के उपबन्धों का या धारा 17 के अधीन किए गए किसी ओदश का उल्लंघन करेगा वह, ऐसी समपहरण या शास्ति	(29) यदि कोई व्यक्ति धारा 11 के उपबन्धों का या धारा 17 के अधीन किए गए किसी ओदश का उल्लंघन करेगा वह, ऐसी समपहरण या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

		पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन दायी हो, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	बिना जिसके लिए वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन दायी हो, शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराध के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दंडनीय होगा
4	धारा 30	(30) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों का, जो उन उपबन्धों से भिन्न हैं, जिनके उल्लंघन के लिए धारा 26, धारा 27, धारा 28 और 29 में दण्ड का उपबन्ध किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	(30) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों का, जो उन उपबन्धों से भिन्न हैं, जिनके उल्लंघन के लिए धारा 26, धारा 27, धारा 28 और 29 में दण्ड का उपबन्ध किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराध के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दंडनीय होगा

2.138. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.138.1. मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों की जरूरत के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में निम्नानुसार बताया है:

“मसाला बोर्ड अधिनियम, जो 35 वर्ष से अधिक पुराना है, में इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दण्डिक शास्तियां निर्धारित करने के उपबंध थे। धारा 27, 28, 29 और 30 इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्डिक शास्ति दंड का निर्धारण करती हैं।

आपराधिक उपबंध उस अवधि के दौरान अधिनियमित किए गए थे जब प्रतिबंध और विनियमन प्रमुख शब्द थे। वर्तमान में, मसाला बोर्ड अधिनियम के अधीन उपबंधों के उल्लंघन को कम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि व्यापार करने में आसानी हो और उदार वातावरण में मसालों के व्यापार और वाणिज्य को सक्षम बनाया जा सके।

तदनुसार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 23 द्वारा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 27, 28, 29 और 30 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। धारा 27, 29 और 30 के अधीन उपबंधित 'कारावास के दंड' के स्थान पर सिविल शास्ति का प्रस्ताव किया गया है जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और उसी व्यक्ति द्वारा पश्चातवर्ती अपराध के लिए एक लाख रुपए तक हो सकेगी। इसके अलावा, मसाला बोर्ड अधिनियम की धारा 28, जिसमें अधिनियम की धारा 16 (इलायची के मूल्य और वितरण के नियंत्रण से संबंधित) के उल्लंघन के लिए कारावास की सजा निर्धारित की गई है, का विलोप करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका उद्देश्य विनियमन को समाप्त करना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

संशोधनों से लाभान्वित हितधारक मसाला निर्यातक और इलायची के उत्पादक, डीलर और नीलामीकर्ता हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा के लिए एक कदम के रूप में, बिना प्रमाणपत्र के मसालों के निर्यात, बही और अभिलेखों को प्रस्तुत करने में विफल रहने जैसे उल्लंघनों और किसी भी अन्य उल्लंघन के लिए मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 में केवल सिविड दंड का प्रस्ताव है। इससे लाभान्वित होने वाले मसाला निर्यातकों, इलायची डीलरों, नीलामकर्ताओं और उत्पादकों की अनुमानित संख्या क्रमशः 7000, 730 और 1,10,000 हैं।

विद्यमान अधिनियम के उपबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से व्यापार करने में आसानी होगी और सभी हितधारकों को उचित और समान लाभ मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि मसाला बोर्ड इस क्षेत्र के विनियामक के बजाय एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेगा और मसाला क्षेत्र की तेजी से वृद्धि और विकास को बढ़ावा देगा, इसके अलावा उदारीकृत वातावरण में मसालों के निर्यात को बढ़ावा देगा।”

2.139. समिति के सुझाव:

2.139.1. मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी दिए जाने और मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों, जो विधेयक की अनुसूची की क्रम संख्या 23 में

विनिर्दिष्ट हैं, पर स्पष्टीकरण के बाद, समिति ने खंड-वार विचार के दौरान *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया।

धारा 26: अधिनियम के जिन उपबंधों में वर्तमान में केवल जुर्माना निर्धारित है, उसे भी शास्ति में परिवर्तित किया जाए।

धारा 30: प्रस्तावित उपबंधों में शास्तियों के लिए अपीलीय उपबंधों के साथ एक न्यायनिर्णयन तंत्र का उपबंध किया जाए।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 24]

2.140. प्रशासनिक मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

2.141. अधिनियम का प्रयोजन: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, आयोजना और कार्यान्वयन के लिए ढाँचा स्थापित करता है और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिए त्वरित और उचित प्रतिक्रिया तंत्र की व्यवस्था करता है। यह केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय के लिए एक ढाँचा प्रदान करने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है।

2.142. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रम सं.	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
1	धारा 2 में, खंड (ग) के पश्चात् खंड (गक) का अंतःस्थापन	कोई नहीं	‘(गक) “निधि” से धारा 16 के अधीन स्थापित की गई पर्यावरणीय (संरक्षण) निधि अभिप्रेत है;
2	धारा 10. -- प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां	(2) प्रत्येक व्यक्ति जो कोई उद्योग चलाता है, कोई संक्रिया या प्रक्रिया करता है या कोई परिसंकटमय पदार्थ हथालता है, ऐसे व्यक्ति को सभी सहायता देने के लिए आबद्ध होगा, जिसे उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने उस उपधारा के अधीन कृत्यों को करने के लिए सशक्त किया है और यदि वह किसी युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना ऐसा करने में	(2) किसी परिसंकटमय पदार्थ की संभलाई का कोई उद्योग संचालन या प्रक्रिया करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति को इस उपधारा के अधीन कार्यों को करने के लिए, जो अपेक्षित हों, सहायता प्रदान करेगा, और यदि वह बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने में असफल रहता है तो वह धारा 14ख के

		असफल रहेगा तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा । (3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को, उसके कृत्यों के निर्वहन में जानबूझकर विलम्ब करेगा या बाधा पहुंचाएगा तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा। (4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों या जम्मू-कश्मीर राज्य या किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें वह संहिता प्रवृत्त नहीं है, उस राज्य या क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन या उक्त विधि के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन जारी किए गए वारण्ट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं ।	अधीन उपबंधित शास्ति का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा । (3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन सशक्त किन्हीं व्यक्तियों को उनके उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कृत्यों के निर्वहन में विलंब करता है या व्यवधान उत्पन्न करता है, वह धारा 14ख के अधीन उपबंधित शास्ति का संदाय करने का दायी होगा । (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक वह तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं, इस धारा के अधीन उस संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे।
2.	धारा 14 के पश्चात् नई धारा 14क का अंतःस्थापन	कोई नहीं	14क. धारा 7 और धारा 8 के उल्लंघन के लिए शास्ति— (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 7 या धारा 8 या तद्दीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है,

			वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या अननुपालन के लिए शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी किंतु पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी: (2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन ऐसा उल्लंघन या अननुपालन करना जारी रखता है, वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।
3.	धारा 14क के पश्चात् धारा 14ख का अंतःस्थापन	कोई नहीं	14ख. धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के उल्लंघन के लिए शास्ति। — (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के उपबंधों का या उन धाराओं के अधीन जारी आदेशों या निदेशों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या अनुपालन के संबंध में शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अननुपालन के संबंध में उल्लंघन जारी रखता है,

			वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।”
4.	धारा 15 अधिनियम, नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति	(1) जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और यदि ऐसे असफलता या उल्लंघन चालू रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता या उल्लंघन चालू रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात, एक वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।	(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों का उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है, जिनके लिए किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, वहां वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या अननुपालन के संबंध में शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो पांच हजार रुपए से कम की नहीं होगी और पन्द्रह लाख तक की हो सकेगी। (2) जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अननुपालन के संबंध में उल्लंघन जारी रखता है वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।

5.	धारा 15क का अंतःस्थापन कंपनियों द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति	कोई नहीं	15क. कंपनियों द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति— (1) जहां कोई कंपनी इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है वहां ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगी, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी और पंद्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अननुपालन के संबंध में उल्लंघन जारी रखता है वहां कंपनी प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, एक लाख रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने की दायी होगी ।
6.	धारा 15ख का अंतःस्थापन सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति	कोई नहीं	15ख. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति— (1) जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तो विभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का संदाय करने का दायी होगा : परंतु ऐसा विभागाध्यक्ष ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि

			उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की किसी अनावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा अधिकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का संदाय करने का दायी होगा : परंतु ऐसा अधिकारी उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती है ।
7.	धारा 15ग का अंतःस्थापन न्यायनिर्णायक अधिकारी	कोई नहीं	15ग. न्यायनिर्णायक अधिकारी— (1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए में जांच करने के लिए, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी : परंतु केंद्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जो अपेक्षित हों।

		(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी— (क) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने या पालन न करने के लिए अभिकथित किया गया है या जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखता है, बुला सकेगा ; (ख) ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके कब्जे में किसी अभिलेख रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या किसी अन्य ऐसे दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में विषय-वस्तु के लिए सुसंगत हो सके, प्रस्तुत करे । (3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, किसी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, और यदि, ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने अधिनियम के या तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है या उनका अनुपालन नहीं किया है तो वह, यथास्थिति धारा 14क, 14ख, 15, 15क या 15ख के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझेगा। (4) न्यायनिर्णायक अधिकारी,

			उपधारा (3) के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णायक करते समय, निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:— (क) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन के कारण संघातित या प्रभावित जनसंख्या या क्षेत्र; (ख) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन की आवृत्ति और कालावधि; (ग) वर्ग के ऐसे व्यक्तियों की भेद्यता, जिनके ऐसे उल्लंघन या अननुपालन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है; (घ) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुए या होने के लिए संभावित नुकसान, (ङ) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन से व्युत्पन्न अनुचित अभिलाभ; और (च) ऐसा कोई अन्य कारक, जो विहित किया जाए। (5) यथास्थिति, धारा 14क, 14ख, 15, 15क या 15ख के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व के अतिरिक्त होगी।
8.	धारा 15ग का	कोई नहीं	15घ. अपील—

	अंतःस्थापन अपील	(1) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी। (3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पुष्ट करने या उपांतरित करने या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे; (4) जहां उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की गई है, वहां ऐसी अपील अधिकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति ने न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम की

			दस प्रतिशत रकम अधिकरण के पास जमा न कर दी हो।
9.	धारा 15ड का अंतःस्थापन पर्यावरण (संरक्षण) निधि में जमा की जाने वाली शास्ति रकम	कुछ नहीं	15ड पर्यावरण (संरक्षण) निधि में जमा की जाने वाली शास्ति रकम—जहां धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या 15ख के अधीन, यथास्थिति, कोई शास्ति या अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहां ऐसी शास्ति की रकम धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण (संरक्षण) निधि में जमा की जाएगी।
10	धारा 15च का अंतःस्थापन शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने में असफलता के लिए अपराध	कुछ नहीं	15च. शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने के लिए असफलता के लिए अपराध—(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क 15ख के अधीन, यथास्थिति, शास्ति और/या अतिरिक्त शास्ति का ऐसे अधिरोपण के नब्बे दिन के भीतर संदाय करने में असफल रहता है वहां वह ऐसे कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो शास्ति की रकम का दुगुना हो सकेगा या दोनों के लिए दायी होगा। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के समय, कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए

		कम्पनी का सीधे तौर पर भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए और दण्डित किए जाने का दायी होगा : परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात उपधारा (1) में उपबंधित किसी दण्ड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था। 3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा। स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों

			के लिए,— (क) “कंपनी” के अन्तर्गत निगमित निकाय, फर्म, न्यास, सोसाइटी और व्यक्तियों का कोई अन्य संगम आता है; (ख) “निदेशक” के अन्तर्गत, यथास्थिति, कंपनी का निदेशक, फर्म का भागीदार, सोसाइटी या न्यास के सदस्य या व्यक्तियों के किसी संगम का सदस्य आते हैं,—
13	धारा 16	कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का सीधे भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे: परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप किये जाने का प्रस्ताव।

15	अध्याय 3 के पश्चात “अध्याय 3क निधि, लेखा और संपरीक्षा” का अंतःस्थापन	कुछ नहीं	“अध्याय 3क निधि, लेखा और संपरीक्षा 16. पर्यावरण (संरक्षण) निधि—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) निधि नामक निधि की स्थापना कर सकेगी। (2) निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा— (क) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम; (ख) निधि से किए गए विनिधानों में से प्राप्त ब्याज या अन्य आय; और (ग) ऐसे स्रोतों से कोई अन्य रकम, जो विहित की जाए। (3) निधि निम्नलिखित के लिए उपयोजित की जाएगी— (क) पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता, शिक्षा और अनुसंधान का संवर्धन; (ख) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों के प्राप्ति के लिए खर्च; (ग) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किए जाए । (4) केन्द्रीय सरकार, निधि के

		प्रशासन के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों के लिए प्रशासक, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिसूचित करेगी। 5) केन्द्रीय सरकार, शास्तियों की ऐसी रकम की पचहत्तर प्रतिशत रकम राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को आबंटित करेगी जिसे निधि में जमा किया गया है। 16क. निधि के लेखा और उसकी संपरीक्षा—(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण निधि के संबंध में पृथक लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगी और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी। (2) निधि के लेखे भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा अवधारित किए जाएं, संपरीक्षित किए जाएंगे और उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित ऐसे संपरीक्षित लेखे केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से अग्रेषित किए जाएंगे। 16ख. वार्षिक रिपोर्ट—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) निधि

			के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन परिभाषित अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा इस प्रकार से तैयार किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए और पूर्व वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से चार मास के भीतर, केंद्रीय सरकार को, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
14	धारा 17	सरकारी विभागों द्वारा अपराध-(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा: परन्तु इस धारा की कोई बात किसी विभागाध्यक्ष को दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप किये जाने का प्रस्ताव।

16	धारा 19 में खंड(क) के पश्चात नए खंड (कक) का अंतःस्थापन	कुछ नहीं	“(कक) न्यायनिर्णायक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
17	धारा 24	अन्य विधियों का प्रभाव—(1) उपधारा (2) के उपबंध के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियम या निकाले गए आदेश के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, पश्चात्ती होंगे ।	24. अन्य विधियों का प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों या इसके अधीन किए गए आदेशों को किसी बात के होते हुए भी इसके सिवाय तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के साथ असंगत होते हुए भी प्रभावी होगी ।
		(2) जहां किसी कार्य या चूक से कोई ऐसा अपराध गठित होता है जो इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य अधिनियम के अधीन भी दंडनीय है वहाँ ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी अन्य अधिनियम के अधीन, न कि इस अधिनियम के अधीन, दंडित किए जाने का भागी होगा ।	
3.	खंड (छ) के पश्चात धारा 25(2) में खंडों का अंतःस्थापन नियम बनाने की शक्ति	कुछ नहीं	“(छक) धारा 15ग की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति और उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन शास्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए अन्य कारक; (छख) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन अन्य रकम;

			(छग) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन अन्य प्रयोजन के लिए; (छघ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निधि के प्रशासन की रीति; (छड) धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन निधि के लेखों के रखरखाव और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप; (छच) धारा 16ख के अधीन निधि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप;

2.143. मंत्रालय का उत्तर

2.143.1. मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में यह कहा है कि वर्तमान में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों या उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या जारी निदेशों का अनुपालन न किए जाने या उल्लंघन किए जाने की मामले अधिनियम की धारा 15 के तहत शासित होते हैं, इस संबंध में उल्लंघनकर्ता को पांच साल तक के कारावास का दंड या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। पहली बार विफल रहने या उल्लंघन करने हेतु दोषसिद्धि होने के पश्चात ऐसी विफलता या उल्लंघन के जारी रहने की स्थिति में, हर दिन के लिए 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, यदि दोषसिद्धि की तारीख के बाद एक वर्ष से अधिक की अवधि तक उल्लंघन जारी रहता है, तो अपराधी को सात साल तक के कारावास का दंड दिया जाएगा।

2.143.2. प्रस्तावित संशोधनों को औचित्य स्पष्ट करते हुए, मंत्रालय ने यह कहा है कि:

- (क) ऐसे मामूली उल्लंघनों, जिनसे किसी मानव या पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुँचती है के लिए कारावास का प्रावधान किया जाना तर्कसंगत नहीं है।
- (ख) कई उपबंधों के संबंध में कारावास का प्रावधान किया जाना ही तर्कसंगत नहीं है।
- (ग) अनुपालन न किए जाने के छोटे मोटे मामलों में कई बार दांडिक उपबंध व्यवसायों और नागरिकों के उत्पीड़न का कारण बनते हैं।

(घ) उपलब्ध रिकार्डों/सूचना के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अंतर्गत पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन हेतु पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-2021 के दौरान कुल 1737 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियमों के तहत इनमें से केवल 39 लोगों को वास्तव में दोषी ठहराया गया।

(ड.) मामूली और प्रक्रिया संबंधी चूकों के लिए भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 को लागू करने के कारण अदालतों पर अनावश्यक रूप से बोझ पड़ रहा है।

2.143.3. मंत्रालय ने यह भी कहा है:

“उपरोक्त तथ्यों और 36 वर्षों की अवधि में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किए जाने, 1986 के पश्चात हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया कि मौजूदा अधिनियम में निहित दांडिक उपबंध न तो निवारक का कार्य करते हैं और न ही पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं। इसलिए, आईपीसी, 1860 के उपबंधों के साथ-साथ भारी जुर्माना लगाया जाना आदतन उल्लंघनकर्ताओं के लिए एक निवारक का कार्य करेगा। यह प्रस्तावित है कि मामूली चूक के लिए कारावास के स्थान पर भारी जुर्माना लगाया जाए। लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि अपराध की प्रकृति के आधार पर निर्धारित की गई है। परिणामस्वरूप, भारी जुर्माना लगाने हेतु प्रस्तावित संशोधन जहां एक ओर उल्लंघनकर्ताओं के लिए एक निवारक का कार्य करेगा वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार लोगों को स्वयं ही नियमों को पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

2.143.4. मंत्रालय ने समिति को यह भी सूचित किया है कि इस संबंध में अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) किया गया और पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर और अखिल भारतीय स्तर पर 61 समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए। जनता से कुल 73 टिप्पणियां/सुझाव और आईएमसी से 9 टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जिनकी विधिवत जांच की गई और और उन्हें उपयुक्त पाए जाने पर प्रस्तावित विधेयक में शामिल किया गया।

2.143.5. अधिनियम के तहत प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में निम्नानुसार बताया है:

- i. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में दिये गए दांडिक उपबंधों को, पूरी तरह से अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव है और इनके स्थान पर जुर्माना और अतिरिक्त जुर्माना लगाने के प्रावधान शामिल किए जाएंगे।
- ii. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, के उपबंधों के उल्लंघन के प्रकार और स्वरूप के आधार पर जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है।

- iii. खतरनाक पदार्थों के अधिक डिस्चार्ज/उत्सर्जन और उनकी संभलाई से संबंधित धारा 7 और धारा 8 का अनुपालन न किए जाने के मामलों को अन्य उपबंधों के उल्लंघन के मामले में लगाए जाने वाले जुर्माने से अधिक जुर्माना लगाते हुए धारा 14 क के तहत शामिल किया जाएगा ।
- iv. धारा 7 और 8 के उल्लंघन के लिए लगने वाले जुर्माने की तुलना में सूचना प्रस्तुत करने, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियों और नमूना लेने की शक्तियों से संबंधित धारा 9, 10 और धारा 11 के उल्लंघन के लिए लगने वाले जुर्माना। कम राशि का होगा जिसे धारा 14 ख के तहत शामिल किया जाएगा ।
- v. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जारी नियमों या निर्देशों जिनके उल्लंघन हेतु कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है उन्हें धारा 15 के तहत शामिल किया जाएगा ।
- vi. कंपनियों और सरकारी विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को क्रमशः धारा 15 क और धारा 15 ख के तहत शामिल किया जाएगा। धारा 16 और 17 का लोप किया गया ।
- vii. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जुर्माने का निर्धारण करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि, यदि उल्लंघनकर्ता द्वारा जुर्माने और अतिरिक्त जुर्माने, जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में दांडिक उपबंध लागू होंगे ।
- viii. जुर्माने से एकत्रित धनराशि के संग्रहण और समुचित उपयोग हेतु पर्यावरण (संरक्षण) निधि नामक एक निधि के सृजन और प्रबंधन हेतु उपबंध ।
- ix. न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 15 घ के तहत निर्धारित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है ।

2.143.6. प्रस्तावित सुधारों के लाभों के बारे में समिति को जानकारी देते हुए, मंत्रालय ने यह कहा है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे:

- i. प्रस्तावित संशोधन से स्वतः नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और विश्वास आधारित शासन का परिवेश तैयार होगा ।
- ii. प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से चूककर्ताओं से निपटने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार यह प्रस्तावित विधेयक दांडिक न्याय प्रणाली पर दबाव कम करेगा ।

- iii. अधिक जुर्माना राशि, कानून का पालन करने वाले उद्यमियों के लिए निवारक का कार्य करेगी जिससे कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा और उनके प्रचालनों में बेहतर कॉर्पोरेट प्रबंधन पद्धतियों को भी बढ़ावा मिलेगा ।
- iv. मामूली चूक पर कारावास का भय दूर हो जाएगा । ये सुधार कानून का पालन करने वाले उद्यमियों और निगमों को यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि भारत सरकार देश में व्यापार करने की प्रक्रिया और जीवनयापन को आसान बनाने हेतु कितनी प्रतिबद्ध है ।
- v. इन प्रयासों से भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा ।

2.144. समिति की बैठक में चर्चा:

2.144.1. 17 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, समिति ने अपराध के संज्ञान से संबंधित अधिनियम की धारा 19 में न्यायनिर्णयन अधिकारी को शामिल किए जाने के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। इस संबंध में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है और वह जुर्माना देने से इंकार कर देता है, तो यह एक दांडिक अपराध बन जाता है जिसके लिए किसी को मुकदमा दायर करना पड़ता है ।

2.144.2. इस संबंध में, विधायी विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) के प्रतिनिधि ने यह भी स्पष्ट किया:

"कोई भी अदालत किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं लेगी जब तक कि किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जाती है । इसलिए, हम केवल न्यायनिर्णयन अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को ये शक्तियाँ दे रहे हैं।"

2.145. समिति के सुझाव:

2.145.1. विधेयक की अनुसूची की क्रम संख्या 24 में विनिर्दिष्ट पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा और स्पष्टीकरण के बाद समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ खंडवार विचार के दौरान निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया ।

धारा 15: जुर्माने की राशि पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार की जाए ।

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 25]

2.146. प्रशासनिक मंत्रालय : वित्त मंत्रालय
[वित्तीय सेवाएँ विभाग]

2.147. विधेयक का उद्देश्य: स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर आवास ऋण संस्थाओं को बढ़ावा देने और ऐसी संस्थाओं को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने और तत्संबंधी अथवा उसके आनुषांगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक नामक बैंक की स्थापना करना ।

2.148. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन :

क्रम संख्या	धाराएँ	वर्तमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक द्वारा यथा संशोधित उपबंध
1.	नई धारा 33क का अंतःस्थापन	कोई नहीं	33ग. लेखापरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति—जहां कोई लेखापरीक्षक, धारा 33 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तब रिजर्व बैंक, यदि उसका समाधान हो जाता है, तो एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी इकाईयों के लेखा परीक्षक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन करने से हटा सकेगा या वर्जित कर सकेगा ।”
2.	धारा 49(2)	यदि कोई व्यक्ति किसी बही, लेखा या अन्य दस्तावेज को पेश करने में अथवा ऐसा कोई विवरण या अन्य जानकारी देने	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया है ।

		में, जिसे पेश करना या देना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसका कतव्य है, असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के लिए दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता ऐसी पहली असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहती है, सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।	
3.	धारा 49 (2ख)	यदि कोई लेखा परीक्षक, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा धारा 33 के अधीन दिये गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहेगा, तो वह जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया है ।
4.	धारा 49(3) (कक)	[यदि लेखा परीक्षक से भिन्न कोई व्यक्ति,- (कक) अध्याय 5 के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिये गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहेगा ; या	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप का प्रस्ताव किया गया है ।

5.	धारा 49 (4)	यदि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन किया जाएगा अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन दिए गए या बनाए गए किसी आदेश, विनियम या निदेश का या उसके अधीन अधिरोपित किसी शर्त का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाएगा तो ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम का दोषी कोई व्यक्ति जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप किए जाने का प्रस्ताव किया गया।
6.	धारा 52क (उपांतिक शीर्षक)	राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक की अर्थदण्ड लगाने की शक्ति.-	राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक की शास्ति लगाने की शक्ति.
7.	धारा 52क(1)	(1) धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 49 में उल्लिखित प्रकृति का कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम ऐसी आवास वित्त संस्था द्वारा किया जाता है जो कंपनी है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, ऐसी संस्था पर—	(1) धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 49 में उल्लिखित प्रकृति का कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम ऐसी आवास वित्त संस्था द्वारा किया जाता है जो कंपनी है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, ऐसी संस्था पर— (क) पच्चीस हजार रुपए से अनधिक

		(क) पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ; या (ख) जहां उल्लंघन या व्यतिक्रम धारा 49 की उपधारा (2क) या उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (कक) के अधीन हो वहां पांच लाख रुपए से अनधिक की या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में, जहां रकम अनुमान्य है, अंतर्वलित रकम के दोगुने की, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहने वाला है वहां प्रथम शास्ति के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक की शास्ति और अधिरोपित कर सकेगा ।	की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ; या (ख) जहां उल्लंघन या व्यतिक्रम धारा 49 की उपधारा (2क) या उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन हो, वहां दस लाख रुपए से अनधिक की या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में, जहां रकम अनुमान्य है, अंतर्वलित रकम के दोगुने की, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहने वाला है वहां प्रथम शास्ति के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, एक लाख रुपए तक की शास्ति और अधिरोपित कर सकेगा ।
8.	नई उप-धाराओं का अन्तःस्थापन	कुछ नहीं	(1क) यदि कोई व्यक्ति या आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है, कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई कथन या सूचना देने, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान का कर्तव्य है कि वह प्रस्तुत करे या दे, में असफल रहती है तो यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या

			रिजर्व बैंक, ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्था पर प्रत्येक उल्लंघन या चूक पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी और जहां ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहती है, वहां प्रत्येक दिन के लिए ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो सात हजार पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा । (1ख) जहां कोई लेखा परीक्षक, धारा 33 के अधीन, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो उस पर दस लाख रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जाएगी । (1ग) यदि (लेखापरीक्षक से भिन्न) कोई व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान, जो कंपनी है, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, अध्याय 5 के किसी उपबंध के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान पर ऐसी शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो दस लाख रुपए से अनधिक या ऐसे उल्लंघन या चूक में अंतर्विष्ट रकम की दोगुनी होगी ;

			जहां रकम मात्रात्मक है, जो भी अधिक हो, का दायी होगा और जहां ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहती है, वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी । (1घ) जहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन किया जाता है या इस अधिनियम की किसी अन्य आवश्यकता के अनुपालन में चूक की जाती है, या इसके अधीन अधिरोपित शर्त या किए गए विनियम या दिए गए निदेश, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति या आवास वित्तीय संस्थान, जो एक कंपनी है, ऐसे उल्लंघन या चूक का दोषी है, तो वह प्रत्येक उल्लंघन या चूक के लिए एक लाख रुपए से अनधिक दायी होगा, यदि यह सतत् प्रकृति की है तो ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या चूक के लिए पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक दायी हो सकेगा ।

9.	धारा 52क(2)	(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, आवास वित्त संस्था पर सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों न की जाए और ऐसी आवास वित्त संस्था को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाएगा ।	इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, व्यक्ति या आवास वित्त संस्था पर सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों न की जाए और ऐसे व्यक्ति या ऐसी आवास वित्त संस्था को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाएगा ।
10.	धारा 52क(3)	(3) इस धारा के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति, उस तारीख से, जिसको राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा धनराशि के संदाय की मांग करते हुए जारी की गई सूचना की आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है, पर तामील की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और आवास वित्त संस्था के, ऐसी अवधि के भीतर उस धनराशि का संदाय करने में, असफल रहने की दशा में, उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश पर जहां आवास	(3) इस धारा के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति, उस तारीख से, जिसको राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा धनराशि के संदाय की मांग करते हुए जारी की गई सूचना की व्यक्ति या आवास वित्त संस्था , जो एक कंपनी है, पर तामील की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्था के, ऐसी अवधि के भीतर उस धनराशि का संदाय करने में, असफल रहने की दशा में, उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश पर जहां ऐसा व्यक्ति सामान्य तौर पर निवास करता हो या आवास वित्त संस्था का

		वित्त संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय स्थित है, शास्ति उद्गृहीत की जा सकेगी : परन्तु प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निदेश इस निमित्त प्राधिकृत राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं।	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय स्थित है, जैसा भी मामला हो, शास्ति उद्गृहीत की जा सकेगी : परन्तु प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निदेश इस निमित्त प्राधिकृत राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं।
11	धारा 52क(4)	(4) उपधारा (3) के अधीन निदेश जारी करने वाला न्यायालय, आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है, द्वारा संदेय धनराशि को विनिर्दिष्ट करने वाला एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा, मानो वह किसी सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो।	(4) उपधारा (3) के अधीन निदेश जारी करने वाला न्यायालय, व्यक्ति या आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है, जैसा भी मामला हो, द्वारा संदेय धनराशि को विनिर्दिष्ट करने वाला एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा, मानो वह किसी सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो।

2.149. मंत्रालय द्वारा निवेदन :

2.149.1. वित्तीय सेवा विभाग ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 49 और धारा 52 क में संशोधन करने और अधिनियम में धारा 33 ग को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में, वित्तीय सेवा विभाग ने बताया है कि अधिनियम की धारा 49 की उप-धाराओं (2), (2 ख), (3) और (4) में वर्तमान में शास्ति का उपबंध है और धारा 52 क राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक को जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान करती है। यह प्रस्ताव धारा 49 की उक्त उप-धाराओं का धारा 49 से लोप कर और उन्हें उपयुक्त रूप से धारा 52 क में अंतर्विष्ट करके संशोधन करना है, जिससे जुर्माना लगाने के उपबंध को राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

शास्ति अधिरोपित करने के उपबंध के साथ बदल दिया जाएगा। धारा 49 के तहत ये अपराध किसी भी बही, लेखा या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफलता, किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने में विफलता आदि से संबंधित कुछ प्रक्रियात्मक चूकों से संबंधित हैं। और इसलिए इन्हें अधिनियम की धारा 52 क के दायरे में लाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में उपलब्ध इसी प्रकार के प्रावधानों की तर्ज पर अधिनियम में धारा 33 ग को भी शामिल करने का प्रस्ताव है, जो लेखा परीक्षकों द्वारा निर्देशों का पालन करने में विफलता के अपराध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के मद्देनजर उन पर रोक लगाए जाने या उन्हें हटाए जाने के अनुवर्ती संशोधन के रूप में है। धारा 49 के अंतर्गत किए गए उपर्युक्त प्रावधानों को लाने के अलावा, अधिनियम की धारा 52 क में अनुवर्ती संशोधन भी शामिल किए गए हैं ताकि राष्ट्रीय आवास बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, ऐसे उल्लंघनों के लिए शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम हो सके।

2.150. समिति की बैठक में चर्चा:

2.150.1. समिति ने 6 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान प्रस्तावित संशोधनों पर गहन विचार-विमर्श किया। समिति द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर कि क्या अधिनियम की धारा 49 (2) में "इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत" अभिव्यक्ति में किसी भी नियम और विनियम के तहत जारी कोई निर्देश या आदेश शामिल हैं। विभाग के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त अभिव्यक्ति केवल राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के संबंध में है। समिति का यह भी विचार था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की जांच की जानी चाहिए कि उसमें कोई ऐसा उपबंध है। समिति ने यह पाया कि शास्ति केवल संविधि के मुख्य उपबंधों से आता है, न कि उसके तहत बनाए गए नियमों से आता है।

2.150.2. जहां तक नई शामिल की गई धारा 33 ग का संबंध है, समिति ने अपनी चिंता व्यक्त की कि क्या केवल रिजर्व बैंक की संतुष्टि के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी निदेश या आदेश को मानने में विफल रहने पर रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में से किसी के लेखा परीक्षक को हटाना या रोक लगाना लेखा परीक्षकों पर शास्ति अधिरोपित करने और आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय है। समिति के विचार में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिए जाने पर इस तरह का उपबंध न्यायिक जांच में खरा नहीं उतरेगा। तदनुसार, प्रस्तावित धारा में "यदि संतुष्ट" शब्दों को उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि लेखा परीक्षकों को नियामक द्वारा सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए ताकि केवल नियामक की संतुष्टि के आधार पर रोक लगाए जाने के बजाय उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।

2.151. समिति द्वारा सुझाव:

2.151.1. विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 25 में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर व्यापक विचार-विमर्श और स्पष्टीकरण के बाद समिति ने प्रस्तावित अधिकांश संशोधनों से सहमति व्यक्त की और खंड-वार विचार के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

- (i) धारा 33 ग : इस धारा के तहत "यदि संतुष्ट" अभिव्यक्ति को "सुनवाई के उचित अवसर" के साथ उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

मोटर यान अधिनियम, 1988**[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रम संख्या 26]****2.152. प्रशासनिक मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

2.153. अधिनियम का उद्देश्य: मोटर यान अधिनियम, 1988 (मोटर यान अधिनियम, 1988) सड़क परिवहन वाहनों के सभी सिद्धांतों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम के उपबंधों के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे कि यातायात कानून, वाहन बीमा, मोटर वाहन पंजीकरण, नियंत्रण परमिट और शास्ति ।

2.154. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रम सं	धारा	मौजूदा उपबंध	लोकसभा में पेश विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 192 क	192 क परमिट के बिना यान का उपयोग ।— (1) जो कोई धारा 66 की उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में अथवा ऐसे परमिट की उस मार्ग संबंधी जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमें या उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकेगा, किसी शर्त के उल्लंघन में यान को चलाएगा, अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए तक के जुर्माने से अथवा दोनों से तथा किसी पश्चात्पूर्ति अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु तीन मास से कम की नहीं होगी, या	192 क परमिट के बिना यान का उपयोग ।— (1) जो कोई धारा 66 की उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में अथवा ऐसे परमिट की उस मार्ग संबंधी जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमें या उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकेगा, किसी शर्त के उल्लंघन में यान को चलाएगा, अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए तक के जुर्माने से, अथवा दोनों से, तथा किसी पश्चात्पूर्ति अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु छह मास से कम की नहीं होगी, या दस हजार रुपए तक के जुर्माने से अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

		जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, किन्तु पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :	
		परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कोई लघुतर दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।	पुरःस्थापित किए जाने के रूप में विधेयक में लोप किये जाने का प्रस्ताव।
2.	धारा 200	200. कतिपय अपराधों का शमन।-- (1) धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184 केवल हैंडहेल्ड डिवाइस के उपयोग के मामले में, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 191, धारा 192, धारा 192क, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा 196 या धारा 198 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किया जा सकेगा :	200. कतिपय अपराधों का शमन।-- (1) धारा 177, धारा 177क, धारा 178 धारा 179 धारा 180 धारा 181 धारा 182, धारा 182क की उप-धारा (1) या उप धारा (3) या उप धारा (4), धारा 182ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2) धारा 184 धारा 186, (धारा 189 धारा 190 की उपधारा (2)]. धारा 191 धारा 192, धारा 192क, धारा 192ख की उप धारा (3) धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा 196 या धारा 198, धारा 201 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व वा पश्चात् किया जा सकेगा ।

3.	नए उपबंध धारा 215 (3) की प्रविष्टि	शून्य	परन्तु केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे राज्य में, जहां राज्य सरकार ने उपधारा (3) के अधीन जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया है, ऐसे जिले के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन कर सकेगी: जिसमें एक चेयरमैन और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें निर्धारित किया जाए।

2.155. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.155.1. जहां तक अधिनियम की समीक्षा के दौरान अपनाए गए मार्गदर्शी मानदंडों का संबंध है, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पृष्ठभूमि टिप्पण में कहा गया है कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से मोटर यान अधिनियम, 1988 के कारावास संबंधी विभिन्न उपबंधों की भी समीक्षा की गई थी। यह पाया गया कि मोटर यान अधिनियम के इन विशेष उपबंधों को बनाए रखना आवश्यक है। विभिन्न अपराधों पर रोक लगाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह उपबंध अनिवार्य हैं। इसके विकल्प के रूप में, मोटर यान अधिनियम की धारा 200 में संशोधन के माध्यम से कुछ उपबंधों को शमनीय बनाया जा रहा है।

2.155.2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने धारा 200 में अंतःस्थापन के लिए निम्नलिखित प्रावधानों को चिह्नित किया है ताकि उन्हें शमनीय बनाया जा सके:

एक. धारा 177क - धारा 118 के तहत विनियमों के उल्लंघन हेतु शास्ति

दो. धारा 192ख की उप-धारा (3) - रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अपराध

तीन. धारा 201 - यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा डालने पर शास्ति

2.155.3. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 192क असंगत है। धारा 192क (1) के तहत पहली बार किए गए अपराध के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना 'और' 6 माह तक का कारावास और इसके पश्चात किए जाने वाले प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना 'और/अथवा' 6 माह से 1 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। पहली बार किए गए अपराध के लिए विहित शास्ति हेतु "और" शब्द को "और/अथवा" शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए उक्त प्रावधान में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन में इस मुद्दे का भी समाधान किया गया है कि यद्यपि मोटर यान अधिनियम की धारा 192क (1) के तहत उल्लिखित अपराध शमनीय अपराध हैं, फिर भी उक्त विसंगति के कारण इन्हें शमनीय घोषित नहीं जा सकता था।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 में सड़क सुरक्षा परिषदों और समितियों का प्रावधान है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा समितियों का गठन न किए जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार को इन समितियों के गठन का अधिकार दिए जाने के उद्देश्य से उक्त उपबंध के उप-खंड 3 में संशोधन किया जा रहा है।

2.156. समिति की बैठक के दौरान चर्चा

2.156.1. चर्चा के दौरान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने समिति को राज्य और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों के गठन के संबंध में सूचना दी। मंत्रालय ने यह सूचित किया कि उपबंध जोड़ कर धारा 215 (3) के तहत केंद्र सरकार को सड़क सुरक्षा परिषदों और समितियों का गठन करने की समवर्ती शक्ति दी जा रही है।

2.156.2. इस संबंध में समिति ने सभा में प्रस्तुत विधेयक में धारा और समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे संशोधनों के विवरण की भाषा में अंतर को रेखांकित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने कहा कि दोनों का अर्थ समान ही है यद्यपि उनकी शब्दावली भिन्न हो सकती है और उन्होंने कहा कि इस विसंगति को ठीक किया जाएगा।

2.157. समिति के सुझाव:

2.157.1. विधेयक की अनुसूची के क्रम सं. 26 में विनिर्दिष्ट मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में विस्तृत चर्चा और स्पष्टीकरण के पश्चात समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ खंडवार विचार के दौरान निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

(एक) धारा 200 के मौजूदा उपांतिक शीर्षक को यथावत रखा जाना चाहिए।

(ख) धारा 215 के तहत अंतःस्थापित करने के लिए प्रस्तावित नए परंतुक का पाठ निम्नानुसार होना चाहिए:

“परंतु उपधारा (3) के तहत केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे राज्य में ऐसे जिले के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन करेगी जहां राज्य सरकार ने जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया है। परंतु यह भी कि केंद्र सरकार जहां जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन करेगी उसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने केंद्र सरकार आवश्यक समझती है और समिति ऐसी निबंधनों और शर्तों पर गठित की जायेगी जो केंद्र सरकार अवधारित करे।”

रेल अधिनियम, 1989**[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम सं. 27]****2.158. प्रशासक मंत्रालय: रेल मंत्रालय**

2.159. **अधिनियम का उद्देश्य:** इस अधिनियम के तहत रेलवे जोन, संकर्मों के संनिर्माण और अनुरक्षण, यात्री और कर्मचारी सेवाओं के संबंध में विस्तृत विधायी प्रावधान किए गए हैं ।

2.160. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रम सं.	धारा	वर्तमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
	144	फेरी लगाने आदि और भीख मांगने पर प्रतिषेध :- (2) यदि कोई व्यक्ति किसी सवारी डिब्बे में या किसी रेल स्टेशन पर भीख मांगेगा तो वह उपधारा (1) में उपबंधित दंड का दायी होगा ।	फेरी लगाने आदि और भीख मांगने पर प्रतिषेध :- (1) यदि कोई व्यक्ति रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त अनुदत्त अनुज्ञप्ति में दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन या अनुसार के सिवाय, रेल के किसी सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर किसी ग्राहकी के लिए संयाचना करेगा या किसी भी प्रकार की किसी वस्तु के विक्रय के लिए फेरी लगाएगा या उसे प्रदर्शित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

		परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड एक हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा । (2) किसी भी व्यक्ति को रेल के किसी सवारी डिब्बे में या रेलवे के किसी भाग पर भीख मांगना अनुज्ञात नहीं होगा । (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे ऐसा रेल सेवक अपनी सहायता के लिए बुलाए, यथास्थिति, रेल के किसी सवारी डिब्बे या रेल के किसी भाग या रेल स्टेशन से हटाया जा सकेगा ।

2.161. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.161.1. रेल मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में यह बताया है कि मंत्रालय का आशय धारा 144(2) में संशोधन करना है जो फेरी लगाने आदि और भीख मांगने पर प्रतिषेध से संबंधित है । रेल अधिनियम की धारा 144 (2) के तहत भीख मांगना एक दंडनीय अपराध है जिसके अंतर्गत भीख मांगने वाला व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा, परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड एक हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा । यह गरीब और निराश्रित होने के कारण दंड का पात्र होने के समान है । इसलिए, मंत्रालय धारा 144 (2) में संशोधन करके भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से हटाने पर विचार कर रहा है ।

2.161.2. उपर्युक्त दंड संबंधी उपबंधों का उपयोग किए जाने के मामलों की संख्या के संबंध में मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में निम्नलिखित आंकड़े प्रदान किए हैं:

- (1) वर्ष 2022 (नवंबर 2022 तक) के दौरान रेल अधिनियम की धारा 144 (2) के तहत 16391 ऐसे मामले दर्ज हैं जिन्हें अपराध की श्रेणी से हटाए जाने का प्रस्ताव है ।

- (2) रेल अधिनियम की धारा 144 (2) के अतिरिक्त समय समय पर यथा संशोधित "रेल अधिनियम, 1989" और "रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966" के तहत रेल संबंधी विभिन्न अपराधों के संबंध में दंड के अनेक अन्य उपबंध हैं जिन्हें समय-समय पर लागू किया जाता है।
- (3) "रेल अधिनियम, 1989" और "रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966" के तहत ऐसा कोई प्रावधान (शून्य "0") नहीं है जिसे कभी लागू ना किया गया हो।
- (4) इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों के सटीक आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	अधिनियम	दर्ज किए गए मामलों की संख्या अवधि	
		2021	2022 (अक्टूबर तक)
1.	रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966	4,647	5,038
2.	रेल अधिनियम, 1989	4,19,5.16	5,88,720
कुल		4,24,163	5,93,758

2.161.3. समय-समय पर यथासंशोधित "रेल अधिनियम, 1989" और "रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966" के तहत दंड संबंधी अन्य प्रावधान हैं जो अपराधों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक हैं।

2.162. समिति की बैठक के दौरान चर्चा:

2.162.1. 07.02.2023 को आयोजित समिति की बैठक के दौरान, समिति ने पूछा कि क्या मंत्रालय ने धारा 137 से 182 के तहत छोटे मोटे अपराधों से संबंधित अधिनियम के अन्य प्रावधानों की जांच की है जिन्हें अपराध की श्रेणी से हटाया जा सकता है। इस संबंध में समिति ने कपटपूर्वक यात्रा करने या बिना टिकट यात्रा करने या बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा करने जैसे छोटे अपराधों के लिए कारावास के दंड के औचित्य पर विचार किया है। समिति ने इस संबंध में यह सुझाव दिया कि ऐसे अपराधों में कारावास का दंड देने के बजाए जुर्माना लगाया जा सकता है जो ऐसे

अपराधों को रोकने में अधिक प्रभावी सिद्ध होगा । रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों ने समिति को निम्नलिखित जानकारी दी:

“सर, वह चीज छोटी लग सकती है । लेकिन यह ट्रेन और यात्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है ।.....सर, इसको तो हम लोगों ने रिव्यू के लिए दिया है । बाकी जो हैं, उसमें तीन मेजर कैटेगरीज़ ऑफेंसेज़ के हैं, जिसमें पैसेंजर की सेफ्टी, ट्रेन की सेफ्टी है । यदि आपने इन अपराधों पर रोक नहीं लगाई तो बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है । पटरियों और अन्य स्थानों विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवेश करना । ये ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। इसके तहत यह सभी मुद्दे शामिल हैं । किस तरह का खाना सर्व हो रहा है, उस तरह की चीजें भी हैं ।”

2.162.2. समिति ने बार-बार अपराध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने से संबंधित प्रावधानों के बारे में भी पूछा जिसके संबंध में प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित जानकारी दी :

“सर, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हजार रुपये भी फाइन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं । मैंने खुद भी हजारों बार टिकट चेकिंग की है । कई लोग कहते हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं । हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है । हम उनको कुछ घंटे के लिए रख लेते हैं, उसके बाद फाइनली शाम तक हम उनको छोड़ ही देते हैं । कुछ तो डिटरेंट करना ही पड़ेगा, वरना हम फिर टिकट भी न लें । कुछ तो डिटर करना पड़ेगा ।”

2.163. समिति के सुझाव:

2.163.1. रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के पश्चात समिति ने विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 27 में विनिर्दिष्ट रेल अधिनियम, 1989 में प्रस्तावित संशोधनों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की । तथापि, समिति ने निदेश दिया कि रेल मंत्रालय अधिनियम का पुनः अध्ययन करे और अधिनियम के अन्य उपबंधों का पता लगाए जिन्हें अपराध की श्रेणी से हटाया जा सकता है । समिति ने खंड-वार विचार करने के दौरान अधिनियम पर विचार करने का निर्णय लिया ।

सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम , 1991

[जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक , 2022 की क्रम संख्या 28]

2.164 प्रशासनिक मंत्रालय : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

2.165 अधिनियम का उद्देश्य :

सार्वजनिक देयता बीमा (पीएलआई) अधिनियम, 1991 को खतरनाक पदार्थों की हैंडिलिंग के दौरान संभावित दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था । खतरनाक पदार्थों की हैंडिलिंग पर नियंत्रण रखने वाले स्वामी को अधिनियम के तहत एक बीमा पॉलिसी लेना और अधिनियम के तहत स्थापित पर्यावरण राहत कोष को समान राशि का भुगतान करना आवश्यक है ।

2.166 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा संख्या	वर्तमान उपबंध	लोक सभा में पुरः स्थापित विधेयक द्वारा उपबंधों में किए गए संशोधन
1.	धारा 2 परिभाषायें विधेयक में नई परिभाषायें प्रस्तावित की गयी हैं) खंड (जक) को (जख) किया जाएगा और (जक) के रूप में एक नया खंड अंतः स्थापित किया जाएगा और	कोई नहीं ।	(जक) “संपत्ति” में किसी भी इकाई या उपक्रम द्वारा खतरनाक पदार्थ का निर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, रूपांतरण, हस्तांतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण प्रभावित या क्षतिग्रस्त कोई निजी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति शामिल है; (ट) इस अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां, लेकिन संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29)

	खंड (झ) के पश्चात खंड (ट) अन्तः स्थापित किया जाएगा		में परिभाषित अर्थ क्रमशः उस अधिनियम में उन्हें सौंपे गए अर्थ होंगे ।
2.	धारा 3 : कतिपय मामलों में दोष न होने के सिद्धान्त पर राहत देने का दायित्व ।	(1) जहां किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप (कामगार से भिन्न) किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे क्षति पहुंचती है या संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है वहां स्वामी ऐसी राहत देने के दायित्वाधीन होगा जो अनुसूची में ऐसी मृत्यु, क्षति या नुकसान के लिए विनिर्दिष्ट है ।	(1) जहां किसी व्यक्ति (कामगार के अलावा) की मृत्यु या चोट या किसी संपत्ति को किसी दुर्घटना के कारण क्षति हुई है, तो मालिक ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा, या ऐसी अन्य राहत प्रदान करेगा जो निम्न के लिए निर्धारित की जाए - (क) घातक दुर्घटना के कारण मृत्यु; (ख) कुल या आंशिक विकलांगता के कारण किए गए चिकित्सा व्यय; (ग) आंशिक विकलांगता के कारण मजदूरी की हानि; (घ) अन्य चोट या बीमारी; (ङ) निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना; अथवा (च) ऐसी अन्य हानि या क्षति , जो निर्धारित की जाए ।
3.	धारा- 4 बीमा पालिसियां लेने के लिए मालिक का कर्तव्य।	(1) प्रत्येक स्वामी किसी परिसंकटमय पदार्थ का हथालना प्रारम्भ करने के पूर्व एक या अधिक बीमा पालिसियां लेगा जिसमें या जिनमें ऐसी बीमा की संविदाओं के लिए उपबन्ध होगा जिसके द्वारा वह धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राहत देने के दायित्व की बाबत बीमाकृत है:	(1) किसी भी उपक्रम का प्रत्येक मालिक किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालना शुरू करने से पहले, ऐसे उपक्रम या इकाई के लिए एक या एक से अधिक बीमा पॉलिसियां लेगा, जिसमें बीमा के अनुबंध प्रदान किए गए हैं, जिसके तहत वह ऐसी राहत देने या धारा 3 की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति

	परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी परिसंकटमय पदार्थ के हथालने वाला कोई स्वामी ऐसी बीमा पालिसी या पालिसियां यथाशीघ्र लेगा और किसी भी दशा में ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर लेगा । (2क) किसी स्वामी द्वारा ली गई या नवीकृत कराई गई कोई भी बीमा पालिसी किसी परिसंकटमय पदार्थ को हथालने वाले और उस स्वामी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम की समादत्त पूंजी की रकम से कम रकम की नहीं होगी और पचास करोड़ रुपए से अनधिक ऐसी रकम से, जो विहित की जाए, अधिक की नहीं होगी ।	करने के दायित्व के संदर्भ में बीमाकृत है । व्याख्या:- इस उप - धारा के प्रयोजनों के लिए, यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित के तहत संचालित करने के लिए अलग से सहमति रखने वाला कोई उपक्रम एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा : (एक) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6); और (दो) वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14); परन्तु जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से तत्काल पूर्व किसी खतरनाक पदार्थ के रखरखाव को करने वाले कोई स्वामी यथासंभव शीघ्र तथा उस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर ऐसी बीमा पॉलिसी या पॉलिसियां लेगा । ” (2 क) किसी उपक्रम या इकाई के लिए किसी मालिक द्वारा ली गई या नवीनीकृत की गई बीमा पॉलिसी ऐसी राशि के लिए होगी जो उस मालिक के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी

		(स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “समादत्त पूंजी” से, किसी स्वामी की दशा में, जो कंपनी नहीं है, बीमा की संविदा की तारीख को उपक्रम की सभी आस्तियों और स्टाकों का बाजार मूल्य अभिप्रेत है ।)	खतरनाक पदार्थ को संभालने वाली उपक्रम या इकाई की चुकता पूंजी की राशि से कम नहीं होगी और ऐसी राशि उस सीमा तक तक बढ़ाई जा सकती है जो निर्धारित की जा सकती है लेकिन पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी । <i>स्पष्टीकरण</i> - इस उप - धारा के प्रयोजनों के लिए, एक मालिक के कंपनी नहीं होने के संबंध में , “समादत्त पूंजी”, से बीमा के अनुबंध की तारीख को उपक्रम की सभी आस्तियों और स्टाकों का बाजार मूल्य अभिप्रेत है ।
4.	धारा 6 : राहत के दावे हेतु आवेदन :- उप- धारा 1 में नई उप-धारा (1क) की अंतःस्थापना	कुछ नहीं	(1क) जहां ऐसे खतरनाक पदार्थ के निर्माण, प्रसंस्करण, शोधन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, रूपांतरण, हस्तांतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को कोई नुकसान हुआ है, संपत्ति की बहाली के लिए दावा करने के लिए संपत्ति के मालिक या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जैसा कि निर्धारित किया जाए, कलेक्टर को आवेदन किया जा सकता है।
5.	वर्तमान धारा 7 में, नई उप-धारा (9) की अंतःस्थापना	कुछ नहीं	(9) जहां ऐसे खतरनाक पदार्थ के निर्माण, प्रसंस्करण, शोधन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, रूपांतरण, हस्तांतरण या

			ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण पर्यावरण प्रभावित या क्षतिग्रस्त होता है, केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए आवेदन पर, जैसा भी मामला हो, इस तरह से हुई क्षति की बहाली के लिए यथानिर्धारित तरीके से निधि आवंटित कर सकती है ।
6.	धारा 7क में नई उप-धारा (1क) की अंतःस्थापना	कुछ नहीं	(1क) उप - धारा (1) के तहत स्थापित राहत कोष में जमा किया जाएगा (क) धारा 4 की उपधारा (2ग) में उल्लिखित राशि ; (ख) इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना, (ग) निधि से किए गए निवेशों से प्राप्त ब्याज या अन्य आय ; और (घ) ऐसे खोतों से कोई अन्य राशि, जैसा कि निर्धारित किया जाए
7.	धारा 14 उल्लंघन करने के लिए शास्ति	जो कोई धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा या धारा 12 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष और छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो छह वर्ष तक	(1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) के किन्हीं उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करता है, तो वह बीमा पॉलिसी के वार्षिक प्रीमियम की रकम के बराबर शास्ति संदेय करने का दायी होगा और जिसे ऐसे प्रीमियम की रकम के दुगुने तक बढ़ाया जा सकेगा ।

		की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा। जो कोई, जिसे उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराया गया है, द्वितीय अपराध के लिए या द्वितीय अपराध के पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 (1974 का 2) या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो।	(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन लगातार हुआ हो, ऐसे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, जो प्रत्येक माह या उस अवधि के दौरान जिसमें उल्लंघन लगातार हुआ हो, के लिए संदाय की गई प्रीमियम की रकम से अधिक नहीं होगी। "
8.	धारा 15	यदि कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी किए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए	15. निदेश का अनुपालन न किए जाने के लिए शास्ति- (1) जहां कोई व्यक्ति धारा 12 के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन नहीं करता है, वह ऐसी शास्ति के लिए

		आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा या धारा 10 के अधीन या धारा 11 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा, तो वह कारावास, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुमाने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।	दायी होगा जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी किन्तु जिसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। (2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन लगातार अननुपालन करता है, वह न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा, वह अननुपालन जारी रखने की अवधि के दौरान प्रतिदिन दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा। (3) जहां कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करता है या धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और जिसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है । (4) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अननुपालन जारी रखता है, वह अननुपालन जारी रखने की अवधि के दौरान प्रतिदिन दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
9.	नई धारा 15 क का अंतःस्थापन	कुछ नहीं	15 क. न्यायनिर्णयन अधिकारी, – (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 14 और

		धारा 15 के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को या भारत सरकार के निदेशक के पद से नीचे की पंक्ति के अधिकारी को या राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के अधिकारी को न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच कर सकता है और शास्ति अधिरोपित कर सकता है : परंतु केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार कई न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त कर सकती है । (2) न्यायनिर्णयन अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, के लिए समन भेज सकता है और उपस्थिति को प्रवृत्त कर सकता है, और ऐसी जांच पर यदि वह संतुष्ट हो कि संबंधित व्यक्ति, धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) और धारा 12 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह धारा 14

			और धारा 15 के उपबंधों के अनुसार, जो वह ठीक समझे ऐसी शास्ति को अधिरोपित कर सकता है : परंतु कोई ऐसी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।
10.	नई धारा 15 ख का अंतःस्थापन		15ख. अपील – (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 14 या धारा 15 के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित किए गए राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिनों के भीतर फाइल की जाएगी, जिस दिन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है । (3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे, उस आदेश की पुष्टि कर सकेगा, संशोधन कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है । (4) जहां उपधारा (1) के अधीन

			न्यायनिर्णयन अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है ऐसी अपील पर अधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने अधिकरण को न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम का दस प्रतिशत निक्षेपित नहीं किया है ।
11.	धारा 16. कंपनियों द्वारा अपराध	जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कायर्वाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे : परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।	पुरःस्थापित रूप में, विधेयक में लोप किए जाने का प्रस्ताव

		2.अन्य किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी लापरवाही के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कायर्वाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। <i>स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, -</i> (क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फ़र्म या व्यष्टियों का अन्य संगम शामिल है ; (ख) किसी फ़र्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फ़र्म का भागीदार अभिप्रेत है।	
11.	धारा 17. सरकारी विभागों द्वारा अपराध	जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और	17. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन हेतु शास्ति - (1) जहां केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इस

		तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा : परन्तु इस धारा की कोई बात किसी विभागाध्यक्ष को दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।	अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, तो विभागाध्यक्ष एक माह के उसके मूल वेतन के समतुल्य के बराबर शास्ति संदाय करने का दायी होगा। परन्तु यह कि वह ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की किसी असावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा अधिकारी उसके एक माह के मूल वेतन के समतुल्य शास्ति के संदाय का दायी होगा। परन्तु यह कि वह उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।
12.	नई धाराओं का अन्तःस्थापन	कोई नहीं	17क. पर्यावरण राहत कोष जमा की जाने वाली शास्ति की रकम:- जहां धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के अधीन कोई शास्ति या

			अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जाती है वहां ऐसी शास्ति की रकम धारा 7क के अधीन स्थापित पर्यावरण राहत कोष में जमा की जाएगी। 17ख. शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने में असफलता के लिए अपराध- (1) जहां कोई भी व्यक्ति - क. धारा 14 या 17 के अधीन यथास्थिति उल्लंघन या निरंतर उल्लंघन करने; अथवा ख. धारा 15 के अधीन जारी किए गए निदेशों का पालन न करने के लिए अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का संदाय ऐसे अधिरोपण की तारीख से 90 दिनों के भीतर करने में असफल रहता है वहां वह कारावास, जो तीन वर्ष तक हो सके या ऐसे जुर्माने जिसे पंद्रह लाख रुपये तक हो सके या दोनों का दायी होगा। (2) जहां किसी कंपनी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किया गया हो, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय, कंपनी के कारबार के संचालन के लिए सीधे तौर पर कारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार

		अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए और दंडित किए जाने का दायी होगा: परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दंड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। (3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या वह किसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार है, तो वहां ऐसे निदेशक प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा। <i>स्पष्टीकरण.</i>—इस धारा के प्रयोजनों हेतु,— (क) "कंपनी" से कोई निगमित

			निकाय, फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम अभिप्रेत है; (ख) एक फर्म के संबंध में "निदेशक", से एक भागीदार अभिप्रेत है।
13.	धारा 23. नियम बनाने की शक्ति	(क) अधिकतम रकम जिसके लिए किसी स्वामी द्वारा धारा 4 की उप-धारा (2 क) के अधीन बीमा पॉलिसी ली जा सकती है;	(क) धारा 4 की उप-धारा (2क) के अधीन ऐसी राशि;
14	धारा 23 में खंड (ड) के बाद नए खंडों का अन्तःस्थापन		(डक) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन रकम या राहत और कोई अन्य नुकसान या क्षति; (डख) धारा 6 की उप-धारा (1 क) के अधीन ऐसा अन्य व्यक्ति; (डग) धारा 7 की उप-धारा (9) के अधीन क्षति को ठीक करने के लिए निधि के आवंटन की रीति; (डघ) धारा 7क की उपधारा (1क) के खण्ड (घ) के अधीन अन्य स्रोतों से कोई अन्य रकम; (डड) धारा 15क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने का तरीका;
13.	अनुसूची	अनुसूची [धारा 3(1) देखिए] (i) प्रत्येक मामले में 12,500 रुपए की अधिकतम राशि तक उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति । (ii) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पर	यथा पुरः स्थापित विधेयक में लोप किए जाने का प्रस्ताव

		उपगत 12,500 रुपए की अधिकतम राशि तक चिकित्सा व्यय की, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, प्राणांतक दुर्घटनाओं के लिए राहत राशि 25,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति होगी। (iii) पूर्ण स्थायी या आंशिक स्थायी निःशक्तता या अन्य क्षति या बीमारी के लिए राहत राशि (क) प्रत्येक मामले में 12,500 रुपए की अधिकतम राशि तक उपगत चिकित्सा व्यय की, यदि कोई है, प्रतिपूर्ति; और (ख) किसी प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा यथाप्रमाणित निःशक्तता की प्रतिशतता के आधार पर नकदी राहत, होगी। पूर्ण स्थायी निःशक्तता के लिए राहत राशि, 25,000 रुपए होगी। (iv) आंशिक अस्थायी निःशक्तता के कारण, जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के उपार्जन सामर्थ्य में कमी हो जाए, मजदूरी की हानि के लिए, अधिकतम 3 मास तक 1,000 रुपए प्रतिमास से अनधिक नियत मासिक राहत राशि होगी : परन्तु यह तब जब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को 3 दिन से अधिक अवधि तक अस्पताल में रखा गया हो और उसकी आयु	

		16 वर्ष से अधिक हो । (v) प्राइवेट संपत्ति की किसी नुकसानी के लिए, वास्तविक नुकसानी के आधार पर 6,000 रुपए तक ।	

2.167. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.167.1. मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार, लोक दायित्व बीमा अधिनियम में उद्योगों की कुछ श्रेणियों के लिए अनिवार्य बीमा पॉलिसी और किसी भी दुर्घटना के मामले में उद्योग के आसपास रहने वाली गैर-कामकाजी आबादी के लिए मुआवजे का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा, पर्यावरण राहत कोष नामक एक कोष स्थापित किया है। उद्योगों द्वारा प्रीमियम के रूप में समान अंशदान के माध्यम से एक पर्यावरण राहत कोष बनाया गया था। प्रभावित व्यक्ति द्वारा मृत्यु, रोजगार की हानि, चोट आदि जैसे नुकसान के आधार पर जिलाधिकारी राहत के लिए आवेदन को किया जाएगा। अभी तक संचित की गई निधि लगभग 1000 करोड़ रुपये की है, हालांकि, आज तक इस अधिनियम के अधीन राहत का कोई दावा नहीं किया गया है और इसलिए इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि डेढ़ वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन यह अवधि छह वर्ष तक बढ़ सकती है, या इसके अतिरिक्त जुर्माना, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों से दंडनीय होगा। इस तरह के उल्लंघन को पुनः करने के मामले में कारावास से, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी, दंडनीय होगा इस अवधि को सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसके अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा। यदि कोई स्वामी जारी किए गए निदेशों का पालन करने में विफल रहता है या अनुपालन नहीं करता है तो वह तीन महीने तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

2.167.2 प्रस्तावित संशोधन के पीछे तर्काधार के संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि

1. प्रस्तावित संशोधन इस तथ्य के कारण राष्ट्र की पर्याप्त प्रगति में मदद करेगा कि भारत को अब दुनिया में एक उभरती हुई और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है।
2. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अधीन दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त करने से कारावास का डर कम हो जाएगा तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के प्रावधानों या उक्त अधिनियम के अधीन जारी नियमों या निदेशों के किसी भी अननुपालन या उल्लंघन करने के मामले में, उल्लंघनकर्ता को आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा तथा कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा।

3. प्रस्तावित संशोधन खतरनाक रसायनों का काम करने वाले उद्योगों के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान करेगा।

4. साथ ही किसी भी दुर्घटना से प्रभावित जनता को प्रस्तावित संशोधनों द्वारा त्वरित एवं उचित मुआवजा प्रदान किया जायेगा। राहत की राशि को किए गए नुकसान की मात्रा और मुद्रास्फीति के अनुरूप बनाने की मांग की गई है।

5. पॉलिसी के प्रीमियम की मात्रा को मुद्रास्फीति सूचकांक को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाएगा। संशोधन अधिनियम के दायरे को भी बढ़ायेंगे और सार्वजनिक संपत्ति और पर्यावरण की बहाली के लिए ईआरएफ से धन के आवंटन का प्रावधान करेंगे।

6. मुआवजे की मात्रा वाली अनुसूची को अधिनियम से हटा दिया गया है और संशोधन में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए इसे नियमों में अधिसूचित किया जाएगा।

7. परिणामस्वरूप, प्रस्तावित संशोधन, जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है, एक ओर उल्लंघन करने वालों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा और दूसरी ओर गंभीर उल्लंघनकर्ताओं के लिए स्व-नियमन की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा।

2.167.3 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने एमओईएफएंडसीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से और अखिल भारतीय स्तर पर 82 समाचार पत्रों में अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) और सार्वजनिक परामर्श (पीसी) किया है। पीसी से कुल 17 टिप्पणियाँ/सुझाव प्राप्त हुए थे और आईएमसी से 6 टिप्पणियाँ प्राप्त हुई थीं, जिनकी विधिवत जांच की गई और प्रस्तावित विधेयक में, जैसा उचित समझा गया, शामिल किया गया।

2.167.4 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं बताते हुए मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया:

1. लोक दायित्व बीमा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर मुकदमा नहीं चलेगा। केवल शास्ति / अतिरिक्त शास्ति का भुगतान न करने पर आपराधिक दायित्व होगा।

2. प्रावधानों का उल्लंघन करने और अनुपालन न करने पर कारावास के स्थान पर भारी शास्ति का प्रावधान किया जाएगा।

3. शास्ति और मुआवजे की राशि देने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी के लिए प्रावधान किए जाएंगे।

4. पर्यावरण राहत कोष के उपयोग से सार्वजनिक संपत्ति और पर्यावरणीय क्षति की बहाली के संबंध में प्रावधानों को शामिल किया जाएगा।

5. मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार बीमा पॉलिसी की सीमा की राशि में काफी वृद्धि की गई है।

6. प्रस्तावित संशोधन में राहत की मात्रा वाली अनुसूची को हटाना और भविष्य में मुद्रास्फीति के अनुसार राहत की राशि के संशोधन में आसानी के लिए इसे लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 में स्थानांतरित करना शामिल है।

7. शास्ति लगाए जाने के विरुद्ध शिकायत के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में अपील करने का प्रावधान किया गया है।

2.167.5 मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित रूप से लाभकारी होंगे:

1. प्रस्तावित संशोधन स्व-नियमन को प्रोत्साहित करेगा और विश्वास आधारित शासन का माहौल बनाएगा।
2. प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से, चूककर्ताओं से निपटने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी की अवधारणा का प्रस्ताव किया गया है। ऐसा करने से प्रस्तावित विधेयक दांडिक न्याय प्रणाली पर दबाव को कम करने में सहायता करेगा।
3. शास्ति की बढ़ी हुई राशि कानून का पालन करने वाले उद्यमियों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेगी तथा यह कानूनों का बेहतर अनुपालन भी सुनिश्चित करने के साथ-साथ संचालन में बेहतर कॉर्पोरेट प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा भी देगी।
4. छोटी-मोटी चूकों पर कारावास का भय समाप्त होगा। यह सुधार भारत में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और 'ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं के बारे में बड़े पैमाने पर कानून का पालन करने वाले उद्यमियों और निगमों को एक स्पष्ट संदेश देगा।
5. मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार बीमा पोलिसी की राशि की सीमा में काफी वृद्धि की गई है।
6. भविष्य में मुद्रास्फीति के अनुसार राहत की राशि के संशोधन को आसान बनाने के लिए राहत की मात्रा वाली अनुसूची को हटाना और इसे पीएलआई नियम, 1991 में अंतरित करना।
7. शास्ति लगाए जाने के विरुद्ध शिकायत के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील का प्रावधान किया गया है।

2.168. समिति की बैठक में की गई चर्चा:

2.168.1. 17 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, समिति ने यह जानना चाहा कि किसी भी उद्योग द्वारा पर्यावरण क्षति के लिए बीमा प्रीमियम और मुआवजे का भुगतान का निर्धारण कैसे किया जाएगा। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि इसे नियमों में विहित किया जाएगा। समिति ने आगे यह भी पूछा कि मंत्रालय मुआवजे को नियमों द्वारा निर्धारित करने के लिए धारा 3 में संशोधन क्यों

करना चाहता है, जबकि पहले यह अनुसूची में निर्दिष्ट है। मंत्रालय ने बताया कि मुआवजे की आवधिक समीक्षा को आसान बनाने के लिए इसका प्रस्ताव किया गया है।

2.169. समिति द्वारा दिए गए सुझाव:

2.169.1. विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 28 में विनिर्दिष्ट लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में प्रस्तावित संशोधन से सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की और जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 के खंड-वार विचार के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो किसी अन्य उपान्तर पर विचार करने का निर्णय लिया।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 29]

2.170. प्रशासनिक मंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय

2.171. अधिनियम का उद्देश्य: केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (सीटीएन अधिनियम) भारत में केबल नेटवर्क के विनियमन के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम ने केबल ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया और केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री को विनियमित करने के लिए प्रावधान निर्धारित किए। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और हमारे राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल राष्ट्र-विरोधी प्रसारणों के प्रसारण पर रोक लगाता है। सीटीएन अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए, धारा 16 में पहली बार उल्लंघन करने के लिए कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी और उसके उपरांत प्रत्येक उल्लंघन के लिए कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 17 कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम द्वारा किए गए अपराधों के मामले में जिम्मेदार पदों पर बैठे प्रमुख व्यक्तियों पर जवाबदेही निश्चित करती है। अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप से किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

2.172. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धाराएं	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
1.	धारा 16	“इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड - [[1]] जो कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करेगा वह, (क) प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार	16. इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड - (1) जो कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करेगा वह,- (क) प्रथम अपराध के लिए, एडवाइजरी, या निंदा, या चेतावनी,

	रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से; (ख) प्रत्येक पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक हो सकेगा , दण्डनीय होगा। [(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 4 का उल्लंघन इस धारा के अधीन संज्ञेय अपराध होगा.]”	या शास्ति जो बीस हजार रूपये तक हो सके, या दोनों से; (ख) प्रत्येक पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए, एडवाइजरी, या निंदा, या चेतावनी, या शास्ति जो एक लाख रूपये तक हो सकेगी, या दोनों; (ग) इसके बाद यथाविहित अभिहित अधिकारी द्वारा किसी भी उल्लंघन के लिए, ऐसी अवधि के लिए दिए गए पंजीकरण को रद्द करके। (2) अभिहित अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के लिए, आदेश द्वारा, उप-धारा (1) में उल्लिखित शास्ति अधिरोपित कर सकता है: परन्तु यह कि ऐसी कोई शास्ति सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं लगाई जाएगी। (3) उपधारा (2) के अधीन आदेश द्वारा अधिरोपित किसी भी शास्ति से व्यथित कोई भी व्यक्ति, सचिव, भारत सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के पास अपील कर सकेगा: परन्तु यह कि ऐसी कोई अपील शास्ति लगाए जाने के तीस दिनों के बाद स्वीकार्य नहीं होगी।

			परन्तु यह भी कि तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी अपील पर विचार किया जा सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से समय पर अपील करने से रोका गया था।
2.	धारा 17	परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।	यथा पुरः स्थापित विधेयक में लोप किए जाने का प्रस्ताव

		स्पष्टीकरण -इस धारा के प्रयोजनों के लिए,- (क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और (ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।	
3.	धारा 18	अपराधों का संज्ञान -कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, [किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा] लिखित रूप में किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित
4.	धारा 22 में खंड (घ क) के पश्चात् खंड (घख) का अंतःस्थापन)		(घख) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अवधि और नामित अधिकारी।

2.173. मंत्रालय द्वारा निवेदन

2.173.1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी पृष्ठभूमि टिप्पण में बताया कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन अपराधों और शास्तियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का उद्देश्य अधिनियम को व्यापार अनुकूल बनाना और इस क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देना है। अधिनियम की धारा 16 के अधीन विहित शास्ति की पुनः जांच की गई और यह देखा गया कि धारा के अधीन विहित कारावास संबंधी उपबंध उन अपराधों के लिए कठोर हैं जो ज्यादातर तकनीकी उल्लंघन की प्रकृति के हैं। प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन और भारत की संप्रभुता अथवा अखंडता और सुरक्षा आदि के प्रतिकूल कार्यवाही जैसे गंभीर अपराध पहले से ही प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम और अन्य दण्ड विधि में पहले से शामिल किए गए हैं।

2.173.2. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को सरकार की व्यापार सुगमता के अनुरूप बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने धारा 16 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिसके फलस्वरूप अधिनियम की धारा 17 और 18 अनावश्यक हो गई हैं और इस प्रकार, इन धाराओं को हटाने का प्रस्ताव किया गया है।

2.173.3. अधिनियम में प्रस्तावित शास्तियों के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

(i) प्रथम अपराध के लिए, यह प्रस्तावित किया गया कि कारावास को सलाह, या परिनिंदा, या चेतावनी, या शास्ति में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा अधिकतम शास्ति को एक हजार रुपये से बढ़ाकर बीस हजार रुपये कर दिया गया है। अभिहित अधिकारी उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर, दोनों में से कोई या दोनों से दण्डनीय होगा।

(i) प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि कारावास को सलाह, या परिनिंदा, या चेतावनी या जुर्माने में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा, पश्चातवर्ती अपराध के लिए अधिकतम शास्ति पांच हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गयी है। अभिहित अधिकारी उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर दोनों में से कोई या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ii) इसके पश्चात् किसी भी उल्लंघन के लिए, ऐसी अवधि के लिए दिए गए पंजीकरण को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया है जो अभिहित अधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा और जो बनाए जाने वाले नियमों के अध्याधीन होगा।

2.174. समिति की बैठक में चर्चा:

2.174.1. 09.02.2023 को विधेयक पर ब्रीफिंग के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष बताया कि मंत्रालय विभिन्न उपबंधों में संशोधन करना चाहती है जो इस प्रकार हैं:

"महोदय, केबल टेलीविजन नेटवर्क मूल्यांकन अधिनियम, 1995 भारत में केबल क्षेत्र को विनियमित करता है और अधिनियम में केबल नेटवर्क ऑपरेटरों पर द्वारा कुछ दायित्व दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, पंजीकरण करने का दायित्व है; उनके द्वारा भेजे गए सिग्नल के एन्क्रिप्शन की एक प्रक्रिया है; और फिर प्रोग्राम कोड, विज्ञापन कोड का अनुपालन करना होता है। चैनलों का प्रसारण अनिवार्य है। इस तरह, केबल नेटवर्क ऑपरेटरों पर कई दायित्व डाले गए हैं। हम यहां केवल धारा 16, 17 और 18 के बारे में चिंतित हैं।

धारा 16 अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में है। इसलिए, मौजूदा अधिनियम में दिए गए दायित्व का अनुपालन न करने पर कतिपय दण्ड का प्रावधान है। इसलिए, उपबंध मूल रूप से कारावास और जुर्माने पर हैं: प्रथम अपराध के लिए कारावास और जुर्माना है; और दूसरी बार

अपराध के लिए भी कारावास और जुर्माना है। इसलिए, हम इन दो उपबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर रहे हैं। इसलिए कारावास के उपबंधों को हटाया जा रहा है।

मैं आपको मौजूदा और नए उपबंधों के बारे में बताऊंगा। फिर, धारा 17 और 18 पारिणामिक प्रकृति के हैं क्योंकि यदि अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए प्रमुख व्यक्ति जिम्मेदार हैं। इसलिए, कंपनी में प्रमुख व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। चूंकि अब कारावास का कोई उपबंध नहीं है, इसलिए नए उपबंध में कंपनी के प्रमुख व्यक्तियों पर जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता नहीं है, अतः, हम धारा 17 और 18 को हटाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। धारा 22 में एक परिणामी संशोधन भी है जहां हम परिभाषित कर रहे हैं कि कानून द्वारा निर्धारित अभिहित अधिकारी कौन है। हम उस उपबंध का उपयोग कर रहे हैं और हम इसे धारा 22 में अंतःस्थापित कर रहे हैं।"

2.174.2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि मंत्रालय ने धारा 16 के अधीन एडवाइज़री या परिनिंदा या चेतावनी या जुर्माना शामिल करने का प्रस्ताव किया है। शास्ति 20,000 रुपये तक या दोनों हो सकेंगी। पहले दो साल के कारावास या जुर्माने का दंड था। भाग (ख) के लिए पश्चात्कर्ती अपराध के लिए 'एक अवधि के लिए कारावास' को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर एडवाइज़री या परिनिंदा अथवा चेतावनी अथवा शास्ति का उपबंध किया गया है जिसे 10,000/- रुपये अथवा दोनों बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। धारा 16 से पांच साल की कैद या 5000 रुपये का जुर्माना हटा दिया गया है। इसके बाद किए गए उल्लंघन के लिए, अभिहित अधिकारियों द्वारा ऐसी अवधि के लिए दिए गए पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान किया गया है, ताकि धारा को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जा सके।

2.174.3. इस संबंध में समिति ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या पंजीकरण रद्द करने के मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह धारा 16 (2) के अधीन है। समिति ने पाया कि इसका उद्देश्य केवल शास्ति लगना है और इसमें पंजीकरण रद्द करने का उपबंध नहीं है। समिति ने कहा कि प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक क्षमता में काम करते हुए, पंजीकरण रद्द करने के आदेश जारी करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने की आवश्यकता है।

2.174.4. समिति ने यह भी टिप्पणी की कि पंजीकरण रद्द करने के उपबंध को उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है और इसे इस प्रकार संशोधित किया जाए "अभिहित अधिकारी लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या उपधारा (1) में उल्लिखित पंजीकरण को रद्द कर सकेगा। मंत्रालय अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गया।

2.174.5. समिति ने मंत्रालय से धारा 16 (1) और 16 (2) में किए गए उपांतरों को ध्यान में रखते हुए धारा 16 (3) में इसके परिणामस्वरूप परिवर्तन करने के लिए भी कहा।

2.175. समिति के सुझाव:

2.175.1. केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन) अधिनियम), 1995 की अनुसूची के क्रम सं. 29 में विनिर्दिष्ट प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद और खंड - दर - खंड विचार के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो निम्नलिखित सुझावों / संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया गया:-

16(1) (i) "दंडनीय" और "अपराध" शब्दों को "दायी" और "उल्लंघन" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(ii) बार - बार उल्लंघन की अवधि निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है

(iii) पंजीकरण रद्द करने के उपबंध को पुनः परिभाषित किया जाएगा और विधेयक में अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा ।

16(3) "इस तरह के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के पश्चात्" के स्थान पर "ऐसे आदेश के तीस दिनों के पश्चात्" प्रतिस्थापित करे ।

16 (1) और (2) में उपांतरों के कारण परिणामी उपांतर के रूप में नई धाराओं का अंतःस्थापन।

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रम संख्या 30]

2.176. प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

[उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग]

2.177. अधिनियम का उद्देश्य: वस्तुओं और सेवाओं के व्यापारिक चिन्हों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण तथा कपटपूर्ण चिन्हों के प्रयोग के निवारणार्थ व्यापारिक चिन्हों से संबंधित विधि को संशोधित और संयोजित करने वाला अधिनियम ।

2.178. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धाराएं	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक द्वारा संशोधित उपबंध
1.	धारा 106: धारा 81 के प्रतिकूल थान वाला माल, आदि हटाने के लिए शास्ति ।	यदि कोई व्यक्ति धारा 81 में निर्दिष्ट किसी परिसर से ऐसे थान वाले माल या कपास के सूत या कपास के धागे को, जो उस धारा द्वारा यथाअपेक्षित रूप में चिन्हित नहीं है, विक्रय के लिए हटाएगा या हटाने का प्रयत्न करेगा या हटवाएगा या हटवाने का प्रयत्न करेगा या उसका विक्रय करेगा या विक्रय के लिए उसे अभिदर्शित करेगा या विक्रय के लिए या व्यापार या विनिर्माण के किसी प्रयोजन के लिए अपने कब्जे में रखेगा तो ऐसा प्रत्येक थान और सूत की प्रत्येक लच्छी और ऐसा सब धागा और उसके पैकिंग में उपयोग की गई प्रत्येक वस्तु सरकार को समपहृत हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, जो	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित ।

		एक हजार रुपए तक का हो जाएगा, दंडनीय होगा ।	
2.	धारा 107: किसी व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत रूप में मिथ्या रूप से व्यपदेशन करने के लिए शास्ति ।	यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।	यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह पच्चीस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगी, के संदाय के लिए दायी होगा
3.	धारा 108: कारबार के स्थान को व्यापार चिह्न कार्यालय से संबद्ध रूप में अनुचित वर्णन करने के लिए शास्ति ।	यदि कोई व्यक्ति अपने कारबार के स्थान पर या अपने द्वारा जारी किए गए किसी दस्तावेज पर या अन्यथा ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास हो सकता है कि उसका कारबार का स्थान व्यापार चिह्न का कार्यालय है या व्यापार चिह्न कार्यालय से शासकीय रूप से संबद्ध है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित ।
4.	धारा 109: रजिस्टर में प्रविष्टियों के मिथ्याकरण के लिए शास्ति ।	यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर में कोई मिथ्या प्रविष्टि या कोई लेख जिससे मिथ्या रूप से रजिस्टर की किसी प्रविष्टि का प्रतिलिपि होना तात्पर्यित है, यह जानते हुए करेगा या कराएगा कि वह प्रविष्टि या लेख मिथ्या है या ऐसे किसी लेख को साक्ष्य में प्रस्तुत करेगा या निविदत्त करेगा या प्रस्तुत या निविदत्त कराएगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित ।

		सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।	
5.	धारा 112 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।	कुछ नहीं	112क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) रजिस्ट्रार आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी उल्लंघन अथवा व्यतिक्रम के लिए यथाविहित शास्ति की वसूली की रीति और शर्तों पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा । (2) रजिस्ट्रार, किसी शास्ति से अधिरोपण से पूर्व उस व्यक्ति को जो व्यतिक्रम में है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा। (3) जहां कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह एक लाख रुपए के जुर्माने या ऐसे करावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा।"
6.	धारा 140: मिथ्या व्यापार चिह्न वाले	(3) आयातकर्ता या उसका अभिकर्ता, चौदह दिन के भीतर यथापूर्वोक्त अपेक्षा का अनुपालन करेगा और यदि वह ऐसा	(3) आयातकर्ता या उसका अभिकर्ता, चौदह दिन के भीतर यथापूर्वोक्त अपेक्षा का

	आयातित माल की जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति ।	करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।	अनुपालन करेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह दस हजार रुपए की शास्ति के संदाय के लिए दायी होगा : परंतु इस धारा के अधीन शास्ति ऐसे प्राधिकारी द्वारा उदग्रहित की जाएगी जो इस प्रयोजन के लिए, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथा प्राधिकृत है।
7.	धारा 157(2)में खंड (xxxiii)क), खंड(xxxiii) के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।	कुछ नहीं	(xxxiii)क) धारा 112क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की वसूली की रीति और शर्तें ।

2.179. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.179.1. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने धारा 107, 140, 157 में संशोधन करने, धारा 106, 108, 109 का लोप करने और व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में धारा 112 क को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

2.180. समिति की बैठक में चर्चा:

2.180.1. समिति ने, 31 जनवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को अवगत कराया कि भारत व्यापार चिन्ह फाइलिंग में पांचवें स्थान पर है क्योंकि पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज्ड कर दिया गया है। पिछले नौ वर्षों में व्यापार चिन्ह के पंजीकरण में चार गुना वृद्धि हुई है।

2.180.2. समिति ने, विभाग द्वारा व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में प्रस्तावित संशोधनों पर, गहन विचार-विमर्श किया। समिति, अधिनियम की वर्तमान धाराओं 106, 108 और 109 का लोप करने पर सहमत हुई क्योंकि ये धाराएं भारतीय दंड संहिता, 1860 में शामिल हैं। तथापि, समिति अधिनियम

की धारा 107 में प्रस्तावित शास्ति की राशि से संतुष्ट नहीं थी। समिति का विचार था कि उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए, प्रस्तावित शास्ति की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये होनी चाहिए।

2.180.3. जहां तक न्यायनिर्णयन प्रावधान का संबंध है, समिति की राय थी कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के ऊपर एक अपीलीय प्राधिकारी होना चाहिए। अपील करने के लिए कम से कम एक अवसर दिया जाना चाहिए और यदि उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों से संतुष्ट नहीं है, तो वह न्यायालय में जा सकता है। समिति ने महसूस किया कि इस तरह के तंत्र से निश्चित रूप से न्यायालय पर बोझ कम होगा। इसके अलावा, इससे उस व्यक्ति को लाभ होगा क्योंकि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है, तो उसे न्यायिक प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है, जबकि अपीलीय प्राधिकरण एक आवेदन पर ही मामले का फैसला कर सकता है। इससे व्यक्तियों, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के पैसे और समय की बचत होगी।

2.180.4. समिति ने विचार-विमर्श के दौरान, एक सामान्य टिप्पणी की कि अपीलीय प्राधिकरण का उपबंध लगभग सभी ऐसे अधिनियमों में किया जाना चाहिए जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा शास्ति लगाई जाती है। जहां कहीं भी कोई अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण शास्ति अधिरोपित करता है, वहां अधिनियम में अपीलीय प्राधिकरण के एक और स्तर का उपबंध किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो लगभग 95 प्रतिशत मामलों का निपटान विभाग में ही हो जाएगा। समिति ने, आरंभ में ही व्यक्त किए गए अपने विचारों को दोहराया कि संबंधित मंत्रालयों को विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर विचार करना चाहिए।

2.181. समिति द्वारा दिए गए सुझावः

2.181.1 विधेयक की अनुसूची में क्रम संख्या 30 पर विनिर्दिष्ट व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार विमर्श करने और स्पष्टीकरण देने के पश्चात् समिति ने विधेयक पर खंडवार विचार करने के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत उपांतरों पर विचार करने का निर्णय लिया:-

- (i) धारा 107: शास्ति की प्रस्तावित अधिकतम राशि पांच लाख रुपये होनी चाहिए ।
- (ii) धारा 124क: रजिस्ट्रार द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपीलीय तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ।

माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

(जनविश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम संख्या 31)

2.182. प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

2.183. अधिनियम का उद्देश्य: इस अधिनियम का प्रयोजन माल के भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण प्रदान करना है।

2.184. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
1.	नई धारा का पुरःस्थापन	कुछ नहीं	"37क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन (1) रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए यथाविहित शास्ति की वसूली की रीति और शर्तों पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। (2) रजिस्ट्रार, किसी शास्ति के अधिरोपण से पूर्व उस व्यक्ति जो व्यतिक्रम में है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा। (3) यदि कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे कारावास

			से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या पच्चीस हजार रुपये से अन्यून किसी ऐसे जुर्माने से जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।
2.	धारा 42(2)	यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।	यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, तो वह पच्चीस हजार रुपये से अन्यून किसी ऐसी शास्ति से जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, का दायी होगा ।
3.	धारा 43	यदि कोई व्यक्ति 'अपने कारबार के स्थान पर या उसके द्वारा जारी किए गए किसी दस्तावेज पर या अन्यथा ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास होगा कि उसका कारबार का स्थान व्यापार चिह्न कार्यालय है या शासकीय रूप से उससे संबद्ध है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप किए जाने हेतु प्रस्तावित ।
4.	धारा 44	यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर से मिथ्या प्रविष्टि करेगा या कराएगा अथवा मिथ्या रूप से कोई ऐसा लेखन करेगा या कराएगा जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि है,	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप किए जाने हेतु प्रस्तावित ।

		या किसी ऐसे लेख को, यह जानते हुए कि प्रविष्टि या लेख मिथ्या है, साक्ष्य में प्रस्तुत करेगा या निविदत्त करेगा अथवा प्रस्तुत कराएगा या निविदत्त कराएगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।	
5.	धारा 87 (2) में खंड (ण) के पश्चात् नए खंड का अंतःस्थापन।	कुछ नहीं	(णक) धारा 37क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की वसूली की रीति और शर्तें ।

2.185. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.185.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने माल का उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की उपर्युक्त धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है ।

2.186. समिति की बैठक में चर्चा

2.186.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति की 31 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान उसके समक्ष प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में अपनी प्रस्तुति दी । समिति ने विभाग के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की । समिति ने महसूस किया कि अधिनियम की धारा 42 के अधीन शास्ति की प्रस्तावित राशि तर्कसंगत नहीं है और अपराध की प्रकृति को देखते हुए इस राशि में यथोचित बढ़ोतरी की जानी चाहिए । समिति यह भी महसूस करती है कि रजिस्ट्रार द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपीलीय तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ।

2.187. समिति द्वारा दिए गए सुझाव:

2.187.1 विधेयक की अनुसूची की क्रम सं. 31 में विनिर्दिष्ट माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 में प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार विमर्श करने और स्पष्टीकरण देने के पश्चात् समिति ने खंडवार चर्चा के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत उपांतरों पर विचार करने का निर्णय लिया:

- (i) धारा 42: शास्ति की राशि 5 लाख रुपये तक बढ़ाई जाए ।
- (ii) धारा 37क: रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय तंत्र स्थापित करने हेतु उपबंध किया जाए ।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम सं. 32]

2.188 प्रशासनिक मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

2.189. **अधिनियम का उद्देश्य:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डाटा के आदान-प्रदान द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा, जिन्हें सामान्यतया "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य" कहा जाता है और जिनमें संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज - आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्वलित है, किए गए संव्यवहारों को विधिक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना सुकर बनाना है ।

2.190. **अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन**

क्रमांक	धाराएं	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
1.	धारा 2 उपधारा (1) खंड (ड.)	धारा 2 उपधारा (1) खंड (ड.) "समुचित सरकार" से,- (i) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में प्रगणित, (ii) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 के अधीन अधिनियमित किसी राज्य विधि से संबंधित, किसी विषय के संबंध में राज्य सरकार और किसी अन्य दशा में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;	धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड.) की दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "राज्य सरकार और किसी अन्य मामले में, - (i) किसी सुसंगत उपबंध या कम्प्यूटर संसाधन के संबंध में, जिसे केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऐसा मंत्रालय या विभाग; या (ii) उपखंड (i) के अधीन समाविष्ट नहीं है, केन्द्रीय सरकार, अभिप्रेत है;"।
1.	धारा 33 अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण	(2) जहां कोई प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का	(2) जहां कोई प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने में असफल रहेगा

		अभ्यर्पण करने में असफल रहेगा वहां वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अपराध का दोषी होगा और कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा ।	वहां वह व्यक्ति जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अपराध का दोषी होगा और "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा"
8.	धारा 44	जानकारी, विवरणी, आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति- यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन,- (क)नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है, उसे देने में असफल रहेगा, तो वह, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए एक लाख पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा; (ख)विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी	जानकारी, विवरणी, आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति- यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन,- (क)नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है, उसे देने में असफल रहेगा, तो वह, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए पन्द्रह लाख रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा; (ख)विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी, पुस्तक या अन्य दस्तावेज देना अपेक्षित है, विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या उसे देने में असफल रहेगा, तो वह, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके

		फाइल करने या कोई जानकारी, पुस्तक या अन्य दस्तावेज देना अपेक्षित है, विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या उसे देने में असफल रहेगा, तो वह, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा; (ग) लेखा बहियां या अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है, उन्हें बनाए रखने में असफल रहता है, तो वह, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, दस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।	दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा; (ग) लेखा बहियां या अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है, उन्हें बनाए रखने में असफल रहता है, तो वह, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, एक लाख रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।
9	धारा 45 अवशिष्ट शास्ति	जो कोई, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसे	जो कोई, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए, जिसके लिए अलग से

		उल्लंघन के लिए, जिसके लिए अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को पच्चीस हजार रुपये से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या पच्चीस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।	किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के अतिरिक्त एक लाख रुपये से अनधिक शास्ति, जो कि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी- (क) मध्यवर्ती, कंपनी या निगमित निकाय द्वारा दस लाख रुपये, या (ख) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, एक लाख रुपये, से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।"
11	धारा 46 न्यायनिर्णयन करने की शक्ति	(1) इस अध्याय के अधीन न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, दिए गए निदेश या किए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है, जो उसे शास्ति या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता है, वहां केन्द्रीय सरकार, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार के निदेशक	इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, दिए गए निदेश या किए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है, जो शास्ति या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता है वहां केन्द्रीय सरकार, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी या राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में जांच करने के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

		की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी या राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में जांच करने के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।	
12	धारा 66क	संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड - कोई व्यक्ति, जो किसी कम्प्यूटर संसाधन या किसी संसूचना के माध्यम से,- ऐसी किसी सूचना को, जो अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृति की है; या ऐसी किसी सूचना को, जिसका वह मिथ्या होना जानता है, किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रूकावट, अपमान, क्षति या आपराधिक अभिप्रास, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने के प्रयोजन के लिए, लगातार ऐसे कम्प्यूटर संसाधन या किसी संसूचना युक्ति का उपयोग करके, ऐसी किसी इलेक्ट्रॉनिक डाक या	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप किए जाने हेतु प्रस्तावित ।

		इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेश को, ऐसे संदेशों के उद्गम के बारे में प्रेषिती या पाने वाले को क्षोभ या असुविधा कारित करने या प्रवंचित या भ्रमित करने के प्रयोजन के लिए, भेजता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा । स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक डाक " और "इलेक्ट्रॉनिक डाक सदेश" पदों से किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर संसाधन या संचार युक्ति में सृजित या पारेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत पाठ, आकृति, आडियो, वीडियो और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के ऐसे संलग्नक भी हैं, जो संदेश के साथ भेजे जाएं ।	
3	धारा 67ग	(2) ऐसा कोई मध्यवर्ती, जो साशय या जानबूझकर उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, और कारावास,	(2) ऐसा कोई मध्यवर्ती, जो साशय या जानबूझकर उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी

		जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।	
2	धारा 68	(2) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश का अनुपालन करने में साशय या जानबूझकर असफल रहता है, अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर कारावास का, जिसकी अवधि दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी या एक लाख रुपये से अनधिक के जुर्माने का या दोनों का दायी होगा ।	(2) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश का अनुपालन करने में साशय या जानबूझकर असफल रहता है, अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगा।
6	धारा 69ख	(4) ऐसा कोई मध्यवर्ती जो साशय या जानबूझकर उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।	(4) ऐसा कोई मध्यवर्ती जो साशय या जानबूझकर उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है "कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।"
7	धारा 70ख	(7) ऐसा कोई सेवा प्रदाता, मध्यवर्ती डाटा केन्द्र, निगमित निकाय और अन्य व्यक्ति, जो उपधारा (6) के अधीन मांगी गई सूचना देने में या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, कारावास से, जिसकी अवधि	(7) ऐसा कोई सेवा प्रदाता, मध्यवर्ती डाटा केन्द्र, निगमित निकाय और अन्य व्यक्ति, जो उपधारा (6) के अधीन मांगी गई सूचना देने में या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपये तक का हो सकेगा या

		एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।	दोनों से, दंडनीय होगा ।
4	धारा 72	गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति- इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यदि किसी व्यक्ति ने, इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अनुसरण में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से संबद्ध व्यक्ति की सहमति के बिना पहुंच प्राप्त कर ली है और वह किसी व्यक्ति को उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा ।	गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति- इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यदि किसी व्यक्ति ने, इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अनुसरण में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से संबद्ध व्यक्ति की सहमति के बिना पहुंच प्राप्त कर ली है और वह किसी व्यक्ति को उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट करता है तो वह ऐसी शास्ति के लिए दोषी होगा, जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगी

5	धारा 72क	विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड- इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती भी है, जिसने, विधिपूर्ण संविदा के निबंधनों के अधीन सेवाएं उपलब्ध कराते समय, ऐसी किसी सामग्री तक, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत सूचना अंतर्विष्ट है, पहुंच प्राप्त कर ली है, सदोष हानि या सदोष अभिलाभ कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसे सदोष हानि या सदोष अभिलाभ कारित होने की संभावना है, संबंधित व्यक्ति की सम्मति के बिना या किसी विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सामग्री प्रकट करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।	विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड- इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती भी है, जिसने, विधिपूर्ण संविदा के निबंधनों के अधीन सेवाएं उपलब्ध कराते समय, ऐसी किसी सामग्री तक, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत सूचना अंतर्विष्ट है, पहुंच प्राप्त कर ली है, सदोष हानि या सदोष अभिलाभ कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसे सदोष हानि या सदोष अभिलाभ कारित होने की संभावना है, संबंधित व्यक्ति की सम्मति के बिना या किसी विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सामग्री प्रकट करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी।

2.191 मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.191.1 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की समीक्षा के प्रयोजनों के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी पृष्ठाधार टिप्पण में कहा है कि उक्त अधिनियम के अधीन उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की गई है:

(क) जहां भी संभव हो कारावास खंडों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, या दंड की मात्रा को कम करना या/और ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस के लिए अपराध को शमनीय बनाना;

(ख) समतुल्य अपराधों के लिए शास्तियों में एकरूपता बनाए रखना; और

(ग) जुर्माने के बजाय, शास्ति का प्रावधान करना ताकि न्यायालयों पर बोझ डाले बिना, न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर निर्णय लिया जा सके ।

2.191.2 मंत्रालय ने आगे बताया कि समीक्षा निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर की गई है:

(क) अधिक गंभीर उल्लंघनों के लिए दंडनीय दांडिक अपराध के रूप में उल्लंघन का प्रतिधारण;

(ख) समान प्रकृति के अपराधों के लिए सजा की मात्रा को संरेखित करना;

(ग) कंपनियों और अन्य कॉर्पोरेट निकायों द्वारा उल्लंघनों के संबंध में, -

(i) कारावास को समाप्त करना; और/या

(ii) न्यायालय द्वारा दांडिक अपराध के लिए दंड के रूप में लगाए गए जुर्माने के प्रावधान को न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अधिक मात्रा में लगाई गई वित्तीय शास्ति से प्रतिस्थापित करना ।

(iii) गैर- दांडिक उल्लंघनों के लिए शास्ति/दायित्व को युक्तिसंगत बनाना ।

2.191.3 इस विषय पर आगे स्पष्ट करते हुए, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि धारा 69

(ख) [ट्रैफिक आंकड़ा मानिटर करने और एकत्र करने में सहायता नहीं कर रहा है], धारा 70 (ख) [सीईआरटी-इन, के निदेशों का पालन नहीं करना] धारा 44 (क) [इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के लिए प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक (सीसीए) को दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं करना, धारा 44(ख) [सीसीए के साथ विवरणी/सूचना फाइल नहीं करना] धारा 44(ग) [प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा बहियों/रिकॉर्ड का रखरखाव

न करना] और धारा 68 [सीसीए के निदेशों का पालन नहीं करना] में समतुल्य अपराधों के लिए दंड में एकरूपता बनाए रखने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

2.191.4 धारा 33 में संशोधन [प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण या निलंबन या प्रतिसंहरण करना], धारा 67 ग [मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण/प्रतिधारण न करना], धारा 72 [आईटी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करना], धारा 72क [विधिपूर्ण संविदा को भंग कर, या किसी व्यक्ति की सहमति के बिना सदोष हानि या सदोष लाभ कारित करने के आशय से सूचना का प्रकटन] और धारा 45 [ऐसे मामलों में शास्ति जहां आईटी अधिनियम की किसी धारा में कोई शास्ति विनिर्दिष्ट नहीं है], में (i) कंपनियों और अन्य कॉर्पोरेट निकायों द्वारा उल्लंघन के लिए कारावास को समाप्त करने, (ii) दांडिक अपराध के लिए दंड के रूप में न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने के प्रावधान को न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगाए गए उच्च मात्रा की वित्तीय शास्ति के प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए; और (iii) गैर-दांडिक उल्लंघनों के लिए शास्ति /दायित को युक्तिसंगत बनाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

2.191.5 अधिनियम के अधीन किसी भी उल्लंघन को न्यायनिर्णीत करने और वित्तीय शास्ति लगाने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी को शक्तियां देने के लिए धारा 46 में भी एक परिणामी संशोधन का प्रस्ताव है।

2.191.6 धारा 66क को विलोपित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि इसे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।

2.191.7 धारा 2(1)(ड.) में 'समुचित सरकार' की परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, ताकि विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम, 1961 के अधीन उन्हें आवंटित मामलों के संबंध में आईटी अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। जबकि वर्तमान स्थिति में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ही शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।

2.192 समिति की बैठक में चर्चा:

2.192.1 16 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, समिति ने अधिनियम के अधीन प्रतिकर देने के संबंध में अधिनियम की धारा 46 में 'निदेशों और प्रतिकर' शब्दों के प्रयोग के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि निदेश या आदेश जारी करने की शक्ति धारा 69, 69 (क), 69 (घ), 70 (क), 70 (ख) आदि के अधीन दी गई है। आगे यह भी बताया गया था कि जारी करने वाला

प्राधिकारी निदेश जारी करते समय ऐसे निदेश का अनुपालन न करने के परिणाम के बारे में भी बताता है । निदेशों के उल्लंघन पर प्रतिकर देना होगा ।

2.193. समिति के सुझाव:

2.193.1 विधेयक की अनुसूची में क्रम सं. 32 में विनिर्दिष्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर समिति द्वारा की गई विस्तृत चर्चा और मांगे गए स्पष्टीकरणों के पश्चात्, समिति ने प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित उपांतरों का सुझाव दिया:

धारा 2(1)(ड.): संशोधन की भाषा इस प्रकार रखी जाए ताकि अर्थ अधिक स्पष्ट हो।

धारा 45: शास्ति की व्याप्ति को धारा 46 की उप-धारा (1क) के संगत बनाया जाए ।

धारा 46: धारा 46 की उप-धारा (1क) के अधीन प्रतिकर के आधार को धारा 43 और 43क के संगत बनाया जाए ।

धारा 72: अपराध के रूप में दंड के उपबंध को बरकरार रखा जाए ।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के उपबंधों के साथ इसका संरेखण सुनिश्चित किया जाए ।

धारा 72क यदि दांडिक दंड का प्रस्ताव नहीं किया जाता है, तो धारा का संक्षिप्त नाम "दंड" के बजाय " शास्ति " किया जाए।

अपराध के रूप में दंड के उपबंध को बरकरार रखा जाए । डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के उपबंधों के साथ इसका संरेखण सुनिश्चित किया जाए ।

मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रम संख्या 33]

2.194 प्रशासनिक मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

2.195 अधिनियम का उद्देश्य: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, महानगर और महानगर क्षेत्र में मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण तथा उसके कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

2.196 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबन्ध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबन्ध
1.	धारा 6(2) (ज)		धारा 6, की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) के अन्त में आने वाले शब्द तथा, का लोप किया जाए
	धारा 6 (2)	कोई नहीं	विद्यमान उप-धारा 6 (2) (झ) के पश्चात् उपधारा (ज) को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा: "इस अधिनियम में यथा उपबंधित शास्तियों का उद्ग्रहण करना और संग्रहीत करना" (धारा 6 के अधीन मेट्रो रेल प्रशासन की एक शक्ति के रूप में उक्त खंड को अंतःस्थापित किया जा रहा है)
2	धारा 59 (2)	यदि कोई मेट्रो रेल पदधारी इयूटी पर होते हुए मत्तता की हालत में होगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा या जहां इयूटी पर अनुचित कार्य निष्पादन से मेट्रो में यात्रा कर रहे या मेट्रो रेलवे में किसी यात्री को कोई खतरा उत्पन्न होता है, वह कारावास, जो दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।	मूल अधिनियम की धारा 59 में उपधारा (2) के लिए निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी नामतः "यदि कोई मेट्रो रेल पदधारी या प्राधिकृत व्यक्ति इयूटी पर होते हुए मत्तता की स्थिति में होगा तो वह शास्ति से, जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा ।"

3.	धारा 63	यदि कोई यात्री, किसी मेट्रो रेल पदधारी द्वारा प्रतिविरत रहने की चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी, किसी रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करेगा या किसी रेलगाड़ी के ऐसे भाग, जो यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित नहीं है, पर हठपूर्वक यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाड़ी के बाहर निकालेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो पचास रुपये तक हो सकेगा। अथवा दोनों से दंडनीय होगा और मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी मेट्रो रेल पदधारी द्वारा रेलगाड़ी से हटाया जा सकेगा ।	यदि कोई यात्री, किसी मेट्रो रेल पदधारी द्वारा प्रतिविरत रहने की चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी, किसी रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करेगा या किसी रेलगाड़ी के ऐसे भाग, जो यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित नहीं है, पर हठपूर्वक यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाड़ी के बाहर निकालेगा तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगी, से दंडनीय होगा और मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी मेट्रो रेल पदधारी द्वारा रेलगाड़ी से हटाया जा सकेगा।
4.	धारा 65	यदि कोई मेट्रो पदधारी इयूटी पर होते हुए किसी यात्री की सुरक्षा को (क) उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य या लोप द्वारा; या (ख) किसी ऐसे नियम, विनियम या आदेश की जिसका ऐसा सेवक अपने नियोजन के निबंधनों के अनुसार पालन करने के लिए आबद्ध था, जिसके बारे में उसे जानकारी थी, अवज्ञा द्वारा संकटापन्न करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या	यदि कोई मेट्रो पदधारी इयूटी पर होते हुए किसी यात्री की सुरक्षा को (क) उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य या लोप द्वारा; या (ख) किसी ऐसे नियम, विनियम या आदेश की जिसका ऐसा सेवक अपने नियोजन के निबंधनों के अनुसार पालन करने के लिए आबद्ध था, जिसके बारे में उसे जानकारी थी, अवज्ञा द्वारा संकटापन्न करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो तीस हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा ।

		जुर्माने से जो छः हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।	
5	धारा 69 (4)	यदि उपधारा (1) में वर्णित अधिक प्रभार और किराया, या उपधारा (2) में वर्णित अधिक प्रभार और किराए का कोई अंतर देने के दायित्वाधीन कोई यात्री इन उपधाराओं में से किसी के अधीन उसकी मांग की जाने पर, उसे नहीं देना है या देने से इंकार करता है तो इस निमित्त मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई रेल पदधारी ऐसी संदेय राशि की वसूली के लिए किसी महानगर मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुर्माना हो और यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि वह राशि संदेय है तो वह उसे उस प्रकार वसूल किए जाने का आदेश देगा और यह आदेश भी दे सकेगा कि उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति, संदाय न करने पर ऐसा कारावास जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी, भोगेगा ।	यदि उपधारा (1) में वर्णित अधिक प्रभार और किराया, या उपधारा (2) में वर्णित अधिक प्रभार और किराए का कोई अंतर देने के दायित्वाधीन कोई यात्री इन उपधाराओं में से किसी के अधीन उसकी मांग की जाने पर, उसे नहीं देना है या देने से इंकार करता है तो इस निमित्त मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई रेल पदधारी ऐसी संदेय राशि की वसूली के लिए, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुर्माना हो ।
6	धारा 70	यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, यात्रियों और रेलगाड़ी के मेट्रो भारसाधक मेट्रो रेल पदधारी के बीच के संचार के लिए मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा रेल गाड़ी में	यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, यात्रियों और रेलगाड़ी के मेट्रो भारसाधक मेट्रो रेल पदधारी के बीच के संचार के लिए मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा रेल गाड़ी में व्यवस्थित किन्हीं साधनों का उपयोग या

		व्यवस्थित किन्हीं साधनों का उपयोग या उनमें हस्तक्षेप, युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना करेगा या मेट्रो रेल की चेतावनी घंटी या आपात पुश या आपात ट्रिप प्रणाली या आपात काल प्वाइंट का दुरुपयोग करेगा तो कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।	उनमें हस्तक्षेप, युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना करेगा या मेट्रो रेल की चेतावनी घंटी या आपात पुश या आपात ट्रिप प्रणाली या आपात काल प्वाइंट का दुरुपयोग करेगा तो ऐसी शास्ति से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।
7	धारा 80	यदि कोई व्यक्ति अध्याय 10 के अधीन किसी मेट्रो से किसी प्रतिफल की अपेक्षा करने वाला ऐसा दावा करेगा जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप किए जाने का प्रस्ताव ।
8	धारा 82(1)	यदि कोई व्यक्ति धारा 59, धारा 61, धारा 65 से धारा 79 तक में वर्णित कोई अपराध करेगा, तो वह किसी मेट्रो रेल पदधारी या पुलिस अधिकारी द्वारा, जो हेड कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का न हो, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे ऐसा मेट्रो रेल पदधारी या पुलिस अधिकारी	यदि कोई व्यक्ति धारा 61, धारा 65 से धारा 68 और धारा 71 से 79 तक में वर्णित कोई अपराध करेगा, तो वह किसी मेट्रो रेल पदधारी या पुलिस अधिकारी द्वारा, जो हेड कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का न हो, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे ऐसा मेट्रो रेल पदधारी या पुलिस अधिकारी अपनी सहायता के लिए बुला सकेगा, वारंट या अन्य लिखित प्राधिकार के

	अपनी सहायता के लिए बुला सकेगा, वारंट या अन्य लिखित प्राधिकार के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा: परंतु जहां कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया गया है वहां वह उसे पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा ।	बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा: परंतु जहां कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया गया है वहां वह उसे पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा ।

2.197 मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.197.1 समिति को सौंपे गए अपने पृष्ठधार टिप्पण में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है:

"उचित टिकट या पास के बिना यात्रा करना, मुआवजे का झूठा दावा करना, ट्रेन की छत पर यात्रा करना आदि से संबंधित धाराओं में कारावास का उपबंध है। इन उपबंधों के अधीन कारावास की अवधि अपराध की प्रकृति के आधार पर 1 महीने से लेकर 5 वर्ष तक है। धारा 59(2), 63,69(4) और 70 के अधीन कारावास और जुर्माने के उपबंधों को शास्ति में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है और धारा 80 के अधीन कारावास और जुर्माने को हटाने का प्रस्ताव है। धारा 65 में कारावास की अवधि कम करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जुर्माना लगाने और वसूलने की शक्ति मेट्रो रेल प्रशासन को दी गई है।"

2.198 समिति की बैठक में चर्चा:

2.198.1 17 जनवरी, 2023 को हुई बैठक के दौरान, मेट्रो रेलवे (संचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 59 (2) के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि, मेट्रो रेल अधिकारी द्वारा इयूटी के दौरान नशा करने से निपटने के लिए, मंत्रालय ने कारावास के दंड को समाप्त करने का और जुर्माने की राशि को 250/- रुपए से बढ़ाकर 10,000/-रुपए तक करने का प्रस्ताव किया है ।

2.198.2 समिति द्वारा उठाई गई चिंता कि उपबंध में विहित प्रस्तावित दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि मेट्रो

रेल के आरंभ होने के बाद से आज तक इस धारा के अधीन कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। यह भी बताया गया कि प्रशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप सेवा से बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि यदि अधिकारी द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाला जाता है, तो उतावलेपन और लापरवाही से संबंधित अधिनियम की धारा 77 भी लागू होगी और संबंधित अधिकारी को एक वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। हालांकि समिति ने इस मामले पर विस्तृत चर्चा के बाद महसूस किया कि कारावास के प्रावधान को खत्म नहीं किया जाना चाहिए और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

2.199. समिति के सुझाव:

2.199.1 विधेयक की अनुसूची के क्रमांक 33 में विनिर्दिष्ट मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा किए जाने और समिति द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद समिति ने प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित आशोधन किए जाने का सुझाव दिया:-

धारा 59 (2): प्रथम भाग में "दो सौ पचास रुपए का जुर्माना" को "दस हजार रुपए की शास्ति" में बदला जाए।

दूसरे भाग में दो साल का कारावास और "जुर्माना" बरकरार रखा जाएगा लेकिन जुर्माने की पांच सौ रुपये की राशि को बदलकर दस हजार रुपये कर दिया जाए।

धारा 63: शब्द "किसी मेट्रो रेल पदधारी द्वारा प्रतिविरत रहने की चेतावनी दिए जाने के पश्चात भी " का लोप किया जाए ।

धारा 65: प्रस्तावित कारावास को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किया जाए।

धारा 82(1): परिणामी परिवर्तन उचित रूप से किए जाएं।

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रमांक 34]

2.200 प्रशासनिक मंत्रालय:

वित्त मंत्रालय

[राजस्व विभाग]

2.201 अधिनियम का उद्देश्य: धन-शोधन के निवारण और धन शोधन से व्युत्पन्न या उसमें अंतर्वलित सम्पत्ति के अधिहरण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

2.202 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन :

क्रमांक	पैरा सं.	विद्यमान उपबंध		लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक द्वारा यथा संशोधित उपबंध	
1.	पैरा 21, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अपराध	धारा	अपराध का विवरण	पैरा 21 के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जायेंगे, नामतः- “पैरा 21, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अपराध” (1999 का 47)	
		103	मिथ्या व्यापार चिह्न, पण्य विवरण आदि लगाने के लिए शास्ति		
		104	ऐसे माल का विक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति जिस पर मिथ्या व्यापार चिह्न या अन्य विवरण लगाया गया है।		
				धारा	विवरण
				“103	मिथ्या व्यापार चिह्न, पण्य विवरण आदि लगाने के लिए शास्ति

				104	ऐसे माल का विक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति जिस पर मिथ्या व्यापार चिन्ह या अन्य विवरण लगाया गया है।
		105	दूसरी या पश्चात्कर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित शास्ति	105.	दूसरी या पश्चात्कर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित शास्ति
		107	किसी व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकृत रूप में मिथ्या रूप से व्यपदेशन करने के लिए शास्ति		
		120	भारत के बाहर किए गए कार्यों के लिए भारत में दुष्प्रेरण का दंड।	120	भारत के बाहर किए गए कार्यों के लिए भारत में दुष्प्रेरण का दंड।
2	पैरा 22, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अपराध	धारा	विवरण		पैरा 22 के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:- “पैरा 22, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत
		72	गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति		

		75	अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना		अपराध” (2000 का 21)
				धारा	विवरण
				“75	अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना।”
3.	पैरा 25, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अपराध	धारा	विवरण		यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित
		धारा 7 के साथ पठित 15	विहित मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषक आदि के निस्सारण के लिए शास्ति		
		धारा 8 के साथ पठित 15	रक्षोपाय का अनुपालन किए बिना परिसंकटमय पदार्थ को हथलाने के लिए शास्ति		

4.	पैरा 27, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अपराध	धारा	विवरण		यथा पुरःस्थापित विधेयक में लोप के लिए प्रस्तावित
		37	औद्योगिक संयंत्र चलाने संबंधी उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता		

2.203 मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.203.1 अपने पृष्ठाधार टिप्पण के अनुसार, राजस्व विभाग ने व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 107; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15; और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वर्णित अपराधों के निरापराधीकरण का प्रस्ताव किया है:

- (i) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 107 (किसी व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत रूप में मिथ्या रूप से व्यपदेशन करने के लिए शास्ति) को हटाकर पैरा 21 का प्रतिस्थापन;
- (ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72 (गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति) को हटाकर पैरा 22 का प्रतिस्थापन;
- (iii) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 7 और 8 के साथ पठित धारा 15 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित पैरा 25 का लोप; और
- (iv) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित पैरा 27 का लोप।

2.203.2 विभाग ने अपने पृष्ठाधार टिप्पण में बताया कि उपरोक्त अपराधों को उनकी गंभीर प्रकृति और धनशोधन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची में शामिल किया गया है। धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची में इन प्रावधानों को शामिल करने के बाद से, प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के कई मामले शुरू किए हैं जिनमें अपराध से भारी मात्रा में होने वाले लाभ की पहचान की गई है।

2.203.3 अधिनियम की अनुसूची से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 107 को हटाने से व्यापार में कदाचार बढ़ सकता है और नकली सामान के व्यापार जैसे धनशोधन गतिविधियों में लिप्त होकर धन-शोधनकर्ताओं को अपराध से आय उत्पन्न करने के लिए एक संभावित क्षेत्र प्रदान कर

सकता है। इस तरह का व्यापार आपराधिक सिंडिकेट और संगठित अपराध समूहों से जुड़ा हो सकता है। इस प्रावधान को हटाने से इस तरह की व्यापार संबंधी गतिविधियों में धनशोधन की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

2.203.4 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72 के अंतर्गत अपराध अधिनियम के पैरा 22 में एक अनुसूचित अपराध है। इस धारा में गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति निर्धारित किया गया है। ऐसे युग में जहां डिजिटल रिकॉर्ड किसी भी प्रशासनिक ढांचे, चाहे वह कॉर्पोरेट जगत की हो या सरकार की हो, की रीढ़ होते हैं, यह संभावना है कि कोई व्यक्ति संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के डेटा का दुरुपयोग कर सकता है और किसी भी तीसरे व्यक्ति को इस बात की जानकारी दे सकता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा इस तरह के कार्य को करके लाभ कमाने की संभावना बन सकती है। इसलिए इसके अनुसूचित अपराध होने के कारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72 को हटाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें अपराध से आय के सृजन की क्षमता है और किसी भी तरह से उक्त धारा को हटाने से प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

2.203.5 इस विधेयक में पर्यावरण से संबंधित मामलों के संबंध में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 7 और 8 के साथ पठित धारा 15 के अंतर्गत उल्लिखित अपराधों से संबंधित पैरा 25 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 के अंतर्गत के अंतर्गत उल्लिखित अपराधों से संबंधित पैरा 27 के लोप किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि पर्यावरण से संबंधित अपराधों का समाज और मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार स्वस्थ पर्यावरण और सतत विकास के महत्व की ओर ध्यान दिलाया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण संबंधी अपराधों से जुड़े धनशोधन पहलुओं पर भी जोर दिया है। इस प्रकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के पैरा 25 और 27 के अंतर्गत उल्लिखित इन अपराधों के निरापराधीकरण एवं परिणामस्वरूप इन्हें अपराधों की सूची से हटाए जाने से पर्यावरणीय खतरा बढ़ सकता है और अपराधी पर्यावरण को क्षति पहुँचाकर इन आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न आय का आनंद ले सकता है।

2.203.6 राजस्व विभाग ने अपने पृष्ठाधार टिप्पण में तदनुसार उल्लेख किया है कि पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्रवर्तन निदेशालय पूर्वोक्त अपराधों के निरापराधीकरण विरोध करता है और इसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित विधेयक के उपर्युक्त उपबंधों का विलोपन / लोप/ प्रतिस्थापन के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधनों का भी विरोध करता है। हालाँकि, उनकी बाद की टिप्पणियों में, राजस्व विभाग ने कहा है कि चूंकि इन अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसलिए इन्हें धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची से भी हटा दिया जाए।

2.204 समिति की बैठक में चर्चा :

2.204.1 समिति ने राजस्व विभाग के उपरोक्त प्रस्तावों पर विभाग के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 107 को यहां निम्नवत् पुनः प्रस्तुत किया गया है:

धारा 107 किसी व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत रूप में मिथ्या रूप से व्यपदेशन करने के लिए शास्ति

(1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित व्यपदेशन नहीं करेगा :-

(क) ऐसे चिह्न के संबंध में, जो रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न नहीं हैं, इस प्रभाव का कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न हैं; या

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के भाग के संबंध में, जो व्यापार चिह्न के रूप में पृथक्: रजिस्ट्रीकृत भाग नहीं हैं, इस प्रभाव का कि वह व्यापार चिह्न के रूप में पृथक्: रजिस्ट्रीकृत हैं; या

(ग) इस प्रभाव का कि रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न ऐसे माल या सेवाओं की बाबत रजिस्ट्रीकृत हैं जिनकी बाबत वह वस्तुतः रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं या

(घ) इस प्रभाव का कि किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से किन्हीं परिस्थितियों में उसके उपयोग का अनन्य अधिकार प्राप्त होता है जब कि रजिस्टर में प्रविष्ट मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उस रजिस्ट्रीकरण से वस्तुतः वह अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, भारत में व्यापार चिह्न के संबंध में "रजिस्ट्रीकृत" शब्द का उपयोग या अभिव्यक्ततः या विवक्षित रूप से रजिस्ट्रीकरण को निर्दिष्ट करने वाले किसी अन्य पद, प्रतीक या संकेत का उपयोग निम्नलिखित दशाओं के सिवाय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के निर्देश को द्योतन करने वाला समझा जाएगा, अर्थात् :-

(क) जहां वह शब्द या अन्य पद, प्रतीक या संकेत अन्य शब्दों के सीधे संसर्ग में उपयोग किया जाता है जो कम से कम उतने ही बड़े अक्षरों में अंकित है जितने में कि वह शब्द या अन्य पद, प्रतीक या संकेत अंकित है और जो उपदर्शित करते हैं कि वह निर्देश व्यापार चिह्न के रूप में ऐसे रजिस्ट्रीकरण के प्रति है जो भारत के बाहर के किसी देश की विधि के अधीन हैं, और जो देश ऐसा है जिसकी विधि के अधीन निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण वास्तव में प्रवृत्त है; या

(ख) जहां वह अन्य पद, प्रतीक या संकेत स्वयं ऐसा है कि उससे यह उपदर्शित होता है कि वह निर्देश ऐसे रजिस्ट्रीकरण के प्रति है जो खंड (क) में वर्णित है; या

(ग) जहां, वह शब्द ऐसे चिह्न के संबंध में उपयोग में लाया जाता है जो भारत के बाहर किसी देश की विधि के अधीन और उस देश को निर्यात किए जाने वाले माल के ही संबंध में या उस देश में उपयोग के लिए सेवाओं के संबंध में किसी व्यापार चिह्न के रूप में रजिस्ट्रीकृत है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72 में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया गया है:

72. गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति – इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यदि किसी व्यक्ति ने, इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अनुसरण में किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से सम्बद्ध व्यक्ति की सहमति के बिना पहुंच प्राप्त कर ली है, और वह किसी व्यक्ति को उस इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धाराएं 7, 8 और 15 निम्नलिखित हैं:

7. उद्योग चलाने, संक्रिया, आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना- कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई उद्योग चलाता है, या कोई संक्रिया या प्रक्रिया करता है, ऐसे मानकों से अधिक, जो विहित किए जाएं, किसी पर्यावरण प्रदूषक का निस्सारण या उत्सर्जन नहीं करेगा अथवा निस्सारण या उत्सर्जन करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

8. परिसंकटमय पदार्थों को सम्हलाई करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों का पालन किया जाना- कोई व्यक्ति किसी परिसंकटमय पदार्थ को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे रक्षोपायों का अनुपालन करने के पश्चात् ही, जो विहित किए जाएं, सम्हालेगा या सम्हलाई करेगा, अन्यथा नहीं।

15. अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति- (1) जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और यदि ऐसे असफलता या उल्लंघन चालू रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता या उल्लंघन चालू रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि

की तारीख के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

2.204.2 और, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 निम्नलिखित है:

37. धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों का या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफलता - (1) जो कोई धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों का या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह ऐसी प्रत्येक असफलता की बाबत, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, और यदि असफलता जारी रहती है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम ऐसी असफलता के लिए दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता दोषसिद्ध किए जाने की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की अवधि से परे जारी रहती है, तो अपराधी कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

2.204.3 राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण और उनके साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ गोपनीयता और एकांतता भंग करने के लिए शास्ति का उपबंध करनेवाली सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72 का निरापराधीकरण किए जाने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की । समिति ने महसूस किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची में जिन प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, वे अनिवार्य रूप से राजस्व विभाग के अलावा संबंधित विभागों द्वारा प्रशासित किए जा रहे उनके मूल अधिनियमों से संबंधित हैं। राजस्व विभाग धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में केवल परिणामी संशोधनों का प्रस्ताव कर रहा है। समिति की यह राय थी कि इन मामलों की जांच संबंधित अधिनियमों को लागू करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श के बाद दूसरे पाठन के दौरान की जाएगी और उसे अंतिम रूप दिया जाएगा ।

2.205 समिति के सुझाव

2.205.1 विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने राजस्व विभाग को मूल अधिनियमों के निरापराधीकरण के आलोक में प्रस्तावित संशोधनों की फिर से जांच करने और विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के संबंध में यह देखने का निर्देश दिया कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित करनेवाले कोई और उपबंध हैं ।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रमांक 35]

2.206. प्रशासनिक मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग]

2.207. अधिनियम का उद्देश्य: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा **स्वास्थ्य क प्रद** खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए है।

2.208. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा सं.	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक द्वारा संशोधित उपबंध
1	धारा 59 (i)	असुरक्षित खाद्य के लिए दंड—कोई व्यक्ति जो, चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य वस्तु का, जो असुरक्षित है, विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है,— जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप क्षति कारित नहीं होती है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	असुरक्षित खाद्य के लिए दंड—कोई व्यक्ति जो, चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य वस्तु का, जो असुरक्षित है, विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है,— जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप क्षति कारित नहीं होती है वहां वह जुर्माने से जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

2	धारा 61	मिथ्या सूचना के लिए दंड—यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपेक्षा या निदेश के संबंध में यह जानते हुए कि यह मिथ्या या भ्रामक है, कोई सूचना या कोई दस्तावेज उपलब्ध कराता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	मिथ्या सूचना के लिए दंड—यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपेक्षा या निदेश के संबंध में यह जानते हुए कि यह मिथ्या या भ्रामक है, कोई सूचना या कोई दस्तावेज उपलब्ध कराता है, तो वह जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
3	धारा 63	बिना अनुज्ञप्ति किसी कारबार को रोकने के लिए दंड— यदि कोई व्यक्ति या खाद्य कारबारकर्ता (इस अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापन से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर) स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जिससे अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा है, बिना अनुज्ञप्ति के किसी खाद्य वस्तु का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण या वितरण या आयात करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	बिना अनुज्ञप्ति किसी कारबार को रोकने के लिए दंड— यदि कोई व्यक्ति या खाद्य कारबारकर्ता (इस अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापन से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर) स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जिससे अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा है, बिना अनुज्ञप्ति के किसी खाद्य वस्तु का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण या वितरण या आयात करता है, तो वह जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

2.209. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.209.1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में प्रस्तावित संशोधनों पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान की:

"उक्त अधिनियम की धारा 59 (i) असुरक्षित खाद्य के लिए दंड से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप क्षति नहीं होती है। धारा 59(i) में "कारावास" का प्रावधान, जैसा कि यह अपराध

की गंभीरता से कहीं अधिक प्रतीत होता है, का लोप करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, निवारक के रूप में कार्य करने के लिए 59(i) के तहत जुर्माने को एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख करने का प्रस्ताव है।

धारा 61 मिथ्या सूचना के लिए दंड से संबंधित है। उक्त उपबंध किसी व्यक्ति को मिथ्या या भ्रामक सूचना/दस्तावेजों के लिए दंडित करता है। कारावास का लोप करने और जुर्माने को बढ़ाने का संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

धारा 63 बिना अनुज्ञप्ति कारबार करने के लिए दंड से संबंधित है। यह उपबंध किसी व्यक्ति को बिना अनुज्ञप्ति कारबार करने के लिए दंडित करता है। तदनुसार, कारावास का लोप करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया गया है।“

2.210. समिति की बैठक में चर्चा:

2.210.1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विधेयक पर ब्रीफिंग के दौरान समिति को अवगत कराया कि धारा 59(1), धारा 61 और धारा 63 में मंत्रालय इन उपबंधों का पूरी तरह से निरापराधिकरण करने के लिए कारावास को हटाने और जुर्माने को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का प्रस्ताव कर रहा है।

2.210.2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने समिति को आगे सूचित किया कि चूंकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में धारा 50 से 58 के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा दंड संबंधी विवादों को निपटाने के उपबंध हैं और इसलिए, पूर्ण रूप से निरापराधिकरण करने के लिए इन पर विचारण किया जा सकता है।

2.210.3. समिति ने पाया कि 50 से 58 तक की सभी धाराओं में जुर्माने की जगह शास्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह धारा 50, 61 और 63 में भी 'शास्ति' शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

2.210.4. इस संबंध में, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया कि वास्तविक दायित्व तय करने के लिए 'असुरक्षित खाद्य' की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, हालांकि 'खाद्य' को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है। परिभाषा में 'खतरनाक खाद्य' के बारे में बताया गया है लेकिन 'असुरक्षित खाद्य' के बारे में नहीं

जिसमें कई प्रकार के असुरक्षित खाद्य शामिल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए धारा 56, 61 और 63 के तहत केवल छोटे अपराधों का निरापराधिकरण किया गया है।

2.210.5. समिति ने, हालांकि, राय दी कि धारा 59(1) का पूर्ण रूप से निरापराधिकरण करना धारा की समग्र संरचना को प्रभावित कर सकता है, इसलिए, 3 महीने की कम अवधि के कारावास को बरकरार रखा जा सकता है और जुर्माना तीन लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

2.210.6. समिति धारा 61 और 63 के तहत दंड को हटाने और दस लाख रुपये की बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर भी सहमत हुई और पाया कि 'जुर्माना' और 'दंड' शब्द को 'शास्ति' से बदला जा सकता है।

2.210.7. चर्चा के दौरान समिति ने कहा कि हमें विधेयक के प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए जो अदालतों को अनावश्यक मुकदमों से मुक्त करना है। इसलिए, उन उपबंधों के लिए जो केवल जुर्माने का उपबंध करते हैं, हमारा प्रयास उनका निरापराधिकरण करना होना चाहिए।

2.210.8. समिति ने सुझाव दिया कि धारा 63 के शुरुआती वाक्य को 'रोकने के लिए दंड' के बजाय 'रोकने के लिए शास्ति' में बदल दिया जाना चाहिए और 'दंडनीय होगा' को 'शास्ति का दायी होगा' के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। समिति ने आगे सुझाव दिया कि धारा 61 और 63 को धारा 58 के बाद रखा जा सकता है और इस धारा में 'शास्ति' का उपबंध किया जा सकता है। समिति ने मंत्रालय से उपबंधों के सामंजस्यपूर्ण प्रवाह को बनाए रखने के लिए इन धाराओं में दिए जा रहे दंड/शास्ति की एकरूपता के अनुसार इन धाराओं की पुनर्संख्या की समीक्षा करने के लिए कहा।

2.211. समिति के सुझाव:

2.211.1. विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने सिद्धांत रूप में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ सहमति व्यक्त की, जो कि विधेयक की अनुसूची के क्रमांक 35 में निर्दिष्ट हैं, और खंड-वार विचारण के दौरान यदि आवश्यक हो, तो निम्नलिखित सुझावों/संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

धारा 59 (i): कारावास जिसकी अवधि तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी जो तीन लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 61: मूल धारा को हटाया जाना।

धारा 63: मूल धारा को हटाया जाना।

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रमांक 36]

2.212. प्रशासनिक मंत्रालय:

वित्त मंत्रालय

[आर्थिक कार्य विभाग]

2.213. अधिनियम का उद्देश्य: यह अधिनियम सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके प्रबंध से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए है। “सरकारी प्रतिभूति” से ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा लोक ऋण जुटाने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए सृजित और निर्गमित की गई है।

2.213.1. अधिनियम जारी किए जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों के रूपों सहित निबंधनों और शर्तों का उपबंध करता है, जैसे (i) किसी निश्चित व्यक्तियों को या उनके आदेश पर संदेय सरकारी वचनपत्र; या (ii) वाहक को संदेय वाहक बंधपत्र; या (iii) स्टॉक; या (iv) बंधपत्र खाता लेखा में धारित बंधपत्र।

2.214. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक द्वारा यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 30(1)	उल्लंघन और शास्तियां- (1) यदि कोई व्यक्ति, स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सरकारी प्रतिभूति के संबंध में कोई हक अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आवेदन में या इस अधिनियम के अनुसरण में की जाने वाली किसी जांच के अनुक्रम में ऐसा कथन करेगा जो	उल्लंघन और शास्तियां- (1) यदि कोई व्यक्ति, स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सरकारी प्रतिभूति के संबंध में कोई हक अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आवेदन में या इस अधिनियम के अनुसरण में की जाने वाली किसी जांच के अनुक्रम में ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है और जिसके बारे में या तो वह यह जानता है कि वह मिथ्या है या उसे

	मिथ्या है और जिसके बारे में या तो वह यह जानता है कि वह मिथ्या है या उसे उसके सत्य होने के बारे में विश्वास नहीं है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।	उसके सत्य होने के बारे में विश्वास नहीं है तो वह <u>जुर्माने से</u>, दंडनीय होगा।

2. 215. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.215.1. आर्थिक कार्य विभाग ने सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उप-धारा (1) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। विभाग ने अपनी पृष्ठभूमि टिप्पण में, अधिनियम की धारा 30(1) के संशोधन और अपराधमुक्त करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

- (i) यह वर्तमान समय में कारावास के खंड को समाप्त करके और केवल जुर्माने से संबंधित खंड को बनाए रखते हुए अधिनियम को कम प्रतिगामी बना देगा।
- (ii) यह मामला संबंधित नियामक भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया था और उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि "न तो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 30(1) के तहत कारावास खंड के आह्वान का कोई उदाहरण है, और न ही अधिनियम की उक्त धारा के तहत कोई जुर्माना लगाया गया है।
- (iii) चूंकि सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 से व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था पर आरबीआई के लिए जुर्माना लगाने का कोई अवसर नहीं था और तथ्य यह है कि बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड आदि जैसी संस्थाएं ज्यादातर सरकारी प्रतिभूतियों की बड़ी मात्रा में लेनदेन करती हैं, यह महसूस किया गया कि कारावास से संबंधित खंड को हटाया जा सकता है और केवल जुर्माने से संबंधित प्रावधान को जारी रखा जा सकता है क्योंकि कोई भी उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/संस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई शिकायत पर न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने के साथ दंड के लिए दंडनीय होगा।

2.216. समिति की बैठक में चर्चा:

2.216.1. 6 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान, समिति ने विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया और अधिनियम की सभी उप-धाराओं और संबंधित धाराओं पर विचार-विमर्श करते हुए धारा 30 की जांच की। समिति ने पूछताछ की कि क्या अधिनियम का कोई

ऐसा उपबंध है जो किसी विनियम या अधिसूचना या निदेश के उल्लंघन से संबंधित है। समिति ने पाया कि धारा 30 की उपधारा (3) में सभी तरह के उल्लंघन शामिल हैं। समिति ने आगे निम्नानुसार पाया:

“जुर्माने की जगह 'शास्ति' शब्द होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उप-धारा 30 के शुरुआती हिस्से में इसे "उल्लंघन और शास्तियां" कहा गया है। बात यह है कि शास्ति आरबीआई को तय करनी है और जुर्माना न्यायालय को तय करना है। हम नहीं चाहते कि मामला न्यायालय के सामने जाए। हम चाहते हैं कि शास्ति तय करने का काम आरबीआई को करना चाहिए। हमारा इरादा और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। केवल इसी उद्देश्य के लिए, यदि हम पीड़ित व्यक्ति को उप-धारा (2) के तहत शिकायत दर्ज कराकर जुर्माने के लिए न्यायालय जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।”

2.216.2. विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि यह उपबंध रखा गया था क्योंकि यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति का शीर्षक प्राप्त करने के लिए गलत दस्तावेज या बयान देता है, तो नियामक द्वारा स्वामित्व तय नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस केस और न्यायालय निर्णय हो सकता है। विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर, यह आरबीआई द्वारा भी तय किया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति इससे असंतुष्ट है तो वे उचित न्यायालय के समक्ष उचित याचिका दायर कर सकते हैं। समिति ने यह भी माना कि कई अन्य अधिनियम हैं जहां मनमुटाव है और प्रशासनिक प्राधिकरण इस मुद्दे पर निर्णय ले रहा है।

2.217. समिति के सुझाव:

2.217.1. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों, जो विधेयक की अनुसूची के क्रम सं. 36 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, पर विचार-विमर्श और स्पष्टीकरण के बाद, समिति ने खंड-वार विचारण के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

- (i) धारा 30(1): जुर्माने से संबंधित उपबंध को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगायी जाने वाली शास्ति के उपबंध से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और जुर्माने की मात्रा विहित की जानी चाहिए।
- (ii) धारा 30(2): लोप किया जाए।
- (iii) धारा 30(3): इसे उप-धारा (2) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाना चाहिए।
- (iv) समिति का विचार था कि विधि और न्याय मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के परामर्श से उपरोक्त उपबंधों को पुनः निरूपित कर सकता है।

छावनी अधिनियम, 2006

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रमांक 37]

2.218. प्रशासनिक मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय
[रक्षा विभाग]

2.219. अधिनियम का उद्देश्य: छावनियों में प्रशासन छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) के उपबंधों के अनुसार किया जाता है, जिसने निरस्त छावनी अधिनियम, 1924 का स्थान लिया है। पूर्ववर्ती अधिनियम के कई उपबंधों को नए अधिनियम में बरकरार रखा गया था, और समय बीतने के साथ यह आवश्यक पाया गया कि बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कतिपय उपबंधों में संशोधन किया जाये और इसे आधुनिक नगरपालिका शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित किया जाये।

2.220. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रम सं.	धारा	विद्यमान उपबंध	लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1	धारा 156	इस संबंध में बनाए गए किसी अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों, विनियमों और उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी रक्त बैंक या किसी ऐसे अन्य स्थापन का भारसाधक जो किसी रोगी या किसी अन्य चिकित्सीय उपयोग के लिए रक्त, प्लाज्मा, मैरो या कोई अन्य पदार्थ संचरण या उपचार के लिए संग्रहित करता है या प्रदाय करता है, पर्याप्त पूर्वावधानी या पर्याप्त पर्यवेक्षण करने में असफल रहता है जिसके कारण संक्रमणित या संदूषित रक्त, प्लाज्मा, मैरो या कोई अन्य पदार्थ प्राप्त होता है तो वह ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो	लोप किया जाए।

		सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।	
2	धारा 185(1)	किसी छावनी क्षेत्र में किसी बोर्ड के अधीन सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता या जल प्रदाय या अस्पतालों या औषधालय या विद्युत प्रदाय या सार्वजनिक परिवहन सेवाओं या किसी अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित सेवाओं में नियोजित या नियोजित किए जाने वाला कोई व्यक्ति किसी संविदा के अभाव में समुचित प्राधिकार के बिना युक्तियुक्त कारण के बिना त्यागपत्र नहीं देगा या इयूटी से स्वयं अनुपस्थित नहीं होगा और ऐसे त्यागपत्र या इयूटी से अनुपस्थिति की दशा में, वह ऐसे कारबार से जो 1 मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; और इसमें विनिर्दिष्ट सेवा की शर्तें उक्त सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों के नियुक्ति पत्र में सदैव वर्णित की जाएंगी।	छावनी में बोर्ड के अधीन किसी आवश्यक सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति, किसी संविदा के अभाव में समुचित प्राधिकार के बिना युक्तियुक्त कारण के बिना त्यागपत्र नहीं देगा या इयूटी से स्वयं अनुपस्थित नहीं होगा और ऐसे त्यागपत्र या इयूटी से अनुपस्थिति की दशा में उसके विरुद्ध यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।
3.	धारा 285	यदि छावनी के अंदर अथवा छावनी से लगी ऐसी सीमाओं के अंदर, जिन्हें केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिनिश्चित करे, कोई व्यक्ति जो सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक विधि के अधीन नहीं है अथवा कोई व्यक्ति, जो सैनिक अधिकारी या सैनिक के रूप में ऐसा होने से अन्यथा सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक विधि के अधीन है, जानते हुए किसी आसव लिंकर	यदि छावनी के अंदर अथवा छावनी से लगी ऐसी सीमाओं के अंदर, जिन्हें केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिनिश्चित करे, कोई व्यक्ति जो सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक विधि के अधीन नहीं है अथवा कोई व्यक्ति, जो सैनिक अधिकारी या सैनिक के रूप में

		का या मादक द्रव्य का वस्तु विनिमय, विक्रय या प्रदाय अथवा वस्तु विनिमय, विक्रय या प्रदाय पेशकश या प्रयत्न स्टेशन समादेशक अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अथवा ऐसी अनुज्ञा देने के लिए स्टेशन समादेशक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी सैनिक या अनुचर या सैनिक की स्त्री या अवयस्क बालक को अथवा इसके उपयोग के लिए करेगा तो वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो 6 मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।	ऐसा होने से अन्यथा सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक विधि के अधीन है, जानते हुए किसी आसव लिकर का या मादक द्रव्य का वस्तु विनिमय, विक्रय या प्रदाय अथवा वस्तु विनिमय, विक्रय या प्रदाय पेशकश या प्रयत्न स्टेशन समादेशक अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अथवा ऐसी अनुज्ञा देने के लिए स्टेशन समादेशक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी सैनिक या अनुचर या सैनिक की स्त्री या अवयस्क बालक को अथवा इसके उपयोग के लिए करेगा तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो सात हजार पांच सौ रुपये तक हो सकता है।
4.	धारा 286	यदि छावनी के अंदर अथवा धारा 285 के अंतर्गत परिभाषित किसी भी सीमाओं के भीतर- (क) ऐसे किसी व्यक्ति के, जो सैनिक अधिकारी या सैनिक के रूप में ऐसा होने से अन्यथा सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक विधि के अधीन है, अथवा (ख) किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे सैनिक की पत्नी या सेवक के, अपने कब्जे में स्टेशन समादेशक अधिकारी की अथवा ऐसे किसी व्यक्ति की, जो ऐसी	यदि छावनी के भीतर अथवा धारा के 285 अंतर्गत परिभाषित किसी भी सीमाओं के भीतर- (क) ऐसे किसी व्यक्ति के, जो सैनिक अधिकारी या सैनिक के रूप में ऐसा होने से अन्यथा सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक विधि के अधीन है, अथवा

		अनुज्ञा देने के लिए स्टेशन समादेशक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत है, लिखित अनुज्ञा के बिना है तो वह प्रथम अपराध की दशा में जुर्माने से जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, तथा पश्चातवर्ती अपराध की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	(ख) किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे सैनिक की पत्नी या सेवक के, अपने कब्जे में स्टेशन समादेशक अधिकारी की अथवा ऐसे किसी व्यक्ति की, जो ऐसी अनुज्ञा देने के लिए स्टेशन समादेशक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत है, लिखित अनुज्ञा के बिना है तो वह प्रथम अपराध की दशा में तीन हजार रुपए तक के जुर्माने, तथा पश्चातवर्ती अपराध की दशा में पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
5.	धारा 287	कोई भी पुलिस अधिकारी अथवा उत्पादन शुल्क अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा वारंट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जिससे वह धारा 285 या धारा 286 के अधीन वाला अपराध करते हुए पाता है तथा ऐसा कोई आसव लिकर या मादक द्रव्य जिसकी बाबत ऐसा अपराध किया गया है, तथा ऐसे कोई बर्तन और परिवेष्ठन जिनमें वह लिकर या मादक द्रव्य रखा है अभिगृहीत कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा। (2) जहां कि धारा 285 के अधीन वाले अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति उस धारा के अधीन वाले अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया जा चुका है वहां पुलिस थाने	धारा 285 और 286 के अंतर्गत अपराधों के लिए चीजों का अभिग्रहण और जब्ती। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी पुलिस अधिकारी अथवा उत्पादन शुल्क अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, तथा वारंट के बिना धारा 285 या धारा 286 के अधीन, ऐसा कोई आसव लिकर या मादक द्रव्य जिसकी बाबत ऐसा अपराध किया गया है, तथा ऐसे कोई बर्तन और परिवेष्ठन जिनमें वह लिकर या मादक द्रव्य रखा है अभिगृहीत कर

	का भारसाधक अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से छावनी के अंदर अथवा उस धारा के अधीन परिनिश्चित किन्हीं सीमाओं के अंदर ऐसा कोई आसव लिकर या मादक द्रव्य अभिगृहीत कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा जो पश्चातवर्ती अपराध के अभिकथित किए जाने के समय ऐसे किसी व्यक्ति का था अथवा उसके कब्जे में था । (3) वह न्यायालय जो किसी व्यक्ति को धारा 285 या धारा 286 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करता है उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत किसी पूरी वस्तु या उसके भाग के समपहरण का आदेश दे सकेगा। (4) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय XXXIV के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी कोई वस्तु जो उपधारा (1) या उप धारा (2) के अधीन अभिगृहीत की गई है किंतु उपधारा 3 के अधीन संपृहृत नहीं की गई है, उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिससे वह ली गई थी।	सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा। (2) जहां कि धारा 285 के अधीन वाले अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति उस धारा के अधीन वाले अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया जा चुका है वहां पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से छावनी के अंदर अथवा उस धारा के अधीन परिनिश्चित किन्हीं सीमाओं के अंदर ऐसा कोई आसव लिकर या मादक द्रव्य अभिगृहीत कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा जो पश्चातवर्ती अपराध के अभिकथित किए जाने के समय ऐसे किसी व्यक्ति का था अथवा उसके कब्जे में था । (3) वह न्यायालय जो किसी व्यक्ति को धारा 285 या धारा 286 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करता है उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत किसी पूरी वस्तु या उसके भाग के समपहरण का आदेश दे सकेगा। (4) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय XXXIV के उपबंधों के अधीन

			रहते हुए ऐसी कोई वस्तु जो उपधारा (1) या उप धारा (2) के अधीन अभिग्रहित की गई है किंतु उपधारा 3 के अधीन संपृहत नहीं की गई है, उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिससे वह ली गई थी।
6.	289(5)	जो कोई छावनी में पैकेजिंग के लिए या गैर जैव-अवकरणीय प्रकृति की सामग्री का, जिसके अंतर्गत पॉलिथीन के थैले भी हैं, विनिर्माण करेगा, प्रदाय करेगा, उसे ले जाएगा, या उसका उपयोग करेगा तो वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।	जो कोई छावनी में पैकेजिंग के लिए या गैर जैव-अवकरणीय प्रकृति की सामग्री का, जिसके अंतर्गत पॉलिथीन के थैले भी हैं, विनिर्माण करेगा, प्रदाय करेगा, उसे ले जाएगा, या उसका उपयोग करेगा तो वह प्रथम अपराध की दशा में पाँच हजार रुपए तक के जुर्माने तथा पश्चातवर्ती अपराध की दशा में दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
7.	300(1)	जो कोई वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से छावनी में चक्कर काटेगा या लैंगिक दुराचार करने के लिए किसी व्यक्ति से अतियाचना करेगा, वह कारावास से, जो 3 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा और पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	जो कोई वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से छावनी में चक्कर काटेगा या लैंगिक दुराचार करने के लिए किसी व्यक्ति से अतियाचना करेगा, वह छह हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

8.	314	पुलिस बल का कोई सदस्य जो छावनी में नियोजित है वारंट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसकी दृष्टि में इस अधिनियम के उन उपबंधों में से किसी का भंग कर रहा है जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं: परंतु- (क) ऐसे किसी उपबंध के भंग की दशा में, जो चौथी अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट है, कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम और पता दे देने के लिए सहमत है तब के सिवाय ऐसे गिरफ्तार न किया जाएगा जबकि ऐसे दिए गए नाम या पते के सही होने के संबंध में संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान है जिसको साबित करने का भार गिरफ्तार करने वाले अधिकारी पर होगा तथा ऐसे गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति उसका नाम और पता अभिनिश्चित कर लिए जाने के पश्चात निरुद्ध नहीं रखा जाएगा;	314. बिना वारंट के गिरफ्तारी- - पुलिस बल का कोई सदस्य जो छावनी में नियोजित है, वारंट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसकी दृष्टि में धारा 304 के खंड (क) के उपबंध का उल्लंघन है; परंतु ऐसे किसी उपबंध के भंग की दशा में, कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम और पता दे देने के लिए सहमत है तब के सिवाय गिरफ्तार न किया जाएगा जबकि दिए गए नाम या पते के सही होने के संबंध में संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान है जिसको साबित करने का भार गिरफ्तार करने वाले अधिकारी पर होगा तथा ऐसे गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति उसका नाम और पता अभिनिश्चित कर लिए जाने के पश्चात निरुद्ध नहीं रखा जाएगा;
		(ख) धारा 300 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति की ऐसी गिरफ्तारी- (i) उस व्यक्ति के अनुरोध पर जिससे ऐसी अतियाचना की गई है अथवा उस सैनिक अधिकारी के अनुरोध पर, जिसकी उपस्थिति	इसे लोप किया जाएगा।

		में वह अपराध किया गया है, किए जाने के सिवाय न की जाएगी; अथवा (ii) सेना, नौसेना या वायु सेना पुलिस के सदस्य द्वारा या अनुरोध पर जो छावनी में नियोजित है तथा स्टेशन समादेशक अधिकारी के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है तथा जिसकी उपस्थिति में वह अपराध किया गया है अथवा सहायक उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या के अनुरोध पर जो छावनी में नियोजित है तथा स्टेशन समादेशक अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है, की जाने के सिवाय न की जाएगी।	
9.	331	इस अधिनियम में स्पष्टतः अन्यथा उप बंधित के सिवाय कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के द्वारा या अधीन दंडनीय किए गए ऐसे किसी अपराध का विचारण, जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न है, करने के लिए उस परिवाद पर या उस इत्तला पर अग्रसर होने के सिवाय अग्रसर न होगा जो संप्रक्त बोर्ड या बोर्ड द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया या दी गई है।	इस अधिनियम में स्पष्टतः अन्यथा उप बंधित के सिवाय कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के द्वारा या अधीन दंडनीय किए गए ऐसे किसी अपराध का विचारण, जो धारा 304 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न है, करने के लिए उस परिवाद पर या उस इत्तला पर अग्रसर होने के सिवाय अग्रसर न होगा जो संप्रक्त बोर्ड या बोर्ड द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया या दी गई है।

10.	332(1)	(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा या अधीन दंडनीय ऐसे किसी अपराध के बारे में जो अध्याय 14 के अधीन वाले अपराध से भिन्न है शमन या तो कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात कर सकेगा: परंतु जो अपराध मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से निकाली गई सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन ना करने से होता है वैसा कोई भी अपराध उस दशा के सिवाय और तब के सिवाय शमन योग्य न होगा जिसमें कि और जब उसका वहां तक अनुपालन कर दिया गया है जहां तक उसका अनुपालन करना संभव है।		(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा या अधीन दंडनीय ऐसे किसी अपराध के बारे में जो धारा 304 के खण्ड (क)के अधीन वाले अपराध से भिन्न है, शमन या तो कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात कर सकेगा: परंतु जो अपराध मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से निकाली गई सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन ना करने से होता है वैसा कोई भी अपराध उस दशा के सिवाय और तब के सिवाय शमन योग्य न होगा जिसमें कि और जब उसका वहां तक अनुपालन कर दिया गया है जहां तक उसका अनुपालन करना संभव है।
11.	अनुसूची IV	174	संक्रमणग्रस्त व्यक्ति द्वारा भोजन आदि का तैयार किया जाना या बेचा जाना अथवा कपड़ों का धोया जाना।	यथा पुरस्थापित विधेयक में अनुसूची iv से लोप करने का प्रस्ताव है।

		289(1)(क)(i)	नशे की हालत में होना , आदि।	
		183(1)	अस्पताल या औषधालय में हाजिर होने में असफल रहने के लिए निष्कासन की सूचना के पश्चात छावनी में बना रहना या पुनः प्रवेश करना।	
		259	पथ का नाम अथवा भवन से लगे नंबर को मिटा देना आदि।	
		282	गंदगी आदि पर पशुओं को चराना।	
		289(1)(क)(ii)	धमकी भरे या गाली गलौच वाले शब्दों का प्रयोग आदि ।	
		289(1)(क)(iii)	गुप्तांग आदि को अशिष्टतापूर्वक अभिदर्शित करना।	
		289(1)(क)(iv)	भीख मांगना।	
		289(1)(क)(v)	कुरूपता आदि को अभिदर्शित करना।	
		289(1)(क)(vii)	जुआ।	
		289(1)(क)(xii)	सूचना आदि को नष्ट करना।	

		289(1)(क)(xiii)	पटरी, गटर, बरसाती जल के नाले को स्थानांतरित करना, नुकसान पहुंचाना, परिवर्तित करना
		289(1)(च)	सामान्य जुआघर चलाना आदि।
		289(1)(छ)	ढोल आदि बजाना ।
		289(1)(ज)	इस प्रकार गाना आदि कि शांति या व्यवस्था भंग हो।
		290(6)	हिंसक कुत्ते को खुला छोड़ देना या किसी के पीछे लगा देना।
		296	आग्नेयास्त्र आदि ऐसे छोड़ना कि खतरा पैदा हो जाये।
		300	लैंगिक अनैतिकता के लिए चक्कर लगाना या दुराग्रह करना।

2.221. मंत्रालय द्वारा निवेदन :

2.221.1. रक्षा मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में सूचित किया कि मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सरकार की नीति के मद्देनजर छावनी अधिनियम, 2006 में विभिन्न अपराधों को या ऐसे उपबंधों को पूरी तरह से हटाकर या ऐसे अपराधों के मामले में केवल 'जुर्माना' को बरकरार रखते हुए उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव है। छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वर्णित कई अपराधों, जैसे गैर-जैव-अपघटनीय सामग्री (पॉलिथीन बैग सहित) को ले जाने, उनका उपयोग करने, उनका विनिर्माण करने, आवश्यक दायित्वों में नियोजित व्यक्तियों द्वारा उचित कारण/उचित प्राधिकार के बिना इस्तीफा देने / अनुपस्थित रहने से संबंधित दंडात्मक उपबंध, अनैतिक

यौन क्रिया के लिए आवारागर्दी करना या प्रयास करना, देसी शराब या नशीले मादक पदार्थ बेचना, अपने पास देसी शराब रखना, सार्वजनिक उपद्रव, आदि को जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 में अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने के लिए प्रस्तावित इनमें से कई अपराध ऐसे अपराध हैं जो पहले से ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) या अन्य केंद्रीय/राज्य विधानों के अंतर्गत आते हैं।

2.222. समिति की बैठक में चर्चा:

2.222.1 रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने दिनांक **09.02.2023** की बैठक के दौरान समिति को छावनी अधिनियम, **2006** में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी। प्रतिनिधि ने निम्नलिखित रूप से साक्ष्य दिया :

“छावनी अधिनियम के तहत, कारावास के साथ दंडनीय **24** अपराधों में से लगभग **23** अपराधों में संशोधन किया गया है और उन्हें या तो पूरी तरह से हटा दिया गया है या जुर्माने के घटक को बरकरार रखा गया है। महोदय, धारा **156**, जिसके संशोधन का हम प्रस्ताव कर रहे हैं, में रक्त के संग्रहण और आपूर्ति में पर्याप्त सावधानी बरतने में विफलता का उपबंध है, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमित या संदूषित रक्त, प्लाज्मा, मज्जा आदि की आपूर्ति हो जाती है। मौजूदा अधिनियम के अनुसार, इस अपराध के लिए पांच साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रस्तावित संशोधनों में इस धारा को हटा दिए जाने का प्रस्ताव है।”

2.222.2. गंभीर प्रकृति के अपराधों को शामिल वाली धारा 156 में संशोधनों पर विचार-विमर्श करते हुए, समिति ने इस धारा के निरसन के औचित्य के बारे में पूछा। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए :

“महोदय, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत धारा 27 में इस अध्याय का उल्लंघन करके दवाओं के निर्माण, बिक्री करने आदि की स्थिति में शास्ति का उपबंध किया गया है। यहां, औषधि को वास्तव में एक बहुत ही विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें सब कुछ शामिल है। रक्त भी मूल रूप से औषधि का एक हिस्सा है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक नियम अर्थात् औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 बनाया गया है। इसमें एक पूरा अध्याय है। हालांकि उस अध्याय को कोई संख्या प्रदान नहीं की गई है, लेकिन औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की धारा 122 (ड) से धारा 122 (त) रक्त के संग्रहण, वितरण आदि से संबंधित हैं। इसमें सब कुछ विस्तार से दिया गया है। इसमें लाइसेंस, निरीक्षण आदि का प्रावधान है। इस तरह के सभी विवरण उक्त नियम में प्रदान किए गए हैं। यदि इन उपबंधों का उल्लंघन होता है, तो अधिनियम की धारा 27

के तहत केवल शास्ति लगाई जा सकती है। इसलिए, हम यह कह रहे हैं कि रक्त या रक्त केंद्र के संग्रहण या आधान के सभी पहलुओं के संबंध में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम या उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।”

2.222.3. समिति ने आगे पूछा कि क्या ये दोनों धाराएं समान हैं, प्रतिनिधि ने निम्नलिखित रूप में सूचित किया:

“ये समान नहीं हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत इन रक्त संग्रहण केन्द्रों के प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था है। इसलिए, हमारा उपबंध बहुत ही संक्षेप में था। लेकिन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत नियमों में इसका उपबंध बहुत ही विस्तृत तरीके से किया गया है। रक्त संग्रहण केंद्र के प्रत्येक पहलू को वास्तव में कवर किया गया है। यह एक बहुत ही विस्तृत नियम है। यह नियम 122-ड है।”

2.222.4. समिति ने उक्त स्पष्टीकरण को पर्याप्त संतोषजनक नहीं पाया क्योंकि इसने संदेह व्यक्त किया कि क्या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में उल्लिखित शास्ति प्रावधान रक्त बैंकों को भी दंडित करता है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम वर्ष 1940 में अस्तित्व में आया था और छावनी अधिनियम हाल ही में वर्ष 2006 में अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा, समिति ने धारा 27 में रक्त बैंकों को शामिल किए जाने की बात को अस्पष्ट माना, क्योंकि दोनों अनिवार्य रूप से अलग हैं, एक लापरवाही के बारे में है और दूसरा औषधियों से संबंधित मुद्दा है।

2.222.5. समिति ने इसके बाद रक्त बैंकों को कवर करने वाले अन्य अधिनियमों के बारे में जानना चाहा। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियमों में शामिल है। इस संबंध में, एक प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष निम्नलिखित रूप में साक्ष्य दिया :

“इसकी परिभाषा एक अलग अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अधीनस्थ कानून के तहत निहित है। परिभाषा का उद्देश्य केवल उस विशेष अधिनियम के प्रशासन तक ही सीमित हो सकता है। उस परिभाषा को बदला जा सकता है, संपादित किया जा सकता है और शायद यह संसद में नहीं लाया जाए। सरकार परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर इस परिभाषा में परिवर्तन कर सकती है। इसलिए, हम नहीं जानते कि क्या इस परिवर्तन का रक्त संबंधी उन नियमों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, जिनके संबंध में छावनी अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है।”

2.222.6. शेष अधिनियमों में अपराध के कवरेज के बारे में सुनिश्चित नहीं होने के कारण और अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, समिति ने मंत्रालय को इस धारा के निरसन के अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और इसकी बजाय, इस धारा को बनाए रखने का सुझाव दिया। समिति ने मंत्रालय से इस संबंध में विशेष टिप्पण बनाने और उसे सचिवालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा।

2.222.7. धारा 285 के निरसन के बारे में मंत्रालय के प्रस्ताव पर आगे विचार करते हुए, समिति ने कहा कि यह धारा नाबालिग व्यक्ति को शराब और अन्य नशीले पदार्थ बेचे जाने के कार्य को कवर करती है, जो एक गंभीर अपराध है और इसलिए इसका निरापराधीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, क्या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 छावनी क्षेत्रों में लागू होगा और मंत्रालय को यह देखना चाहिए कि क्या ये संशोधन प्रावधानों के अनुकूल हैं। कारबार करने में सुगमता के उद्देश्य से इसका निरापराधीकरण करने से यह विधेयक के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है और चूंकि इसमें सार्वजनिक सुरक्षा शामिल है, इसलिए इसे बरकरार रखा जा सकता है। तथापि, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि यह मामला राज्य उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत आता है। समिति ने मंत्रालय से कहा कि वह पहले यह सुनिश्चित करे कि क्या राज्य उत्पाद-शुल्क अधिनियम छावनी क्षेत्र पर भी लागू होता है और इनमें से कौन सा कानून वहां लागू होगा।

2.223. समिति के सुझाव:

2.223.1. समिति के सदस्यों ने अन्य केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के साथ धारा 156, 285, 286, 287(1), 289(5) और धारा 300(1) की संगतता और प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा और विधेयक की अनुसूची में क्रमांक 37 में निर्दिष्ट छावनी अधिनियम, 2006 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा की। समिति ने आगे विचार-विमर्श किया और विस्तृत चर्चा के बाद प्रस्ताव किया कि यदि आवश्यक हो तो, किसी भी संशोधन पर खंड-वार विचारण के दौरान विचार किया जाएगा।

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रमांक 38]

2.224. प्रशासनिक मंत्रालय :

वित्त मंत्रालय

[वित्तीय सेवाएं विभाग]

2.225. अधिनियम का उद्देश्य: भारत में संदाय प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का तथा भारतीय रिजर्व बैंक को उस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी के रूप में अभिहित करना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करना।

2.226. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन :

क्रमांक	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथासंशोधित उपबंध
1.	धारा 26(3):	यदि कोई व्यक्ति किसी कथन, जानकारी, विवरणी या अन्य दस्तावेज को पेश करने में या कोई कथन, जानकारी, विवरणी या अन्य दस्तावेज देने में, जिसे देना धारा 12 या धारा 13 के अधीन उसका कर्तव्य है या किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की अपेक्षा है, जिसमें किसी संदाय प्रणाली के प्रचालन से संबंधित किसी प्रश्न का कोई उत्तर देना धारा 14 के अधीन उसका कर्तव्य है, और असफल होगा तो वह जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के संबंध में दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और यदि वह लगातार ऐसे इन्कार करता है, तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।	यदि कोई व्यक्ति किसी कथन, जानकारी, विवरणी या अन्य दस्तावेज को पेश करने में या कोई कथन, जानकारी, विवरणी या अन्य दस्तावेज देने में, जिसे देना धारा 12 या धारा 13 के अधीन उसका कर्तव्य है या किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की अपेक्षा है, जिसमें किसी संदाय प्रणाली के प्रचालन से संबंधित किसी प्रश्न का कोई उत्तर देना धारा 14 के अधीन उसका कर्तव्य है, और असफल होगा तो वह <u>धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार लगाई जाने वाली शास्ति का भागी होगा।</u>

2.	धारा 26(6):	यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया जाता है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम, किए गए आदेश या अधिरोपित शर्त की किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, जिसके संबंध में कोई शास्ति विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो, यथास्थिति, ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए दोषी व्यक्ति जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहने वाला है, वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया जाता है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम, किए गए आदेश या अधिरोपित शर्त की किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, जिसके संबंध में कोई शास्ति विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो, यथास्थिति, ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए दोषी व्यक्ति <u>धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार लगाई जाने वाली शास्ति का भागी होगा।</u>
3.	धारा 30: रिजर्व बैंक की जुर्माने अधिरोपित करने की शक्ति	(1) धारा 26 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम, यथास्थिति, धारा 26 की उपधारा (2) या उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तो रिजर्व बैंक उल्लंघन या किसी व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच लाख रुपए से या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में अंतर्वलित रकम के दोगुने से अधिक न होगी, जहां ऐसी रकम निर्धारण योग्य हो, उनमें से जो अधिक हो, और जहां ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, तो ऐसी अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है,	(1) धारा 26 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम, यथास्थिति, धारा 26 की उपधारा (2) या <u>उपधारा (3)</u> या उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तो रिजर्व बैंक उल्लंघन या किसी व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो <u>दस लाख</u> रुपए से या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में अंतर्वलित रकम के दोगुने से अधिक न होगी, जहां ऐसी रकम निर्धारण योग्य हो, उनमें से जो अधिक हो, और जहां ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, तो ऐसी अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित

		पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।	कर सकेगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

2.227. मंत्रालय द्वारा निवेदन :

2.227.1. वित्तीय सेवाएं विभाग ने संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26 में संशोधन करने और अधिनियम की धारा 30 में परिणामी संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में, विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि अधिनियम की धारा 26 की मौजूदा उप-धारा(3) एक अपेक्षाकृत नियमित प्रक्रियात्मक उल्लंघन को जुर्माना युक्त दंडनीय अपराध बनाती है। इस उप-धारा के लिए प्रस्तावित संशोधन इसे शास्ति का भुगतान करने के दायित्व में बदलकर इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर देता है। इसी तरह, धारा 26 की उप-धारा (6) अपराध की किसी भी विशिष्टता के बिना एक सर्वग्राही खंड है। इस उप-धारा में प्रस्तावित संशोधन विनियामक को जुर्माने की बजाय शास्ति लगाने की शक्ति देता है, जिससे यह धारा अपराध की श्रेणी से बाहर हो जाती है। उपर्युक्त परिवर्तनों को उचित रूप से शामिल करने के लिए धारा 30 में प्रस्तावित परिणामी संशोधनों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शास्ति लगाने के तरीके का उपबंध है।

2.228. समिति की बैठक में चर्चा :

2.228.1. 6 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान, समिति ने प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की। समिति ने पाया कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के लागू होने की शुरुआत से ही अधिनियम की धारा 30 के सीमांत शीर्षक में 'जुर्माना' शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि धारा के उपबंध वास्तव में धारा में उल्लिखित 'शास्ति' लगाने से संबंधित हैं। मूल अधिनियम में इस भ्रांति को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

2.229. समिति के सुझाव :

2.229.1. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, समिति ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों से सहमति व्यक्त की और खंड-वार विचारण के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया :

- (i) धारा 30 : धारा के सीमांत शीर्षक में, "रिज़र्व बैंक की जुर्माने अधिरोपित करने की शक्ति" को "रिज़र्व बैंक की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति" के साथ प्रतिस्थापित किया जाए।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रमांक 39]

2.230. प्रशासनिक मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

2.231. **अधिनियम का उद्देश्य:** इस अधिनियम का उद्देश्य सरकार द्वारा सभी स्तरों पर आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय सांख्यिकी संग्रहण को सुकर बनाना और उनसे संबंधित या उनके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करना है। सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत नियम नामतः सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 को दिनांक 16.05.2011 को अधिसूचित कर दिया गया है।

2.231.1. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के किसी भी मंत्रालय या विभाग, या किसी भी पंचायत या नगर पालिका में कार्यरत 'सांख्यिकी अधिकारी' द्वारा मांगी गई जानकारी व्यक्तियों को प्रस्तुत करनी होगी। सांख्यिकी अधिकारी को किसी व्यक्ति के पास मौजूद किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज को प्राप्त करने का अधिकार है तथा उसे किसी भी ऐसे परिसर में प्रवेश करने का अधिकार भी है जहां वह मानता है कि ऐसा दस्तावेज रखा गया है जिसका निरीक्षण करने या उसे प्राप्त करने के लिए उसका वहां जाना आवश्यक है।

2.232. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा सं.	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1	धारा 15 विशिष्टियां प्रदाय करने में उपेक्षा या इंकार करने के लिए शास्ति ।	15. विशिष्टियां प्रदाय करने में उपेक्षा या इंकार करने के लिए शास्ति :- (1) जो कोई किसी लेखा बही, वाउचर, दस्तावेज या अन्य कारबार अभिलेख पेश करने में असफल रहता है अथवा जो कोई उसे दी गई या भेजी गई किसी सूचना-अनुसूची या विवरणी में अपेक्षित विशिष्टियों को भरने या उनका प्रदाय करने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है	15. विशिष्टियां प्रदाय करने में उपेक्षा या इंकार करने या इस अधिनियम के उल्लंघन में किन्हीं कार्यों के लिए शास्ति :- (1) जो कोई इस अधिनियम के उल्लंघन में कृत्य करता है या किसी लेखा बही, वाउचर, दस्तावेज या अन्य कारबार अभिलेख पेश करने में असफल रहता है अथवा जो कोई उसे दी गई या भेजी गई किसी सूचना-अनुसूची या विवरणी

		या जो कोई इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन या इसके किसी उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित उसको संबोधित किसी प्रश्न या जांच का उत्तर देने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।	में अपेक्षित विशिष्टियों को भरने या उनका प्रदाय करने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है या जो कोई इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन या इसके किसी उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित उसको संबोधित किसी प्रश्न या जांच का उत्तर देने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
2.	धारा 16. मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति : -	धारा 16. मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति :- जो कोई, जानबूझकर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे किसी सूचना अनुसूची या विवरणी में जो भरी गई है या प्रदाय की गई है या उससे पूछे गए किसी प्रश्न के उत्तर में कोई मिथ्या या भ्रामक कथन से करता है या लोप करता है, जो तात्त्विक है, वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में इस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव किया गया ।

3	धारा 17- सूचना अनुसूची को विकृत करने या प्रतिरूपण के लिए शास्ति :-	धारा 17- सूचना अनुसूची को विकृत करने या विरूपण के लिए शास्ति:- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन संग्रहित किसी सूचना अनुसूची, प्ररूप या अन्य विशिष्टियों वाले दस्तावेज को नष्ट करता है, उसे विरूपित करता है, हटाता है या विकृत करता है वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में इस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव किया गया ।
4	धारा 18. कर्मचारियों को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति :-	धारा 18. कर्मचारियों को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति :- जो कोई, किसी कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त किसी शक्ति या कर्तव्य का प्रयोग करने में हस्तक्षेप करता है, अवरोध उत्पन्न करता है या बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में इस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव किया गया ।

5	धारा 19. अन्य अपराधों के लिए शास्ति :-	धारा 19. अन्य अपराधों के लिए शास्ति.- जो कोई— (क) इस अधिनियम के किसी उपबंध या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी अपेक्षा के उल्लंघन में कृत्य करता है या उसका अनुपालन करने में विफल रहता है ; या (ख) जानबूझकर किसी सांख्यिकी अधिकारी या किसी अभिकरण या उसके किसी कर्मचारी के साथ प्रवंचना करता है या प्रवंचना करने का प्रयास करता है, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में इस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव किया गया ।
6	धारा 20. कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों और कृत्यों को किए जाने में असफल रहने के लिए शास्ति :-	धारा 20. कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों और कृत्यों को किए जाने में विफल रहने के लिए शास्ति:- यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य या कृत्य के निष्पादन में नियोजित है,— (क) विधिपूर्ण कारण के बिना अपने कर्तव्य को करने का लोप करता है या जानबूझकर कोई मिथ्या घोषणा, कथन या विवरणी देता है ; या	यथा पुरःस्थापित विधेयक में इस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव किया गया ।

		(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करने में बहाना करता है, या ऐसी सूचना अभिप्राप्त करता है या अभिप्राप्त करने की वांछा करता है जिसे अभिप्राप्त करने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है; या (ग) इस अधिनियम के अनुसरण में संग्रहित सूचना अनुसूची में संकलित या दर्ज की गई सूचना की गोपनीयता बनाए रखने में विफल रहता है और इस अधिनियम के अधीन यथा अनुज्ञेय के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी सूचनादाता द्वारा फाइल की गई अनुसूची में या दी गई किसी सूचना की अंतर्वस्तु प्रकट करता है, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।	
7	धारा 21. कर्मचारी के प्रतिरूपण के लिए शास्ति :-	धारा 21. कर्मचारी के प्रतिरूपण के लिए शास्ति:- जो कोई, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सांख्यिकी संग्रह करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, शब्द, आचरण या प्रदर्शन द्वारा यह बहाना करता है कि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत	यथा पुरःस्थापित विधेयक में इस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव किया गया ।

		है, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।	
8	धारा 22. साधारण शास्ति :-	धारा 22. साधारण शास्ति:- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से भिन्न अन्य कहीं कोई शास्ति विहित नहीं है, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में, ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।	यथा पुरःस्थापित विधेयक में इस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव किया गया ।

2.233. मंत्रालय द्वारा निवेदन

2.233.1. मंत्रालय ने सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के निरपराधीकरण/ यौक्तिकीकरण के लिए प्रस्तावित संशोधनों पर निम्नलिखित नोट प्रस्तुत किया है -

“कैबिनेट सचिव के दिनांक 01.06.2020 के डी.ओ. पत्र के अनुसरण में, मंत्रालय ने सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत दंड प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था ताकि उन अपराधों की पहचान की जा सके जिनका निरपराधीकरण / यौक्तिकीकरण किया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों पर आम जनता की टिप्पणियां मांगी थीं। समिति की सिफारिशों और आम जनता से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 को युक्तिसंगत बनाने/ इसके अधीन अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया था। पूर्व-विधायी परामर्श की प्रक्रिया के

अनुसार, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत विभिन्न दंडों को युक्तिसंगत बनाने/अपराध की श्रेणी से बाहर करने के मसौदा प्रस्ताव पर संबंधित हितधारकों अर्थात् केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, उद्योग संघों, आम जनता के साथ परामर्श किया गया था। समिति की सिफारिशों, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों, मंत्रालय में आयोजित आंतरिक विचार-विमर्श और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की सलाह तथा इसके बाद एमओएसपीआई द्वारा की गई समीक्षा के मद्देनजर, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 में इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने/युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा में जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, 2022 के मसौदे के माध्यम से दिनांक 22.12.2022 को पुरःस्थापित किया गया है। (उक्त विधेयक के क्रमांक 39 पर)। ”

2.234. समिति की बैठक में चर्चा:

2.234.1. दिनांक 09.02.2023 को समिति की बैठक में उनके विचार-विमर्श के दौरान, यह सूचित किया गया था कि मंत्रालय इस अधिनियम के उल्लंघन में किए गए विभिन्न अपराधों से संबंधित धारा 16 से 22 का लोप करना चाहता है।

2.234.2. इस संबंध में समिति ने धारा 23, 24, 25 और 26 को बनाए रखने के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश की, जिसमें इन धाराओं के तहत अदालतों द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने का प्रावधान है, जब धारा 16 से 22 के तहत अपराधों से संबंधित धाराओं का लोप कर दिया गया है। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि इन प्रावधानों को धारा 15 के मद्देनजर रखा गया है, जिसके तहत जुर्माने का प्रावधान है।

2.234.3. समिति ने आगे पूछा कि क्या इन धाराओं को निरस्त करने के बाद, कंपनियों द्वारा किए गए अपराध धारा 15 (1) के अंतर्गत होंगे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सकारात्मक जवाब दिया।

2.234.4. समिति ने राय दी कि इन प्रावधानों को हटाया जा सकता है क्योंकि कंपनियों द्वारा किए गए अपराध धारा 15 के अंतर्गत आते हैं। समिति ने आगे सुझाव दिया कि धारा 15 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए जुर्माने को शास्ति में बदला जा सकता है ताकि न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में न्यायालयों की भागीदारी से बचा जा सके।

2.234.5. जब समिति ने धारा 15(1) के तहत लगायी गयी शास्ति की मात्रा की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के बारे में पूछताछ की, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को अवगत कराया कि यह धारा व्यक्तियों के साथ-साथ छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों पर भी लागू होती है, इसीलिए राशि को कम रखा गया है। हालांकि, समिति ने सुझाव दिया कि जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।

2.234.6. इस संबंध में, समिति ने जानना चाहा कि शास्ति लगाने के लिए अधिनियम के तहत न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, समिति ने सुझाव दिया कि इस हेतु प्रावधान को धारा 15 में जोड़ा जा सकता है।

2.234.7. अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करने के प्रावधानों के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अधिनियम की धारा 33 के बारे में जानकारी दी। समिति ने धारा 33 के तहत आवश्यक निर्देशों को शामिल करने का सुझाव दिया।

2.235. समिति के सुझाव:

2.235.1. विधेयक की अनुसूची के क्रम सं 39 में विनिर्दिष्ट सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार-विमर्श और स्पष्टीकरण के बाद समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ खंड-दर-खंड विचार के दौरान निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया:

धारा 15 (1) (i): "दंडनीय" शब्द के स्थान पर "उत्तरदायी" प्रतिस्थापित किया जाए और "जुर्माना" को "शास्ति" में परिवर्तित किया जाये। शब्द "विहित" को हटा दिया जाना चाहिए।

(ii) कंपनी के मामले में जुर्माना एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 15 (2) (i): "दोषसिद्धि" शब्द के स्थान पर "शास्ति अध्यारोपण" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) 'अपराध के लिए' शब्दों का लोप किया जाए।

(iii) "दोषसिद्धि" शब्द के स्थान पर "शास्ति अध्यारोपण" प्रतिस्थापित किया जाए।

(i) 'दंडनीय' शब्द के स्थान पर 'उत्तरदायी' प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) 'जुर्माना' शब्द को 'शास्ति' में परिवर्तित किया जाए।

धारा 23 से 26- का लोप किया जाए।

धारा 33 - उप-खंड (घ) (6) को 33 (2) (ड) से पहले जोड़ा जाए। इस संबंध में धारा 15 के अधीन शास्ति निर्धारित करने के तरीके के संबंध में निर्णयन तंत्र को अधिनियम में जोड़ा जाये।

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रमांक 40]

2.236. **प्रशासनिक मंत्रालय:** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
[उपभोक्ता मामले विभाग]

2.237. **अधिनियम का उद्देश्य:** इस अधिनियम का उद्देश्य माप और तौल की सुरक्षा और सटीकता की दृष्टि से सार्वजनिक गारंटी सुनिश्चित करना है और इसे वजन और माप के मानकों को स्थापित करने और लागू करने, वजन, माप और अन्य वस्तुओं, जिन्हें वजन, माप या संख्या द्वारा बेचा या वितरित किया जाता है, में व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को क्रमशः अधिनियम की धारा 52 और धारा 53 के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है।

2.237.1. **विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009** प्राथमिक साधन है जिससे वजन और माप के मानक स्थापित होने के साथ-साथ देश में भार और माप के मानक प्रवृत्त होते हैं और भार और माप संबंधी व्यापार विनियमित होते हैं और यह देश में अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियों की आधारशिला है।

2.238. **अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:**

क्रम सं.	धारा	विद्यमान उपबंध	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1	25	जो कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, बाट या माप मानकों या अंक मानकों से भिन्न किसी बाट या माप का उपयोग करेगा या उपयोग के लिए उसे रखेगा या किसी अंक का उपयोग करेगा, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, और द्वितीय या पश्चात्तवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास	जो कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, बाट या माप मानकों या अंक मानकों से भिन्न किसी बाट या माप का उपयोग करेगा या उपयोग के लिए उसे रखेगा या किसी अंक का उपयोग करेगा, जुर्माने से, जो एक लाख पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, और द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो लाख पचास हजार रुपए

		तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।	तक का हो सकेगा, और तृतीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो पाँच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा।
2	27	27. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी ऐसे बाट या माप का जो— (क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट या माप मानकों के अनुरूप नहीं है; या (ख) जिस पर बाट, माप या अंक का ऐसा कोई अंतरालेखन है, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट, माप या अंक मानकों के अनुरूप नहीं है, सिवाय उस दशा के, जहां इस अधिनियम के अधीन उसे ऐसा करने की अनुमति दी गई है, विनिर्माण करेगा या विनिर्माण कराएगा अथवा विक्रय करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा, अभिदर्शित करेगा या उसे कब्जे में रखेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।	27. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी ऐसे बाट या माप का जो— (क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट या माप मानकों के अनुरूप नहीं है; या (ख) जिस पर बाट, माप या अंक का ऐसा कोई अंतरालेखन है, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट, माप या अंक मानकों के अनुरूप नहीं है, सिवाय उस दशा के, जहां इस अधिनियम के अधीन उसे ऐसा करने की अनुमति दी गई है, विनिर्माण करेगा या विनिर्माण कराएगा अथवा विक्रय करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा, अभिदर्शित करेगा या उसे कब्जे में रखेगा, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, और तृतीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो चार लाख रुपए तक का हो सकेगा, से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
4	28	जो कोई धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट बाट और माप मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, त्यौहार या संविदा करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार	जो कोई धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट बाट और माप मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, त्यौहार या संविदा करेगा, वह ऐसे जुर्माने से,

		रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्पूर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।	जो पचास हजार रुपए और दूसरे अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चात्पूर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा।
5	29	जो कोई धारा 11 का अतिक्रमण करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्पूर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।	जो कोई धारा 11 का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और दूसरे अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चात्पूर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा।
6	31	जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विवरणियां प्रस्तुत करने, कोई अभिलेख या रजिस्टर रखे जाने की अपेक्षा किए जाने पर या निदेशक या नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा कोई बाट या माप या उससे संबंधित कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख निरीक्षण के लिए उसके समक्ष पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसा करने का लोप करेगा या उसमें असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्पूर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो	जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विवरणियां प्रस्तुत करने, कोई अभिलेख या रजिस्टर रखे जाने की अपेक्षा किए जाने पर या निदेशक या नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा कोई बाट या माप या उससे संबंधित कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख निरीक्षण के लिए उसके समक्ष पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसा करने का लोप करेगा या उसमें असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो

		सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा ।	सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा।
7	34	जो कोई मानक बाट, माप या संख्या से भिन्न किसी साधन द्वारा किसी वस्तु, चीज या सामग्री का विक्रय करेगा या करवाएगा अथवा परिदान करेगा या परिदान करवाएगा, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।	जो कोई मानक बाट, माप या संख्या से भिन्न किसी साधन द्वारा किसी वस्तु, चीज या सामग्री का विक्रय करेगा या करवाएगा अथवा परिदान करेगा या परिदान करवाएगा, ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा तृतीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा।
8	35	जो कोई बाट या माप या संख्या से भिन्न किसी साधन द्वारा या मानक बाट या माप से भिन्न किसी बाट, माप या संख्या द्वारा कोई सेवा प्रदान करेगा या प्रदान करवाएगा वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।	जो कोई बाट या माप या संख्या से भिन्न किसी साधन द्वारा या मानक बाट या माप से भिन्न किसी बाट, माप या संख्या द्वारा कोई सेवा प्रदान करेगा या प्रदान करवाएगा वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा तृतीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा।

3	48	48. (1) धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 45 से धारा 47 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, सरकार के पक्ष में ऐसी राशि के, जो विहित की जाए, जमा किए जाने के लिए संदाय पर शमन किया जा सकेगा। (2) ऐसा निदेशक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जो इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए, धारा 25, धारा 27 से धारा 39 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा। (3) नियंत्रक या उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत विधिक मापविज्ञान अधिकारी, धारा 25, धारा 27 से धारा 31, धारा 33 से धारा 37, धारा 45 से धारा 47 और धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा: परंतु ऐसी राशि किसी भी दशा में, जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी, जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाए।	48. (1) धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 41, धारा 45 से धारा 47 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, सरकार के पक्ष में ऐसी राशि के, जो विहित की जाए, जमा किए जाने के लिए संदाय पर शमन किया जा सकेगा। (2) ऐसा निदेशक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जो इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए, धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 41 और धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा। (3) नियंत्रक या उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत विधिक मापविज्ञान अधिकारी, धारा 25, धारा 27 से धारा 31, धारा 33 से धारा 37, धारा 41, धारा 45 से धारा 47 और धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा: परंतु ऐसी राशि किसी भी दशा में, जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी, जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाए।

2.239 मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.239.1 प्रशासनिक मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में सूचित किया कि अध्याय-5 के तहत विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 25 से 47 में पहले अपराध के मामले में जुर्माना लगाने के माध्यम से विभिन्न दंड का प्रावधान है। अपराध की प्रकृति के आधार पर द्वितिय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए (i) या तो कारावास या जुर्माना या दोनों या (ii) कारावास और जुर्माना दोनों या (iii) केवल कारावास निर्धारित है। अधिनियम की धारा 50 के तहत अपील का प्रावधान किया गया है। विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत कंपनी के एक निदेशक को नामित करने का प्रावधान किया गया है जो कंपनी द्वारा जिम्मेदार होगा।

2.239.2 पृष्ठभूमि टिप्पण में आगे कहा गया है कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत वर्तमान में निर्धारित सिविल और आपराधिक दंडों की समीक्षा आपराधिक दायित्व अधिरोपित करने के लिए उनकी उपयुक्तता के संबंध में और निम्नलिखित सिद्धांतों पर मामूली अपराधों का निरापराधिकरण करने के लिए की गई थी:

- (i) जिसमें आपराधिक मनःस्थिति नहीं है (दुर्भावनापूर्ण/आपराधिक मंशा); और
- (ii) जहां व्यापक जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो।
- (iii) पहले और द्वितिय और पश्चातवर्ती अपराध में आर्थिक जुर्माने को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है

2.239.3 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए विभाग की वेबसाइट पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 का निरापराधिकरण करने का प्रस्ताव किया था और प्रस्ताव पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां भी मांगी गई थीं। अधिकांश राज्य और उद्योग संघ विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के निरापराधिकरण के पक्ष में थे। उद्योग संघ अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों के निरापराधिकरण के पक्ष में थे; हालाँकि, इस संबंध में राज्यों की प्रतिक्रियाएँ भिन्न थीं।

2.239.4 विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को निरापराधिकरण के संबंध में, मंत्रालय ने अपने लिखित आग्रह में कहा कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 25 से 47 पहले अपराध के मामले में जुर्माना लगाने के माध्यम से विभिन्न दंडों का प्रावधान करती हैं। 6 धाराओं (23 में से) में पहले अपराध में कारावास का प्रावधान है। अपराध की प्रकृति के आधार पर द्वितिय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए निम्नवत विहित किया गया है:

(i) या तो कारावास या जुर्माना या दोनों या

(ii) कारावास और जुर्माना दोनों या

(iii) केवल कारावास

2.239.5 प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा 07.02.2023 को विधेयक पर संक्षिप्त जानकारी देने के दौरान अमानक बाट या माप के प्रयोग पर धारा 25 के तहत लगने वाले जुर्माने के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि इसमें जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और कारावास की सजा हटा दी गई है।

2.239.6 इस संबंध में जब समिति ने स्पष्टीकरण मांगा कि संशोधित धारा 25 के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि पूर्णांकों (राउंड फीगर) में क्यों नहीं है, तो मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को अवगत कराया कि अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए राशि को पांच गुना बढ़ा दिया गया है। समिति ने राय दी कि इस राशि को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है और बढ़ाकर पूर्णांकों में किया जा सकता है।

2.240 समिति के सुझाव

2.240.1 विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, समिति विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 में प्रस्तावित संशोधनों से सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई, जो विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 40 में विनिर्दिष्ट हैं, और समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ खंड-वार विचार के दौरान निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का निर्णय लिया।

धारा 25: पहले अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा तथा तृतीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा।

फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का क्रम संख्या 41]

2.241. प्रशासनिक मंत्रालय:

वित्त मंत्रालय

[वित्तीय सेवाएं विभाग]

2.242. अधिनियम का उद्देश्य: यह अधिनियम देश में फैक्टरिंग पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

2.243. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रम संख्या	धारा	मौजूदा प्रावधान	लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 21: शास्तियां	यदि धारा 19 के अधीन किसी फेक्टर द्वारा प्राप्तियों के समनुदेशन और प्राप्तियों की वसूली के किसी संव्यवहार की विशिष्टियां फाइल करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो ऐसी कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है. पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	21 शास्तियां - यदि धारा 19 के तहत एक फेक्टर द्वारा प्राप्तियों के असाइनमेंट और प्राप्तियों की वसूली के किसी भी लेनदेन के विवरण को दाखिल करने में कोई चूक की जाती है, तो ऐसी कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक में संलिप्त है, पर एक शास्ति लगेगी जिसे कि पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और अपराध जारी रहने के मामले में, इस अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) से (4) के उपबंधों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा हर एक दिन जिसके दौरान डिफॉल्ट जारी रहता है, एक अतिरिक्त शास्ति जिसे दस हजार रुपये की तक बढ़ाया जा सकता है, लगाई जाएगी।

2.	धारा 22: रिजर्व बैंक के निर्देश का पालन न करने के लिए शास्ति। -	(1) यदि कोई फेक्टर, धारा 6 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो रिजर्व बैंक ऐसी शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी और अपराध के जारी रहने की दशा में ऐसा अतिरिक्त जुर्माना, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अधिरोपित कर सकेगा। (2) रिजर्व बैंक, उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए, फेक्टर को उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करेगा कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए और ऐसे फेक्टर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाएगा। (3) इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति, उस तारीख से, जिसको रिजर्व बैंक द्वारा राशि के संदाय की मांग करने संबंधी सूचना की फेक्टर पर तामील की जाती है, चौदह दिन की अवधि के भीतर, संदेय होगी और फेक्टर द्वारा उस अवधि के भीतर राशि का संदाय	22. “रिजर्व बैंक के निर्देशों के गैर अनुपालन के लिए शास्तियां - (1) यदि कोई फेक्टर धारा 6 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, या धारा 19 के तहत प्राप्तियों के किसी भी लेनदेन और प्राप्तियों की वसूली के विवरण दाखिल करने में असफल रहता है, तो रिजर्व बैंक जुर्माना लगा सकता है जिसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और अपराध जारी रहने के मामले में, एक अतिरिक्त शास्ति जो हर दिन जिसके दौरान डिफॉल्ट जारी रहता है के लिए दस हजार रुपये तक हो सकती है। (2) उप-धारा (1) के तहत शास्ति का निर्णय करने के उद्देश्य से या धारा 21, रिजर्व बैंक फेक्टर को कारण बताओ नोटिस देगा कि नोटिस में निर्दिष्ट राशि की शास्ति क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए और ऐसे फेक्टर को सुनवाई का एक उचित अवसर भी दिया जाएगा। (3) धारा 21 के तहत रिजर्व बैंक

		करने में असफल रहने की दशा में, उस क्षेत्र में, जहां फेक्टर का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, अथवा किसी फेक्टर के भारत के बाहर निगमित होने की दशा में, जहां भारत में उसके कारबार का मुख्य स्थान स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निदेश पर उद्गृहीत की जा सकेगी : परंतु ऐसा कोई निदेश रिजर्व बैंक या इस निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय को किए गए आवेदन पर ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं । (4) वह न्यायालय, जो उपधारा (3) के अधीन कोई निदेश देता है, फेक्टर द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति में प्रवर्तनीय होगा, मानो वह किसी सिविल बाद में न्यायालय द्वारा की गई कोई डिक्री हो ।	द्वारा लगाई गई कोई भी शास्ति उस तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर देय होगी, जिस दिन रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटिस में राशि के भुगतान की मांग की जाती है और इस घटना में ऐसी अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में फेक्टर की असफलता पर, उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर लगाया जा सकता है जहां कारक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है; या, भारत के बाहर निगमित एक कारक के मामले में, जहां भारत में इसका कारबार का प्रमुख स्थान स्थित है: बशर्ते कि रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय में किए गए आवेदन के अलावा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में: बशर्ते कि रिजर्व बैंक चूककर्ता के चालू खाते, यदि कोई हो, को डेबिट करके या चूककर्ता के क्रेडिट में रखी गई प्रतिभूतियों को समाप्त करके भी शास्ति की राशि की वसूली कर सकता है। . (4) न्यायालय जो उप-धारा (3) के तहत निर्देश देता है, फेक्टर

			द्वारा देय राशि को निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाण पत्र उसी तरह से लागू करने योग्य होगा जैसे कि यह न्यायालय द्वारा एक सिविल सूट डिक्री में किया गया हो।”

2.244. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.244.1. वित्तीय सेवाएं विभाग ने फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 21 में संशोधन करने और अधिनियम की धारा 22 में परिणामी संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। विभाग ने अपनी पृष्ठभूमि नोट में कहा है कि अधिनियम की धारा 21 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माना लगाने के प्रावधान के स्थान पर शास्ति लगाने के प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह अपराध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति का हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित केंद्रीय रजिस्ट्री में प्राप्य लेनदेन के कुछ असाइनमेंट के पंजीकरण में की गई चूक से संबंधित है, जो प्रकृति में अपेक्षाकृत नियमित है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 22 में परिणामी सम्मिलन प्रस्तावित हैं ताकि शास्ति लगाने और शास्ति वसूलने के तरीके का प्रावधान किया जा सके अर्थात् आरबीआई द्वारा शास्ति लगाने के लिए निर्णय प्रक्रिया और शास्ति की वसूली निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

2.244.2. विभाग ने विस्तार से बताया कि फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 21 के तहत अपराध प्रक्रियागत है और प्राप्तियों और प्राप्तियों के असाइनमेंट के लेनदेन के विवरण को रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत नहीं करने की प्रकृति का है। इसलिए, प्रक्रियागत उल्लंघन के लिए आरबीआई द्वारा लगाए जाने वाले 'जुर्माने' को 'शास्ति' में बदलने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 22 में प्रस्तावित संशोधन धारा 21 के अधीन लगाई गई शास्ति की रीति का उपबंध करने के परिणामस्वरूप की गई है कि यह किस प्रकार अधिरोपित की जाएगी। धारा 22 को धारा 19 के उल्लंघन के लिए धारा 21 के तहत लगाए जाने वाले दंड के लिए भी विस्तारित किया गया है।

2.245. समिति की बैठक में चर्चा:

2.245.1. 6 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान, वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी और समिति को फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी।

2.246. समिति द्वारा सुझाव:

2.246.1. वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सार रूप में बताने के बाद, समिति ने राय दी कि शास्ति लगाने से पहले, सुनवाई के फैक्टर को एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख से फैक्टर को सुनने और विफलता के कारणों को स्पष्ट करने का पर्याप्त समय होना चाहिए।

2.246.2. तथापि, समिति विधेयक की अनुसूची के क्रम सं 41 में विनिर्दिष्ट फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधनों से सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई और यदि आवश्यक हो तो खंड-दर-खंड चर्चा के दौरान सुझावों पर विचार करने का निर्णय लिया।

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016

[जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की क्रम सं. 42]

2.247. प्रशासनिक मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

2.248. अधिनियम का उद्देश्य: आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 का आशय भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को सुशासन के रूप में विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करके तथा सब्सिडी, लाभ और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए दक्ष, पारदर्शी और लक्षित वितरण करना है।

2.249. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

क्रमांक	धारा	मौजूदा प्रावधान	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में यथा संशोधित उपबंध
1.	धारा 41	प्रज्ञापना संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए शास्ति- जो कोई, नामांकनकर्ता अभिकरण या अनुरोधकर्ता अस्तित्व होते हुए धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 8 की उपधारा (4) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।	प्रज्ञापना संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए शास्ति- जो कोई, नामांकनकर्ता अभिकरण या अनुरोधकर्ता अस्तित्व होते हुए धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 8 की उपधारा (4) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी या कंपनी की दशा में, शास्ति से, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा।”

2.250. मंत्रालय द्वारा निवेदन:

2.250.1. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि नोट में बताया है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन की सजा से संबंधित उपबंधों की समीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की गई:

- (क) कारबार की सुगमता के लिए जहां भी संभव हो कारावास की धाराओं का निरपराधीकरण करना, या सजा की मात्रा को कम करना या/और अपराध का शमनीय बनाना;
- (ख) समान अपराधों के लिए दंड में एकरूपता बनाए रखना; और
- (ग) जुर्माने के बजाय शास्ति का प्रावधान करते हुए न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम बनाना ताकि न्यायालयों पर बोझ न पड़े।

2.250.2. मंत्रालय ने आगे बताया कि की गई समीक्षा निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर की गई है:

- (क) अधिक गंभीर उल्लंघनों के लिए उल्लंघन को एक दंडनीय अपराध के रूप में बनाए रखना;
- (ख) समान प्रकृति के अपराधों के लिए सजा की मात्रा को समान रखना;
- (ग) कंपनियों और अन्य कॉर्पोरेट निकायों द्वारा उल्लंघन के संबंध में—
 - (i) कारावास को समाप्त करना; और/या
 - (ii) किसी दांडिक अपराध के लिए सजा के रूप में अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने के उपबंध को न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अधिक आर्थिक शास्ति के उपबंध द्वारा प्रतिस्थापित करना; और
 - (iii) गैर-आपराधिक उल्लंघनों के लिए शास्ति/दायित्व को युक्तिसंगत बनाना; और;

2.251. समिति की बैठक के दौरान हुई चर्चा:

2.251.1. समिति की 16 जनवरी, 2023 को आयोजित बैठक के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि आधार अधिनियम की धारा 3 (2) और धारा 8 (3) दोनों का सीमित उद्देश्य आधार नामांकन या प्रमाणीकरण करा रहे व्यक्ति को व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी की प्रकृति, उपयोग आदि के बारे में सूचित करना है। आगे, यह बताया गया कि नौ धाराएं (अधिनियम की धारा 34 से 42) जो प्रतिरूपण, धोखाधड़ी आदि जैसे गंभीर प्रकृति के दंडात्मक उपबंधों और अपराधों से संबंधित हैं, के लिए

कारावास को यथावत् रखा गया है और केवल आधार इकोसिस्टम पार्टनर द्वारा सूचना न देने के मामले में कारावास की सजा को हटाया जा रहा है और आर्थिक जुर्माना बढ़ाया जा रहा है।

2.251.2. तत्पश्चात्, समिति ने प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक के आलोक में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित शास्ति के प्रभाव के संबंध में जानना चाहा। समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या आधार अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक के उपबंधों के अनुरूप हैं। इस संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत् बताया:

“..., हमने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक की जांच की है। अब तक, हमें आधार अधिनियम और इस विधेयक के बीच कोई विसंगति नहीं मिली है। विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद और यदि कतिपय परिवर्तन किए जाते हैं तो हम जांच करेंगे कि क्या आधार अधिनियम में कुछ बदलावों की आवश्यकता है”

2.251.3. इस मुद्दे पर आगे, एमईआईटीवाई के सचिव ने निम्नवत् बताया:

“ डीपीडीपी विधेयक में भी अपराधीकरण का कोई खंड नहीं है। इसमें भी कोई कारावास नहीं है। यह एक भाग है। जाहिर है, आधार अधिनियम दोनों के अनुसार होना चाहिए। इसलिए, हम सक्रिय रूप से इस पर चर्चा कर रहे हैं। चूंकि दोनों अधिनियम एक ही मंत्रालय के हैं, इसलिए हम दोनों अधिनियमों को एक साथ ले रहे हैं ताकि दोनों अधिनियमों के बीच कोई अंतर न हो। तीसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम किसी व्यक्ति द्वारा सूचना प्रस्तुत न करने पर भी इस प्रकार की शास्ति लगाते हैं और मुख्यतः कारावास देते हैं, तो मेरे विचार से यह वास्तव में एक निवारक बन जाएगा क्योंकि आजकल बैंकों जैसी बहुत सी निजी संस्थाएं ऐसी सूचना मांग रही हैं। सेबी भी यह जानकारी मांग रहा है। उन्हें प्रमाणीकरण के लिए इसकी आवश्यकता है। आधार प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) का एक अहम साधन बन गया है। इसलिए, हम चाहते हैं कि वे इस बड़ी व्यवस्था का हिस्सा बनें। जब हम पूरे राष्ट्र के लिए एक विशिष्ट पहचान बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि एक व्यक्ति की सभी उद्देश्यों के लिए एक ही पहचान हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा करने के बाद यह आसान हो जाएगा।

2.251.4. सूचना न देने पर कारावास को हटाने और 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए (कंपनी के मामले में) की शास्ति लगाए जाने को उचित ठहराए जाने पर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर, एमईआईटीवाई के सचिव ने निम्नवत् उत्तर दिया:

“ महोदय,xxxx सुविज्ञ सहमति हमारे डीपीडीपी विधेयक का भी भाग है। यह पिछले विधेयक में था। यदि हम यहां उद्देश्य को देखें, तो नामांकन एजेंसियां काफी हद तक विभागीय एजेंसियां हैं। इसमें कोई आपराधिक मंशा नहीं होगी। फॉर्म पहले से ही है और वे उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यदि कोई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी गलती से यह प्राप्त नहीं कर पाता है या वह फॉर्म देना भूल जाता है, तब भी आपराधिक मंशा स्थापित नहीं किया जा सकता है। शास्ति ऐसी चीज है जो दिया जा सकता है लेकिन कारावास के लिए कदाशयता या आपराधिक मंशा होनी चाहिए। जब हमने चर्चा की तब चर्चा के दौरान भी यह बात सामने आई। मुझे लगता है, शायद ही इस पर कोई मामला आया है।”

2.251.5. समिति को आगे बताया गया कि 2016 में इसकी स्थापना के बाद से धारा 41 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि आम तौर पर अनुरोध करने वाली इकाई, चाहे वह आरबीआई हो, सेबी हो या आईआरडीए हो, को एक विनियामक द्वारा विनियमित किया जाता है, । इसके अलावा, नामांकन एजेंसियां और अनुरोध करने वाली एजेंसियां भी एक अलग संविदात्मक दायित्व के माध्यम से बाध्य होती हैं। यह भी बताया गया था कि इसके अलावा यह लागू करने के कई साधन हैं कि नामांकन एजेंसियां और अनुरोध करने वाली एजेंसियां आधार अधिनियम के दिशानिर्देशों और आधार अधिनियम के तहत नियमों का पालन करें।

2.252. समिति के सुझाव:

2.252.1. समिति द्वारा अधिनियम में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार-विमर्श और मांगे गए स्पष्टीकरणों के बाद, समिति ने टिप्पणी की कि मंत्रालय समिति को इस बात से अवगत कराए कि क्या आधार अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन डीपीडीपी विधेयक, जिसे सरकार द्वारा पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है, के समविषयक है।

2.253. सुझावों को प्रभावी बनाने के लिए वैचारिकता, व्यावहारिकता और परिणामी संशोधन

2.253.1. . समिति ने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों से जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, 2022 में विचार किए जा रहे संशोधनों की वैधानिकता, व्यावहारिकता और अन्य संबंधित पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा। समिति ने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को प्रस्तावित संशोधनों का अध्ययन करने और यह पता लगाने का भी निर्देश दिया कि संशोधनों को स्वीकार करने के बाद अधिनियम में कोई परिणामी परिवर्तन भी किया किया जाता है ताकि विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझावों को प्रभावी बनाया जा सके।

सामान्य सिफारिशें:

1. समिति नोट करती है कि जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत को मूर्त रूप देना और जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता संबंधी सुधारों के तहत देश के विनियामक परिदृश्य को पुनः परिभाषित करना है। समिति ने आगे देखा कि सरकार द्वारा देश को एक लोकप्रिय वैश्विक निवेश स्थल बनाने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने हेतु यह विधेयक लाया गया है जिसमें दंड को शास्ति से प्रतिस्थापित करते हुए आर्थिक दंड को युक्तिसंगत बनाने और बड़ी संख्या में छोटे अपराधों का निरापराधीकरण करने की परिकल्पना की गई है। समिति यह भी नोट करती है कि इस विधेयक का आशय 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित किए जा रहे 42 अधिनियमों में निहित 183 प्रावधानों में संशोधन करना है।

समिति सरकार के उद्देश्य और मंशा की सराहना करती है और नोट करती है कि सरकार ने पहले भी संविधि पुस्तक से कई कानूनों का निरसन किया है क्योंकि या तो वे अप्रचलित हो गए थे या क्योंकि उन्हें अलग अधिनियम के रूप में बनाए रखना अनावश्यक था। तथापि, यह विधेयक एक समेकित विधेयक है जिसमें दंड के स्थान पर आर्थिक शास्ति लगाकर छोटे अपराधों का निरापराधीकरण करने का समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे न्यायपालिका का बोझ कम होगा। समिति इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि इस तरह के सुधारों से नौकरशाही और अधिकांश संस्थानों जो एक लोकतांत्रिक सरकार का आधार हैं, में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि भविष्य में इस तरह के कार्यकलाप को जारी रखा जाना चाहिए और अन्य अधिनियमों की भी समीक्षा की जानी चाहिए और इस प्रकार के विधान संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

(सिफारिश संख्या 1)

2. समिति यह नोट करती है कि जन विश्वास विधेयक द्वारा कई कानूनों को संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। कुछ अपवादों के साथ "आपराधिक कानून" और "आपराधिक प्रक्रिया" विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है और उनका कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है। कुछ राज्य विधानमंडलों द्वारा छोटे अपराधों से संबंधित विधान भी अधिनियमित किए गए हैं। जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए अनुपालन को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास और मंशा जमीनी स्तर पर प्रतिबिंबित होनी चाहिए। चूंकि अनेक अनुमोदन, स्वीकृतियां और मुकदमेबाजी राज्य स्तर पर होती हैं, इसलिए राज्य स्तर पर भी अनुपालन और आवश्यकताओं को सरल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि केन्द्र सरकार और डीपीआईआईटी द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त सलाह जारी की

जाए कि वे अपने कानूनों में सुधार करने और दंड को आर्थिक शक्ति से प्रतिस्थापित कर छोटे अपराधों का निरापराधीकरण करने के लिए केन्द्र सरकार की तर्ज पर उपयुक्त कार्रवाई करें, जिससे कि न्यायिक प्रणाली पर मामलों का बोझ भी कम होगा और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा। इस संबंध में, समिति यह भी सिफारिश करती है कि नोडल मंत्रालय अर्थात् डीपीआईआईटी केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से लाए गए सुधारों के बारे में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके जागरूकता पैदा करने हेतु नीति आयोग और अन्य हितधारकों जैसे विनियामक निकायों, व्यापार संघों, उद्योग निकायों आदि की मदद ले सकता है।

(सिफारिश संख्या 2)

3. संविधान में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा कानूनों को अधिनियमित करने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, सूची-II (राज्य सूची) में उन विषयों का उल्लेख है जिनके संबंध में राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। समिति ने पाया कि जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 के द्वारा केंद्र सरकार की मंशा छोटे अपराधों का निरापराधीकरण करने और उनमें दी गई सजाओं को आर्थिक शास्तियों से प्रतिस्थापित करना है। कानून में निहित छोटे अपराधों के संबंध में राज्य स्तर पर विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों से संबंधित विषयों के लिए भी समान कार्यकलाप किया जाना अपेक्षित है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों को परामर्शी-पत्र जारी करे कि वे उन विधानों की समीक्षा करें जो राज्य सरकारों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं ताकि केन्द्र सरकार की तर्ज पर छोटे अपराधों का निरापराधीकरण किया जा सके जिससे कि वास्तविक अर्थों में जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता को मूर्त रूप दिया जा सके।

(सिफारिश संख्या 3)

4. समिति यह नोट करती है कि देश के विकास के लिए बड़ी संख्या में मौजूद आर्थिक गतिविधियों में कई कानून उपबंधित हैं। समिति चाहती है कि सरकार को जन विश्वास विधेयक के समान कार्यकलाप करना चाहिए। इस संबंध में, संयुक्त समिति चाहती है कि मंत्रालय द्वारा जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के दोहरे उद्देश्यों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कई अन्य उपबंधों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त किया जाए जो कि एक पूर्णकालिक निकाय होना चाहिए जिसमें कानूनी पेशेवर, उद्योग निकाय, नौकरशाही और विनियामक प्राधिकरणों के सदस्य आदि शामिल हों और जिसके द्वारा छोटे अपराधों के निरापराधीकरण और ऐसे अपराधों के लिए दंड को आर्थिक शास्तियों से प्रतिस्थापित करने के माध्यम से केंद्र सरकार के लक्ष्य अर्थात् न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधन सुझाए जाएं। अतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार को इस संबंध में यथाशीघ्र जांच करने के लिए एक समूह नियुक्त करना चाहिए।

(सिफारिश संख्या 4)

5. समिति यह नोट करती है कि संशोधन विधेयक में छोटी, तकनीकी और प्रक्रियागत चूकों के लिए आपराधिक उपबंधों के भय को समाप्त करके व्यवसायों पर और जोर देने की परिकल्पना की गई है। समिति का मानना है कि इससे कारबार करने की सुगमता और 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने में काफी मदद मिलेगी। समिति की परिकल्पना है कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से सुचारु प्रक्रियाओं के कारण निवेश संबंधी निर्णयों में तेजी आएगी और अधिक विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और साथ ही विदेशों में पूंजी के पलायन को रोका जा सकेगा। समिति को आशा है कि संशोधन विधेयक से आपराधिक उपबंधों को तर्कसंगत बनाने में तेजी आएगी और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि व्यवसाय, नागरिक और सरकारी विभाग छोटी, तकनीकी या प्रक्रियागत चूकों के लिए कारावास के भय के बिना काम करें। समिति की सुविचारित राय है कि छोटी प्रक्रियागत चूकों और मामूली चूकों के लिए आपराधिक खंड न्यायपालिका के कार्य को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे अदालतों पर अनावश्यक रूप से बोझ पड़ता है और बड़े अपराधों का न्यायनिर्णयन ठंडे बस्ते में चला जाता है। समिति यह नोट करती कि सिविल देनदारियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा सकता है लेकिन आपराधिक देनदारियों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, आपराधिक देनदारियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से दूर किया जा सकता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव देने की वैधताओं और अन्य परिणामों पर विचार किया जाए और यदि व्यवहार्य हो, तो जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि उन अपराधों, जिनका निरापराधीकरण किया जा रहा है, के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाहियों को कम किया जा सके।

(सिफारिश संख्या 5)

6. समिति यह नोट करती है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिकांश अधिनियमों में चूककर्ताओं से निपटने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की अवधारणा को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। समिति चाहती है कि विधि मंत्रालय अधिनियमों को प्रशासित करने वाले संबंधित मंत्रालयों के साथ यह सुनिश्चित करे कि उपबंधों का निरापराधीकरण करते हुए शास्ति लगाए जाने की मांग करने वाले प्रत्येक अधिनियम में शास्ति के अधिनिर्णयन के लिए पीड़ित पक्षों द्वारा अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ अधिनिर्णयन तंत्र का प्रावधान किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि विधि मंत्रालय भविष्य में भी संशोधन के लिए आने वाले सभी अधिनियमों में शास्ति लगाने के माध्यम से निरापराधीकरण करते समय शास्ति के न्यायनिर्णयन के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ एक न्यायनिर्णयन तंत्र को शामिल करने के पहलू पर भी विचार किया जाए।

(सिफारिश संख्या 6)

7. समिति यह नोट करती है कि 11 अधिनियमों में, जबकि कारावास की सजा को हटा दिया गया है, जुर्माना या तो बरकरार रखा गया है या बढ़ा दिया गया है। समिति की सुविचारित राय है कि जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 का उद्देश्य जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ाना है, और साथ ही साथ इसका आशय न्यायपालिका पर दबाव कम करने, अदालतों के बोझ को कम करने और कुशलता से न्याय देने में भी सहायता करना है। समिति ने देखा कि जुर्माना और शास्ति के बीच अंतर यह है कि जुर्माना एक अदालत द्वारा निर्धारित किया जाता है और शास्ति एक कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा लगायी जाती है। इसलिए, यह महसूस किया गया कि जुर्माना को यथावत् बनाए रखने से अनुपालन की जटिलता और मुकदमेबाजी कम नहीं हो जाएगी, जो विधेयक के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को निष्फल कर देगा। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मुकदमेबाजी को बढ़ने से रोकने के लिए जहां भी व्यवहार्य हो, कारावास की सजा को हटाने के साथ जुर्माने की बजाय शास्ति लगायी जाए।

(सिफारिश संख्या 7)

अध्याय-तीन

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 पर

खंड-वार विचार

विधेयक का खंड 2 उपबंध करता है कि -

“2. अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित संशोधनों को उसके स्तंभ (5) में उल्लिखित परिमाण और रीति से एतद्वारा संशोधित किया जाता है।”

चूंकि सामान्य प्रकृति के कतिपय अपराधों को गैर-अपराधीकरण और युक्तिसंगत बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 42 अधिनियमितियों में समाविष्ट करने के लिए प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, अतः समिति ने खंडों पर विचार करने से पूर्व अनुसूची पर विचार करने का निर्णय लिया। इसे भी ध्यान में रखते हुए कि उक्त 42 अधिनियमितियां भारत सरकार के 19 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित की जा रही हैं, समिति ने मंत्रालय-वार 42 अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को समूहबद्ध करने का निर्णय लिया और तदनुसार एक मंत्रालय/विभाग विशेष के अधिनियमों से संबंधित संशोधनों पर एक-एक करके विचार किया।

3.2 अधिनियमों के मौजूदा उपबंध और लोक सभा में यथापुरःस्थापित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 द्वारा विद्यमान उपबंधों में प्रस्तावित संशोधनों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और इसे अध्याय II में सारणीबद्ध रूप में दिखाया गया है। अतः, इस अध्याय में, संक्षिप्तता के लिए, यथापुरःस्थापित विधेयक में प्रस्तावित कुछ संशोधनों में, सभी संशोधित उपबंधों को पुनः उद्धृत करने के स्थान पर, जैसा कि वे विधेयक में दिखाई देते हैं, केवल उन विशेष धाराओं या उप-धाराओं या खंडों को पुनः प्रस्तुत किया गया है, जहां समिति द्वारा संशोधन किया गया है।

3.3 विधेयक की अनुसूची में निर्दिष्ट 42 अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करते हुए, समिति ने प्रत्येक मामले में, मंत्रालयों द्वारा उनकी वैधता, व्यावहारिकता और अन्य पहलुओं की दृष्टि से जांच के लिए मंत्रालयों द्वारा ब्रीफिंग के दौरान प्रस्तावित संशोधनों में उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों को ध्यान में रखा है।

3.4 संदर्भ की सुविधा के लिए, अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों में संशोधनों की संयुक्त समिति द्वारा किए गए विचार को क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है, जैसा कि वे अनुसूची में दिखाई देते हैं।

अनुसूची पर विचार

1. प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में प्रस्तावित संशोधन (अनुसूची की क्रम सं. 1)

3.5 मंत्रालय ने संशोधनों पर खंडवार विचार के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया:

“महोदय, पिछली बैठक में एक ही संशोधन का प्रस्ताव था जो आखिर में सैक्शन 8 सी, सैक्शन 19 के का संशोधन किया था। सबसे आखिरी प्रोवीजन पर संशोधन हुआ था। अंतिम भाग के अनुसार : वह से 10000 रु. से अनधिक दंड से दंडनीय होगा।” कमेटी ने बोला था कि ‘पनिशेबल विद’ के बदले ‘लाएबल फॉर पेनल्टी’ होगा। हमने यह संशोधन कर लिया है और कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं था।”

3.6 मंत्रालय द्वारा किए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय किया की समिति द्वारा प्रस्तावित निर्णयों को विधेयक में समाविष्ट किया जाए।

3.7 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध को तालिकाबद्ध रूप में दर्शाया गया है:

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867	(अ) धारा 8ग में,— xxx xxx xxx 12(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्द करने का कोई आदेश, यथास्थिति, समाचारपत्र के प्रकाशक या स्वामी को सुनवाई का वसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। xxx xxx xxx	(अ) धारा 8ग में,— xxx xxx xxx 12(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्द करने का कोई आदेश, यथास्थिति, समाचारपत्र के प्रकाशक या स्वामी को सुनवाई का <u>युक्तियुक्त</u> अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। xx xxx xxx
	13 (घ) धारा 19ट के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— “19ट. धारा 19घ या धारा 19ड के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि किसी	13(घ) धारा 19ट के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— - “19ट. धारा 19घ या धारा 19ड के

	समाचारपत्र का प्रकाशक— (क) धारा 19घ के खंड (ख) या धारा 19ड के उपबंधों का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है ; <u>या</u> (ख) किसी समाचारपत्र से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों को धारा 19घ के खंड (ख) के अनुसरण में समाचारपत्र में प्रकाशित करता है, जिसके मिथ्या होने के बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है, तो वह शास्ति से, जो दस हजार रुपए से अधिक का न हो, दंडनीय होगा । xxx xxx xxx	उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि किसी समाचारपत्र का प्रकाशक— (क) धारा 19घ के खंड (ख) या धारा 19ड के उपबंधों का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है ; <u>या</u> (ख) किसी समाचारपत्र से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों को धारा 19घ के खंड (ख) के अनुसरण में समाचारपत्र में प्रकाशित करता है, जिसके मिथ्या होने के बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है, तो वह शास्ति से, जो दस हजार रुपए से अधिक का न हो, <u>दायी</u> होगा। xxx xxx xxx (सिफारिश संख्या 9)

3.8 एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा उनकी अनुपस्थिति में पेश किए गए संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं था।

2. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 2)

3.9 समिति ने यह देखा कि प्रस्तावित संशोधनों पर डाक विभाग द्वारा ब्रीफिंग के दौरान, समिति भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में प्रस्तावित संशोधनों पर सिद्धांत रूप में सहमत हुई।

3.10 डाक विभाग ने निम्नवत् बताया:-

“महोदय, हमारा प्रस्ताव था कि पूरे चैप्टर 10 इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट का 1898 जो पैनल्टीज एंड प्रोसीजर को डील करता है, उसे ओमिट कर दिया जाए, मुख्य रूप इस इसलिए क्योंकि या तो

वे अन्य नियमों अथवा उपबंधों से कवर होते हैं, या वे समय के साथ अप्रासंगिक और अप्रचलित हो गए हैं।”

3.11 समिति ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की और विभाग द्वारा किए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए विधेयक के क्रमांक 2 में प्रस्तावित संशोधनों में कोई आशोधन न करने का निर्णय लिया।

3. बायलर अधिनियम, 1923 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं 3)

3.12 मंत्रालय ने निम्नलिखित निवेदन किया:

“माननीय समिति की इच्छा थी और डायरेक्शंस थे। हमने इन प्रिंसिपल सब मान ली हैं। केवल रेस्ट्रोस्पेक्टिव को छोड़ कर हमने सारी बातें लिखी हैं।”

3.13 मंत्रालय द्वारा किए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए, समिति ने यह निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन विधेयक में शामिल किए जाएं।

3.14 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध नीचे तालिकाबद्ध रूप में दर्शाए गए हैं:

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
बायलर अधिनियम, 1923	(अ) धारा 22 में,— (क) खंड (iii) में, “धारा 16” शब्दों और अंकों के स्थान पर “धारा 16 या” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(iv) किसी बायलर या बायलर घटक में हुई	(अ) धारा 22 में,— (क) खंड (iii) में, “धारा 16” शब्दों और अंकों के स्थान पर “धारा 16 या” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(iv) किसी बायलर या बायलर घटक में हुई किसी दुर्घटना को रिपोर्ट करने

	किसी दुर्घटना को रिपोर्ट करने से, जब धारा 18 के अधीन ऐसा करना अपेक्षित हो," ; (आ) धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “23. बायलर के अवैध उपयोग के लिए शास्ति- बायलर का कोई ऐसा स्वामी जो- (अ) ऐसी दशा में, इस अधिनियम के अधीन बायलर के उपयोग के प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश की अपेक्षा की गई है, बायलर का या तो किसी ऐसे प्रमाणपत्र या प्रवृत्त आदेश के बिना या अनुज्ञेय उच्च दबाव पर प्रयोग करता है; (आ) किसी बायलर का प्रयोग करता है या उसके प्रयोग की अनुमति देता है, जो धारा 6 के खंड (ख) के अधीन यथापेक्षित रिपोर्ट किए गए ऐसे अंतरण के बिना एक राज्य से दूसरे राज्य को अंतरित किया है ; (इ) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन यथापेक्षित बायलर पर स्थायी रूप से चिह्नांकित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन बायलर को आबंटित रजिस्टर संख्या	से, जब धारा 18 के अधीन ऐसा करना अपेक्षित हो," ; (ग) दीर्घ पंक्ति में “जुर्माने से दंडनीय” शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी” शब्द रखे जाएंगे ; (आ) धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “23. बायलर के अवैध उपयोग के लिए शास्ति- बायलर का कोई ऐसा स्वामी जो- (अ) ऐसी दशा में, इस अधिनियम के अधीन बायलर के उपयोग के प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश की अपेक्षा की गई है, बायलर का या तो किसी ऐसे प्रमाणपत्र या प्रवृत्त आदेश के बिना या अनुज्ञेय उच्च दबाव पर प्रयोग करता है ; या (आ) किसी बायलर का प्रयोग करता है या उसके प्रयोग की अनुमति देता है, जो धारा 6 के खंड (ख) के अधीन यथापेक्षित रिपोर्ट किए गए ऐसे अंतरण के बिना एक राज्य से दूसरे राज्य को अंतरित किया है ; या (इ) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन यथापेक्षित बायलर पर स्थायी रूप से चिह्नांकित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन बायलर को आबंटित रजिस्टर संख्या देने में

	देने में असफल रहता है, ऐसे जुर्माने से दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और निरंतर अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा।”; xxx xxx xxx	असफल रहता है, <u>शास्ति</u> के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और निरंतर <u>उल्लंघन या असफलता</u> की दशा में, अतिरिक्त <u>शास्ति</u> से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा <u>उल्लंघन या असफलता</u> जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा।”; xxx xxx xxx (सिफारिश संख्या 10)
		(ई) धारा 25 में, उपधारा (1) में, “जुर्माने से दंडनीय” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से दंडनीय” शब्द रखा जाएगा। (सिफारिश संख्या 11)
		(उ) धारा 26 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- “26क. न्यायनिर्णयन—(1) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन शास्तियों को अवधारित के प्रयोजन से, यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में जांच करने के लिए या शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी की अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति,

	<u>जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकेगा ।</u> <u>(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी समन कर सकेगा और मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए हाजिर करा सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, और यदि ऐसी जांच के पश्चात् वह संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :</u> <u>परंतु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।</u> <u>26ख. अपील—(1) जो कोई न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा धारा 26क के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित है, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सचिव के रैंक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को, जिसे इस निमित्त उस सरकार या प्रशासन द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो, यथास्थिति, राज्य</u>

		सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा । (2) किसी अपील को साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान करा देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे । (3) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे । (4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटारा अपील प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा ।” (सिफारिश संख्या 12)
		(ऊ) धारा 27 में, “प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या” शब्दों का लोप किया जाएगा । (ऋ) धारा 28 क की उपधारा (1क) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-- “(गक) धारा 26क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ; (गख) धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति ;”। (सिफारिश संख्या 13)

		(ए) धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-- “(जक) धारा 26क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ; (जख) धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति ;”। (सिफारिश संख्या 14) (ऐ) धारा 30 में,-- (एक) “प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से” शब्दों के स्थान पर, “प्रथम उल्लंघन की दशा में, शास्ति का दायी” शब्द रखे जाएंगे ; (दो) “पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, ऐसे जुर्माने से” शब्दों के स्थान पर, “पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में ऐसी शास्ति से” शब्द रखे जाएंगे । (सिफारिश संख्या 15)

4. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम संख्या 4)

3.15 मंत्रालय ने संशोधनों पर खंडवार विचार के दौरान अन्य बातों के साथ निम्नवत बताया :

“हमारे चार एक्ट्स हैं, जिनमें 16 पीनल प्रोविजन्स में से 9 में डिक्रिमिनलाइजेशन का प्रस्ताव रखा था। माननीय समिति ने 6 सुझाव दिए थे और हमने 6 सुझावों को एक्सेप्ट कर लिया है।”

3.16 मंत्रालय द्वारा बतायी गई बातों के मद्देनजर, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जाएगा।

3.17 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथा संशोधित उपबंध तालिका रूप में निम्नवत दर्शाया गया है

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
भारतीय वन अधिनियम, 1927	(क) धारा 26 में, - (एक) उप-धारा (1) में, खण्ड (घ) और (ङ) का लोप किया जाएगा; (दो) उप-धारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:- “(1क) कोई भी व्यक्ति जो आरक्षित वन में- (क) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा; (ख) किसी वृक्ष को गिराने या किसी इमारती लकड़ी को	(क) धारा 26 में, - उप-धारा (1) में, खण्ड (घ) और (ङ) का लोप किया जाएगा; उप-धारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:- “(1क) कोई भी व्यक्ति जो आरक्षित वन में- (क) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा; <u>धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा वन को कारित यथावधारित नुकसान के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा</u> ; (सिफारिश संख्या 16) (ख) किसी वृक्ष को गिराने या किसी इमारती लकड़ी को काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचाएगा <u>धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा वन को कारित यथावधारित नुकसान के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त</u>

	काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचाएगा; वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, जिसका संदाय किया जाना न्यायालय निर्दिष्ट करे, जिसके लिए पांच सौ रुपए के जुर्माने का भुगतान करना होगा। (ख) धारा 33 में, - (एक) उपधारा (1) के खंड (ड), खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा ; (दो) उपधारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “(1क) कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई अपराध कारित करता है, अर्थात :- (क) धारा 30 के अधीन ऐसा कोई वृक्ष जो अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा चाहे वह वृक्ष खड़ा हो, गिर गया हो, या गिराया गया हो या किसी संरक्षित वन का बंद प्रभाग	<u>शास्ति का दायी होगा, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा</u> (सिफारिश संख्या 17) (ख) धारा 33 में, - (एक) उपधारा (1) के खंड (ड), खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा ; (दो) उपधारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “(1क) कोई व्यक्ति जो, <u>एक संरक्षित वन में</u> - (क) धारा 30 के अधीन ऐसा कोई वृक्ष जो अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा चाहे वह वृक्ष खड़ा हो, गिर गया हो, या गिराया गया हो या किसी संरक्षित वन का बंद प्रभाग हो; (ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराएगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचता है; <u>संशोधन का लोप किया गया</u> <u>धारा 68 के अधीन सशक्त वन</u>

	हो; (ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराएगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचता है; (ग) पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	<u>अधिकारी द्वारा वन को कारित यथावधारित नुकसान के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगी</u> (सिफारिश संख्या 18) (ग) धारा 68 में,— (एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, <u>निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-</u> <u>“अपराधों का शमन और शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति” ;</u> (दो) उपधारा (1) में,— (1) खंड (क) में, “और” शब्द के स्थान पर, “या” शब्द रखा जाएगा ; (2) खंड (क) के पश्चात् <u>निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-</u> <u>“(कक) धारा 26 की उपधारा (1क) और धारा 33 की उपधारा (1क) के उल्लंघन में शास्ति या प्रतिकर के रूप में किसी व्यक्ति से धनराशि स्वीकार करना ; और”।</u> (सिफारिश संख्या 19)

5. कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 में प्रस्तावित संशोधन
(अनुसूची की क्रम संख्या 5)

3.18 विभाग ने संशोधनों पर खंडवार विचार के दौरान अन्य बातों के साथ निम्नवत बताया :

“कृषि विभाग का जो एक्ट है कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937, पिछली बैठक में संशोधन हेतु जो प्रस्ताव आया था, उसमें कमेटी की जो रिकमेंडेशन्स थीं, उनको विभाग ने पूरा कर दिया है। बैठक के बाद 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे। कुल 4 अमेंडमेंट्स थे। सबकी सहमति से हमने उनको वैसे ही रखा है। ये 3 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं तथा कमेटी ने अपनी जो राय दी थी, उसके अनुसार हमने संशोधन कर लिए हैं। पहला है काउंटर फीटिंग की पेनल्टी, यह धारा 5 है, जालसाजी के लिए दंड। जुर्माना 8 लाख रुपये था। हमने इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है क्योंकि इसका प्रभाव अधिक मजबूत है, जबकि अन्य उल्लंघनों में जुर्माना बहुत कम है। इसलिए इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

अपील के प्रावधान में, जैसा कि सुझाव दिया गया था, 'संशोधन' शब्द को हटा दिया गया है। यह केवल पूर्व में पारित आदेश की पुष्टि या निरस्त कर रहा है।

बेसिकली सैक्शन 4, सैक्शन 5, सैक्शन 5A, सैक्शन 5बी था। सैक्शन 4 में कोई सजेशन नहीं था। इसे स्वीकार कर लिया गया। सैक्शन 5 में था - जालसाजी ग्रेड पदनाम चिह्न के लिए जुर्माना। इसमें पहले इम्प्रिजनमेंट था - तीन साल से अधिक की कैद और पांच हजार रुपये से अधिक का जुर्माना। अब इसे बदल दिया गया है। इम्प्रिजनमेंट हटा दिया गया था। पेनल्टी 8 लाख रुपये की थी, जो संशोधन था। फिर, एक सुझाव दिया गया था। 8 लाख रुपये की पेनल्टी को 15 लाख रुपये करने के लिए सजेशन आया था। इसे स्वीकार कर लिया गया है।”

3.19 विभाग द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जा सकता है।

3.20 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध नीचे तालिकाबद्ध रूप में दर्शाया गया है :

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937	(अ) धारा 3 की उपधारा (2) में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(छक) धारा 5ग की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए जांच करना ; (छख) धारा 5घ की उपधारा	(अ) धारा 3 की उपधारा (2) में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(छक) धारा 5ग की उपधारा (1) के अधीन जांच करना <u>और</u> शास्ति अधिरोपित करना ; (छख) धारा 5घ की उपधारा (1)

	(1) के अधीन अपील करना ।”;	के अधीन अपील करना ।”; (सिफारिश सं. 20)
	(आ) धारा 4 में, “कारावास से, जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए की शास्ति से” शब्द रखे जाएंगे ।	(आ) धारा 4 में, “कारावास <u>से दंडनीय</u> , जो अधिक से अधिक छह माह तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का <u>दायी होगा</u> , जो पांच लाख रुपए से <u>अधिक का नहीं होगा</u> ” शब्द रखे जाएंगे । (सिफारिश सं. 21)
	(इ) धारा 5 में, “कारावास से, जो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “आठ लाख रुपए की शास्ति से” शब्द रखे जाएंगे ।	(इ) धारा 5 में, “कारावास <u>से दंडनीय</u> , जो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का <u>दायी होगा</u> , जो <u>पंद्रह</u> लाख रुपए से <u>अधिक का नहीं होगा</u> ” शब्द रखे जाएंगे। (सिफारिश सं. 22)
	(ई) धारा 5क में, “कारावास से, जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए की शास्ति से” शब्द रखे जाएंगे ।	(ई) धारा 5क में, “कारावास <u>से दंडनीय</u> , जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का <u>दायी होगा</u> , जो तीन लाख रुपए से <u>अधिक का नहीं होगा</u> ” शब्द रखे जाएंगे । (सिफारिश सं. 23)
	(उ) धारा 5ख की उपधारा (4) में, “कारावास से जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए की शास्ति से” शब्द	(उ) धारा 5ख की उपधारा (4) में, “कारावास से, जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का <u>दायी होगा</u> , जो पांच लाख

	रखे जाएंगे ।	रुपए से अधिक का नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे । (सिफारिश सं. 24)
	(ऊ) धारा 5ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-	(ऊ) धारा 5ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
	“5ग. न्यायनिर्णायक अधिकारी-(1) केंद्रीय सरकार, धारा 4, धारा 5, धारा 5क और धारा 5ख के अधीन शास्तियों को अवधारित करने के प्रयोजन से भारत सरकार के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को या राज्य सरकार के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए और शास्ति अधिरोपित करने के लिए और किसी जांच को करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी : परंतु केंद्रीय सरकार एक से अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जैसा अपेक्षित हो ।	“5ग. न्यायनिर्णायक अधिकारी-(1) केंद्रीय सरकार, धारा 4, धारा 5, धारा 5क और धारा 5ख के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के उपसचिव या राज्य सरकार के उपसचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी : परंतु केंद्रीय सरकार एक से अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जैसा अपेक्षित हो ।
	(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी समन कर सकेगा और किसी व्यक्ति को, जो साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो, हाजिर करा सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी हो या सुसंगत हो और यदि, ऐसी जांच पर वह संतुष्ट है कि संबद्ध व्यक्ति धारा 4, धारा 5, धारा 5क के उपबंधों	(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी समन कर सकेगा और किसी व्यक्ति को, जो साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो, हाजिर करा सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी हो या सुसंगत हो और यदि, ऐसी जांच पर वह संतुष्ट है कि संबद्ध व्यक्ति धारा 4, धारा 5, धारा 5क और धारा 5ख के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है,

	का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा : परंतु संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।	तो वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा: परंतु संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुनवाई का <u>युक्तियुक्त</u> अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी । (सिफारिश सं. 25)
	5घ. अपील—(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 5ग के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश से व्यथित है, उस तारीख से तीस दिनों के भीतर जब न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति पीड़ित व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्राप्त हो जाती है, भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार के समक्ष अपील कर सकेगा ।	5घ. अपील—(1) <u>कोई व्यक्ति</u>, जो धारा 5ग के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश से व्यथित है, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार को <u>आदेश की प्राप्ति</u> की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा ।
	(2) कृषि विपणन सलाहकार, पक्षकारों को अपील में सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उसकी पुष्टि करने, उपांतरित करने या अपील किए गए आदेश को अपास्त करने का ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ।	<u>(2) किसी अपील को तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी कृषि विपणन सलाहकार का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे ।</u>
	(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृषि विपणन सलाहकार अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।	(3) कृषि विपणन सलाहकार, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे। (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृषि विपणन सलाहकार अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा। (सिफारिश सं. 26)

	5ड. वसूली—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, धारा 5ग के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है या धारा 5घ के अधीन कृषि विपणन सलाहकार द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, यदि रकम जमा नहीं की जाती है, तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”	5ड. वसूली—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, धारा 5ग के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा यदि कोई शास्ति अधिरोपित की गई है या धारा 5घ के अधीन कृषि विपणन सलाहकार के <u>आदेश</u> के अधीन, यदि रकम जमा नहीं की जाती है, तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।” (सिफारिश सं. 27)

6. ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 6)

3.21 विभाग ने संशोधनों पर खंड-वार विचार के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत बताया :

“.....हमने पूरा देख लिया है। इन्फैक्ट आपने पिछली मीटिंग में ही करना शुरू कर दिया था, तब हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया था कि आप ये हम पर छोड़ दीजिए, हम लोग कर लेंगे, तो अब कर लिया है। वही दिखा रहे हैं।”

3.23 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध नीचे तालिकाबद्ध रूप में दर्शाया गया है :

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940		(अ) <u>धारा 29 में, “जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे :</u> (सिफारिश सं. 28)

	(अ) धारा 30 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ; (आ) धारा 32ख की उपधारा (1) में, “धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षरों के पश्चात् “धारा 27 के खंड (घ) और धारा 27क के खंड (ii)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।	(आ) धारा 30 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ; (इ) धारा 32ख की उपधारा (1) में, “धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षरों के पश्चात् “धारा 27 के खंड (घ) और धारा 27क के खंड (ii)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3.24 एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा पेश किए गए संशोधन उनकी अनुपस्थिति में समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए क्योंकि उनका कोई औचित्य नहीं था।

7. लोक ऋण अधिनियम, 1944 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 7)

3.25 आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के बारे में बताया कि सार्वजनिक ऋण विधेयक की धारा 27 का लोप यथा प्रस्तावित रूप में स्वीकृत किया जाए।

3.26 समिति विधेयक में प्रस्तावित संशोधन से सहमत हुई।

8. रबड़ अधिनियम 1947 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम संख्या 8)

3.27 विभाग ने संशोधनों पर खंडवार विचारण के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ बताया:

धारा 11 (3) और 26, के अंतर्गत शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ कार्यपालक निदेशक, यथास्थिति, बोर्ड के सचिव या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा। (2) जो कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित होगा वह कार्यपालक निदेशक को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से के भीतर अपील कर सकेगा। हमने कारावास को हटा दिया है।”

3.28 विभाग द्वारा किए गए निवेदन के दृष्टिगत समिति ने निर्णय लिया कि उसके द्वारा प्रस्तावित संशोधन विधेयक ने शामिल किए जाए।

3.29 तदनुसार संयुक्त समिति द्वारा यथा संशोधित उपबंध निम्नवत सारणी रूप में दर्शाये गए हैं:

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
रबड़ अधिनियम 1947	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx (इ) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (xxiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-- “(xxiiiअ) धारा 26आ की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति : (xxiiiख) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति:”। (सिफारिश संख्या 29)

	(इ) धारा 26 की उपधारा (1) के अंत में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे ।	(ई) धारा 26 की उपधारा (1) के अंत में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। (उ) <u>धारा 26अ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--</u> <u>“26आ. शास्तियों का न्यायनिर्णयन--(1) धारा 11 की उपधारा (3) और धारा 26 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए कार्यपालक निदेशक, यथास्थिति, बोर्ड के सचिव या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा ।</u> <u>(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति कार्यपालक निदेशक को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा।</u> <u>(3) साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी कार्यपालक निदेशक का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे ।</u>

		(4) किसी अपील का तब तक निपटारा नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है। (5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का उसे फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा। (6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है, तो उसकी भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।”। (सिफारिश संख्या 30)

3.30 एडवोकेट डीन कुरियाकोस संसद सदस्य द्वारा पेश कि गए संशोधन उनकी अनुपस्थिति में समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए क्योंकि उनका कोई औचित्य नहीं था।

9. भेषजी अधिनियम, 1948 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम संख्या 9)

3.31 विभाग ने संशोधनों पर खंड-वार विचार के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् बताया:

“कारावास जो तीन मास का हो सकेगा या जुर्माना जो दो लाख से अनधिक होगा या दोनों उसे हमने इनकॉरपोरेट कर दिया है।”

3.32 विभाग द्वारा किए गए निवेदनों के दृष्टिगत समिति ने निर्णय लिया कि उसके द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक ने शामिल किए जाए।

3.33 तदनुसार संयुक्त समिति द्वारा यथा संशोधित उपबंध निम्नवत् सारणी रूप में दर्शाये गए हैं:

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
भेषजी अधिनियम, 1948		(अ) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ज) के पश्चात्

	(अ) धारा 26क की उपधारा (3) में, “कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर “प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से अनधिक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।	<u>निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-</u> <u>“(जक) धारा 43क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति :</u> <u>(जख) धारा 43क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति :।</u> <u>(सिफारिश संख्या 31)</u> (आ) धारा 26क की उपधारा (3) में, “कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से <u>दंडनीय</u> होगा,” शब्दों के स्थान पर <u>“शास्ति का दायी होगा</u> जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। <u>(सिफारिश संख्या 32)</u>
	(आ) धारा 41 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :- “(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य के रजिस्टर में, उस समय दर्ज नहीं है, यह दावा करता है कि उसका नाम इस प्रकार से दर्ज है या अपने नाम या पदनाम के संबंध में ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करता है, जो युक्तियुक्त रूप से यह दिखाने के लिए प्रकल्पित है कि उसका नाम इस	(इ) धारा 41 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कि जाएगी, अर्थात्:- “(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य के रजिस्टर में, उस समय दर्ज नहीं है, <u>मिथ्या रूप से यह दावा करता है</u> कि उसका नाम इस प्रकार से दर्ज है या अपने नाम या पदनाम के संबंध में ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करता है, जो युक्तियुक्त रूप से यह

	प्रकार से दर्ज है, तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा : परंतु यह अपराध नहीं होगा कि व्यक्ति का नाम किसी अन्य राज्य के रजिस्टर में दर्ज है और यह कि दावा करते समय राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया गया था ।”।	दिखाने के लिए प्रकल्पित है कि उसका नाम इस प्रकार से दर्ज है, तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो <u>एक लाख</u> रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर <u>कारावास से,</u> <u>जो तीन मास तक का हो सकेगा</u> या जुर्माने से, जो <u>दो लाख रुपए तक का हो सकेगा</u> या <u>दोनों से</u> दंडनीय होगा : परंतु यह प्रतिवाद नहीं होगा कि व्यक्ति का नाम किसी अन्य राज्य के रजिस्टर में दर्ज है और यह कि दावा करते समय राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया गया था ।”। (सिफारिश संख्या 33)
	(इ) धारा 42 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या एक हजार रुपए के अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से अनधिक का हो सकेगा,” शब्द रखे जाएंगे ।	(ई) धारा 42 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या एक हजार रुपए के अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो <u>दो लाख रुपए तक का हो सकेगा</u> या <u>दोनों से</u>” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । (उ) धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

		<u>“43क शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 26क के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार उस राज्य परिषद् के अध्यक्ष को, जहां अधिकथित उल्लंघन कारित किया गया है, धारा 18 के अधीन यथाविहित रीति में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्राधिकृत करेगी।</u> <u>(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अध्यक्ष, केंद्रीय परिषद् को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर धारा 18 के अधीन यथाविहित प्ररूप और रीति में अपील कर सकेगा।</u> <u>(3) अध्यक्ष, केंद्रीय परिषद् पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।</u> <u>(4) किसी अपील का निपटारा अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।</u>

		<u>(5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा फाइल करने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा ।</u> <u>(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।”।</u> (सिफारिश संख्या 34)

10. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची का क्रम संख्या 10)

3.34 विभाग ने संशोधनों पर खंडवार विचारण के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ बताया:

“इसमें आपने यह निर्देश दिया था कि ‘फाइन’ को ‘पैनाल्टी’ कर देना चाहिए। इसे हमने मान लिया है। जैसा कि पिछला बार मैंने अनुरोध किया था कि हमारे सामने परेशानी यह है कि हमारे पास इसमें पूरे देश में केवल तीन अधिकारी हैं। हमने इसका यह तरीका निकाला है कि हम कलेक्टर-डीएम को इस की पावर दे रहे हैं। दूसरी बात आपने यह व्यक्त की थी ऐसा न हो कि अपील सीधे हाईकोर्ट जाने लग जाए। अतः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एप्रोप्रिएट कोर्ट में कलेक्टर के ऑर्डर की अपील का प्रावधान कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कलेक्टर के लेवल पर अपील चली जाएगी। हम लोगों ने दूसरा ऑल्टरनेटिव यह सोचा कि हम पावर एसडीएम को और अपील कलेक्टर को करने का प्रावधान कर दें।”

3.35 विभाग द्वारा किए गए निवेदन को देखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जा सकता है।

3.36 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित प्रावधानों को तालिका के रूप में नीचे दर्शाया गया है:

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951	(क) धारा 24 में, उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:— " वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक का हो सकता है।" (ख) धारा 24क का लोप किया जाएगा।	(क) धारा 24 की उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति राखी जाएगी, अर्थात्:— "वह <u>शास्ति का दायी</u> होगा, जो पचीस लाख रुपए तक का हो सकेगा ।" (सिफारिश संख्या 35) (ख) धारा 24क, <u>के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--</u> <u>"24क. न्यायनिर्णयन—(1) केंद्रीय सरकार धारा 24 के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को यथा विहित रीति में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होने के लिए प्राधिकृत करेगी।</u> <u>(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत है, के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को समझ कर सकेगा और उसकी उपस्थिति को प्रवृत्त कर सकेगा और यदि ऐसी जांच पर उसका</u>

		<u>यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो धारा 24 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे:</u> <u>परंतु ऐसी किसी शास्ति को संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।</u> <u>24ख. अपील—(1) 24क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून किसी अधिकारी को आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।</u> <u>(2) तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण किया जा सकेगा यदि</u> <u>अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे।</u> <u>(3) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।</u>

		<u>(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटारा फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।</u> <u>24ग. वसूली-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 24क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या धारा 24ख के अधीन अपील प्राधिकारी, यथास्थिति, के किसी आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को यदि जमा नहीं किया जाता है तो रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।”।</u> (सिफारिश संख्या 36) <u>(ग) धारा 27 का लोप किया जाएगा।</u> (सिफारिश संख्या 37) <u>(घ) धारा 28 में “अभियोजित” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति अधिरोपित” शब्द रखे जाएंगे ।</u> (सिफारिश संख्या 38) <u>(ङ) धारा 29 और 29क का लोप किया जाएगा।</u> (सिफारिश संख्या 39) <u>(च) धारा 30 में, -</u> <u>(i) उपधारा (2) के खंड (तत) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए</u>

		<u>जाएंगे, अर्थात् :-</u> <u>“(ततक) धारा 24क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;</u> <u>(ततख) धारा 24ख की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का रूप और रीति ;</u> <u>(ii) उपधारा (3) में, “दंडनीय” शब्द के स्थान पर, “शास्ति का दायी” शब्द रखे जाएंगे ।”।</u> (सिफारिश संख्या 40)

11. चलचित्र अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधन (अनुसूची की क्रम सं. 11)

3.37 संशोधनों पर खण्ड-वार विचार किए जाने के दौरान मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

“सिनेमैटोग्राफ एक्ट में सेक्शन-14 और 15 हैं।

सेक्शन-7 (1) में कोई चेंजेज नहीं थे। उसके जो प्रोवाइजोज हैं, उसमें भी कोई सजेशन सजेस्टेड नहीं थे।”

3.38 अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय ने समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है।

3.39 इसके पश्चात्, समिति ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की और मंत्रालय के दृष्टिकोण को स्वीकार करने का निर्णय लिया और विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित संशोधन करने की सिफारिश की।

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
चलचित्र अधिनियम, 1952	(अ) धारा 7 में,— (i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,	(अ) धारा 7 में,— (i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

	अर्थात् :- “(1) यदि कोई व्यक्ति,— (क) बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के (जिसको साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा) किसी फिल्म में, उसके प्रमाणित किए जाने के पश्चात् किसी भी रूप में फेरफार करता है या बिगाड़ सकता है, तो वह ‘कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडनीय होगा ; (ख) किसी फिल्म को किसी स्थान पर प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है— (i) जिसे बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है ; या (ii) जिसे, जब प्रदर्शित किया गया, बोर्ड के विहित चिह्न द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है ; या (iii) जिसे, बोर्ड के चिह्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चिह्न को नियत किए जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन या बिगाड़ दिया गया है, तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो	(1) यदि कोई व्यक्ति,— (क) बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के (जिसको साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा) किसी फिल्म में, उसके प्रमाणित किए जाने के पश्चात् किसी भी रूप में फेरफार करता है या बिगाड़ सकता है, तो वह ‘कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडनीय होगा ; (ख) किसी फिल्म को किसी स्थान पर प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है— (i) जिसे बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है ; या (ii) जिसे, जब प्रदर्शित किया गया, बोर्ड के विहित चिह्न द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है ; या (iii) जिसे, बोर्ड के चिह्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चिह्न को नियत किए जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन या बिगाड़ दिया गया है, तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और <u>अपराध जारी रहने की स्थिति में</u> अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा;

	सकेगा ; (ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई वीडियो फिल्म किसी स्थान में प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; XXX XXX XXX (ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : – “(4) उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति से पीड़ित कोई व्यक्ति ऐसी रीति में और ऐसे अपील प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा ।”। (आ) धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड	(ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई वीडियो फिल्म किसी स्थान में प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और <u>अपराध जारी रहने की स्थिति में</u> अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; XXX XXX XXX (ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : – “(4) उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) <u>या धारा 14 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में</u>, जो विहित की जाए, ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।”। (सिफारिश सं. 41)

	अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “(गक) प्राधिकृत अधिकारी और धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) के निबंधनों में उसके द्वारा उद्गृहीत शास्ति की रीति ; (गख) अपील करने की रीति और धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी;”। (इ) धारा 14 में “एक हजार रुपए और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए और अपराध जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।	(आ) धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “(गक) प्राधिकृत अधिकारी और धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) के निबंधनों में उसके द्वारा उद्गृहीत शास्ति की रीति ; (गख) अपील करने की <u>अवधि, प्ररूप</u>, और रीति और धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी;”। (सिफारिश सं. 42) (इ) धारा 14 में “<u>जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय</u> और अपराध जारी रहने की दशा में और जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए की <u>शास्ति का दायी</u> और लगातार <u>उल्लंघन</u> की दशा में और <u>शास्ति</u> से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान <u>उल्लंघन</u> जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे । (सिफारिश सं. 43) (ई) धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :- “15. <u>अनुज्ञप्ति वापस लेने या निलंबित करने की शक्ति—(1) जहां अनुज्ञप्ति धारक धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, तो</u>

		<u>अनुज्ञप्ति, अधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की जा सकेगी।</u> <u>(2) जहां किसी अनुज्ञप्ति धारक पर धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) या धारा 14 के अधीन उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित की गई है, तो उसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए निलंबित की जा सकेगी :</u> <u>परंतु तीन वर्ष की अवधि के दौरान तीन से अधिक उल्लंघनों की दशा में, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति को, आदेश द्वारा वापस ले सकेगा :</u> <u>परंतु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।”</u> (सिफारिश सं. 44)

12. चाय अधिनियम, 1953 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम संख्या 12)

3.40 विभाग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नवत् बताया:

“पिछली बैठक में समिति द्वारा मार्गदर्शन के चार सेट निर्धारित किए गए थे। मार्गदर्शन का पहला सेट यह था कि सभी चार अधिनियमों में, जहां हम उपबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर रहे हैं और शास्ति लगा रहे हैं, एक अधिनिर्णयन तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए, जिसे हमने अब संशोधित प्रारूप में प्रस्तावित किया है।

चाय बोर्ड अधिनियम के लिए, दो चीजें थीं। हमने पांच धाराओं को लोप करने का सुझाव दिया था जिसमें यह सुझाया गया था कि यह अन्य बोर्डों के समानांतर भी होना चाहिए और हमें इस पर

निर्णय लेना चाहिए कि क्या हम आदेश के उल्लंघन के लिए एक दांडिक उपबंध करना चाहते हैं और सर्वव्यापी खंड भी जो इसके अधीन बनाए गए नियमों के लिए दंडात्मक उपबंध की अनुमति देता है। यह सुझाव दिया गया था, और हमने निर्णय लिया है कि चाय बोर्ड के लिए जुर्माने और कारावास के उपबंध के बजाय शास्ति के उपबंध के साथ उन उपबंधों को लाना बेहतर है। इसलिए, हमने तदनुसार प्रस्ताव किया है।

अंत में, यह भी सुझाव दिया गया था कि यदि अधिनियम में कोई अन्य उपबंध हैं जहां कारावास के बिना जुर्माना है, जिसे छोड़ दिया गया है, तो उस जुर्माने को भी शास्ति में बदलने पर विचार किया जाना चाहिए। मसाला बोर्ड अधिनियम में एक ऐसा उपबंध था जहां हमें लगा कि जुर्माना छोड़ दिया गया है। मिथ्या रिटर्न और इस तरह की चीजों के लिए जुर्माने का उपबंध था। इसे भी अब शास्ति में बदलने का प्रस्ताव किया गया है।

.....ये चार मार्गदर्शीय सेट थे। हमने चारों को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, हमने संशोधनों का प्रस्ताव किया है।”

3.41 विभाग द्वारा दिए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जा सकेगा।

3.42 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
चाय अधिनियम, 1953	धारा 38 से 42 का लोप कर दिया जाएगा।	(अ) धारा 38 से धारा <u>40</u> तक का लोप किया जाएगा । (सिफारिश संख्या. 45) (आ) धारा 41 की उपधारा (1) में, “कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

		(सिफारिश संख्या 46) (इ) धारा 42 में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, तथा जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए, शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। (सिफारिश संख्या 47) (ई) धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- “42क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- (1) धारा 41 की उपधारा (1) या धारा 42 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड का उपाध्यक्ष, यथास्थिति, बोर्ड के सचिव या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा। (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर

	<u>बोर्ड के उपाध्यक्ष को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा ।</u> <u>(3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता उपाध्यक्ष का यह समाधान करा देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था ।</u> <u>(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो ।</u> <u>(5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का, उसे फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटारा की जाएगी ।</u> <u>(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम का, यदि संदाय नहीं किया जाता है तो उसे भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूला जा सकेगा ।”</u> <u>(सिफारिश संख्या 48)</u> <u>(3) धारा 49 की उपधारा (2) में, खंड (भ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-</u> <u>“(भक) धारा 42क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति;</u> <u>(भख) धारा 42क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति;।</u> <u>(सिफारिश सं. 49)</u>

3.43 एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा पेश किए गए संशोधन उनकी अनुपस्थिति में समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए क्योंकि उनका कोई औचित्य नहीं था।

13. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम संख्या 13)

3.44 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर कहा कि विधेयक में पेश की गई धारा 68 को स्वीकार किया जाए।

3.45 समिति ने विभाग के दृष्टिकोण को स्वीकार करने का निर्णय लिया और विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पर सहमति व्यक्त की।

14. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 14)

3.46 मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत बताया:-

“कमेटी के द्वारा गत सप्ताह में जो हमारी डिटेल एग्जामिनेशन हुई थी, वह मर्चेंट्स शिपिंग एक्ट, 1958 के प्रावधानों के बारे में था। दो प्रावधानों के अलावा, बाकी सभी में, कमेटी ने, जो हमने डीक्रीमिनलाइजेशन का प्रस्ताव दिया था, उससे सहमति व्यक्त की थी। प्रावधानों में कमेटी की राय थी कि हम या तो इस को रीटेन करें, क्योंकि वह न्यूक्लियर फ्यूएल्ड शिप्स के बारे में था, जो कि काफी गंभीर था। पहले हमने जो प्रोपोज किया था, उसमें हमने इम्प्रीजन में टहटा कर पेनाल्टी की थी। कमेटी की यह राय थी कि या तो आप इस प्रावधान की गंभीरता को देखते हुए इसे रीटेन कीजिए या फिर अगर पेनाल्टी का प्रावधान करना है तो हमने जो पाँच लाख रुपये का प्रस्ताव किया था, उसे बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जाए।

समिति की गत बैठक के पश्चात हमने अपने मंत्रालय में इस पर पुनर्विचार किया और दो प्रावधान, जो सीरियल नं. 108 (ड) (क) और 108 (ड) (ख) पर हैं, इस पर मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि जो वर्तमान प्रावधान हैं, जिसमें इम्प्रीजनमेंट और फाइन हैं, उसी को हम लोग रीटेन करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 43 प्रावधानों में से हमारे 21 प्रावधान अब डीक्रीमिनलाइज हो रहे हैं। पहले 23 थे। इन प्रावधानों की गंभीरता को देखते हुए अब हम वापस डीक्रीमिनलाइज नहीं करना चाहते और इसको अब हम इम्प्रीजनमेंट और फाइन की श्रेणी में ही रखना चाहते हैं। पिछली बार इन दोनों प्रावधानों के बारे में समिति की राय थी।

इसके अलावा, हमने बाकी प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि उसमें समिति के द्वारा सहमति प्रकट की गयी थी।”

3.47 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत निवेदनों के दृष्टिगत, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जाए।

3.48 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध नीचे तालिकाबद्ध रूप में दर्शाए गए हैं:

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन				समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट			
वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958	(अ) धारा 436 में,— (क) उपधारा (2) की सारणी में, स्तंभ (1) के अधीन उल्लिखित क्रम संख्यांक के सामने, स्तंभ (2) के अधीन अपराधों के संबंध में, स्तंभ 3 के अधीन धाराओं से संबंधित और स्तंभ 4 के अधीन शास्तियां यथा उपबंधित रीति में क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— X X X X X X X X X				(अ) धारा 436 में,— (क) उपधारा (2) की सारणी में, स्तंभ (1) के अधीन उल्लिखित क्रम संख्यांक के सामने, स्तंभ (2) के अधीन अपराधों के संबंध में, स्तंभ 3 के अधीन धाराओं से संबंधित और स्तंभ 4 के अधीन शास्तियां यथा उपबंधित रीति में क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— X X X X X X X X X			
	क्र.सं.	अपराध	उस अधिनियम की धारा, जिसके अधीन अपराध का निर्देश है	शास्ति	क्र.सं.	अपराध	उस अधिनियम की धारा, जिसके अधीन अपराध का निर्देश है	शास्ति
	1	2	3	4	1	2	3	4
	16			“शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा।”	16			“शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा।”

	X X X	X X X	X X X		X X X	X X X	X X X
	108(ख)			मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता, ऐसी शास्ति के लिए जो पाँच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और पोत को भी निरुद्ध किया जा सकेगा।			
	108ड(क)			ऐसी शास्ति के लिए जो पाँच लाख रुपए तक की हो सकेगी, और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा।	<u>लोप किया गया।</u> (सिफारिश सं. 50)		

	108ड(ख)			ऐसी शास्ति के लिए जो पाँच लाख रुपए तक की हो सकेगी, और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा।	लोप किया गया (सिफारिश सं. 51)			
	109			ऐसे शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी।	109			ऐसे शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी।
	XXX XXX XXX (4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर महानिदेशक को ऐसे प्ररूप और रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अपील कर सके। XXX XXX XXX				XXX XXX XXX (4) <u>जो कोई</u>, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर महानिदेशक को ऐसे प्ररूप और रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अपील कर सके। (सिफारिश सं. 52) XXX XXX XXX			

		(7) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, उपधारा (3) के अधीन वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक के आदेश से अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है तो, रकम को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा।”। XXX XXX XXX (सिफारिश सं. 53)

15. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 15)

3.49 विभाग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नवत बताया:

“जो पिछली बैठक हुई थी, उसमें समिति से हमें कुछ सुझाव मिले थे। मौटे तौर पर चार बातें कही गई थीं, जो अलग-अलग एक्ट्स में लागू होती हैं। एक बात यह कही गई थी कि जहां हम ने पेनल्टी का प्रावधान डाला था, उसमें यह था कि अगर पेनल्टी के लिए 60 दिन की बात की जाए तो हियरिंग के लिए उचित समय दिया जाए और उसके बाद 60 दिन का समय पेनल्टी के पेमेंट के लिए दिया है। जब हमने फिर से एक्ट को पढ़ा है तो हमारे दोनो टिसेस की बात है। हम आपके साथ धाराओं का अध्ययन करेंगे।

एक नोटिस कारण बताओ नोटिस है जो प्रारंभिक उपधारा में है - कृपया कारण बताएं कि पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए। दूसरा नोटिस वास्तव में फाइन भरने का नोटिस है। जो सेकण्ड नोटिस है और जो 60 दिन का समय दिया गया है, वह दूसरे नोटिस के संदर्भ में है। ऐसा नहीं है कि, जो पहले 6 तारीख की बैठक थी, उसमें यह शंका जाहिर की गई थी कि पहले नोटिस के बाद ही हम एडज्युडिकेशन का टाइम नहीं देंगे, हियरिंग का टाइम नहीं देंगे और वहीं से 60 दिन की गणना शुरू कर देंगे। जब हमने उसको फिर से पढ़ा तो समझ में यह आया कि पहला नोटिस शोकाँज नोटिस है और दूसरा पे द पेनल्टी नोटिस है। पे द पेनल्टी नोटिस के बाद 60 दिन का समय है, उस संस्था को पेनल्टी का भुगतान करने के लिए। वह डिमांड नोटिस है।

समिति के विचार को रखते हुए यह कन्फ्यूजन फिर न आए तो हमने जो सेकण्ड पे द पेनल्टी नोटिस

है, उसका जो प्रावधान है, उसमें हमने प्रीवियस नोटिस का लिंक कर दिया है। हमने कहा है कि पिछले नोटिस के प्रावधानों के अध्यक्षीन आपको कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था, आपको दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए था और फिर पेनल्टी का निर्धारण करना चाहिए था। हमने वह लिंक लगा दिया है।”

3.50 विभाग द्वारा की गई प्रस्तुतियों के दृष्टिगत, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जाए।

3.51 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंधों को तालिकाबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961	धारा 47 में, उपधारा (2) में,- (i) "जुर्माना, जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर, "जुर्माना जो एक लाख पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, के लिए दायी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) "जुर्माना, जो एक सौ रुपये तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जुर्माना, जो सात हजार पांच सौ रुपये तक हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (iii) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-	धारा 47 में, उपधारा (2) के स्थान पर, <u>निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-</u> <u>“(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई बही, खाता या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में या कोई विवरण या सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह प्रत्येक ऐसी असफलता के संबंध में शास्ति का दायी होगा जो एक लाख पचास हजार रुपए तक हो सकेगी, और असफलता के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी पहली असफलता के पश्चात् असफलता जारी रहती है, सात हजार पांच सौ रुपए,</u>

	"(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए निगम अपेक्षित व्यक्तियों पर कारण बताओ नोटिस तामील करेगा कि क्यों न नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम अधिरोपित किया जाए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का भी युक्तियुक्त अवसर देगा। (4) इस धारा के अधीन निगम द्वारा यदि कोई शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो उस तारीख से, जिसको रकम की मांगी गई निगम द्वारा व्यक्ति पर जारी नोटिस से चौदह दिन की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा और ऐसी अवधि के भीतर रकम का संदाय करने में किसी व्यक्ति की असफल होने की दशा में ऐसे मूल सिविल न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता में ऐसे व्यक्ति को जिस	का दायी होगा। (सिफारिश सं. 54) 3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए निगम अपेक्षित व्यक्तियों पर कारण बताओ नोटिस तामील करेगा कि क्यों न नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम अधिरोपित किया जाए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का भी युक्तियुक्त अवसर देगा। (4) इस धारा के अधीन निगम द्वारा यदि कोई शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो उस तारीख से, जिसको रकम की मांगी गई निगम (4) इस धारा के अधीन निगम द्वारा यदि कोई शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो उस तारीख से, जिसको रकम की मांगी गई निगम द्वारा व्यक्ति पर जारी नोटिस से चौदह दिन की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा और ऐसी अवधि के भीतर रकम का संदाय करने में किसी व्यक्ति की असफल होने की दशा में ऐसे मूल सिविल न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता में ऐसे व्यक्ति

	क्षेत्र में निवास करता है अवस्थित है किए गए निदेश पर उद्गृहीत किया जा सकेगा: परंतु यह कि ऐसे कोई निदेश जो निगम द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय के अलावा कोई आवेदन नहीं दे सकेगा। (5) ऐसे न्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन निदेश देते हैं उस व्यक्ति द्वारा संदाय रकम विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र में ऐसी रीति में जो सिविल वाद न्यायालय द्वारा डिक्री किए गए थे।“	को जिस क्षेत्र में निवास करता है अवस्थित है किए गए <u>आदेश या</u> निदेश पर उद्गृहीत किया जा सकेगा: परंतु यह कि ऐसे कोई <u>आदेश या</u> निदेश जो निगम द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय के अलावा कोई आवेदन नहीं दे सकेगा। (5) ऐसे न्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन <u>आदेश या</u> निदेश देते हैं उस व्यक्ति द्वारा संदाय रकम विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र में ऐसी रीति में जो सिविल वाद न्यायालय द्वारा डिक्री किए गए थे। (सिफारिश सं. 55) <u>(6) किसी न्यायालय में किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन निगम द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई है।</u> <u>(7) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट</u>

		<u>प्रकृति के किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद फाइल किया गया है, तो उपधारा (2) के अधीन उस व्यक्ति पर किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जाएंगी।”</u> (सिफारिश सं. 56)

16. भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 16)

3.52 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन के संबंध में बताया कि विधेयक में यथाप्रस्तावित धारा 38 के लोप किए जाने को स्वीकार किया जाए।

3.53 समिति विधेयक में प्रस्तावित धारा 38 का लोप किए जाने पर सहमत हुई।

17. खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 17)

3.54 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन के संबंध में बताया कि विधेयक में यथाप्रस्तावित धारा 41 के लोप किए जाने को स्वीकार किया जाए।

3.55 समिति विधेयक में प्रस्तावित धारा 41 का लोप किए जाने पर सहमत हुई।

18. पेटेंट अधिनियम, 1970 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 18)

3.56 विभाग ने निम्नवत् बताया: -

“सर, पेटेंट एक्ट में कमेटी की कुछ रेकमेंडेशंस थीं। हमने सारी एनालाइज़ की, हम सबने उन्हें स्वीकार किया। उस हिसाब से हमने कुछ चेंजेज रेकमेंड किये हैं।.....”

3.56क संसद में यथा पुरःस्थापित मूल जन विश्वास विधेयक में, पेटेंट अधिनियम, व्यापार चिह्न अधिनियम, माल का भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) के तहत शास्ति के न्यायनिर्णयन का उपबंध प्रस्तावित किया गया था। एक अन्य लिखित सूचना में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने निम्नवत् जानकारी दी:

“.....जन विश्वास विधेयक के दूसरे वाचन के दौरान, संयुक्त संसदीय समिति ने अपीलीय तंत्र की आवश्यकता की सिफारिश की ताकि किसी व्यक्ति को जो पेटेंट अधिनियम, व्यापार चिह्न अधिनियम, माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, जैसी भी स्थिति हो, के अन्तर्गत शास्ति का न्यायनिर्णयन करने वाले अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसकी शिकायतों के समाधान के लिए एक फोरम उपलब्ध कराया जा सके। यह भी सिफारिश की गई थी कि शास्ति की वसूली भू-राजस्व का बकाया मानते हुए की जानी चाहिए।

..... विभाग अपीलीय तंत्र को शुरू करने की सिफारिश से सहमत है, हालांकि, यह बकाया शास्ति को भू-राजस्व के बकाया के रूप में मानने के सुझाव से सहमत नहीं है, क्योंकि पेटेंट अधिनियम, व्यापार चिह्न अधिनियम, माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से अनिवासी व्यक्तियों/कंपनियों के लिए, जिस पर जुर्माना लगाया गया है, उसके पास अचल संपत्ति नहीं होगी। इसलिए, जन विश्वास विधेयक में संशोधन अपराधों को दिवानी कार्यवाही बनाकर और व्यक्ति को पहले दंड का न्यायनिर्णयन करने वाले प्राधिकरण के समक्ष और फिर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला पेश करने का अवसर प्रदान करके पेटेंट अधिनियम, व्यापार चिह्न अधिनियम, माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम के तहत के अपराधों का निरापराधिकरण करने की मांग करता है। हालांकि, यदि अवसरों का लाभ उठाने के बावजूद, कोई व्यक्ति दंड का भुगतान करने से इनकार करता है, विशेषकर जब किसी व्यक्ति के पास अचल संपत्ति या परिसंपत्ति नहीं हो, जिसका उपयोग राजस्व वसूली अधिनियम के तहत शास्ति की राशि की वसूली के लिए किया जा सके, तो यह आवश्यक है कि उक्त वसूली न्यायालय के माध्यम से की जाए। जो देय शास्ति वसूलने के अतिरिक्त, जुर्माना या कारावास या दोनों भी लगा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित संशोधन अप्रभावी न रहे साथ ही देश के कानून का पालन नहीं करने वालों के लिए उपयुक्त निवारण की व्यवस्था करेगा।”

3.56ख विभाग के निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि तीनों अधिनियमों, पेटेंट अधिनियम, व्यापार चिह्न अधिनियम, माल का भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण) (और संरक्षण अधिनियम में कुछ संशोधनों के साथ शास्ति की वसूली हेतु जुर्माना/कारावास के प्रावधान को बरकरार रखा जाए ।

3.57 समिति ने मंत्रालय के विचारों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिश करने का निर्णय लिया:

शीर्षक	लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा अंगीकृत संशोधनों को समाविष्ट करने के उपरांत फॉर्मेट
पेटेंट अधिनियम, 1970	(अ) धारा 120 में, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे शास्ति के रूप में, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी संदाय करने का और निरंतर दावे की दशा में प्रथम अवधि जो निरंतर दावा के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए और शास्ति शब्द रखे जाएंगे।	(अ) धारा 120 में, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे शास्ति के रूप में, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी संदाय करने का <u>दायी होगा</u> और निरंतर दावे की दशा में प्रथम अवधि जो निरंतर दावा के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए और शास्ति शब्द रखे जाएंगे। (सिफारिश सं. 57)
	(आ) धारा 121 का लोप किया जाएगा।	(आ) धारा 121 का लोप किया जाएगा।
	(इ) धारा 122 में,— (i) उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:—	(इ) धारा 122 में,— (i) उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:—

	“वह जुर्माने से एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे शास्ति के रूप में जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा संदाय करने का और निरंतर इनकार की दशा में प्रथम अवधि जो निरंतर इनकार या <u>असफलता</u> के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए और शास्ति शब्द रखे जाएंगे;। (ii) उपधारा 2 में वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर वह शास्ति से, जो पच्चीस लाख रुपए से अन्यून नहीं होगी, दंडनीय होगा शब्द रखे जाएंगे।	वह जुर्माने से एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे शास्ति के रूप में जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा संदाय करने का <u>दायी होगा</u> और निरंतर इनकार या <u>असफलता</u> की दशा में प्रथम अवधि जो निरंतर इनकार या <u>असफलता</u> के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए और शास्ति शब्द रखे जाएंगे ;। (ii) उपधारा 2 में वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर वह <u>ऐसे व्यक्ति के लेखा परीक्षित खातों में यथासंगणित कारबार के या वृत्ति की सकल प्राप्तियों के, यथास्थिति, कुल विक्रय या आवर्त के आधा प्रतिशत के बराबर राशि या पांच करोड़ रुपए के बराबर राशि, जो भी कम हो, शास्ति का दायी होगा</u> शब्द रखे जाएंगे ।” (सिफारिश सं. 58)
	(ई) धारा 123 में, वह जुर्माने से जो प्रथम अपराध की दशा में एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, पांच	(ई) धारा 123 में, वह जुर्माने से जो प्रथम अपराध की दशा में एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में,

	लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर वह ऐसी शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, का और निरंतर व्यतिक्रम की दशा में, प्रथम अवधि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति, का दायी होगा शब्द रखे जाएंगे।	पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर वह ऐसी शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, का और निरंतर व्यतिक्रम की दशा में, प्रथम अवधि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति, का दायी होगा शब्द रखे जाएंगे। (सिफारिश सं. 59)
	(उ) धारा 124 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “124क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- “124क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन, (1) नियंत्रक, आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम आरंभ करने वाले व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। (2) नियंत्रक, कोई शास्ति अधिरोपित करने से पहले उस व्यक्ति को जिसने व्यतिक्रम किया है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा। (3) जहां कोई व्यक्ति, आदेश की	(उ) धारा 124 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “124क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- (1) नियंत्रक, आदेश द्वारा, <u>धारा 73 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को जांच करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।</u> <u>124ख. अपील- (1) धारा 124क के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति</u>

	प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति कारावास से जो एक वर्ष की अवधि तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अन्यून होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।।	<u>अपीलीय प्राधिकारी को, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, अपील कर सकेगा जो न्यायनिर्णयन अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर का अधिकारी होगा, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए।</u> <u>(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीति में की जाएगी जो विहित किया जाए।</u> <u>(3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।</u> <u>(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।</u> <u>(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी, अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील</u>

		<u>का निपटारा करेगा।</u> <u>(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 124क के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश या इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का ऐसे आदेश से नब्बे दिन के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह शास्ति के अतिरिक्त एक लाख रुपए के जुर्माने या ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष तक हो सकेगी, या दोनों से दंडनीय होगा।”।</u>
	(ऊ) धारा 159 की उपधारा (2) के खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(xiii) धारा 124क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति;।	(ऊ) धारा 159 की उपधारा (2) के खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(xiii) धारा 124क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति; <u>“(xiii) धारा 124ख की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति:।</u> (सिफारिश सं. 60)

19. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 19)

3.58 विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् बताया:

"समिति ने पिछली बैठक में चार सुझाव दिए थे । पहला सुझाव था कि जहां भी हमने जुर्माने या कारावास के स्थान पर शास्ति अधिरोपित की है वहां अधिनिर्णयन तंत्र होना चाहिए जो विधेयक के भाग के रूप में निर्धारित हो । इन चारों अधिनियमों में ऐसा किया गया है । हमने तंत्र निर्धारित किया है..... "

3.59 विभाग द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में अंतर्विष्ट किया जाए ।

3.60 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथा संशोधित उपबंधों को निम्नवत् तालिका के रूप में दिया गया है:-

विधेयक का नाम	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को समाहित करने के पश्चात् प्रारूप
सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972	XXX XXX XXX 24. प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और बहियों और अभिलेखों को तैयार करने में विफलता के लिए दंड- कोई व्यक्ति:- (क) जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी सदस्य को या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा	XXX XXX XXX 24. प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और बहियों और अभिलेखों को तैयार करने में विफलता के लिए दंड- कोई व्यक्ति:- (क) जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी सदस्य को या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त

	डालेगा; वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; अथवा (ख) किसी लेखा-बही या अन्य अभिलेख को, जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसी अपेक्षा की जाने पर उस बही या अभिलेख को पेश करने में असफल रहेगा, ऐसी शास्ति के संदाय के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपये तक हो सकेगी ।	शक्तियों के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; (ख) किसी लेखा-बही या अन्य अभिलेख को, जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसी अपेक्षा की जाने पर उस बही या अभिलेख को पेश करने में असफल रहेगा, तो वह शास्ति, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगी, का दायी होगा।

	25. अन्य शास्तियां—जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का, उन उपबन्धों के सिवाय जिनके उल्लंघन के लिए दण्ड का उपबन्ध धारा 20, 23 और 24 में किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसी शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा आदेश दिया गया था, के मूल्य के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसी शास्ति के लिए जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा आदेश दिया गया था, के मूल्य के दुगने के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा ।	25. अन्य शास्तियां—जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का, उन उपबन्धों के सिवाय जिनके उल्लंघन के लिए दण्ड का उपबन्ध धारा 20, 23 और 24 में किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे दंड अथवा शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा उल्लंघन किया गया था, के मूल्य के दुगने के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसी शास्ति के लिए जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा उल्लंघन किया गया था, के मूल्य के दुगने के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा । (सिफारिश सं. 61) <u>25क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन-</u> (1) धारा 20 की उपधारा (3), धारा 23, धारा 24 के खंड (ख) और धारा 25 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन

		के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष, यथास्थिति, प्राधिकरण के सचिव या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को जांच करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी होने के लिए नियुक्त करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, शास्ति अधिरोपित करेगा । (2) न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा । (3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अध्यक्ष का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था । (4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का एक

		<u>युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो ।</u> <u>(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी, अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।</u> <u>(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम का यदि संदाय नहीं किया जाता है तो उसे भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूला जाएगा ।”</u> <u>(घ) धारा 33 की उपधारा (2) में खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-</u> <u>“(थक) धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने तथा शास्ति अधिरोपित करने की रीति;</u> <u>“(थख) धारा 25क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति:।</u> (सिफारिश सं. 62)

20. उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 20)

3.61 समिति ने पाया कि प्रस्तावित संशोधनों के बारे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जानकारी देने के दौरान समिति ने मंत्रालय को उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम,

1978 को निरस्त करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कहा। खंडवार विचार के दौरान, मंत्रालय अधिनियम को निरस्त करने के समिति के, सुझाव से सहमत हो गया।

3.62 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंधों को निम्नवत् तालिका के रूप में दर्शाया गया है:-

विधेयक का नाम	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को समाहित करने के पश्चात् प्रारूप
उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978	धारा 10 में- (i) उपधारा (1) में "ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने के साथ दंडनीय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) उपधारा (2) में "ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने के साथ दंडनीय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (iii) उपधारा (3) में "ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने के साथ दंडनीय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।	<u>निरसन किया गया</u> (सिफारिश सं. 63)

21. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम संख्या 21)

3.63 मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार बताया:-

“हमारे चार एक्ट्स हैं, जिनमें 16 पीनल प्रोविजन्स में से 9 में डिक्रिमिनालाइजेशन का प्रस्ताव रखा था। माननीय समिति ने 6 सुझाव दिए थे और हमने 6 सुझावों को एक्सेप्ट कर लिया है।”

3.64 मंत्रालय द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि उक्त समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जा सकता है ।

3.65 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंधों को निम्नवत्, तालिका के रूप में दर्शाया गया है:-

विधेयक का नाम	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को समाहित करने के पश्चात् प्रारूप
वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981	xxx xxx xxx (ख) धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “21क. दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति,— (1) धारा 21 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के साथ परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायु प्रदूषण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र को स्थापित करने या प्रचालित करने के लिए किसी भी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान करने, इंकार करने, या रद्द करने से संबंधित मामलों पर जिसमें धारा 21 के अधीन किए गए आवेदन के निपटान की समय-सीमा के लिए तंत्र या ऐसी सहमति की विधिमान्य अवधि सम्मिलित है, पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा । (2) प्रत्येक राज्य बोर्ड, धारा	xxx xxx xxx (ख) धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “21क. दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति,— (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के साथ परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायु प्रदूषण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र को स्थापित करने या प्रचालित करने के लिए किसी भी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान करने, इंकार करने, या रद्द करने से संबंधित मामलों पर जिसमें धारा 21 के अधीन किए गए आवेदन के निपटान की समय-सीमा के लिए तंत्र या ऐसी सहमति की विधिमान्य अवधि सम्मिलित है, पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा । (सिफारिश सं. 64) (2) प्रत्येक राज्य बोर्ड,

	21 के अधीन सहमति को प्रदान करने, इंकार करने या रद्द करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा ।” (ग) धारा 37 से धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “37. धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों के अनुपालन में असफलता.- (1) जो कोई धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करता है, या उनका अनुपालन करता है, तो वह इस संबंध में प्रत्येक उल्लंघन के लिए या अननुपालन के लिए ऐसी शास्ति के संदाय के लिए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा । (2) जहां ऐसे व्यक्ति का उपधारा (1) के अधीन उल्लंघनया अननुपालन जारी रहता है, तो वह अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे उल्लंघन के जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए होगी, के संदाय के लिए दायी होगा।	धारा 21 के अधीन सहमति को प्रदान करने, इंकार करने या रद्द करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा ।” (ग) धारा 37 से धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “37. धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों के अनुपालन में असफलता.- (1) जो कोई धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करता है, या उनका अननुपालन करता है तो वह इस संबंध में प्रत्येक उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति के संदाय के लिए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा । (2) जहां ऐसे व्यक्ति का उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रहता है, तो वह अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे उल्लंघन के जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए होगी, के संदाय के लिए दायी होगा। (सिफारिश सं.65)

	38. कतिपय अधिनियमों के लिए शास्तियां (1) जो कोई— (क) बोर्ड के प्राधिकार से या उसके अधीन भूमि पर लगे किसी स्तम्भ, थम्ब या खूंटे को या लगाई गई, अन्तर्लिखित या रखी गई किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा या उसे विरूपित करेगा ; या (ख) बोर्ड के आदेश या निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में बाधा डालेगा ; या (ग) बोर्ड के किसी संकर्म या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा ; या (घ) बोर्ड को या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा, जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोर्ड या ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपेक्षा करे; या (ङ) राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक परिमाण में वायु प्रदूषकों के वायुमण्डल में उत्सर्जन की घटना या ऐसी घटना होने की आशंका की सूचना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में राज्य बोर्ड और अन्य विहित प्राधिकरणों या	38. (1) कतिपय अधिनियमों के लिए शास्तियां जो कोई— (क) बोर्ड के प्राधिकार से या उसके अधीन भूमि पर लगे किसी स्तम्भ, थम्ब या खूंटे को या लगाई गई, अन्तर्लिखित या रखी गई किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा या उसे विरूपित करेगा ; या (ख) बोर्ड के आदेश या निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में बाधा डालेगा ; या (ग) बोर्ड के किसी संकर्म या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा ; या (घ) बोर्ड को या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा, जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोर्ड या ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपेक्षा करे ; या (ङ) राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक वातावरण में वायु प्रदूषण के उत्सर्जन होने की सूचना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में राज्य बोर्ड और अन्य

	अभिकरणों को देने में असफल रहेगा, या (च) कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा, जिसका दिया जाना उससे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, ऐसा कथन करेगा जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्ट मिथ्या है; वह जुर्माने से जो दस हजार रुपये से न्यून नहीं होगा, लेकिन जो पंद्रह लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है: (2) जहां कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन उल्लंघन या अननुपालन पर जारी रखता है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, प्रति दिन दस हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माने का संदाय करने का दायी होगा। 38क. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति 1) जहां अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किया गया हो, विभागाध्यक्ष, एक महीने के मूल वेतन के बराबर शास्ति के संदाय का दायी होगा। परंतु विभागाध्यक्ष ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या	विहित प्राधिकरणों या अभिकरणों को देने में असफल रहेगा ; या (च) कोई ऐसी जानकारी देने में जिनका दिया जाना इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, देने में असफल रहेगा ऐसा कथन करेगा, जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्ट मिथ्या है; वह ऐसी शास्ति, जो दस हजार रुपए से अन्यून नहीं होगी, किन्तु जो पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, का दायी होगा (2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, अतिरिक्त शास्ति, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगी, के लिए दायी होगा। (सिफारिश सं. 66) 38क. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का दायी होगा : परंतु वह ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी

निर्देशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन, विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की किसी अनावधानी के कारण हुआ है, तो ऐसा अधिकारी, मूल वेतन के एक माह के समतुल्य शास्ति के संदाय का दायी होगा। परंतु ऐसा अधिकारी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। 39. इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति - यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी उपबंध या उसके अधीन जारी किसी आदेश या निर्देश का, जिसके लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा तो वह दस हजार रुपये से अन्यून शास्ति का दायी होगा, लेकिन जो पंद्रह लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकेगी। और जहां इस तरह का उल्लंघन जारी रहता है, वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है अतिरिक्त शास्ति के संदाय का दायी होगा जो दस हजार रुपये बढ़ायी जा सकेगी।	या निर्देशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की किसी अनावधानी के कारण हुआ है तो अधिकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का दायी होगा: परंतु वह उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती है। 39. इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियां— यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश का, जिसके लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी शास्ति के लिए, जो दस हजार रुपए से अन्यून नहीं होगी, किन्तु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह किसी ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान जब ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ऐसी अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी

	"39क. न्यायनिर्णायक अधिकारी -(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 37, 38 और धारा 39 के अधीन शास्ति का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उस रीति में जांच करने जो विहित की जाए और शास्ति निर्धारित करने के लिए किसी ऐसे अधिकारी की जो, भारत सरकार के संयुक्त सचिव अथवा राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करे। बशर्ते कि केंद्र सरकार जितने अपेक्षित हों उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकगी। (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा और हाजिर रहने के लिए कह सकता है, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो और यदि, ऐसी जांच पर, उसे यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, वह ऐसी शास्ति जो यथास्थिति धारा 37, 38 या 39 के उपबंधों के अनुसरण में उचित समझता है, निर्धारित कर सकेगा: परंतु कि संबंधित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।	होगा, जो दस हजार रुपए प्रति दिन तक हो सकेगी । 39क. न्यायनिर्णायक अधिकारी-(1) केन्द्रीय सरकार धारा 37, 38, 38क और धारा 39 के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उस रीति में कोई जांच करने के लिए, जो विहित की जाए और शास्ति का अधिरोपण करने के लिए किसी ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के किसी सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा : परन्तु केन्द्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों । (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित हो, साक्ष्य देने या किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा और उसकी उसे हाजिर रहने के लिए कह सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो और यदि ऐसी जांच पर उसे यह समाधान हो जाता है कि संबंधित

	(3) धारा 37, 38 और 39 के उपबंधों के अधीन लगाई गई शास्ति की रकम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19)" की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रतिकर के संदाय के अतिरिक्त होगी। 39ख. अपील - (1) धारा 37, 38 या 39 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिनों के भीतर फाईल की जाएगी जिस तारीख को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाएगी। (3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपील के	व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी शास्ति, जो यथास्थिति, धारा 37, 38, 38क या 39 के उपबंधों के <u>अधीन</u> उचित समझता है, निर्धारित कर सकेगा: परन्तु कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का <u>युक्तियुक्त</u> अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी। (3) धारा 37, 38, 38क और 39 के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रतिकर के संदाय के दायित्व के अतिरिक्त होगी। (सिफारिश सं. 67) 39ख. अपील— (1) धारा 37, 38, 38क या 39 के अधीन किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित <u>कोई व्यक्ति</u> राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिन के भीतर फाईल की जाएगी जिस तारीख को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के प्रति व्यथित व्यक्ति के

	पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील किए गए आदेश की पुष्टि कर, उसमें उपान्तरण कर या उसे निरस्त कर, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे । (4) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध की गई हो, ऐसी अपील पर अधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम का दस प्रतिशत अधिकरण के पास जमा नहीं कराया हो। 39ग. शास्ति की रकम का पर्यावरण (संरक्षण) निधि में जमा किया जाना। - जहां कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा धारा 37, 38 या 39 के अधीन यथास्थिति शास्ति या अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करता है, ऐसी शास्ति की रकम पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 की 29) की धारा 16 के अधीन गठित की पर्यावरण (संरक्षण) निधि में जमा की जाएगी। xxx xxx xxx	द्वारा प्राप्त जाएगी। (3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण पक्षकारों को अपील के लिए सुनवाई एक अवसर देने के पश्चात् उस अपील किए गए आदेश की पुष्टि कर, उसमें उपान्तरण कर या उसे निरस्त कर, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। (4) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध की गई हो, ऐसी अपील पर अधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम का दस प्रतिशत अधिकरण के पास जमा न कर दी गई हो। 39ग. शास्ति की रकम का पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा किया जाना—जहां कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 37, 38, 38क या 39 के अधीन शास्ति या अतिरिक्त यथास्थिति शास्ति अधिरोपित करता है ऐसी शास्ति की रकम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 16 के अधीन गठित पर्यावरणीय (संरक्षण) निधि में जमा की जाएगी। (सिफारिश सं. 68) xxx xxx xxx

22. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम संख्या 22)

3.66 विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार बताया:-

“बस दो-तीन सेक्शंस ही हैं। वे भी रिपेटिटिव ही हैं। एक के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। अगला अगर हम देखें, तो वह उप-धारा 3 पर निर्भर है, जो कि अभी लॉ मिनिस्ट्री ने ओपाइन किया है कि यह अनावश्यक है। बीआईसीजीसी के मामले में यह समान परिवर्तन है....बाकी सब एक्सेप्टेड है। आपके सभी सुझाव एक्सेप्टेड हैं। हमने सब कुछ स्वीकार कर लिया है..... हम उसे हटा देंगे. प्रधान सिविल न्यायालय में मुद्दे पर हम विधि मंत्रालय से परामर्श मांग करेंगे”

3.67 विभाग द्वारा किए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए समिति ने विधेयक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श करने के बाद धारा 56 की उप-धारा (4) और उप-धारा 6 के परंतुक में छोटे-मोटे आशोधनों के साथ यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के लिए सहमति दे दी जो कि निम्न प्रकार से हैं:-

विधेयक का नाम	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को समाहित करने के पश्चात प्रारूप
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981	धारा 56 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:- XXX XXX XXX	धारा 56 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:- XXX XXX XXX
	(4) इस धारा के अधीन राष्ट्रीय बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति उस तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी जिस दिन राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी नोटिस में रकम के संदाय की मांग की जाएगी और ऐसी अवधि के भीतर रकम का संदाय करने के लिए, असफलता की दशा में, उस क्षेत्र में जहां वह व्यक्ति स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश पर उद्गृहीत की जा सकती	(4) इस धारा के अधीन राष्ट्रीय बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति उस तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी जिस दिन राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी नोटिस में रकम के संदाय की मांग की जाएगी और ऐसी अवधि के भीतर रकम का संदाय करने के लिए, असफलता की दशा में, उस क्षेत्र में जहां वह व्यक्ति स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश पर

	है : परंतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा या इस निमित्त राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय को कोई निदेश नहीं दिया जाएगा । xxx xxx xxx (6) उपधारा (2) के अधीन ऐसे किसी उल्लंघन या चूक जिसके लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध शास्ति लगाई गई हो, <u>के बाबत</u> किसी न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी । xxx xxx xxx	उद्गृहीत की जा सकती है : परंतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा या इस निमित्त राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा <u>किए गए आवेदन के सिवाय</u> न्यायालय को कोई निदेश नहीं दिया जाएगा । xxx xxx xxx (6) उपधारा (2) के अधीन ऐसे किसी उल्लंघन या चूक जिसके लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध शास्ति लगाई गई हो, <u>के संबंध में</u> किसी न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी । xxx xxx xxx (सिफारिश सं. 69)

23. मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 23)

3.68 विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् बताया:-

"धारा 24 (ख) की उपधारा (2) के अधीन अपील करने की रीति के अनुसार उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित की रीति ।

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 में शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने हेतु सुझाव दिया गया था । हमने इस सुझाव को नई धारा यथा धारा 30क, उपधारा 1 के रूप में लाने का प्रस्ताव किया है.

जिसके अधीन धारा 26, 27, 29 और 30 के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए मसाला बोर्ड का सचिव मसाला बोर्ड में एक ऐसे अधिकारी जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, की नियुक्ति करेगा जो कोई शास्ति लगाने के प्रयोजन के लिए संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्

विहित रीति के अनुसार जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।

उपधारा (2): यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर मसाला बोर्ड के सचिव को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा लास्ट सब-सेक्शन 4 हटा देंगे ।

धारा 27 में, दीर्घ पंक्ति में, वह कारावास से, जो छह माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के लिए हमने , “शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए. . . .” का प्रस्ताव किया था । हमें अपराध के स्थान पर उल्लंघन शब्द जोड़ना होगा ।

समिति का विचार था कि हम बोर्ड में कुछ सामंजस्य लाने का प्रयास करना चाहिए । धारा 38, 39 और 40 का लोप किया जा रहा है । हम अंतिम बैठक में समिति से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार धारा 41 (1) पुनः जोड़ रहे हैं । हम “कारावास से, जो छह माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा” को छोड़कर धारा 41 वापस ला रहे हैं । शास्ति, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, का भुगतान करने का दायी होगा । शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । इन्हीं उपांतरों के साथ हम इस धारा को प्रतिधारित करने का प्रस्ताव करते हैं हम धारा 41 और 42 को उपांतरों के साथ प्रतिधारित कर रहे हैं ।”

3.69 विभाग द्वारा किए गए निवेदनों को देखते हुए समिति ने यह निर्णय लिया है कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में अंतर्विष्ट किया जाए ।

3.70 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंधों को निम्नवत् तालिका में दर्शाया गया है:-

विधेयक का नाम	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को समाहित करने के पश्चात् प्रारूप
मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986	(क) धारा 27 में, दीर्घ पंक्ति में, वह कारावास से, जो छह माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, “शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराध के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से	(क) धारा 26 में, “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती असफलता के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । (सिफारिश सं. 70)

	दंडनीय होगा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । (ख) धारा 28 का लोप किया जाएगा। (ग) धारा 29 में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर, “शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराध के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दंडनीय होगा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । (घ) धारा 30 में, “वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, “शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराध के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दंडनीय होगा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।	(ख) धारा 27 में, दीर्घ पंक्ति में, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, <u>दंडनीय होगा</u> शब्दों के स्थान पर, “शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती <u>उल्लंघन</u> के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से <u>दायी होगा</u> शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । (सिफारिश सं. 71) (ग) धारा 28 का लोप किया जाएगा। (घ) धारा 29 में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, <u>दण्डनीय होगा</u> शब्दों के स्थान पर, “शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती <u>उल्लंघन</u> के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से <u>दायी होगा</u> शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । (सिफारिश सं. 72) (ड.) धारा 30 में, वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए,

जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, “शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, का दायी होगा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(सिफारिश सं. 73)

(च) धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“30क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—

(1) धारा 26, धारा 27, धारा 29 और धारा 30 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए बोर्ड का सचिव, यथास्थिति, बोर्ड में निदेशक की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी जांच को करने के लिए और संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी होने के लिए नियुक्त करेगा।

(2) जो कोई न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित होता है, बोर्ड के सचिव को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति

में, जो विहित की जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी बोर्ड के सचिव का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे ।

(4) किसी अपील का तब तक निपटान नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटान किया जाएगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है तो उसकी भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी ।”।

(छ) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

‘(डक) धारा 30क की उपधारा (1) के अधीन जांच आयोजित करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;

(डख) धारा 30क की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ।’

(सिफारिश सं. 74)

3.71 एडवोकेट डीन. कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा अनुपस्थिति में प्रस्तुत संशोधन समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं था ।

24. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम संख्या 24)

3.72 मंत्रालय द्वारा किए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए समिति ने निर्णय किया कि उक्त संशोधन को विधेयक में सम्मिलित किया जाए । विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित अन्य संशोधनों पर समिति सहमत हुई ।

3.73 तदनुसार संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध नीचे तालिका रूप में दर्शाया गया है।

विधेयक का नाम	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को समाहित करने के पश्चात् प्रारूप
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	(ग) धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:- “14क. धारा 7 और धारा 8 के उल्लंघन के लिए शास्ति- (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 7 या धारा 8 या तद्दीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या अननुपालन के लिए शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी किंतु पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन ऐसा उल्लंघन या अननुपालन करना	(ग) धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:- “14क. धारा 7 और धारा 8 के उल्लंघन के लिए शास्ति- (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 7 या धारा 8 के उपबंधों या तद्दीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रुपये से कम की नहीं होगी परंतु जो पंद्रह लाख रुपये तक भी हो सकेगी । (2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन ऐसा उल्लंघन करना जारी रखता

	जारी रखता है, वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा। 14ख. धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के उल्लंघन के लिए शास्ति,—(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के उपबंधों का या उन धाराओं के अधीन जारी आदेशों या निदेशों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या अननुपालन के संबंध में शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन का अननुपालन जारी रखता है, वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।” (घ) धारा 15 से धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— “15. अधिनियम, नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्दीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों का उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है, जिनके लिए किसी	है, वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा। 14ख. धारा 9, 10 और 11 के उल्लंघन के लिए शास्ति:— (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 9, धारा 10 या धारा 11 या उन धाराओं के अधीन जारी आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किंतु पांच लाख रुपये तक की हो सकेगी । (सिफारिश सं. 75) (2) जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है तो वह जिस दौरान उल्लंघन जारी रहता है, वहां वह प्रतिदिन जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा । (घ) धारा 15 से धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— “15. अधिनियम, नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्दीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों का उल्लंघन करता है

	शास्ति का उपबंध नहीं है, वहां वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या अननुपालन के संबंध में शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो पांच हजार रुपए से कम की नहीं होगी और पन्द्रह लाख तक की हो सकेगी । (2) जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अननुपालन के संबंध में उल्लंघन जारी रखता है या पालन नहीं करता है वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा। 15क. कंपनियों द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई कंपनी इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है वहां ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगी, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी और पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अननुपालन के संबंध में उल्लंघन जारी रखता है या पालन नहीं करता है वहां कंपनी प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, एक लाख रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने की दायी होगी । 15ख. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इस	जिनके लिए किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, वहां वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में शास्ति का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी और पन्द्रह लाख तक की हो सकेगी । (2) जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है, वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा। 15क. कंपनियों द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई कंपनी इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है वहां ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए शास्ति का दायी होगी, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी और पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है वहां कंपनी प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, एक लाख रुपए की अतिरिक्त शास्ति के दायी होगी । 15ख. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इस

	अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तो विभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का संदाय करने का दायी होगा : परंतु ऐसा विभागाध्यक्ष ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की किसी असावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा अधिकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का संदाय करने का दायी होगा : परंतु ऐसा अधिकारी उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती है । XXXXXX 15ग(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:- XXXXXX (च) ऐसा कोई अन्य कारक, जो विहित किया जाए।	अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तो विभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का दायी होगा : परंतु ऐसा विभागाध्यक्ष ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की किसी असावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा अधिकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का दायी होगा: परंतु ऐसा अधिकारी उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती है । XXXXXX 15ग(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:- XXXXXX (च) ऐसा अन्य कारक, जो विहित किया जाए।

	XXXXXX 15घ. अपील-(1) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकेगा। XXXXXX अध्याय 3क निधि लेखा और संपरीक्षा 16 (3) निधि निम्नलिखित के लिए उपयोजित की जाएगी— (क) पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता, शिक्षा और अनुसंधान का संवर्धन; (ख) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों के प्राप्ति के लिए खर्चे; X X X X X X X X 16ख. वार्षिक रिपोर्ट—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) निधि के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें	XXXXXX 15घ. अपील-(1) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकेगा। (सिफारिश सं. 76) XXXXXX (ड.) अध्याय 3 के बाद निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् अध्याय 3क निधि लेखा और संपरीक्षा 16 (3) निधि निम्नलिखित के लिए उपयोजित की जाएगी— (क) पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता, शिक्षा और अनुसंधान का संवर्धन; (ख) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और इस अधिनियम के अधीन उद्देश्यों और प्रयोजनों के प्राप्ति के लिए खर्चे; X X X X X X X X 16ख. वार्षिक रिपोर्ट- केंद्रीय सरकार,

	इस अधिनियम के अधीन परिभाषित अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा इस प्रकार से तैयार किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए और पूर्व वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से चार मास के भीतर, केंद्रीय सरकार को, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। X X X X X X X X	पर्यावरण संरक्षण निधि के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन परिभाषित अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा इस प्रकार से तैयार किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ <u>संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।</u> X X X X X X X X (सिफारिश सं. 77)

25.

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 25)

3.74 समिति ने पाया कि वित्तीय सेवा विभाग, प्रस्तावित संशोधनों पर वित्त मंत्रालय द्वारा जानकारी दिये जाने के दौरान, विभाग द्वारा जांच के लिए प्रस्तावित नई धारा 33 ग में समिति द्वारा एक आशोधन का सुझाव दिया गया था।

3.75 विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित जानकारी दी :-

“केवल एक उप-धारा है जिसमें माननीय समिति ने अंतर्विष्ट किए जाने का सुझाव दिया था जो कि धारा 33 (ग) है जिसमें समिति ने सुझाव दिया था कि लेखापरीक्षकों को भी सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए..... इसलिए, हमने धारा में संशोधन किया है। अब, हम कह रहे हैं: “जहां कोई भी लेखापरीक्षक धारा 33 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तब रिजर्व बैंक सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के लेखा

परीक्षक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन करने से एक समय में, परीक्षक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन करने से एक समय में हटा या अधिकतम तीन वर्षों के लिए वर्जित कर सकेगा। इस प्रकार, हमने ये परिवर्तन किया है।"

3.76 विभाग द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए, समिति ने निर्णय किया कि नई धारा 33ग में समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन को विधेयक में सम्मिलित किया जाए। समिति विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित अन्य संशोधनों से सहमत थी।

3.77 तदनुरूप, संयुक्त समिति द्वारा यथा संशोधित उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्षक	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को शामिल किए जाने के बाद प्रारूप
राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987	(क) धारा 33(ख) के बाद निम्नलिखित धारा अंतर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :- "33ग. लेखापरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति - जहां कोई भी लेखापरीक्षक धारा 33 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए किसी निदेश या किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तब रिजर्व बैंक, यदि समाधान हो जाए, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के लेखा परीक्षक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन करने से एक समय में, हटा या अधिकतम तीन वर्षों के लिए वर्जित कर सकेगा।"	(क)धारा 33(ख) के बाद निम्नलिखित धारा अंतर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :- "33ग. लेखापरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति - जहां कोई भी लेखापरीक्षक धारा 33 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए किसी निदेश या किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तब रिजर्व बैंक, <u>लेखापरीक्षक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्</u> रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के लेखा परीक्षक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन करने से एक समय में, हटा या अधिकतम तीन वर्षों के लिए वर्जित कर सकेगा।" (सिफारिश सं. 78) XXX XXX XXX XXX XXX XXX

26. मोटर-यान अधिनियम, 1988 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 26)

3.78 मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित जानकारी दी :-

“जिसमें आपने कुछ सुझाव दिए थे। उन सारे सुझावों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान लिया है। अगर आप अनुमति दें, तो मैं उनको पढ़ भी सकता हूँ।”

3.79 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए समिति ने निर्णय किया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में सम्मिलित किया जाए ।

3.80 तदनुरूप संयुक्त समिति द्वारा यथा संशोधित उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्षक	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को शामिल किए जाने के बाद प्रारूप
मोटर यान अधिनियम, 1988	(अ) धारा 192क की उपधारा (1) में,— (i) “और दस हजार रुपए का जुर्माना” शब्दों के स्थान पर “या दस हजार रुपए का जुर्माना या दोनों” शब्द रखे जाएंगे; (ii) परंतुक का लोप किया जाएगा। xxx xxx xxx (आ) धारा 200 में,— (i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:— “अपराधों का शमन” । (ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— (1) धारा 177, धारा 177क, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4), 182ख, धारा 183 की उपधारा	(अ) धारा 192क की उपधारा (1) में,— (i) “और दस हजार रुपए का जुर्माना” शब्दों के स्थान पर “या दस हजार रुपए का जुर्माना या दोनों” शब्द रखे जाएंगे; (ii) परंतुक का लोप किया जाएगा । xxx xxx xxx <u>(आ) धारा 200 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—</u> (1) धारा 177, धारा 177क, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4), 182ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), <u>धारा 184 के स्पष्टीकरण का खंड (ग)</u>, धारा 186 धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा

(1) या उपधारा (2), धारा 184 हस्तचालित संचरण युक्ति के प्रयोग के विस्तार तक, धारा 186 धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, 192क, 192ख की उपधारा (3), धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा 196 या धारा 198 और धारा 201 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किया जा सकेगा ।” (इ) धारा 215 में उपधारा (3) में पर निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “परंतु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे राज्य में ऐसे जिले के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन करगी जहां राज्य सरकार ने समिति गठित नहीं की है जो एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य जो यह ठीक समझे तथा ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो विहित की जाएं, से मिलकर बनेगी :	192क, धारा 192ख की उपधारा (3), धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा 196 या धारा 198 और धारा 201 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किया जा सकेगा ।”। (इ) धारा 215 में उपधारा (3) में पर निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “परंतु <u>जहां राज्य सरकार ने जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित नहीं की है केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले के लिए समिति का गठन कर सकेगी जो एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य जो यह आवश्यक समझे तथा ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो अवधारित की जाएं, से मिलकर बनेगी :</u> (सिफारिश सं. 79)

27. रेल अधिनियम, 1989 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 27)

3.81 इस विधेयक का आशय धारा 144 की उपधारा (2) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित करना है:

“(2) किसी व्यक्ति को रेलवे के किसी सवारी डिब्बे में या रेलवे के किसी भाग पर भीख मांगना अनुज्ञात नहीं होगा।”

3.82 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए समिति विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से सहमत हुई।

28. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 28)

3.83 खंड-वार विचारण के दौरान मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए समिति ने निर्णय किया कि यथा पुरःस्थापित विधेयक द्वारा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार किया जाए। हालांकि, समिति प्रस्तावित नई धारा 15क की उप-धारा (2) के परंतुक में संशोधन करने के लिए सहमत हुई, ताकि इस उपबंध को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप बनाने के लिए इसमें "युक्तियुक्त" शब्द अंतःस्थापित किया जा सके।

3.84 तदनुरूप संयुक्त समिति द्वारा यथा संशोधित उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्षक	लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूप
लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991	xxx xxxxxx (इ) धारा 4 में,— xxxxx परंतु जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से तत्काल पूर्व किसी परिसंकटमय पदार्थ के रखरखाव को करने वाले कोई स्वामी यथासंभव शीघ्र तथा उस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर ऐसी बीमा	xxx xxxxxx (इ) धारा 4 में,— xxxxx परंतु जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से तत्काल पूर्व किसी परिसंकटमय पदार्थ के रखरखाव को करने वाले कोई स्वामी यथासंभव शीघ्र तथा उस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर ऐसी बीमा पॉलिसी या पॉलिसियां

	पॉलिसी या पॉलिसियां लेगा।”; XXXXX (उ) धारा 7 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “(9) जहां ऐसे परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण, प्रक्रिया, उपचार, पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाशक, संपरिवर्तन, अंतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण पर्यावरण प्रभावित होता या उसकी क्षति होती है, केंद्रीय सरकार, यथा स्थिति केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए आवेदन पर उस रीति में जो विहित की जाए इस प्रकार कारित क्षति के पुनःभंडारण के लिए निधि आवंटित करेगी।”। XXXX (ऋ) धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “14.उल्लंघन के लिए शास्ति— (1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) के किन्हीं उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है, वह बीमा पॉलिसी के वार्षिक प्रीमियम की रकम के बराबर शास्ति का दायी होगा	लेगा।” ; XXXXX (उ) धारा 7 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “(9) जहां ऐसे परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण, प्रक्रिया, उपचार, पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाशक, संपरिवर्तन, अंतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण पर्यावरण प्रभावित होता या उसकी क्षति होती है। केंद्रीय सरकार, यथास्थिति केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए आवेदन पर उस रीति में जो विहित की जाए इस प्रकार कारित क्षति के पुनःभंडारण के लिए पर्यावरण अनुतोष निधि से निधि आवंटित करेगी।” । (सिफारिश सं. 80) XXXXX (ऋ) धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “14.उल्लंघन के लिए शास्ति— (1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) के किन्हीं उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है, वह बीमा पॉलिसी के वार्षिक प्रीमियम की रकम के बराबर शास्ति का दायी होगा और जिसे ऐसे प्रीमियम की रकम के दुगुने तक

और जिसे ऐसे प्रीमियम की रकम के दुगुने तक बढ़ाया जा सकेगा। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन लगातार हुआ हो, ऐसे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, जो प्रत्येक माह या उस अवधि के दौरान जिसमें उल्लंघन लगातार हुआ हो, के लिए संदाय की गई प्रीमियम की रकम से अधिक नहीं होगी।”। धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “15.आदेश का अननुपालन करने के लिए शास्ति-(1)जहां कोई व्यक्ति धारा 12 के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन नहीं करता है, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी किन्तु जिसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन लगातार अननुपालन करता है, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा जो प्रतिदिन दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी जिसके दौरान ऐसा अननुपालन लगातार हुआ हो। जहां कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी	बढ़ाया जा सकेगा। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन लगातार हुआ हो, ऐसे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, जो प्रत्येक माह या उस अवधि के दौरान जिसमें उल्लंघन लगातार हुआ हो, के लिए संदाय की गई प्रीमियम की रकम से अधिक नहीं होगी।”। xxxxxx जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन लगातार अननुपालन करता है, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा जो प्रतिदिन दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी जिसके दौरान ऐसा अननुपालन लगातार हुआ हो। (3) जहां कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करता है या धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (1),

निदेशों का अनुपालन नहीं करता है या धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और जिसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। जहां कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अननुपालन जारी रखता है, वह प्रतिदिन दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके दौरान ऐसा अननुपालन जारी रहता है । 15क. न्यायनिर्णायक अधिकारी,— (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 14 या धारा 15 के अधीन शास्तियां अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को या भारत सरकार के निदेशक के पद से नीचे की पंक्ति के अधिकारी को या राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी को न्याय निर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच कर सकती है और शास्ति अधिरोपित कर सकती है : परंतु केन्द्रीय सरकार, जो अपेक्षित हो, कई न्याय निर्णायक अधिकारी नियुक्त	उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और जिसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। (4) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अननुपालन जारी रखता है, वह प्रतिदिन दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा जिसके दौरान ऐसा अननुपालन जारी रहता है । 15क. न्यायनिर्णायक अधिकारी,— (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 14 या धारा 15 के अधीन शास्तियां अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को या भारत सरकार के निदेशक के पद से नीचे की पंक्ति के अधिकारी को या राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच कर सकती है और शास्ति अधिरोपित कर सकती है : परंतु केन्द्रीय सरकार, जो अपेक्षित हो, कई न्याय निर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है। (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के

कर सकती है। (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए समन भेज सकता है और उपस्थिति को प्रवृत्त कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में उपयोगी हो सकता है या उसके लिए सुसंगत हो सकता है, यदि जांच की विषय-वस्तु और ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाए कि संबद्ध व्यक्ति, धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2) , उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) और धारा 12 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह धारा 14 और धारा 15 के उपबंधों के अनुसार, जो वह ठीक समझे ऐसी शास्ति को अवधारित कर सकता है : परंतु कोई ऐसी शास्ति संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी । xxx xxxxxx 15ख. अपील—(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 14 अथवा 15 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित किए गए राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील	तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए समन भेज सकता है और उपस्थिति को प्रवृत्त कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में उपयोगी हो सकता है या उसके लिए सुसंगत हो सकता है, यदि जांच की विषय-वस्तु और ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाए कि संबद्ध व्यक्ति, धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2) , उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) और धारा 12 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह धारा 14 और धारा 15 के उपबंधों के अधीन, जो वह ठीक समझे, ऐसी शास्ति को अवधारित कर सकता है : परंतु कोई ऐसी शास्ति संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी । (सिफारिश सं. 81) xxx xxxxxx 15ख. अपील—(1) जो कोई, जो धारा—15क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित किए गए राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। (सिफारिश सं. 82)

	प्रस्तुत कर सकेगा । xxx xxx xxx (ओ) धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :— ‘17.सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन— (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है वहां विभाग का अध्यक्ष मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबर शास्ति के लिए दायी होगा: परंतु वह ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया था या उसने उस उल्लंघन को किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभाग के अध्यक्ष से भिन्न, किसी अधिकारी की उपेक्षा या किसी भूल के कारण हुआ है वहां वह मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबरशास्ति के लिए दायी होगा: परंतु वह उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उसने उस उल्लंघन को किए जाने का निवारण करने के लिए सब	xxx xxx xxx (ओ) धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः— ‘17. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन — (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है वहां विभाग का अध्यक्ष मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबर शास्ति के लिए दायी होगा: परंतु वह ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया था या उसने उस उल्लंघन को किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभाग के अध्यक्ष से भिन्न, किसी अधिकारी की उपेक्षा या किसी भूल के कारण हुआ है वहां वह मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबर शास्ति के लिए दायी होगा: परंतु वह उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उसने उस उल्लंघन को किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

	सम्यक् तत्परता बरती थी । XXXXXXX	XXX XXX XXX

29. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 29)

3.85 समिति ने नोट किया कि प्रस्तावित संशोधनों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संक्षिप्त जानकारी दिये जाने के दौरान समिति ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 16 (1) (2) (3) और धारा 22 (2) (घ ख) में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया था।

3.86 मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ- साथ निम्नवत् जानकारी दी:-

“इसमें कमेटी की रिकमेंडेशन थी, सैक्शन 16 के सबसैक्शन (1)(2)(3) में थी।.....
‘पनिशेबल’ की जगह ‘लाएबल’ हो गया।”

3.87 अधिकारी ने आगे बताया कि समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है।

3.88 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में सम्मिलित किया जाए।

3.89 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:

शीर्षक	लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूप
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन)	(क) धारा 16 से 18 के लिए, निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित	(क) <u>अध्याय 4</u> के स्थान पर निम्नलिखित <u>अध्याय</u> रखा जाएगा

अधिनियम, 1995	किया जाएगा, नामतः— "16. इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति- (1) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह <u>दंडनीय</u> होगा,— (क) प्रथम अपराध के लिए सलाह या परिनिंदा या चेतावनी या किसी शास्ति से, जो बीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, या दोनों से ; (ख) प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए सलाह या परिनिंदा या चेतावनी या किसी शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, या दोनों से, (ग) तत्पश्चात किसी उल्लंघन के लिए, ऐसी अवधि के लिए दिए गए पंजीकरण को रद्द करके, पदाभिहित अधिकारी द्वारा जो विहित की जाए।	नामतः— <u>"अध्याय 4</u> <u>शास्तियां</u> 16. इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति- (1) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह <u>दायी</u> होगा,- (क) प्रथम <u>उल्लंघन</u> के लिए सलाह या परिनिंदा या चेतावनी या किसी शास्ति से, जो बीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, या दोनों से ; (ख) प्रत्येक पश्चातवर्ती <u>तीन वर्षों की अवधि के भीतर</u> उल्लंघन के लिए सलाह या परिनिंदा या चेतावनी या किसी शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, या दोनों <u>सहित, ऐसे</u> पदाभिहित अधिकारी द्वारा जो विहित की जाए ।

	(2) पदाभिहित अधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए आदेश द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा : परंतु यह कि सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना ऐसी कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी। (3) उपधारा (2) के अधीन <u>आदेश</u> द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति से व्यथित कोई व्यक्ति भारत सरकार के सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील कर सकेगा: परंतु यह कि शास्ति लगाने के तीस दिनों के बाद ऐसी कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी: परंतु यह और कि कोई अपील तीस दिन की अवधि की समाप्ति के	(2) पदाभिहित अधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए आदेश द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा : <u>परन्तु यह कि तीन वर्षों से अधिक अवधि के ऊपर तीन बार उल्लंघनों से अधिक के मामले में पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त, आदेश द्वारा अभिलिखित कारणों के लिए अनुदत्त किए गए रजिस्ट्रेशन को निलंबित या प्रतिसंहत कर सकेगा:</u> परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी द्वारा कोई आदेश, सुनवाई किए जाने के युक्तियुक्त अवसर को प्रदान किए बिना, नहीं दिया जा सकेगा। (3) जो कोई उपधारा (2) के अधीन दिए गए <u>आदेश</u> द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति से व्यथित है, वह भारत सरकार के सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील कर सकेगा: परन्तु यह कि ऐसी कोई अपील <u>ऐसे किसी आदेश की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्</u> स्वीकार्य नहीं होगी: परंतु यह और कि कोई अपील तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय

	पश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील प्रस्तुत करने से किसी पर्याप्त कारण से निवारित था।” XXX XXX XXX	से अपील प्रस्तुत करने से किसी पर्याप्त कारण से निवारित था।” (सिफारिश सं. 83) XXX XXX XXX

30. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 30)

3.90 विभाग ने, संशोधनों के बारे में खण्डवार विचार किए जाने के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत बताया:

“सर, सेक्शन 107 में यह था कि जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड न हो और इसको गलत रजिस्टर्ड किया हुआ शो करे, तो हमने इसमें पेनल्टी लगाई थी। हमने फिर कहा था कि '25,000 रुपये से कम नहीं को 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।’

इसमें कमेटी की रेकमेंडेशन थी, समिति ने कहा कि ऊपरी सीमा के लिए 1 लाख रुपये बहुत कम सीमा है। इसलिए, हमने इसे संशोधित किया है। अब, हमारा कहना है कि : 'यदि कोई व्यक्ति उप-धारा 1 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह शास्ति के रूप में, कुल बिक्री या कारोबार के डेढ़ प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जैसा भी हो, ऐसे व्यक्ति के लेखापरीक्षित लेखों में गणना की गई व्यवसाय या पेशे में सकल प्राप्तियों में, या पांच लाख रुपये के बराबर राशि, जो भी कम हो..... या वह कम से कम 25,000 रुपये की शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जो 5 लाख रुपये तक हो सकती है।’

3.91 विभाग द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में सम्मिलित किया जाए।

3.92 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:

शीर्षक	लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूप

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	XXX XXX XXX (ख) धारा 107 की उपधारा (2) में कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा शब्दों को “कम से कम पच्चीस हजार रुपये की शास्ति, परंतु जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है” से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।	XXX XXX XXX (ख) धारा 107 की उपधारा (2) में कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर <u>“यथास्थिति, कारबार या वृत्ति के सकल प्राप्ति में ऐसे व्यक्ति के संपरीक्षित लेखे में गणना की जाएगी या पांच लाख रुपए के समान रकम हो, जो भी कम होगी कुल बिक्रीया आवर्त के आधे प्रतिशत के समान रकम के लिए दायी होगा</u> शब्द रखे जाएंगे । (सिफ़ारिश सं. 84)
	XXX XXX XXX (घ) धारा 112 के पश्चात निम्नांकित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् “112क शास्तियों का न्यायनिर्णयन- (1) रजिस्ट्रार आदेश जारी कर किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए किसी व्यक्ति पर शास्ति अध्यारोपित कर सकता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति के उदग्रहण की विधि और शर्तें ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए (2) रजिस्ट्रार कोई भी शास्ति अध्यारोपित करने से पूर्व व्यतिक्रम (चूक) करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा (3) जहां व्यक्ति आदेश प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर उप-धारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, ---, वह एक लाख रुपये के जुर्माना अथवा ऐसी अवधि	XXX XXX XXX (घ) धारा 112 के पश्चात निम्नांकित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्- 112क - शास्तियों का न्यायनिर्णयन रजिस्ट्रार आदेश द्वारा धारा 3 में संदर्भित किसी अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी रीति है जो विहित की जाए से जांच करने और शास्ति अध्यारोपित करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। 122ख अपील:- (1) जो कोई न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित है धारा 112 क के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जो न्याय निर्णयन अधिकारी से कम से कम एक रैंक उपर का अधिकारी होगा। यह अपील केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर प्राधिकृत आदेश प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है। (2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति से

	के कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। (ड) धारा 140 में उप धारा (3) के स्थान पर निम्नांकित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् “(3) आयातकर्ता या उसका एजेंट चौदह दिनों के भीतर उपर्युक्त अपेक्षा का अनुपालन करेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो वह दस हजार रुपये की शास्ति का संदाय करने का	और ऐसे रूप में की जाएगी जैसा कि विहित की जाए (3) यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को समयावधि के भीतर अपील नहीं प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारण से संतुष्ट कर देता है तो अपील साठ दिन की अवधि के बाद संस्वीकृत की जा सकती है। (4) जबतक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, किसी भी अपील का निस्तारण नहीं किया जाएगा। (5) उप-धारा (1) में संदर्भित अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निस्तारण करेगा। (6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि व्यक्ति धारा 112 क के अधीन न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश अथवा इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी का आदेश जैसी भी स्थिति हो ऐसे आदेश के 90 दिन के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है तो वे शास्ति के आलावा एक लाख रुपये के जुर्माना अथवा ऐसी अवधि के कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा। [संदर्भ पैरा सं. 3.56ख] (सिफारिश संख्या 85) (ड) धारा 140 में उप धारा (3) के स्थान पर निम्नांकित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् “(3) आयातकर्ता या उसका एजेंट चौदह दिनों के भीतर उपर्युक्त अपेक्षा का अनुपालन करेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो वह दस हजार रुपये की शास्ति का दायी होगा। परन्तु यह कि इस धारा के अधीन शास्ति ऐसे प्राधिकारी द्वारा

	दायी होगा। परन्तु यह की इस धारा के अधीन शास्ति ऐसे प्राधिकारी द्वारा उदगृहित और वसूल की जाएगी जिसे इस प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क 1962 (1962 का 52) के अधीन प्राधिकृत किया गया है (च) धारा 157 में उप धारा (2) में खंड (XXXIII) के पश्चात् निम्नांकित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् (33 क) धारा 112 क की उप धारा (1) शास्ति की उगाही की रीती और शर्तें”	उदगृहित और वसूल की जाएगी जिसे इस प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क 1962 (1962 का 52) के अधीन प्राधिकृत किया गया है। (च) धारा 157 में उप धारा (2) में खंड (XXXIII) के पश्चात् निम्नांकित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् “(तैंतीस क):- धारा 112 क के अधीन शास्ति अध्यारोपित करने की रीति (तैंतीस ख) धारा 112 ख की उप धारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का रूप और इसकी विधि” (सिफारिश संख्या 86)

31. माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 में प्रस्तावित संशोधन निरूपण

(अनुसूची की क्रम संख्या 31)

3.93 संशोधनों पर खंड-वार विचार करने के दौरान विभाग ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नानुसार निवेदन किया

“चारों अधिनियम में एक ही बात है। हमने चारों में समान फिलॉसॉफी लगा दी है। इसमें धारा 42 में समिति की सिफारिश थी:- आगे अपीलीय प्राधिकारी हैं। उसके बाद, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में कोई सुझाव नहीं था, हम इस धारा का लोप ही कर रहे थे।”

3.94 विभाग द्वारा किए गए निवेदन के दृष्टिगत समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में सम्मिलित किया जाए।

3.95 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है

विधेयक का नाम	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों को सम्मिलित करने के बाद प्रारूप
माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और सरंक्षण) अधिनियम, 1999	(क) धारा 37 के पश्चात् निम्नांकित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् “37 क शास्तियों का न्यायनिर्णयन:- (1) रजिस्ट्रार आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए किसी व्यक्ति पर शास्ति अध्यारोपित कर सकता है, शास्ति के उदग्रहण की रीति और शर्तें ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए। (2) रजिस्ट्रार कोई भी शास्ति अध्यारोपित करने से पूर्व चूक (व्यतिक्रम) करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा’ (3) जहां कोई व्यक्ति आदेश प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर उप-धारा (1) के अधीन आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है जो पच्चीस हजार रुपये से अन्यून नहीं होगा किन्तु इसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है दोनों से दंडित होगा।	(क) धारा 37 के पश्चात् निम्नांकित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् <u>37क शास्तियों का न्यायनिर्णयन</u> <u>“रजिस्ट्रार आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए किसी व्यक्ति पर शास्ति अध्यारोपित कर सकता है, शास्ति के उदग्रहण की रीति और शर्तें ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए।</u> <u>रजिस्ट्रार आदेश द्वारा धारा 3 में संदर्भित किसी अधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच करने और सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ऐसी रीति से जो विहित की जाए न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकता है।</u> <u>37ख अपील-(1) जो कोई न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित है धारा 112 क के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, वह अपीलीय अधिकारी न्याय निर्णयन अधिकारी से कम से कम एक रैंक उपर का अधिकारी होगा। यह अपील आदेश प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर जैसा कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे।</u> <u>(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील</u>

	<u>ऐसी प्रारूप और ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि विहित किया जाए।</u> <u>(3) यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील नहीं प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारण का पर्याप्त कारण था तो साठ दिन की अवधि के बीत जाने के बाद अपील स्वीकृत की जा सकती है।</u> <u>(4) जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है, किसी भी अपील का निस्तारण नहीं किया जाएगा।</u> <u>(5) अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर किए जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निस्तारण करेगा।</u> <u>(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि व्यक्ति धारा 37 क के अधीन न्याय निर्णयन अधिकारी अथवा इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश जैसी भी स्थिति हो का अनुपालन ऐसे आदेश जारी होने के 90 दिन के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है तो वे शास्ति के आलावा एक लाख रुपये के जुर्माना अथवा ऐसी अवधि के कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से अथवा दनो से दण्डित किया जाएगा।</u> <i>[संदर्भ पैरा सं. 3.56ख]</i> (सिफारिश संख्या 87) (ख) धारा 42 में उपधारा (2) में 'ऐसी

	(ख) धारा 42 की उप धारा (2) में “ऐसी अवधि के कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित होगा के स्थान पर पच्चीस हजार रुपये से अन्यून का दायी किन्तु इसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है” प्रतिस्थापित किया जाए। XXXXXX (घ) धारा 87 की उपधारा (2) में, खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “(णक) धारा 37क के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;	अवधि के कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माना या दोनों” शब्दों के स्थान पर <u>“कुल बिक्री या कारबार, जैसी भी स्थिति हो के डेढ़ प्रतिशत के समान रकम व्यवसाय अथवा ऐसे व्यक्ति के लेखापरीक्षित लेखों में परिकलित कुल प्राप्तियों से डेढ़ प्रतिशत या पांच लाख रुपये की रकम, दोनों में जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा”</u> प्रतिस्थापित किया जाएगा। (सिफारिश संख्या 88) XXXXXX (घ) धारा 87 में उप-धारा (2) में खंड (ण) के बाद निम्नांकित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे (णक) ‘धारा 37क के अधीन जांच करने और शास्ति अध्यारोपित करने की रीति’ (णख) धारा 37 ख की उप धारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का रूप और इसकी रीति।” (सिफारिश संख्या 89)

32. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 32)

3.96 मंत्रालय ने संशोधनों पर खंड-वार विचार करने के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बताया :

“इसमें वहां काफी डिटेल में डिसकशन हुई है। हमारा जो नया डीपीडीपी बिल है, उससे भी हम इसको एलाइन कर रहे हैं। वह जल्दी ही आने वाला है, कंसल्टेशन पूरा हो गया है। यह क्लॉज भी अगर हम देखें तो - यह है ‘जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय’ - यह एक सेविंग क्लॉज है। जैसा माननीय समिति ने भी कहा था कि इसे उससे एलाइन कर दिजिये, क्योंकि वह डीपीडीपी

बिल भी हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, हमने उससे एलाइन किया है। सेक्शन 72ए भी सेम है। एक सुझाव था कि आपराधिक सजा नहीं होने पर सजा शब्द को शास्ति से बदल दिया जाना चाहिए। हमने स्वीकार किया है कि..... जैसा माननीय समिति ने बताया था, वैसे ही हमने बदल दिया है।”

3.97 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जाए।

3.98 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है :

शीर्षक	लोकसभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकार कर लिए गए संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूप
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	(क) धारा 2 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ड) में, पूरी पंक्ति के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:- "राज्य सरकार, और किसी अन्य मामले में- (I) प्रासंगिक उपबंध, या एक कंप्यूटर संसाधन से संबंधित, जो केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऐसे मंत्रालय या विभाग; या (II) उपखंड (ठ) के तहत शामिल नहीं है, केंद्र सरकार,"। (ख) धारा 33 में, उपधारा (2) में, "कारावास से, जो 6 मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "शास्ति देने के लिए दायी होगा जो	संशोधन का लोप किया गया। (क) धारा 33 में, उपधारा (2) में, "कारावास से, जो 6 मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ख) धारा 44 में, - (i) खंड (क) में, "एक लाख पचास हजार" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह लाख" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

	पांच लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ग) धारा 44 में,— (i) खंड (क) में, "एक लाख पचास हजार" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह लाख" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) खंड (ख) में, "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) खंड (ग) में, "दस हजार" शब्दों के स्थान पर "एक लाख" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (घ) धारा 45 में, "ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को पच्चीस हजार रुपए से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित को किया जाएगा, नामतः— "ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के अलावा एक लाख रुपये से अनधिक की शास्ति — (क) एक मध्यस्थ, कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट द्वारा दस लाख रुपये से अनधिक ; या (ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक लाख रुपये से अनधिक."	(ii) खंड (ख) में, "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) खंड (ग) में, "दस हजार" शब्दों के स्थान पर "एक लाख" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । (ग) धारा 45 में, — <u>(i) "नियम या विनियमन" शब्दों के स्थान पर "नियम, विनियमन, निदेश या आदेश" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;</u> <u>(ii) "ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को पच्चीस हजार रुपए से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—</u> "ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के अलावा एक लाख रुपये से अनधिक की शास्ति — एक मध्यस्थ, कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट द्वारा दस लाख रुपये से अनधिक ; या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक लाख रुपये से अनधिक।" (घ) धारा 46 में, - <u>(i) उपधारा (1) में, "इस अध्याय के</u>

		अधीन" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; <u>(ii) उपधारा (1क) में, दोनों स्थानों पर प्रयुक्त "चोट या" शब्दों का लोप किया जाएगा।</u>
(ड) धारा 46 में, उपधारा (1) में, "इस अध्याय के अधीन" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।	(इ) धारा 66क का लोप किया जाएगा।	
(च) धारा 66क का लोप किया जाए।		<u>(च) धारा 67ग में, उपधारा (2) में, "कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।</u>
(छ) धारा 67ग में, उपधारा (2) में, "कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।	(ख) धारा 68 में, उपधारा (2) में, "कारावास का, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी या एक लाख रुपए से अनधिक के जुर्माने का या दोनों का दायी होगा," शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।	
(ज) धारा 68 में, उपधारा (2) में, "कारावास का, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी या एक लाख	(ज) धारा 69 ख में, उपधारा (4) में, "तीन वर्ष तक की हो सकेगी और	

	रुपए से अनधिक के जुर्माने का या दोनों का दायी होगा," शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (झ) धारा 69 ख में, उपधारा (4) में, "तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा " शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष और ऐसे जुर्माने, जो एक करोड़ रुपए तक हो सकेगा, अथवा दोनों का दायी होगा " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ज) धारा 70ख में, उपधारा (7) में, "एक लाख" शब्दों के स्थान पर, "एक करोड़" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जागा। (ट) धारा 72 में "ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से" शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ठ) धारा 72क में, "ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच	जुर्माने का भी दायी होगा " शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष और ऐसे जुर्माने, जो एक करोड़ रुपए तक हो सकेगा, अथवा दोनों का दायी होगा " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (झ) धारा 70ख में, उपधारा (7) में, "एक लाख" शब्दों के स्थान पर, "एक करोड़" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जागा । (ज) धारा 72 में "ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से" शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ट) धारा 72क में, - <u>(i) पार्श्व शीर्षक में, "दंड" शब्द के लिए, "शास्ति" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</u> (ii) "ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से" शब्दों

	लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से" शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।	के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकेगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (सिफारिश संख्या 90)

33. मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 33)

3.99 मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् बताया:

“हमारे मेट्रो के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के चैप्टर 11 में जो ऑफेन्सेस एंड पेनाल्टी है, उसमें डिफ्रिग्मिनिटेशन किया है और उसको जनविश्वास बिल में लाया गया है। इसमें आठ प्रोविजन्स हैं। पहला सेक्शन-6 है, जिसमें हमने मेट्रो कंपनी को पावर दी है कि वह पेनाल्टी को लेवी कर सकते हैं, जो पहले प्रावधान नहीं है। बाकी प्रावधान में जहां पर फाइन था, उसको हमने पेनाल्टी किया है। उसका प्रावधान पहले इस एक्ट में नहीं था। इसमें सेक्शन 6(2)जे इंsert किया है, जिसमें मेट्रो रेल एड मिनिस्ट्रेशन को यह पावर दी है।.....इसमें कोई सजेशन नहीं था। यह सेक्शन 6(2)जे है।.....जो दूसरा था, वह 59 (2) में था। पहले हमने बोला था कि इनटॉक्सिकेशन न करके आएगा और अगर मेट्रो ऑपरेशन में सेफ्टी अफेक्ट होती हो तो हमने पहले सजा के प्रावधान को खत्म करने के लिए प्रपोज किया था। इसमें जब चर्चा हुई थी तो उस दौरान यह बताया गया कि मेट्रो की सेफ्टी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। उसमें हमने दो साल सजा का प्रावधान रखा है।.....यह दो साल का है। अगर मेट्रो ऑफिसियल इनटॉक्सिकेटेड कंडिशन में रहेगा तो उसको 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी, जो कि पहले 250 रुपये का फाइन था। अगर वह इनटॉक्सिकेशन स्टेज में रहता है, जिससे पैसेंजर सेफ्टी अफेक्ट होती है तो उसमें दो साल के सजा का प्रावधान किया है।.....इसको हमने अक्सेप्ट कर लिया है।.....पुराने में भी दो साल का प्रावधान था, इसलिए उसको रिटेन कर लिया है।.....इसमें हमने बस चेंजेज किया है, इनटॉक्सिकेशन के बारे में सजेशन आया था कि अगर वह इनटॉक्सिकेटेड कंडिशन में पाया जाता है तो पहले जो 250 रुपये का फाइन था, उसे 10,000 रुपये के पेनाल्टी का प्रोविजन कर दिया।”

3.100 मंत्रालय द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जाए।

3.101 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:

शीर्षक	लोकसभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकार कर लिए गए संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूप
मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002	(अ) धारा 6 की उपधारा (2) में,— (क) खंड (ज) में, अंत में आने वाले, “और” शब्द का लोप किया जाएगा ; (ख) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(ज) इस अधिनियम के अधीन शास्तियां उद्ग्रहण करना और संगृहीत करना ।” (आ) धारा 59 की उपधारा (2), के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “(2) यदि कोई मेट्रो रेल पदधारी इयूटी पर होते हुए मत्तता की हालत में होगा तो वह शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा ।”। (इ) धारा 63 में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति के लिए	(अ) धारा 6 की उपधारा (2) में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(छक) इस अधिनियम के अधीन शास्तियां उद्ग्रहण करना और संगृहीत करना ।” (आ) धारा 59 की उपधारा (2) में,— “(i) “जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी हो जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ; (ii) “पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;। (इ) धारा 63 में, “यदि कोई यात्री, किसी मेट्रो रेलवे पदधारी द्वारा परिविरत रहने की चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी, किसी रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करेगा या किसी रेलगाड़ी के ऐसे भाग, जो यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित नहीं है पर हठपूर्वक यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाड़ी के बाहर निकालेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक

दायी होगा, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ।

(ई) धारा 65 की दीर्घशीर्ष में, “कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर “कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो तीस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(उ) धारा 69 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(4) यदि उपधारा (1) में वर्णित अधिक प्रभार और किराया या उपधारा (2) में वर्णित अधिक प्रभार और किराए का कोई अंतर देने के दायित्वाधीन कोई यात्री उसकी मांग की जाने पर, उसे नहीं देता है या देने से इंकार करता है तो इस निमित्त मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई रेल पदधारी ऐसी संदेय राशि की वसूली के लिए, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुर्माना हो।”।

(ऊ) धारा 70 के स्थान पर,

मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर “यदि कोई यात्री, किसी रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करेगा या रेलगाड़ी के ऐसे भाग, जो यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित नहीं है पर हठपूर्वक यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाड़ी से बाहर निकालेगा तो वह शास्ति का जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा शब्द रखे जाएंगे ।

(ई) धारा 65 की दीर्घशीर्ष में, “कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर “कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो तीस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(उ) धारा 69 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

	निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “70. रेलगाड़ी के संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना—यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, यात्रियों और रेलगाड़ी के भारसाधक मेट्रो रेल पदधारी के बीच के संचार के लिए मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा रेलगाड़ी में व्यवस्थित किन्हीं साधनों का उपयोग या उनमें हस्तक्षेप, युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना करेगा या मेट्रो रेल की चेतावनी घंटी या आपात स्टॉप पुश या आपात ट्रिप प्रणाली या आपात कॉल प्वाइंट का दुरुपयोग करेगा तो ऐसी शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।”। (ऋ) धारा 80 का लोप किया जाएगा। (ए) धारा 82 की उपधारा (1) में, “धारा 59, धारा 61, धारा 65 से धारा 79” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 61, धारा 65 से धारा 68, धारा 71 से धारा 79” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।	“(4) यदि उपधारा (1) में वर्णित अधिक प्रभार और किराया या उपधारा (2) में वर्णित अधिक प्रभार और किराए का कोई अंतर देने के दायित्वाधीन कोई यात्री उसकी मांग की जाने पर, उसे नहीं देता है या देने से इंकार करता है तो इस निमित्त मेट्रो रेलवे प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई मेट्रो रेलवे पदधारी ऐसी संदेय राशि की वसूली के लिए, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुर्माना हो ।”। (ऊ) धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “70. रेलगाड़ी के संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना—यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, यात्रियों और रेलगाड़ी के भारसाधक

		मेट्रो रेल पदधारी के बीच के संचार के लिए मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा रेलगाड़ी में व्यवस्थित किन्हीं साधनों का उपयोग या उनमें हस्तक्षेप, युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना करेगा या मेट्रो रेल की चेतावनी घंटी या आपात स्टॉप पुश या आपात ट्रिप प्रणाली या आपात कॉल प्वाइंट का दुरुपयोग करेगा तो ऐसी शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।” (ऋ) धारा 80 का लोप किया जाएगा । (ए) धारा 82 की उपधारा (1) में, “धारा 65 से धारा 79” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 65 से धारा 68, धारा 71 से धारा 79” शब्द और अंक रखे जाएंगे । (सिफारिश सं. 92)

34. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम संख्या 34)

3.102 समिति ने पाया कि राजस्व विभाग की ब्रीफिंग के दौरान विभाग ने बताया कि:-

“हमारे में परिणामी संशोधन हैं, जो तीन विभागों के चार एक्ट्स हैं। डीपीआईआईटी का ट्रेडमार्क्स एक्ट है। यह सीरियल नंबर 30 पर संशोधन हो रहा है। फिर सीरियल नंबर 32 में इन फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में संशोधन हो रहा है। वह डिलीट हो रहे हैं, डीक्रिमिनलाइज हो रहे हैं। सर, प्रमुखतः ये चार सेक्शन्स हैं। तीसरा सेक्शन एनवायर्नमेंट का डीक्रिमिनलाइज हो रहा है, वह सीरियल नंबर 24 पर है और चौथा सीरियल नंबर 21 पर है। ये चार सेक्शन्स डीक्रिमिनलाइज हो रहे हैं। हमारे परिणामी संशोधन हैं, क्योंकि वे डीक्रिमिनलाइज हो जाएंगे तो प्रिवेंशनऑफ मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट से भी हटाने पड़ेंगे। क्योंकि ऑफेंस ही नहीं रहेगा। प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं

रहेगा। हमारा काम मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट में, जैसा आपको मालूम है, तभी प्रारम्भ होता है जब कोई क्राइम होता है। जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वह मनीलॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं।"

3.103 विभाग के बताये अनुसार, समिति ने यथापुरःस्थापित विधेयक में मामूली परिवर्तनों के साथ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, समिति ने पाया कि अनुसूची में तालिकाओं के शीर्षकों में दोनों स्थानों पर दिए गए "वर्णन" शब्द को क्रमशः "अपराधों का वर्णन" और "अपराध का वर्णन" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

35. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम संख्या 35)

3.104 विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार बताया है कि -

"इसमें आपका सुझाव था कि इसको किया जाए: " कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा"। यह एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दिया था। यह उस तरह का अनसेफ फूड है, जो अनसेफ तो है, लेकिन उससे मुझे इंजरी नहीं हो रही है।"

3.105 विभाग द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जाए।

3.106 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:

शीर्षक	लोकसभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकार कर लिए गए संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूप
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,	(अ) धारा 59 के खंड (i) में, "कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने	(अ) धारा 59 के खंड (i) में, "कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक

2006	से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 61 में, “कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (इ) धारा 63 में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।	लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “<u>तीन मास और</u> जुर्माने <u>से भी</u>, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 61 में,— (i) <u>पार्श्वशीर्ष में “दंड” शब्द के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखे जाएंगे ;</u> (ii) “कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, <u>दंडनीय</u> होगा शब्दों के स्थान पर, “<u>शास्ति का</u>, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, <u>दायी</u> होगा शब्द रखे जाएंगे । (सिफारिश सं. 93) (इ) धारा 63 में,— (i) <u>पार्श्वशीर्ष में “दंड” शब्द के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखा जाएगा ;</u> (ii) “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, <u>दंडनीय</u> होगा शब्दों के स्थान पर, “<u>शास्ति का</u>, जो <u>दस</u> लाख रुपए तक की हो सकेगी, <u>दायी</u> होगा शब्द रखे जाएंगे । (सिफारिश सं. 94)

(अनुसूची का क्रम संख्या 36)

3.107 विभाग ने प्रस्तुत किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पुष्टि की है कि सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 30 (1) के तहत कारावास खंड को लागू करने आह्वान या उक्त धारा के तहत कोई जुर्माना लगाने का कोई उदाहरण नहीं था। चूंकि आरबीआई के समक्ष सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 से संबंधित किसी भी व्यक्ति या संस्था पर जुर्माना लगाने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ और यह तथ्य कि बैंक, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड, इत्यादि जैसी संस्थाएं अधिकांशतः सरकारी प्रतिभूतियों कि बड़ी राशि का कारोबार करती हैं, यह महसूस किया गया कि कारावास से संबंधित खंड को हटाया जा सकता है और केवल जुर्माना संबंधी उपबंध केवल जारी रखा जा सकता है क्योंकि कोई भी उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था को आरबीआई द्वारा की गई शिकायत पर न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने के साथ दंड का दायी होगा।

3.108 समिति ने टिप्पणी की कि धारा 30 की उपधारा (3) में सभी प्रकार के उल्लंघन शामिल हैं और यह:

“जुर्माने के बजाय 'शास्ति' शब्द होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उप-धारा 30 के शुरुआती भाग में, इसे 'उल्लंघन और शास्ति' कहा जाता है। बात यह है कि शास्ति आरबीआई द्वारा तय किया जाता है और जुर्माना अदालत द्वारा तय किया जाता है। हम नहीं चाहते कि यह मामला न्यायालय के समक्ष जाए। हम चाहते हैं कि जुर्माने का फैसला आरबीआई के सामने होना चाहिए। हमारा इरादा और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। केवल इसी उद्देश्य के लिए, यदि हम पीड़ित व्यक्ति को उप-धारा (2) के तहत शिकायत दर्ज करवा कर जुर्माने के लिए न्यायालय के समक्ष जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”

3.108क विभाग में बताया कि इस उपबंध को इसलिए रखा गया क्योंकि यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति का शीर्षक प्राप्त करने के गलत दस्तावेज या विवरण देता है तो नियामक द्वारा स्वामित्व तय नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस केस और न्यायालय का न्याय-निर्णयन सकता है। समिति ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर, यह आर बी आई द्वारा भी तय किया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति इससे असंतुष्ट है तो वे उचित न्यायालय के समक्ष उपयुक्त याचिका दायर कर सकते हैं। समिति ने माना कि कई अन्य अधिनियमितियां हैं जहां आपराधिक मनःस्थिति है और प्रशासनिक प्राधिकरण मुद्दे पर निर्णय ले रहा है।

3.108ख तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:

शीर्षक	लोकसभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकार कर लिए गए संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूप
सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006	धारा 30 की उपधारा (1) में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से,” शब्दों के स्थान पर “ऐसे जुर्माने से” शब्द रखे जाएंगे।	धारा 30 में,— (i) उपधारा (1) में, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से <u>दंडनीय होगा</u> शब्दों के स्थान पर, “<u>बैंक पांच लाख रुपए या ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित रकम के दुगने जहां रकम परिमाणात्मक है, जो भी उच्चतर हो से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त शास्ति से जो पहले दिन के पश्चात् जिसके लिए ऐसा उल्लंघन जारी रहता है प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक हो सकेगी</u>” शब्द रखे जाएंगे। (ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा। (सिफारिश संख्या 95)

37. छावनी अधिनियम, 2006 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की संख्या 37)

3.109 विभाग ने संशोधनों पर खंड-वार विचार करने के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार बताया :-

“जब पहली बैठक 9 तारीख को हुई थी तो उस समय हम लोगों ने 10 सेक्शन्स में अमेंडमेंट प्रपोज किये थे, जिसमें 24 ऑफेंसेज कवर हो रहे थे। माननीय समिति ने पाँच सेक्शन्स का जो हमारा अमेंडमेंट था, उस पर एग्री किया था। उसमें 19 ऑफेंसेज कवर हो रहे थे और पाँच सेक्शन्स के लिए री-एग्जामिन करने के लिए कहा था। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सेक्शन बाई सेक्शन एक-एक कर के बता देती हूँ।”

3.110 विभाग द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जाए।

3.111 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:

शीर्षक	लोकसभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकार कर लिए गए संशोधनों को शामिल करने के बाद प्रारूप
छावनी अधिनियम, 2006	(अ) धारा 156 का लोप किया जाएगा। (आ) धारा 185 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “(1) किसी छावनी क्षेत्र में किसी बोर्ड के अधीन किसी आवश्यक सेवा में नियोजित कोई व्यक्ति किसी संविदा के अभाव में समुचित प्राधिकार के बिना युक्तियुक्त कारण के बिना त्यागपत्र नहीं देगा या इयूटी से स्वयं अनुपस्थित नहीं होगा और ऐसे त्यागपत्र या इयूटी से अनुपस्थिति की दशा में, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में, जो विहित की जाए, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जाएगी।” (इ) धारा 285 में, “पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या	(अ) धारा 156 का लोप किया जाएगा। (आ) धारा 185 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “(1) किसी छावनी क्षेत्र में किसी बोर्ड के अधीन किसी आवश्यक सेवा में नियोजित कोई व्यक्ति किसी संविदा के अभाव में समुचित प्राधिकार के बिना युक्तियुक्त कारण के बिना त्यागपत्र नहीं देगा या इयूटी से स्वयं अनुपस्थित नहीं होगा और ऐसे त्यागपत्र या इयूटी से अनुपस्थिति की दशा में, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में, जो विहित की जाए, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी।” <u>संशोधन का लोप किया गया।</u> <u>(इ) धारा 286 का लोप किया जाएगा।</u>

दोनों से” शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे जुर्माने से, जो सात हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे। (ई) धारा 286 की दीर्घशीर्ष में, “जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा तथा पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा पश्चातवर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे। (उ) धारा 287 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :- “287. धारा 285 और धारा 286 के अधीन अपराधों के लिए वस्तुओं का अभिग्रहण और अधिहरण—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई पुलिस अधिकारी अथवा उत्पादन शुल्क अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी आसव लिकर या मादक द्रव्य, जिसके संबंध में धारा 285 या धारा 286 के अधीन कोई अपराध किया गया है तथा ऐसे कोई बरतन या परिवेष्ठन, जिनमें वह लिकर या मादक द्रव्य रखा है, अभिगृहीत कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा। (2) जहां धारा 285 के अधीन वाले अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति उस धारा के	(सिफारिश सं. 96) (ई) धारा 287 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :- “287. धारा 285 के अधीन अपराधों के लिए व्यक्तियों की गिरफ्तारी, वस्तुओं का अभिग्रहण और अधिहरण—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी अथवा उत्पाद-शुल्क अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को जो धारा 285 के अधीन किसी अपराध को करता है और ऐसा कोई आसव लिकर या मादक द्रव्य, जिसकी बाबत धारा 285 के अधीन कोई अपराध किया गया है तथा ऐसे कोई बरतन या परिवेष्ठन, जिनमें वह लिकर या मादक द्रव्य रखा है, अभिगृहीत कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा। (2) जहां धारा 285 के अधीन वाले अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति उस धारा के अधीन वाले अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया जा चुका है वहां पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से छावनी के अंदर अथवा उस धारा के अधीन परिनिश्चित किन्हीं सीमाओं के अंदर ऐसा कोई आसव लिकर या मादक द्रव्य अभिगृहीत कर सकेगा और उसे निरुद्ध कर सकेगा, जो पश्चातवर्ती अपराध के अभिकथित, किए जाने के समय ऐसे

	अधीन वाले अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया जा चुका है वहां पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से छावनी के अंदर अथवा उस धारा के अधीन परिनिश्चित किन्हीं सीमाओं के अंदर ऐसा कोई आसव लिकर या मादक द्रव्य अभिगृहीत कर सकेगा और उसे निरुद्ध कर सकेगा, जो पश्चातवर्ती अपराध के अभिकथित, किए जाने के समय ऐसे व्यक्ति का था या उसके कब्जे में था। (3) वह न्यायालय जो किसी व्यक्ति को धारा 285 या धारा 286 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करता है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत किसी पूरी वस्तु या उसके भाग के अधिहरण का आदेश दे सकेगा। (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी कोई वस्तु, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत की गई है और उपधारा (3) के अधीन समपहृत नहीं की गई है, उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी, जिससे वह ली गई थी। (ऊ) धारा 289 में, उपधारा (5) में, “जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर “प्रथम अपराध पर ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा और किसी	व्यक्ति का था या उसके कब्जे में था। (3) वह न्यायालय जो किसी व्यक्ति को धारा 285 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करता है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत किसी पूरी वस्तु या उसके भाग के अधिहरण का आदेश दे सकेगा। (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी कोई वस्तु, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत की गई है और उपधारा (3) के अधीन समपहृत नहीं की गई है, उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी, जिससे वह ली गई थी। <u>(3) धारा 289 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।</u> <u>(सिफारिश सं. 97)</u> <u>संशोधन का लोप किया गया।</u> <u>(ऊ) धारा 314 के परन्तुक के खंड (क) में “ऐसे किन्हीं उपबंधों को भंग करने की दशा में जो अनुसूची 4 के भाग ख में विनिर्दिष्ट हैं” शब्दों, अक्षर और अंक का लोप किया जाएगा।</u> <u>(सिफारिश सं. 98)</u>

	पश्चात्तवर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा शब्द रखे जाएंगे । (ऋ) धारा 300 की उपधारा (1) के स्थान पर, “कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और पश्चात्तवर्ती अपराध की दशा में, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्द रखे जाएंगे । (ए) धारा 314 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :- “314. वारंट के बिना गिरफ्तारी—पुलिस दल का कोई सदस्य, जो छावनी में नियोजित है, वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो उसकी दृष्टि में धारा 304 की उपधारा (क) का भंग कर रहा है : परंतु ऐसे उपबंधों के भंग की दशा में, कोई भी व्यक्ति, जो अपना नाम और पता देने के लिए सहमत है, तब के सिवाय इस प्रकार गिरफ्तार न किया जाएगा जबकि दिए गए नाम या पते के सही होने के संबंध में संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान है, जिसको साबित करने का भार गिरफ्तार करने वाले अधिकारी पर होगा तथा गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति उसका नाम और पता अभिनिश्चित कर लिए जाने के पश्चात् निरुद्ध नहीं किया	

	जाएगा ।” (ऐ) धारा 331 में, “अनुसूची 4” शब्द और अंक के स्थान पर, “धारा 304 के खंड (क)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे। (ओ) धारा 332 में की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :- “(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति धारा 304 के खंड (क) के अधीन किसी अपराध से भिन्न इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन दंडनीय बनाए गए अपराध के बारे में शमन या तो कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् कर सकेगा : परंतु कोई ऐसा अपराध, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से निकाली गई सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता द्वारा किया गया है, तब तक शमनीय नहीं होगा जब तक उसका वहां तक अनुपालन कर दिया गया है जहां तक उसका अनुपालन करना संभव है ।”। (औ) अनुसूची 4 का लोप किया जाएगा ।	<u>संशोधन का लोप किया गया।</u> <u>संशोधन का लोप किया गया।</u> <u>(ऋ) अनुसूची 4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-</u> <u>“अनुसूची 4</u>

		<u>(धारा 314 देखिए)</u> <u>धारा</u> <u>विषय</u> <u>183(1) किसी अस्पताल या औषधालय में उपस्थित होने में असफलता के लिए निष्कासन की सूचना के पश्चात् किसी छावनी में बने रहना या पुनःप्रवेश करना</u> <u>296 खतरा उत्पन्न करने के लिए अग्नेयास्त्र आदि चलाना</u> <u>300 लैंगिक अनैतिकता के लिए आवारा फिरना या दुराग्रह करना</u> <u>304(क) निष्कासन की सूचना के पश्चात् छावनी में बने रहना या वापस प्रवेश करना ।</u> <u>(सिफारिश सं. 99)</u>

38. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 38)

3.112 विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

“.....संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम की एक धारा 30 है। यह पृष्ठ 22 पर है। इसमें पार्श्व शीर्ष गलत तरीके से दिया गया था। इसमें लिखा था, 'रिजर्व बैंक की जुर्माना लगाने की शक्ति'। इसलिए, उस पार्श्व शीर्ष को हमने बदल दिया हैं...”

3.113 विभाग द्वारा दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने विधेयक के माध्यम से अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर सहमति व्यक्त की। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि धारा 30के पार्श्व शीर्षक को भी संशोधित किया जाए।

3.114 तदनुसार, यथासंशोधित उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है:

शीर्षक	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम के लिए प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को सम्मिलित करने के पश्चात् का प्रारूप
संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	xxx xxx xxx (ख) धारा 30 में, उपधारा (1) में, - (i) “उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक के बाद “तथा उपधारा (3)” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे; (ii) “पांच लाख” शब्दों के स्थान पर “दस लाख” शब्द रखे जाएंगे ।	xxx xxx xxx (ख) धारा 30 में <u>(क) पार्श्वशीर्ष में “जुर्माने” शब्द के स्थान पर “शास्तियां” शब्द रखा जाएगा;</u> (ख) उपधारा (1) में— (i) “उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक के बाद “तथा उपधारा (3)” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे; (ii) “पांच लाख” शब्दों के स्थान पर “दस लाख” शब्द रखे जाएंगे । (सिफारिश संख्या 100)

39. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 39)

3.115 मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -

“उन्हें कारबार करने की सुगमता और अनुपालन को आसान बनाने के लिए लोप कर दिया गया है।”

3.116 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए उतर को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जाए।

3.117 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है:

शीर्षक	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम के लिए प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को सम्मिलित करने के पश्चात् का प्रारूप
सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008	(क) धारा 15 में, उप-धारा (1) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "(1) जो कोई किसी लेखा बही , वाउचर ,दस्तावेज या अन्य कारबार अभिलेख पेश करने के उल्लंघन में कृत्य करता है या असफल रहता है अथवा जो कोई उसे दी गई या भेजी गई किसी सूचना अनुसूची या विवरणी में अपेक्षित विशिष्टियों को भरने या उनका प्रदाय करने में अपेक्षा करता है या इंकार करता है या जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रयोजनों के लिए या इस अधिनियम के उपबंधों को या तद्दीन बनाए गए नियमों के या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी अपेक्षा के उल्लंघन में कृत्य करता है या अनुपालन करने में असफल रहता है तो शास्ति का जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी या और कंपनी की दशा में ऐसी शास्ति पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, (ख) धारा 16 से 22 का लोप कर	(क) धारा 9 में "अभियोजन" शब्द जहां कहीं भी आता है के स्थान पर "शास्ति" शब्द रखा जाएगा । (संशोधन संख्या 100) (क) अध्याय 4 के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:- <u>" अध्याय 4</u> <u>शास्तियां और न्यायनिर्णयन"</u> <u>"15. विशिष्टियां और अन्य</u> <u>15. उल्लंघनों के प्रदाय करने में उपेक्षा या इंकार करने के लिए शास्ति-</u>(1) जो कोई किसी लेखा बही वाउचर ,दस्तावेज या अन्य कारबार अभिलेख पेश करने में असफल रहता है अथवा जो कोई उसे दी गई या भेजी गई किसी सूचना अनुसूची या विवरणी में अपेक्षित विशिष्टियों को भरने या उनका प्रदाय करने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है या जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रयोजनों के लिए या इस अधिनियम के उपबंधों को या तद्दीन बनाए गए नियमों के या इस

	दिया जाएगा।	<u>अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी अपेक्षा के उल्लंघन में कृत्य करता है या अनुपालन करने में असफल रहता है शास्ति जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी या और कंपनी की दशा में ऐसी शास्ति जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा ।</u> <u>(2) किसी व्यक्ति या कंपनी पर शास्ति का अधिरोपण उपधारा (1) के अधीन उसे या उसकी बाध्यताओं से अवमुक्त नहीं करेगी, और यदि शास्ति के अधिरोपण की तारीख से चौदह दिन के अवसान के पश्चात्, वह अपेक्षित विशिष्टियों को देने में असफल रहता है या इस अधिनियम के किसी उपबंध की या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या इस अधिनियम के अधीन किसी आवश्यकता उपेक्षा या इंकार या उल्लंघन करता है और किसी कंपनी की दशा में, अतिरिक्त शास्ति से, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उपेक्षा, इंकार या उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा ।</u> <u>15क न्यायनिर्णायक अधिकारी- (1) समुचित सरकार धारा 15 के अधीन शास्तियों को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में, जो</u>

	<u>विहित की जाए कोई जांच करने के लिए, या शास्ति अधिरोपित करने के लिए, किसी अधिकारी को, जिसे वह ठीक समझे, न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी :</u> <u>परन्तु समुचित सरकार, अनेक न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो आवश्यक समझे ।</u> <u>(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी शमन कर सकेगा और मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने के लिए बुला सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकेगा, और यदि ऐसी जांच के पश्चात् वह संतुष्ट है कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :</u> <u>परन्तु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।</u> <u>15ख. अपील—(1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित होता है, समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत न्यायनिर्णायक</u>

	<u>प्राधिकारी के रैंक से ऊपर के अपील प्राधिकारी को आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित किया जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा।</u> <u>(2) किसी अपील को तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे।</u> <u>(3) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।</u> <u>(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटान अपील प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।</u> <u>15ग वसूली - इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शास्ति इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाती है, जमा नहीं की जाती, रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।”</u> <u>(इ) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (घक) में निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-</u>

		<u>“(घख) धारा 15क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति :</u> <u>(घग) धारा 15ख की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्रारूप और रीति ।”</u> (सिफारिश सं. 101)

40. विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 40)

3.118 विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ संशोधनों पर खंड-वार विचार के दौरान निम्नानुसार बताया:

“हम लोगों का पिछली बार जो प्रस्ताव था, उसमें सेक्शन-25 में हम लोगों ने उसको फाइव टाइम्स करके 1 लाख 25 हजार रुपये किया था। कमेटी का सजेशन था कि उसको राउंड अप करके एक लाख रुपये कर दिया जाए तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है।.....बस इतना ही था। बाकी सब पिछली बार एक्सेप्ट कर लिया गया था। जैसे सेक्शन 27 था। इसी प्रकार से सेक्शन 28, 29, 31 और 34 है।”

3.119 विभाग द्वारा दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने यथापुरःस्थापित विधेयक के माध्यम से अधिनियम में उन प्रस्तावित संशोधनों पर सहमति व्यक्त की जो उनके द्वारा शास्तियों में किए गए संशोधन की सिफारिशों के अध्यधीन हैं।

3.120 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है:

नाम	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को सम्मिलित करने के पश्चात् प्रारूप
विधिक मापविज्ञान अधिनियम , 2009	(क) धारा 25 में, “जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा , और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास	(क) धारा 25 में, “जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ,और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक

तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी” शब्दों के स्थान पर “जुर्माने से, जो एक लाख पच्चीस हजार रुपए और द्वितीय अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । XXX XXX XXX	की हो सकेगी और जुर्माने से भी” शब्दों के स्थान पर “जुर्माने से, जो एक लाख रुपए और द्वितीय अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (सिफारिश सं. 102) XXX XXX XXX

41. फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 41)

3.121 पुरःस्थापित विधेयक के माध्यम से अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर सहमति व्यक्त करते हुए समिति ने सुझाव दिया कि धारा 22 में, "अपराध" शब्द को "असफलता" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

3.122 तदनुसार, संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित उपबंध को सारणीबद्ध रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है:

नाम	लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को सम्मिलित करने के पश्चात् प्रारूप
फेक्टर विनियमन अधिनियम , 2011	XXX XXX XXX 22. रिजर्व बैंक के निदेश का अनुपालन न करने के लिए शास्ति— (1) यदि कोई फेक्टर धारा 6 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश का अनुपालन करने से असफल रहता है या धारा 19 के अधीन प्राप्तियों के किसी संव्यवहार और प्राप्तियों की वसूली की	XXX XXX XXX 22. रिजर्व बैंक के निदेश का अनुपालन न करने के लिए शास्ति— (1) यदि कोई फेक्टर धारा 6 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश का अनुपालन करने से असफल रहता है या धारा 19 के अधीन प्राप्तियों के किसी

	विशिष्टियां को फाइल करने में असफल रहता है, तो रिजर्व बैंक ऐसी शास्ति जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी और (***) असफलता जारी रहने की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा । xxx xxx xxx	संव्यवहार और प्राप्तियों की वसूली की विशिष्टियां को फाइल करने में असफल रहता है, तो रिजर्व बैंक ऐसी शास्ति जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी और असफलता जारी रहने की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा । (सिफारिश सं. 103) xxx xxx xxx

42. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 में प्रस्तावित संशोधन

(अनुसूची की क्रम सं. 42)

3.123 मंत्रालय ने कहा कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 41 के उपबंध डीपीडीपी विधेयक के उपबंधों के अनुरूप हैं और डीपीडीपी विधेयक के उपबंधों के साथ कोई टकराव नहीं है। मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए समिति ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के लिए विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् मंत्रालय द्वारा विधेयक की अनुसूची के क्रमांक 42 पर प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

3.124 प्रारूपण शुद्धियाँ/सुधार:

समिति ने विचार-विमर्श के दौरान कई खंडों/धाराओं में कतिपय प्रारूपण त्रुटियों को नोट किया जहां स्पष्टता के प्रयोजन हेतु कई प्रारूपण शुद्धि/भाषागत सुधार किए जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, समिति द्वारा यथापुरःस्थापित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 में निम्नलिखित प्रारूपण शुद्धियाँ/सुधार सुझाए गए हैं:

क्र. सं.	अनुसूची का क्रमांक और अधिनियम का नाम	प्रारूपण शुद्धियाँ/सुधार
1.	क्रमांक 11 चलचित्र अधिनियम, 1952	(i) लागू नहीं पृष्ठ 11, पंक्ति 16 (ii) लागू नहीं पृष्ठ 11, पंक्ति 37
2.	क्रमांक 19 सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972	(i) लागू नहीं पृष्ठ 20, पंक्ति 6-8 (ii) लागू नहीं पृष्ठ 20, पंक्ति 23 (iii) लागू नहीं पृष्ठ 20, पंक्ति 33
3.	क्रमांक 21 वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981	(i) पृष्ठ 22, पंक्ति 4 शब्द "है" के बाद शब्दों "या उनका अननुपालन करता है" का लोप करें (ii) पृष्ठ 22, पंक्ति 6 शब्द "शास्ति" के बाद शब्दों "के संदाय" का लोप करें (iii) पृष्ठ 22, पंक्ति 10 शब्द "उल्लंघन" के बाद शब्दों "या अननुपालन" का लोप करें (iv) पृष्ठ 22, पंक्ति 12 शब्द "के" के बाद शब्दों "के संदाय" का लोप करें (v) पृष्ठ 22, पंक्ति 39 शब्द "शास्ति" के बाद शब्दों "के संदाय" का लोप करें (vi) पृष्ठ 23, पंक्ति 1-2 में शब्द "उल्लंघन" के बाद शब्दों "या अननुपालन" का लोप करें

		(vii) पृष्ठ 23, पंक्ति 4 शब्दों "के लिए दायी होगा" के पहले शब्दों "के संदाय" का लोप करें (viii) पृष्ठ 23, पंक्ति 9 शब्द "शास्ति" के बाद शब्दों "का संदाय करने" का लोप करें (ix) पृष्ठ 23, पंक्ति 17 शब्द "शास्ति" के बाद शब्दों "का संदाय करने" का लोप करें (x) पृष्ठ 23, पंक्ति 25 शब्द "शास्ति" के बाद शब्दों " के संदाय" का लोप करें (xi) पृष्ठ 23, पंक्ति 28 शब्दों "अतिरिक्त ऐसी शास्ति" के बाद शब्दों "के संदाय" का लोप करें (xii) पृष्ठ 24, पंक्ति 9 और 10 शब्दों "के अनुसार" के स्थान पर शब्द "अधीन" प्रतिस्थापित (xiii) लागू नहीं पृष्ठ 24, पंक्ति 12 (xiv) पृष्ठ 24, पंक्ति 11 शब्द "शास्ति" के बाद शब्दों "मामले में" का लोप करें
4.	क्रमांक 22 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981	लागू नहीं पृष्ठ 26, पंक्ति 33
5.	क्रमांक 24 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,	(i) पृष्ठ 28, पंक्ति 38 शब्द "शास्ति" के बाद शब्दों "का संदाय करने" का लोप करें

	1986	(ii) पृष्ठ 28, पंक्ति 37 शब्द "उल्लंघन" के बाद शब्दों "या अननुपालन" का लोप करें (iii) पृष्ठ 29, पंक्ति 4 शब्द "शास्ति" के बाद शब्दों "का संदाय करने" का लोप करें (iv) पृष्ठ 29, पंक्ति 10 शब्द "शास्ति" के बाद शब्दों "का संदाय करने" का लोप करें (v) पृष्ठ 29, पंक्ति 10 शब्द "उल्लंघन" के बाद शब्द "अननुपालन" का लोप करें (vi) पृष्ठ 29, पंक्ति 13 शब्द "अधीन" के बाद शब्द "अननुपालन" का लोप करें (vii) पृष्ठ संख्या 29, पंक्ति 16 "अतिरिक्त" के पश्चात "संदाय" का लोप करें। (viii) पृष्ठ संख्या 29, पंक्ति 25 "शास्ति" के पश्चात "संदाय" का लोप करें। (ix) पृष्ठ संख्या 29, पंक्तियां 24 "उल्लंघन" के पश्चात "या अननुपालन " का लोप करें। (x) पृष्ठ संख्या 29, पंक्ति 28 "या अननुपालन" के पश्चात "उल्लंघन " का लोप करें। (xi) पृष्ठ संख्या 29, पंक्ति 31 "दायी" के पूर्व "संदाय करने का " का लोप करें। (xii) पृष्ठ संख्या 29, पंक्ति 34-35

		“दायी” के पूर्व “संदाय करने के लिए” का लोप करें। (xiii) पृष्ठ संख्या 30, पंक्ति 38 "उल्लंघन" के पूर्व “अननुपालन के संबंध में” का लोप करें। (xiv) पृष्ठ संख्या 29, पंक्ति 40 "अतिरिक्त " के पश्चात “संदाय ” का लोप करें। (xv) पृष्ठ संख्या 30, पंक्ति 5 "शास्ति " के पश्चात “संदाय ” का लोप करें। (xvi) पृष्ठ संख्या 30, पंक्ति 14 "शास्ति " के पश्चात “संदाय” का लोप करें। (xvii) पृष्ठ संख्या 31, पंक्ति 24 "कोई" के पूर्व “ऐसा” का लोप करें। (xviii) पृष्ठ संख्या 33, पंक्ति 16 (इ) अध्याय III के पश्चात निम्नलिखित अध्याय सम्मिलित करें, अर्थात् :-
6	क्रमांक 26 मोटर यान अधिनियम, 1988	(i) पृष्ठ संख्या 37, पंक्तियां 25-27 '(I) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्: अपराधों का शमन' का लोप करें । (ii) पृष्ठ संख्या 37, पंक्तियां 32-33 "धारा 184" के पश्चात “हस्तचालित संचरण युक्ति के प्रयोग के विस्तार तक” का लोप करें।
7.	क्रमांक 28 लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991	(i) पृष्ठ 40, पंक्ति 37 “शास्ति” शब्द के बाद “संदेय” का लोप करें। (ii) लागू नहीं पृष्ठ 41, पंक्ति 09 (iii) लागू नहीं पृष्ठ 41, पंक्ति 14

		(iv) लागू नहीं पृष्ठ 41, पंक्ति 20
		(v) पृष्ठ 41, पंक्ति 25 “शास्ति” शब्द के बाद “संदाय” का लोप करें।
		(vi) पृष्ठ 42, पंक्ति 10 “के अनुसार” को “अधीन” से प्रतिस्थापित करें।
		(vii) लागू नहीं पृष्ठ 42, पंक्ति 11-12
		(viii) लागू नहीं पृष्ठ 42, पंक्ति 11-12
		(ix) पृष्ठ 42, पंक्ति 13-14 “धारा 14 या 15” को “धारा 15क” से प्रतिस्थापित
		(x) पृष्ठ 42, पंक्ति 37-38 “शास्ति का” शब्द के बाद “संदाय” का लोप करें।
		(xi) पृष्ठ 43, पंक्ति 08 “शास्ति का” शब्द के बाद “संदाय” का लोप करें।
8.	क्रमांक 30 व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	पृष्ठ 46, पंक्ति 17 “शास्ति” शब्द के बाद “के संदाय” का लोप करें।
9.	क्रमांक 32 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	(i) पृष्ठ 47, पंक्ति 25 लागू नहीं
		(ii) पृष्ठ 48, पंक्ति 14 लागू नहीं
		(iii) पृष्ठ 48, पंक्ति 18 लागू नहीं
		(iv) पृष्ठ 48, पंक्ति 37 लागू नहीं

10.	क्रमांक 33 मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002	पृष्ठ 49, पंक्ति 2-3 '(क) खंड (ज) में, अंत में आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा';' का लोप करें।
11.	क्रमांक 34 धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002	(i) पृष्ठ 50, पंक्ति 20 "वर्णन" शब्द को "अपराधों का वर्णन" से प्रतिस्थापित करें। (ii) पृष्ठ 50, पंक्ति 34 "वर्णन" शब्द को "अपराधों का वर्णन" से प्रतिस्थापित करें।

(सिफारिश सं 104)

खंड 1 से 4, अधिनियमन सूत्र और वृहत् नाम पर विचार

विधेयक के खंड 1 से 4, अधिनियमन सूत्र और वृहत् नाम पर विचार के दौरान समिति ने कहा कि कैलेंडर वर्ष और गणतंत्र के वर्ष में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 को वर्ष 2022 में पुरःस्थापित किया गया था। इसके अलावा समिति द्वारा उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 के प्रस्तावित निरसन की सिफारिश के कारण खंड 4 में संशोधन की आवश्यकता है। समिति द्वारा खंड 2 और 3 को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया। तथापि खंड 1, 4, अधिनियमन सूत्र और वृहत् नाम, में संयुक्त समिति द्वारा जो संशोधन किया गया है, वह सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

खंड सं.	यथापुरःस्थापित विधेयक में खंड	समिति द्वारा यथासंशोधित खंड
	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023
	जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए कतिपय अपराधों का	जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु

	निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए विधेयक	कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए विधेयक
	भारत गणराज्य के <u>तिहत्तरवें</u> वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-	भारत गणराज्य के <u>चौहत्तरवें</u> वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जन विश्वास) उपबंधों का संशोधन (अधिनियम, 2022 है। (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें और अधिनियम की अनुसूची में वर्णित विभिन्न अधिनियमितियों से संबंधित संशोधनों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 है। (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें और अनुसूची में वर्णित विभिन्न अधिनियमितियों से संबंधित संशोधनों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।
4. व्यावृत्ति	4. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित अधिनियमिति लागू होती है, सम्मिलित की गई है या निर्दिष्ट की गई है ; और यह अधिनियम पहले ही की गई या हुई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, जो पहले ही अर्जित कर	4. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन <u>या निरसन</u> किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित <u>या निरसित</u> अधिनियमिति लागू होती है, सम्मिलित की गई है या निर्दिष्ट की गई है ; और यह अधिनियम पहले ही की गई या हुई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, जो पहले ही अर्जित कर लिया गया है, उद्भूत हुआ है या उपगत हुआ है, को या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति,

लिया गया है, उद्भूत हुआ है या उपगत हुआ है, को या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता से निर्मुक्ति या उसका उन्मोचन, दायित्व, दावे या मांग या किसी क्षतिपूर्ति, जो पहले ही अनुदत्त है या किसी पूर्व कृत्य या चीज के सबूत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा ;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, किसी अभिवचन के प्ररूप या क्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान रूढ़ि, प्रथा, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि उसकी क्रमशः किसी रीति में पुष्टि की गई है या मान्यता दी गई है या किसी अन्य अधिनियमिति, जिसका संशोधन किया गया है, द्वारा उद्भूत की गई है, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ;

न ही इस अधिनियम द्वारा किसी संशोधन से अन्य अधिनियमिति को पुनर्जीवित या किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य मामले या चीज,

बाध्यता से निर्मुक्ति या उसका उन्मोचन, दायित्व, दावे या मांग या किसी क्षतिपूर्ति, जो पहले ही अनुदत्त है या किसी पूर्व कृत्य या चीज के सबूत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा ;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, किसी अभिवचन के प्ररूप या क्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान रूढ़ि, प्रथा, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि उसकी क्रमशः किसी रीति में पुष्टि की गई है या मान्यता दी गई है या किसी अन्य अधिनियमिति, जिसका संशोधन या निरसन किया गया है, द्वारा उद्भूत की गई है, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ;

न ही इस अधिनियम द्वारा किसी संशोधन या निरसन से अन्य अधिनियमिति को पुनर्जीवित या किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य मामले या चीज, जो विद्यमान नहीं है या प्रवृत्त नहीं है, को बहाल किया जाएगा ।

	जो विद्यमान नहीं है या प्रवृत्त नहीं है, को बहाल किया जाएगा ।	

इसलिए, संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि समिति द्वारा दिए गए सुझावों/सिफारिशों को शामिल करने के बाद यथासंशोधित विधेयक पारित किया जाए और सामान्य सिफारिशों की यथासमय, यदि विधिक रूप से व्यवहार्य हो, तो जांच की जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए।

(सिफारिश सं. 105)

नई दिल्ली;
13 मार्च, 2023
22 फाल्गुन, 1944 (शक)

पी. पी. चौधरी
सभापति,
जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी
संयुक्त समिति

परिशिष्ट- I

विधेयक को संयुक्त समिति को भेजे जाने हेतु लोक सभा में प्रस्ताव

गुरुवार, दिसम्बर 22, 2022 / पौष 1, 1944 (शक)

श्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

- कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास-आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए छोटे अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य, अर्थात्:-

1. श्री पी.पी.चौधरी
2. डॉ. संजय जायसवाल

3. श्री उदय प्रताप सिंह
4. श्री संजय सेठ
5. श्रीमती क्वीन ओझा
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
8. श्रीमती पूनम प्रमोद महाजन
9. श्रीमती अपराजिता सारंगी
10. श्री अरविन्द धर्मापुरी
11. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
12. श्री रतन लाल कटारिया
13. श्री गौरव गोगोई
14. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
15. श्री ए.राजा
16. प्रो. सौगत राय
17. डॉ. वेकट सत्यवती बीसेट्टी
18. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
19. श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह
20. श्री पिनाकी मिश्रा
21. श्री गिरीश चन्द्र

और राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

विधेयक को सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिशिष्ट- II

राज्य सभा

शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022

जन विश्वास 2022 ,विधेयक (उपबंधों का संशोधन)संबंधी संयुक्त समिति में नामनिर्देशन हेतु प्रस्ताव

श्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:

- कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि दोनों सभाओं की जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति में यह सभा शामिल हो और संकल्प लेती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में सेवा प्रदान करने हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाए :-

1.	श्री घनश्याम तिवाड़ी
2.	श्री जी.वी.एन. नरसिंहा राव
3.	श्री महेश जेठमलानी
4.	डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
5.	श्री विवेक के. तन्खा
6.	श्री सुखेन्दु शेखर राय
7.	डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू
8.	श्री नारायण दास गुप्ता
9.	श्री सुजीत कुमार
10.	श्री मस्थान राव बीडा"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

[संदेश 26 दिसंबर, 2022 के लोकसभा बुलेटिन भाग II में बताया गया था]

परिशिष्ट - III**जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति की बैठकों का विवरण**

क्र.सं.	बैठक सं.	दिनांक और दिन	कार्य-सूची
1	पहली	09 जनवरी, 2023 (सोमवार)	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा समग्र विधेयक और उक्त विधेयक के उद्देश्यों और प्रयोजनों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दिया जाना। विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।
2	दूसरी	16 जनवरी, 2023 (सोमवार)	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 (i) की अनुसूची के क्रम सं. 32 और 42 के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; (ii) की अनुसूची के क्रम सं. 5 के संबंध में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग); (iii) की अनुसूची के क्रम सं. 16 और 17 के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य दिया जाना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।
3	तीसरी	17 जनवरी, 2023 (मंगलवार)	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 (i) की अनुसूची के क्रम सं. 4, 21, 24 और 28 के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; और (ii) की अनुसूची के क्रम सं. 33 के संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य दिया जाना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।

4	चौथी	31 जनवरी, 2023 (मंगलवार)	मंत्रालय द्वारा उससे संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन (i) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और (ii) वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य दिया जाना। विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहेंगे।
5	पांचवी	06 फरवरी, 2023 (सोमवार)	वित्त मंत्रालय के अधीन (i) वित्तीय सेवाएं विभाग (ii) आर्थिक कार्य विभाग और (iii) राजस्व विभाग से संबंधित विधेयकों में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में विभाग के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य लिया जाना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।
6	छठी	07 फरवरी, 2023 (मंगलवार)	(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (ii) रेल मंत्रालय और (iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य लिया जाना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।
7	सातवीं	09 फरवरी, 2023 (गुरुवार)	(i) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (ii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (iii) डाक विभाग (संचार मंत्रालय), (iv) उपभोक्ता मामले विभाग, (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय), (v) रक्षा विभाग, (रक्षा मंत्रालय), और (vi) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य लिया जाना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।

8	आठवीं	16 फरवरी, 2023 (गुरुवार)	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 पर खंड-वार विचार किया जाना। निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने अधिनियमों हेतु समिति के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया: - उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) - वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) - उपभोक्ता मामले विभाग, (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) - आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) - वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) - रेल मंत्रालय - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) - डाक विभाग (संचार मंत्रालय) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।
9.	नौवीं	17 फरवरी, 2023 (शुक्रवार)	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 पर खंड-वार विचार किया जाना। निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने अधिनियमों हेतु समिति के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया: - कृषि और किसान कल्याण विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

			vi. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय vii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय viii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ix. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय x. रक्षा विभाग (रक्षा मंत्रालय) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।
10.	दसवीं	13 मार्च, 2023	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

परिशिष्ट - IV**समिति का समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले आधिकारिक साक्षियों की सूची**

क्रमांक	मंत्रालयों/विभागों का नाम	मौखिक साक्ष्य की तिथि
1.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	09.01.2023
2.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग	09.01.2023
3.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग	09.01.2023
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	16.01.2023
5.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	16.01.2023
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	16.1.2023
7.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	16.01.2023
8.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग	16.01.2023
9.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग	16.01.2023
10.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	17.01.2023
11.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	17.01.2023
12.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	17.01.2023
13.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग	17.01.2023
14.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग	17.01.2023

15.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	31.01.2023
16.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का वाणिज्य विभाग	31.01.2023
17.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	31.01.2023
18.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग	31.01.2023
19.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग	31.01.2023
20.	वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवाएं विभाग	06.02.2023
21.	वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग	06.02.2023
22.	वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग	06.02.2023
23.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	06.02.2023
24.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग	06.02.2023
25.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग	06.02.2023
26.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	07.02.2023
27.	रेल मंत्रालय	07.02.2023
28.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	07.02.2023
29.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	07.02.2023
30.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग	07.02.2023
31.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग	07.02.2023
32.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	09.02.2023

33.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	09.02.2023
34.	संचार मंत्रालय का डाक विभाग	09.02.2023
35.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग	09.02.2023
36.	रक्षा मंत्रालय का रक्षा विभाग	09.02.2023
37.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	09.02.2023
38.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	09.02.2023
39.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग	09.02.2023
40.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग	09.02.2023
41.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	16.02.2023
42.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का वाणिज्य विभाग	16.02.2023
43.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग	16.02.2023
44.	वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग	16.02.2023
45.	वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवाएं विभाग	16.02.2023
46.	रेल मंत्रालय	16.02.2023
47.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	16.02.2023
48.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	16.02.2023

49.	संचार मंत्रालय का डाक विभाग	16.02.2023
50.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	16.02.2023
51.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग	16.02.2023
52.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग	16.02.2023
53.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि और किसान कल्याण विभाग	17.02.2023
54.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	17.02.2023
55.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	17.02.2023
56.	वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग	17.02.2023
57.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	17.02.2023
58.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	17.02.2023
59.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	17.02.2023
60.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	17.02.2023
61.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	17.02.2023
62.	रक्षा मंत्रालय का रक्षा विभाग	17.02.2023
63.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	17.02.2023
64.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग	17.02.2023
65.	विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग	17.02.2023

परिशिष्ट - V**विमत टिप्पण**

**[माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए
विमत टिप्पण का हिंदी अनुवाद]**

सुखेन्दु शेखर राय

सभा

कांग्रेस के मुख्य सचेतक

राज्य सभा में अखिल भारतीय तृणमूल संसद सदस्य, राज्य

वाइस चेयरमैन इन पैनल, राज्य सभा

सदस्य, लोक लेखा समिति

सदस्य, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

सदस्य, वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति

7, महादेव रोड,

नई दिल्ली-110001

दूरभाष/फैक्स:(011)23327930

प्रेषिती

13 मार्च, 2023

श्री पी.पी.चौधरी

माननीय सभापति,

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति

लोक सभा सचिवालय,

नई दिल्ली-110001

महोदय,

मैं एतद्वारा निम्नलिखित कारणों और आधारों पर जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध में अपना विमत्त टिप्पण प्रस्तुत करता हूँ:-

1. इससे पहले कि मैं इस विधेयक के अधीन बयालीस अधिनियमों में किए गए उपबंधों के संशोधनों का उल्लेख करूँ, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 का संदर्भ देना चाहूँगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किया गया है कि संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। तथापि, विधेयक के पूरे नाम में ऐसा कोई संवैधानिक अधिदेश निहित नहीं है क्योंकि इसमें दो हिंदी शब्द "जन विश्वास" शामिल किए गए हैं।
2. इस विधेयक का आशय व्यापार करने में सुगमता लाने और नागरिकों के लिए जीवनयापन को आसान बनाने के दो उद्देश्यों से 42 अधिनियमों के 142 उपबंधों का संशोधन करना है। तथापि, प्रस्तावित संशोधनों का अवलोकन करने पर ऐसा लगता है कि विभिन्न अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से अधिकतर मामलों में अवैध कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा जो नागरिकों के जीवनयापन को आसान बनाने के विरुद्ध होगा। अतः विधेयक का पहला उद्देश्य कई प्रकार से विधेयक के दूसरे उद्देश्य को निष्फल कर देगा।
3. उक्त विधेयक पर प्रारूप प्रतिवेदन के अध्याय एक के पैरा 1.3 के संदर्भ में चलचित्र अधिनियम 1952 और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास के उपबंधों के संबंध में दो उदाहरण दिए गए हैं। विधेयक में तीन वर्ष के कारावास के उपबंधों के स्थान पर मौद्रिक शास्ति लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके

परिणामस्वरूप कोई भी फिल्म वितरक या प्रदर्शक आयु को ध्यान में न रखते हुए सभी के लिए वयस्क फिल्मों का प्रदर्शन कर सकता है। इसी प्रकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 5 के अधीन श्रेणी अभिधान चिह्न के कूटकरण के लिए तीन वर्ष के कारावास के उपबंध को केवल शास्ति में बदल दिया गया है।

4. मूल अधिनियम में 177 कृषि उत्पादों से संबंधित श्रेणीकरण और चिन्हांकन का प्रावधान है। इसलिए तीन साल के कारावास के निवारक दण्ड को समाप्त करने से, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों के जीवन की सुगमता को प्रभावित करने वाले घटिया और निम्न गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों के चिन्हांकन हेतु श्रेणी अभिधान चिन्ह की जालसाजी बढ़ जाएगी।
5. प्रारूप प्रतिवेदन के अनुच्छेद 1.8 के अनुसार, कारावास के लिए सभी 148 उपबंधों के हटाए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो विधान बनाने की एक खतरनाक प्रवृत्ति है जिससे नागरिकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक हित की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
6. प्रारूप प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार कुल 4,24,02,907 लंबित मामलों में से 3,15,00,000 आपराधिक कार्यवाही (23/2/2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड) से संबंधित हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार एनसीआरबी कारागार के आंकड़ों के अनुसार, भारत में विभिन्न कारागारों में 4,25,609 की क्षमता के मुकाबले कुल 5,54,034 दोषियों को कैद किया गया था और "छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से निश्चित रूप से न्यायपालिका और कारागारों पर बोझ कम हो जाएगा।" प्रस्तावित अधिनियम 42 के अधीन अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के इस प्रकार के तर्क और औचित्य निम्नलिखित कारणों से सही नहीं हैं:-

- क. जनसंख्या वृद्धि और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ, अपराधों की संख्या और प्रकृति में कई गुना वृद्धि हुई है।
- ख. माननीय उच्चतम न्यायालय की अनेक टिप्पणियों के बावजूद, भारत में कोई जमानत अधिनियम विद्यमान नहीं है और न्यायालयों को मुख्य रूप से उसके समक्ष प्रस्तुत केस रिकॉर्ड और अन्य सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- ग. कई मामलों में, यहां तक कि न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद आरोपी व्यक्ति वर्षों से जेलों में बंद हैं क्योंकि वे आर्थिक कठिनाइयों या किसी अन्य कारण से जमानत बंधपत्र भर नहीं सके। संबंधित अनुच्छेद में दिए गए तर्क/औचित्य, जैसे, "गलत आचरण को दंडित करने के विपरीत, चूक या कमीशन के मामूली कृत्यों का अपराधीकरण अक्सर कार्यपालिका का एक उपकरण बन जाता है, जो एक मजबूत छवि दर्शाने का साधन बन जाता है। चूंकि कई अधिनियम ब्रिटिश काल के हैं जहां राष्ट्र अपने नागरिकों पर विश्वास नहीं करता था। देश में अब ऐसा नहीं है।" यह आपराधिक न्यायशास्त्र और कानून के शासन के लिए एक एन्टि-थीसिस है। यह कार्यपालिका पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। इस प्रकार मैं संबंधित अनुच्छेदों के आख्यानो से सहमत नहीं हूँ।

7. इस संदर्भ में, मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 124क (जो कि 163 वर्ष पुरानी ब्रिटिश युग की संहिता है) का उल्लेख करूंगा जिसका राजद्रोह के आरोप के कथित अपराधियों सहित अपराधियों को दंडित करने के लिए अभी भी अक्षरशः पालन किया जा रहा है।
8. इस संदर्भ में, मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने लिली थॉमस ली थॉमस बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में अपने दिनांक 10 जुलाई, 2013 के निर्णय में भारत सरकार और अन्य ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया कि कोई भी संसद सदस्य, विधान सभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है और कम से कम दो वर्ष का कारावास दिया गया है, वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि से संबंधित है और धारा 500 में मानहानि के लिए साधारण कारावास जो दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माना या दोनों का दंड विहित है। इसलिए, देश का कोई सांसद हो या विधायक उसे न केवल दो वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों का दंड भुगतना होगा और दोषी ठहराए जाने पर तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता भी खो देगा। इसलिए, यहां तक कि कानून निर्माताओं के लिए भी दो वर्ष के कारावास और जुर्माने और उनकी सदस्यता छीनने का उपबंध है, जबकि वर्तमान विधेयक में कारावास और जुर्माने के दंड वाले 148 उपबंधों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक छोटे अपराधों आदि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और तर्कसंगत बनाने के लिए कतिपय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए है। तथापि, भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता में 'छोटे अपराधों' को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, इस विधान का आशय कारावास की अवधि या अन्यथा के आधार पर किसी भी अपराध को छोटे या बड़े अपराधों के रूप में अलग करना नहीं था। परंतु विधेयक का एक प्रमुख आधार यह है कि छोटे अपराधों के लिए कारावास को समाप्त किया जाना चाहिए।
10. यह कहा गया है कि विधेयक तैयार करते समय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राय ली गई थी। तथापि, मुझे राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रेषित ऐसे किसी भी राय की जानकारी नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की राय के बिना, यह विधेयक अधूरा है क्योंकि प्रस्तावित संशोधनों का विधि के शासन को लागू करने पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
11. उपर्युक्त में जो कुछ भी कहा गया है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरा सुझाव है कि उपर्युक्त सभी 42 अधिनियमों में, जिसमें दो वर्ष और उससे अधिक के कारावास का उपबंध है, उन्हें बरकरार रखा जाए और दो वर्ष से कम कारावास के उपबंधों के स्थान पर जुर्माना लगाया जाए।

अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे विमत्त टिप्पण को संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूप प्रतिवेदन के भाग के रूप में शामिल किया जाए।

सादर,

भवदीय

सुखेन्दु शेखर राय
जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन)
विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति

डीन कुरियाकोस
संसद के सदस्य
(लोकसभा)
इडुक्की (केरल)

90, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली-110011
09447877369 (एम)

सदस्य:
श्रम संबंधी स्थायी समिति
ग्रामीण विकास पर सलाहकार समिति

1058 /DEL/2023

14 मार्च, 2023

विषय: जन विश्वास विधेयक, 2022 पर विसम्मत टिप्पण

आदरणीय महोदय / महोदया,

आशा है कि आप सकुशल होंगे। मैं यह पत्र समिति द्वारा प्रकाशित अंतिम प्रारूप प्रतिवेदन के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ। मैंने विधेयक में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए हैं।

1. ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में (क) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए – "धारा 30 की उप- धारा (2) में शब्दों "कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से अन्यून नहीं होगा, अथवा दोनों से" के स्थान पर शब्द "कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये से अन्यून नहीं होगा" से प्रतिस्थापित किया जाए। और (ख) को त्यक्त किया जाए।
2. रबर अधिनियम, 1940 में (क) के स्थान पर, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए "(क) धारा 11 की उपधारा (3) में, शब्दों "कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो

सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से" के स्थान पर शब्द "कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा और धारा 14 के तहत जारी की गई अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण, अथवा दोनों", से प्रतिस्थापित किया जाए। और (ख) को त्यक्त किया जाए। और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए "(ग) धारा 26 की उप-धारा (1) में लंबी लाइन में, शब्दों " कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, अथवा जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा", के स्थान पर शब्द "कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, अथवा जुर्माने से, जो 50,000 तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा, से प्रतिस्थापित किया जाए।

3. मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986

(क) धारा 27 में, दीर्घ पंक्ति में, वह कारावास से, जो छह माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, "शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराध के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दंडनीय होगा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) का त्याग किया जाए।

(ग) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा - (ग) धारा 29 में, "कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर, "शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराध के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दंडनीय होगा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा- (घ) धारा 30 में, "वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराध के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दंडनीय होगा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. चाय अधिनियम, 1953 में - "धारा 38 से 42 का लोप किया जाए" के स्थान पर "धारा 38 से 40 का लोप किया जाए" प्रतिस्थापित किया जाए।
5. क्रम संख्या 1 का लोप करें - प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में संशोधन का त्याग किया जाए।
6. क्रम संख्या 2 का लोप करें - भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में किए गए संशोधनों को त्यक्त किया जाए।
7. क्रम संख्या 9 का लोप करें - भेषजी अधिनियम, 1948 में किए गए संशोधनों को त्यक्त किया जाए।
8. क्रम संख्या 11 का लोप करें - चलचित्र अधिनियम, 1952 में किए गए संशोधनों को त्यक्त किया जाए।
9. क्रम संख्या 17 का लोप करें - खाद्य निगम अधिनियम 1964 में किए गए संशोधनों को त्यक्त किया जाए।
10. क्रम संख्या 20 का लोप करें - उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 में किए गए संशोधनों को त्यक्त किया जाए।
11. क्रम संख्या 11 का लोप करें - वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में किए गए संशोधनों को त्यक्त किया जाए।
12. क्रम संख्या 24 का लोप करें - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में किए गए संशोधनों को त्यक्त किया जाए।
13. क्रम संख्या 29 का लोप करें - केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में किए गए संशोधनों को त्यक्त किया जाए।
14. क्रम संख्या 35 का लोप करें - खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में किए गए संशोधनों को त्यक्त किया जाए।
15. क्रम संख्या 39 का लोप करें - सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 में किए गए संशोधनों को त्यक्त किया जाए।

निम्नलिखित अधिनियमों के संबंध में, मैं निम्नलिखित आपत्तियां प्रस्तुत करता हूं। कृपया उन्हें निसम्मत टिप्पण के भाग के रूप में अभिलेखित करें।

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867

पंजीकरण के प्रमाण पत्र को निलंबित या निरस्त करने का उपबंध मूल अधिनियम में नहीं है। इस तरह के उपबंध को जोड़ने से वास्तव में प्रकाशन की लागत बढ़ जाती है।

यह तत्समय विद्यमान सरकार के हाथों में प्रेस और प्रकाशनों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करेगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित करने के लिए सूचीबद्ध कुछ कारण अनौचित्यपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ, यदि समाचार पत्र आधे से कम प्रतियां प्रकाशित करने में असमर्थ हैं तो सरकार को अनुज्ञप्ति निलंबित करने का अधिकार क्यों होना चाहिए? यह सरकार द्वारा समाचार पत्रों का संचालन आसान बनाने के बजाए उन पर अधिकाधिक नियंत्रण से संबंधित है। मैं उस सीमा तक भी आपत्ति व्यक्त करता हूं जिसमें प्रेस रजिस्ट्रार (जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है) को पंजीकरण के प्रमाण पत्र को निलंबित और निरस्त करने का अधिकार है। साथ ही, प्रेस रजिस्ट्रार को दांडिक शक्ति देना शक्तियों के पृथक्करण की भावना के खिलाफ है। विधि द्वारा यथा विहित दंड के बारे में निर्णय करने का कार्य मजिस्ट्रेट के उपर छोड़ देना ही बेहतर है। एक प्रशासनिक पेशेवर को न्यायिक अधिकार देने से केवल कार्यकारी नियंत्रण में वृद्धि और न्यायिक उल्लंघन को बढ़ावा मिलेगा। उपर्युक्त आलोक में, मैं संशोधन में यथा प्रस्तावित धारा 12 और धारा 13 का कड़ा विरोध करता हूं।

8ग के संशोधन का प्रयोजन प्रेस रजिस्ट्रार को गैर-न्यायिक शक्तियां प्रदान करने के लिए है जो मजिस्ट्रेट के समकक्ष है। यह पुनः एक ऐसा मामला है जिसमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। मुझे इस पर आपत्ति है।

धारा 15 क से 17 तक लोप किया जाना सराहनीय है, क्योंकि यह प्रेस और प्रकाशनों पर बोझ को कम करता है। इन संशोधनों पर कोई आपत्ति नहीं है।

धारा 19 ट का सबस्टेशन और धारा 19 ठ का लोप किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

चलचित्र अधिनियम, 1952

धारा 7 (1) (क) के तहत निर्धारित सजा तीन साल तक की कारावास है, लेकिन धारा 7 (4) (घ) या धारा 7 (1) (ड) के तहत तुलनीय अपराध में केवल जुर्माना होगा। यहां कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं लगता है। इसके अलावा, धारा 7 (1) (घ) के अंतर्गत, एक अधिकारी जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि किसी अधिकारी को न्यायिक शक्तियां देने से न्याय का बेहतर व्यवस्था कैसे होती है। यहां इन शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना है, क्योंकि इन शक्तियों का दुरुपयोग कार्यपालिका द्वारा लोगों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। गैर-अपराधीकरण के बजाय, एक अधिकारी को जुर्माना लगाने का अधिकार देने से लोगों का अधिक उत्पीड़न होता है। मैं इन उपबंधों का कड़ा विरोध करता हूं।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

धारा 16 और 18 को प्रतिस्थापित करने से, दंड को कम कर दिया गया है। हालांकि, धारा 17 के लोप होने से किसी कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों को अपराध करने वाली कंपनी के मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा। इसलिए, धारा 17 को लोप नहीं किया जाना चाहिए। इससे कंपनियां अपराध करके केवल जुर्माना देकर बच सकती हैं। चूंकि यह अधिनियम केबल टेलीविजन नेटवर्क से संबंधित है, इसलिए ऐसा है कि इन नेटवर्कों को चलाने वाली कंपनियों से जुड़े लोगों पर मुकदमा चलाने में सक्षम होने के अभाव में उनकी रिपोर्टिंग या कार्यक्रमों को ठीक से विनियमित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, विचाराधीन दंड एक नामित अधिकारी द्वारा दिया जा रहा है। यह फिर से कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियां देने के समान है। सचिव को अपीलीय प्राधिकरण बनाया जा रहा है, जो सही भी नहीं है क्योंकि पूरी प्रक्रिया अब कार्यपालिका तक ही सीमित है। ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस को कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियां देने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे स्वतंत्र केबल टेलीविजन नेटवर्क का और उत्पीड़न होगा।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

धारा 16 से 22 तक का लोप किये जाने का अर्थ यह है कि सूचीबद्ध अपराधों जैसे आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मामलों से जुड़े आंकड़ों के संग्रहण में सरकार द्वारा बाधा न आए। यदि इन अपराधों को हटा दिया जाता है, तो यह सुनिश्चित करने का एक साधन होना चाहिए कि सरकार की ओर से उचित डेटा संग्रह किया जाए। सरकार द्वारा ऐसे किसी भी साधन का उल्लेख नहीं किया गया है। ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस अपराध करने में आसानी का बहाना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस सरकार द्वारा एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता को कम करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकती है। मैं उक्त संशोधनों का विरोध करता हूं।

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

अध्याय दस में उल्लिखित अपराध उन अपराधों से संबंधित हैं जो किसी डाकघर के अंदर कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किए जा सकते हैं। उस दौरान, वे डाक विभाग को सौंपी गई जनता की संपत्ति को संभालते हैं। उन्हें मामूली अपराधों के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह तर्क कि उन पर अन्य कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, इस अधिनियम के तहत डाक विभाग के कर्मचारियों पर मुकदमा नहीं चलाने का औचित्य नहीं है।

यदि दंडात्मक प्रावधानों को इस प्रकार शिथिल किया जाता है, तो कर्मचारी अपने कर्तव्य को गंभीरता से नहीं लेंगे। मैं इन संशोधनों पर कड़ी आपत्ति जताता हूँ।

मैं यह टिप्पण जोड़ने का भी अनुरोध करता हूँ कि मैंने पाया है कि सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों (स्थायी कार्यपालक) को जुर्माने की मात्रा, जुर्माना लगाने आदि का निर्धारण करने के लिए अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं। यह प्रावधान उन सभी अधिनियमों में है जिन पर मैंने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। यह संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण की भावना के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 50 में एक निर्देश के रूप में भी निहित है।

इसके अलावा मसाला बोर्ड अधिनियम, चाय अधिनियम, रबड़ अधिनियम, 1947 आदि में प्रस्तुत संशोधन का प्रयोजन इन अधिनियमों में निहित दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त करना है। मेरा विचार है कि ये उन अधिनियमों में निहित प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता को समाप्त कर देंगे। ये उन लोगों के हितों के भी खिलाफ हैं जो इन अधिनियमों द्वारा संरक्षित हैं। कृपया विधेयक पर इन आपत्तियों को अभिलेखित करें और ऊपर उल्लिखित संशोधन प्रस्तुत करें।

सादर,

एडवोकेट डीन कुरियाकोस

डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू

एमबीबीएस, एम.एस.

सांसद (राज्यसभा)

सदस्य:

-शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति

-विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति

-जन विश्वास पर संयुक्त समिति

503, ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट,

डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

फोन: 011-23312504, 23312503

ई-मेल: dr.kanimozhivnsomu@sansad.nic.in

फ्लैट नंबर 403, "न्यूरी सेरेनिटी"

न्यू डोर नंबर 8, (पुराना नंबर 12),

कनाल क्रोस् रोड, गांधीनगर,

अड्यार, चेन्नई-600 020, तमिलनाडु

मोबाइल: +91-9840299077

सेवा में,

निदेशक, एच. राम प्रकाश,

विषय: विमत सारांश

महोदय,

जन विश्वास संबंधी संयुक्त समिति की दिनांक 13-03-2023 को आयोजित बैठक के क्रम में, मैं निम्नलिखित विमत प्रस्तुत करती हूं।

संलग्न

सादर,

डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू

(विभाजन सं. 142)

1. कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937

कारावास की सजा की आवश्यकता है और यह भूल न करने हेतु व्यक्तियों के लिए भयपरतिकारी के रूप में कार्य करता है। केवल जुर्माना लगाने से उन्हें तब तक गलतियों को दोहराने की खुली छूट मिल सकती है जब तक कि वे पकड़े नहीं जाते और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्र पांच लाख से अनधिक जुर्माना लगाने से कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है।

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

यह बहुत ही गंभीर गलती है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इसका लोगों, विशेष रूप से महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भूल करने वाले व्यक्तियों के लिए दो साल के कारावास की सजा ही भयपरतिकारी के रूप में कार्य करेगी। जुर्माना लगाने से उन्हें तब तक गलतियों को दोहराने की अप्रत्यक्ष छूट मिल जाएगी जब तक कि वे पकड़े नहीं जाते और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल पांच लाख से अनधिक जुर्माना लगाने से कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है।

3. भेषजी अधिनियम, 1948

यह भी एक बहुत ही गंभीर गलती है जिसके परिणामस्वरूप दुखद मुद्दे उत्पन्न होते हैं, अतः, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कारावास की सजा ही भूल करने वाले व्यक्तियों के लिए भयपरतिकारी के रूप में कार्य करेगी। जुर्माना लगाने से उन्हें तब तक गलतियों को दोहराने की अप्रत्यक्ष छूट मिल जाएगी जब तक कि वे पकड़े नहीं जाते। केवल जुर्माना लगाने से कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है।

4. चलचित्र अधिनियम, 1952

प्रौद्योगिकीय प्रगति और वेब सीरिज, ओटीटी प्लेटफार्मों आदि जैसे प्रसारण के नए माध्यमों की शुरुआत के कारण फिल्म उद्योग पहले से ही समस्याओं और मुद्दों का सामना कर रहा है। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार की छूट उन्हें चूक करने की आदी बना देगी। कारावास की सजा फिल्म उद्योग द्वारा की जाने वाली ऐसी गलतियों को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका होगा अन्यथा पूरा समाज प्रभावित

होगा, विशेष रूप से युवा और विद्यार्थी समुदाय बुरी तरह प्रभावित होंगे और अध्ययन से भटक जाएंगे। हानिकारक सामग्रियों चाहे उसमें हिंसा या अपराध या अश्लील या यौन शोषण शामिल हो, पर सख्त सेंसरशिप की आवश्यकता है। अन्यथा भावी पीढ़ी बेकार सामग्री से पथभ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए इस अधिनियम में कोई भी छूट पूरे समाज की भलाई के लिए हानिकारक होगी।

5. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957

इससे ईमानदार और न्यायप्रिय लोगों का मनोबल प्रभावित होगा। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 की पूरी धारा 68 का लोप करना न्यायसंगत नहीं होगा। इस तरह की छूट से साहित्यिक चोरी का प्रसार होगा जो पहले से ही बहुतायत में विद्यमान है। इसलिए यह संशोधन अनुचित और अयुक्तियुक्त है।

6. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958

किसी भी चूक गलती से बचने के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए निर्धारित शास्ति बरकरार रहनी चाहिए।

7. निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961

किसी भी गंभीर गलती से बचने के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए निर्धारित शास्ति और दंड होना चाहिए। अन्यथा यह निश्चित रूप से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा।

8. भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962

भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 38

(1) जो कोई किसी भाण्डागारण निगम की लिखित सहमति के बिना, किसी प्रोस्पेक्टस या विज्ञापन में उस निगम के नाम का प्रयोग करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) कोई न्यायालय संबंधित भाण्डागारण निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही उप-धारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करेगा, अन्यथा नहीं।

धारा 38 का लोप करना उचित नहीं है और इससे धोखाधड़ी और दस्तावेजों की जालसाजी बढ़ेगी। इसलिए धारा 38 को बरकरार रखा जाए।

9. खाद्य निगम अधिनियम, 1964

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1) की धारा 41 (1) जो कोई खाद्य निगम की लिखित सम्मति के बिना, उसके नाम का उपयोग किसी विवरण पत्रिका या विज्ञापन में करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा 41 का लोप उचित नहीं है और इससे दस्तावेजों की धोखाधड़ी और जालसाजी बढ़ेगी। इसलिए धारा 41 को बरकरार रखा जाना चाहिए।

10. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972

खाता पुस्तिकाओं से संबंधित धारा में बदलाव एवं शास्ति और दंड से निपटना अनुचित है। इस कानून के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए कारावास के साथ सजा आवश्यक है।

11. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

शास्ति और दंड से संबंधित धाराओं में बदलाव अनावश्यक है।

12. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981

अधिकारियों द्वारा लेखा पुस्तकों और संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच आवश्यक है। इस कानून में किया गया कोई भी बदलाव जो इस तरह के निरीक्षण अधिकारों पर अंकुश लगाता है, ऐसे कृत्यों के उद्देश्य के लिए हानिकारक है।

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

अधिकारियों द्वारा लेखा पुस्तकों और संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच आवश्यक है। इस कानून में किया गया कोई भी बदलाव जो इस तरह के निरीक्षण अधिकारों पर अंकुश लगाता है, ऐसे कृत्यों के उद्देश्य के लिए हानिकारक है।

14. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987

मूल अधिनियम की धारा 21 में परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की पहुंच अभिलेखों तक होगी- उप-धारा (1) राष्ट्रीय आवास बैंक की ऐसी किसी [संस्था] के, जो राष्ट्रीय आवास बैंक से कोई प्रत्यय सुविधाएं लेने की ईप्सा करता है, ऐसे सभी अभिलेखों तक और ऐसे किसी व्यक्ति के, जो ऐसी [संस्था] से कोई प्रत्यय सुविधाएं लेने की ईप्सा करता है, ऐसे सभी अभिलेखों तक पहुंच होगी जिनका परिशीलन राष्ट्रीय आवास बैंक को ऐसी [संस्था] को वित्तीय या अन्य सहायता का प्रबंध करने के संबंध में या उस [संस्था] द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिए गए किसी ऋण या उधार का पुनर्वित्त पोषण करने के संबंध में आवश्यक प्रतीत हो।

अधिकारियों का लेखा पुस्तकों और संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच होना आवश्यक है। इस नियम में किया गया कोई भी बदलाव जो इस तरह के निरीक्षण अधिकारों पर अंकुश लगाता है, ऐसे अधिनियमों के उद्देश्य के लिए हानिकारक है।

15. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी अधिनियम') की धारा 67 ने डिजिटल माध्यम को भी इस अधिनियम के अधीन ला दिया है। यह ऐसे किसी भी डाटा के प्रसारण या प्रकाशन पर आपराधिक दायित्व तय करता है जो अश्लील है और जन सामान्य में कामुक भावनाओं को बढ़ाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले आपराधिक कृत्यों के संबंध में पहले से ही चिंता बढ़ रही है।

कारावास की सजा को हटाना फिर से एक बहुत ही गंभीर त्रुटि है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर मुद्दे उत्पन्न होते हैं इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कारावास की सजा ही व्यक्तियों के लिए गंभीर गलतियां न करने हेतु भयपरतिकारी के रूप में कार्य करेगा।

इसलिए मैं संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के कतिपय महत्वपूर्ण उपबंधों को बदलने या उनमें ढील देने के लिए समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर अपना विमत व्यक्त करना चाहूँगी। इसलिए मैं जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति के प्रारूप प्रतिवेदन और इस संबंध में संयुक्त समिति द्वारा किए गए कतिपय परिवर्तनों का विरोध करती हूँ।

परिशिष्ट - VIजन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति प्रकोष्ठसमिति की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 9 जनवरी, 2023 को समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में 1100 बजे से 1245 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री पी.पी. चौधरी - सभापति

सदस्यलोक सभा

2. डॉ. संजय जायसवाल
3. श्री उदय प्रताप सिंह
4. श्री संजय सेठ
5. श्रीमती पूनम महाजन
6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
7. श्री रतन लाल कटारिया
8. श्री गौरव गोगोई
9. प्रो. सौगत राय
10. श्री पिनाकी मिश्रा
11. श्री गिरीश चन्द्र

राज्य सभा

12. श्री घनश्याम तिवाड़ी
13. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल

14. श्री सुखेन्दु शेखर राय
15. डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू
16. श्री नारायण दास गुप्ता

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्रीमती माया मेनन - अवर सचिव

साक्षी

1. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी) -
 - i. श्री अनुराग जैन - सचिव
 - ii. सुश्री मनमीत के नंदा - संयुक्त सचिव
 - iii. सुश्री सुप्रिया देवस्थली - निदेशक
2. विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) -
 - i. डॉ. नितेन चंद्रा - सचिव
 - ii. सुश्री सुनीता आनंद - संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार
3. विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) -
 - i. श्री के.आर. साजी कुमार - संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी
 - ii. श्री विनय कुमार मिश्रा - उप विधायी परामर्शी

सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया। यह बैठक जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की अनुसूची में मंत्रालयों के विभागों द्वारा लागू अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई थी।

2. तत्पश्चात्, सभापति ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और व्यापार संवर्धन विभाग के प्रतिनिधियों से विधेयक की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधनों के कारण बताने के लिए कहा।

3. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के निम्नलिखित कारण बताए :

- i. सरकार के अधिदेश के अनुरूप जीवन यापन में आसानी लाना और व्यापार करने में सुगमता लाना;
- ii. व्यवसायों पर बोझ कम करना और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना ;
- iii. आर्थिक विकास, जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देना;
- iv. आपराधिक दायित्व को लागू करने में आपराधिक मनःस्थिति (दुर्भावनापूर्ण/ आपराधिक इरादा) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है - अतः, लापरवाही या अनजाने में की गयी चूक की तुलना में अननुपालन अर्थात् धोखाधड़ी की प्रकृति का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है; और
- v. आभ्यासिक अननुपालन करना।

4. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रतिनिधियों ने इस विधेयक को लाने का कारण बताया और कहा कि सरकार विश्वास-आधारित शासन प्रणाली को बढ़ावा देना चाहती है और व्यापार करने में सुगमता लाना चाहती है। इसके लिए समय-समय पर सभी कानूनों की समीक्षा की जा रही थी और श्रम संहिताओं, खनन क्षेत्र में सुधार आदि जैसे अनेक कार्य पहले ही किए जा चुके हैं। इस कार्य में सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों से भी परामर्श किया गया था। उनसे मूल रूप से चार बिंदुओं की समीक्षा करने के लिए कहा गया था (i) क्या किसी विशेष उपबंध की आवश्यकता है या नहीं (ii) क्या इसे सरल बनाया जा सकता है (iii) क्या इसे ऑनलाइन किया जा सकता है (iv) मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। कुछ अधिनियम स्वतंत्रता-प्राप्ति से पहले के हैं जब मामूली अपराधों के लिए कारावास की सजा दी जाती थी। इन्हें शास्ति/जुर्माने में बदला जाना था। इन्हीं कारकों के आधार पर जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 तैयार किया गया है।

5. समिति ने जानना चाहा कि जुर्माने और शास्ति के बीच क्या अंतर है। विधायी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जुर्माना न्यायिक न्यायालय द्वारा लगाया जाता है और शास्ति प्रशासनिक / अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा लगाया जाता है। इस संरचना में एक अधिनिर्णयन और अपीलीय तंत्र की आवश्यकता है।

6. तत्पश्चात, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रतिनिधियों ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संशोधित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों और धाराओं की जानकारी देते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी और उसकी संक्षिप्त जानकारी दी। माननीय सदस्यों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे और अधिकारियों ने उनके उत्तर दिये।

7. तदुपरान्त समिति ने विभिन्न प्रशासनिक विभागों/मंत्रालयों द्वारा लागू किए जा रहे 42 अधिनियमों के संबंध में संबन्धित विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से जानकारी/साक्ष्य लेने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति**समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश**

संयुक्त समिति की दूसरी बैठक सोमवार, 16 जनवरी, 2023 को समिति कक्ष संख्या 01, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में 1500 बजे से 1745 बजे तक आयोजित की गई।

उपस्थित

श्री पी पी चौधरी

-

सभापति

सदस्य**लोक सभा**

2. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
3. श्री गिरीश चन्द्र
4. श्री गौरव गोगोई
5. डॉ संजय जायसवाल
6. श्री रतन लाल कटारिया
7. प्रोफेसर सौगत राय
8. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"

राज्य सभा

9. श्री घनश्याम तिवाड़ी
10. श्री सुखेन्दु शेखर राय
11. श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव
12. श्री महेश जेठमलानी
13. श्री नारायण दास गुप्ता

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री राहुल सिंह - उप सचिव
3. श्रीमती माया मेनन - अवर सचिव

साक्षी

	मंत्रालय/विभाग	प्रतिनिधि
1.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)	1. सुश्री मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव 2. सुश्री सुप्रिया देवस्थली, निदेशक
2.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1. श्री अल्केश कुमार शर्मा, सचिव 2. श्री अमित अग्रवाल, अपर सचिव 3. डॉ. सौरभ गर्ग, सीईओ, यूआईडीएआई
3.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग)	1. श्री मनोज आहूजा, सचिव 2. श्री अभिलक्ष लिखी, अपर सचिव 3. डॉ. विजय लक्ष्मी नारदेदला, संयुक्त सचिव
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)	1. श्री संजीव चोपड़ा, सचिव 2. श्री अशोक के. के. मीणा, सीएमडी (एफसीआई) 3. श्री सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव (नीति एवं एफसीआई)
5.	कानून और न्याय मंत्रालय	1. श्री के. आर. साजी कुमार, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, विधायी विभाग 2. सुश्री सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार, कानूनी मामले विभाग

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों का जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की अनुसूची में उनके विभागों द्वारा लागू अधिनियमों से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों के बारे में बुलाई गई संयुक्त समिति की दूसरी बैठक में स्वागत किया। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे समिति को उनके

विभाग द्वारा लागू उन प्रासंगिक अधिनियमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें, जिनके संशोधन का प्रस्ताव है तथा उक्त संशोधनों को लाने के कारणों और इसके संभावित प्रभाव के बारे में बताएं तथा यह भी बताएं कि क्या प्रस्तावित संशोधनों का, यदि कोई हो, न्यायालयों के समक्ष लंबित मुकदमों पर कोई भूतलक्षी प्रभाव पड़ेगा।

3. तत्पश्चात्, सभापति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को (i) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और (ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उनके विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के बारे में समिति को सूचित करने के लिए आमंत्रित किया।

4. तत्पश्चात्, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि कारावास अवधि को कम करने या जुर्माना बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 33, 44, 45, 67ग, 68, 69 ख, 70 ख, 72, 72 क में संशोधन किया जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि विधेयक की अनुसूची के क्रम सं. 42 में उल्लिखित अधिनियम की धारा 41 द्वारा अधिरोपित कारावास/जुर्माने के स्थान पर शास्ति को बढ़ाया जा रहा है, जिसके संबंध में समिति ने प्रस्तावित संशोधन के कारणों के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा। समिति ने अधिकारियों से प्रस्तावित संशोधनों की पुनः जांच करने और उनका विस्तृत औचित्य देने और तदनुसार माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का लिखित उत्तर देने के लिए भी कहा।

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी वापस चले गए और उसके बाद कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बुलाया गया)

5. तत्पश्चात्, सभापति ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों से विधेयक की अनुसूची के क्रम सं. 05 में उल्लिखित कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन अधिनियम), 1937 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम की चार धाराओं 4, 5, 5 क और 5 ख में मौजूद कारावास की सजा के खंडों को शास्ति बढ़ाकर अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है। सदस्यों ने प्रस्तावित संशोधनों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे और मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया।

(कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारी वापस चले गए और इसके बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया)

6. तत्पश्चात्, सभापति ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों को विधेयक की अनुसूची की क्रम सं. 16 और 17 में

उल्लिखित खाद्य निगम अधिनियम, 1964 और भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 में प्रस्तावित संशोधनों के कारणों के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया ।

7. उसके बाद मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने समिति को खाद्य निगम अधिनियम, 1964 धारा-41 और भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 से धारा-38 को हटाने के प्रस्तावित संशोधनों और उसके कारणों के बारे में बताया।

8. सभापति ने समिति के सदस्यों और समिति के समक्ष उपस्थित होने और अपने-अपने मंत्रालयों से संबंधित विधेयकों में प्रस्तावित संशोधनों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए मंत्रालयों के अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड अलग रखा गया है।

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति**समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश**

संयुक्त समिति की तीसरी बैठक मंगलवार, 17 जनवरी 2023 को 1100 बजे से 1410 बजे तक, समिति कक्ष संख्या 01, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित**श्री पी पी चौधरी****-****अध्यक्ष****लोक सभा**

2. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
3. श्री गिरीश चंद्र
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
6. श्री पिनाकी मिश्रा
7. श्री संजय सेठ
8. श्री उदय प्रताप सिंह

राज्य सभा

9. श्री घनश्याम तिवाड़ी
10. श्री सुखेंद्रु शेखर राय
11. श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव
12. श्री महेश जेठमलानी
13. श्री नारायण दास गुप्ता
14. श्री विवेक के तन्खा

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री राहुल सिंह - उप सचिव
3. श्रीमती माया मेनन - अवर सचिव

साक्षी

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	प्रतिनिधि
1.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)	(i) सुश्री मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव (ii) सुश्री सुप्रिया देवस्थली, निदेशक
2.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	(i) सुश्री लीना नंदन, सचिव (ii) श्री चंद्र प्रकाश गोयल, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव
3.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	(i) श्री मनोज जोशी, सचिव (ii) श्री जयदीप, ओएसडी (यूटी) और पदेन संयुक्त सचिव
4.	विधि और न्याय मंत्रालय	(i) श्री के.आर. साजी कुमार, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, विधायी विभाग (ii) सुश्री सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और कार्य, विधायी परामर्शी विधायी विभाग

2. सर्वप्रथम, सभापति ने जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, 2022 की अनुसूची में उनके विभागों द्वारा लागू अधिनियमों से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों के बारे में बुलाई गई संयुक्त समिति की तीसरी बैठक में सदस्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. उसके बाद सभापति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को उनके मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रासंगिक अधिनियमों पर समिति को संक्षिप्त जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अनुसूची की क्रम संख्या 04); वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अनुसूची का क्रम संख्या 21); पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (अनुसूची का क्रम संख्या 24) और लोक देयता बीमा

अधिनियम, 1991 (अनुसूची का क्रम संख्या 28) अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से जानकारी दी ।

4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों ने निवेदन किया कि संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित अधिनियमों के तहत 09 दंडात्मक उपबंधों को आंशिक रूप से अपराध की श्रेणी से बाहर जाना है। अधिकारियों ने निवेदन किया कि निरंतर अपराधों के लिए शास्ति, अतिरिक्त शास्ति और फिर दंडिक उपबंध के रूप में व्यापक रूपरेखा बनाई गई है। समिति ने पाया कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 और धारा 33 के तहत पांच सौ रुपये के जुर्माने को शास्ति के रूप में बदला जा सकता है और न्यायनिर्णयन तंत्र स्थापित किया जा सकता है। वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981में धारा 22, 31ए, 37, 38 और 39 से संबंधित उल्लंघनों को न्यायालय में अभियोजन की जगह वित्तीय शास्ति लगाने के माध्यम से निपटाया जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

5. तत्पश्चात्, समिति को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई जिसमें अधिनियम के अधीन उल्लिखित दंडात्मक उपबंध के स्थान पर शास्ति और अतिरिक्त शास्ति द्वारा प्रतिस्थापित करके इसे पूरी तरह से अपराधी की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव है। सदस्यों ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे और इसके कारणों के बारे में जानना चाहा जिसके बारे में मंत्रालयों के अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया । लोक दायित्व बीमा अधिनियम 2002 के संबंध में अधिकारियों ने सूचित किया कि उपबंधों के उल्लंघन और अनुपालन के लिए कारावास की सजा के स्थान पर भारी शास्ति के उपबंध का प्रस्ताव किया जा रहा है साथ ही सार्वजनिक संपत्ति की बहाली और पर्यावरणीय क्षति के लिए पर्यावरण राहत कोष के उपयोग के उपबंधों का अन्तःस्थापन भी किया जा रहा है और समिति को उक्त उपबंधों का औचित्य बताया जहां निर्धारित शास्ति की राशि के बारे में प्रश्न उठाए गए थे।

(एमओईएफसीसी के अधिकारी वापस चले गए और उसके बाद आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया)

6. उसके बाद, सभापति ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 में विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 33 में उल्लिखित उनके विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के बारे में समिति को सूचित करने के लिए आमंत्रित किया ।

7. तत्पश्चात्, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निवेदन किया कि धारा 59 (2), 63, 69 (4) और 70 के अधीन कारावास और जुर्माने के उपबंधों को शास्ति में बदलने का

प्रस्ताव है; धारा 80 के अधीन कारावास और जुर्माने को हटाने का प्रस्ताव है और धारा 65 के अधीन कारावास की अवधि को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। समिति ने कहा कि अधिनियम की धारा 59(2) के अधीन कारावास के उपबंधों को बरकरार रखा जा सकता है क्योंकि ये प्रावधान यात्रियों के जीवन की सुरक्षा से संबंधित हैं। सदस्यों ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधनों और उसके कारणों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे और मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया। सभापति ने अधिकारियों से प्रावधानों में संशोधन के परिणामी प्रभावों की जांच करने के लिए कहा और तदनुसार प्रस्तावित संशोधन में समायोजन करने और समिति को सूचित करने के लिए भी कहा।

8. सभापति ने समिति के सदस्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों को उनके समक्ष उपस्थित होने और उनके मंत्रालयों से संबंधित विधेयकों में प्रस्तावित संशोधनों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड अलग से रखा गया है।

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति**समिति की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश**

संयुक्त समिति की चौथी बैठक मंगलवार, 31 जनवरी, 2023 को 1500 बजे से 1715 बजे तक समिति कक्ष संख्या 02, संसदीय सौध एक्सटेंशन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

उपस्थित**श्री पी.पी. चौधरी****-****सभापति****लोक सभा**

2. श्री ए. राजा
3. श्री राजेंद्र अग्रवाल
4. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
5. श्री गिरीश चन्द्र
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री रतन लाल कटारिया
8. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
9. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई मादम
10. श्री सौगत राय
11. श्री संजय सेठ
12. श्री उदय प्रताप सिंह

राज्य सभा

13. श्री घनश्याम तिवाड़ी
14. श्री महेश जेठमलानी
15. श्री नारायण दास गुप्ता
16. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल

17. डॉ. कनिमोड़ी एनवीएन सोमू

18. श्री सुजीत कुमार

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2. श्री एच राम प्रकाश	-	निदेशक
3. श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव
4. श्रीमती माया मेनन	-	अवर सचिव

साक्षी

क्रम सं	मंत्रालय/विभाग	प्रतिनिधि
1.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)	i. श्री अनुराग जैन , सचिव ii. श्री राजीव सिंह ठाकुर , अपर सचिव iii. सुश्री श्रुति सिंह , संयुक्त सचिव iv. सुश्री मनमीत कु. नन्दा , संयुक्त सचिव v. सुश्री सुप्रिया देवस्थली , निदेशक
2.	वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)	i. श्री सुनील बर्थवाल , सचिव ii. श्री श्रीधर बाकू अड्डनकी, कार्यकारी निदेशक, तम्बाकू बोर्ड iii. डॉ के.जी.जगदीशा , सीईओ और सचिव, कॉफी बोर्ड iv. डॉ. एम अंगमुथु, अध्यक्ष, ए.पी.ई.डी.ए v. डॉ. के. एन. राघवन, कार्यकारी निदेशक, रबर बोर्ड vi. श्री डी साथियान, सचिव, मसाला बोर्ड
3.	विधि और न्याय मंत्रालय	i. श्री के. आर. साजी कुमार, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता , विधायी विभाग ii. सुश्री सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार, विधि कार्य विभाग

2. सर्वप्रथम, सभापति ने जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. सभापति ने जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक 2022 के बारे में आरंभिक टिप्पणी की और विधेयक में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा वाणिज्य विभाग द्वारा किए जा रहे बदलावों के बारे में जानना चाहा। सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश सं0 55 की ओर भी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया।
4. डीपीआईआईटी मंत्रालय के अधिकारियों ने निम्नलिखित अधिनियमों पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी और मौजूदा उपबंधों के साथ प्रस्तावित संशोधनों और संशोधनों के कारणों के बारे में भी बताया।
- (i) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (किसी भी प्राधिकारी या कार्यालय को धोखा देने या प्रभावित करने के लिए गलत बयान देने से संबंधित धारा 68 का लोप किया जा रहा है);
 - (ii) पेटेंट अधिनियम, 1970 (धारा 120, 122 (उप-धारा (1) और (2)), 123 और 159 में संशोधन किया जा रहा है; धारा 121 का लोप किए जाने का प्रस्ताव है; शास्ति के अधिनिर्णय के संबंध में नई धारा 124 क ठ को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है;
 - (iii) व्यापार चिन्ह अधिनियम , 1999 - धारा 107, 140 और 157 में संशोधन का प्रस्ताव है; धारा 106, 108 और 109 का लोप करने और एक नई धारा 112 क को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है।
 - (iv) माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 - 2 धाराओं (धारा 42 और 87) में संशोधन का प्रस्ताव है; धारा 43 और 44 का लोप करने का प्रस्ताव है; और एक नई धारा 37 क को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है।
 - (v) बॉयलर अधिनियम, 1923 में - धारा 22 के संशोधन का आशय धारा 24 में समान उपबंध (खंड (घ)) का लोप करके धारा 22 में एक नया खंड (iv) अन्तःस्थापित करना है; धारा 23 को बॉयलर के अवैध उपयोग के लिए शास्ति से संबंधित एक नई धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है; और धारा 24 में अन्य शास्ति से संबंधित खंड (क), (ख) और (घ) को हटाकर प्रस्तावित नई धारा 23 में खंड (क) और (ख) को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है।
 - (vi) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में, धारा 24 (1), जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, को बढ़े हुए जुर्माने के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है; गलत बयान के लिए शास्ति से संबंधित धारा 24क का लोप किया जा रहा है।
5. वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने रबड़ अधिनियम, 1947, चाय अधिनियम 1953, एमपीईडीए अधिनियम, 1972 और मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के बारे में एक प्रस्तुति दी।

- (i) रबड़ अधिनियम 1947 में धारा 11, 13 और 26 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जो अधिनियम के तहत उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड से संबंधित है।
- (ii) चाय अधिनियम, 1953 के तहत धारा 38, 39, 40, 41 और 42 का लोप कर संशोधित करने का प्रस्ताव है जो कारबार करने की सुगमता प्रदान करेगा और सभी हितधारकों को उचित लाभ प्रदान करेगा।
- (iii) एमपीईडीए अधिनियम, 1972 के तहत, धारा 20 (3), 23, 24 और 25 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि कारावास और जुर्माने के स्थान पर शास्ति को प्रतिस्थापित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन समुद्री निर्यातकों पर नियामक अनुपालन भार को कम करेगा और हितधारकों में अनुचित उत्पीड़न के डर को रोकेगा।
- (iv) मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 में धारा 27, 28, 29 और 30 के तहत अधिनियम के अधीन विहित अपराधों के लिए आपराधिक शास्ति निर्धारित की गई है। संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं और धारा 27, 29 और 30 में कारावास की सजा के स्थान पर सिविल शास्ति को प्रतिस्थापित की गई है। विनियमन और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए धारा 28 को हटाने का प्रस्ताव किया गया है।

माननीय सदस्यों ने कुछ अधिनियमों के कुछ उपबंधों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे और संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट किया।

6. अंत में, सभापति ने चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया। समिति ने सभापति को उपयुक्त तिथि पर विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए विधेयक की जांच के संबंध में एक अध्ययन यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड अलग से रखा गया।

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति**समिति की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश**

समिति की बैठक सोमवार, 6 फरवरी, 2023 को 15:00 बजे से 17:20 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.पी. चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

17. श्री उदय प्रताप सिंह
18. श्री संजय सेठ
19. श्रीमती पूनमबेनमाडम
20. श्रीमती पूनम महाजन
21. श्रीमती अपराजिता सारंगी
22. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
23. श्री रतन लाल कटारिया

राज्य सभा

24. श्री घनश्याम तिवारी
25. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव
26. श्री महेश जेठमलानी
27. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
28. श्री विवेक के. तन्खा
29. श्री नारायण दास गुप्ता
30. श्री सुजीत कुमार

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन	- संयुक्त सचिव
2. श्री एच. राम प्रकाश	- निदेशक
3. श्री राहुल सिंह	- उप सचिव
4. श्रीमती माया मेनन	- अवर सचिव

साक्षी

क्रम **मंत्रालय/विभाग**
संख्या

प्रतिनिधि

4.	वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)	i. श्री सुचिन्द्र मिश्रा - अपर सचिव ii. श्री पंकज शर्मा - संयुक्त सचिव
5.	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	i. श्री राजीव सक्सेना - संयुक्त सचिव ii. सुश्री अपर्णा भाटिया - सलाहकार
6.	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)	i. श्री ऋत्विक् पांडे - संयुक्त सचिव ii. श्री अमित गुणवंत भोले - उप सचिव
7.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)	i. सुश्री मनमीत के. नंदा - संयुक्त सचिव ii. सुश्री सुप्रिया देवस्थली - निदेशक
8.	विधि और न्याय मंत्रालय	i. श्री के.आर. साजी कुमार - संयुक्त सचिव और विधायी काउंसिल, विधायी विभाग ii. डॉ. अमित त्यागी - उप विधि सलाहकार, विधिकार्य विभाग

2. सर्वप्रथम, सभापति ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की अनुसूची में संबंधित विभागों द्वारा लागू अधिनियमों से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई बैठक में मंत्रालयों के सदस्यों और अधिकारियों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

सभापति ने बैठक की कार्यवाही की गोपनीयता खंड और संसद की दोनों सभाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक प्रेस से इस संबंध में जानकारी साझा नहीं करने की आवश्यकता के बारे में भी सूचित किया।

3. अधिकारियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी दिए जाने से पूर्व, समिति के सदस्यों ने सभी तीन विभागों के उन सचिवों की अनुपस्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होना था। समिति के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए कि समिति के समक्ष अंतिम निर्णय मंत्रालयों के उच्चतम अधिकारियों अर्थात् संबंधित विभाग के सचिव द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। यह सूचित करते हुए कि सचिवों ने बैठक से एक दिन पहले अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी थी, सभापति ने संबंधित मंत्रालयों और डी.पी.आई.आई.टी. के उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समिति की अप्रसन्नता से उन्हें अवगत कराएं और यह सुनिश्चित करें कि वे भविष्य में समिति के समक्ष उपस्थित हों।

4. वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों ने उनके द्वारा प्रशासित निम्नलिखित 5 अधिनियमों और निरपराधी कार्य के लिए विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।

- i. निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961,
- ii. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007,
- iii. फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011,
- iv. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 और
- v. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में जुर्माना लगाने के मौजूदा प्रावधानों को शास्ति से प्रतिस्थापित करने के लिए धारा 47 (2) में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार, परिणामी अंतः स्थापन में शास्ति देने और शास्ति उदगृहीत करने और उगाही के तरीके का उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया।

5. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में मामूली प्रक्रियात्मक विफलता के लिए शास्ति सहित जुर्माना लगाने के उपबंध को जुर्माने से प्रतिस्थापित कर धारा 26 (3) और 26 (6) में संशोधन करने का प्रस्ताव है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शास्ति उदग्रहण के तरीके के लिए परिणामी संशोधन के रूप में धारा 30 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।
6. तत्पश्चात, अधिकारियों ने फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 के बारे में जानकारी दी, जिसमें आर.बी.आई. द्वारा जुर्माना लगाने के उपबंध को शास्ति प्रतिस्थापित करने से हेतु धारा 21 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शास्ति उदग्रहण और वसूली करने के तरीके का उपबंध करने के लिए धारा 22 में परिणामी अंतःस्थापन का प्रस्ताव किया जा रहा है।
7. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत, धारा 49 की उप-धारा (2), (2 ख), (3) और (4) का इस धारा से लोप करने और इन्हें धारा 52 में उपयुक्त रूप से अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे एन.एच.बी. और आर.बी.आई. द्वारा जुर्माना लगाने के उपबंध को शास्ति से प्रतिस्थापित किया जा सके। एन.एच.बी. और आर.बी.आई. द्वारा दिए गए किसी भी निदेश का पालन करने में विफलता के मामले में लेखा परीक्षक को प्रतिबंधित करने या हटाने के लिए धारा 33 (ग) को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
8. तत्पश्चात, अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 56 (2) में संशोधन करने के औचित्य को स्पष्ट किया, जिसके तहत नाबार्ड द्वारा जुर्माना लगाने के बदले शास्ति का प्रस्ताव है। नाबार्ड द्वारा शास्ति के उदग्रहण और वसूली करने के तरीके का उपबंध करने के लिए धारा 56 में परिणामी अंतःस्थापन भी प्रस्तावित हैं।

(डी.ओ.एफ.एस. के अधिकारी साक्ष्यदेकर चले गए और फिर आर्थिक कार्य विभाग (डी.ओ.ई.ए.) के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया।)

9. आर्थिक कार्य विभाग के अधिकारियों ने समिति को लोक ऋण अधिनियम, 1944 में धारा 27 के प्रस्तावित लोप के बारे में जानकारी दी। बताए गए कारणों में से एक कारण लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 27 को लागू करने का अब तक कोई उदाहरण नहीं था।
10. तत्पश्चात, समिति को उच्च मूल्य वर्ग के बैंकनोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 की धारा 10 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में सूचित किया गया। यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10000 रुपये मूल्य-वर्ग के जारी किए गए नोटों के वैध मुद्रा चलन के संभावित उपयोग को समाप्त करने का उपबंध किया गया है। समिति ने जानना चाहा कि क्या वास्तव में इस संशोधन की आवश्यकता है या पूरे अधिनियम को निरस्त किया जा सकता है।

11. तत्पश्चात् समिति को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 30 (1) में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें मौजूदा कारावास और/या जुर्माने को केवल जुर्माने से प्रतिस्थापित किये जाने संबंधी उपबंध है।

{आर्थिक कार्य विभाग (डी.ओई.ई.ए.) के अधिकारी साक्ष्य देकर चले गए और उसके बाद राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बुलाया गया।}

12. इसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों ने समिति को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी। यह सूचित किया गया कि ये परिवर्तन संबंधित अधिनियमों में कतिपय निरपराधीरकण के परिणामस्वरूप हैं और चूंकि इन अपराधों का निरपराधीरकण किया जा रहा है, इसलिए इन्हें पी.एम.एल.ए., 2002 की अनुसूची से हटाया जा सकता है। समिति ने एक सामान्य टिप्पणी की कि सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, प्रस्तावित संशोधनों में सुझाए गए संशोधनों की संबंधित विभागों द्वारा जांच की जा सकती है और समिति द्वारा विधेयक पर खंड-वार विचार करने के लिए कारणों सहित उनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के बारे में एक विवरण तैयार किया जाना चाहिए।

इसके बाद समिति की बैठक स्थगित कर दी गई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड पृथक रूप से रखा गया

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 7 फरवरी, 2023 को समिति कक्ष संख्या 1, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 1500 बजे से 1715 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री पी. पी. चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

31. डॉ. संजय जायसवाल
32. श्री संजय सेठ
33. श्रीमती पूनम महाजन
34. श्रीमती अपराजिता सारंगी
35. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
36. श्री रतन लाल कटारिया
37. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
38. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
39. श्री गिरीश चन्द्र

राज्य सभा

40. श्री महेश जेठमलानी
41. श्री विवेक के. तंखा
42. श्री नारायण दास गुप्ता
43. श्री सुजीत कुमार

सचिवालय

5.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
6.	श्री एच. राम प्रकाश	-	निदेशक
7.	श्री राहुल सिंह	-	उपसचिव
8.	श्रीमती माया मेनन	-	अवर सचिव

साक्षी

क्रम सं. **मंत्रालय /विभाग**

प्रतिनिधि

1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)	i. श्री राजेश भूषण - सचिव ii. श्री जी. कमला राव - सी ई ओ, एफ एस एस ए आई iii. डॉक्टर वी. जी. सोमानी - डी सी जी आई iv. श्री सचिन मित्तल - संयुक्त सचिव v. श्री राजीव वधावन - सलाहकार
2.	रेल मंत्रालय	i. सुश्री जया वर्मा सिन्हा- सदस्य(संचालन और व्यवसाय विकास) एवं पदेन सचिव ii. श्री ज्योति कुमार सतीजा- डीआईजी (परियोजनाएं) iii. श्री रत्नेश कुमार झा - कार्यकारी निदेशक (जन शिकायत) iv. श्री विपुल सिंघल - निदेशक (यात्री विपणन)
3.	सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	i. श्रीमती अलका उपाध्याय - सचिव ii. श्री महमूद अहमद - अपर सचिव iii. डॉ पीयूष जैन - निदेशक, एमवीएल iv. श्री शाश्वत जिंदल - विधिक सलाहकार
4.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी)	iv. सुश्री मनमीत के. नंदा - संयुक्त सचिव v. सुश्री सुप्रिया देवस्थली - निदेशक

5. विधि और न्याय मंत्रालय
- i. श्री के. आर. साजी कुमार - संयुक्त सचिव और विधायी अधिवक्ता, (विधायी विभाग)
 - ii. डॉ अमित त्यागी - उप विधिक सलाहकार (विधि कार्य विभाग))

2. सर्वप्रथम, सभापति ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की अनुसूची में मंत्रालयों के विभागों द्वारा प्रवर्तित अधिनियमों से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बुलाई गई बैठक में सदस्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. सभापति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों से (i) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अनुसूची में क्रम सं. 6), (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (अनुसूची में क्रम सं. 35) और (iii) भेषजी अधिनियम, 1948 (अनुसूची में क्रम सं. 9) में प्रस्तावित संशोधनों के कारणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए कहा। मंत्रालय के अधिकारियों ने विधेयक में प्रस्तावित अधिनियमों में संशोधनों के कारण बताते हुए पावर-पॉइंट प्रस्तुति दी। समिति ने पाया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में धारा 59 (आई), 61 और 63 में प्रस्तावित संशोधनों में कारावास खंड को हटाने और जुर्माना बढ़ाने का उपबंध है, समिति ने सुझाव दिया कि चूंकि उक्त धाराएं असुरक्षित भोजन, गलत जानकारी और बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने से संबंधित हैं और लोगों को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं, कारावास के उपबंध को बरकरार रखा जा सकता है; धारा 59 (आई) और 63 में 'कारावास' की अवधि को घटाकर तीन महीने किया जा सकता है।

4. इसी प्रकार, भेषजी अधिनियम, 1948 में, धारा 26 ए (3), धारा 41 (1) और धारा 42 (2) में प्रस्तावित संशोधनों में कारावास के खंडों को हटाने और जुर्माने में वृद्धि करने तथा जुर्माने के प्रशमन का भी उपबंध है। समिति ने नोट किया कि ये धाराएं भेषजी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में निरीक्षक को जानबूझकर बाधित करने, पंजीकरण के झूठे दावे के लिए जुर्माने और अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वितरण से संबंधित हैं, और इसलिए, ये सभी गंभीर मुद्दे हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उसने सुझाव दिया कि कारावास के खंडों को छह महीने के बजाय तीन महीने तक बनाए रखा जा सकता है ताकि प्रभावी निवारक सुनिश्चित किया जा सके।

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी वापस चले गए और तत्पश्चात रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बुलाया गया)

5. तत्पश्चात् समिति को रेल मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा विधेयक की अनुसूची में क्र.सं.27 पर उल्लिखित रेल अधिनियम, 1989 की धारा 144(2) में प्रस्तावित संशोधन के बारे में जानकारी दी गई। प्रस्तावित संशोधन किसी रेल गाड़ी या रेलवे के किसी भाग में भीक्षावृत्ति से संबंधित है जिसके लिए वर्तमान में कारावास या जुर्माना संबंधी दंड का प्रावधान है। अब इस दंड प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। समिति रेल मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दिये गए तर्कों से सहमत थी, लेकिन यह टिप्पणी की कि वैध प्लेटफॉर्म टिकट के बिना प्लेटफॉर्म में उपस्थिति, ट्रेन में अनाधिकृत यात्रा, नशे की हालत में अभद्र व्यवहार, आदि जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें कारावास की सजा हो सकती है और इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है तथा ऐसे मामले कई वर्षों तक चलते रहते हैं, जिन्हें अपराध की श्रेणी से हटाए जाने की आवश्यकता है। अतः समिति ने टिप्पणी की कि मंत्रालय को रेलवे अधिनियम, 1989 विद्यमान अन्य दंडात्मक प्रावधानों पर फिर से विचार करना चाहिए और छोटे प्रकृति के अपराधों के लिए उतनेप्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा देना चाहिए जितने को अन्य मंत्रालयों द्वारा हटा दिया गया है जिन्होंने कई प्रावधानों की जांच की है तथा जीवन यापन और कारोबार करने की सुगमता के लिए संशोधन लाए हैं।

(रेल मंत्रालय के अधिकारी वापस चले गए और तत्पश्चात् सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिए)

6. तत्पश्चात् समिति को सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी गई, जैसा कि विधेयक की अनुसूची में क्रम संख्या 26 पर उल्लेख किया गया है। प्रस्तावित संशोधन मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाए जाने और धारा 192 (ए) धारा 200 (1) और धारा 215 से संबंधित हैं। यह विस्तार से बताया गया था कि धारा 192 (ए) जो बिना परमिट के वाहन का उपयोग करने से संबंधित है जिसके लिए एक वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है तथा जिसे संशोधित कर कारावास 'और/या' जुर्माना करने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि इसे एक विसंगति माना जाता है न कि एक बड़ा अपराध। धारा 200(1) कुछ अपराधों की संरचना को संदर्भित करती है और धारा 177(ए), 192बी(3) और धारा 201 को अपराधों के प्रशमन के लिए इस धारा के तहत शामिल किया गया है। ये अपराध बहुत छोटे प्रकृति के हैं और इसलिए इन मामलों में कार्रवाई प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। तीसरा संशोधन धारा 215 से संबंधित है जिसमें जिला सड़क सुरक्षा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है और जहां राज्य सरकारों ने इन समितियों का गठन

नहीं किया है, वहां केंद्र सरकार इन समितियों का गठन निर्धारित नियमों और शर्तों पर करेगी और इसमें एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार के ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें आवश्यक समझा जाता है। समिति ने बताया कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन में केवल एक प्रावधान है और मंत्रालय की पावर प्वाइंट प्रस्तुति में दो प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और सुझाव दिया कि मंत्रालय को विसंगति को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

7. समिति ने एक सामान्य टिप्पणी की कि सभी मंत्रालयों को समिति द्वारा दिए गए सुझावों की जांच करनी चाहिए और विधेयक की खंडवार जांच के दौरान अपनी-अपनी सुविचारित प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए।

8. सभापति ने समिति के सदस्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों को उनके समक्ष उपस्थित होने और उनके मंत्रालयों से संबंधित विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के औचित्य को स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात समिति स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख अलग से रखा गया है।

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022**सम्बन्धी संयुक्त समिति****समिति की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश**

समिति की बैठक गुरुवार, 9 फरवरी, 2023 को समिति कक्ष संख्या 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में 1500 बजे से 1915 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री पी.पी. चौधरी - सभापति

सदस्य**लोक सभा**

2. श्री उदय प्रताप सिंह
3. श्री संजय सेठ
4. श्री खगेन मुर्मू
5. श्रीमती पूनम महाजन
6. श्रीमती अपराजिता सारंगी
7. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
8. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
9. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

राज्य सभा

2. श्री घनश्याम तिवारी
3. श्री महेश जेठमलानी
4. श्री नारायण दास गुप्ता

सचिवालय

9. श्री विनय कुमार मोहन	- संयुक्त सचिव
10. श्री एच. राम प्रकाश	- निदेशक
11. श्री राहुल सिंह	- उप सचिव
12. सुश्री माया मेनन	- अवर सचिव

साक्षी

क्र.सं	मंत्रालय/विभाग	प्रतिनिधि
1.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	i. श्री अपूर्व चंद्रा - सचिव ii. सुश्री नीरजा शेखर - अपर सचिव iii. श्री विक्रम सहाय - संयुक्त सचिव iv. श्री संजीव शंकर - संयुक्त सचिव v. श्री पृथुल कुमार - संयुक्त सचिव
2.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	i. डॉ. जी.पी. सामंत - सचिव (एसएंडपीआई) और भारत के के मुख्य सांख्यिकीविद् ii. डॉ. बिबस चौधरी - अपर महानिदेशक iii. श्री घनश्याम - अपर महानिदेशक iv. श्री तनवीर कमर मोहम्मद - संयुक्त सचिव v. श्री परवीन शुक्ला - उप महानिदेशक vi. श्री सी.के.झा - उप महानिदेशक
3.	संचार मंत्रालय (डाक विभाग)	i. श्री विनीत पाण्डेय - सचिव ii. श्री जगन्नाथ श्रीनिवासन - डीडीजी (पीओ) iii. सुश्री अपराजिता मृधा - एसपी
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)	i. श्री रोहित कुमार सिंह - सचिव ii. सुश्री निधि खरे - अपर सचिव iii. श्री अनुपम मिश्रा - संयुक्त सचिव
5.	रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग)	i. श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा - विशेष सचिव ii. श्री राकेश मित्तल - संयुक्त सचिव iii. श्रीमती शर्मिष्ठा मैत्रा - निदेशक

- iv. श्री अजय कुमार शर्मा - डीजीडीई
 - v. श्रीमती सोनम यांगडोल - अपर महानिदेशक (कैंट)
 - vi. श्री दमन सिंह - डीजीजी (कैंट)
6. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
- i. श्री सुधान्श पंत - सचिव
 - ii. श्री राजेश कुमार सिन्हा-अपर सचिव (पीएसएंडडब्लू)
 - iii. श्री संजय बरियार - एडीजी (डीजी शिपिंग)
 - iv. श्री मनदीप सिंह रंधावा - निदेशक
7. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी)
- i. सुश्री मनमीत के. नंदा - संयुक्त सचिव
 - ii. सुश्री सुप्रिया देवस्थली - निदेशक
8. विधि और न्याय मंत्रालय
- i. श्री के.आर. साजी कुमार - संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधायी विभाग
 - ii. डॉ. अमित त्यागी -उप-विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

2. सर्वप्रथम, सभापति ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 की अनुसूची में उनके विभागों द्वारा लागू अधिनियमों से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई बैठक में सदस्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित किए जा रहे संबंधित अधिनियमों के तहत प्रस्तावित संशोधनों पर समिति के विचार-विमर्श के अनुसार दिए गए सुझावों की जांच करने और विधेयक पर खंड वार विचारण के दौरान उनकी प्रतिक्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए समिति द्वारा सभी मंत्रालयों के लिए एक सामान्य टिप्पणी की गई।

3. सभापति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों से (i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867, (ii) चलचित्र अधिनियम, 1952 और (iii) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों, जो विधेयक की अनुसूची के क्रमांक 01, 11 और 29 में उल्लिखित हैं, के कारणों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा।

4. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में प्रस्तावित परिवर्तनों की व्याख्या की, जिसमें धारा 12, 13, 14, 15क, 16, 16क, 16ख, 17 और 19ठ में संशोधन किया जा रहा है और 8ग(1), 8ग(2) और 19ट में परिणामी परिवर्तन हैं। तत्पश्चात,

चलचित्र अधिनियम, 1952 और धारा 7(1)(क)(i), 7(1)(क)(ii), 7(1)(क)(iik), 7(1)(ख), 7(1)(ग) और धारा 7(1) के उपबंधों के साथ-साथ धारा 7 की उप-धारा (4), धारा 8 की उप-धारा (2) और धारा 14 में नए उपबंधों को लिया गया। तत्पश्चात, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 16(1), धारा 16(2), धारा 16(3), धारा 17 और धारा 18 में प्रस्तावित संशोधनों और धारा 22(2) में नए उपबंधों को शामिल करने की व्याख्या की। सदस्यों ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधनों और इसके कारणों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे और मंत्रालयों के अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया।

5. तत्पश्चात सभापति ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को विधेयक की अनुसूची की क्रम सं. 39 पर उल्लिखित सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 में प्रस्तावित संशोधनों के कारणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने को कहा। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 को हटाये जाने का प्रस्ताव है। जुर्माना बढ़ाने के लिए धारा 15(1) व धारा 15(2) में संशोधन किया जा रहा है।

6. तत्पश्चात सभापति ने संचार मंत्रालय के डाक विभाग के प्रतिनिधियों को विधेयक की अनुसूची की क्र. सं. 02 पर उल्लिखित भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में प्रस्तावित संशोधनों के कारणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने को कहा। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि धारा 49 से 72 (23 धाराएं) पुरानी होने और अब प्रासंगिक नहीं होने के कारण विधेयक से हटाए जाने का प्रस्ताव है और अन्य मौजूदा नियमों, कानूनों और प्रावधानों को उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लागू किया जा सकता है।

(अधिकारी साक्ष्य देकर चले गए और फिर मंत्रालयों/विभागों अर्थात् उपभोक्ता मामले विभाग, रक्षा विभाग और पोत परिवहन, पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अगले समूह को समिति के समक्ष बुलाया गया)

7. तत्पश्चात सभापति ने उपभोक्ता मामले विभाग के प्रतिनिधियों को विधेयक की अनुसूची की क्र.सं. 40 में उल्लिखित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 में प्रस्तावित संशोधनों के कारणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने को कहा। विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 25 से 47 पहले अपराध के मामले में जुर्माना और दूसरे और बाद के अपराध के मामले में कारावास या जुर्माना या दोनों के रूप में विभिन्न दंडों का प्रावधान करती है।

विधेयक में आठ धाराओं अर्थात् धारा 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35 और 48 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि कुछ छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके।

8. तत्पश्चात् सभापति ने रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को विधेयक की अनुसूची की क्र.सं. 37 पर उल्लिखित छावनी अधिनियम, 2006 में प्रस्तावित संशोधनों के कारणों के बारे में जानकारी देने को कहा। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि धारा 156, 185, 285, 286, 287, 289, 300, 314, 331, 332 और अनुसूची IV में संशोधन करने का प्रस्ताव है। अधिकारियों ने औचित्य के साथ मौजूदा और प्रस्तावित संशोधनों की व्याख्या करते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। धारा 156, 285, 286, 287(1), 289(5), 301 के संबंध में समिति ने संशोधनों के औचित्य के लिए और विस्तृत प्रतिक्रिया की मांग की। समिति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे इस खंड में अन्य अधिनियमों की प्रयोज्यता की जांच करें और समिति पूरा विधेयक पर खंड वार विचार करने हेतु समिति के समक्ष उपस्थित होने से पहले अंतिम निर्णय ले।

9. तत्पश्चात् सभापति ने पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में प्रस्तावित संशोधनों के कारणों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देने को कहा। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 436(2) के तहत एक पूरी तालिका है जो इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान करती है। प्रस्तावित संशोधनों में, मार्गदर्शक सिद्धांत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और सजा को कारावास और/या जुर्माने या दोनों से कम करके दंड में बदलना है। कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन के प्रशमन और जुर्माना लगाने के लिए एक नये प्रावधान का प्रस्ताव किया जा रहा है। सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगा और अधिकारियों ने उस का जवाब दिया।

10. सभापति ने समिति के सदस्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों को उनके समक्ष उपस्थित होने और उनके मंत्रालयों से संबंधित विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के औचित्य को स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड अलग से रखा गया।

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति**समिति की आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश**

संयुक्त समिति की आठवीं बैठक गुरुवार, 16 फरवरी 2023 को 1100 बजे से 1430 बजे तक समिति कमरा सं. जी074, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

उपस्थित**श्री पी.पी. चौधरी****-****सभापति****सदस्य****लोक सभा**

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. डॉ. संजय जायसवाल
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. श्रीमती पूनम महाजन
6. श्री पिनाकी मिश्रा
7. श्री खगेन मुर्मु

राज्य सभा

8. श्री घनश्याम तिवाड़ी
9. श्री विवेक के. तन्खा
10. श्री नारायण दास गुप्ता
11. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल

सचिवालय

13. श्री एच. राम प्रकाश - निदेशक
14. श्री राहुल सिंह - उप सचिव
15. सुश्री माया मेनन - अवर सचिव

साक्षी

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	प्रतिनिधि
1.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)	i. श्री अनुराग जैन, सचिव ii. श्री आर. एस. ठाकुर, अपर सचिव iii. सुश्री श्रुति सिंह, संयुक्त सचिव iv. सुश्री मनमीत नन्दा, संयुक्त सचिव v. सुश्री सुप्रिया देवस्थली, निदेशक
2.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)	i. श्री राजेश अग्रवाल, अपर सचिव ii. डॉ. के. एन. राघवन, कार्यकारी निदेशक रबड़ बोर्ड iii. श्री डी. साथियन, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड iv. श्री के. एस. प्रदीप, सचिव, एमपीईडीए v. श्री सौरभ पहारी, उप-सभापति, टी बोर्ड vi. श्री नीरज गाबा, निदेशक vii. श्री प्रवीण कुमार, निदेशक
3.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)	i. सुश्री निधि खरे, अपर सचिव ii. श्री अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव iii. श्री एन. नटराजन, निदेशक
4.	संचार मंत्रालय (डाक विभाग)	i. श्री विनीत पांडेय, सचिव ii. श्री जगन्नाथ श्रीनिवासन, डीडीजी (पीओ)
5.	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	i. श्री अजय सेठ, सचिव ii. श्री आशीष वाछानी, अपर सचिव (बजट) iii. श्री राजेव सक्सेना, संयुक्त सचिव (निवेश) iv. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (बीपी एंड सीटी)

6.	वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग)	i. श्री सुचिन्द्र मिश्रा, अपर सचिव ii. श्री पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव iii. सुश्री सुषमा किंदों, संयुक्त निदेशक iv. श्री राघव भट्ट , उप-निदेशक v. श्री शुभांशु शेखर, ओएसडी
7.	रेल मंत्रालय	i. सुश्री जया वर्मा सिन्हा, सदस्य (प्रचालन एवं व्यवसाय विकास) एंड पदेन सचिव, रेलवे बोर्ड ii. श्री रत्नेश कुमार झा, कार्यकारी निदेशक (लोक शिकायत), रेलवे बोर्ड iii. श्री विपुल सिंघल, निदेशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड
8.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	i. श्री संजीव चोपड़ा, सचिव ii. श्री अशोक के.के. मीणा, सीएमडी iii. श्री सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव iv. श्री अमित कुमार सिंह, एमडी
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)	i. श्री राजेश भूषण, सचिव ii. श्री जी कमला वर्धन राव, सीईओ, एफएसएसएआई iii. डॉ. वी.जी. सोमानी, डीसीजीआई iv. श्री सचिन मित्तल, संयुक्त सचिव v. श्री राजीव वाधवां, सलाहकार
10.	विधि और न्याय मंत्रालय	i. सुश्री सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार (विधि कार्य विभाग) ii. श्री के.आर. सजी कुमार, संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार, (विधायी विभाग) iii. श्री विनय कुमार मिश्रा, विधायी उप-सलाहकार, (विधायी विभाग)

2. सर्वप्रथम माननीय सभापति ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 पर खंड-वार विचार करने के लिए बुलाई गई संयुक्त समिति की आठवीं बैठक में सदस्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, सभापति ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रतिनिधियों को विधेयक की अनुसूची की क्रम संख्या 03,13,31,10,18 और 30 में उल्लिखित अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर समिति की बैठकों के दौरान हुए विचार-विमर्श के अनुसार किए गए संशोधनों पर समिति को संक्षिप्त जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामलों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधनों को लागू करने के संबंध में दिए गए सुझाव को छोड़कर समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों को उनके विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और तदनुसार शामिल कर लिया गया है।

(इसके बाद डीपीआईआईटी के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात् डाक विभाग के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बुलाया गया)

4. संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निरपराधीकरण के लिए विधेयक में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 49 से 72 को हटाने का प्रस्ताव किया गया है और समिति ने इसे स्वीकार कर लिया है। विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों में और कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(इसके बाद डाक विभाग (डीओपी) के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात् आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष आमंत्रित किया गया)

5. तत्पश्चात्, आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि समिति के सुझावों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 की धारा 3(1) में दंड सहित जुर्माने के प्रावधान में सुधार और तदनुसार परिणामी परिवर्तन करने हेतु संशोधन को स्वीकार कर लिया गया है। उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1944 के संबंध में मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया है और अधिनियम को निरस्त किया जा सकता है। समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि को विधेयक पर विचार करने और उसे अंगीकार करने के लिए इसका एक प्रारूप प्रस्तुत करने को कहा।

(इसके बाद डीईए के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात् वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया)

6. इसके बाद वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति के सुझावों के अनुसार किए गए संशोधनों पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने बताया कि जहां भी जुर्माना/कारावास को शास्तियों से प्रतिस्थापित किया गया है, वहां न्यायनिर्णय और अपील का विकल्प शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने समिति के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है और

अधिनियम में आवश्यक बदलाव किए गए हैं जिन्हें पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में दर्शाया गया है। समिति ने पाया कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करते हुए न्यायनिर्णय और अपील तंत्र के लिए अलग-अलग धाराएँ बनाई जा सकती हैं। समिति ने संशोधनों के अनुरूप किए जा रहे बदलावों के संबंध में प्रश्न किए और अधिकारियों ने तदनुसार स्पष्टीकरण दिया। विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों को विधेयक पर विचार करने और अपनाने के लिए समिति के विचार-विमर्श के अनुसार संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। सदस्य अधिवक्ता डीन कुरियाकोस द्वारा रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 11, उप-धारा (3), धारा 13, उप-धारा (3) और धारा 26, उप-धारा (1) तथा चाय अधिनियम, 1953 की धारा 38 से 42 तक में प्रस्तावित खंड वार संशोधनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और उनको स्वीकार नहीं किया गया।

(इसके बाद अधिकारी चले गए और तत्पश्चात् रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बुलाया गया)

7. रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया। अधिकारियों ने समिति को सूचित किया कि वे रेलवे डिब्बों या परिसर में भीख मांगने से संबन्धित प्रावधानों को संशोधित कर रहे हैं और वे अधिनियम के अन्य प्रावधानों की समीक्षा करेंगे। समिति ने पाया कि रेलवे अधिनियम के प्रावधानों में निरपराधीकरण की अधिक संभावनाएं हैं और मंत्रालय से ऐसे अन्य प्रावधानों का पता लगाने और पहचान करने को कहा जिनका निरपराधीकरण किया जा सकता है।

(इसके बाद रेल मंत्रालय के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात् उपभोक्ता मामले विभाग के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बुलाया गया)

8. उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों ने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 25 में, पहले अपराध, दूसरे अपराध और तीसरे और बाद के अपराधों के लिए जुर्माने की राशि समिति के सुझावों के अनुसार संशोधित कर क्रमशः एक लाख, दो लाख और पांच लाख रुपये कर दी गई है। समिति के शेष सुझावों को भी मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और तदनुसार संशोधन किए गए थे जिन्हें पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में दर्शाया गया था।

(इसके बाद उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित हुये)

9. इसके बाद, सभापति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को विधेयक की अनुसूची के क्रमांक 6, 9 और 35 में उल्लिखित अधिनियमों के लिए समिति के सुझावों पर मंत्रालय की राय के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेने के लिए आमंत्रित किया। मंत्रालय के अधिकारियों

ने कहा कि औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 29 और 30(2), खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59(i), 61 और 63 और भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 26ए, 41 और 42 से संबन्धित समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है और प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन कर लिए गए हैं जिन्हें समिति को प्रेजेंटेशन में दिखाया गया। सदस्य अधिवक्ता डीन कुरियाकोस द्वारा धारा 30, उप-धारा (2) और धारा 32ख, उप-धारा (1) में प्रस्तावित खंड वार संशोधनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और उनको स्वीकार नहीं किया गया।

(इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात् वित्तीय सेवाएँ विभाग के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बुलाया गया)

10. वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधियों को विधेयक में प्रस्तावित उनके मंत्रालय से संबंधित संशोधनों पर समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर उनकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि 4 अधिनियमों को जिन संबंधित विभागों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, उन्होंने समिति के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार संशोधन कर समिति को प्रस्तुत किया है। समिति ने पाया कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 47 (4) के संदर्भ में सूचना जारी करने में स्पष्टता का अभाव था और समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग से स्पष्टीकरण मांगा। समिति ने मंत्रालय के अधिकारियों से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 56 की उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रमुख सिविल न्यायालय के आशय पर पुनः विचार करने के लिए कहा, ताकि व्याख्या और पदनाम में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

(इस समय डीओएफएस के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात् खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बुलाया गया)

11. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विधेयक की अनुसूची के क्रम संख्या 06, 09 और 35 पर उल्लिखित अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर समिति के सुझावों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों को समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

12. सभापति ने निदेश दिया कि समिति द्वारा स्वीकृत संशोधन आवश्यकतानुसार परिणामी संशोधनों के साथ विधेयक में शामिल किए जाएँ। तत्पश्चात् सभापति ने समिति के सदस्यों और मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई ।

जन विश्वास संबंधी संयुक्त समिति (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022

समिति की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 17 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1345 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.पी. चौधरी

-

सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री उदय प्रताप सिंह
3. श्री खगेन मुर्मु
4. श्रीमती पूनम महाजन
5. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
6. श्री रतन लाल कटारिया
7. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

राज्य सभा

8. श्री घनश्याम तिवाड़ी
9. श्री महेश जेठमलानी
10. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
11. श्री विवेक के. तन्खा
12. डॉ. कनिमोझी एनविएन सोमू
13. श्री नारायण दास गुप्ता

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	संयुक्त सचिव
2.	श्री एच. राम प्रकाश	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	उप सचिव
4.	श्रीमती माया मेनन	अवर सचिव

साक्षी

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग		प्रतिनिधि
1.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	i.	श्री अपूर्वा चंद्रा - सचिव
		ii.	सुश्री नीरजा शेखर - अपर सचिव
		iii.	श्री विक्रम सहाय - संयुक्त सचिव
		iv.	श्री संजीव शंकर - संयुक्त सचिव
2.	रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग)	i.	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा - विशेष सचिव
		ii.	श्री राकेश मित्तल - संयुक्त सचिव
		iii.	श्रीमती शर्मिष्ठा मैत्रा - निदेशक
		iv.	श्री अजय कुमार शर्मा - डीजीडीई
		v.	श्रीमती सोनम यांगडोल - अपर महानिदेशक (छावनी)
		vi.	मेजर जनरल आर.एस. रावल - एडीजी (एलडब्ल्यूई)
3.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	i.	श्री सुधांशु पंत - सचिव
		ii.	श्री राजेश कुमार सिन्हा - अपर सचिव (पीएसएंडडब्ल्यू)
		iii.	श्री मनदीप सिंह रंधावा - निदेशक
4.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	i.	डॉ. जी.पी. सामंत - सचिव (एसएंडपीआई) और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद
		ii.	श्री घन श्याम - अपर महानिदेशक
		iii.	श्री परवीन शुक्ला - उप महानिदेशक

5.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	i.	सुश्री लीना नंदन - सचिव
		ii.	श्री चंद्र प्रकाश गोयल - डीजीएफ एंड एसएस
		iii.	श्री बिवाश रंजन - एडीजीएफ
		iv.	श्री नरेश पाल गंगवार - अपर सचिव
		v.	श्री आर. रघु प्रसाद - वन महानिरीक्षक
6.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	i.	श्री अलकेश कुमार शर्मा - सचिव
		ii.	श्री अमित अग्रवाल - अपर सचिव
		iii.	सुश्री विदुषी चतुर्वेदी - डीडीजी
		iv.	श्री अतुल कुमार चौधरी - डीडीजी
		v.	श्री राकेश माहेश्वरी - वैज्ञानिक 'जी' और जीसी
7.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		श्री जयदीप - संयुक्त सचिव और ओएसडी
8.	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)		श्री संजय मल्होत्रा - सचिव
9.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)	i.	श्री मनोज आहूजा - सचिव
		ii.	डॉ. विजया लक्ष्मी नडैदला - संयुक्त सचिव
10.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	i.	श्री महमूद अहमद - अपर सचिव
		ii.	डॉ पीयूष जैन - निदेशक
		iii.	श्री शाश्वत जिंदल - कानूनी सलाहकार
11.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी)	i.	सुश्री मनमीत के. नंदा - संयुक्त सचिव
		ii.	सुश्री सुप्रिया देवस्थली - निदेशक
12.	विधि और न्याय मंत्रालय	i.	सुश्री सुनीता आनंद - संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार, विधि कार्य विभाग
		ii.	श्री के.आर. साजी कुमार - संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, (विधायी विभाग)

2. सर्वप्रथम, सभापति ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 के खंड वार पाठ के लिए बुलाई गई बैठक में सदस्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. सभापति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का आग्रह किया और उनको स्वीकार करने या नहीं करने के बारे में बताने का आग्रह किया। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि धारा 5, 5(घ) और 5(ड) के संबंध में समिति द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है और प्रावधानों में संशोधन कर दिए गए हैं। समिति ने मंत्रालय के विचार को स्वीकार किया और विधायी विभाग को संशोधित विधेयक में उचित संशोधन करने की सलाह दी।

(कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात राजस्व विभाग (डीओआर) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया)

4. तत्पश्चात, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में अपने विचार समिति के समक्ष रखे। राजस्व विभाग के सचिव ने बताया कि विधेयक में धन शोधन अधिनियम से संबंधित प्रस्तावित सभी संशोधन परिणामी संशोधन हैं, क्योंकि कुछ अधिनियमों में कई प्रावधान अपराध की श्रेणी से हटा दिए गए हैं। धन शोधन अधिनियम के लागू होने के लिए किसी भी अपराध का आगम प्रारंभिक बिंदु होता है। इसलिए, मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अन्य अधिनियमों में किए गए अन्य संशोधनों के अनुरूप विधेयक में संशोधन किए हैं। समिति ने विधेयक के संबंध में मंत्रालय के दृष्टिकोण को स्वीकार किया।

(डीओआर के अधिकारियों के चले जाने के पश्चात पत्तन, पोत पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया गया)

5. तत्पश्चात, विधेयक द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी के दौरान समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में मंत्रालय के निर्णय की व्याख्या करने के लिए पोत, पोत पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव को बुलाया गया। प्रतिनिधियों ने बताया कि विधेयक में प्रस्तावित धारा 344छ के तहत 108ड(क) और 108ड(ख) में किए गए संशोधनों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसके बजाय समिति के सुझाव के अनुसार प्रावधानों को अधिनियम में बनाए रखा जाएगा। शेष प्रस्तावित संशोधनों की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है और समिति ने उन्हें स्वीकार कर लिया है।

(एमओपीएसडब्ल्यू के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया)

6. तत्पश्चात, समिति ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधनों पर समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर मंत्रालय के विचार प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया। प्रतिनिधियों ने बताया कि धारा 59(2), 63, 65 के संबंध में दिए गए सुझावों और अधिनियम में परिणामी संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है और

प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं। समिति ने धारा 63 के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे और प्रतिनिधियों ने इसे स्पष्ट किया।

(एमओएचयू के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया गया)

7. तत्पश्चात, समिति ने सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 में प्रस्तावित संशोधनों पर समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि समिति ने धारा 15(1) और 15(2) के संबंध में सुझाव दिए हैं। 'दंडनीय' शब्द को 'दायी' और 'जुर्माने' को 'दंड' से प्रतिस्थापित किया जाना था। दंड की राशि बढ़ाई भी जा सकती है। इसी तरह, धारा 15(2) के सुझाव में, समिति ने 'दोषसिद्धि' शब्द को 'अधिरोपण' और 'दंडनीय' शब्द को 'दायी' से प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है और समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं।

(एमओएसपीआई के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया)

8. तत्पश्चात, समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों से समिति द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों में दिए गए सुझावों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में, उन्होंने समिति द्वारा धारा 16, 16(2) और 22(2)(घख) के संबंध में दिए गए सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार, संशोधन के पश्चात विधेयक को प्रावधानों को समिति के साथ साझा किया गया। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि समिति ने चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 15 में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया था, जिस पर मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है और तदनुसार संशोधित प्रावधानों को समिति के साथ साझा किया गया।

तत्पश्चात, प्रतिनिधियों ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 19(ट) के संबंध में दिए गए समिति के सुझावों को स्वीकार करने के बारे में बताया और जहां विधेयक में 'के साथ दंडनीय' शब्दों को 'उत्तरदायी' के साथ प्रतिस्थापित किया जाना था और संशोधित नियमन समिति के साथ साझा किया गया था। इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्य एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा प्रस्तावित प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8ग के खंड वार संशोधन पर समिति ने विचार किया और स्वीकार नहीं किया।

(एमओआईबी के अधिकारी चले गए और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बुलाया गया)

9. रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को छावनी अधिनियम, 2006 में विभिन्न संशोधनों के संबंध में समिति के सुझावों के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि समिति द्वारा धारा 156, 285, 286, 287, 289(5) और 332(1) के संबंध में दिए गए सुझावों की सेना मुख्यालय के परामर्श से जांच की गई और विद्यमान प्रावधानों को बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया और विधेयक में संशोधनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। मंत्रालय के बदले हुए दृष्टिकोण के कारण अनुसूची IV में परिणामी संशोधन भी आंशिक रूप से किए जाएंगे। समिति ने मंत्रालय के अधिकारियों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और जिनको उक्त अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया।

(रक्षा मंत्रालय के अधिकारी चले गए और तत्पश्चात इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया गया)

10. तत्पश्चात, समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 में संशोधनों पर मंत्रालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए कहा। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि धारा 2(1), 45, 46 और 72क के संबंध में समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है और प्रावधानों में किए गए आवश्यक संशोधन समिति के साथ साझा कर दिए गए हैं। तथापि, धारा 72 के संबंध में कारावास और जुर्माने के प्रावधान को बनाए रखने के समिति के सुझाव को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया जिसमें उन्होंने यह औचित्य दिया कि प्रस्तावित संशोधन प्रभावी निवारक होंगे और ये मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अनुरूप हैं। समिति ने मंत्रालय की इस राय को मान लिया। फिर, प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि आधार अधिनियम, 2016 में प्रस्तावित संशोधनों में कारावास के प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में समिति द्वारा दिए गए सुझाव स्वीकार्य हैं और उन्हें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में समुचित रूप से शामिल किया जाएगा।

(इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी चले गए और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के समक्ष

साक्ष्य देने हेतु आए)

11. इसके बाद समिति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के सुझावों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि धारा 21 और 39 क के संबंध में वायु अधिनियम, 1981 के संबंध में समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। इसी प्रकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के संबंध में, धारा 15 के संबंध में सुझावों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा, धारा 26 और 33 के संबंध में भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन के बारे में समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। अंत में, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में, धारा 15 के संबंध में समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है। समिति के विचारों की स्वीकृति के बाद संशोधन को समिति को प्रेजेंटेशन में दिखाया गया।

(तत्पश्चात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी चले गए और तदुपरांत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को समिति के समक्ष बुलाया गया)

12. इसके बाद समिति ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से विधेयक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रस्तावित संशोधनों के लिए समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अपने विचार रखने के लिए कहा। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कहा कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 200 और 215 के संबंध में समिति के सुझावों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में विधेयक की भाषा में किए गए समुचित संशोधन को समिति को दिखाया गया।

13. इसके बाद समिति ने खंड 1 से 4, अधिनियमन सूत्र और विधेयक के वृहत् नाम पर विचार किया। समिति ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वृहत् नाम में "छोटे अपराधों" शब्दों को "कतिपय अपराधों" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए और गणराज्य और कैलेंडर वर्ष में परिवर्तन के कारण अधिनियमन सूत्र में वर्ष "2022" और गणराज्य के वर्ष में भी संशोधन किया जाए। सभापति ने विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के अधिकारियों को निदेश दिया कि वे विधेयक के खंड-वार पठन द्वारा स्वीकार किए गए सभी संशोधनों को समुचित रूप से शामिल करें और 23 फरवरी, 2023 तक सचिवालय को प्रारूप संशोधित विधेयक उपलब्ध कराएं।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।
कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड अलग से रखा गया है।

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति**समिति की दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश**

समिति की बैठक सोमवार, 13 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.पी. चौधरी - सभापति

सदस्य**लोक सभा**

2. डॉ. संजय जायसवाल
3. श्री उदय प्रताप सिंह
4. श्री संजय सेठ
5. श्री खगेन मुर्मू
6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
7. श्री रतन लाल कटारिया
8. श्री गिरीश चन्द्र

राज्य सभा

9. श्री घनश्याम तिवाड़ी
10. श्री महेश जेठमलानी
11. श्री विवेक केतन्खा .
12. श्री सुखेन्दु शेखर राय
13. डॉकनिमोझी एनवीएन सोमू .
14. श्री नारायण दास गुप्ता
15. श्री सुजीत कुमार

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	संयुक्त सचिव
2.	श्री एचराम प्रकाश .	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	उप सचिव
4.	श्रीमती माया मेनन	अवर सचिव

साक्षी

क्र.सं.	मंत्रालयविभाग/		प्रतिनिधि
1.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी)	i.	सुश्री मनमीत के. नंदा- संयुक्त सचिव
		ii.	सुश्री सुप्रिया देवस्थली- निदेशक
2.	विधि और न्याय मंत्रालय	i.	श्री के.आर. सजि कुमार- संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायी विभाग

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए आयोजित समिति की दसवीं बैठक में सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर समग्र रूप से विचार किया और उसे स्वीकार किया। सभापति ने यह भी सूचित किया कि यदि कोई सदस्य विमत टिप्पण प्रस्तुत करना चाहते हों तो वह उसे 14 मार्च, 2023 को संध्या 05.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं और उसकी प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाएगी और गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

3. समिति ने सभापति को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और लोक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए लोक सभा के एक वैकल्पिक सदस्य का चयन करने के लिए भी प्राधिकृत किया। समिति ने प्रतिवेदन को राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए राज्य सभा के सदस्य और सभा पटल पर प्रतिवेदन को रखने के लिए वैकल्पिक सदस्य के नामों का भी चयन किया। यह भी निर्णय किया गया कि समिति की बैठकों की कार्यवाही को संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसदीय ज्ञानपीठ में रखा जाए।

4. समिति ने सचिवालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के अधिकारियों की भी सराहना की।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022

संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार

[अधोरेखांकित शब्द संयुक्त समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को और तारांकन (***)
लोपों को उपदर्शित करते हैं]

2022 का विधेयक संख्यांक 299

[दि जन विश्वास (अमेंडमेंट आफ प्रोविजन्स) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023

जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की
और वृद्धि करने के लिए (***) अपराधों का निरापराधीकरण और
सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियाँ
का संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन)
अधिनियम, 2023 है।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा नियत करें और अनुसूची (***) में वर्णित विभिन्न अधिनियमितियों से संबंधित
संशोधनों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

कतिपय
अधिनियमितियों
का संशोधन ।

जुर्माने और
शास्तियों का
पुनरीक्षण ।

व्यावृत्ति ।

2. अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों का उस सीमा तक और रीति में, जो उसके स्तंभ (5) में उल्लिखित हैं, संशोधन किया जाता है ।

3. अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों के विभिन्न उपबंधों के अधीन उपबंधित जुर्माने और शास्तियों को इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, उसके लिए विहित यथास्थिति, जुर्माने या शास्ति की न्यूनतम रकम में दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

4. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति लागू होती है, सम्मिलित की गई है या निर्दिष्ट की गई है ;

और यह अधिनियम पहले ही की गई या हुई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, जो पहले ही अर्जित कर लिया गया है, उद्भूत हुआ है या उपगत हुआ है, को या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता से निर्मुक्ति या उसका उन्मोचन, दायित्व, दावे या मांग या किसी क्षतिपूर्ति, जो पहले ही अनुदत्त है या किसी पूर्व कृत्य या चीज के सबूत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा ;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, किसी अभिवचन के प्ररूप या क्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान रूढ़ि, प्रथा, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि उसकी क्रमशः किसी रीति में पुष्टि की गई है या मान्यता दी गई है या किसी अन्य अधिनियमिति, जिसका संशोधन या निरसन किया गया है, द्वारा उद्भूत की गई है, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ;

न ही इस अधिनियम द्वारा किसी संशोधन या निरसन से अन्य अधिनियमिति को पुनर्जीवित या किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य मामले या चीज, जो विद्यमान नहीं है या प्रवृत्त नहीं है, को बहाल किया जाएगा ।

अनुसूची
(धारा 2 देखिए)

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1867	25	प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867	(अ) धारा 8 में,— (i) उपधारा (1) में, “धारा 8ख के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात् “या धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रेस रजिस्ट्रार के किसी आदेश को निलंबित करने या रद्द करने वाले आदेश से या धारा 13 के अधीन या धारा 19ट के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने की” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ; (ii) उपधारा (2) में, “मजिस्ट्रेट से अभिलेखों” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या प्रेस रजिस्ट्रार से अभिलेखों” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 12 से धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— “12. रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्द किया जाना— (1) प्रेस रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, किसी समाचारपत्र के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा, यदि— (क) प्रकाशक समाचारपत्र को लगातार प्रकाशित करने में असमर्थ रहा है ; स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि समाचारपत्र अपने अंकों के आधे से कम का प्रकाशन करता है जैसा कि धारा 5 के नियम (6) के अधीन प्रकाशन करना अपेक्षित है तो ऐसे समाचारपत्र के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह लगातार प्रकाशन करने में असमर्थ रहा है ; या (ख) किसी समाचारपत्र के प्रकाशक ने वार्षिक विवरण में मिथ्या विशिष्टियां दी हैं ; या (ग) किसी समाचारपत्र का प्रकाशक उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिसके लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने थे । (2) प्रेस रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को वहां रद्द कर सकेगा, जहां— (i) कोई समाचारपत्र चौबीस मास से अधिक की अवधि के लिए प्रकाशन से प्रविरत रहा है ;

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ii) किसी समाचारपत्र का प्रकाशक उस अवधि के अवसान के पश्चात् भी वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है जिसके दौरान रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र उपधारा (1) के (***) खंड (ग) के अधीन निलंबित किया गया था ;

(iii) रजिस्ट्रीकरण मिथ्या अभ्यावेदन या किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाने के आधार पर अभिप्राप्त किया गया था ;

(iv) समाचारपत्र का शीर्षक किसी अन्य समाचारपत्र के स्वामी द्वारा पहले से ही धृत उसी भाषा में भारत में कहीं भी या किसी अन्य भाषा में उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र (***) में वही और समान हक के साथ धृत हैं ।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्द करने का कोई आदेश, यथास्थिति, समाचारपत्र के प्रकाशक या स्वामी को सुनवाई का (***) युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन पारित निलंबन या रद्द करने के आदेश की प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाएगी ।

13. कतिपय उल्लंघन के लिए शास्ति—

प्रेस रजिस्ट्रार,—

(i) जो दस हजार रुपए से अधिक का न हो, जहां प्रकाशक धारा 3 में अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुरूपता से भिन्न कोई पुस्तक या पत्र मुद्रित करता है या प्रकाशित करता है ;

(ii) जो दस हजार रुपए से अधिक का न हो, जहां प्रेस कीपर धारा 4 में अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुरूपता में घोषणा करने और अभिदाय करने में असफल रहता है ;

(iii) जो बीस हजार रुपए से अधिक का न हो, जहां प्रकाशक धारा 19घ के खंड (क) के अधीन यथाअपेक्षित वार्षिक विवरण उस वित्तीय वर्ष के अन्त से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है जिसके संबंध में वार्षिक विवरण का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था;

(iv) जो बीस हजार रुपए से अधिक का न हो, जहां व्यक्ति जो अब किसी समाचार पत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रहा है या धारा 8 के उपबंधों के अनुपालन में कोई घोषणा करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है ;

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(v) पुस्तकों का परिदान करने में या धारा 9 में निर्दिष्ट मानचित्र सहित मुद्रण की आपूर्ति न करने के लिए दो हजार रुपए से अनधिक ; (vi) जो दो हजार रुपए से अधिक न हो, जहां समाचारपत्र का कोई मुद्रक धारा 11क और धारा 11ख के उपबंधों के अनुपालन में समाचारपत्र की प्रतियों का परिदान करने में उपेक्षा करता है ।”। (इ) धारा 15क से धारा 17 का लोप किया जाएगा । (ई) धारा 19ट के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— “19ट. धारा 19घ या धारा 19ड के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि किसी समाचारपत्र का प्रकाशक— (क) धारा 19घ के खंड (ख) या धारा 19ड के उपबंधों का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है ; या (ख) किसी समाचारपत्र से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों को धारा 19घ के खंड (ख) के अनुसरण में समाचारपत्र में प्रकाशित करता है, जिसके मिथ्या होने के बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है, तो वह शास्ति से, जो दस हजार रुपए से अधिक का न हो, (***) दायी होगा । (उ) धारा 19ठ का लोप किया जाएगा ।
2.	1898	6	भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898	अध्याय 10 का लोप किया जाएगा ।
3.	1923	5	बायलर अधिनियम, 1923	(अ) धारा 22 में,— (क) खंड (iii) में, “धारा 16” शब्दों और अंकों के स्थान पर “धारा 16 या” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(iv) किसी बायलर या बायलर घटक में हुई किसी दुर्घटना को रिपोर्ट करने से, जब धारा 18 के अधीन ऐसा करना अपेक्षित हो,” ; (ग) दीर्घ पंक्ति में <u>“जुर्माने से दंडनीय” शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी” शब्द रखे जाएंगे ;</u> (आ) धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “23. बायलर के अवैध उपयोग के लिए शास्ति— बायलर

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

का कोई ऐसा स्वामी जो—

(क) ऐसी दशा में, इस अधिनियम के अधीन बायलर के उपयोग के प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश की अपेक्षा की गई है, बायलर का या तो किसी ऐसे प्रमाणपत्र या प्रवृत्त आदेश के बिना या अनुज्ञेय उच्च दबाव पर प्रयोग करता है ; या

(ख) किसी बायलर का प्रयोग करता है या उसके प्रयोग की अनुमति देता है, जो धारा 6 के खंड (ख) के अधीन यथापेक्षित रिपोर्ट किए गए ऐसे अंतरण के बिना एक राज्य से दूसरे राज्य को अंतरित किया है ; या

(ग) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन यथापेक्षित बायलर पर स्थायी रूप से चिह्नांकित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन बायलर को आबंटित रजिस्टर संख्या देने में असफल रहता है,

(***) शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और निरंतर (***) उल्लंघन या असफलता की दशा में, अतिरिक्त (***) शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा (***) उल्लंघन या असफलता जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा ।”;

(इ) धारा 24 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) का लोप किया जाएगा ।

(ई) धारा 25 की उपधारा (1) में, “जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा” शब्द रखा जाएगा ।

(उ) धारा 26 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“26क. न्यायनिर्णयन—(1) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन शास्तियों को अवधारित के प्रयोजन से, यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में जांच करने के लिए या शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी की अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी समन कर सकेगा और मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				साक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए हाजिर करा सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, और यदि ऐसी जांच के पश्चात् वह संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा: परंतु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी। 26ख. अपील—(1) जो कोई न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा धारा 26क के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित है, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सचिव के रैंक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को, जो अपील प्राधिकारी होगा, जिसे इस निमित्त उस सरकार या प्रशासन द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा। (2) किसी अपील को साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान करा देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे। (3) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे। (4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटारा अपील प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।”। (ऊ) धारा 27 में, “प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या” शब्दों का लोप किया जाएगा। (ऋ) धारा 28 की उपधारा (1क) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— “(गक) धारा 26क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति : (गख) धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन अपील करने

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

का प्ररूप और रीति :”।

(ए) धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(जक) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति :

(जख) धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति :”।

(ऐ) धारा 30 में,—

(i) “प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से” शब्दों के स्थान पर, “प्रथम उल्लंघन की दशा में, शास्ति का दायी” शब्द रखे जाएंगे :

(ii) “पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, ऐसे जुर्माने से” शब्दों के स्थान पर, “पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में ऐसी शास्ति से” शब्द रखे जाएंगे ।

4. 1927 16 भारतीय वन अधिनियम, 1927

(अ) धारा 26 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (ड) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1क) कोई व्यक्ति, जो किसी आरक्षित वन में—

(क) पशुओं से अतिचार कराता है या उन्हें चराता है या पशुओं द्वारा अतिचार करना अनुज्ञात करता है, धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा वन को कारित यथावधारित नुकसान के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा ;

(ख) किसी वृक्ष को गिराने या काटने या किसी काष्ठ की खुदाई करने में उपेक्षा द्वारा कोई क्षति कारित करता है, धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा वन को कारित (***) यथावधारित नुकसान के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त (***) शास्ति का दायी होगा, जो पांच हजार रुपए (***) तक का हो सकेगा।”।

(आ) धारा 33 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ड), खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा ;

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1क) कोई व्यक्ति, जो (***) संरक्षित वन में निम्नलिखित में से कोई भी अपराध कारित करता है, अर्थात्:—

“(क) धारा 30 के अधीन किसी आरक्षित वृक्ष के आस-पास उसके द्वारा पत्तियों को जलाने के लिए कोई आग लगाई गई है चाहे वह किसी संरक्षित वन के भाग के पास खड़ा हो या गिरा हो या गिराया गया हो;

(ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराता है या किसी काष्ठ की खुदाई करता है कि उपरोक्त किसी संरक्षित वृक्ष को क्षति पहुंचाया जा सके ;

(***)

वह धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा वन को कारित यथावधारित नुकसान के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त (***) शास्ति का दायी होगा, जो पांच (***) हजार रुपए तक की हो सकेगी ।”।

(इ) धारा 68 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

“अपराधों का शमन और शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति” ;

(ii) उपधारा (1) में,—

(I) खंड (क) में, “और” शब्द के स्थान पर, “या” शब्द रखा जाएगा ;

(II) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) धारा 26 की उपधारा (1क) और धारा 33 की उपधारा (1क) के उल्लंघन में शास्ति या प्रतिकर के रूप में किसी व्यक्ति से धनराशि स्वीकार करना ; और”।

5. 1937 1 कृषि उपज (अ) धारा 3 की उपधारा (2) में, खंड (छ) के पश्चात् (श्रेणीकरण और निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— चिहनांकन) “(छक) धारा 5ग की उपधारा (1) के अधीन जांच करना अधिनियम, 1937

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(***) और शास्ति अधिरोपित करना ;

(छख) धारा 5घ की उपधारा (1) के अधीन अपील करना ।”;

(आ) धारा 4 में, “कारावास से दंडनीय, जो अधिक से अधिक छह माह तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से (***) अधिक का नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(इ) धारा 5 में, “कारावास से दंडनीय, जो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पंद्रह लाख रुपए से (***) अधिक का नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(ई) धारा 5क में, “कारावास से दंडनीय, जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो तीन लाख रुपए से (***) अधिक का नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(उ) धारा 5ख की उपधारा (4) में, “कारावास से, जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “(***) शास्ति का दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(ऊ) धारा 5ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“5ग. न्यायनिर्णायक अधिकारी—(1) केंद्रीय सरकार, धारा 4, धारा 5, धारा 5क और धारा 5ख के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के उपसचिव या राज्य सरकार के उपसचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार एक से अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जैसा अपेक्षित हो ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी समन कर सकेगा और किसी

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

व्यक्ति को, जो साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो, हाजिर करा सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी हो या सुसंगत हो और यदि, ऐसी जांच पर वह संतुष्ट है कि संबद्ध व्यक्ति धारा 4, धारा 5, धारा 5क और धारा 5ख के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परंतु संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुनवाई का (***) युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

5घ. अपील—(1) (***) कोई व्यक्ति, जो धारा 5ग के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश से व्यथित है, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार को (***) आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा ।

(2) किसी अपील को तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी कृषि विपणन सलाहकार का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे ।

(3) कृषि विपणन सलाहकार, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे (***) ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृषि विपणन सलाहकार अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा (***)।

5ड. वसूली—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, धारा 5ग (***) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा यदि कोई शास्ति अधिरोपित की गई है या धारा 5घ के अधीन कृषि विपणन सलाहकार के आदेश के अधीन, यदि रकम जमा नहीं की जाती है, तो वह भू-राजस्व के बकाया (***) के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

6. 1940 23 ओषधि और (अ) धारा 29 में, “जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो प्रसाधन सामग्री सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे :

(आ) धारा 30 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				नहीं होगा या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ;
				(इ) धारा 32ख की उपधारा (1) में, “धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षरों के पश्चात् “धारा 27 के खंड (घ) और धारा 27क के खंड (ii)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
7.	1944	18	लोक ऋण अधिनियम, 1944	धारा 27 का लोप किया जाएगा ।
8.	1947	24	रबड़ अधिनियम, 1947	(अ) धारा 11 की उपधारा (3) में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी या धारा 14 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति को रद्द करके या दोनों से” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (आ) धारा 13 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा । <u>(इ) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (xxiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-</u> <u>“(xxiii)क) धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन जांच करने की और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;</u> <u>(xxiii)ख) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;”।</u> (ई) धारा 26 की उपधारा (1) के अंत में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “(***) शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे । <u>(उ) धारा 26क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-</u> <u>“26ख. शास्तियों का न्यायनिर्णयन--(1) धारा 11 की उपधारा (3) और धारा 26 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए कार्यपालक निदेशक, यथास्थिति, बोर्ड के सचिव या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा ।</u> <u>(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति कार्यपालक निदेशक को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, अपील</u>

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कर सकेगा ।

(3) साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी कार्यपालक निदेशक का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे ।

(4) किसी अपील का तब तक निपटारा नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का उसे फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है, तो उसकी भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

9. 1948 8 भेषजी अधिनियम,
1948

(अ) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(झ) धारा 43क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;

(ज) धारा 43क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति ;।

(आ) धारा 26क की उपधारा (3) में, “कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा,” शब्दों के स्थान पर “(***)
शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रुपए (*** तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(इ) धारा 41 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य के रजिस्टर में, उस समय दर्ज नहीं है, (*** मिथ्या रूप से यह दावा करता है कि उसका नाम इस प्रकार से दर्ज है या अपने नाम या पदनाम के संबंध में ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करता है, जो युक्तियुक्त रूप से यह दिखाने के लिए प्रकल्पित है कि उसका नाम इस प्रकार से दर्ज है, तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो (*** एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो (*** दो लाख रुपए तक का

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा :

परंतु यह (***) प्रतिवाद (*** नहीं होगा कि व्यक्ति का नाम किसी अन्य राज्य के रजिस्टर में दर्ज है और यह कि दावा करते समय राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया गया था ।”।

(ई) धारा 42 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या एक हजार रुपए के अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा (*** या जुर्माने से जो दो लाख (*** रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से” शब्द रखे जाएंगे ।

(उ) धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“(43क) शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 26क के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार उस राज्य परिषद् के अध्यक्ष को, जहां अधिकथित उल्लंघन कारित किया गया है, धारा 18 के अधीन यथाविहित रीति में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्राधिकृत करेगी ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अध्यक्ष, केंद्रीय परिषद् को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर धारा 18 के अधीन यथाविहित प्ररूप और रीति में अपील कर सकेगा ।

(3) अध्यक्ष, केंद्रीय परिषद् पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था ।

(4) किसी अपील का निपटारा अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा ।

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा फाइल करने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।”।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

10. 1951 65 उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (अ) धारा 24 की उपधारा (1) में, दीर्घ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“वह (***) शास्ति का दायी होगा, जो पचीस लाख रुपए तक का हो सकेगा।”।

(आ) धारा 24क (***) के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“24क. न्यायनिर्णयण—(1) केंद्रीय सरकार धारा 24 के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को यथा विहित रीति में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होने के लिए प्राधिकृत करेगी।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत है, के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को समझ कर सकेगा और उसकी उपस्थिति को प्रवृत्त कर सकेगा और यदि ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो धारा 24 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे :

परंतु ऐसी किसी शास्ति को संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

24ख. अपील—(1) 24क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून किसी अधिकारी जो अपील प्राधिकारी होगा, को आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(3) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा,

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

जो वह ठीक समझे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटारा फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा ।

24ग. वसूली-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, धारा 24क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या धारा 24ख के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को यदि जमा नहीं किया जाता है तो रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।”।

(इ) धारा 27 का लोप किया जाएगा ।

(ई) धारा 28 में “अभियोजित” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति अधिरोपित” शब्द रखे जाएंगे ।

(उ) धारा 29 और धारा 29क का लोप किया जाएगा ।

(ऊ) धारा 30 में,—

(i) उपधारा (2) के खंड (तत) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ततक) धारा 24क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;

(ततख) धारा 24ख की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का रूप और रीति ;

(ii) उपधारा (3) में, “दंडनीय” शब्द के स्थान पर, “शास्ति का दायी” शब्द रखे जाएंगे ।”।

11. 1952 37 चलचित्र
अधिनियम, 1952

(अ) धारा 7 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) यदि कोई व्यक्ति,—

(क) बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के (जिसको साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा) किसी फिल्म में, उसके प्रमाणित किए जाने के पश्चात् किसी भी रूप में फेरफार करता है या बिगाड़ सकता है, तो वह ‘कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) किसी फिल्म को किसी स्थान पर प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है—

(i) जिसे बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है ; या

(ii) जिसे, जब प्रदर्शित किया गया, बोर्ड के विहित चिह्न द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है ; या

(iii) जिसे, बोर्ड के चिह्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चिह्न को नियत किए जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन या बिगाड़ दिया गया है,

तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ;

(ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई वीडियो फिल्म किसी स्थान में प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(घ) किसी फिल्म में प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, जिसे इस अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत "वयस्क" के रूप में बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है, को किसी अवयस्क को प्रदर्शित करता है तो कोई व्यक्ति, जो ऐसी वृत्ति या वर्ग का सदस्य नहीं है, प्रति व्यक्ति दस हजार रुपए से अनधिक की (***) शास्ति के लिए दायी होगा, जिसको ऐसी फिल्म प्रदर्शित की गई है, प्रत्येक ऐसे प्रदर्शन के लिए ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उद्गृहीत की जाएगी ;

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ड) किसी फिल्म को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, जिसे इस अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत “विशेष” के रूप में बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है, तो कोई व्यक्ति, जो ऐसी वृत्ति या वर्ग का सदस्य नहीं है, प्रति व्यक्ति दस हजार रुपए से अनधिक की (***) शास्ति के लिए दायी होगा, जिसको ऐसी फिल्म प्रदर्शित की गई है, प्रत्येक ऐसे प्रदर्शन के लिए ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उद्गृहीत की जाएगी ;

(च) धारा 6क में अंतर्विष्ट उपबंध या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा केंद्रीय सरकार या बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों या कृत्यों में से किसी का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह पांच लाख रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए, जो ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, उद्गृहीत पांच लाख रुपए की (***) शास्ति के लिए दायी होगा:

परंतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है, खंड (क) से खंड (ग) के अधीन इस भाग के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति पर पांच हजार रुपए से अधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा :

परंतु यह भी कि कोई वितरक या प्रदर्शक या किसी चलचित्र गृह का स्वामी इस भाग के अधीन “अनिर्बंधित वयस्क” के रूप में प्रमाणित किसी फिल्म पर चेतावनी के पृष्ठांकन की शर्त के उल्लंघन के लिए दंड का दायी नहीं होगा ।

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4) उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) या धारा 14 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति से व्यथित (***)

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे अपील (***) प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।”।

(आ) धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) प्राधिकृत अधिकारी और धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) के निबंधनों में उसके द्वारा उद्गृहीत शास्ति की रीति ;

(गख) अपील करने की अवधि, प्ररूप, रीति और धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी;”।

(इ) धारा 14 में “जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय और अपराध जारी रहने की दशा में और जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए की शास्ति का दायी और लगातार (***) उल्लंघन की दशा में और (***) शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान (***) उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ई) धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“15. अनुज्ञप्ति वापस लेने या निलंबित करने की शक्ति—(1) जहां अनुज्ञप्ति धारक धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, तो अनुज्ञप्ति, अधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की जा सकेगी।

(2) जहां किसी अनुज्ञप्ति धारक पर धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) या धारा 14 के अधीन उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित की गई है, तो उसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए निलंबित की जा सकेगी :

परंतु तीन वर्ष की अवधि के दौरान तीन से अधिक उल्लंघनों की दशा में, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति को, आदेश द्वारा वापस ले सकेगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।”।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

12. 1953 29 चाय अधिनियम,
1953

(अ) धारा 38 से धारा 40 (***) तक का लोप किया जाएगा ।

(आ) धारा 41 की उपधारा (1) में, “कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(इ) धारा 42 में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, तथा जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए, शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(ई) धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“42क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- (1) धारा 41 की उपधारा (1) या धारा 42 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड का उपाध्यक्ष, यथास्थिति, बोर्ड के सचिव या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जांच करने और शास्ति अधिरोपित के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर बोर्ड के उपाध्यक्ष को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा ।

(3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता उपाध्यक्ष का यह समाधान करा देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो ।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का, उसे फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटारा की जाएगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम का, यदि संदाय नहीं किया जाता है तो उसे भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूला जा सकेगा।”।

(3) धारा 49 की उपधारा (2) में, खंड (भ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(भक) धारा 42क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(भख) धारा 42क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति :।

13. 1957 14 प्रतिलिप्यधिकार
अधिनियम, 1957

धारा 68 का लोप किया जाएगा।

14. 1958 44 वाणिज्य पोत
परिवहन
अधिनियम, 1958

(अ) धारा 436 में,—

(क) उपधारा (2) की सारणी में, स्तंभ (1) के अधीन उल्लिखित क्रम संख्यांक के सामने, स्तंभ (2) के अधीन अपराधों के संबंध में, स्तंभ 3 के अधीन धाराओं से संबंधित और स्तंभ 4 के अधीन शास्तियां यथा उपबंधित रीति में क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	अपराध	उस अधिनियम की धारा, जिसके अधीन अपराध का निर्देश है	शास्ति

16			“शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा।”।

29			“शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा।”।

35			“शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा।”।

43			“शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा।”।

44			“शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा।”।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			57(क)	“फलक पर छोड़ी गई उसकी सभी संपत्तियां या उनका कोई भाग तथा उसके द्वारा तब तक अर्जित मजदूरी और, यदि अभित्यजन ऐसे किसी स्थान पर किया जाता है जो भारत में नहीं है तो, ऐसी कुल मजदूरी या उसका कोई भाग जो वह ऐसे किसी अन्य पोत पर, जिस पर उसे उसके भारत लौटने पर्यन्त नियोजित किया जाए, उपर्जित कर सके, समपहत किए जाने पर दायित्वहीन होगी, और यह नाविक या भिक्षु उतनी अधिक रकम की पूर्ति करने के दायित्वाधीन भी होगा जो उस पोत के, जिस पोत का उसने अभित्यजन किया है, मास्टर या स्वामी उसके स्थान पर नियोजित किए गए उसके प्रतिस्थानों को मजदूरी की उसकी दर से उच्चतर पर देनी पड़े, जिस दर पर ऐसे नाविक या शिशु को मजदूरी का संदाय करने के लिए अनुबंध किया गया था ;।
			57(ख)	“यदि उल्लंघन अभित्यजन नहीं है तो ऐसा नाविक या शिशु जिसकी मजदूरी में से दो दिन से अनधिक को मजदूरी के बराबर राशि और उसके अतिरिक्त, अनुपस्थिति के प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि के लिए या तो छह दिन की मजदूरी से न अनधिक राशि, या ऐसे कोई व्यय, जो प्रतिस्थानों को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाए, उसकी मजदूरी में से

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				समपहत किए जाने के दायित्वाधीन होंगे ।”।
59	(iv)	धारा 194 का खंड (घ)		“ऐसे कारावास, जो तीन मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों के लिए दायित्वाधीन होगा ।”।
	(ivक)	धारा 194 का खंड (ङ)		“ऐसे कारावास, जो एक मास तक का हो सकेगा और प्रत्येक चौबीस घंटे की ऐसी अवज्ञा या उपेक्षा (***) के लिए दो दिन से अनधिक की मजदूरी के बराबर राशि या छह दिन की मजदूरी से अनधिक राशि, या ऐसे कोई व्यय, जो प्रतिस्थानों को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाए, के लिए दायित्वाधीन भी होगा ।”।
60				“ऐसी शास्ति, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”।
65				“ऐसी शास्ति, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”।
66(क)				“ऐसी शास्ति, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”।
68				“ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी ।”।
72				“ऐसी शास्ति, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”।
84				ऐसी शास्ति, जो प्रथम अपराध के लिए एक लाख रुपए और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			108(ख)	“मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता, ऐसी शास्ति के लिए जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और पोत को भी निरुद्ध किया जा सकेगा।” ।
			(***)	(***)
			(***)	(***)
			109	“ऐसे शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी।”।
			115घ(ii)	“ऐसे अपराधी ऐसी शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा।”।
			133	“ऐसी शास्ति के लिए जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा।”
			135	“ऐसे शास्ति के लिए जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी।”।
			137	“ऐसी शास्ति के लिए जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा।”
			137अ	“ऐसी शास्ति के लिए जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा।”

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(3) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए विहित शास्ति वाणिज्य समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी:

परंतु इस धारा के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हो ।

(4) **(***) जो कोई**, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी **(***)** द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर महानिदेशक को ऐसे प्ररूप और रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अपील कर सके ।

(5) महानिदेशक सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर समुचित आदेश पारित कर सकेगा ।

(6) इस अधिनियम के उपबंधों के किसी अतिक्रमण, जिसके लिए शास्ति विहित की गई है का उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचित किया जाए, पहले अतिक्रमण के लिए शमन कर सकेगा:

परंतु जहां किसी ऐसे अतिक्रमण का शमन किया गया है, राशि किसी दशा में उस शास्ति जो ऐसे उल्लंघन के लिए अधिरोपित की जा सकेगी, की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी ।

(7) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, उपधारा (3) के अधीन वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा या उपधारा (5) के अधीन महानिदेशक के आदेश से अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है तो, रकम को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा ।” ।

(ख) धारा 436 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“436क नियम बनाने की शक्ति.—केन्द्रीय सरकार पूर्व प्रकाशनों की शर्तों के अधीन रहते हुए धारा 436 की उपधारा (4) के अधीन वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्ररूप और रीति विहित करते हुए नियम बना सकेगी ।” ।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	1961	47	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961	धारा 47 में, (***) उपधारा (2) के स्थान पर, <u>निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—</u>

“(***)(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई बही, खाता या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में या कोई विवरण या सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह प्रत्येक ऐसी असफलता के संबंध में शास्ति का दायी होगा जो एक लाख पचास हजार रुपए तक हो सकेगी, और असफलता के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी पहली असफलता के पश्चात् असफलता जारी रहती है, सात हजार पांच सौ रुपए, का दायी होगा।

(***)

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए निगम अपेक्षित व्यक्तियों पर कारण बताओ नोटिस तामील करेगा कि क्यों न नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम अधिरोपित किया जाए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का भी युक्तियुक्त अवसर देगा।

(4) इस धारा के अधीन निगम द्वारा यदि कोई शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो उस तारीख से, जिसको रकम की मांगी गई निगम द्वारा व्यक्ति पर जारी नोटिस से चौदह दिन की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा और ऐसी अवधि के भीतर रकम का संदाय करने में किसी व्यक्ति की असफल होने की दशा में ऐसे मूल सिविल न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता में ऐसे व्यक्ति को जिस क्षेत्र में निवास करता है अवस्थित है किए गए (***) आदेश या निदेश पर उद्गृहीत किया जा सकेगा:

परंतु यह कि ऐसे कोई आदेश या निदेश जो निगम द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय के अलावा कोई आवेदन नहीं दे सकेगा।

(5) ऐसे न्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन (***) आदेश या निदेश देते हैं उस व्यक्ति द्वारा संदाय रकम विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र में ऐसी रीति में जो सिविल वाद न्यायालय द्वारा डिक्री किए गए थे।

(6) किसी न्यायालय में किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन निगम द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई है।

(7) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद फाइल किया गया है, तो उपधारा (2) के अधीन उस व्यक्ति पर किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

जाएंगी ।”।

16. 1962 58 भांडागारण निगम धारा 38 का लोप किया जाएगा ।
अधिनियम, 1962
17. 1964 37 खाद्य निगम धारा 41 का लोप किया जाएगा।
अधिनियम, 1964
18. 1970 39 पेटेंट अधिनियम, 1970 (अ) धारा 120 में, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे शास्ति के रूप में, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी संदाय करने का दायी होगा (***) और निरंतर दावे की दशा में प्रथम अवधि जो निरंतर दावा के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए और शास्ति शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 121 का लोप किया जाएगा।

(इ) धारा 122 में,—

(i) उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:—

“वह जुर्माने से एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, वह ऐसे शास्ति के रूप में जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा संदाय करने का (***) दायी होगा और निरंतर इनकार या असफलता की दशा में प्रथम अवधि जो निरंतर इनकार या असफलता के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए और शास्ति शब्द रखे जाएंगे ;”।

(ii) उपधारा 2 में वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर वह (***) ऐसे व्यक्ति के लेखा परीक्षित खातों में यथासंगणित कारबार के या वृत्ति की सकल प्राप्तियों के, यथास्थिति, कुल विक्रय या आवर्त के आधा प्रतिशत के बराबर राशि या पांच करोड़ रुपए के बराबर राशि, जो भी कम हो, शास्ति का दायी होगा शब्द रखे जाएंगे।”।

(ई) धारा 123 में, वह जुर्माने से जो प्रथम अपराध की दशा में एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर वह ऐसी शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, का (***) दायी होगा और निरंतर व्यतिक्रम की दशा में, प्रथम अवधि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति, का दायी होगा शब्द रखे जाएंगे।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(3) धारा 124 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“124क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- (1) नियंत्रक, आदेश (***) द्वारा, धारा 73 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को जांच करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(***)

124ख. अपील- (1) धारा 124क के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी को, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, अपील कर सकेगा जो न्यायनिर्णयन अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर का अधिकारी होगा, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीति में की जाएगी जो विहित किया जाए।

(3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी, अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 124क के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश या इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का ऐसे आदेश से नब्बे दिन के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह शास्ति के अतिरिक्त एक लाख रुपये के जुर्माने या ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष तक हो सकेगी, या दोनों से दंडनीय होगा।”।

(ऊ) धारा 159 की उपधारा (2) के खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(xiii) धारा 124क (***) की उपधारा (1) के अधीन शास्ति

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अधिरोपित करने की रीति;

“(xiiiख) धारा 124ख की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति;” ।

19. 1972 13 सामुद्रिक उत्पाद (अ) धारा 20 में, उपधारा (3) में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक निर्यात विकास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर प्राधिकरण “ऐसी (***) शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा आदेश दिया गया था, के मूल्य के दुगुने के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा शब्द रखे जाएंगे ।

(आ) धारा 23 में, “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर “ऐसी (***) शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए तक हो सकेगी” ।

(इ) धारा 24 और धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“24. प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्यों के (***) निर्वहन में बाधा डालने और बहियां और अभिलेख पेश करने में असफल रहने के लिए शास्तियां—कोई व्यक्ति—

(क) जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी सदस्य को या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(ख) किसी लेखा-बही या अन्य अभिलेख को, जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसी अपेक्षा की जाने पर उस बही या अभिलेख को पेश करने में असफल रहेगा, वह ऐसी (***) शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

25. अन्य शास्तियां—जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का, उन उपबन्धों के सिवाय जिनके उल्लंघन के लिए दण्ड या शास्ति का उपबन्ध धारा 20, 23 और 24 में किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसी (***) शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(***) उल्लंघन किया गया था, के मूल्य के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसी शास्ति के लिए जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा (***) उल्लंघन किया गया था, के मूल्य के दुगने के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा ।

25क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- (1) धारा 20 की उपधारा (3), धारा 23, धारा 24 के खंड (ख) और धारा 25 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष, यथास्थिति, प्राधिकरण के सचिव या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को जांच करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी होने के लिए नियुक्त करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा ।

(3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अध्यक्ष का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो ।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी, अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम का यदि संदाय नहीं किया जाता है तो उसे भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूला जाएगा ।”।

(ई) धारा 33 की उपधारा (2) में खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(थक) धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने तथा शास्ति अधिरोपित करने की रीति:

“(थख) धारा 25क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति:।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	1978	11	उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण अधिनियम, 1978)	(***) निरसित
21.	1981	14	वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981	(अ) धारा 21 की उपधारा (1) में निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:— “(1) कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना तब तक किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या प्रचालन नहीं करेगा जब तक वह इस धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के अनुसरण में प्राप्त न की गई हो : परन्तु केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह से इस उपधारा के उपबंधों को लागू करने से औद्योगिक संयंत्रों के कतिपय प्रवर्गों को छूट प्रदान कर सकती है ।”। (आ) धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “21क. दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति,— (1) इस अधिनियम (***) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के साथ परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायु प्रदूषण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र को स्थापित करने या प्रचालित करने के लिए किसी भी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान करने, इंकार करने, या रद्द करने से संबंधित मामलों पर जिसमें धारा 21 के अधीन किए गए आवेदन के निपटान की समय-सीमा के लिए तंत्र या ऐसी सहमति की विधिमान्य अवधि सम्मिलित है, पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी सकेगा । (2) प्रत्येक राज्य बोर्ड, धारा 21 के अधीन सहमति को प्रदान करने, इंकार करने या रद्द करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा ।”। (इ) धारा 37 से धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “37. धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों के अनुपालन में असफलता.- (1) जो कोई धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करता है, तो वह इस संबंध में प्रत्येक उल्लंघन (***) के लिए ऐसी शास्ति के संदाय के लिए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी,

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

किन्तु पचास लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा (***) :

(2) जहां ऐसे व्यक्ति का उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रहता है (***) , तो वह अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे उल्लंघन के जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए होगी, के संदाय के लिए दायी होगा (***) ।

38. (1) कतिपय अधिनियमों के लिए शास्तियां जो कोई—

(क) बोर्ड के प्राधिकार से या उसके अधीन भूमि पर लगे किसी स्तम्भ, थम्ब या खूटे को या लगाई गई, अन्तर्लिखित या रखी गई किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा या उसे विरूपित करेगा ; या

(ख) बोर्ड के आदेश या निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में बाधा डालेगा ; या

(ग) बोर्ड के किसी सकल या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा ; या

(घ) बोर्ड को या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा, जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोर्ड या ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपेक्षा करे ; या

(ङ) राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक वातावरण में वायु प्रदूषण के उत्सर्जन होने की सूचना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में राज्य बोर्ड और अन्य विहित प्राधिकरणों या अभिकरणों को देने में असफल रहेगा ; या

(च) कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन देने के लिए अपेक्षित है, ऐसा कथन करेगा, जिसमें कोई तात्त्विक विशिष्टियां मिथ्या है ;

वह ऐसी (***) शास्ति, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, का दायी होगा :

(2) जहां ऐसे व्यक्ति का उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन (***) जारी रहता है, तो वह (***) अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे उल्लंघन के जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए होगी, के लिए दायी होगा ।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

38क. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, विभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य (***) शास्ति का दायी होगा :

परंतु वह ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की किसी अनावधानी के कारण हुआ है तो अधिकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य (***) शास्ति का दायी होगा :

परंतु वह उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती है ।

39. इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियां—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का, जिसके लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा तो वह (***) शास्ति के लिए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह किसी (***) अतिरिक्त ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपए प्रति दिन तक हो सकेगी ।

39क. न्यायनिर्णायक अधिकारी—(1) केन्द्रीय सरकार धारा 37, धारा 38, धारा 38क और धारा 39 के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उस रीति में कोई जांच करने के लिए, जो विहित की जाए और शास्ति का अधिरोपण करने के लिए किसी ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के किसी सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित हो, साक्ष्य देने या किसी

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो और यदि ऐसी जांच पर उसे यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी शास्ति, जो यथास्थिति, धारा 37, धारा 38, **धारा 38क** या धारा 39 के उपबंधों के **अधीन (***)** उचित समझता है, निर्धारित कर सकेगा :

परन्तु कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को **(***)** सुनवाई का **युक्तियुक्त (***)** अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(3) धारा 37, धारा 38, **धारा 38क** और धारा 39 के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रतिकर के संदाय के दायित्व के अतिरिक्त होगी ।

39ख. अपील—

(1) धारा 37, धारा 38, **धारा 38क** या धारा 39 के अधीन किसी न्यायनिर्णायन अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित **(***) कोई व्यक्ति** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की प्रत्येक अपील उस तारीख से जिसमें न्यायनिर्णायन अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रति व्यथित व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।

(3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पक्षकारों को अपील के लिए सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे, उस अपील के विरुद्ध आदेश को पुष्टिकरण, उपांतरित या एक पक्षीय कर सकता है ।

(4) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायन अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध की गई हो, यह अधिकरण द्वारा तब तक नहीं देखी जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति ने न्यायनिर्णायन अधिकारी अधिरोपित शास्ति के रकम के दस प्रतिशत अधिकरण के साथ जमा न कर दी गई हो।

39ग. पर्यावरण संरक्षण निधि के लिए जमा की जाने वाली रकम की शास्ति—जहां कोई न्यायनिर्णायन अधिकारी, यथास्थिति, धारा 37, धारा 38, **धारा 38क** या धारा 39 के अधीन शास्ति या अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करता है पर्यावरण (संरक्षण)

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरणीय (संरक्षण) निधि के लिए जमा करेगी।
				39घ. धारा 21 के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए तथा शास्ति के संदाय में असफलता के लिए अपराध— (1) जो कोई, धारा 21 के उपबंधों (***) का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वर्ष और छह मास से अनधिक होगी किन्तु जो जुर्माने के साथ छह वर्ष तक की हो सकेगी, तथा असफलता जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने के साथ ऐसी असफलता की दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन जिस दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, के लिए पचास हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकेगी।
				(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि से परे जारी रहती है तो अपराधी कारावास से, जो दो वर्ष से अन्यून नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दंडनीय होगा।
				(3) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का ऐसे अधिरोपण से नब्बे दिन की अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो उस पर अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति की रकम के दुगुने तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा
				(4) जहां कोई अपराध उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया हो, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध कारित करते समय भारसाधक के रूप में सीधे कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कारबार तथा कंपनी के आचरण के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था ऐसे अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडनीय होगा:
				परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, उपधारा(1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में उपबंधित किसी दंड का दायी होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है या उसने ऐसे अपराध को कारित करने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।
				(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यह

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				साबित हो गया है कि अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की, सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से किसी अपेक्षा के कारण हुआ है तो कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को उसी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा । स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— (क) “कंपनी” में कोई निगमित निकाय, फर्म, न्यास, सोसाइटी और कोई अन्य व्यक्तियों का संगम सम्मिलित है ; (ख) “निदेशक” में, यथास्थिति, कंपनी का निदेशक, फर्म का भागीदार, सोसाइटी का सदस्य या न्यास या व्यक्तियों के किसी संगम का सदस्य सम्मिलित है ।”; (ई) धारा 43 की उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(कक) न्यायनिर्णायक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ;”; (उ) धारा 53 की उपधारा (1) में, खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(ज) धारा 39क की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति;”।
22.	1981	61	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981	धारा 56 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— “(2) यदि कोई व्यक्ति, बहीखाता या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या कोई विवरणी या सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत करना या देना उसका कर्तव्य है तो वह (***) शास्ति का दायी होगा, जो प्रत्येक असफलता के लिए एक लाख पचास हजार रुपए तक दायी हो सकेगा और यदि वह ऐसी असफलता जारी रखता है तो वह अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसी असफलता के पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए सात हजार पांच सौ रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा । (3) उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक शास्ति के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय बैंक उस व्यक्ति को नोटिस देगा, जिसे कारण बताना आवश्यक है कि नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम को शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए ।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(4) इस धारा के अधीन राष्ट्रीय बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति उस तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी जिस दिन राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी नोटिस में रकम के संदाय की मांग की जाएगी और असफलता की दशा में, ऐसी अवधि के भीतर रकम का संदाय करने के लिए, उस क्षेत्र में जहां वह व्यक्ति स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश पर उद्गृहीत की जा सकती है : परंतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा या इस निमित्त राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा <u>किए गए आवेदन के सिवाय</u> न्यायालय को कोई निदेश नहीं दिया जाएगा । (5) न्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन निदेश देती है, वह व्यक्ति द्वारा संदेय रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी प्रकार से प्रवृत्तनीय होगा जैसे कि यह सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री में किया गया था । (6) कोई शिकायत उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय बैंक द्वारा किसी उल्लंघन या चूक (***) के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में फाइल नहीं की जाएगी । (7) जहां कोई शिकायत उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के उल्लंघन या चूक के बाबत किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति के विरुद्ध फाइल की गई है, तो उपधारा (2) के अधीन व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित करने की कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी ।
23	1986	10	मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986	<u>(अ) धारा 26 में, "जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, "शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती असफलता के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा शब्द रखे जाएंगे ।</u> <u>(आ) धारा 27 में, दीर्घ पंक्ति में, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, "शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती (***). उल्लंघन के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दायी होगा शब्द रखे जाएंगे ।</u> (इ) धारा 28 का लोप किया जाएगा । (ई) धारा 29 में, "कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, <u>दण्डनीय होगा</u> शब्दों के स्थान पर, "शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती (***) <u>उल्लंघन</u> के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से <u>दायी होगा</u> शब्द रखे जाएंगे ।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(3) धारा 30 में, वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर, "शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चात्तर्वर्ती (***) उल्लंघन के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, का दायी होगा शब्द रखे जाएंगे।

(ऊ) धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"30क. शास्तिर्यों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 26, धारा 27, धारा 29 और धारा 30 के अधीन शास्तिर्यों के न्यायनिर्णयन के लिए बोर्ड का सचिव, यथास्थिति, बोर्ड में निदेशक की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी जांच को करने के लिए और संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी होने के लिए नियुक्त करेगा।

(2) जो कोई न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित होता है, बोर्ड के सचिव को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी बोर्ड के सचिव का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(4) किसी अपील का तब तक निपटान नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटान किया जाएगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है तो उसकी भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी।"

(ऊ) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<u>'(डक) धारा 30क की उपधारा (1) के अधीन जांच आयोजित करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति :</u>
				<u>(डख) धारा 30क की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ।'</u>
24.	1986	29	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	<u>(अ) धारा 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-</u> <u>'(गक) "निधि" से धारा 16 के अधीन स्थापित की गई पर्यावरणीय (संरक्षण) निधि अभिप्रेत है :'</u> <u>(आ) धारा 10 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी अर्थात्:-</u> <u>"(2) किसी परिसंकटमय पदार्थ की संभलाई का कोई उद्योग संचालन या प्रक्रिया करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति को इस उपधारा के अधीन कार्यों को करने के लिए, जो अपेक्षित हों, सहायता प्रदान करेगा, और यदि वह बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने में असफल रहता है तो वह धारा 14ख के अधीन उपबंधित (***) शास्ति का उत्तरदायी होगा ।</u> <u>(3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन सशक्त किन्हीं व्यक्तियों को उनके उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कृत्यों के निर्वहन में विलंब करता है या व्यवधान उत्पन्न करता है, वह धारा 14ख के अधीन उपबंधित (***) शास्ति का दायी होगा ।</u> <u>(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक वह तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं, इस धारा के अधीन उस संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।"</u> <u>(इ) धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-</u> <u>"14क. धारा 7 और धारा 8 के उल्लंघन के लिए शास्ति—</u> <u>(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 7 या धारा 8 या तद्वीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन (***) के लिए (***) शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी किंतु पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी ।</u> <u>(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन ऐसा उल्लंघन (***) करना जारी रखता है, वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए की (***) अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।</u>

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

14ख. धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के उल्लंघन के लिए शास्ति,—

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के उपबंधों का या उन धाराओं के अधीन जारी आदेशों या निदेशों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन (*** के संबंध में (*** शास्ति का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन (*** जारी रखता है, वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की (*** अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।”

(ई) धारा 15 से धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“15. अधिनियम, नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्दीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों का उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है, जिनके लिए किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, वहां वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन (*** के लिए (*** शास्ति का दायी होगा, जो (*** दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी और पन्द्रह लाख तक की हो सकेगी।

(2) जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन (*** जारी रखता है वहां वह प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की (*** अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।

15क. कंपनियों द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई कंपनी इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है वहां ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए (*** शास्ति का दायी होगी, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी और पांच करोड़ रुपए तक की हो सकेगी।

(2) जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है वहां कंपनी प्रतिदिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन (*** जारी रहता है, एक लाख रुपए की (*** अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी।

15ख. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तो विभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य (*** शास्ति का दायी होगा :

परंतु ऐसा विभागाध्यक्ष ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की किसी अनावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा अधिकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य (***) शास्ति का दायी होगा :

परंतु ऐसा अधिकारी उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती है ।

15ग. न्यायनिर्णायक अधिकारी—(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और शास्ति अधिरोपित करने के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में जांच करने के लिए, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जो अपेक्षित हों ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने या पालन न करने के लिए अभिकथित किया गया है या जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखता है, बुला सकेगा ;

(ख) ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके कब्जे में किसी अभिलेख रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या किसी अन्य ऐसे दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में विषय-वस्तु के लिए सुसंगत हो सके, प्रस्तुत करे ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, किसी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, और यदि, ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने अधिनियम के या तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है या उनका अनुपालन नहीं किया है तो वह, यथास्थिति धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझेगा।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णायक करते समय, निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(क) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन के कारण संघातित या प्रभावित जनसंख्या या क्षेत्र;

(ख) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन की आवृत्ति और कालावधि;

(ग) वर्ग के ऐसे व्यक्तियों की भेद्यता, जिनके ऐसे उल्लंघन या अननुपालन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुए या होने के लिए संभावित नुकसान,

(ङ) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन से व्युत्पन्न अनुचित अभिलाभ; और

(च) (***) ऐसा अन्य कारक, जो विहित किया जाए।

(5) यथास्थिति, धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व के अतिरिक्त होगी।

15घ. अपील—(1) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से (***) कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

(3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पुष्ट करने या उपांतरित करने या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे;

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की गई है, वहां ऐसी अपील अधिकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति ने न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम की दस प्रतिशत रकम अधिकरण के पास जमा न कर दी हो।

15ड. पर्यावरण (संरक्षण) निधि में जमा की जाने वाली शास्ति रकम—जहां धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के अधीन, यथास्थिति, कोई शास्ति या अतिरिक्त शास्ति

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अधिरोपित की जाती है, वहां ऐसी शास्ति की रकम धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण (संरक्षण) निधि में जमा की जाएगी।

15च. शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने के लिए असफलता के लिए अपराध—(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के अधीन, यथास्थिति, शास्ति और/या अतिरिक्त शास्ति का ऐसे अधिरोपण के नब्बे दिन के भीतर संदाय करने में असफल रहता है वहां वह ऐसे कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो शास्ति की रकम के दुगुने तक की हो सकेगी या दोनों के लिए दायी होगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के समय, कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का सीधे तौर पर भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए और दण्डित किए जाने का दायी होगा :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात उपधारा (1) में उपबंधित किसी दण्ड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” के अन्तर्गत निगमित निकाय, फर्म, न्यास, सोसाइटी और व्यक्तियों का कोई अन्य संगम आता है;

(ख) “निदेशक” के अन्तर्गत, यथास्थिति, कंपनी का निदेशक, फर्म का भागीदार, सोसाइटी या न्यास के सदस्य या व्यक्तियों के किसी संगम का सदस्य आते हैं।

(3) अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

“अध्याय 3क

निधि, लेखा और संपरीक्षा

16. पर्यावरण (संरक्षण) निधि—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) निधि नामक निधि की स्थापना कर सकेगी।

(2) निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम;

(ख) निधि से किए गए विनिधानों में से प्राप्त ब्याज या अन्य आय; और

(ग) ऐसे स्रोतों से कोई अन्य रकम, जो विहित की जाए।

(3) निधि निम्नलिखित के लिए उपयोजित की जाएगी—

(क) पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता, शिक्षा और अनुसंधान का संवर्धन;

(ख) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और इस अधिनियम के अधीन उद्देश्यों और प्रयोजनों के प्राप्ति के लिए खर्च;

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किए जाए।

(4) केन्द्रीय सरकार, निधि के प्रशासन के लिए और उसके संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों के लिए प्रशासक, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिसूचित करेगी।

(5) केन्द्रीय सरकार, शास्तियों की ऐसी रकम की पचहत्तर प्रतिशत रकम राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को आबंटित करेगी जिसे निधि में जमा किया गया है।

16क. निधि के लेखा और उसकी संपरीक्षा—(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण निधि के संबंध में पृथक लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगी और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी।

(2) निधि के लेखे भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा अवधारित किए जाएं, संपरीक्षित किए जाएंगे और उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित ऐसे संपरीक्षित लेखे केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से अग्रेषित किए जाएंगे।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

16ख. वार्षिक रिपोर्ट—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण निधि के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन परिभाषित अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा इस प्रकार से तैयार किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (***) द्वारा दी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट (***) के साथ संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(ऊ) धारा 19 में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) न्यायनिर्णायक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ;”;

(कू) धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“24. अन्य विधियों का प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों या इसके अधीन किए गए आदेशों को किसी बात के होते हुए भी इसके सिवाय तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के साथ असंगत होते हुए भी प्रभावी होगी।”।

(ए) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(छक धारा (15ग की उपधारा)1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच करने की रीति और उपधारा)4) के खंड (च) के अधीन शास्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए अन्य कारक;

के अधीन अन्य (ग) के खंड (2) की उपधारा 16 धारा (छख) रकम;

(छग) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन अन्य प्रयोजन के लिए ;

(छघ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निधि के प्रशासन की रीति ;

(छड) धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन निधि के लेखा के रखरखाव और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप ;

(छच) धारा 16ख के अधीन निधि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप ;।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

बैंक अधिनियम, जाएगी, अर्थात् :—

1987

“33ग. लेखापरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति—जहां कोई लेखापरीक्षक, धारा 33 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तब रिजर्व बैंक सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी अस्तित्व के लेखा परीक्षक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन करने से हटा या वर्जित कर सकेगा।”।

(आ) धारा 49 में,—

(i) उपधारा (2) और उपधारा (2ख) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (3) के खंड (कक) का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

(इ) धारा 52क में,—

(I) पार्श्व शीर्ष में, “जुर्माना” शब्द के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखा जाएगा;

(II) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस हजार” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में,—

(क) “या खंड (कक)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ख) “पांच लाख” शब्दों के स्थान पर, “दस लाख” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) “पच्चीस हजार” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख” शब्द रखे जाएंगे;

(III) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(1क) यदि कोई व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान, जो एक कंपनी है, कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है या कोई कथन या सूचना देता है, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान का कर्तव्य है कि वह प्रस्तुत करे या दे, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान प्रत्येक उल्लंघन या चूक पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी और जहां ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहती है, वहां प्रत्येक दिन के लिए ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो सात हजार पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगी।

(1ख) जहां कोई लेखा परीक्षक, धारा 33 के अधीन,

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो उस पर दस लाख रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

1)ग) यदि (लेखापरीक्षक से भिन्न) कोई व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान, जो कंपनी है, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, अध्याय 5 के किसी उपबंध के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान पर ऐसी शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो दस लाख रुपए से अनधिक या ऐसे उल्लंघन या चूक में अंतर्विष्ट रकम की दोगुनी होगी ; जहां रकम मात्रात्मक है, जो भी अधिक हो, का दायी होगा और जहां ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहती है, वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी।

(1घ) जहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन किया जाता है या इस अधिनियम की किसी अन्य आवश्यकता के अनुपालन में चूक की जाती है, या इसके अधीन अधिरोपित शर्त या किए गए विनियम या दिए गए निदेश, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, किसी व्यक्ति या आवास वित्तीय संस्थान, जो एक कंपनी है, ऐसे उल्लंघन या चूक का दोषी है, तो वह प्रत्येक उल्लंघन या चूक के लिए एक लाख रुपए से अनधिक दायी होगा, यदि यह सतत् प्रकृति की है तो ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या चूक के लिए पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक दायी हो सकेगा।";

(IV) उपधारा (2) में,—

(i) “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर “यह धारा” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) “आवास वित्त संस्था” शब्द दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, के स्थान पर “व्यक्ति या आवास वित्त संस्था” शब्द रखे जाएंगे;

(V) उपधारा (3) में,—

(i) “आवास वित्त संस्था पर तामील” शब्दों के स्थान पर “व्यक्ति या आवास वित्त संस्था पर तामील” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “आवास वित्त संस्था के ऐसी अवधि के भीतर उस धनराशि का संदाय करने में असफल रहने की दशा में” शब्दों के स्थान पर “व्यक्ति या आवास वित्त संस्था के ऐसी अवधि के भीतर उस धनराशि का संदाय करने में असफल रहने की दशा में” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) “जहां आवास वित्त संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय”

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है या जहां आवास वित्त संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय” शब्द रखे जाएंगे ;
				(VI) उपधारा (4) में, “वित्त संस्था द्वारा संदेय” शब्दों के स्थान पर “वित्त संस्था या व्यक्ति द्वारा संदेय” शब्द रखे जाएंगे ;
26.	1988	59	मोटर यान अधिनियम , 1988	(अ) धारा 192क की उपधारा (1) में,— (i) “(***).और दस हजार रुपए का जुर्माना” शब्दों के स्थान पर “(***). या दस हजार रुपए का जुर्माना या दोनों” शब्द रखे जाएंगे; (ii) परंतुक का लोप किया जाएगा । (आ) धारा 200 (***) में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— (1) धारा 177, धारा 177क, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4), 182ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184 के स्पष्टीकरण का खंड (ग) (***), धारा 186 धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा 192क, धारा 192ख की उपधारा (3), धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा 196 या धारा 198 और धारा 201 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किया जा सकेगा ।”। (इ) धारा 215 में उपधारा (3) में पर निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “परंतु जहां (***) राज्य सरकार ने जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित नहीं की है केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले के लिए समिति का गठन कर सकेगी जो एक अद्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य जो यह आवश्यक समझे तथा ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो अवधारित की जाएं, से मिलकर बनेगी :
27.	1989	24	रेलवे अधिनियम , 1989	धारा 144 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “(2) किसी व्यक्ति को रेलवे के किसी सवारी डिब्बे में या रेलवे के किसी भाग पर भीख मांगना अनुज्ञात नहीं होगा ।”।
28.	1991	6	लोक दायित्व	(अ) धारा 2 में,—

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			बीमा अधिनियम , 1991	(i) खंड (जक) को उसके खंड (जख) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (जक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(जक) "संपत्ति" में परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण, प्रक्रिया, उपचार, पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाशक, संपरिवर्तन, अंतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण किसी इकाई या उपक्रम के द्वारा प्रभावित या क्षति की गई कोई प्राइवेट संपत्ति या लोक संपत्ति सम्मिलित है ।”। (ii) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(ट) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में है ।”; (आ) धारा 3 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “(1) जहां किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप (कर्मकार से भिन्न) किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे क्षति पहुंचती है या संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है वहां स्वामी ऐसी रकम या ऐसे अन्य अनुतोष जो विहित किए जाएं, को प्रदान करने के लिए दायी होगा— (क) घातक दुर्घटना के कारण मृत्यु; (ख) पूर्ण रूप से या आंशिक निःशक्तता के कारण उपगत चिकित्सीय व्यय; (ग) आंशिक निःशक्तता के कारण मजदूरी की हानि; (घ) अन्य क्षति या बीमारी; (ङ) प्राइवेट संपत्ति की क्षति; या (च) ऐसा अन्य नुकसान या क्षति जो विहित की जाए।”। (इ) धारा 4 में,— (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:— “(1) किसी उपक्रम का प्रत्येक स्वामी किसी परिसंकटमय पदार्थ का रखरखाव प्रारम्भ करने के पूर्व किसी उपक्रम या इकाई के लिए एक या अधिक बीमा पालिसियां लेगा जिसमें या जिनमें ऐसी बीमा की संविदाओं के लिए उपबन्ध होगा जिसके द्वारा वह ऐसा अनुतोष देने या धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ऐसी

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

रकम (***) की प्रतिपूर्ति करने की देयता के लिए बीमाकृत है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित के अधीन प्रचालन के लिए पृथक सहमति रखते हुए कोई उपक्रम—

(i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6); और

(ii) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14),

पृथक इकाई के रूप में समझा जाएगा:

परंतु जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से तत्काल पूर्व किसी परिसंकटमय पदार्थ के रखरखाव को करने वाले कोई स्वामी यथासंभवशीघ्र तथा उस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर ऐसी बीमा पॉलिसी या पॉलिसियां लेगा।”;

(ख) उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

(2क) किसी उपक्रम या इकाई के लिए किसी स्वामी द्वारा ली गई या नवीकृत कराई गई कोई भी बीमा पालिसी उस रकम के लिए होगी जो किसी परिसंकटमय पदार्थ को हथालने वाले उस उपक्रम या इकाई के स्वामी के स्वामत्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम की समादत्त पूंजी की रकम से कम रकम की नहीं होगी और पांच सौ करोड़ रुपये से अनधिक ऐसी रकम से, जो विहित की जाए, अधिक की नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी कंपनी के न होते हुए किसी स्वामी के संबंध में “समादत्त पूंजी” से बीमा की संविदा की तारीख पर उपक्रम की सभी आस्तियां और स्टॉक का बाजार मूल्य अभिप्रेत है।”।

(ई) धारा 6 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(1क) जहां कोई क्षति ऐसे परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण, प्रक्रिया, उपचार, पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाशक, संपरिवर्तन, अंतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण कोई लोक संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति के लिए कारित हुई है, ऐसी संपत्ति के पुनःसंग्रहण के दावे के लिए आवेदन को जो विहित की जाए कलेक्टर को ऐसी संपत्ति के स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।”।

(उ) धारा 7 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(9) जहां ऐसे परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण, प्रक्रिया, उपचार,

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाशक, संपरिवर्तन, अंतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण पर्यावरण प्रभावित होता या उसकी क्षति होती है। केंद्रीय सरकार, यथास्थिति केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए आवेदन पर उस रीति में जो विहित की जाए इस प्रकार कारित क्षति के पुनःभंडारण के लिए पर्यावरण अनुतोष निधि से निधि आवंटित करेगी।”।

(ऊ) धारा 7क में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1क) उपधारा (1) के अधिनियम स्थापित अनुतोष निधि के लिए निम्नलिखित उधार दिया जाएगा,—

(क) धारा 4 की उपधारा (2ग) में विनिर्दिष्ट रकम (***);

(ख) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम;

(ग) निधि से किए गए विधान से बाहर प्राप्त ब्याज या अन्य आय;

(घ) ऐसे अन्य संसाधनों से कोई अन्य रकम जो भी विहित की जाए;”;

(ऋ) धारा 14 और धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“14. असफलता के लिए शास्ति—(1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) के किन्हीं उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करता है, वह बीमा पॉलिसी के वार्षिक प्रीमियम की रकम के बराबर (***) शास्ति के लिए दायी होगा और जिसे ऐसे प्रीमियम की रकम के दुगुने तक बढ़ाया जा सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन लगातार हुआ हो, ऐसे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, जो प्रत्येक माह या उस अवधि के दौरान जिसमें उल्लंघन लगातार हुआ हो, के लिए संदाय की गई प्रीमियम की रकम से अधिक नहीं होगी।”।

(***)

“15. आदेश का अनुपालन करने के लिए शास्ति- (1) जहां कोई व्यक्ति धारा 12 के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन नहीं करता है, वह ऐसी (***) शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किन्तु जिसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन लगातार अनुपालन करता है, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी (***) अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा जो प्रतिदिन दस

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

हजार रुपए से कम नहीं होगी जिसके दौरान ऐसा अननुपालन लगातार हुआ हो।

(3) जहां कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करता है या धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी (***) शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी और जिसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

(4) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अननुपालन जारी रखता है, वह प्रतिदिन दस हजार रुपए की (***) अतिरिक्त शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा जिसके दौरान ऐसा अननुपालन जारी रहता है।

15क. न्यायनिर्णायक अधिकारी,—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 14 या धारा 15 के अधीन शास्तियां अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को या भारत सरकार के निदेशक के पद से अन्यून पंक्ति के अधिकारी को या राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच कर सकती है और शास्ति अधिरोपित कर सकती है (***) :

परंतु केन्द्रीय सरकार, जो अपेक्षित हो, कई न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए समन भेज सकता है और उपस्थिति को प्रवृत्त कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में उपयोगी हो सकता है या उसके लिए सुसंगत हो सकता है, यदि जांच की विषय-वस्तु और ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाए कि संबद्ध व्यक्ति, धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) और धारा 12 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह धारा 14 और धारा 15 के (***) **अधीन** जो वह ठीक समझे ऐसी शास्ति को अवधारित कर सकता है :

परंतु कोई ऐसी शास्ति संबद्ध व्यक्ति को (***) सुने जाने का (***) युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।

15ख. अपील—(1) (***) **कोई व्यक्ति**, जो धारा (***) 15क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

19) की धारा 3 के अधीन स्थापित किए गए राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक अपील उपधारा (1) के अधीन उस तारीख से साठ दिनों के भीतर फाइल की जाएगी जिस दिन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है ।

(3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे, उस आदेश की पुष्टि कर सकेगा संशोधन कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है ऐसी अपील पर अधिकरण द्वारा विचार तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने अधिकरण को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम का दस प्रतिशत निक्षेपित नहीं किया है ।

(ऐ) धारा 16 का लोप किया जाएगा ।

(ओ) धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“17. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन— (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है वहां विभाग का अध्यक्ष मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबर (***) शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु वह ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया था या उसने उस उल्लंघन को किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभाग के अध्यक्ष से भिन्न, किसी अधिकारी की उपेक्षा या किसी भूल के कारण हुआ है वहां वह मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबर (***) शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु वह उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उसने उस उल्लंघन को किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

17क. शास्ति रकम का पर्यावरण राहत कोष में जमा किया

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

जाना—यथास्थिति, जहां कोई शास्ति या अतिरिक्त शास्ति, धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के अधीन अधिरोपित की जाती है वहां ऐसी शास्ति की रकम धारा 7क के अधीन स्थापित पर्यावरण राहत कोष में जमा की जाएगी ।

17ख. शास्ति या अतिरिक्त शास्ति के संदाय (*)** की असफलता के लिए अपराध—(1) जहां कोई व्यक्ति शास्ति या अतिरिक्त शास्ति के संदाय में असफल रहता है अधिरोपण के लिए—

(क) यथास्थिति, धारा 14 या धारा 17 के अधीन उल्लंघन या निरंतर उल्लंघन ;

(ख) धारा 15 के अधीन जारी निदेशों के अननुपालन ऐसे अधिरोपण के नब्बे दिनों के भीतर, वह कारावास के लिए, जो तीन वर्ष तक हो सकता है या शास्ति से जो पन्द्रह लाख रुपए तक या दोनों से हो सकती है उत्तरदायी होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कंपनी द्वारा किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय पर जब अपराध किया गया, प्रत्यक्षतः कंपनी का सीधे प्रभारी था और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी का उत्तरदायी था, साथ ही कंपनी को, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा :

परंतु इस उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबंधित किसी अपराध का उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति या मौनानुकूलता या किसी उपेक्षा के कारण है, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के भाग पर उपेक्षा के फलस्वरूप किया जाता है, ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई भी कारपोरेट और इसमें फर्म या अन्य व्यष्टियों का संगम भी अभिप्रेत है ;

(ख) “निदेशक” के अन्तर्गत कंपनी का निदेशक भी है और फर्म के संबंध में, फर्म में (***) एक भागीदार ;

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(औ) धारा 23 की उपधारा (2) में,— (i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— “(क) धारा 4 की उपधारा (2क) के अधीन ऐसी रकम;”, (ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(डक) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अनुतोष और कोई अन्य हानि या क्षति की रकम;”, (डख) धारा 6 की उपधारा (1क) के अधीन ऐसा अन्य व्यक्ति ;”, (डग) धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए निधि के आबंटन की रीति ; (डघ) धारा 7क की उपधारा (1क) के खंड (घ) के अधीन अन्य स्रोतों से कोई अन्य रकम; (डड) धारा 15क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ; (अं) अनुसूची का लोप किया जाएगा।
29.	1995	7	केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995	(अ) (***) <u>अध्याय 4</u> के स्थान पर निम्नलिखित (***) <u>अध्याय</u> रखा जाएगा अर्थात्:— <u>"अध्याय 4</u> <u>शास्तियां</u> 16. इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति— (1) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह (***) <u>दायी</u> होगा— (क) प्रथम (***) <u>उल्लंघन</u> के लिए सलाह या परिनिंदा या चेतावनी या किसी जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से ; (ख) प्रत्येक पश्चातवर्ती (***) <u>तीन वर्षों की अवधि के भीतर</u> उल्लंघन के लिए सलाह या परिनिंदा या चेतावनी या किसी जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों <u>सहित</u> , (***) <u>ऐसे</u> पदाभिहित अधिकारी द्वारा जो विहित किए जाएं । (2) पदाभिहित अधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए आदेश द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा : <u>परन्तु तीन वर्षों से अधिक अवधि के ऊपर तीन बार उल्लंघनों से अधिक के मामले में पदाभिहित अधिकारी उपधारा</u>

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(1) में निर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त, आदेश द्वारा अभिलिखित कारणों के लिए अनुदत्त किए गए रजिस्ट्रेशन को निलंबित या प्रतिसंहत कर सकेगा : परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी द्वारा कोई (***) आदेश, सुनवाई किए जाने के युक्तियुक्त अवसर को प्रदान किए बिना, नहीं (***) किया जा सकेगा । (3) जो कोई उपधारा (2) के अधीन (***) आदेश द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति से व्यथित (***) कोई व्यक्ति भारत सरकार के सचिव को अपील कर सकेगा : परन्तु ऐसी कोई अपील ऐसे किसी आदेश की प्राप्ति से तीस दिन (***) की अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगी : परन्तु यह और कि कोई अपील तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील प्रस्तुत करने से किसी पर्याप्त कारण से निवारित था ।”। (आ) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (घक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(घख) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अवधि और (***) पदाभिहित अधिकारी ;। (अ) धारा 106 का लोप किया जाएगा । (आ) धारा 107 की उपधारा (2) में कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, कारबार या वृत्ति के सकल प्राप्ति में ऐसे व्यक्ति के संपरीक्षित लेखे में गणना की जाएगी या पांच लाख रुपए के समान रकम हो, जो भी कम होगी कुल बिक्री या आवर्त के आधे प्रतिशत के समान रकम के लिए दायी (***) होगा” शब्द रखे जाएंगे। (इ) धारा 108 और धारा 109 का लोप किया जाएगा । (ई) धारा 112 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 112क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- रजिस्ट्रार, किसी आदेश (***) द्वारा, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस रीति में जो विहित की जाए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच करने वाले किसी न्याय निर्णयन अधिकारी और उस पर अधिरोपित शास्ति के लिए, धारा 3 में निर्दिष्ट अधिकारी प्राधिकृत कर सकेगा ।
30.	1999	47	व्यापार चिट्ठन अधिनियम, 1999	

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

112ख. अपील- (1) जो कोई धारा 112क के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित है ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करती हो, उपरोक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी की पंक्ति से कम से कम एक रैंक से अधिक वाला अधिकारी होगा ।

(2) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीति में वरीयता दी जाएगी जो विहित की जाए ।

(3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकृत की जा सकती है यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी से संतुष्ट होता है कि उसे उक्त अवधि के भीतर अपील को वरीयता नहीं प्रदान करने के लिए पर्याप्त कारण दिया गया था ।

(4) किसी अपील का तब तक निपटान नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी अपील को फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा ।

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति धारा 112क के अधीन या इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेशों न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश का अनुपालन करने में विफल होता है, ऐसे आदेश के नब्बे दिन के भीतर अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा जो एक लाख रुपए के जुर्माने या ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या दोनों के लिए दंडनीय होगा ।”

(3) धारा 140 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(3) आयातकर्ता या उसका अभिकर्ता, चौदह दिन के भीतर यथापूर्वोक्त अपेक्षा का अनुपालन करेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह दस हजार रुपए की (***) शास्ति के लिए दायी होगा :

परंतु इस धारा के अधीन शास्ति ऐसे प्राधिकारी (***) द्वारा उदगृहीत की जाएगी जो इस प्रयोजन के लिए, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथा प्राधिकृत है।”।

(ऊ) धारा 157 की उपधारा (2) में, खंड (xxxiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(xxxiii)क) धारा 112क (***) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने (***) की रीति;

(xxxiii)ख) धारा 112ख की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	1999	48	माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	(अ) धारा 37 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “37क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- रजिस्ट्रार (***), किसी आदेश (**) द्वारा, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस रीति में जो विहित की जाए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच करने वाले किसी न्याय निर्णयन अधिकारी और उस पर अधिरोपित शास्ति के लिए, धारा 3 में निर्दिष्ट अधिकारी प्राधिकृत कर सकेगा। (***) 37ख. अपील- (1) जो कोई, धारा 37क के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित है ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करती हो, उपरोक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी की पंक्ति से कम से कम एक रैंक से अधिक वाला अधिकारी होगा। (2) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीति में वरीयता दी जाएगी जो विहित की जाए। (3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकृत की जा सकती है यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी से संतुष्ट होता है कि उसे उक्त अवधि के भीतर अपील को वरीयता नहीं प्रदान करने के लिए पर्याप्त कारण दिया गया था। (4) किसी अपील का तब तक निपटान नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो। (5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी अपील को फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा। (6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति धारा 37क के अधीन या इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेश न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश का अनुपालन करने में विफल होता है, ऐसे आदेश के नब्बे दिवस के भीतर अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा जो एक लाख रुपए के जुर्माने या ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या दोनों के लिए दंडनीय होगा।”। (आ) धारा 42 की उपधारा (2) में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, कारबार या वृत्ति के सकल प्राप्ति में ऐसे व्यक्ति के संपरीक्षित लेखे में गणना की जाएगी या पांच लाख रुपए के समान रकम हो, जो भी कम होगी कुल विक्री या आवर्त के आधे प्रतिशत के समान रकम की शास्ति (**) के लिए दायी होगा शब्द रखे जाएंगे।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(इ) धारा 43 और धारा 44 का लोप किया जाएगा ।

(ई) धारा 87 की उपधारा (2) में, खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(णक) धारा 37क (*) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति (***):**

(णख) धारा 37ख की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ।”।

(*)**

32. 2000 21 सूचना
प्रौद्योगिकी
अधिनियम,
2000

(अ) धारा 33 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति (***) के लिए दायी होगा, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 44 में,—

(i) खंड (क) में, “एक लाख पचास हजार” शब्दों के स्थान पर “पंद्रह लाख” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर “पचास हजार” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ग) में, “दस हजार” शब्दों के स्थान पर “एक लाख” शब्द रखे जाएंगे;

(इ) धारा 45 में,—

(i) “नियमों या विनियमों” शब्दों के स्थान पर “नियमों, विनियमों, निदेशों या आदेशों” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “पच्चीस हजार रुपए से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के अतिरिक्त एक लाख रुपए से अनधिक शास्ति, जो कि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

(क) मध्यवर्ती, कंपनी या निगमित निकाय द्वारा दस लाख रुपए ; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में एक लाख रुपए।”

(ई) धारा 46,—

(i) उपधारा (1) में, “इस अध्याय के अधीन” शब्दों के स्थान पर “इस अधिनियम के अधीन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) में, “क्षतियां” शब्दों का, दोनों स्थान पर जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

(उ) धारा 66क का लोप किया जाएगा।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ऊ) धारा 67ग की उपधारा (2) में, “कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा शब्दों के स्थान पर “ऐसी (***) शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे।

(ऊ) धारा 68 की उपधारा (2) में, “कारावास का, जिसकी अवधि दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी या एक लाख रुपए से अनधिक के जुर्माने का या दोनों का दायी होगा शब्दों के स्थान पर “(****) शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे।

(ए) धारा 69ख की उपधारा (4) में, “कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा शब्दों के स्थान पर “कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दायी होगा शब्द रखे जाएंगे।

(ऐ) धारा 70ख की उपधारा (7) में, “एक लाख” शब्दों के स्थान पर “एक करोड़” शब्द रखे जाएंगे।

(ओ) धारा 72 में, “कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे।

(औ) धारा 72क में,—

(i) पार्श्वशीर्ष में, “दंड” शब्द के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ।

33. 2002 60 मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002

(अ) धारा 6 की उपधारा (2) (***) में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(छक) इस अधिनियम के अधीन शास्तियां उद्ग्रहण करना और संगृहीत करना ।”।

(आ) धारा 59 (***) की उपधारा (2) (***) में,—

“(i) “जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी हो जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ;

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ii) “पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे :।

(इ) धारा 63 में, “यदि कोई यात्री, किसी मेट्रो रेलवे पदधारी द्वारा परिविरत रहने की चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी, किसी रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करेगा या किसी रेलगाड़ी के ऐसे भाग, जो यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित नहीं है पर हठपूर्वक यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाड़ी के बाहर निकालेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा शब्दों के स्थान पर “यदि कोई यात्री, किसी रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करेगा या रेलगाड़ी के ऐसे भाग, जो यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित नहीं है पर हठपूर्वक यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाड़ी से बाहर निकालेगा तो वह शास्ति का जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा शब्द रखे जाएंगे ।

(ई) धारा 65 की दीर्घशीर्ष में, “कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा शब्दों के स्थान पर “कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो तीस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(उ) धारा 69 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(4) यदि उपधारा (1) में वर्णित अधिक प्रभार और किराया या उपधारा (2) में वर्णित अधिक प्रभार और किराए का कोई अंतर देने के दायित्वाधीन कोई यात्री उसकी मांग की जाने पर, उसे नहीं देता है या देने से इंकार करता है तो इस निमित्त मेट्रो रेलवे प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई मेट्रो रेलवे पदधारी ऐसी संदेय राशि की वसूली के लिए, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुर्माना हो ।”।

(ऊ) धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“70. रेलगाड़ी के संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना—यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, यात्रियों और रेलगाड़ी के भारसाधक मेट्रो रेल पदधारी के बीच के संचार के लिए मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा रेलगाड़ी में व्यवस्थित किन्हीं साधनों का उपयोग या उनमें हस्तक्षेप, युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना करेगा या मेट्रो रेल की चेतावनी घंटी या आपात स्टॉप पुश या आपात ट्रिप प्रणाली या आपात कॉल प्वाइंट का दुरुपयोग करेगा तो ऐसी शास्ति

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, <u>(***)</u> दायी होगा ।” (ऋ) धारा 80 का लोप किया जाएगा । (ए) धारा 82 की उपधारा (1) में, “धारा 65 से धारा 79” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 65 से धारा 68, धारा 71 से धारा 79” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।
34	2003	15	धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002	अनुसूची के भाग क में,— (i) पैरा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :— “पैरा 21 व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) धारा अपराधों का वर्णन “103 मिथ्या व्यापार चिह्न, पण्य विवरण आदि लगाने के लिए शास्ति । 104 ऐसे माल का विक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति, जिस पर मिथ्या व्यापार चिह्न या मिथ्या पण्य विवरण लगाया गया है । 105 दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित शास्ति । 120 भारत के बाहर किए गए कृत्यों के लिए भारत में दुष्प्रेरण का दंड ।”; (ii) पैरा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :— “पैरा 22 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन अपराध धारा अपराधों का वर्णन “75 अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों या उल्लंघनों को लागू होना ।”; (iii) पैरा 25 का लोप किया जाएगा ; (iv) पैरा 27 का लोप किया जाएगा ।
35.	2006	34	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006	(अ) धारा 59 के खंड (i) में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 61 में,—

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(i) पार्श्वशीर्ष में “दंड” शब्द के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखे जाएंगे : (ii) “कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, <u>दंडनीय</u> होगा शब्दों के स्थान पर, “<u>शास्ति का</u>, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, (***) <u>दायी</u> होगा शब्द रखे जाएंगे । (इ) धारा 63 में,— (i) पार्श्वशीर्ष में “दंड” शब्द के स्थान पर, “शास्ति” शब्द <u>रखा जाएगा</u> : (ii) “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, <u>दंडनीय</u> होगा शब्दों के स्थान पर, “<u>शास्ति का</u>, जो (***) <u>दस</u> लाख रुपए तक की हो सकेगी, (***)<u>दायी</u> होगा शब्द रखे जाएंगे ।
36.	2006	38	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006	धारा 30 में,— (i) उपधारा (1) में, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से <u>दंडनीय होगा</u> शब्दों के स्थान पर, “<u>बैंक</u> (***) <u>पांच लाख रुपए या ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित रकम के दुगने जहां रकम परिमाणात्मक है, जो भी उच्चतर हो से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त शास्ति से जो पहले दिन के पश्चात् जिसके लिए ऐसा उल्लंघन जारी रहता है प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक हो सकेगी</u>” शब्द रखे जाएंगे । (ii) <u>उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।</u>
37.	2006	41	छावनी अधिनियम, 2006	(अ) धारा 156 का लोप किया जाएगा। (आ) धारा 185 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “(1) किसी छावनी क्षेत्र में किसी बोर्ड के अधीन किसी आवश्यक सेवा में नियोजित कोई व्यक्ति किसी संविदा के अभाव में समुचित प्राधिकार के बिना युक्तियुक्त कारण के बिना त्यागपत्र नहीं देगा या इयूटी से स्वयं अनुपस्थित नहीं होगा और ऐसे त्यागपत्र या इयूटी से अनुपस्थिति की दशा में, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में, जो विहित की जाए, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी ।”। (***) (इ) (***) <u>धारा 286 का लोप किया जाएगा ।</u> (ई) धारा 287 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— “287. धारा 285 (***) के अधीन अपराधों के लिए <u>व्यक्तियों की गिरफ्तारी</u>, वस्तुओं का अभिग्रहण और अधिहरण—(1) दंड प्रक्रिया

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी अथवा उत्पाद-शुल्क अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को जो धारा (***) 285 के अधीन किसी अपराध को करता है और ऐसा कोई आसव लिकर या मादक द्रव्य, जिसकी बाबत धारा 285 (*** के अधीन कोई अपराध किया गया है तथा ऐसे कोई बरतन या परिवेष्ठन, जिनमें वह लिकर या मादक द्रव्य रखा है, अभिगृहीत (*** कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा ।

(2) जहां धारा 285 के अधीन वाले अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति उस धारा के अधीन वाले अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया जा चुका है वहां पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से छावनी के अंदर अथवा उस धारा के अधीन परिनिश्चित किन्हीं सीमाओं के अंदर ऐसा कोई आसव लिकर या मादक द्रव्य अभिगृहीत कर सकेगा और उसे निरुद्ध कर सकेगा, जो पश्चातवर्ती अपराध के अभिकथित, किए जाने के समय ऐसे व्यक्ति का था या उसके कब्जे में था ।

(3) वह न्यायालय जो किसी व्यक्ति को धारा 285 (*** के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करता है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत किसी पूरी वस्तु या उसके भाग के अधिहरण का आदेश दे सकेगा ।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी कोई वस्तु, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत की गई है और उपधारा (3) के अधीन समपद्धत नहीं की गई है, उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी, जिससे वह ली गई थी ।

(उ) (*** धारा 289 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा ।

(***)

(ऊ) (*** धारा 314 के परन्तुक के खंड (क) में “ऐसे किन्हीं उपबंधों को भंग करने की दशा में जो अनुसूची 4 के भाग ख में विनिर्दिष्ट है” शब्दों, अक्षर और अंक का लोप किया जाएगा ।

(***)

(***)

(ऋ) (*** अनुसूची 4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची 4

(धारा 314 देखिए)

धारा विषय

183(1) किसी अस्पताल या औषधालय में उपस्थित होने में असफलता के लिए निष्कासन की सूचना के पश्चात् किसी छावनी में बने

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				रहना या पुनःप्रवेश करना
				296 खतरा उत्पन्न करने के लिए अग्नेयास्त्र आदि चलाना
				300 लैंगिक अनैतिकता के लिए आवारा फिरना या दुराग्रह करना
				304(क) निष्कासन की सूचना के पश्चात् छावनी में बने रहना या वापस प्रवेश करना ।
38.	2007	51	संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	(अ) धारा 26 में,— (i) उपधारा (3) में, “जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के संबंध में दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और यदि वह लगातार ऐसे इंकार करता है, तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा के स्थान पर “धारा 30 के उपबंध के अनुसार (***) शास्ति के लिए दायी होगा शब्द और अंक रखे जाएंगे; (ii) उपधारा (6) में, “जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहने वाला है, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा के स्थान पर “धारा 30 के उपबंध के अनुसार (***) शास्ति के लिए दायी होगा शब्द और अंक रखे जाएंगे । (आ) धारा 30 में— (क) पार्श्वशीर्ष में “जुर्माने” शब्द के स्थान पर “शास्तियां” शब्द रखा जाएगा; (ख) उपधारा (1) में— (i) “उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक के बाद “तथा उपधारा (3)” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे; (ii) “पांच लाख” शब्दों के स्थान पर “दस लाख” शब्द रखे जाएंगे ।
39	2009	7	सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008	(अ) धारा 9 की उपधारा (2) और उपधारा (3) में “अभियोजन” शब्द के स्थान पर “शास्ति” शब्द रखा जाएगा ; (आ) अध्याय 4 (***) के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :—

“ अध्याय 4

शास्तियां और न्यायनिर्णयन”

“15. विशिष्टियां और अन्य उल्लंघनों के प्रदाय करने में उपेक्षा या इंकार करने के लिए शास्ति—(1) जो कोई (*) किसी लेखा बही ,वाउचर ,दस्तावेज या अन्य कारबार अभिलेख पेश करने के उल्लंघन में कृत्य करता है या असफल रहता है अथवा जो कोई उसे दी गई या भेजी गई किसी सूचना अनुसूची या विवरणी में अपेक्षित**

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

विशिष्टियों को भरने या उनका प्रदाय करने में अपेक्षा करता है या इंकार करता है या जो कोई इस अधिनियम (***) के किसी उपबंध के प्रयोजनों के लिए या इस अधिनियम के उपबंधों को या तद्दीन बनाए गए नियमों के या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी अपेक्षा के उल्लंघन में कृत्य करता है या अनुपालन करने में असफल रहता है (***) शास्ति का जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी या और कंपनी की दशा में ऐसी (***) शास्ति जो (****) एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, (****) दायी होगा ।

(2) किसी व्यक्ति या कंपनी पर शास्ति का अधिरोपण उपधारा (1) के अधीन उसे या उसकी बाध्यताओं से अवमुक्त नहीं करेगी, और यदि शास्ति के अधिरोपण की तारीख से चौदह दिन के अवसान के पश्चात्, वह अपेक्षित विशिष्टियों को देने में असफल रहता है या इस अधिनियम के किसी उपबंध की या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या इस अधिनियम के अधीन किसी आवश्यकता उपेक्षा या इंकार या उल्लंघन करता है और किसी कंपनी की दशा में, अतिरिक्त शास्ति से, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उपेक्षा, इंकार या उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

15क न्यायनिर्णायक अधिकारी- (1) समुचित सरकार धारा 15 के अधीन शास्तियों को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए कोई जांच करने के लिए, किसी अधिकारी को, जिसे वह ठीक समझे, न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु समुचित सरकार, अनेक न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो आवश्यक समझे ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी शमन कर सकेगा और मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को सक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने के लिए बुला सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकेगा, और यदि ऐसी जांच के पश्चात् वह संतुष्ट है कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

15ख. अपील-(1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित होता है, समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत न्यायनिर्णायक प्राधिकरारी के रैंक से ऊपर के अपील प्राधिकारी को आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, अपील

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) किसी अपील को तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे ।

(3) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटान अपील प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा ।

15ग वसूली - इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शास्ति इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाती है, जमा नहीं की जाती, रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

(इ) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (घक) में निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(घख) धारा 15क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;

(घग) धारा 15ख की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ।”।

40 2010 1 विधिक
मापविज्ञान
अधिनियम,
2009

(अ) धारा 25 में, “जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ,और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी” शब्दों के स्थान पर “जुर्माने से, जो एक लाख (***) रुपए और द्वितीय अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख (***) रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(आ) धारा 27 की दीर्घशीर्ष में, “जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तथा द्वितीय अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो चार लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(इ) धारा 28 में, वह जुर्माने से ,जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से ,जिसकी

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए और दूसरे अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ई) धारा 29 में, “जुर्माने से ,जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “दूसरे अपराध के लिए पचास हजार रुपए और ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ऊ) धारा 34 में, “जुर्माने से ,जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा ,किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से ,जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगा, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा तृतीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ऋ) धारा 35 में, “जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से ,जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा तृतीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ए) धारा 48 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में, “धारा 27 से धारा 39” दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 27 से धारा 39, धारा 41” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (3) में, “धारा 33 से धारा 37” शब्दों और अंकों के पश्चात् “धारा 41” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।”।

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41.	2012	12	फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011	(अ) धारा 21 और धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्. :— “21. शास्तियां—यदि धारा 19 के अधीन किसी फेक्टर द्वारा प्राप्तव्यों के समनुदेशन और प्राप्तव्यों की वसूली के किसी संव्यवहार की विशिष्टियां फाइल करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो ऐसी कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो करने वाला व्यक्ति है, ऐसी शास्ति से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा और अपराध जारी रहने की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, जो कि धारा 22 की उपधारा (2) से उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। 22. रिजर्व बैंक के निदेश का अनुपालन न करने के लिए शास्ति— (1) यदि कोई फेक्टर धारा 6 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश का अनुपालन करने से असफल रहता है या धारा 19 के अधीन प्राप्तव्यों के किसी संव्यवहार और प्राप्तव्यों की वसूली की विशिष्टियां को फाइल करने में असफल रहता है, तो रिजर्व बैंक ऐसी शास्ति जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी और (***) असफलता जारी रहने की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा। (2) रिजर्व बैंक उपधारा (1) या धारा 21 के अधीन शास्ति अधिनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए, फेक्टर को उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करेगा कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए और ऐसे फेक्टर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाएगा। (3) इस धारा या धारा 21 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति, उस तारीख से जिसको रिजर्व बैंक द्वारा राशि के संदाय की मांग करने संबंधी सूचना की फेक्टर पर तामील की जाती है, चौदह दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और फेक्टर द्वारा उस अवधि के भीतर राशि का संदाय करने में असफल रहने की दशा में, उस क्षेत्र में, जहां फेक्टर का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; अथवा किसी फेक्टर के भारत के बाहर निगमित होने की दशा में, जहां भारत में उसके कारबार का मुख्य स्थान स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निदेश पर उद्गृहीत की जा सकेगी:

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				परंतु ऐसा कोई निदेश रिजर्व बैंक या इस निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय को किए गए आवेदन के सिवाय नहीं दिया जाएगा : परंतु यह और कि रिजर्व बैंक व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के चालू खाता, यदि कोई हो, से नामें द्वारा या व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के जमा रखी प्रतिभूतियों के परिसमापन द्वारा शास्ति की रकम वसूल कर सकेगा । (4) वह न्यायालय, जो उपधारा (3) के अधीन कोई निदेश देता है, फेक्टर द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति में प्रवर्तनीय होगा, मानो वह किसी सिविल न्यायालय द्वारा की गई कोई डिक्री हो ।”।
42.	2016	18	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016	धारा 41 में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर “(***) शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी या कंपनी की दशा में, (***) शास्ति से, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।” प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

COMPOSITION OF THE JOINT COMMITTEE ON
THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022

SHRI P.P. CHAUDHARY – HON'BLE CHAIRPERSON

LOK SABHA

2. Dr. Sanjay Jaiswal
3. Shri Uday Pratap Singh
4. Shri Sanjay Seth
5. Smt. Queen Oja
6. Shri Khagen Murmu
7. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
8. Smt. Poonam Pramod Mahajan
9. Smt. Aparajita Sarangi
10. Shri Arvind Dharmapuri
11. Shri Rajendra Agrawal
12. Shri Rattan Lal Kataria
13. Shri Gaurav Gogoi
14. Adv. Dean Kuriakose
15. Shri A. Raja
16. Prof. Sougata Ray
17. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti
18. Shri Gajanan Chandrakant Kirtikar
19. Shri Rajiv Ranjan Alias Lalan Singh
20. Shri Pinaki Misra
21. Shri Girish Chandra

RAJYA SABHA

22. Shri Ghanshyam Tiwari
23. Shri G.V.L. Narasimha Rao
24. Shri Mahesh Jethmalani

25. Dr. Radha Mohan Das Agarwal
26. Shri Vivek K. Tankha
27. Shri Sukhendu Sekhar Ray
28. Dr. Kanimozhi NVN Somu
29. Shri Narain Dass Gupta
30. Shri Sujeet Kumar
31. Shri Masthan Rao Beeda

SECRETARIAT

1.	Shri Vinay Kumar Mohan	-	Joint Secretary
2.	Shri H. Ram Prakash	-	Director
3.	Shri Rahul Singh	-	Deputy Secretary
4.	Ms. Maya Menon	-	Under Secretary
5.	Shri Dinesh Kumar	-	Executive Officer
6.	Ms. Vandana	-	Executive Officer

INTRODUCTION

I, the Chairperson of the the Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 to which 'The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022' was referred, having been authorized to submit the Report on their behalf, present this Report with the Bill, as reported by the Joint Committee annexed thereto.

2. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 was introduced in Lok Sabha on 22 December 2022. The Motion for reference of the Bill to a Joint Committee of both the Houses of Parliament was moved in Lok Sabha on 22 December 2022 by Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles (**Vide Appendix-I**) and concurred by the Rajya Sabha on 23 December 2022 (**Vide Appendix-II**).

3. As per the motion moved in the House, the Report of the Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 is to be presented to Lok Sabha by the last day of the first week of the second part of the Budget Session, 2023 of Parliament.

4. Keeping in view the importance of the Bill, its wide ranging implications including 183 amendments across 42 Acts administered by 19 Ministries, with limited time available to examine the subject in detail, the Committee had briefing by the representatives of the respective Departments/Ministries, which were administering these Acts, on various amendments proposed to 42 Acts mentioned in the Schedule to the Bill.

5. The Committee held nine sittings in all. In the first sitting, a general briefing giving overall view of objective and rationale behind bringing this legislation was made by the representatives of DPIIT. In the subsequent six sittings, the concerned Ministries/Departments were called for briefing on various amendments proposed to the enactments specified in the Bill. They heard the views of concerned Ministries/Department. The Committee held two sittings for Clause by Clause consideration of the Bill. Details of the sittings of the Joint Committee are at **Appendix- III**.

6. The Committee, in their tenth sitting held on 13 March, 2023, considered and adopted the draft report and authorized the Chairperson to present the report on their behalf. The Committee also decided that one copy of the proceedings of the sittings of the Committee may be placed in the Parliament Library, after the Report has been presented to Parliament, for reference by the Members of Parliament. The Bill, as reported by the Joint Committee, is appended after the Report.

7. The Committee wish to express their thanks to the representatives of the Ministries/Departments of Agriculture and Farmers Welfare; Commerce; Consumer Affairs; Defence; Economic Affairs; Financial Services; Food and Public Distribution; Health & Family Welfare; Posts; Department for Promotion of Industry and Internal Trade; Information and Broadcasting; Ports, Shipping and Waterways; Railways; Electronics and Information Technology; Environment, Forest and Climate Change; Housing and Urban Affairs; Road Transport and Highways; Statistics and Program Implementation; Revenue; and Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs), who appeared before the Committee and placed their considered views to the points raised by the Committee during examination of the Bill.

8. The Committee take this opportunity to express their deep appreciation to the officials of DPIIT for coordination with all other Departments/Ministries and also the officials of the Legislative Department for providing valuable inputs during the deliberations of the Joint Committee. The Committee would also like to acknowledge and place on record the appreciation of the Committee to the sincere and devoted efforts made by the Officers of Lok Sabha Secretariat by facilitating conduct of all the sittings of the Committee smoothly and for preparing the draft Report of the Committee within the time given to the Committee.

P.P. Chaudhary,
Chairperson,
Joint Committee on the Jan Vishwas
(Amendment of Provisions) Bill, 2022

Dated: 13 March 2023
Place: New Delhi

CHAPTER I

Objectives, Necessity and Scope

1. Objectives of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022

1.1. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022¹ was introduced in Lok Sabha on 22nd December, 2022. It seeks to amend 183 provisions across 42 Acts administered by 19 Ministries to reduce the compliance burden on individuals and businesses with the twin objectives of ease of doing business and ease of living for the citizens. The Bill has been piloted by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India after the respective Ministries had detailed discussions with industry bodies and key stakeholders across different sectors on the Acts enforced by them. The Bill proposes a number of changes to the existing laws, including but not limited to: (a) decriminalizing various offences; (b) revision of various fines and penalties; (c) appointment of Adjudicating Officers; (d) establishment of Appellate Authorities; and (e) increase in the fines and penalties periodically. The Bill offers scope and horizon to identify areas for reforms and improve the local business environment as well as easing the lives of individuals simultaneously.

1.2. The exercise of reducing compliance burden on businesses and citizens has been initiated with the goal of ensuring a hassle-free and seamless service delivery to the ultimate beneficiary. Through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, decriminalization is being proposed to be achieved in the following ways:

- (i) both imprisonment and/or fine are proposed to be removed;
- (ii) imprisonment is proposed to be removed and fine retained/enhanced;
- (iii) imprisonment and/or fine are proposed to be converted to penalty; and
- (iv) compounding of offences is proposed to be introduced.

1.3. **Decriminalising certain offences:** Under the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, several offences with an imprisonment term in certain Acts have been proposed to be decriminalised by imposing only a monetary penalty. For example, under the

¹ The Bill was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 22nd December, 2022

Cinematograph Act, 1952, there is an imprisonment for a term which may extend upto three years if any person fails to notify to any film distributor or exhibitor about the title, length of the film or number and nature of the certificate granted for the film, etc. in the manner prescribed by the Act. The Bill now proposes to replace this with a monetary penalty of five lakh rupees. Similarly, under the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, counterfeiting of grade designation marks is punishable with imprisonment for a term extending upto three years and a fine extending upto five thousand rupees. The Bill proposes to replace this with a penalty of eight lakh rupees.

1.4. Fine and Penalty differentiated: In certain Acts, offences have been decriminalised by imposing a penalty instead of a fine. For instance, under the Patents Act, 1970, a person selling a falsely represented article as patented in India is subject to a fine of upto one lakh rupees. The Bill replaces the fine with a penalty, which may extend upto ten lakh rupees and in case of continuing contravention, there shall be an additional penalty of one thousand rupees *per diem*.

1.5. Revision of fines and penalties: The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 also proposes to increase the fines and penalties for some offences in the Acts specified in the Schedule to this Bill. Further, fines and penalties, *vide* clause 3 of the Bill, specified in the schedule have been proposed to be increased by ten *per cent* of the minimum amount of fine or penalty prescribed therefor after expiry of every three years from the date of commencement of the proposed Act, which seems to be a first time introduced legislative proposal to save the precious limited time at the disposal of the Parliament.

1.6. Appointing Adjudicating Officers: As per the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, the Government of India may appoint one or more adjudicating officers for the purpose of determining penalties. The adjudicating officers may summon individuals for evidence and conduct inquiries into violations of the respective Acts. For instance, the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, and the Public Liability Insurance Act, 1991 are the Acts among others which provide for the appointment of Adjudicating Officer.

1.7. Appellate Mechanism: The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 also specifies the appellate mechanisms for persons, aggrieved by an order passed by an adjudicating officer/authority. For instance, under the Cinematograph Act, 1952, the provision to prefer appeal has been provided. Similarly, under the Merchant Shipping Act, 1958, provision to prefer appeal before the Director General within 30 days has been provided. Under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986, appeals may be preferred to the National Green Tribunal within sixty days from the date of order.

1.8. Brief details of the number of provisions proposed to be decriminalized by the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 in respect of 19 Ministries/Departments and 42 Acts being considered in the Bill are given below:

Proposal			
19 Ministries/Departments – 42 Acts			
Sl. No.	Categories	Number of provisions to be decriminalized (Acts)	
1	Imprisonment and/or Fine removed		55 (21)
	Imprisonment and fine removed	42	
	Imprisonment removed	3	
	Fine removed	10	
2	Imprisonment and/or Fine converted to Penalty		89 (22)
	Imprisonment and fine converted to Penalty	69	
	Imprisonment converted to Penalty	2	
	Fine converted to Penalty	18	
3	Imprisonment removed and Fine retained		14 (6)
4	Imprisonment removed and Fine enhanced		18 (5)
5	Introduced Compounding of Offences		6 (3)
Total Provisions to be decriminalized			182

1.9. The details of number of provisions containing consequential and other amendments proposed in the Bill are further tabulated hereunder:

Consequential and other amendments in the Bill		
Sl. No.	Action Proposed	Number of provisions (Acts)
1	Introduce Adjudication/ Appeal/ Recovery Mechanism	41 (10)
2	Introducing Imprisonment and/or fine	6 (6)
3	Introducing penalties	1 (1)
4	Enhancing penalties/fine	4 (1)
5	Imprisonment reduced and/or fine retained/enhanced	3 (2)
6	Imprisonment retained and fine enhanced	7 (2)
7	Consequential amendments	
	Shifting of offence	6
	Omission from Schedule	6
	Creation of Fund	12
	Other amendments like definitions	55
Total		141

2. Necessity for the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022

2.1. Trust is a prerequisite and fundamental for democratic governance. The outdated rules and regulations cause trust deficit amongst the general public and entrepreneurs. The linchpin of democratic governance lies in the Government trusting its own institutions as well as the common citizenry. The fear of imprisonment for minor offences is a major factor hampering the growth of the business ecosystem and shattering the confidence of entrepreneurs. Reducing the compliance burden also gives impetus to business process reengineering and improves ease of living of people. Pursuing the spirit of 'Minimum Government Maximum Governance', India needs to get rid of the vintage laws that were adversely affecting the development of the country as well as out of sync with the philosophy of the Government. With the advent of technology and changes in the socio-economic scenario, it is necessary for the country to liberate the entrepreneurial spirit of its

citizens to instill confidence and step forward towards the new era of business reforms making India the most preferred global investment destination by boosting investor sentiments - locally as well as globally.

2.2. The World Bank Group had established a ranking system called the Ease of Doing Business Index wherein, as per the last World Bank Ease of Doing Business Report 2020, India ranked at 63rd position against the 77th rank in 2018 and 142nd rank in 2014. It has been highly appreciated that since 2014, the Government processes underwent major change and started responding innovatively. The Government started reengineering, bringing various ministries and departments of the Centre and the States together to achieve a common goal of making India the most preferred business destination. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade is the institutional anchor for the Ease of Doing Business programme. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has acted as a fulcrum and brought in a cohesive approach by breaking the silos and working to network with all the Government agencies.

2.3. More ease of doing business means more withdrawals or relaxing of regulations and undoubtedly it lead to ease of living along; albeit the investors take into consideration various other issues before making a decision to invest in any economy, such as legal framework, democratic status, potential growth of trade, geo-political situation, the stability of the Government, market potential, black swan events, law and order, etc. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, as introduced, has endeavoured to identify a large number of offences of minor nature and decriminalize them with monetary penalties. The endeavour is not only to make lives and businesses easier but also to reduce judicial burden. Settlement of large number of issues by compounding method and adjudication by administrative mechanism without involving courts will enable persons to remedy minor contraventions and defaults, thereby saving time, energy and resources.

2.4. The following factors necessitate the introduction of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022:

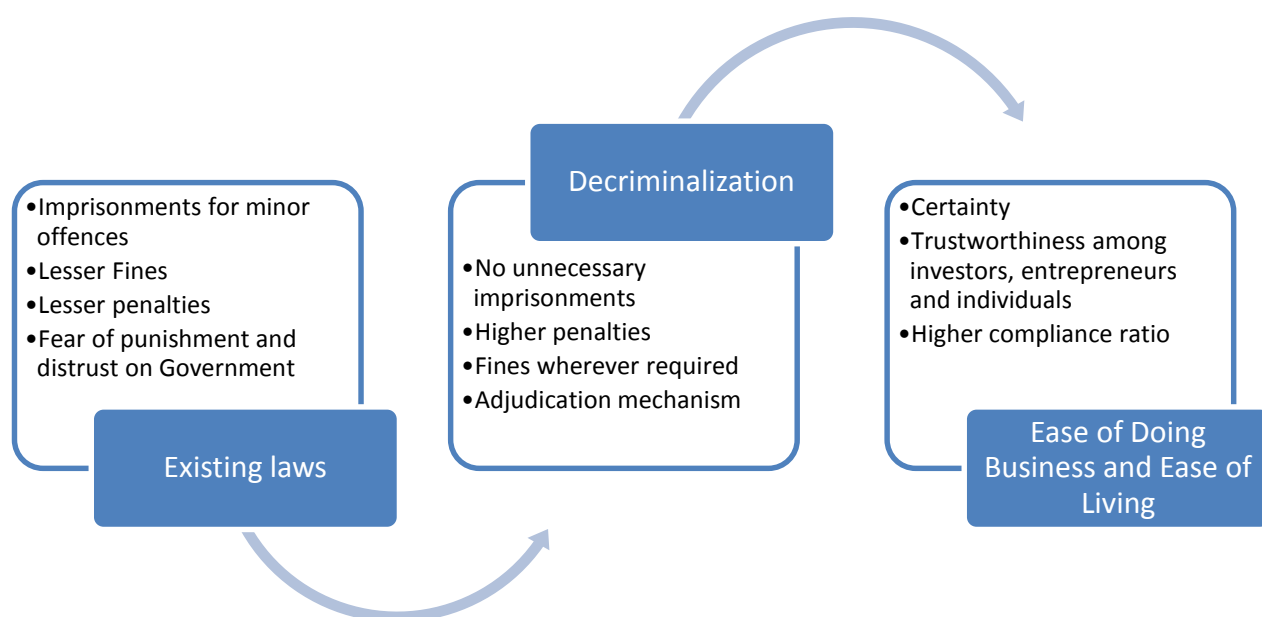
- ❖ The Amendment Bill envisages a thrust to businesses by eradicating the fear of criminal provisions for minor, technical and procedural defaults. This will go a long

way in realizing the vision of greater ease of doing business, ease of living and an 'Atmanirbhar Bharat'.

- ❖ Sound and efficient business regulations are vital, for an economy cannot thrive without a healthy private sector. When local businesses flourish, they create jobs and generate income that can be spent and invested domestically. Effective business regulations present micro, small and medium scale enterprises the opportunity to grow, innovate and move from informal to formal sector of an economy.
- ❖ It is important to have effective rules and regulations in place that are easy to understand and follow. The micro, small and medium entrepreneurs especially emerging entrepreneurs face significantly different realities as they set up and start operating their businesses. In order to realize financial gains, trim down corruption and encourage micro, small and medium scale enterprises to flourish, unnecessary red tape should be eliminated.
- ❖ The clauses of criminality for small procedural lapses and minor defaults clog judiciary and may put adjudication of major offences on the back burner. Some of the proposed amendments are introducing suitable adjudication mechanism, wherever applicable and feasible for dealing with minor offences. This would go a long way in reducing burden on the judiciary, unclog courts and help in efficient justice dispensation.
- ❖ There is rise in the cases of criminal nature where the acts of omission or commission are either of trivial nature or compoundable and settled only with penalty. As per the National Judicial Data Grid, as on 23rd February, 2023, out of a total of 4,24,02,907 pending cases, 3,15,86,284 cases are in relation to criminal proceedings. As per the National Crime Records Bureau's Prison Statistics as on 31st December, 2021, a total of 5,54,034 prisoners were confined in different prisons in India against a capacity of 4,25,609. Decriminalising of minor offences will certainly reduce the burden on judiciary and prisons while easing the doing of business and easing the living of the individuals at the same time.

- ❖ As contrary to punishing wrongful conduct, criminalization of minor acts of omission or commission often becomes a tool for the Executive to project a strong image. As many of the Acts belong to British era where the State mistrusts its citizens, it is no longer the case in the country. This “overcriminalisation” is required to be redressed by justifying the penalties in the law and bringing in flexibility.
- ❖ The regulatory burden often poses substantial deterrents for investors. Discrepancies among existing laws can lead to unnecessary and even contradictory compliance requirement. Moreover, the lengthy processing times for the needed approvals can escalate costs and dampen the entrepreneurial spirit. Proposed amendments would accelerate investment decisions due to smoother processes and attracting more investment.

SEAMLESS TRANSFORMATION FROM EXISTING PROVISIONS TO THE EASE OF DOING BUSINESS



3. **Scope of the Bill**

3.1. As mentioned in the Statement of Objects and Reasons of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, the Bill seeks to reduce compliance burden to give impetus to business process reengineering and improve ease of living of people. The large number of reforms expected to be brought by the Bill will impact all kinds of business enterprises ranging from small and medium enterprises to mega corporations, investors to start-ups, workers to entrepreneurs, and companies to the economies and most importantly the citizens of the country.

3.2. The excessive compliances are onerous on micro, small and medium enterprises. The Bill proposes to undertake 'quasi-decriminalisation'. The regulatory offences to be considered for 'decriminalisation' need to be prioritised not only from the point of view of the ease of doing business but also from the points of view of the ills that plague our criminal justice system itself. A monograph titled 'Jailed For Doing Business' by the Observer Research Foundation presents a deep dive into the imprisonment clauses that plague India's business compliance regulation framework. The report found among the 69,233 unique compliances that regulate doing business in India, 26,134 clauses have imprisonment clauses as a penalty of non-compliance. As per the said Report, an average Indian enterprise in the manufacturing sector with more than 150 employees deal with 500-900 compliances a year that cost nearly 12 to 18 lakh rupees in a single year. Almost two out of five compliances can send an entrepreneur to prison. In this light, the number of offences deregulated under the Bill is an initiative in the right direction. The Bill conforms to the understanding of the government that decriminalization should be limited to regulatory domains.

3.3. Presently, people are reluctant to do business in India as even minor offences can lead them to being jailed and the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 will incontrovertibly impact the business mindset of the people on the one hand and reduce the burden on the Judicial and Quasi Judicial system on the other hand. Overall the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 aims to provide and expand business

opportunities with a swift and effective resolution of various minor disputes while also ensuring that the government is able to collect penalties.

3.4. In the present scenario, the compliance burden by the business community and the individuals can be reduced through the following steps, which are also the focus areas of the exercise of reducing compliance burden:

- (i) Rationalization of legal provisions by repealing, amending or omitting the redundant laws.
- (ii) Simplification of procedures related to applications, renewals, inspections, filing records, etc.
- (iii) Digitization of government processes by creating online interfaces.
- (iv) Decriminalisation of minor, technical or procedural defaults.

3.5. Unambiguously defined regulation and equal access to property rights are essential for enabling businesses to expand their operations. If governments do not put in place adequate protection laws and leave the business community open to disputes, the stakeholders would be disinclined to invest in the developmental projects. Protection of interests of the minority investors is paramount. Greater protection helps foster trust and confidence and, in turn, spurs greater access to finance for entrepreneurs. Unambiguous rules and regulations, robust rights and augmented transparency are some of the regulatory instruments at the disposal of Government. An incessant and focused reform agenda keeps an economy competitive and vigilant. The regional diversity and varying income levels among the citizens accentuate the fact that with few bureaucratic hurdles and robust laws and regulations, any economy can make it to the top. The quality and effectiveness of regulations matter most for a good performance in the ease of doing business and ease of living. The trust-based governance is needed at all levels. Regulatory environment should be more conducive for starting and running businesses.

4. **Acts under consideration**

4.1. The following Acts included in the Schedule to the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 are proposed to be amended by the Bill:

1. The Press and Registration of Books Act, 1867

2. The Indian Post Office Act, 1898
3. The Boilers Act, 1923
4. The Indian Forest Act, 1927
5. The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937
6. The Drugs and Cosmetics Act, 1940
7. The Public Debt Act, 1944
8. The Rubber Act, 1947
9. The Pharmacy Act, 1948
10. The Industries (Development and Regulation) Act, 1951
11. The Cinematograph Act, 1952
12. The Tea Act, 1953
13. The Copyright Act, 1957
14. The Merchant Shipping Act, 1958
15. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961
16. The Warehousing Corporations Act, 1962
17. The Food Corporations Act, 1964
18. The Patents Act, 1970
19. The Marine Products Export Development Authority Act, 1972
20. The High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978
21. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
22. The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981
23. The Spices Board Act, 1986
24. The Environment (Protection) Act, 1986
25. The National Housing Bank Act, 1987
26. The Motor Vehicles Act, 1988
27. The Railways Act, 1989
28. The Public Liability Insurance Act, 1991
29. The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995
30. The Trade Marks Act, 1999
31. The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999
32. The Information Technology Act, 2000
33. The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002
34. The Prevention of Money-laundering Act, 2002

35. The Food Safety and Standards Act, 2006
36. The Government Securities Act, 2006
37. The Cantonments Act, 2006
38. The Payment and Settlement Systems Act, 2007
39. The Collection of Statistics Act, 2008
40. The Legal Metrology Act, 2009
41. The Factoring Regulation Act, 2011
42. The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

---X---

CHAPTER II

PROCEDURE ADOPTED BY THE COMMITTEE IN EXAMINATION OF THE BILL

2.1. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 (Bill No. 299 of 2022) to amend certain enactments for decriminalising and rationalising minor offences to enhance trust-based governance towards ease of living and doing business was introduced in Lok Sabha by Shri Piyush Goyal, Union Minister for Ministry of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles. A motion was moved and adopted by Lok Sabha on December 22, 2022 for the constitution of a Joint Parliamentary Committee for the purpose of examination of the Bill and making a report to the House by the last day of the first week of the second part of the Budget Session, 2023. The Rajya Sabha concurred in the recommendation of the Lok Sabha in joining the Joint Committee and nominated 10 Members to serve on the Joint Committee on a motion moved in and adopted by Rajya Sabha on December 23, 2022. Accordingly, the Joint Parliamentary Committee (JPC) consisting 20 Members from Lok Sabha and 10 Members from Rajya Sabha under the Chairpersonship of Shri P. P. Chaudhary was constituted to examine the Bill and make a report.

2.2. Taking cognizance of the fact that the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 envisages to achieve the principle of 'Minimum Government Maximum Governance', redefining the regulatory landscape of the country under the Ease of Living and Ease of Doing Business reforms and that the proposed amendments would impact multiple stakeholders across multiple sectors, the Committee in their first sitting held on January 09, 2023 decided to examine each and every aspect of the reforms intended to be brought by this Bill. During the sitting, the Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry giving the overview of the background to the Bill inter-alia submitted as under:

“xxx, there was a renewed focus on the trust based governance in 2014. xxxxxx, one of the earliest decisions of the Government when it changed into 2014, was to move from attestation by a Gazetted Officers or a Public Representative to self-attestation, which actually made impact on millions of youth who had to actually apply to various applications for admission or for employment, had to be attested, which they got rid of. Thereafter, there was a concerted movement to improve the ease of doing business ranking, which World Bank used to publish, and World Bank ranking 2015 based on the data of 2014, India was ranked at 142. Within a short frame of five years, data of 2019, with ranking of 2022, India moved up to 63, a jump of 79 ranks in just a small period of five years. But World Bank used to measure the ease of doing business in two cities of Delhi and Mumbai. But the Government wanted that the improvement should happen across the country, and so the DPIIT also started a programme called Business Reform Action Plan which was all across States and UTs. So, initially, the team would sit with the representatives of all the States and UTs. A list of points to be improved would be finalised in consultation with the States an UTs, and that would become the agenda for States/UTs to follow. At the end of the period, whatever changes were done, they would be assessed by a third party, and thereafter, ranking should be issued.

xxxxx World Bank stopped the ranking in 2020. But we have continued with our Business Reform Action Plan even after that. That is an ongoing exercise. xxxxxxxx When we try to simplify or reduce the compliance burden, we do it in four manners. First, we look at whether this particular provision is required at all or not. So, if it is a redundant provision, we remove it. If it can be simplified, the simplification is done. If it is offline, can it be done online? And, can this thing be helped by digitisation. The fourth and equally important aspect was decriminalisation. xxxxx, there were provisions where for a small thing like, not whitewashing the toilets or not whitewashing the canteen, a businessman could be sent to jail for a year or two. And, these provisions actually emanated from the fact that many of our Acts had a general provision. The general provisions would read like: "If nothing is provided, and if there is a violation of any other provision, there would imprisonment of one year or six months or two years – whatever the Act would provide." Most of these things actually emanated from the general provisions. The mind-set had to change. Most of the Acts were actually of pre- independence time. So, we took an exercise in consultation with the States. Acts were listed which were identified. We call the identification of the proposals which may lead to imprisonment. For the Government of India, about 1500 such provisions were identified. We pursued with all the concerned Departments who were the administrator of that particular Act. Out of 1,500, say about 900 --- the Department said --- need to be retained because they are serious. About 350 have already been decriminalised over this period of exercise because there have been amendments.

Xxxxxxx

So, about 350 had been handled; 900 required to be retained. Remaining about 250 odds were still remaining from those identified. So, we interacted with all the Departments. There was a high level meeting in which a desire was made that 'whatever you have identified, please close this exercise. xxxxx, in discussion with Law and Legislative Affairs, we finalised this modus operandi that through a common Act, we will amend all the remaining provisions. Then, we found that certain Departments had actually their Bills and they were in very advance stages, in some cases the Bill had been introduced

They were taking a comprehensive revision; and the Bill had already been introduced in the Parliament. So, obviously, that we left outside. In some cases, we found that they would take a long time before they were able to close their interaction with the stakeholder. Xxxxx our common Bill would have been pending. So, we left out certain Acts where they had been introduced in the Parliament at a very advance stage, or we left out a very few Acts, where it is going to take still longer for them. For rest of the Act, we sat down. Under the chairmanship of the Cabinet Secretary, xxxx, and there was a sub- Committee of that Committee chaired by CEO, NITI.

xxxx. We sat down with each and every department and went through each and every clause of what could lead to imprisonment. Then, we, actually, carved out certain general principles. Actually, the things which are not specified in the Act, they are invariably of lesser magnitude. So, such things should not lead to imprisonment. You should put a clear thought. If you want something to result in imprisonment, it should

be well thought out thing. The general provisions should be dealt with by penalty or fine. Similarly, non-submission of small information or certain procedural lapses, such things should be dealt with through penalty or at most fine in certain cases. In some cases, even the compounding could be taken as decriminalisation that it gets settled. This will also have the benefit of reduction of pendency in the courts. It would also help to ease the burden on police because they have to, actually, put the cases before the courts. So, this will have multifarious advantages. In addition to that, xxxx, there were certain ridiculous provisions. xxxxx So, we cleaned that up

As the Committee gave suggestions that these are the principles that you should follow, the Department had consultations with the stakeholders and submitted to us that this is what that can be decriminalised. Then, we compiled the whole thing and went through the Legal Department. Then, the whole thing was presented to the Cabinet which was approved and then converted into a Bill and put to the Parliament. xxx”

Expounding further on the matter the Ministry submitted as under:

हम लोगों ने वर्ष 2014 से ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। उसका कारण यह था क हमें बिजनेस प्रोसेसरी-इंजीनियरिंग के ऊपर विशेष ध्यान रखना था, क्योंकि क we wanted to improve the business ecosystem for the investors and business entities coming into the country. xxxxx, हम लोगों ने रेगुलेटरी कम्पलायंस बर्डन के इश्यू को भी देखा है और reducing of compliance became a very important task of Department of Promotion and Industry and Internal Trade. In January 2021, a portal was formed, and different States, UTs, Central Ministries and Departments were asked to identify such regulatory compliances and also to undertake the process of reducing the compliances which were considered unnecessary. इसकी स्ट्रैटजी चार माध्यमों के तहत बनाई जा रही है। Either we looked at elimination of redundant laws, processes, forms – if they were not required, we had to do away with them – or simplify the forms and the processes.

Digitisation was undertaken in a big way. Many of these processes were brought online from the offline mode. The other aspect of it was decriminalisation of minor offences.

One important point is that this portal is open to all State Governments, Central Government and UT Administrations. It was also made open to three major industry associations and they could also submit their procedures and compliances, which they thought were burdensome, for the review by different stakeholders and business departments and the State Governments. They also had an access to this ‘reducing compliance burden’.

As of today, the number of compliances that stand reduced is more than 39,000. Some of them are still under review. This process of compliance reduction is an ongoing process. As and when the business entities put it to us or the Departments, which are continuously looking at their processes, that there is a requirement of looking at things ab initio for further simplification, this process will continue.

There were some provisions which were brought to the notice of Departments and the State Governments by the stakeholders and, through the portal, by the industry associations. Intensive stakeholder discussions with all kinds of associations – sectoral, business entities etc. – are also uploaded through this portal. Then, every stakeholder looks at it in minute details. Some of them were required to be retained because there is some portion of business processes that requires regulations.

The present Jan Vishwas Bill comprises of 42 Acts across 19 Ministries and in total, 182 provisions are proposed to be decriminalised and they fall under various categories. We looked at all these provisions with a certain requirement that was first to ensure that the commission of an offence should be commensurate to the seriousness of the offence. As the hon. Members have mentioned, there are very minor provisions जिसके लिए जेल होती है और वह केस कई सालों तक चलता रहता है। their intent is not absolutely criminal or to treat them as criminal provisions. They were undertaken here. xxxxx

Then, certain provisions consist of technical or procedural lapse or very minor non-compliance. They were also considered under imprisonment. xxxx Those were also taken under this proposed Bill.

The important motivation to come about with this Bill was also that criminal provisions lead to a sense of insecurity and hamper investment decisions by potential investors and businesses. That is why, it was very essential to segregate these acts and segregate these technical or procedural omissions or certain defaults that were done either with mala fide intention अगर कोई प्रो वजन जान-बूझकर या क्र मनल इंटेन्शन के साथ किया जाए or due to an oversight or it was a minor commission of an act or it was done unintentionally. All that was also looked into and certain criminal provisions were then converted. The imprisonment was removed, the fine was retained depending on the intention and whether it was important for the Department to send a message that we will not imprison you but the fine process will need to be resorted to. Or, there were xxxxx

The Committee sought to know whether the Government has taken decision to make the fine or penalty and punishment with retrospective effect or with prospective effect. The Ministry have informed that the same shall be with prospective effect.

The Committee thereafter enquired as to the difference between fine and penalty. In this regard, representative, Legislative Department submitted as under:

“Fine is imposed by a judicial court. If you take all the existing provisions, we find that court can imprison the person to certain months or years and also impose fine or both. What the Bill is trying to address is, instead of the imprisonment and fine, there will be an adjudication mechanism whereby an administrative authority, a quasi judicial authority would impose monetary penalty. So, what we mean by penalty is nothing but monetary penalty so that there will be no fine; he will not be fined; he will pay the penalty and get out of whole judicial system. We don’t want the person to languish in the court. That is the purpose.”

2.3. On being asked whether any mechanism has been provided in the respective acts for non compliance of penalty, the Committee was informed as under:

“We have taken care of that. There is an adjudication mechanism either an officer or an authority or there is an appellate mechanism to challenge the orders of imposition of monetary penalty by adjudicating mechanism”

2.4. It was further submitted that

“The Bill proposes to amend various Acts. In the respective Acts, wherever there are mechanisms for imposition of penalty, we have provided this system. If the person fails to pay the penalty, it will be recovered as land revenue.”

2.5. Keeping in view that the Acts proposed to be amended by the Bill are being administered and enforced by 19 different Ministries, the Committee decided to begin with hearing the views of Ministries enforcing these Acts.

2.6. Accordingly, the Committee obtained Background Notes and other requisite documents from the administering Ministries. The Committee also took briefing of the representatives of the administering Ministries/ Departments. The representatives of the nodal Ministry, i.e. the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which is coordinating with all the 18 Ministries/Departments and the Ministry of Law (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in all the sittings of the Committee. A Chronology of briefing taken by the Committee is as under in a tabular form:

Chronology of briefing by various Departments/Ministries

Sl. No	Date & Day	Agenda
1	09 January, 2023 (Monday)	Briefing by the representatives of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) on the overall Bill and the Objectives and Purpose of the said Bill. The Representatives of the Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting.
2	16 January, 2023 (Monday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of the Ministry of Electronics and Information Technology with regard to Sl. Nos. 32 and 42 of the Schedule to the Bill; (ii) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (Department of Agriculture & Farmers Welfare) with regard to Sl. No. 5 of the Schedule to the Bill and (ii) Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) with regard to Sl. Nos. 16 and 17 of the Schedule to the Bill on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting.
3	17 January, 2023 (Tuesday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of the (i) Ministry of Environment, Forest and Climate Change with regard to Sl. Nos. 4, 21, 24 and 28 of the Schedule to the Bill; and (ii) Ministry of Housing & Urban Affairs with regard to Sl. No. 33 of the Schedule to the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remain present in the meeting.
4	31 January, 2023 (Tuesday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of the Ministry of Commerce and Industry - (i) Department for Promotion of Industry & Internal Trade and (ii) Department of Commerce with regard to the Acts pertaining to them being amended by the Ministries.
5	06 February, 2023 (Monday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of the Ministry of Finance- (i) Department of Financial Services (ii) Department of Economic Affairs and (iii) Department of Revenue on amendments proposed in the Bill related to them.
6	07 February, 2023 (Tuesday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of (i) the Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health & Family Welfare (ii) the Ministry of Railways and (iii) the Ministry of Road Transport & Highways
7	09 February, 2023 (Thursday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of (i) the Ministry of Information & Broadcasting (ii) the Ministry of Statistics & Programme Implementation (iii) the Ministry of Communications, Department of Posts (iv) the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of

		Consumer (v) the Ministry of Defence, Department of Defence and (vi) the Ministry of Ports, Shipping & Waterways.

2.7. Based on the written and oral depositions of the official witnesses, the Committee have examined every provision of the Bill as well as every amendment proposed to 42 Acts specified in the Schedule to the Bill very minutely and given their considered opinion/suggestions as enumerated in the succeeding paragraphs.

The Press and Registration of Books Act, 1867

[Serial No. 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.8. Administering Ministry: Ministry of Information and Broadcasting

2.9. **Purpose of the Act:** The Press and Registration of Books Act, 1867 provides for registration of printing presses, periodicals, including newspapers and books in the country, to keep a record of all the informatory material that was being printed in the country.

2.10. Amendments proposed to the Act:

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 8C	8C. Appeal.--(1) Any person aggrieved by an order of a Magistrate refusing to authenticate a declaration under section 6 or cancelling a declaration under section 8B may, within sixty days from the date on which such order is communicated to him, prefer an appeal to the Appellate Board to be called the Press and Registration Appellate Board consisting of a Chairman and another member to be nominated by the Press Council of India, established under section 4 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), from among its members]: Provided that the Appellate Board may entertain an appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.	Any person aggrieved by an order of a Magistrate refusing to authenticate a declaration under section 6 or cancelling a declaration under section 8B <u>or an order by the Press Registrar suspending or cancelling the certificate of registration under section 12 or imposing penalties under section 13 or under section 19K</u> may, within sixty days from the date on which such order is communicated to him, prefer an appeal to the Appellate Board to be called the Press and Registration Appellate Board consisting of a Chairman and another member to be appointed by the Central Government: Provided that the Appellate Board may entertain an appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant was

			prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.
		(2) On receipt of an appeal under this section, the Appellate Board may, after calling for the records from the Magistrate and after making such further inquiries as it thinks fit, confirm, modify or set aside the order appealed against.	(2) On receipt of an appeal under this section, the Appellate Board may, after calling for the records from the Magistrate <u>or from the Press Registrar, as the case may be,</u> and after making such further inquiries as it thinks fit, confirm, modify or set aside the order appealed against.
2	Section 12	Penalty for printing contrary to rule in Section 3 - whoever shall print or publish any book or paper otherwise than in conformity with the rule contained in section 3 of this Act, shall, on conviction before a Magistrate, be punished by fine not exceeding two thousand rupees, or by simple imprisonment for a term not exceeding six months, or by both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
3	Insertion of new Section 12 in substitution of existing Section 12	---	12. Suspension or cancellation of certificate of registration.-- (1) The Press Registrar may, by order, suspend the certificate of registration of a newspaper for a period not exceeding one year, if – (a) the publisher has failed to publish the newspaper continuously. <i>Explanation.</i> – For the removal of doubts, it is hereby clarified that if a newspaper publishes less than half of its issues, as

			are required to be published under rule (6) of section 5, such newspaper shall be deemed to have failed to publish continuously; or (b) the publisher of a newspaper has given false particulars in the annual statement; or (c) the publisher of a newspaper has failed to furnish the annual statement within two years from the end of the financial year for which the annual statement was to be furnished. (2) The Press Registrar may, by order, cancel the certificate of registration where- (i) a newspaper has ceased publication for a period exceeding twenty-four months; (ii) the publisher of a newspaper fails to furnish the annual statement even after the expiry of the period during which the certificate of registration was suspended under sub-clause (c) of sub-section (1); (iii) the registration was obtained on false representation or on concealment of any material fact; (iv) the title of the newspaper bears the same or similar title already held by any other

			owner of a newspaper either in the same language anywhere in India or in any other language in the same State or Union territory administration. (3) No order for suspension or cancellation of certificate of registration shall be made under this section, without giving an opportunity of being heard to the publisher or owner of the newspaper, as the case may be. (4) A copy of order of suspension or cancellation passed under this section shall be made available to the Central Government or State Government or Union territory administration, as the case may be, and to the Magistrate.
4	Section 13	Penalty for keeping press without making declaration required by Section 4 - whoever shall keep in his possession any such press as aforesaid, in contravention of any of the provisions contained in section 4 of this Act, shall, on conviction before a Magistrate, be punished by fine not exceeding two thousand rupees, or by simple imprisonment for a term not exceeding six months, or by both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
5	Insertion of new Section 13 in substitution	---	13. Penalty for certain contraventions.- The Press Registrar may impose a penalty-

	of existing Section 13		(i) not exceeding ten thousand rupees where the publisher prints or publishes any book or paper otherwise than in conformity with the provisions contained in section 3; (ii) not exceeding ten thousand rupees where the keeper of the press fails to make and subscribe the declaration in conformity with the provisions contained in section 4; (iii) not exceeding twenty thousand rupees where the publisher fails to furnish the annual statement as required under clause (a) of section 19D within one year from the end of the financial year in respect of which the annual statement was required to be furnished; (iv) not exceeding twenty thousand rupees where a person who has ceased to be a printer or publisher of any newspaper fails or neglects to make a declaration in compliance with the provisions of section 8; (v) not exceeding two thousand rupees for not delivering books or not supplying printer with maps referred to in section 9;

			(vi) not exceeding two thousand rupees where any printer of a newspaper neglects to deliver copies of the newspaper in compliance with the provisions of sections 11A and 11B.”.
6	Section 14	Punishment for making false statement - Any person who shall, in making any declaration or other statement under the authority of this Act, make a statement which is false, and which he either knows or believes to be false, or does not believe to be true, shall, on conviction before a Magistrate, be punished by fine not exceeding two thousand rupees, and imprisonment for a term not exceeding six months.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
7	Section 15A	Penalty for failure to make a declaration under section 8. --If any person who has ceased to be a printer or publisher of any newspaper fails or neglects to make a declaration in compliance with section 8, he shall, on conviction before a Magistrate, be punishable by fine not exceeding two hundred rupees	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
8	Section 16	16. Penalty for not delivering books or not supplying printer with maps. -- If any printer of any such book as is referred to in section 9 of this Act shall neglect to deliver copies of the same pursuant to that section, he shall for every such default forfeit to the Government such sum not	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

	exceeding fifty rupees as a Magistrate having jurisdiction in the place where the book was printed may, on the application of the officer to whom the copies should have been delivered or of any person authorised by that officer in this behalf, determine to be in the circumstances a reasonable penalty for the default, and, in addition to such sum, such further sum as the Magistrate may determine to be the value of the copies which the printer ought to have delivered. If any publisher or other person employing any such printer shall neglect to supply him, in the manner prescribed in the second paragraph of section 9 of this Act, with the maps, prints or engravings which may be necessary to enable him to comply with the provisions of that section, such publisher or other person shall for every such default forfeit to the Government such sum not exceeding fifty rupees as such a Magistrate as aforesaid may, on such an application as aforesaid, determine to be in the circumstances a reasonable penalty for the default, and, in addition to such sum, such further sum as the Magistrate may determine to be the value of the maps, prints or engravings which such publisher or other person ought to have supplied.]	

9	Section 16A	16A. Penalty for failure to supply copies of newspapers gratis to Government.-- If any printer of any newspaper published in India neglects to deliver copies of the same in compliance with section 11A, he shall, on the complaint of the officer to whom copies should have been delivered or of any person authorised by that officer in this behalf, be punishable, on conviction by a Magistrate having jurisdiction in the place where the newspaper was printed, with fine which may extend to fifty rupees for every default.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
10	Section 16B	16B. Penalty for failure to supply copies of newspapers to Press Registrar.-- If any publisher of any newspaper published in India neglects to deliver copies of the same in compliance with section 11 B, he shall, on the complaint of the Press Registrar, be punishable, on conviction by a Magistrate having jurisdiction in the place where the newspaper was printed, by fine which may extend to fifty rupees for every default.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
11	Section 17	Any sum forfeited to the Government under section 16 may be recovered, under the warrant of the Magistrate determining the sum, or of his successor in office, in the manner authorised by the Code of Criminal Procedure (10 of 1882) for the time being in force, and within the period prescribed	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

		by the Indian Penal Code (45 of 1860), for the levy of a fine.	
12	Section 19K	19K. Penalty for contravention of section 19D or section 19E, etc.—If the publisher of any newspaper— (a) refuses or neglects to comply with the provisions of section 19D or section 19E; or * * * * (c) publishes in the newspaper in pursuance of clause (b) of section 19D any particulars relating to the newspaper which he has reason to believe to be false, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.	19K. Penalty for contravention of section 19D or section 19E.— If the publisher of any newspaper – (a) refuses or neglects to comply with the provisions of clause (b) of section 19D or section 19E; or (b) publishes in the newspaper in pursuance of clause (b) of section 19D any particulars relating to the newspaper which he has reason to believe to be false, he shall be punishable with penalty not exceeding ten thousand rupees.
13	Section 19L	Penalty for improper disclosure of information - If any person engaged in connection with the collection of information under this Act willfully discloses any information or the contents of any return given or furnished under this Act otherwise than in the execution of his duties under this Act or for the purposes of the prosecution of an offence under this Act or under the Indian Penal Code (45 of 1860), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

2.11. **Submissions of the Ministry:**

2.11.1. The Ministry of Information and Broadcasting, in their background note, submitted that it was felt that the provisions relating to imprisonment compromise on Press Freedom and hence there is a need to decriminalize the existing statute and to make it more consistent keeping in view the present day scenario. Hence, the proposed Amendments aim to decriminalize the existing statute. This is also in tune with the commitment of ensuring Press Freedom in the country. The existing sections namely section 12 to 17 and 19L provides for penalties, including imprisonment, or penalties by Magistrate on the newspapers for contravention of various provisions of the Act.

2.11.2. The Ministry further informed that the Jan Vishwas Bill proposes to bring the provisions related to suspension and cancellation of certificate of registrations on various grounds by Press Registrar. At present, there are no powers to suspend and cancel the Certificate of Registration with Press Registrar. The bill also replaces the imprisonment with penalties which is more in line with the present times.

2.12. **Discussion during the sitting of the Committee:**

2.12.1. During the sitting of the Committee held on 9th February, 2023, the representative of the Ministry of Information and Broadcasting gave briefing on the proposed amendments. He explained how the Ministry reviewed the Act and decided to propose amendments to decriminalize the provisions. He stated that:

“After review, it was decided to propose certain amendment for decriminalization of provisions. So, seven provisions under the Act, Sections 12 to 14, Sections 15A to 17 and 19L are proposed to be omitted, which are all provisions having criminal implications to be introduced in lieu of that and instead of fine, financial penalties are being proposed, which can be imposed through the Central Government. Section 12 of the Act is for imposition of penalty contrary to Rule 3. Rule 3 essentially is that when a paper is printed, certain type of details has to be mentioned in the paper and if those details are not printed, then a penalty can be imposed leading to imprisonment or a fine of up to two thousand rupees. So, this provision is proposed to be deleted. Similarly, Sections 13 and 14 are also proposed to be deleted. These also are provisions with regard to the printing press where a printing press is required to furnish a declaration before the District Magistrate. If it has not furnished that declaration and runs a printing press, a penalty/fine can be imposed by way of conviction before a Magistrate. So, both Sections 12 and 13 are proposed to be deleted and instead of that a new Section 12 and Section 13 have been proposed in the Bill.”

2.12.2. In this regard the representative, Ministry of Information and Broadcasting informed the Committee about the proposed insertion of new Section 12 regarding the suspension or cancellation of certificate of registration by Press Registrar for certain instances mentioned therein. In this regard Committee sought to clarify, if the proposed entrustment of power to cancel certificate of registration to the Press Registrar would afford their opportunity of being heard. The Committee made sure that the freedom of Press is not compromised by the changes, the administrative Ministry is proposing to incorporate. The Committee further queried about the availability of provision for appeal in the Act, the

Ministry representative apprised that remedy lies in Section 8, which provides for opportunity for appeal against the order.

2.12.2A On being enquired by the Committee about the role of the District Magistrate, the representative from the Ministry explained as under:

“Every newspaper has to file a declaration before the District Magistrate, from where it comes to the Press Registrar. If we are cancelling somebody’s registration or suspending, the DM should be aware of the fact that this order has been passed by the Press Registrar General.”

2.12.3. The Committee analyzed and noted as under:

“For suspension and cancellation, they may defend it. So, full opportunity of hearing is there. Even if the order is passed prejudice to the interest of any person, remedy of appeal is there.”

2.12.4. Further, the Committee observed that a person can also approach the court of law under Article 226 for violation of fundamental right. The Committee deliberated in detail on all the amendments proposed in the Press and Registration of Books Act, 1867 in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022.

2.13. **Suggestions by the Committee:**

2.13.1. After detailed discussions, the Committee agreed, in principle, to the amendments proposed to the Press and Registration of Books Act, 1867, specified at serial no. 1 of the Schedule to the Bill and decided to consider the suggestions/modifications, if required, during clause-by-clause consideration. The Committee, however, suggested that in section 19K, **the words “liable for” should be substituted for the words “punishable with”.**

The Indian Post Office Act, 1898

[Serial No. 2 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.14. **Administering Ministry:** Ministry of Communications
[Department of Posts]

2.15. **Purpose of the Act:** Indian Post Office Act, 1898 is the sole Act being administered by the Department of Posts. Indian Post Office Rules, 1933 serve as subordinate legislation. The Indian Post Office Act of 1837 was enacted to bring about uniformity in postal operations. This Act was followed by a more comprehensive Indian Post Office Act of 1854 which laid the foundation of modern-day postal system in the country. The Indian Post Office Act of 1898 further strengthened the postal system in the country.

2.16. **Amendments proposed to the Act:** This Bill, as introduced, propose to omit Chapter X of the Indian Post Office Act, 1898. Accordingly, the following existing Sections (Sections 49 to 56 and 58 to 72)(Section 57 already omitted by the Financial Act 1950) are proposed to be omitted:

Sl. No.	Sections	Existing Provision
1.	Section 49	Penalty for misconduct of person employed to carry or deliver mail bags or postal articles.- Whoever, being employed to carry or deliver any mail bag or any postal article in course of transmission by post, - (a) is in a state of intoxication while so employed, or (b) is guilty of carelessness or other misconduct, whereby the safety of any such mail bag or postal article as aforesaid is endangered, or (c) loiters or makes delay in the conveyance or delivery of any such mail bag or postal article as aforesaid, or (d) does not use due care and diligence safely to convey or deliver any such mail bag or postal article as aforesaid, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.
2	Section 50	Penalty for voluntary withdrawal from duty, without permission or notice, of person employed to carry or deliver mail bags or postal articles.- Whoever, being employed to carry or deliver any mail bag or any postal article in course of transmission by post, voluntarily withdraws from the duties of his office without permission or without having given one month's previous notice in writing, shall be punishable with imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to fifty rupees, or with both.
3	Section 51	Penalty for making false entry in register kept by person employed to carry or deliver any postal articles.- Whoever, being employed to carry or deliver any postal article in course of transmission by post and required while so employed to keep any register, makes, or causes or suffers to be made, any false entry in the register with intent to induce the belief that he has visited a

		place, or delivered a postal article, which he has not visited or delivered, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one hundred rupees, or with both.
4	Section 52	Penalty for theft, dishonest misappropriation, secretion, destruction, or throwing away of postal articles.- Whoever, being an officer of the post office, commits theft in respect of or dishonestly misappropriates, or for any purpose whatsoever, secretes, destroys or throws away, any postal article in course of transmission by post or anything contained therein, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be punishable with fine.
5	Section 53	Penalty for opening, detaining or delaying postal articles.- Whoever, being an officer of the Post Office, contrary to this duty, opens, or causes or suffers to be opened, any postal article in course of transmission by post, or wilfully details or delays, or causes or suffers to be detained or delayed, any such postal article, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine or both. Provided that nothing in this Section shall extend to the opening, detaining or delaying of any postal article under the authority of this Act in obedience to the order in writing of the Central Government or the direction of a competent Court.
6	Section 54	Penalty for fraud in connection with official marks and for receipt of excess postage.- Whoever, being an officer of the Post Office.- (a) fraudulently puts any wrong official mark on a postal article, or (b) fraudulently alters, removes or causes to disappear an official mark which is on a postal article, or (c) being entrusted with the delivery of any postal article, knowingly demands or receives any sum of money in respect of the postage thereof which is not chargeable under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and shall also be punishable with fine.
7	Section 55	Penalty for fraudulently preparing, altering, secreting or destroying Post Office documents.- Whoever, being an officer of the Post Office entrusted with the preparing or keeping of any document, fraudulently prepares the document incorrectly, or alters or secretes or destroys the document, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and shall also be punishable with fine.
8	Section 56	Penalty for fraudulently sending unpaid postal articles.- Whoever, being an officer of the post office, sends by post, or puts into any mail bag, any postal article upon which postage has not been paid or charged in the manner prescribed by this Act, intending thereby to defraud the government of the postage on such postal article shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years and shall also be punishable with fine.
9	Section 58	Penalty for contravention of Section 4.- (1) Whoever- (a) conveys otherwise than by post, a letter within the exclusive

		privilege conferred on the Central Government by Section 4 or (b) performs any service incidental to conveying, otherwise than by post, any letter within the exclusive privilege aforesaid, or (c) sends, or tenders or delivers in order to be sent, otherwise than by post, a letter within the exclusive privilege aforesaid, or (d) makes a collection of letters excepted from the exclusive privilege aforesaid for the purpose of sending them otherwise than by post, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees for every such letter. (2) Whoever, having already been convicted of an offence under this section, is again convicted thereunder, shall, on every such subsequent conviction, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.
10	Section 59	Penalty for contravention of Section 5.- (1) Whoever, in contravention of the provision of section 5, carries, receives, tenders or delivers letters, or collects letters, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees for every such letter. (2) Whoever, having already been convicted of an offence under this section, is again convicted thereunder, shall, on every such subsequent conviction, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.
11	Section 60	Penalty for breach of rules under Section 16.- Whoever, being appointed to sell postage stamps,- (a) takes from any purchaser for any postage stamp or quantity of postage stamps a price higher than that fixed by any rule made under section 16, sub-Section (3), clause (a), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; or (b) commits a breach of any other rule under Section 16, shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.
12	Section 61	Penalty for contravention of section 19, 19A or 20. – (1) whoever, in contravention of the provisions of section 19 or section 19A or section 20, sends or tenders or makes over in order to be sent by post any postal article or anything, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both. (2) The detention in the Post Office of any postal article on the ground of its having been sent in contravention of the provisions of section 19 [or section 19A] or section 20, shall not exempt the sender from any proceedings which might have been taken if the postal article had been delivered in due course of post.
13	Section 62	Penalty for defiling or injuring post office letter boxes. – Whoever places in or against any letter box provided by the post office for the reception of postal articles any fire, match or light, any explosive, dangerous, filthy, noxious or deleterious substance, or any fluid or commits a nuisance in or against any such letter box, or does anything likely to injure any such letter box or its appurtenance or contents, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

14	Section 63	Penalty for affixing without authority thing to, or painting, tarring or disfiguring post office or post office letter-boxes.- Whoever, without due authority, affixes any placard, advertisement, notice, list, document, board or other thing in or on, or paints, tars or in any way disfigures any post office or any letter-box provided by the Post Office for the reception of postal articles, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.
15	Section 64	Penalty for making false declaration.- Whoever, being required by this Act to make a declaration in respect of any postal article to be sent by post or the contents or value thereof, makes in his declaration any statement which he knows, or has reason to believe, to be false, or does not believe to be true, shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees, and, if the false declaration is made for the purpose of defrauding the Government, with fine which may extend to five hundred rupees.
16	Section 65	Penalty for master of ship failing to comply with the provisions of section 40 or 41. - Whoever, being the master of a ship,- (a) fails to comply with the provisions of section 40, or (b) without reasonable excuse, the burden of proving which shall lie on him, fails to deliver any postal article or mail bag or to comply with the directions of the officer-in-charge of the post office at a port of arrival, as required by section 41, shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.
17	Section 66	Penalty for detention of letters on board vessel arriving in port.- (1) Whoever, being either the master of ship arriving at any port in India or any one on board, knowingly has in his baggage or in his possession or custody, after the postal articles on board or any of them have been sent to the post office at the port of arrival, any postal article within the exclusive privilege conferred on the Central Government by section 4, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees for every such postal article as aforesaid. (2) Whoever, being such master or other person as aforesaid, detains any such postal articles as aforesaid after demand made for it by an officer of the Post Office, shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees for every such postal article.
18	Section 67	Penalty for detaining mails or opening mail bag.- Whoever, except under the authority of this Act or of any other Act for the time being in force or in obedience to the order in writing of the Central Government or the direction of a competent Court, detains the mail or any postal article in course of transmission by post, or on any pretence opens a mail bag in course of transmission by post, shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees : Provided that nothing in this section shall prevent the detention of an officer of the post office carrying the mails or any postal article in course of transmission by post, on a charge of having committed an offence declared to be cognizable by the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), or any other law for the time being in force.

19	Section 68	Penalty for retaining postal articles wrongly delivered or mail bags. – Whoever fraudulently retains or wilfully secretes or makes away with, or keeps or detains, or when required by an officer of the post office, neglects or refuses to deliver up, any postal article in course of transmission by post which ought to have been delivered to any other person, or a mail bag containing a postal article, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and shall also be punishable with fine.
20	Section 69	Penalty for unlawfully diverting letters. – Whoever, not being an officer of the Post Office, wilfully and maliciously, with intent to injure any person, either opens or causes to be opened any letter which ought to have been delivered, or does any act whereby the due delivery of a letter to any person is prevented or impeded, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both : Provided that nothing in this Section shall apply to a person who does any act to which the section applies, if he is a parent, or in the position of a parent or guardian, of the addressee, and the addressee is a minor or a ward.
21	Section 70	Penalty for abetting or attempting to commit, offences under Act. – Whoever, abets the commission of any offence punishable under this Act or attempts to commit any offence so punishable, shall be punishable with the punishment provided for that offence.
22	Section 71	Property in cases of offences to be laid in the Post Office. – In every prosecution for an offence in respect of a mail bag or of any postal article sent by post, it shall be sufficient, for the purpose of the charge, to describe the mail bag or postal article as being the property of the Post Office, and it shall not be necessary to prove that the mail bag or postal article was of any value
23	Section 72	Authority for prosecutions under certain sections of Act. –No Court shall take cognizance of an offence punishable under any of the provisions of sections 51, 53, 54, clauses (a) and (b), 55, 56, 58, 59, 61, 64, 65, 66 and 67 of this Act, unless upon complaint made by order of, or under authority from, the Director General or a Post Master General.

2.17. **Submissions by the Ministry:**

2.17.1. The Ministry of Communications in their Background note informed that the Department of Posts proposes the repeal of twenty-three Sections of the Indian Post Office Act, 1898 for decriminalization of minor violations under the Act and thereby entirely decriminalizing the Act. All these 23 provisions are covered under Chapter X 'Penalties and Procedures' of the Indian Post Office Act, 1898.

2.17.2. It further informed that the Review of the Indian Post Office Act, 1898, for decriminalization of minor violations under the Act, was carried out by an internal Committee in the Department in the month of July, 2022. The Sections of the Act, containing criminal liability in their overall context of criminal jurisprudence in India and with reference to all relevant considerations, especially with reference to other Acts / Rules available for similar offences in the country.

2.17.3. As regards the reasons for proposed amendments, the Ministry in its note submitted following details:

- (i) Criminal provisions of IPO Act, 1898 applicable to workforce of the Department which can be repealed in view of other extant Rules, laws and provisions that can be applied to serve the same purpose. (Sections 49,50,51,52,53,54,55 ,56 & 60 fall in this category).
- (ii) Criminal provisions of IPO Act, 1898 that have become outdated and are not relevant anymore.(Sections 58,59, 65 & 66 fall in this category).
- (iii) Criminal provisions of IPO Act, 1898 with comparable provisions in enforcement Laws like Indian Penal Code, 1860, Narcotics Drugs and Psychotropic substances act, 1985, Transportation of dangerous Goods Act, 1992, Customs Act, 1962, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, Public Property (Prevention of Damage) Act, 1985 etc. (Sections 61,62,63,64,67,68,69 fall in this category).
- (iv) Some non- criminal provisions which will become non-relevant since they are linked to the above sections recommended for repeal (Sections 70,71 & 72 fall in this category).

2.17.4. In view of the above, it is proposed to repeal all sections of the Indian Post Office Act, 1898.

2.18. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.18.1. During the sitting of the Committee held on 9th February, 2023, the representatives from the Department of Posts briefed the Committee on the proposed omissions of Chapter X in the Bill. It was elaborated by the Department that the entire Chapter X of the Indian Post Office Act, 1898 has been touched for omission primarily because either the provisions have become redundant or obsolete or the same are covered under other provisions and enactments like the Indian Penal Code, 1860, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and various other enactments/rules.

2.19. **Suggestions by the Committee:**

2.19.1. After the briefing by the Department and discussions on the proposed omissions, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Indian Post office Act, 1898, specified at Serial No. 2 of the Schedule to the Bill and decided to consider the suggestions/modifications, if required, during Clause-by-Clause consideration.

The Boilers Act, 1923

[Serial No. 3 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.20. **Administering Ministry:** Ministry of Commerce and Industry
[Department for Promotion of Industry and Internal Trade]

2.21. **Purpose of the Act:** To consolidate and amend the law relating to steam-boilers.

2.22. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision, as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 22	22- Minor Penalties Any owner of a boiler who refuses or without reasonable excuse neglects — (i) to surrender a provisional order as required by section 9, or (ii) to produce a certificate or provisional order when duly called upon to do so under section 15, or (iii) to make over to the new owner of a boiler a certificate or provisional order as required by section 16, shall be punished with fine which may extend to five thousand rupees	22- Minor Penalties Any owner of a boiler who refuses or without reasonable excuse neglects — (i) to surrender a provisional order as required by section 9, or (ii) to produce a certificate or provisional order when duly called upon to do so under section 15, or (iii) to make over to the new owner of a boiler a certificate or provisional order as required by <u>section 16, or</u>
2.	Insertion in Section 22	Nil	(iv) to report an accident to a boiler or boiler component when so required under section 18, shall be punished with fine which may extend to five thousand rupees
3.	Section 23	23- Penalties for illegal use of boiler Any owner of a boiler who, in any case in which a certificate or provisional order is required for the use of the boiler under this Act, uses the boiler either without any such certificate or order being in force or at a higher	Section 23- Penalties for illegal use of boiler Any owner of a boiler who— (a) in any case in which a certificate or provisional order is required for the use of the boiler under this Act, uses the boiler either without any such certificate or order being in

		pressure than that allowed thereby shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees, and in the case of a continuing offence, with an additional fine which may extend to one thousand rupees for each day after the first day in regard to which he is convicted of having persisted in the offence.	force or at a higher pressure than that allowed thereby, (b) uses or permits to be used a boiler which has been transferred from one State to another without such transfer having been reported as required under clause (b) of section 6, (c) fails to cause the register number allotted to the boiler under this Act to be permanently marked on the boiler as required by sub-section (6) of section 7, shall be liable for fine which may extend to one lakh rupees, and in the case of a continuing offence, with an additional fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such offence continues.
3.	Section 24	24-Other penalties Any person who— (a) uses or permits to be used a boiler of which he is the owner and which has been transferred from one State to another without such transfer having been reported as required by section 6, or (b) being the owner of a boiler fails to cause the register number allotted to the boiler under this Act to be marked on the boiler as required by sub-section (6) of section 7, or (d) fails to report an accident to a boiler or steam-pipe when so required by section 18, or	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

2.23. Submission by the Ministry:

2.23.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed to amend Sections 22, 23 and 24 of the Boilers Act, 1923. The Department, in their

background note, has stated that the subject “Boiler” falls in the concurrent list given in the seventh schedule to the Constitution of India and administration of the Boilers Act, 1923 which is a Central Act is being carried out by the Inspectorate of Boilers of the States in their respective territories. The Act provides for safety of life and property from the danger of boiler explosions. There are more than 41000 boilers in the country. The aforesaid Amendments have been proposed to benefit boiler users in large and small scale sector in Power Plants, Chemical Plants, Steel Plants, Sugar Mills etc.

2.24. Discussion in the sitting of the Committee:

2.24.1. During their sitting held on 31st January, 2023, the Committee held in depth discussions on the amendments proposed by the Department. The Committee observed that where there is a provision for imprisonment, then the fine may also be retained for the court adjudicating the imprisonment will also look into the fine and that process goes concurrently; but where the punishment for imprisonment is being removed, there should not be any fine, there must be a penalty. A person need not approach to court of law for a small fine of five thousand rupees. The intent of the Committee is crystal clear that the Committee do not want to burden the courts. The Committee has to examine the litigation potential. The Committee also opined that quasi-judicial authority might be created that would be competent to impose and recover penalty.

2.24.2. The representative from the Department submitted that they would be required to held consultation once again with the States and ponder over this.

2.25. Suggestions by the Committee:

2.25.1. After detailed deliberations and clarifications on the amendments proposed, the Committee decided to consider *inter alia* the following suggestions/modifications to the amendments proposed to the Boilers Act, 1923 specified at Serial No. 3 of the Schedule to the Bill during clause-by-clause consideration:

- (i) The fine related provision should be replaced with penalty provision.
- (ii) In case of Penalties, where the penalty amount is high, Adjudication and Appellate mechanism may be proposed and where the penalty amount is less, adjudication mechanism is not required.
- (iii) Whether the amendments to the Acts can have a retrospective effect.

The Indian Forest Act, 1927

[Serial. No. 4 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.26. **Administering Ministry:** Ministry of Environment, Forests and Climate Change

2.27. **Purpose of the Act:** The Indian Forest Act, 1927 has been enacted to consolidate the law relating to forests, the transit of forest-produce and the duty leviable on timber and other forest-produce. It provides legal framework of forest administration and management for all States/UTs. Various States from time to time have carried out amendments in the relevant sections while implementing the provisions of the Act.

2.28. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provisions as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 26	(1) Any person who- (d) trespasses or pastures cattle, or permits cattle to trespass; or (e) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both, in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting Court may direct to be paid.	Clauses (d) and (e) have been proposed for omission in the Bill, as introduced.
2	Insertion of new sub-section (1A) after sub-section (1) in Section 26	Nil	(1A) Any person who, in a reserved forest- (a) trespasses or pastures cattle, or permits cattle to trespass; (b) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber, shall be liable to pay fine which may extend to five hundred rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as the

			Court may direct to be paid.
3	Section 33	33. Penalties for acts in contravention of notification under section 30 or of rules under section 32.-- (1) Any person who commits any of the following offences, namely:— X XXXX (e) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any tree reserved under section 30, whether standing fallen or felled, or closed portion of any protected forest; (f) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid; or (g) permits cattle to damage any such tree, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.	Clauses (e), (f) and (g) have been proposed for omission in the Bill, as introduced.
4	Insertion of new sub-section (1A) after sub-section (1) in Section 33	Nil	(1A) Any person who commits any of the following offences, namely:- (a) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any tree reserved under section 30, whether standing, fallen or felled, or closed portion of any protected forest; (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid; (c) permits cattle to damage any such tree, shall be liable to pay fine which may extend to five hundred rupees.

2.29. Submissions by the Ministry:

2.29.1. Expounding on the need for the proposed amendment, the Ministry have in their background note submitted as under:

“The Indian Forest Act, 1927 prescribes penalties for certain acts which are prohibited in forests. In case of non-compliance or contravention of the provisions of the IFA, 1927, or of the rules or directions issued under the said Act, the violator/offender shall be punished with imprisonment and fines. At times, there are difficulties in differentiating between a major and minor offence and because of that punishments are often not distinct. Hence, it is required to incorporate differentiated penal provisions in the Act by amending IFA, 1927. Concerns have been raised with regard to the imprisonment provision for minor violations which are simple infringements not leading to any injury to human or significant damage to forest. Further, the imprisonment provision, may cause harassment to citizens, especially to forest dwelling communities and forest dependent people living in and around forest, for simple non-compliance.

2.29.2. As regards the rationale behind the proposed amendment, the Ministry have stated:

“The Indian Forest Act, 1927 provides for the penalty of imprisonment for some minor offences/violations. Imprisonment provision for such minor violations/noncompliance to leading to significant injury to human or damage to forest do not merit such penalty.

- The imprisonment provision for some minor offence is not justifiable as the criminal provisions may cause harassment to citizens, especially forest dwelling communities and forest dependent people.

Considering the above, it is proposed that imprisonment for minor lapses shall be removed in certain cases. Hence, the amendments in IFA, 1927 seeks to curtail harassment of people for simple violations such as trespasses of cattle, causing damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber. The present bill for amendment of the Indian Forest Act, 1927 shall eliminate the fear of imprisonment especially for forest dependent people for minor lapses.

2.29.3. Giving the benefits of carrying out the proposed amendments, the Ministry have inter-alia submitted that the amendments shall:

- (a) Send out a clear message to the law-abiding people, about the Government's commitments to remove harassment.
- (b) Create an atmosphere of trust based governance.
- (c) Eliminate the fear of imprisonment on minor lapses among the tribal and forest dwelling communities.
- (d) Reduce litigation for prosecution under minor offences.

2.30. Discussion in the sitting of the Committee:

2.30.1. During the sitting held on 17th January, 2023, the Committee sought to know why the Ministry seeks to bring about amendment in Section 26 (d) of the Act. The representative of the Ministry *inter-alia* informed that in the reserve forest, the grazing rights of the cattle grazers have been settled elsewhere by the forest settlement officer and the penalty imposed would act as mental deterrent to prevent cattle trespass.

2.30.2. On being asked how grazing by cattle would harm the reserve forests, the Ministry replied as under:

“जो नेचुरल रीजन रेट्स हैं, जो छोटे-छोटे पौधे निकलते हैं, वे कुचल जाते हैं। आप देखेंगे क कसी भी फॉरेस्ट वलेज के पास वाले जंगल पूरे डिग्रेडेड होते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं, वे ठीक रहते हैं। इसका कारण यही है क इनिशियल स्टेज में कैटल प्रेशर इतना ज्यादा रहता है क सारे पौधे दब जाते हैं।

दूसरा, वहाँ की मी कॉम्पैक्ट हो जाती है। मी कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो वहाँ जिमर्नेशन नहीं हो पाता है। कैटल के आने से काफी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है क पैरीफेरी में हमारा फॉरेस्ट बहुत खराब होता है।

2.30.3. The Committee also sought to know why the penalty amount has been kept the same for both Section 26 (d) as well as Section 26 (e). The Ministry informed that 13 of the states in the country have their own Forest Act and most of the states have their own penal provisions. The Committee were also informed that once consent of Government of India has been taken by the States to bring about their own provisions by way of amendment, the same shall have an overriding over the Central provisions.

2.30.4. On being asked whether any adjudication authority is available under the Act which can adjudicate on the penalty being imposed under Section 26 and Section 33 the Ministry replied in affirmative.

2.31. Suggestions by the Committee:

2.31.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modifications to the amendments proposed to the Indian Forest Act, 1927, specified at Serial No. 4 of the Schedule to the Bill, during Clause-by-Clause consideration.

- Section 26: i) The word “fine” may be replaced by “penalty”.
- (ii) Penalty of up to Rs. 500 may be kept for violation of section 26 (1) (d) of the Act.
- (iii) Section 26 (1)(d) and (e) of original Act, are to be made compoundable and an adjudicating officer be authorized to charge the penalty or determine the compensation for damage.

- (iv) Increase penalty from Rs 500 to Rs. 5000 for violation of section 26 (1) (e) of the Act.

Section 33: (i) The word “fine” may be replaced by “penalty”.

- (ii) Increase penalty of Rs 500 to Rs 5000 for violations of section 33(e) and (f) of the Act.
- (iii) Section 33 (1) (e) and (f) of original Act, be made compoundable and authorize an adjudicating officer to charge the penalty or determine the compensation for damage.
- (iv) Omission of Section 33 (1) (g).

The Agricultural Produce (Grading & Marking) Act, 1937

[Serial No. 5 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.32. **Administering Ministry:** Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
[Department of Agriculture & Farmers Welfare]

2.33. **Purpose of the Act:** The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and the rules made there under broadly mandates the Central Government to:

- (i) notify the standards, popularly called Agmark standards, containing two to three quality grades for grading and marking of agricultural and other produce; and
- (ii) provide the procedure to undertake certification of agricultural and other produce under the brand Agmark.

2.34. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provisions as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Insertion of clause (ga) in Section 3(2)	Nil	(ga) holding inquiry to impose penalty under sub-section (1) of section 5C;
2	Insertion of clause (gb) in Section 3(2)	Nil	(gb) preferring appeal under sub-section (1) of section 5D.
3	Section 4	4. Penalty for un-authorised marking with grade designation mark. – Whoever marks any scheduled article with a grade designation mark, not being authorised to do so by rule made under Section 3, shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees.	4. Penalty for un-authorised marking with grade designation mark. – Whoever marks any scheduled article with a grade designation mark, not being authorised to do so by the rule made under section 3, shall be punishable with penalty of five lakh rupees.
4	Section 5	5. Penalty for counterfeiting grade designation mark.-- Whoever counterfeits any grade designation mark or has in his possession any die, plate or other instrument for the purpose of counterfeiting a grade designation mark, shall be punishable with imprisonment for a term not	5. Penalty for counterfeiting grade designation mark.-- Whoever counterfeits any grade designation mark, or has in his possession any die, plate or other instrument for the purpose of counterfeiting a grade designation mark, shall be punishable with penalty of eight lakh rupees.

		exceeding three years and fine not exceeding five thousand rupees.	
5	Section 5A	5A. Penalty for selling misgraded articles.-- Whoever sells any scheduled article which is misgraded shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees.	5A. Penalty for selling misgraded articles.-- Whoever sells any scheduled article which is misgraded shall be punishable with penalty of three lakh rupees."
6	Section 5B (4)	5B. Power to prescribe compulsory grade designations in respect of certain articles.— (4)Whoever contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees.	5B. Power to prescribe compulsory grade designations in respect of certain articles.-- (4) Whoever contravenes the provisions of this section shall be punishable with penalty of five lakh rupees.
7	Section 5C	5C. Institution of prosecution.— No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by— (a) the Central Government or the State Government or any officer authorised by it in writing; or (b) the person aggrieved; or (c) a recognised consumer association, whether the person aggrieved is a member of that association or not. Explanation.—For the purposes of this section, "recognised consumer association" means a voluntary consumer association registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force.	5C. Adjudicating officer.-- (1) The Central Government may, for the purposes of determining the penalties under sections 4, 5, 5A and 5B, appoint an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of Deputy Secretary to the State Government, to be adjudicating officer to hold an inquiry in the manner, as may be prescribed and to impose penalty: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of

			the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sections 4, 5, 5A, 5B, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned an opportunity of being heard in the matter.
8	Insertion of new Section 5D	Nil	5D. Appeal.— (1) Any person aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 5C may prefer an appeal to the Agricultural Marketing Adviser, Government of India within thirty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person in such manner as may be prescribed. (2) The Agricultural Marketing Adviser may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (3) The Agricultural Marketing Adviser referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal.
9	Insertion of new Section 5E	Nil	5E. Recovery.— Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by adjudicating officer under section 5C or the Agricultural Marketing Adviser under section 5D, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrears of land revenue.

2.35. Submissions by the Ministry:

2.35.1. In their background note submitted to the Committee, the Department of Agriculture and Farmers Welfare (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare) submitted:

The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 is implemented by Directorate of Marketing & Inspection (DMI), an attached office of DA&FW with its Headquarters at Faridabad and Regional and Sub - Offices spread across the country.

Agmark certification is a voluntary scheme except for food products like Blended Edible Vegetable Oil, Fat Spread, which are mandated by Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sale) Regulations, 2011.

2.35.2. Elaborating on the need for the proposed amendments, the Ministry in their background note submitted as under:

“In sync with national policy to reform and decriminalize the policies and laws to promote ease of doing business and ease of life, Dept. of Agriculture and Farmers Welfare (DA&FW) has identified the Agriculture Produce (Grading & Marking) Act, 1937 to decriminalize by completely removing the imprisonment clauses and substituting the same by monetary penalties. The imprisonment clauses existed in four sections, namely 4, 5, 5A and 5B of the Act.

Department undertook consultation with the stakeholders like Agmark packers / manufacturers, graders / quality analysts and State Government officials to arrive at the conclusion for need of decriminalizing the aforesaid law. Thus, considering the discussions in the administrative Ministry /Department, suggestions of NITI Aayog and Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and further stakeholder consultation with respect to amendment provisions, the proposal to decriminalize the imprisonment penal provisions was decided. Furthermore, to arrive at the reasonable monetary amount for penalty it was benchmarked with the similar provisions of Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006.

The proposed decriminalization amendments in the aforesaid Act would facilitate in development of supportive ecosystem for food and agribusiness. Further, the proposed amendment would also make the Act more implementable.

The beneficiary of the proposed amendment provisions of aforesaid Act under umbrella Bill of “the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022” would largely be manufacturers/packers/Food business operators, who grade and mark the raw or processed commodity in the packaged form under AGMARK. In addition, consumers who consume agmark product are also the beneficiary. Apart from above, ease of doing business would encourage manufacturers and packers to grade and mark more quantities of agricultural produce, creating thereby demand in the market and indirectly benefitting the farming community in terms of better price realization.”

2.36. Discussion in the sitting of the Committee:

2.36.1. During the sitting held on 16th January, 2023, concerns were raised by the members of the Committee that the raise of penalty would lead to corruption, extortion and harassment of micro food enterprises. In this regard, the representative of the Department submitted as under:

“सर, इसके लिए कतनी पेनाल्टी लगायी जाए, 8 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है या 15 लाख भी हो सकती है, कैसे वह पेनाल्टी निर्धारित करें, इसके लिए हम लोगों ने एक स्टैक होल्डर कंसल्टेशन किया था। जहां पर ये सारे जितने भी मैनुफैक्चरर्स हैं, पैकर्स हैं, उन सभी के साथ मीटिंग हुई थी। स्टैकहोल्डर कंसल्टेशन हुआ था। नीति आयोग के साथ और कॉमर्स के साथ मीटिंग्स हुई थीं। इसके बाद हमने एफ एस एस ए आई के साथ बेंचमार्क भी किया। उनके साथ बेंचमार्क करके यह पेनाल्टी अराइव किया गया है।”

2.36.2. Asked about the justification for removal of penal provisions in Section 5 of the Act relating to Penalty for counterfeiting grade design mark, Secretary, Ministry of Agriculture informed as under:

“Sir, this has been taken back voluntarily. जो ट्रेडर्स और मैनुफैक्चरर्स इसको ले रहे हैं, वह भी चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता मार्केट में स्थापित हो वह उसके लिए लेते हैं। अभी तक जितने लोगों ने भी लिए हैं, सिर्फ 3 हजार 770 लोगों ने लिया है। बहुत ज्यादा स्केल में लोगों ने नहीं लिया है। इसमें हर महीने हमारी मॉनिटरिंग होती है, अभी तक इतने बड़े केस नहीं आए हैं, We can take resort to IPC also. इसमें चटिंग और काउन्टरिफटिंग इसमें आ जाते हैं। अगर हमें लगेगा कि कोई जघन्य अपराध हो रहा है तो हम अपनी अथराइजेशन भी बढ़ा कर सकते हैं।”

2.37. Suggestions by the Committee:

2.37.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed to be made in the Act, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modifications to the amendments proposed to the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, specified at Serial No. 5 of the Schedule to the Bill, during Clause-by-Clause consideration:

Section 5: Enhancement of penalty of eight lakh rupees to fifteen lakh rupees.

Section 5D: Deletion of the word “modifying” in sub-section (2) of section 5D.

Section 5E: Substitution of the words “amount shall be recovered in the same manner as an arrear of land revenue” for the words “amount shall be recovered as arrears of land revenue” so as to bring clarity in the expression.

The Drugs and Cosmetics Act, 1940

[Serial No. 6 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.38. **Administering Ministry:** Ministry of Health and Family Welfare
[Department of Health and Family Welfare]

2.39. **Purpose of the Act:** The Drugs and Cosmetics Act, 1940 is an Act to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics in India. The Act prescribes penalties for the contraventions of various provisions prescribed in the Act.

2.40. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 30(2)	Whoever, having been convicted of an offence under section 29 is again convicted of an offence under the same section shall be punishable with imprisonment which may extend to two years, or with fine which shall not be less than ten thousand rupees or with both.	Whoever, having been convicted of an offence under section 29 is again convicted of an offence under the same section, shall be punishable with fine which shall not be less than five lakh rupees.
2	Section 32B (1)	Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) any offence punishable under clause (b) of sub-section (1) of section 13, section 28 and section 28A of this Act (whether committed by a company or any officer thereof), not being an offence punishable with imprisonment only, or with imprisonment and also with fine, may, either before or after the institution of any prosecution, be compounded by the Central Government or by any State Government or any officer authorised in this behalf by the Central Government or a State	Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) any offence punishable under clause (b) of sub-section (1) of section 13, clause (d) of section 27 and clause (ii) of section 27A , section 28 and section 28A of this Act (whether committed by a company or any officer thereof), not being an offence punishable with imprisonment only, or with imprisonment and also with fine, may, either before or after the institution of any prosecution, be compounded by the Central Government or by any State Government or any officer authorised in this behalf by the Central Government or a State Government, on payment for

	Government, on payment for credit to that Government of such sum as that Government may, by rules made in this behalf, specify: Provided that such sum shall not, in any case, exceed the maximum amount of the fine which may be imposed under this Act for the offence so compounded: Provided further that in cases of subsequent offences, the same shall not be compoundable.	credit to that Government of such sum as that Government may, by rules made in this behalf, specify: Provided that such sum shall not, in any case, exceed the maximum amount of the fine which may be imposed under this Act for the offence so compounded: Provided further that in cases of subsequent offences, the same shall not be compoundable.

2.41. **Submissions by the Ministry:**

2.41.1. The Ministry of Health and family Welfare in their background note has submitted the following information regarding the proposed amendments in the Act:-

“**Section 30(2)** of the said Act relates to the fine to be imposed for the second/subsequent use of a Government analyst report for the purpose of advertising, which has inherent risk of misuse of forcing/ influencing prescriptions or self medication, etc. or to get the undue advantage by repeating the same offence. However, it is felt that the imprisonment provision can be removed and penalty of a proper fine would be appropriate to address this offence. Hence this provision is proposed to be decriminalized

Section 29 deals with the fine to be imposed in case of the first time use of such a report for advertising. The imprisonment clause in Section 30(2) is being proposed to be removed and the fine increased from ten thousand rupees to upto five lakh rupees.

Section 32B (1) deals with compounding of offences under the Drugs and Cosmetics Act. It is proposed to include section 27(d) and section 27A(ii) of the said Act under the ambit of compounding by inserting them in Section 32B(1).

Section 27(d) deals with the manufacture, sale etc of drugs in contraventions of the provisions of this Act (other than spurious, adulterated or without a valid license).

Section 27A (ii) deals with the manufacture, sale etc of cosmetics in contraventions of the provisions of this Act (other than spurious or adulterated cosmetics).

Both the section are related to quality failure. It is felt that the enhanced penalty and prescribing compounding mechanism in rules would be appropriate to address this offence. Hence this provision is proposed to be made compoundable and decriminalized to that extent accordingly.”

2.42. Discussion in the sitting of the Committee:

2.42.1. In this regard, the Secretary, Department of Health and Family Welfare, during the sitting of the Committee on 7.2.2023, deposed before the Committee as under:

“.....The amendments are proposed in Sections 32, 27(d), 27A(ii) Section 32 deals with penalty for subsequent offences. The proposal is that there was an imprisonment provision, which could extend to two years, which has been removed. There was also a provision for fine. In the original Act, the fine was up to Rs.10,000 or with both, that is imprisonment as well as Rs. 10,000 fine. The fine has now been increased to not less than Rs. 5 lakh. So, from Rs. 10,000 it has become not less than Rs. 5 lakh, and up to two years imprisonment clause has been removed.

Section 27(d) deals with penalty for manufacture, sale, etc. of certain drugs other than drugs, which are spurious or adulterated. Here also, there was a provision of imprisonment for a term, which shall not be less than one year but may extend to two years. Similarly, in Section 27A (ii) provision there is penalty for manufacture, sale, etc. of cosmetics. It is a similar as Section 27(d), which focuses on drugs and Section 27A(ii), which focuses on cosmetics. Here, it was imprisonment up to one year. So, in both Sections 27(d) as well as 27A(ii) the provision of imprisonment has been removed and compounding of offences has been included.”

2.42.2. The Committee wanted to know whether Section 32B provides for compounding of offences. The Secretary, D/o Health & Family Welfare, stated that Section 32(B) being an omnibus section refers to section 13, 28 and 28(A) of this Act. And to this two more sections 27 (d) and 27(A) (ii) have been added.

2.42.3. The Committee in this connection wished to know about the rationale for including these two sections in Section 32B and making them compoundable, the representatives of the Ministry replied that hypothetically, nothing should be compounded as all offences under this act are, offences against society.

2.42.4. While deliberating upon the amendments in section 30 (2), the Committee desired to be apprised about the rational for increasing the penalty for subsequent offence to Rs. 5 lakh from Rs. 5000 for first offence under Section 29. The Committee suggested that to reduce this difference the amount of five thousand under section 29 may also be enhanced to rupees one lakh and fine maybe converted into penalty to ensure administrative adjudication. The Committee also suggested Ministry to change heading of Section 29 and use the word ‘punishment’ in it.

2.42.5. The Committee asked Ministry to use word ‘punishment’ in place of ‘penalty’ in respect of sections 13, 27, 27A, 28, 28A, 28B, 29, 30 and 33(i) and 33J and also elsewhere, where the change is required in the Act, after checking its consequential effect.

2.43. Suggestions by the Committee:

2.43.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed to be made in the Act, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modifications to

the amendments proposed to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, specified at Serial No. 6 of the Schedule to the Bill, during Clause-by-Clause consideration:

Section 29 : Fine to be increased from Rs. 5000 to Rs. 1 lakh

Section 13(3) 27, 27A, 28, 28A, 28B, 29, 30 and 33 (1): Word 'penalty' to be substituted by 'punishment'.

Substitution of the word may be carried out in other sections after checking its consequential effect.

The Public Debt Act, 1944

[Serial No. 7 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.44. **Administering Ministry:** Ministry of Finance
[Department of Economic Affairs]

2.45. **Purpose of the Act:** To consolidate and amend the law relating to Government securities and to the management by the Reserve Bank of India of the public debt of the Government. The Public Debt Act, 1944 applies to Government securities, created and issued by the Central Government or a State Government. As per the Act, a “Government security” means – (A) a security, created and issued, by the Government for raising a public loan, and having one of the following forms, namely, (i) Stock, (ii) a promissory note payable to bearer and (iii) a form prescribed in this behalf; (B) any other security created and issued by the Government in such form and for such of the purposes of this Act as may be prescribed.

2.45.1. In 2006, the Government enacted the Government Securities Act, 2006 to consolidate and amend the law relating to Government securities and its management by the Reserve Bank of India and for matters connected therewith or incidental thereto. Section 1(2) of the Government Securities Act, 2006 states that it applies to the Government securities created and issued, whether before or after the commencement of this Act, by the Central Government or a State Government. Further, 31(1) of the Government Securities Act, 2006 provides that the Public Debt Act, 1944 shall cease to apply to the Government securities to which Government Securities Act, 2006 is applicable and to all matters for which provisions have been made by this Act.

2.46. **Amendments proposed to the Act**

Sl. No.	Section	Existing Provision	Provision, as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 27	Penalty.—(1) If any person, for the purpose of obtaining for himself or for any other person any title to a Government security, makes to any authority under this Act in any application made under this Act or in the course of any inquiry undertaken in pursuance of this Act any statement which is false and which he either knows to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine or with both. (2) No Court shall take cognizance of any offence under sub-section (1) except on the complaint of the Bank.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

2.47. Submission by the Ministry:

The Department of Economic Affairs has proposed to omit sub-section (1) of Section 27 of the Public Debt Act, 1944 and in consequence thereto sub-section (2) of Section 27 of the Act. In their background note, the Department has given the following rationale for omitting the said Section:

- (i) The existing Public Debt Act, 1944 doesn't explicitly mention the quantum of fine in the Act. Besides, the Public Debt Act, 1944 coexists with the Government Securities Act, 2006, for the Government Securities Act, 2006 was not adopted by the erstwhile state of Jammu and Kashmir.
- (ii) Currently, the proposed amendment will not affect any stakeholder as the Public Debt Act, 1944 co-exists with the Government Securities Act, 2006 just for the erstwhile state of Jammu and Kashmir. However, post-enactment of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the State of Jammu & Kashmir was reorganised into two separate Union Territories and, thus, the process of repealing the Public Debt Act, 1944 is underway thereby making Government Securities Act, 2006 applicable to all states and UTs.
- (iii) As confirmed by the Reserve Bank of India, there has not been any instance of invocation of Section 27 of Public Debt Act, 1944.

2.48. Discussion in the sitting of the Committee:

During the sitting held on 6th February, 2023, the Committee discussed the proposal of the Department of Economic Affairs with the representatives of the Department. The Department briefed the Committee on the proposed amendment regarding omission of Section 27 of the Public Debt Act, 1944.

2.49. Suggestions by the Committee:

2.49.1. After the briefing by the Ministry on the proposed omission of Section 27 of the Act, the Committee agreed, in principle, with the amendment proposed to the Public Debt Act, 1944, specified at Sr. No. 7 of the Schedule to the Bill and decided to consider the suggestions, if required, during clause-by-clause consideration of the Bill.

The Rubber Act, 1947

[Serial No. 8 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.50. **Administering Ministry:** **Ministry of Commerce & Industry**
[Department of Commerce]

2.51. **Purpose of the Act:** The Rubber Act 1947 provides for the development [under the control of the Union] of the rubber industry. The Act provides for the constitution of a Board for the overall promotion and development of the rubber sector under government's guidance and control. The Rubber Act also provided that the government must maintain control over rubber production for any unexpected exigencies.

2.52. **Amendments proposed in the Act:**

Sl. No.	Section	Existing Provision	Provisions as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 11(3)	If any person contravenes any order made under sub-section (1), he shall, without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Sea Customs Act, 1878, as applied by sub-section (2), be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.	If any person contravenes any order made under sub-section (1), (of Section 11) he shall, without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Sea Customs Act, 1878, as applied by sub-section (2), be punishable with penalty which may extend to one lakh rupees or cancellation of licence issued under Section 14, or with both.
2	Section 13(3)	If any person buys or sells, or agrees to buy or sell, rubber at a price which is more than the maximum price, or less than the minimum price, fixed under sub-section (1) in that behalf, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
3	Section 26(1)	If any person-- (a) contravenes any provision of this Act, other than section 11 or section 13, or any rule made under this Act, or	If any person-- (a) contravenes any provision of this Act, other than section 11 or section 13, or any rule made under this Act, or

	(b) in any report or return to be furnished under this Act, makes any statement which is false and which he knows to be false or does not believe to be true, or (c) obstructs any officer of the Board in the discharge of any duty imposed on or entrusted to him by or under this Act, or (d) having the control or custody of any account book or other record, fails to produce such book or record when required by any authorized officer to do so, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.	(b) in any report or return to be furnished under this Act, makes any statement which is false and which he knows to be false or does not believe to be true, or (c) obstructs any officer of the Board in the discharge of any duty imposed on or entrusted to him by or under this Act, or (d) having the control or custody of any account book or other record, fails to produce such book or record when required by any authorized officer to do so, he shall be liable to pay penalty which may extend to fifty thousand rupees.

2.53. Submissions by the Ministry:

2.53.1. Elaborating on the need for the proposed amendments, the Ministry in their background note have submitted as under:

“The Rubber Act 1947 provides for the constitution of a Board for the overall promotion and development of the rubber sector under government’s guidance and control. The Rubber Act also provided that the government must maintain control over rubber production for any unexpected exigencies. Rubber Act, 1947 had provisions prescribing criminal penalties for offenses under the Act. Section 11, 13 and 26 stipulates criminal penalty for contravention of provisions under various Sections of the Act.

- i) Sub section (3) of Section 11 stipulates the criminal penalty for contravening any order issued by the Central Government on prohibiting, restricting or otherwise controlling the import or export of rubber.
- ii) Sub section (3) of Section 13 stipulates the criminal penalty for contravention of Section 13 (1) relating to control of price – maximum or minimum of rubber and
- iii) Section 26 stipulates criminal penalty for contravention of any provision of Rubber Act other than Section 11 or Section 13 or for making a false statement or for obstructing any Officer of the Board in the discharge of his duties or for failure to produce books and records.

The criminal provisions were enacted during a period when restriction and regulation were the key words. Currently, there is a felt need to decriminalize the contravention of provisions under the Rubber Act, with a view to facilitate ease of doing business and to enable trade and commerce in rubber in a liberalized environment.

Accordingly, amendments have been proposed, vide Sl. No 8 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, to provisions under Section 11,13 and 26 of Rubber Act, 1947. The jail term and fine provided under Section 11(3) is proposed to be substituted with penalty which may extend one lakh rupees or cancellation of licence issued under Section 14 or both. The jail term and fine in Section 26(1)(d) is proposed to be substituted with penalty which may extend to fifty thousand rupees. Also, Section 13 of the Rubber Act, which prescribed punishment of imprisonment for contravention of Section 13(1) of the Act (relating to power to fix maximum and minimum prices for sale of rubber), has been proposed for deletion, aiming at de-regulation and trade facilitation.

The stakeholders benefitted by the amendments are rubber dealers, processors and manufacturers. Decimalization of the provisions in the existing Act will facilitate ease of doing business and provide fair & equitable benefits to all stakeholders, thereby ensuring that Rubber Board acts as a facilitator rather than regulator of the sector and promotes faster growth and development of rubber industry in a liberalized environment. An approximate number of rubber dealers, processors and manufacturers who will be benefitted are 8,200, 110 and 4,500, respectively.”

2.54. **Suggestions by the Committee:**

2.54.1. After briefing by the representatives of the Ministry and clarifications on the amendments proposed to be made in the Act, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modification to the amendments proposed to the Rubber Act, 1947, specified at Serial No. 8 of the Schedule to the Bill, during Clause-by-Clause consideration:

Section 26: An adjudication mechanism with appellate provisions may be provided for penalties in the proposed provisions.

The Pharmacy Act, 1948

[Serial No. 9 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.55. **Administering Ministry:** Ministry of Health and Family Welfare
[Department of Health and Family Welfare]]

2.56. **Purpose of the Act:** The Pharmacy Act, 1948 was enacted to regulate the profession of pharmacy. Whereas it is expedient to make better provision for the regulation of the profession and practice of pharmacy and for that purpose to constitute Pharmacy Councils.

2.56.1. Pharmacy Council of India regulates pharmacy education by prescribing the minimum qualification for registration as a pharmacist to practice the pharmacy profession.

2.57. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 26A (3)	Any person willfully obstructing an Inspector in the exercise of the powers conferred on him by or under this Act or any rules made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees, or with both.	Any person wilfully obstructing an Inspector in the exercise of the powers conferred on him by or under this Act or any rules made thereunder shall be punishable on first conviction with fine which may extend to one lakh rupees and on subsequent conviction with fine not exceeding two lakh rupees.
2	Section 41 (1)	If any person whose name is not for the time being entered into the register of the State falsely pretends that it is so entered or uses in connection with his name or title any words or letters reasonably calculated to suggest that his name is so entered, he shall be punishable on first conviction with fine which may extend to five hundred rupees and on any subsequent conviction with imprisonment extending to six months or with fine not exceeding one thousand rupees or with both: Provided that it shall be a	If any person whose name is not for the time being entered in the register of the State claims that it is so entered or uses in connection with his name or title any words or letters reasonably calculated to suggest that his name is so entered, he shall be punishable on first conviction with fine which may extend to fifty thousand rupees and on any subsequent conviction with fine not exceeding one lakh rupees: Provided that it shall not be an offence if the name of the person is entered in the register of another State and that at the time of the claim, an application for registration in the State had been made.

		defense to show that the name of the accused is entered in the register of another State and that at the time of the alleged offence under this section an application for registration in the State had been made.	
3	Section 42 (2)	Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees or with both.	(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) be punishable with fine which may extend to one lakh rupees and on subsequent conviction with fine not exceeding two lakh rupees.

2.58. **Submissions by the Ministry:**

2.58.1. As per the information provided in their background note by the Ministry of Health and Family Welfare, following provisions are proposed to be amended :-

“Section 26(3) of the said Act deals with the punishment for willfully obstructing an Inspector in the exercise of the powers conferred on him/her under this Act. Amendment has been proposed to reduce quantum of imprisonment and to enhance the fine.

Section 41(1) of the said Act deals with the penalty for falsely claiming to be registered. Amendment has been proposed to reduce quantum of imprisonment and to enhance the fine.

Section 42(2) of the said Act deals with the penalty for dispensing of medical products by unregistered persons. Amendment has been proposed to reduce quantum of imprisonment and to enhance the fine.”

2.59. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.59.1. The representative, the Department of Health and Family Welfare, during the briefing on the proposed amendments on 7th February, 2023, informed the Committee that the Pharmacy Act, 1948 being an old Act needs considerable changes. However, in this Bill changes have been proposed in section 26 (A) (3) and 41(1). Section 26A, deals with the inspection by inspectors and willfully obstructing the inspector, while he performs his duty. The imprisonment in this section has been removed to decriminalise it. The Committee suggested Ministry to convert ‘fine’ into ‘penalty’ as imprisonment has also been done away with.

2.59.2. The Ministry representatives informed the Committee that there would be need to incorporate administrative adjudicating mechanism in the Act for realising and recovering penalty, which is presently not there and committed to incorporate mechanism and provision for authority in the Act.

2.59.3. As regards section 41, which pertains to a person falsely claiming his name to be entered in Register of the State, maintaining records of licenced pharmacists, the Ministry informed that imprisonment has been removed from this section.

2.59.4. The Committee suggested Ministry to replace the word 'Offence' in Section 41(1) and instead 'violation' or 'failure' may be used. The Committee further suggested Ministry to not to completely decriminalise section 41(1) and to only reduce punishment to three months period and increase the amount of fine.

2.59.5. On being asked, if the word 'punishable' could be removed in section 42(2) as 41(1) has been partially decriminalised, the representatives, Ministry of Health apprised that in 42(2) imprisonment should not be removed as it is a serious offence. The Committee accordingly, suggested to minimise the punishment from 6 months to 3 months and enhanced fine from one thousand rupees to two lakh rupees.

2.60. **Suggestions by the Committee:**

2.60.1. After detailed discussions, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following suggestions to the amendments proposed to the Pharmacy Act, 1948, specified at Serial No. 9 of the Schedule to the Bill, if required, during Clause-by-Clause consideration:

Section 41: (i) Imprisonment to be reduced from six to three months.
 (ii) Fine to be enhanced from ~~Rs. One lakh~~ to two lakh rupees.
 (iii) Word 'Offence' to be substituted by 'Violation'.

Section 42(2): Imprisonment to be reduced from 6 months to 3 months and amount of fine to be increased from one thousand to two lakh rupees.

Section 42(3): Consequential amendments.

The Industries (Development and Regulation) Act, 1951

[Serial No. 10 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.61. **Administering Ministry:** Ministry of Commerce and Industry
[Department for Promotion of Industry and Internal Trade]

2.62. **Purpose of the Act:** The Act provides the conceptual and legal framework for industrial development and regulation in India. The Act was framed to bring under Central control the development and regulation of a number of important industries the activities of which affect the economic factors which affect the country as a whole. This act was created initially with the purpose of regulating industries such so that there was greater focus on mass employment generation through sectors of large transformational consequence. The act continued to be amended on a small-scale over the years, in an effort to deal with the immediate economic issues. The Industry policy of 1991 was the most notable amendment in the act's history, where industrial licensing rules were struck down, opening the door for stronger participation from the private sector as well as foreign investment, thus allowing India to start its journey of establishing its place in the world as an economic giant. It has undergone multiple amendments since its inception whilst still serving as a reference material for multiple definitions and provisions such as the constitution of the Central Advisory Council and Development Council.

2.63. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision, as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 24(1)	(1) If any person contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of— (i) the provisions of sub-section (1) [or sub-section (4)] of section 10 or of sub-section (1) of section 11 or of section 11A or of sub-section (1) of section 13 [or of [sub-sections (2), (2A), (2D), (2F) and (2G) of section 29B]], or (ii) any direction issued under section 16 or sub-section (3) of section 18B, or (iii) any order made under section 18G, or (iv) any rule the contravention of which is made punishable under this section,	(1) If any person contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of— (i) the provisions of sub-section (1) [or sub-section (4)] of section 10 or of sub-section (1) of section 11 or of section 11A or of sub-section (1) of section 13 [or of [sub-sections (2), (2A), (2D), (2F) and (2G) of section 29B]], or (ii) any direction issued under section 16 or sub-section (3) of section 18B, or (iii) any order made under section 18G, or (iv) any rule the contravention of which is made punishable

		he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, and, in the case of a continuing contravention, with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.	under this section, he shall be punishable with fine which may extend to twenty-five lakh rupees.
2.	Section 24A	Penalty for false statements.—If any person,— (a) when required by this Act or by any order under this Act to make any statement or furnish any information, makes any statement or furnishes any information which is false in any material particular and which he knows or has reasonable cause to believe to be false or does not believe to be true; or (b) makes any such statement as aforesaid in any book, account, record, declaration, return or other document which he is required by any order made under this Act to maintain or furnish; he shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.]	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

2.64. **Submission by the Ministry:**

2.64.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed to amend Section 24 and omit Section 24A of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951. In their background note, the Department has stated that as per Press Note 3 of 2019 dated 11th September, 2019, only following four Industries are covered under compulsory licensing:

- i. Cigars and Cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes.
- ii. Electronic aerospace and defence equipment.
- iii. Industrial Explosives.
- iv. Hazardous Chemicals.

2.65. Discussion in the sitting of the Committee:

2.65.1. During the sitting of the Committee held on 31st January, 2023, the representatives of the Department gave their presentation on the proposed amendments before the Committee. They submitted the justification that the amendment proposed in Section 24 of the Act would lead to improvement in Ease of Doing Business by simplification of process, reduction in compliance burden and that too without compromising the safety and national security considerations. As regards omitting Section 24A of the Act, they submitted that omission of this obsolete penal provision for minor offences is being proposed for further facilitation of Ease of Doing Business and Ease of Living for all citizens. The perception of punishment by potential investors and business leads to insecurity and hampers investment decisions. The above proposal to amend the law having punitive consequences to replacing with fine would retain the purpose of imposing sanctions having a deterrent effect on the offender.

2.65.2. The Committee discussed the proposed amendments in detail with the representatives of the Department. The Committee was of the opinion that to decriminalize the provision, it would be apt to replace 'fine' with 'penalty'. The Committee also felt that there is a need to have adjudication and appellate mechanism to impose and recover penalties.

2.66. Suggestions by the Committee:

2.66.1. After detailed deliberations, the Committee decided to consider *inter alia* the following suggestions/modifications to the amendments proposed to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, specified at serial no. 10 of the Schedule to the Bill, during clause by clause consideration:

- (i) The currently prescribed fine may be replaced with penalty.
- (ii) In case of Penalties, where the penalty amount is high, Adjudication and Appellate mechanism may be proposed and where the penalty amount is less, adjudication mechanism is not required.
- (iii) Whether the amendments to the Acts can have a retrospective effect.

The Cinematograph Act, 1952

[Serial No. 11 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.67. **Administering Ministry:** Ministry of Information and Broadcasting

2.68. **Purpose of the Act:** The Indian Cinematograph Act of 1952 is a law that governs the certification of cinematograph films for display and the regulation of cinematograph exhibits. The Central Board of Film Certification (CBFC) setup under the Cinematograph Act, 1952 performs the statutory function of certifying films for public exhibition under the provisions of the Cinematograph Act, 1952. The Cinematograph Act, 1952 is read along with the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 and the Central Government guidelines of 1991 are the statutes from where the CBFC derives its authority. The Enforcement of Compliance to the Provisions of Cinematograph Act, 1952 is entrusted to State Govt.

2.69. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 7(1)	Penalties for contraventions of this Part.— (1) If any person— (a) exhibits or permits to be exhibited in any place— (i) any film other than a film which has been certified by the Board as suitable for unrestricted public exhibition or for public exhibition restricted to adults or to members of any profession or any class of persons] and which, when exhibited, displays the prescribed mark of the Board and has not been altered or tampered with in any way since such mark was affixed thereto, (ii) any film, which has been certified by the Board as suitable for public exhibition restricted to adults, to any person who is not an adult,	7. Penalties for contraventions of this Part. — (1) If any person— (a) without lawful authority (the burden of proving which shall be on such person), alters or tampers in any way any film after it has been certified, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with a fine which shall not be less than ten lakh rupees, or with both. (b) exhibits or permits to be exhibited in any place, any film: (i) which has not been certified by the Board; (ii) which, when exhibited does not display the prescribed mark of the Board; (iii) which, when exhibited displays a mark of the Board which has since been altered, or tampered with after the mark

	(iia) any film which has been certified by the Board as suitable for public exhibition restricted to any profession or class of persons, to a person who is not a member of such profession or who is not a member of such class, or"]; (b) without lawful authority (the burden of proving which shall be on him), alters or tampers with in any way any film after it has been certified, or (c) fails to comply with the provision contained in Section 6-A or with any order made by the Central Government or by the Board in the exercise of any of the powers or functions conferred on it by this Act or the rules made thereunder, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both, and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to twenty thousand rupees for each day during which the offence continues: Provided that a person who exhibits or permits to be exhibited in any place a video film in contravention of the provisions of sub-clause (i) of clause (a) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months, but which may extend to three years and with fine which shall not be less than twenty thousand rupees, but which may extend to one	has been affixed, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both and with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; (c) exhibits or permits to be exhibited in any place, a video film in contravention of the provisions of clause (a) or clause (b), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; (d) exhibits or permits to be exhibited any film, which has been certified by the Board as "A" within the meaning of this Act, to any minor, such person shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees per person for every such exhibition, levied by the authorised officer in the manner as may be prescribed; (e) exhibits or permits to be exhibited any film, which has been certified by the Board as "S" within the meaning of this Act, to a person who is not a member of such profession or class shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees per person for every such exhibition, levied by such authorised officer in such manner as may be prescribed;

		lakh rupees, and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to twenty thousand rupees for each day during which the offence continues: Provided further that a court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months, or a fine of less than twenty thousand rupees: Provided further that notwithstanding anything contained in Section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), it shall be lawful for any Metropolitan Magistrate, or any Judicial Magistrate of the first class specially empowered by the State Government in this behalf, to pass a sentence of fine exceeding five thousand rupees on any person convicted of any offence punishable under this Part: Provided also no distributor or exhibitor or owner or employee of a cinema house shall be liable to punishment for contravention of any condition of endorsement of caution on a film as "UA" under this Part.	(f) fails to comply with the provision contained in Section 6A or with any order made by the Central Government or by the Board in the exercise of any of the powers or functions conferred on it by this Act or the rules made thereunder, he shall be liable to a penalty not exceeding five lakh rupees, levied by the authorised officer and in such manner as may be prescribed: Provided that notwithstanding anything contained in Section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), it shall be lawful for any Metropolitan Magistrate, or any Judicial Magistrate of the First Class specially empowered by the State Government in this behalf, to pass a sentence of fine exceeding five thousand rupees on any person convicted of any offence punishable under this Part under clauses (a) to (c): Provided further that no distributor or exhibitor or owner or employee of a cinema house shall be liable to punishment for contravention of any condition of endorsement of caution on that has been certified as "UA" under this Part.
2.	Insertion of new sub-section (4) in Section 7	Nil	(4) Any person aggrieved by any penalty imposed under clauses (d) to (f) of sub-section (1), may prefer an appeal in such manner and to such appellate authority as may be prescribed.
3.	Insertion of new clauses after clause (c) in		(ca) the authorised officer and the manner of levy of penalty by him in terms of clauses (d) to (f) of sub-section (1) of section 7;

	Section 8		(cb) the manner of preferring appeal and appellate authority under sub-section (4) of section 7;
3.	Section 14	Penalties for contravention of this Part. If the owner or person in charge of a cinematograph uses the same or allows it to be used, or if the owner or occupier of any place permits that place to be used in contravention of the provisions of this Part or of the rules made thereunder, or of the conditions and restrictions upon or subject to which any licence has been granted under this Part, he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and, in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to one hundred rupees for each day during which the offence continues.	Penalties for contravention of this Part. If the owner or person in charge of a cinematograph uses the same or allows it to be used, or if the owner or occupier of any place permits that place to be used in contravention of the provisions of this Part or of the rules made thereunder, or of the conditions and restrictions upon or subject to which any licence has been granted under this Part, he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees and, in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to ten thousand rupees for each day during which the offence continues.

2.70. **Submissions of the Ministry:**

2.70.1. In their written submission to the Committee, the Ministry of I&B informed that the violation of the provisions of the Cinematograph Act and Rules may take place in various forms. The penalties for contraventions of provisions of the Cinematograph Act, 1952 are prescribed under sections 7(1) and 14 of the Act. The Ministry of I&B has proposed Amendments in sections 7(1) and 14 of the Cinematograph Act, 1952 for decriminalization & rationalization of the penalty provisions and to make the Act consistent with the Government's Ease of Doing Business policy. New clauses in section 8 are also proposed to be inserted to make rules for the purpose of carrying into effect the proposed provisions.

2.70.2. The Ministry in their background note, further, stated the Sections 7(1) and 14 of Act, 1952 provides for Penalties their decriminalization has been formulated wherein:

“a. In order to adhere to the Government of India's mandate of decriminalization, the punishment of imprisonment has been removed and only penalties would be levied in cases of a) exhibition of 'A' film to non-adults; b) exhibition of 'S' film to a member not of such profession or class; and c) breach of section 6A regarding information and documents to be given to distributors and exhibitors with respect to certified films. However, the quantum of penalty has been increased to act as an effective deterrent and to make it commensurate with the times.

It has been proposed that the penalties in the above cases shall be imposed by an authorized officer after giving reasonable opportunity of being heard. Any person aggrieved by any penalty imposed, may prefer an appeal in such manner and to such appellate authority as may be prescribed.

- b. The punishment of imprisonment has been retained keeping in mind the gravity of the offence in the cases of a) tampering with a film after it has been certified; and b) exhibition of a film or a video film in a form other than the one in which it was certified, i.e. with interpolations. The quantum of fine has been increased to act as an effective deterrent and to make it commensurate with the times.”

2.71. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.71.1. During their sitting on 9th February, 2023, the Committee was briefed by the representatives of Ministry of Information and Broadcasting that under section 14 amount of fine to be imposed on the owner or any person in charge of a cinematograph, in case of contravention of that part of the Act has been increased from one thousand to one lakh rupees and in the case of a continuing offence from rupees hundred to ten thousand rupees each day. The Committee suggested Ministry that in case of penalties the words “penalty” “contravention” and “liable” may be used instead of “fine” or “punishable” to decriminalise the section to facilitate administrative adjudication of the contravention of the Act.

2.71.2. In view of the above, the Committee asked Ministry to bring in consequential changes in Section 15 as well, which provides for “Power to revoke licence” of a license holder, who has been convicted of an offence under section 7 or 14, as there would be no conviction under section 14 which has now been decriminalised. The representative, Ministry of Information and Broadcasting responded affirmatively, that section 7 in itself is providing for two categories of offences where 3 offences are of minor category i.e. 7(1) a, b & c.

2.71.3. The Committee asked Ministry to bring changes accordingly, as on the basis of contravention, it may be penalty or it may be imprisonment, if both the things are covered under sections 7 and 14, then word convicted may be avoided and instead contravention may be used. The Ministry representatives assured the Committee to examine the matter in light of suggestions of the Committee to incorporate requisite changes.

2.71.4. The Ministry representatives informed the Committee that in section 7(1) (a) to (c) licence can be revoked in first instance; though the same is not mandatory, but power could be exercised. Therefore, the Ministry proposed to divide section 15 into 15(1) and 15(2) to include different sets of penalties under section 15 for minor offences under sub section (a) to(c) of Section 7(1) and different penalties under subsection (d) to (f) of section 7 (1) of section 14.

2.71.5. The Committee, in this regard asked Ministry to carry out consequential changes in Section 15 as well, which had not been brought for amendments to remove the ambiguity. The Section provides for “Power to revoke licence” and remove the ambiguity, which does not differentiate in the imposition of penalty in case of minor offences and repeated offence. The Committee asked to include objective consideration in the section stating in clear

manner the extent of power to revoke licence, which could be exercised in case of first and repeated offence.

2.72. Suggestions by the Committee:

2.72.1. After detailed discussions, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Cinematograph Act of 1952, specified at Serial No. 11 of the Schedule to the Bill, and decided to consider the following suggestions, if required, during Clause-by-Clause consideration:

- Section 14 – The terms “penalty” “contravention” and “liable” may be substituted for “fine” or “Punishable”.
- Section 15 – Different set of penalties for major offences in sub sections (a) to (c) of Section 7(1) and for minor offences under sub sections (d) to (f) of Section 7 (1) OR Section 14.

The Tea Act, 1953

[Serial No. 12 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.73. **Administering Ministry:** Ministry of Commerce & Industry
[Department of Commerce]

2.74. **Purpose of the Act:** The Tea Act, 1953 provides for the control by the Union of the Tea industry, including the control, in pursuance of the International Agreement now in force, of the cultivation of tea in, and of the export of tea from, India and for that purpose to establish a Tea Board and levy a duty of excise on tea produced in India.

2.75. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provisions as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 38	38. Penalty for obstructing an officer or member of the Board in the discharge of his duties and for failure to produce books and records.- Any person who- (a) Obstructs a member authorised by the Chairman in writing or an officer of the Board or a person authorised in this behalf by the Central Government or by the Board in the exercise of any power conferred or in the discharge of any duty imposed on him by or under this Act, or (b) Having the control or custody of any account book or other record, fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act. shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.	Proposed to be omitted in the Bill, as introduced.
2	Section 39	39. Penalty for illicit cultivation.-- Whoever knowingly plants tea or causes tea to be planted on any land in contravention of section 12 shall be punishable with fine which	Already Suspended in the Tea Act 1953 – 29 of 1953 through notification no S.O. 3415(E) dated 23.08.2021. Proposed to be omitted in the

		may extend to one thousand rupees for the first offence, and with fine which may extend to five thousand rupees for any subsequent offence.	Bill, as introduced.
3	Section 40	40. Removal of tea planted without permission. --Where any person has been convicted of any offence under section 39, the convicting court may direct that the tea in respect of which the offence was committed shall be removed from the land within a specified time, and in the event of the order not being duly complied with, may cause, the tea to be removed and may recover the cost from the person convicted as if it were an arrears of land revenue due on the tea estate on which the offence was committed	Already Suspended in the Tea Act 1953 – 29 of 1953 through notification no S.O. 3415(E) dated 23.08.2021. Proposed to be omitted in the Bill, as introduced.
4	Section 41	Penalty for contravention of order relating to control of price and distribution. --(1) If any person contravenes any order made under sub-section (1) or sub-section (3) of section 30, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both; and the property in respect of which the order has been contravened or such part thereof as to the court may seem fit, shall be forfeited to the Central Government. (2) Any person who attempts to contravene or abets the contravention of any order under sub-section (1) or sub-section (3) of section 30 shall be deemed to have contravened that order.	Proposed to be omitted in the Bill, as introduced.
5	Section 42	42. Other penalties. --Whoever contravenes or attempts to contravenes or abets the contravention of the provisions of	Proposed to be omitted in the Bill, as introduced.

		this act or of any rules made thereunder other than the provisions, punishment for the contravention whereof has been provided for in section 36, 37, 38, 39, and 41 shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or tight both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention	

2.76. **Submissions by the Ministry:**

Elaborating on the need for the proposed amendments, the Ministry in their background note submitted as under:

“The Tea Act, 1953 was enacted on 28th May, 1953 and the Tea Board is a body established under Section 4 of the Act. It has been proposed to omit section 38, section, 39, section 40, section 41 and section 42 of the Tea Act, 1953 which prescribe for punishment for various offences. It is to state that section 39 and section 40 has already been suspended vide Gazette notification no S.O. 3415(E) dated 23.8.2021. Section 38, 39, 40, 41 and 42 which prescribe imprisonment as a mode of punishment for minor offences were relevant at the time of enactment of the Act. However, after elapse of 70 years, these penal provisions have lost their relevance.

These sections were relevant where there was restriction on tea cultivation, export and quota system for tea export was prevalent. Currently, such penal provisions have lost their relevance and may go against the policy of ease of doing business. Accordingly, it has been proposed, vide Sl. No 12 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, to omit Section 38, 39, 40, 41 and 42 of the Tea Act, 1953.

The stakeholders benefitted by the amendments are tea planters, manufacturers, tea brokers, tea auctioneer, tea importers, tea warehouse owners, tea traders, and tea buyers. The number of stakeholders who are going to be benefitted from Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 are as follows:

Category of Tea stakeholders	Number
Small growers	2,29,526
Big growers	1567
Exporters	1970
Importers	317
Buyers	9524

Warehouse owners	381
Tea Waste License holders	3645
Brokers	20
Bought Leaf factories	788
Auctioneers	8

Decriminalization of the provisions in the existing Act will facilitate ease of doing business and provide fair & equitable benefits to all stakeholders, thereby ensuring that Tea Board acts as a facilitator and promotes faster growth and development of tea sector, besides promoting export of tea in a liberalized environment. "

2.77. Suggestions by the Committee:

2.77.1. After the briefing by the Ministry and clarifications on the amendments proposed to be made in the Tea Act, 1953, specified at serial no. 12 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modifications during Clause-by-Clause consideration:

Section 41 : The penal provision be extended to contravention of orders also.

Section 42 : (i) Penalties be aligned with omnibus provisions of other Boards
(ii) For penalties in the proposed provisions an adjudication mechanism with appellate provisions may be provided.

The Copyright Act, 1957

[Serial No. 13 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.78. **Administering Ministry:** Ministry of Commerce and Industry
[Department for Promotion of Industry and Internal Trade]

2.79. **Purpose of the Act:** An Act to amend and consolidate the law relating to copyright.

2.80. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Section	Existing Provision	Provision, as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 68	Section 68: Penalty for making false statements for the purpose of deceiving or influencing any authority or officer.— Any person who,— (a) with a view to deceiving any authority or officer in the execution of the provisions of this Act, or (b) with a view to procuring or influencing the doing or omission of anything in relation to this Act or any matter thereunder, makes a false statement or representation knowing the same to be false, shall be punishable with imprisonment which may extend to one year, or with fine, or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

2.81. **Submission by the Ministry:**

2.81.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed to omit Section 68 of the Copyright Act, 1957 which punishes the offence of making false statement or representation to deceive or influence the authority.

2.82. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.82.1. The Committee, in their sitting held on 31st January, 2023 gone through the presentation made by the Department and observed that that this provision is already covered under Section 177 of the Indian Penal Code Act, 1860, which read as under:

177. Furnishing false information. Whoever, being legally bound to furnish information on any subject to any public servant, as such, furnishes, as true, information on the subject which he knows or has reason to believe to be false shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; or, if the information which he is legally bound to give respects the commission of an offence, or is required for the purpose of preventing the commission of an offence, or in order to the apprehension of an offender, with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

2.83. **Suggestions by the Committee:**

After briefing by the Department, the Committee agreed, in principle, with the proposal to omit Section 68 of the Copyright Act, 1957, specified at serial no.13 of the Schedule to the Bill, and decided to consider the proposal during clause-by-clause consideration of the Bill.

The Merchant Shipping Act, 1958

[Serial No. 14 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.84. **Administering Ministry:** Ministry of Ports Shipping and waterways

2.85. **Purpose of the Act:** The Merchant Shipping Act, 1958, (MS Act) aims to foster the development and ensure the efficient maintenance of an Indian mercantile marine in a manner best suited to serve national interests. For this purpose, the act provides for the registration, certification, safety and security of Indian ships, training, certification, labour conditions and welfare of seafarers and matters concerning prevention of pollution from ships.

2.86. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Section No. 436(2)	Existing Provision			Provision as amended by the Bill introduced in Lok Sabha	
	Sl. No.	Offences	Section of this Act to which offence has reference	Penalties	Offence	Penalty
1	16	If any person in the case of any declaration made in the presence of or produced to a registrar under Part V or in any document or other evidence produced to such registrar— (a) Wilfully makes or assists in making or procures to be made, any false statement concerning the title to or ownership of or the interest existing in any	General	Imprisonment which may extend to six months, or fine which may extend to one thousand rupees, or both	-	Penalty which may extend to two lakh rupees.”

		ship or any share in a ship; or (b) utters, produces or makes use of any declaration or document containing any such false statement knowing the same to be false.				
1	29	If any owner, master or agent wilfully disobeys any order under section 115.	115. Power to prohibit engagement of persons as seamen.— The Central Government or any officer authorised by it in this behalf, if satisfied that in the national interest or in the interests of seamen generally it is necessary so to do, may, by order in writing, prohibit the owner, master or agent of any ship other than an Indian ship specified in the order from engaging in India or in any specified part of India, any person to	Imprison-ment which may extend to three months, or fine which may extend to one thousand rupees, or both.	-	Penalty which may extend to Two lakh rupees.

			serve as a seaman on such ship.			
1.	35	If any person— (a) forges or fraudulently alters any certificate of discharge or a certificate as to the work of a seaman or a continuous discharge certificate or a copy of any such certificate; or (b) fraudulently uses any certificate of discharge or a certificate as to the work of a seaman or a continuous discharge certificate or a copy of any such certificate which is forged or altered or does not belong to him.	General	Imprison-ment which may extend to six months, or fine which may extend to five hundred rupees, or both.	-	Penalty which may extend to two lakh rupees.”
2.	43	If any person commits a breach of any term of any award which is binding on him under sub-section (5) of section 150	General	Imprison-ment which may extend to one month, or fine which may extend to one thousand rupees, or both.	-	Penalty which may extend to two lakh rupees.”.
3.	44	If a seaman or an owner contravenes section 151.	151. Conditions of service, etc., to remain unchanged during pendency of	Imprison-ment which may extend to six months, or fine which may extend to one thousand rupees, or	-	Penalty which may extend to fifty thousand rupees.

			proceedings before tribunal— During the pendency of proceedings under section 150 — (a) no seamen or class of seamen or union of seamen shall go or remain on strike or otherwise act in a manner prejudicial to the normal operation of the ships in which the seamen are employed or are likely to be employed; and (b) no owner of a ship shall— (i) alter to the prejudice of the seamen concerned in the dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such proceedings; or (ii) discharge or punish any seaman in	both.		

			respect of any matter connected with the dispute.			
4.	57(a)	If a seaman or apprentice — (a) deserts his ship;	191. Desertion and absence without leave. —(1) No seaman lawfully engaged and no apprentice— (a) shall desert his ship;	He shall be liable to forfeit all or any part of the property he leaves on board and of the wages he has then earned and also if the desertion takes place at any place not in India, to forfeit all or any part of the wages which he may earn in any other ship in which he may be employed until his next return to India, and to satisfy any excess of wages paid by the master or owner of the ship from which he deserts to any substitute engaged in his place at a higher rate of wages than the rate stipulated to be paid to him, and also to imprisonment	-	“He shall be liable to forfeit all or any part of the property he leaves on board and of the wages he has then earned and also if the desertion takes place at any place not in India, to forfeit all or any part of the wages which he may earn in another ship in which he may be employed until his next return to India, and to satisfy any excess of wages paid by the master or owner

				which may extend to three months;		of the ship from which he deserts to any substitute engaged in his place at a higher rate of wages than the rate stipulated to be paid to him;"

5.	57(b)	(b) contravenes clause (b) of sub-section (l) of section 191.	191. Desertion and absence without leave. (1) No seaman lawfully engaged and no apprentice— ... (b) shall neglect or refuse, without reasonable cause, to join the ship or to proceed to sea in his ship or be absent without leave at any time within twenty-four hours of the ship's sailing from a port either at the	he shall, if the contravention does not amount to desertion, be liable to forfeit out of his wages a sum not exceeding two days pay and in addition for every twenty-four hours of absence either a sum not exceeding six days" pay or any expenses properly incurred in hiring a substitute and also to imprisonment which may extend to two months	-	he shall, if the contravention does not amount to desertion, be liable to forfeit out of his wages a sum not exceeding two days pay and in addition for every twenty-four hours of absence either a sum not exceeding six

			commencement or during the progress of a voyage, or be absent at any time without leave and without sufficient reason from his ship or from his duty.			days' pay or any expenses properly incurred in hiring a substitute.
6.	59(iv)	If a seaman or apprentice is guilty of the offence specified in— (iv) clauses (d) and (e) of section 194.	194. General offences against discipline. — A seaman lawfully engaged or an apprentice shall be guilty of an offence against discipline if he commits any of the following acts, namely: (e) if he combines with any of the crew to disobey lawful commands or to neglect duty or to impede the navigation of the ship or retard the progress of the voyage;	Imprisonment which may extend to three months, or fine which may extend to five hundred rupees, or both;	If a seaman or apprentice is guilty of the offence specified in— (iv) clauses (d) of section 194.	-
9.	-	-	-	-	Sr. No. 59 (iv a) clause (e) of section 194	Imprisonment which may extend to one month,

						and also for every twenty-four hour of such disobedience or neglect or forfeiture out of his wages of a sum not exceeding six days' pay or any expenses, which may have been properly incurred in hiring a substitute.
10.	60	If any master fails to comply with section 197.	197. Report of desertions and absence without leave. — Whenever any seaman engaged outside India on an Indian ship deserts or otherwise absents himself in India without leave, the master of the	Imprisonment which may extend to one month, or fine which may extend to one hundred rupees, or both.	-	Penalty which may extend to one lakh rupees."

			ship shall, within forty-eight hours of discovering such desertion or absence, report the same to the shipping master or to such other officer as the Central Government specifies in this behalf, unless in the meantime, the deserter or absentee returns.			
11.	65	If any person goes to sea in a ship contrary to sub-section (1) of section 205.	205. Stowaways and seamen carried under compulsion.— (1) No person shall secrete himself and go to sea in a ship without the consent of either the owner, agent or master or of a mate, or of the person in charge of the ship or of any other person entitled to give that consent.	Imprisonment which may extend to one month, or fine which may extend to two hundred rupees, or both.	-	Penalty which may extend to two lakh rupees
12.	66(a)	(a) If any person wilfully disobeys	206. Procedure	Imprisonment which may	-	Penalty which

		the prohibition obtained in clause (a) of section 206;	where seaman not shipped in India is imprisoned on complaint of master or owner.—If any seaman engaged outside India is imprisoned on complaint made by or on behalf of the master or owner of the ship or for any offence for which he has been sentenced to imprisonment for a term not exceeding one month, then—(a) while such imprisonment lasts, no person shall, without the previous sanction in writing of the Central Government or of such officer as it may specify in this behalf, engage in India any person to serve as a substitute for such seaman on board the ship; and	extend to three months, or fine which may extend to one thousand rupees; or both.		may extend to two lakh rupees

13.	68	If a master contravenes sub-section (1) of section 210.	210. Leaving behind in India of seaman or apprentice engaged abroad.— (1) The master of a ship shall not discharge at any place in India, a seaman or apprentice engaged outside India unless he previously obtains the sanction in writing of such officer as the Central Government appoints in this behalf; but such sanction shall not be refused when the seaman or apprentice is discharged on the termination of his service.	Imprisonment which may extend to three months, or fine which may extend to one thousand rupees, or both.	-	Penalty which may extend to fifty thousand rupees.
14.	72	If any person wilfully destroys or mutilates or renders illegible any entry in any official log book or wilfully makes or procures to be made or assists in making a false or fraudulent entry in or	General	Imprisonment which may extend to one year		Penalty which may extend to two lakh rupees.”

		omission from an official log book.				
15.	84	If the master, owner or agent of a special trade passenger or pilgrim ship, after having obtained any of the certificates mentioned in Part VIII, fraudulently does or suffers to be done anything where by the certificate becomes inapplicable to the altered state of the ship, or special trade passengers or pilgrims or other matters to which the certificate relates.	General	Imprisonment for a term which may extend to six months, or fine which may extend to two thousand rupees, or both	-	Penalty which may extend to one lakh rupees for the first offence and five lakh for every repeat offence."
16.	108B	If an Indian nuclear ship, fails to comply with subsection (1) of section 344D.	344D-Safety assessment and operating manual.—(1) Every Indian nuclear ship shall have on board a safety assessment and an operating manual in such form and containing such particulars and approved by such authority as may be	The master or owner or agent shall be, liable to imprisonment which may extend to six months or fine which may extend to ten thousand rupees or both.	-	The master or owner or agent shall be liable to Penalty which may extend to five lakh rupees and the ship may also be detained.

			prescribed. (2) The safety assessment and the operating manual shall be prepared, maintained and kept up-to-date in such manner as may be prescribed.			
17.	108E	(a) If the master of a nuclear ship fails to give the notice required by sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (5) of section 344G;	344G. Notice of accidents to nuclear ships.— (1) Where an Indian nuclear ship meets with an accident and such accident is likely to lead to environmental hazards, the master of the ship shall forthwith give notice of the accident—(a) to such officer or authority as may be specified in this behalf by the Central Government; and (b) if the ship is in or intends to enter the territorial water of a foreign State, also to the appropriate	Imprisonment which may extend to one year or fine which may extend to ten thousand rupees or both.	-	Penalty which may extend to five lakh rupees and the ship may also be detained.

			Government authority of the State. (2)Where a nuclear ship other than an Indian ship meets with an accident of the nature specified in sub-section (1) while she is in the territorial waters of, or at a port in, India, the master of the ship shall forthwith give notice of the accident to the officer or authority specified under clause (a) of sub-section(1). (5)Where a nuclear ship other than an Indian ship meets with an accident of the nature specified in sub-section (1) at any port or place outside India and intends to enter the territorial waters of India in a damaged condition, the			

			master of such ship shall give notice of the nature of the accident and the condition of the ship in such form as may be prescribed to the officer or authority specified under clause (a) of sub-section (1) and shall comply with such directions as that officer or authority may give.			
		(b) if the master of a nuclear ship fails to comply with any directions issued under sub-section (3) or subsection (5) of section 344G.	344G. Notice of accidents to nuclear ships.— (3) On receipt of a notice under sub-section (1) or sub-section (2), the officer or authority specified under clause (a) of sub-section (1) shall issue such directions as he thinks necessary and expedient in the circumstances of the case and	Imprisonment which may extend to one year or fine which may extend to ten thousand rupees or both.	-	Penalty which may extend to five lakh rupees and the ship may also be detained."

			investigate into the causes of the accident in such manner as may be prescribed. (5)Where a nuclear ship other than an Indian ship meets with an accident of the nature specified in sub-section (1) at any port or place outside India and intends to enter the territorial waters of India in a damaged condition, the master of such ship shall give notice of the nature of the accident and the condition of the ship in such form as may be prescribed to the officer or authority specified under clause (a) of sub-section (1) and shall comply with such directions as that officer or			

			authority may give.			
18.	109	If a master or person in charge of a ship fails, without reasonable cause to comply with section 348.	348. Duty of master of ship to assist in case of collision. —In every case of collision between two ships it shall be the duty of the master or person in charge of each ship, if and so far as he can do so without danger to his own ship, crew and passengers, if any—(a) to render to the other ship, her master, crew and passengers, if any, such assistance as may be practicable and may be necessary to save them from any danger caused by the collision and to stay by the other ship until he has ascertained that she has no need of further assistance, and (b) to give	Imprisonment which may extend to three months or fine which may extend to three thousand rupees, or both.	-	Penalty which may extend to five lakh rupees.

			to the masters or persons in-charge of the other ships the name of his own ship and of the port to which she belongs and also the names of the ports from which she comes and to which she is bound			
19.	115D (ii)	(ii) If any person wilfully destroys or mutilates or renders illegible or prevents the making of any entry in the oil record book or makes or causes to be made a false entry in such book in contravention of any rule made under section 356F.	356F. Record books.—(1) Every Indian oil tanker or other Indian ship which carries a substance subject to control by the Convention shall maintain, as may be required, record books in the prescribed forms, on board the oil tanker or other ship. (2)The manner in which record books shall be maintained, the nature of entries to be made therein, the custody and disposal thereof, and all other	The offender shall be liable to penalty of imprisonment which may extend to six months or fine” which may extend to ten thousand rupees or both.		the offender shall be liable to Penalty which may extend to fifty thousand rupees.

			matters relating thereto shall be such as may be prescribed having regard to the provisions of the Convention.			
20.	133	If any person contravenes any of the provisions of section 428	428. Fraudulent use of certificate of registry or certificate of inspection, etc. prohibited. (1) No person shall use or attempt to use the certificate of registry or the certificate of inspection granted in respect of a sailing vessel for any purpose other than the lawful navigation of the vessel. (2) No person shall use or attempt to use for the navigation of a sailing vessel a certificate of registry or a certificate of inspection not granted in respect of that vessel.	Imprisonment which may extend to three months, or fine which may extend to two hundred rupees, or both	-	Penalty which may extend to one lakh rupees and the vessel may also be detained."

			(3) No person who has in his possession or under his control the certificate of registry or the certificate of inspection of a sailing vessel shall refuse or omit without reasonable cause to deliver such certificate on demand to the owner of the vessel.			
21.	135	If the owner or tindal fails to comply with sub-section (1) of section 430.	430. Inquiry into jettisoning of cargo.—(1) If any owner or tindal of a sailing vessel in the course of her voyage, has jettisoned or claims to have jettisoned the whole or any part of the cargo of the vessel on account of abnormal weather conditions or for any other reason, he shall immediately after arrival of the vessel at any port in India give notice of such	Imprisonment which may extend to three months, or fine which may extend to two hundred rupees, or both.		Penalty which may extend to fifty thousand rupees."

			jettisoning to the proper officer at such port; and such notice shall contain full particulars of the cargo jettisoned and the circumstances under which such jettisoning took place.			
22.	137	If the owner fails to comply with sub-section (1) of section 434-A	434A. Insurance of members of crew of a sailing vessel.—(1) Subject to the other provisions of this section and the scheme framed under sub-section (3), the owner of every sailing vessel shall take and keep in force, in accordance with the provisions of the said scheme, a policy of insurance whereby all the members of the crew of such vessel are insured against death or personal injury caused	Imprisonment which may extend to six months or fine which may extend to five thousand rupees, or both.		Penalty which may extend to one lakh rupees and the vessel may also be detained.”

			by accident in the course of employment as such members			
23.	137J	If any person contravenes the provisions of section 435S	435S. Fraudulent use of certificate of registry or certificate of inspection, etc., prohibited.- (1) No person shall use or attempt to use the certificate of registry or the certificate of inspection granted in respect of an Indian fishing boat for any purpose other than the lawful operation of that fishing boat. (2) No person shall use or attempt to use for the operation of an Indian fishing boat, a certificate of registry or a certificate of inspection not granted in respect of that fishing boat. (3) No person who has in his	The offender shall be liable to imprisonment which may extend to three months or fine which may extend to two hundred rupees, or both		Penalty which may extend to one lakh rupees and the vessel may also be detained

			possession or under his control the certificate of registry or the certificate of inspection of an Indian fishing boat shall refuse or omit without reasonable cause to deliver such certificate on demand to the owner of the fishing boat.			
24.	436 (3)					(3) The penalty prescribed for the contravention of any provision of this Act shall be imposed by the Principal Officer of the Mercantile Marine Department: Provided that no penalty under this Section shall be imposed unless the Parties have been given a reasonable opportunity of being heard.
25.	436 (4)					(4) Any person aggrieved by an order of the Principal Officer under sub-section (3), may, within a period of thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal before the

					Director-General in such form and manner as the Central Government may prescribe.
26.	436 (5)				(5) The Director-General may, after giving the parties an opportunity of being heard, within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal under sub-section (4), pass appropriate order.
27.	436 (6)				(6) Any contravention of the provisions of this Act for which penalty has been prescribed may be compounded for the first contravention by the Principal Officer or such other Officer as may be notified by the Central Government in this behalf: Provided that where any such contravention has been compounded, the sum shall not, in any case, exceed the maximum amount of the penalty which may be imposed for such contravention.
28.	Inserti on 436A				After section 436, the following section shall be inserted, namely:- "436A. Power to

					make rules.—The Central Government may, subject to the condition of previous publication, make rules prescribing form and manner of appeal against the order of Principal Officer of the Mercantile Marine Department under sub-section (4) of section 436.”

2.87. **Submissions by the Ministry:**

2.87.1. The representative, Ministry of Ports, Shipping and Waterways during the sitting dated 09.02.2023 briefed the Committee about the method followed by the Ministry in reviewing the provisions for decriminalization as stated below:

“Under this exercise of decriminalizing of minor offences, we have done an extensive review and stakeholders’ consultation. The DG (Shipping) who is regulator of the shipping has done these provisions. Firstly, they placed it on website for 30 days and thereafter it was followed by stakeholder consultation whereby several associations of ship owners, operators, charter ship managers, seafarer unions, maritime education, training, recognized organizations, law universities and maritime lawyers and other bodies were consulted....”

2.87.2. The administrative Ministry in their background note informed that under Jan Vishwas Bill, the Ministry has identified 23 entries at penalty Table given under sub-section (2) of Section 436 (i.e. serial Nos. 16, 29, 35, 43, 44, 57a, 57b, 59(iv), 60, 65, 66a, 68, 72, 84, 108B, 108E (a), 108E(b), 109, 115D(ii), 133, 135, 137 and 137J) for decriminalisation and rationalisation.

2.88. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.88.1. While deliberating upon the proposed amendments in Section 108 of the Merchant Shipping Act, 1958, the Committee sought to understand the rationale behind decriminalizing Section 108 which deals with a serious offence where if the master of a nuclear ship fails to comply with any directions issued under sub-section (3) or sub-section (5) of section 344G, the Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways responded that as the act has not been done with criminal intent, the same has been decriminalized.

2.88.2. The Committee raised concern at small amount of Rs. 5 Lakh penalty to be paid by any defaulting accidental nuclear ship as failure in this regard could have devastating impact on the environment and humankind. The committee enquired if the amount could be

doubled to Rs. 10 Lakh, to have a greater deterrence, the Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways responded as under:-

“सर, वैसे ही एक्सीडेंट हो गया और वह डैमेज्ड है, तो we feel five lakh rupees as fine is okay. फर भी आप कहें क इसको बढ़ाना है तो।

2.88.3. The Committee found the justifications of the Ministry not cogent enough and accordingly suggested to either retain the original Section or consider increase in the penalty to rupees ten lakhs.

2.89. Suggestions by the Committee:

2.89.1. After detailed discussions the Committee agreed in principle, with the amendments proposed to the Merchant Shipping Act, 1898, specified at Serial No.14 of the Schedule to the Bill. However, in view of serious consequences which may arise in case of failure under section 108E(a) and (b) the Committee decided to consider, inter alia, the following modifications during Clause-by-Clause consideration:

Section 108E(a): Either retain the provision or increase penalty to ten lakh rupees

Section 108E(b): Either retain the provision or increase penalty to ten lakh rupees

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961

[Serial No. 15 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.90. **Administering Ministry:** Ministry of Finance
[Department of Financial Services]

2.91. **Purpose of the Act:** The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 provides for the establishment of a Corporation for the purpose of insurance of all bank deposits and guaranteeing of credit facilities and for other matters connected therewith or incidental thereto. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961 have been framed by the Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 50 of the said Act. The Corporation maintains the following Funds:

- (i) Deposit Insurance Fund
- (ii) Credit Guarantee Fund
- (iii) General Fund.

2.91.1. The first two funds are funded respectively by the insurance premia and guarantee fees received and are utilised for settlement of the respective claims. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities which is the only investment permissible under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and the income derived out of such investments is credited to the respective Funds. Inter-Fund transfer is permissible and if there is a shortfall in one of the Funds, it is made good by transfer from either of the other two Funds.

2.92. Amendments proposed to the Act:

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision, as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 47: Penalties	(2) If any person fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information which under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be punishable with a fine which may extend to two thousand rupees in respect of each offence and in the case of a continuing failure, with an additional fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the failure continues after conviction for the first such failure.	(2) If any person fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information which under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be <u>liable to a penalty</u> which may extend to <u>one lakh fifty thousand rupees</u> in respect of each offence and in the case of a continuing failure, with an additional <u>penalty</u> which may extend to <u>seven thousand five hundred</u> rupees for every day during which the failure continues after the first such failure.

	Insertion of new sub-sections (3), (4) and (5) to Section 47	Nil	(3) For the purpose of adjudging the penalty under sub-section (2), the Corporation shall serve notice on the person requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person. (4) Any penalty imposed by the Corporation under this section shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the Corporation demanding payment of the sum is served on the person and in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no direction shall be made except on an application made to the court by the Corporation or any officer authorised by Corporation in this behalf. (5) The court which makes a direction under sub-section (4) shall issue a certificate specifying the sum payable by the person and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit.

2.93. **Submission by the Ministry:**

2.93.1. The Department of Financial Services have proposed to amend sub-section (2) of Section 47 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. The proposal is to replace the existing provisions for imposition of a fine with a provision for imposition of a penalty by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. In their background note, the Department has submitted that the offence under Section 47(2) relates to a failure of relatively routine nature. Further, the Department has proposed consequential insertions in Section 47 to provide for the manner of levying of penalty and recovery of penalty by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

2.94. Discussion in the sitting of the Committee:

2.94.1. During the sitting held on 6th February, 2023, concerns were raised by the Members of the Committee whether proposal to replace the existing fine of two thousand rupees with a penalty of one lakh fifty thousand rupees for a routine failure to bring documents is not exorbitant. In this regard, the representative of the Department submitted that for a defaulting bank, the penalty is not exorbitant as the interest of the depositors is paramount. Further, it is the maximum amount of penalty that has been laid down and for the minimum penalty any amount can be fixed depending on the case and circumstances.

2.94.2. Further, the Department briefed that new sub-sections (3), (4) and (5) have been proposed to be incorporated in Section 47 which lay down the procedure for levying of the penalty and subsequently for recovery of penalty through a court in case the penalty is not paid.

2.94.3. As regards the provisions proposed to be incorporated under sub-section (5) regarding issue of a certificate specifying the sum payable to be issued by the court, the Committee enquired about having a provision for Aadhaar proof rather than the court or approaching the District Magistrate with the certificate and get the money. In this regard, the representative from the Legislative Department submitted that if the task is assigned to the District Magistrate, then in the other Acts administered by the Department of Financial Services like the National Housing Bank Act, 1987, similar amendments would be required to be made to make the laws uniform, otherwise it would be appropriate to leave the matter to the principal civil court. The Sub-Divisional Magistrate would be otherwise overloaded with these kinds of things, but at the same time, if the matter goes to the civil court, the court will consider all civil aspects and procedures for issuing the decree and that would be better for better legal determination.

2.95. Suggestions by the Committee:

2.95.1. After detailed deliberations and necessary clarifications on the amendments proposed to be made in the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, specified at serial no. 15 of the Scheduled to the Bill, the Committee observed *inter alia* the following to be considered during clause-by-clause consideration of the Bill:

- (i) The word 'direction' in reference to principal civil court may also include 'order' of such court.
- (ii) Before imposing a penalty, a reasonable opportunity should be given to the person of being heard. From the date of issuing notice of show cause the person must have sufficient time of being heard and adduce reasons for lack of failure.
- (iii) The provisions contained in the two additional sub-sections being proposed for insertion in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (relating to complaints not being filed against a person where any penalty has already been imposed, and relating to penalty provisions not being applicable in case of willful suppression/omission or willful misrepresentation of information by a person), may also be replicated here in the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Act, 1961 for the sake of consistency and also since the said additional provisions are required.

2.95.2. The Committee also opined that the proposed amendments in the Bill in respect of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 required better drafting and the Ministry of Law and Justice may reconsider the same in consultation with the Department of Financial Services.

The Warehousing Corporation Act, 1962

[Serial No. 16 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.96. **Administering Ministry:** Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
[Department of Food and Public Distribution]

2.97. **Purpose of the Act:** An Act to provide for the incorporation and regulation of corporations for the purpose of warehousing of agricultural produce and certain other commodities and for matters connected therewith.

2.98. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Section	Existing Provision	Provisions as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 38	(1) Whoever, without the consent in writing of a Warehousing Corporation, uses the name of that Corporation in any prospectus or advertisement, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. (2) No Court shall take cognizance of any offense under sub-section (1) otherwise than on a complaint in writing by an officer authorized in this behalf by the Warehousing Corporation concerned.	Proposed for omission in the Bill, as introduced

2.99. **Submission of the Administering Ministry**

2.99.1. Explaining the rationale behind the proposed amendments, the Department of Food and Public Distribution have stated:

- The object of the proposal is to delete Section 38 of the Warehousing Corporations Act, 1962 as it provides for criminal punishment.
- This includes imprisonment for six months for relatively minor violation of using the name of any of the Corporations without their written consent in any prospectus or advertisement.
- The said Section 38 has never been invoked by CWC till date.
- Many other CPSEs do not have any such provisions.
- Moreover, the general laws of the country contain elaborate safeguards to effectively deal with such irregularities.

- Accordingly, the proposal for deletion of the said sections was recommended by CWC.

2.100. **Suggestions by the Committee:**

2.100.1. After the briefing, the Committee agreed, in principle, with the omission of Section 38 of the Warehousing Corporation Act, 1962, specified at Sl. No.16 of the Schedule to the Bill, and decided to consider any further modifications, if required, during clause-by-clause consideration.

The Food Corporations Act, 1964

[Serial No. 17 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.101. **Administering Ministry:** Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

[Department of Food and Public Distribution]

2.102. **Purpose of the Act:** An Act to provide for the establishment of Food Corporations for the purpose of trading in foodgrains and other foodstuffs and for matters connected therewith and incidental thereto.

2.103. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Section No.	Existing Provision	Provisions as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 41	(1) Whoever, without the consent in writing of a Food Corporation, uses its name in any prospectus of advertisement, shall be punishable with imprisonment for a term which may extended to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees or with both. (2) No court shall take cognizance of any offence under sub-section (1) except on a complaint in writing by an officer authorized in this behalf by the Food Corporation concerned.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

2.104. **Submission of the administering Ministry**

2.104.1. Explaining the rationale behind the proposed amendments, the Department of Food and Public Distribution have stated:

- The object of the proposal is to delete Section 41 of the Food Corporations Act, 1964 as it provides for criminal punishment.
- This includes imprisonment for six months for relatively minor violation of using the name of any of the Corporations without their written consent in any prospectus or advertisement.
- The said Section 41 has never been invoked by FCI till date.
- Many other CPSEs do not have any such provisions.
- Moreover, the general laws of the country contain elaborate safeguards to effectively deal with such irregularities.

- Accordingly, the proposal for deletion of the said sections was recommended by FCI.

2.105. **Suggestions by the Committee:**

2.105.1. After detailed discussion, the Committee agreed, in principle, with the omission of Section 41 of the Food Corporations Act, 1964, specified at Sl. No.17 of the Schedule to the Bill, and decided to consider any further modifications, if required, during clause-by-clause consideration.

The Patents Act, 1970

[Serial. No. 18 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.106. **Administering Ministry:** Ministry of Commerce and Industry
[Department for Promotion of Industry and Internal Trade]

2.107. **Purpose of the Act:** To amend and consolidate the law relating to patents.

2.108. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision, as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 120: Unauthorised claim of patent rights	If any person falsely represents that any article sold by him is patented in India or is the subject of an application for a patent in India, he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees.	If any person falsely represents that any article sold by him is patented in India or is the subject of an application for a patent in India, he shall pay, by way of penalty which may extend to ten lakh rupees, and in case of the continuing claim, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such claim continues.
2.	Section 121: Wrongful use of words "patent office"	If any person uses on his place of business or any document issued by him or otherwise the words "patent office" or any other words which would reasonably lead to the belief that his place of business is, or is officially connected with, the patent office, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
3.	Section 122: Refusal or failure to supply information	(1) If any person refuses or fails to furnish:-- (a) to the Central Government any information which he is required to furnish under sub-section (5) of section 100; (b) to the Controller any information or statement which he is required to furnish by or under section 146, he shall be	(1) If any person refuses or fails to furnish:-- (a) to the Central Government any information which he is required to furnish under sub-section (5) of section 100; (b) to the Controller any information or statement which he is required to furnish by or under section 146, he shall pay, by

		punishable with fine which may extend to ¹[ten lakh rupees]. (2) If any person, being required to furnish any such information as is referred to in sub-section (1), furnishes information or statement which is false, and which he either knows or has reason to believe to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both.	way of penalty which may extend to one lakh rupees, and in case of the continuing refusal, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such refusal continues. (2) If any person, being required to furnish any such information as is referred to in sub-section (1), furnishes information or statement which is false, and which he either knows or has reason to believe to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with penalty which shall not be less than twenty five lakh rupees.
4.	Section 123: Practice by non-registered patent agents	If any person contravenes the provisions of section 129, he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees in the case of a first offence and five lakh rupees in the case of a second or subsequent offence.	If any person contravenes the provisions of section 129, he shall pay, by way of penalty, which may extend to five lakh rupees, and in case of the continuing default, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such default continues.
5.	Insertion of new Section after Section 124	Nil	<u>Section 124 A: Adjudication of penalties</u> (1) The Controller may, by an order, impose penalty on a person stating therein any contravention or default under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed. (2) The Controller shall, before imposing any penalty, give a reasonable opportunity of being heard to the person who is in default. (3) Where the person fails to comply with the order made under sub-section (1), within a period of ninety days from the

			date of the receipt of the order, the person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees, but which may extend to five lakh rupees, or with both.”
6	Insertion of clause (xiiia) after clause (xiii) in section 159 (2)	Nil	(xiii a) the manner of imposing penalty under sub-section (1) of section 124A;

2.109. Submission by the Ministry:

2.109.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry has proposed to amend Sections 120, 122, 123, omission of Section 121 and insertion of Sections 124A and 159(2) in the Patents Act, 1970.

2.110. Discussion in the sitting of the Committee:

2.110.1. During the sitting of the Committee held on 31st January, 2023, the representative of the Department submitted that the complete process has been digitized and five-fold increase in the grant of patents have been seen since 2014. All filing has been done online now and India ranks seventh in patent filing. Then, the Committee sought certain clarifications as regards the quantum of penalties proposed in the amended Sections 120 and 122. The Committee raised their concern for putting on such hefty penalties on the micro, small and medium scale enterprises in cases of failure to supply information under Section 122. The representatives from the Department submitted that generally they look at bigger companies like pharma companies which are involved in inventions. They justified the amount of penalty as a deterrence stating that it is a monopoly right. One gets patent right for a product against the entire society for reaping the benefits of the same for 20 year period. If a company furnishes false information regarding patent work, then due to its false claim, the product like covid vaccine or cancer medicine that can be produced by any other public spirited company gets delayed. The representatives submitted that the higher penalty was proposed after consulting the stakeholders. The Committee disagreed to the submission that only big companies have patents. Further, the Committee raised concern that the expression “not be less than 25 lakh rupees” in the proposed amendment to Section 122 gives unfettered power to the authority and, therefore, there must be an upper limit for the penalty proposed in the amendment. The Department agreed to re-draft the amendments accordingly. The Committee also directed the Department to look into the provisions of the Indian Penal Code, 1960 if the offence of furnishing false information is also covered under the Code.

2.110.2. The Committee also deliberated on various other issues like wrongful gains due to false information, compulsory licence in case of non-working of patent, compensation for the loss caused, etc. As regards the quantum of fine proposed in Section 124A, the Committee observed that the defaulter will have to pay the fine along with penalty then the penalty amount gets recovered automatically.

2.110.3. Further, the Department briefed that sub-sections (3), (4) and (5) have been proposed to be incorporated under Section 47(2) which lay down the procedure for levying of the penalty and subsequently for recovery of penalty through a court in case the penalty is not paid.

2.110.4. During the deliberations, the Committee made a general observation that the power of adjudication is not available in some Acts. The said power of adjudication needs to be provided in all such Acts where fine has been converted into penalty. The competent authority who will impose the penalty is required to be prescribed in all such Acts.

2.111. **Suggestions by the Committee:**

2.111.1. After the meticulous deliberations and necessary clarifications on the amendments proposed to be made in the Patents Act, 1970, specified at serial No. 18 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider *inter alia* the following modifications during clause-by-clause consideration:

- (i) Section 122(2): There must be an upper limit for the amount of penalty proposed in the amendment.
- (ii) Section 124A: There is a need to have appellate mechanism against decision taken by Controller.

The Marine Products Export Development Authority Act, 1972

[Serial No. 19 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.112. **Administering Ministry:** **Ministry of Commerce & Industry**
[Department of Commerce]

2.113. **Purpose of the Act:** The Act provides for the establishment of an Authority for the development of the marine products industry under the control of the Union and for matters connected therewith. The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) was set up by the act of Parliament in the year 1972. MPEDA is given the mandate to develop, regulate and promote the marine products industry with special reference to exports from the country. The Act empowers MPEDA to develop and regulate offshore/deep sea fishing, undertake measures for conservation and management of fish resources.

2.114. **Amendments proposed in the Act:**

Sl. No.	Section	Existing Provision	Provisions as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 20 (3)	If any person contravenes any order made under sub-section (1), he shall, without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Customs Act, 1962, as applied by sub-section (2), be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.	If any person contravenes any order made under sub-section (1), he shall, without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Customs Act, 1962, as applied by sub-section (2), be liable to pay penalty not less than ten thousand rupees or not exceeding twice the value of goods, whichever is higher, in respect of which such order has been made.
2.	Section 23	Any person who being required by or under this Act to furnish any return fails to furnish such returns or furnishes a return containing any particulars which is false and which he knows to be false or does not believe to be true shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.	Any person who being required by or under this Act fails to furnish such returns or furnishes a return containing any particulars which is false and which he knows to be false or does not believe to be true shall be liable to pay penalty which may extend to ten thousand rupees.
3.	Section 24	Any person who— (a) obstructs any member authorised by the Chairman in	24. Penalties for obstructing a member or officer of Authority in the discharge of his duties and for

		writing or any officer or other employee of the Authority authorised by it in this behalf or any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Authority, in the exercise of any power conferred, or in the discharge of any duty imposed, on him by or under this Act; or (b) having control over or custody of any account book or other record, fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.	failure to produce books and records.— Any person who- (a) obstructs any member authorised by the Chairman in writing or any officer or other employee of the Authority authorised by it in this behalf or any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Authority, in the exercise of any power conferred, or in the discharge of any duty imposed, on him by or under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. (b) having control over or custody of any account book or other record, fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act, shall be liable to pay penalty which may extend to ten thousand rupees.
4.	Section 25	Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this Act or of any rules made there under other than the provisions, punishment for the contravention whereof has been provided for in Sections 20, 23 and 24, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees or with both and in the case of continuing such contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.	25. Other penalties.- Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this Act or of any rules made thereunder other than the provisions, punishment for the contravention whereof has been provided for in sections 20, 23 and 24, shall be liable to pay a penalty not less than ten thousand rupees, or not exceeding an amount equivalent to the value of goods, whichever is higher, in respect of which such order has been made, and in case of a continuing contravention as aforesaid, a penalty of not less than fifty thousand rupees, or not exceeding an amount equivalent to twice the value of goods, whichever is higher, in respect of which such order has been made.

2.115. Submissions by the Ministry:

2.115.1. Elaborating on the need for the proposed amendments, the Ministry in their background note submitted as under:

“MPEDA Act had provisions prescribing imprisonment and fine for offenses under the Act. Sections **20(3), 23, 24, and 25** stipulates criminal penalty for contravention of provisions under various Sections of the Act.

- i) Sub section (3) of Section 20 stipulates the imprisonment or fine if any person contravenes any order made by Central Government prohibiting, restricting or otherwise controlling the import or export of marine products.
- ii) Section 23 stipulates the fine if a person furnishes false return or fails to furnish such return.
- iii) Section 24 (a) provides for imprisonment or fine if a person obstructs any authorised member in the exercise of any power conferred, or in the discharge of any duty imposed, on him by or under the Act. Section 24(b) provides for imprisonment or fine if a person fails to produce account book or other record when required to do so by or under the Act.
- iv) Section 25 stipulates imprisonment or fine for contravention or attempt to contravene or abetment to the contravention of the provisions of the Act or of any rules made under this Act.

The penalties under these provisions have not been actually implemented by MPEDA in recent past. Accordingly, these minor offences with negligible impact on national security have been proposed to be decriminalized i.e. replace the imprisonment and fine provisions with civil penalty.

Amendments have been proposed, vide Sl. No 19 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 in Sections **20(3), 23, 24 and 25**. Amendments propose to replace imprisonment and fine with penalty. Fine is generally related with criminal action and for which sanction by court is required while penalty is a civil liability. Imprisonment and fine has been done away with except under section 24 (a). Section 24(a) provides imprisonment for obstruction in the discharge of any duty. For obstruction of Government Officials, action can be taken under IPC but MPEDA officials are not treated as government officials. Therefore, it is important to retain the provision of imprisonment and fine under MPEDA Section 24(a) to enable MPEDA to overcome obstructions in implementing the schemes and programmes.

The proposed amendment will reduce the regulatory compliances burden on marine exporters. Further, it would also promote ease of doing business in the fisheries sector and prevent fear of undue harassment among stakeholders (Seafood Exporters, processors, Fishermen etc.)”

2.116. Discussion in the sitting of the Committee:

2.116.1. In their presentation during the sitting held on 31st January, 2023, giving justification for the need for the proposed amendments, the Department submitted that the amendment seek to promote quality marine products exported from the country in compliance with national and international standards. It was also submitted that imposing of

financial liability by means of penalty on the erring entities will act as a deterrent for various non – compliances. On being asked as to why the Department seeks to retain imprisonment in Section 24 (a) providing for penalties for obstructing a member or officer of Authority in the discharge of his duties, the Department submitted as under:

“We are proposing to retain this clause because what has happened in the MPEDA Act is, the officials of MPEDA are not considered to be public servants. That clause by formulation of the Act has not been there. There is a specific clause which entails that the officials of that organization or board will be treated as public servants. Here, they are not treated as public servants. So, the IPC is not invoked. That is why we propose to retain this clause.”

2.117. Suggestions by the Committee:

2.117.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed to be made in the Marine Products Export Development Authority Act, 1972, specified at serial no. 19 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modifications during clause-by-clause consideration:

Section 25: An adjudication mechanism with appellate provisions may be provided for penalties in the proposed provisions.

Sl. No.	Section	Existing Provision	Provision, as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 10	Penalties.—(1) If any bank fails to prepare and present within the time and in the manner provided by section 5 any return referred to in that section, or presents any return under that section which is false in any material particular, the manager or other person in charge of the bank shall, unless he proves that the failure took place, or the false return was presented, without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the same, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both. (2) Whoever knowingly makes in any declaration under section any statement which is false or only partially true or which he does not believe to be true or contravenes any provision of this Act or the rules made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.	Penalties.—(1) If any bank fails to prepare and present within the time and in the manner provided by section 5 any return referred to in that section, or presents any return under that section which is false in any material particular, the manager or other person in charge of the bank shall, unless he proves that the failure took place, or the false return was presented, without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the same, be <u>punishable with fine.</u> (2) Whoever knowingly makes in any declaration under section any statement which is false or only partially true or which he does not believe to be true or contravenes any provision of this Act or the rules made thereunder shall be <u>punishable with fine.</u>

		(3) An officer of a scheduled bank who makes payment out of the amount, being the exchange value of a high denomination bank note credited under sub-section (4) of section 7 to an account maintained with such bank shall unless such account is an account which has been opened after proper introduction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.	(3) An officer of a scheduled bank who makes payment out of the amount, being the exchange value of a high denomination bank note credited under sub-section (4) of section 7 to an account maintained with such bank shall unless such account is an account which has been opened after proper introduction, be <u>punishable with fine.</u>

2.121. **Submission by the Ministry:**

2.121.1. The Department of Economic Affairs has proposed amendment of the Section 10 of the High Denomination Banknotes (Demonetisation) Act, 1978 in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. In their background note, the Department has stated the proposed amendments are concerned with the Coin and Currency Division of the Department of Economic Affairs.

2.121.2. Section 5 of the Act provides that every bank and Government treasury shall prepare and send to the Reserve Bank in the manner provided in this section a return showing separately under each denominational value the total value of high denomination bank notes of that value held by it at the close of business on the 16th day of January, 1978 and distinctive numbers of high denomination bank notes of that value. If any bank contravenes the provisions of section 5, it shall be punishable as per section 10(1).

2.121.3. Further, Section 7 of the Act provides that any person other than a bank and Government Treasury shall exchange of high denomination bank notes held by them by 19th January, 1978 on certain conditions. Any false declaration made by any person under this section is punishable as per Section 10(2) and any failure of the bank to credit the amount to a properly introduced account of the owner or the declarant is punishable as per section 10(3).

2.121.4. The proposed amendments in all the three sub-sections of Section 10 of the Act are deleting the provision “with imprisonment for a term which may extend to three year or with fine or with both” and substituting it with “punishable with fine”. Section 10 of the Act also carries imprisonment as penalty. The penalty provisions of Section 10 of the Act are in respect of contravention of provisions under section 5 and section 7 of the Act *ibid*. The time period within which contravention of the section 5 and section 7 of the Act was punishable has elapsed way back by 19th and 23rd January 1978. There may not be any impact on the provisions of the Act if punishment of imprisonment is removed as it doesn't seem obligatory and it has become obsolete. However, the penalty provision related to fine

have been proposed to be retained since section 5 and section 7 of the Act, 1978 are part of substantive provisions of the Act and contravention of which are an offence.

2.122. Discussion in the sitting of the Committee:

2.122.1. The Committee in their sitting held on 6th February, 2023, discussed the proposed amendments in detail with the representatives of the Department of Economic Affairs and the Legislative Department and sought clarifications on varied issues involved. The Legislative Department put forward that the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978 has outlived its utility and so they had suggested the Ministry of Finance to repeal the whole Act. The representative from the Department of Economic Affairs informed the Committee that they had checked up with the Reserve Bank of India and the likelihood is negligible because they have no pending complaints with them relating to this Section. The Department of Economic Affairs further submitted the following before the Committee:

“We flagged what was suggested by Ministry of Law with Reserve Bank of India asking whether it can be repealed in entirety or whether there are any other precedents. We are in consultation and we will revert immediately. They (RBI) are examining it.”

2.123. Suggestions by the Committee:

2.123.1. After in-depth discussion and clarifications on the amendments proposed to be made in the High Denomination Banknotes (Demonetisation) Act, 1978, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Act, as specified at serial no. 20 of the Schedule to the Bill; however simultaneously, the Committee also recommended that the Act may be sent in the category of ‘repeal’. The Committee asked the Department of Economic Affairs to inform in the ‘Second Reading of the Bill’ whether a satisfactory reply is received by them by that time. In case a satisfactory reply is received, the Act would be sent for ‘repeal’ and if the reply does not come then the Committee would amend the provisions as proposed and even then the Committee would recommend for thorough examination of the Act for repeal. The Committee accordingly decided to consider the suggestions during clause-by-clause consideration of the Bill.

The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

[Serial No. 21 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.124. **Administering Ministry:** Ministry of Environment, Forests and Climate Change

2.125. **Purpose of the Act:** The object of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 is to provide for the prevention, control and abatement of air pollution, mandating the Central Pollution Control Board and State Pollution Control Boards to implement the provisions of the Act, and confer functioning powers to them.

2.126. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provisions as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 21(1)	21. Restrictions on use of certain industrial plants.—(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant in any air pollution control area immediately before the commencement of section 9 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1987, for which no consent was necessary prior to such commencement, may continue to do so for a period of three months from such commencement or, if he has made an application for such consent within the said period of three months, till the disposal of such application.	(1) No person shall establish or operate any industrial plant in an air pollution control area unless the previous consent of the State Board has been obtained in pursuance of an application made by such person in accordance with the provisions of this section: Provided that the Central Government may in consultation with the Central Pollution Control Board, by notification in the Official Gazette, exempt certain categories of industrial plants from application of the provisions of this sub-section.
2.	Insertion of New Section 21A after Section 21	NIL	21A. Power to issue Guidelines. - (1) Notwithstanding anything contained in section 21, the Central Government in consultation with the Central

			Board may, by notification in the Official Gazette, issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish or operate any industrial plant in an air pollution control area, including the mechanism for time bound disposal of the application made under section 21 or validity period of such consent. (2) Every State Board, in discharge of its functions for the purposes of grant, refusal or cancellation of consent under section 21 shall act in accordance with the guidelines issued under sub-section (1).
3.	Section 37	Failure to comply with the provisions of section 21 or section 22 or with the directions issued under section 31A. (1) whoever fails to comply with the provisions of section 21 or section 22 or directions issued under section 31A. <i>Section 21 – Restrictions to use of certain industrial plants.</i> <i>Section 22 - Persons carrying on industry, etc., not to allow emission of air pollutants in excess of the standard laid down by State Board.</i> <i>Section 31 A - Power to give directions.</i> Punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years and with fine, and in case the failure continues, with an additional fine which may extend to five thousand rupees for every day.	37. Failure to comply with provisions of section 22 or directions issued under section 31A.- (1) Whoever contravenes or does not comply with the provisions of sections 22 or directions issued under section 31A, shall, in respect of each such contravention or non-compliance, be liable to pay penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees.

		(2) If the failure referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction. Punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine.	(2) Where any person continues contravention or non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty often thousand rupees every day during which such contravention continues.
4.	Section 38	Section 38 - Penalties for certain acts. — Whoever— (a) destroys, pulls down, removes, injures or defaces any pillar, post or stake fixed in the ground or any notice or other matter put up, inscribed or placed, by or under the authority of the Board, or (b) obstructs any person acting under the orders or directions of the Board from exercising his powers and performing his functions under this Act, or (c) damages any works or property belonging to the Board, or (d) fails to furnish to the Board or any officer or other employee of the Board any information required by the Board or such officer or other employee for the purpose of this Act, or (e) fails to intimate the occurrence of the emission of air pollutants into the atmosphere in excess of the standards laid down by the State Board or the apprehension of such occurrence, to the State Board and other prescribed authorities or agencies as required under sub-section (1) of section 23, or (f) in giving any information which he is required to give under this Act, makes a	38. Penalties for certain act. — (1) Whoever- (a) destroys, pulls down, removes, injures or defaces any pillar, post or stake fixed in the ground or any notice or other matter put up, inscribed or placed, by or under the authority of the Board; (b) obstructs any person acting under the orders or directions of the Board from exercising his powers and performing his functions under this Act; (c) damages any works or property belonging to the Board; (d) fails to furnish to the Board or any officer or other employee of the Board any information required by the Board or such officer or other employee for the purpose of this Act; (e) fails to intimate the occurrence of the emission of air pollutants into the atmosphere in excess of the standards laid down by the State Board or the apprehension of such occurrence, to the State Board and other prescribed authorities or agencies as required under sub-section (1) of section 23; (f) fails in giving any information which he is required to give under this Act, makes a statement which is false in any material particular, shall be

		statement which is false in any material particular, or (g) for the purpose of obtaining any consent under section 21, makes a statement which is false in any material particular, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to 2 [ten thousand rupees] or with both.	liable to pay penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention or non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees every day during which such contravention continues.
5.	Insertion of New Section 38A after Section 38	Nil	38A. Penalty for contravention by Government Department (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided that such Head of the Department shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary. Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention.

6.	Section 39	39. Penalty for contravention of certain provisions of the Act.—Whoever contravenes any of the provisions of this Act or any order or direction issued thereunder, for which no penalty has been elsewhere provided in this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both, and in the case of continuing contravention, with an additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.	39. Penalty for contravention of certain provisions of this Act -- If any person contravenes any of the provisions of this Act or any order or direction issued thereunder, for which no penalty has been provided for in this Act, shall be liable to pay the penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees, and where such contravention continues, he shall be liable to pay an additional penalty which may extend to ten thousand rupees every day during which such contravention continues.
7.	Insertion of New Section 39A	Nil	39A. Adjudicating officer. - (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 37, 38 and 39, may appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose the penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject-matter of the inquiry

			and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened the provisions of this Act, he may determine such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of sections 37, 38 or 39 as the case may be: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned an opportunity of being heard in the matter. (3) The amount of penalty imposed under the provisions of section 37, 38 and 39, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010. (19 of 2010).
8.	Insertion of New Section 39B	Nil	39B. Appeal. - (1) Any person aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under sections 37, 38 or 39, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010) (2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under

			sub-section (1), it shall not be entertained by the Tribunal unless the person has deposited with the Tribunal ten per cent of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer.
9.	Insertion of New Section 39C	Nil	39C. Penalty amount to be credited to Environmental Protection Fund. - Where an adjudicating officer imposes penalty or additional penalty, as the case may be, under sections 37, 38 or 39, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16 of the Environment (Protection) Act 1986. (29 of 1986).
10.	Insertion of New Section 39D	Nil	39D. Offences for failure to comply with provisions of section 21 and for failure to pay penalty.- (1) Whoever fails to comply with the provisions of section 21, shall, in respect of each such failure, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years and with fine, and in case the failure continues, with an additional fine which may extend to fifty thousand rupees for every day during which such failure continues after the conviction for the first such failure. (2) If the failure referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine.

		(3) Where any person fails to pay the penalty or the additional penalty, as the case may be, imposed under the provisions of this Act within ninety days of such imposition, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or additional penalty so imposed or with both. (4) Where any offence under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and he shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in sub-section (1) sub-section (2) or sub-section (3) if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), where an offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is

			attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. <i>Explanation.</i> -For the purposes of this section, - (a) "company" includes body corporate, firm, trust, society and any other association of individuals; (b) "director", includes director of the company, partner of the firm, members of the society or trust or member of any association of individuals, as the case may be.
11.	Section 40	40. Offences by companies.— (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

		(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation.—For the purpose of this section,— (a) “company” means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and (b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.	
12.	Section 41	41. Offences by Government Departments.—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of Government, the Head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this section shall render such Head of the Department liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

		(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of Government and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, such officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.	
14.	Insertions of clause (aa) after clause (a) u/S. 43 (1)	Nil	(aa) adjudicating officer or any officer authorised by him in this behalf;
15.	Insertion of clause (h) after clause (g) u/S. 53 (1)	Nil	(h) the manner of holding inquiry and imposing penalties by the adjudicating officer under sub-section (1) of section 39A;

2.126.1. As per the existing legal framework of the Act, at present, in case of any non-compliance or contravention of the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, or of the rules or directions issued under the Act, such as that of non-compliance of the provisions of the Section 21 and 22 of the Act or directions issued thereunder, the violator will be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to six years and with fine. In case the failure continues, with an additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during such failure continues after the conviction of the first such failure. Further, if the violation continues beyond a period year, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine.

2.127. **Submissions by the Ministry:**

2.127.1. In their background note, giving the rationale behind the proposed amendment, the Ministry have stated that:

- (i) Imprisonment provision for minor violations not leading to any injury to human or damage to environment is not justifiable.

- (ii) Imprisonment provision for many provisions in the first instance itself is also not justifiable. Criminal provisions many a times cause harassment to businesses and citizens for simple non-compliance.
- (iii) As per the available records/information, total 1737 Criminal Cases have been registered for violation of Environmental norms under EPA, 1986; Water Act, 1974 and Air Act, 1981 over last three years i.e 2019-2021. Out of which only total 39 people were actually convicted under the above said Acts.
- (iv) Courts were being needlessly burdened due to invoking of Section 15 of EPA, 1986 on minor and procedural defaults.

2.127.2. Elaborating further, the Ministry have submitted that considering the above and experience gained in the implementation of the AIR ACT, 1981 over a period of 40 years, it was observed that the criminal provisions contained in the existing Act neither act as a deterrent nor helps towards the cause of environment protection. Therefore, imposition of heavier penalties coupled with provisions of IPC, 1860 will act as a deterrent for habitual violators. It is proposed that imprisonment for minor lapses shall be replaced with heavier penalties. The amount of penalties to be imposed was fixed on the basis of the nature of offence. As an outcome, the proposed amendment with heavier penalties shall at one hand act as a deterrent for violators and at other hand shall encourage a culture of self-regulation for serious players.

2.127.3. The Ministry have further informed that Inter-Ministerial Consultation (IMC) and Public Consultation (PC) was carried out through Public Notice published on website of MoEF&CC and in 61 newspapers PAN-INDIA. It was further informed that a total of 41 comments/ suggestions were received from PC, 6 comments from IMC and 7 comments from States/UTs which were duly examined and incorporated, as deemed fit, in the proposed Bill.

2.127.4. Giving the salient features of the proposed amendments in Act, the Ministry have submitted that:

- i. Penal provision mentioned under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 is proposed to be partially decriminalized by substituting it with penalty and additional penalty.
- ii. Contravention or non-compliance of the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 would be dealt with through imposing penalty through an Adjudicating Officer. However, violations under Section 21 of the Act, related to prior consent to establish / operate would attract criminal liability. The violations pertaining Section 22, 31A, 37, 38 and 39 are proposed to be dealt with through imposition of financial penalties replacing prosecution in the court of law.
- iii. Appointment of an Adjudicating Officer is proposed for the purpose of determining the penalties under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. However, if the penalty and additional penalty, as the case may be, is not paid by the violator, criminal provision shall be applicable.

- iv. Contravention of the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 by companies shall be covered under Section 39D and by Government Departments under section 38A respectively.
- v. The amount of penalty imposed by the Adjudicating Officer while adjudicating the damage to environment shall be remitted to the Environmental Protection Fund created under the Environment (Protection) Act, 1986.
- vi. However, if the penalty and additional penalty, as the case may be, is not paid by the violator, criminal provision shall be applicable.
- vii. Any person aggrieved by the Order of the Adjudicating Officer may prefer an appeal before the Hon'ble National Green Tribunal as prescribed under section 39B.
- viii. The Central Government through the proposed Amendment will be authorised to issue notification of exempting certain categories of Industries such as Green Industries / Non-Polluting Industries mandated to obtain prior Environmental Clearance under EIA Notification, from the requirement of obtaining prior consent before establishing / operating such industrial unit under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
- ix. The Central Government has been authorised to prescribe guidelines on the matters related to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish or operate any industrial plant in an air pollution control area, including the mechanism for time-bound disposal of the application made under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

2.127.5. The Ministry in their background note have submitted that following benefits shall ensue through the proposed amendments:

- (i) Proposed amendment will encourage self-regulation and create an atmosphere of trust based governance.
- (ii) By way of the instant proposed amendment bill, the concept of Adjudicating officer for dealing with defaulters has been proposed to be introduced. In doing so, the proposed bill will ease out the stress on the criminal justice system.
- (iii) Increased penalty amount will act as deterrent for law-abiding entrepreneurs which would ensure better compliance of laws while also promote better corporate management practices in their operations.
- (iv) Eliminates the fear of imprisonment on minor lapses. This reform will also send out a clear message to the law-abiding entrepreneurs and corporations at large, about the Government's commitments to promote ease of doing business and ease of living in India.
- (v) Efforts would boost foreign investments in India.

2.128. Suggestions by the Committee:

2.128.1. After the briefing by the Ministry and clarifications on the amendments proposed to be made in the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, specified at serial no. 21 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modifications during Clause-by-Clause consideration:

Section 21 A: The opening portion of Section 21A be changed to be read as “Notwithstanding anything contained under this Act” instead of Notwithstanding anything contained in this Act”.

Section 39 A Sub-section (2) of section 39A, “in accordance with” shall be changed to “under the provisions of”.

The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981

[Serial No. 22 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.129. **Administering Ministry:** Ministry of Finance
[Department of Financial Services]

2.130. **Purpose of the Act:** To establish a development bank to be known as the National Bank for Agriculture and Rural Development for providing and regulating credit and other facilities for the promotion and development of agriculture small-scale industries, cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts and other allied economic activities in rural areas with a view to promoting integrated rural development and securing prosperity of rural areas, and for matters connected therewith or incidental thereto.

2.131. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Section No.	Existing Provision	Provision, as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 56 (2)	(2) If any person fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information which, under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be punishable with a fine which may extend to two thousand rupees in respect of each offence and in the case of a continuing failure, with an additional fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the failure continues after conviction for the first such failure.	(2) If any person fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information which, under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be <u>liable to pay a penalty</u> which may extend to <u>one lakh fifty thousand rupees</u> in respect of each <u>failure</u> and in the case of a continuing failure, an additional <u>penalty</u> which may extend to <u>seven thousand five hundred</u> rupees for every day during which the failure continues after the first such failure.
2.	Insertion of new sub-sections 56(3) to 56(7)	Nil	(3) For the purpose of adjudging penalty under sub-section (2), the National Bank shall serve notice on the person requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed as a penalty and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person. (4) Any penalty imposed by the National Bank under this section shall be payable within a period of

			fourteen days from the date on which notice issued by the National Bank demanding payment of the sum is served on the person and, in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no such direction shall be made to the court by the National Bank or by any officer authorized by the National Bank in this behalf. (5) The court which makes a direction under sub-section (4) shall issue a certificate specifying the sum payable by the person and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit. (6) No complaint shall be filed against any person in any court of law in respect of any contravention or default in respect of which any penalty has been imposed by the National Bank under sub-section (2). (7) Where any complaint has been filed against any person in any court in respect of the contravention or default of the nature referred to in sub-section (1) then, no proceedings for the imposition of any penalty on the person shall be taken under sub-section (2).

2.132. **Submission by the Ministry:**

2.132.1. The Department of Financial Services has proposed to amend sub-section (2) of Section 56 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981. The

proposal is to replace the existing provisions for imposition of a fine with a provision for imposition of a penalty to be levied by NABARD. In their background note, the Department has submitted that the offence under Section 56(2) relates to a failure to furnish document or information etc. Further, the Department has proposed consequential insertions in Section 56 to provide for the manner of levying of penalty and recovery of penalty by the NABARD.

2.133. Discussion in the sitting of the Committee:

2.133.1. During the sitting held on 6th February, 2023, the representatives of the Department of Financial Services briefed the Committee on the proposed amendments. After their presentation, the Committee sought certain clarifications on varied terms used in the sub-sections proposed to be amended as well as inserted in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981.

2.134. Suggestions by the Committee:

2.134.1. After the briefing and clarifications on the amendments proposed to be made in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, the Committee appreciated that the proposed amendment would reduce burden on the court because once the penalty has been paid under the proposed provisions, the matter rests there at least in respect of that failure. The Committee suggested that the Department should look into the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 to provide for the similar provisions as made under the proposed sub-sections (6) and (7) in Section 56 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981.

2.134.2. After discussion, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, specified at serial no. 22 of the Schedule to the Bill and decided to consider any further modifications, if required, during clause-by-clause consideration.

The Spices Board Act, 1986

[Serial No. 23 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.135. **Administering Ministry:** **Ministry of Commerce & Industry**
[Department of Commerce]

2.136. **Purpose of the Act:** The Act provide for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including the control of cultivation of cardamom and matters connected therewith

2.137. **Amendments proposed in the Act:**

Sl. No.	Section	Existing Provisions	Provisions as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 27	27. Any person who – (a) obstructs any member authorised by the Chairman in writing or any officer or other employee of the Board authorised by it in this behalf or any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Board, in the exercise of any power conferred, or in the discharge or any duty imposed, on him by or under this Act; or (b) having control over or custody of any account book or other record; fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act. Shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.	27. Any person who – (a) obstructs any member authorised by the Chairman in writing or any officer or other employee of the Board authorised by it in this behalf or any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Board, in the exercise of any power conferred, or in the discharge or any duty imposed, on him by or under this Act; or (b) having control over or custody of any account book or other record; fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act. Shall be punishable with penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent offence penalty which may extend to one lakh rupees.
2	Section 28	28(1) If any person contravenes any order made under section 16, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; and the property in respect of	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

		which the order has been contravened or such part thereof as the Court may deem fit, shall be forfeited to the Central Government. (2) Any person who attempt to contravene, abets the contravention of any order under section 16 shall be deemed to have contravened that order.	
3	Section 29	29. If any person contravenes the provisions of section 11 or any order made under section 17 he shall, without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Customs Act, 1962, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.	29. If any person contravenes the provisions of section 11 or any order made under section 17 he shall, without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Customs Act, 1962, be punishable with penalty which may extend to fifty thousand rupees: provided the penalty for subsequent offences by the same person may extend to one lakh rupees.
4	Section 30	30. Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this Act or of any rules or regulations made there under other than the provisions, punishment for the contravention whereof has been provided for in section 26, 27, 28 and 29, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.	30. Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this Act or of any rules or regulations made there under other than the provisions, punishment for the contravention whereof has been provided for in section 26, 27, 28 and 29, shall be punishable with penalty which may extend to fifty thousand rupees: provided the penalty for subsequent offences by the same person may extend to one lakh rupees.

2.138. Submissions by the Ministry:

2.138.1. Elaborating on the need for the proposed amendments, the Ministry in their background note submitted as under:

“Spices Board Act, which is more than 35 years old, had provisions prescribing criminal penalties for offenses under the Act. Section 27, 28, 29 & 30 stipulates criminal penalty for contravention of provisions under various Sections of the Act.

The criminal provisions were enacted during a period when restriction and regulation were the key words. Currently, there is a felt need to decriminalize the contravention of provisions under the Spices Board Act, with a view to facilitate ease of doing business and to enable trade and commerce in spices in a liberalized environment.

Accordingly, amendments have been proposed, vide Sl. No 23 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, to provisions under Section 27, 28, 29 & 30 of Spices Board Act, 1986. The ‘punishment with imprisonment’ provided under Sections 27, 29 & 30 has been proposed for substitution with civil penalty which may extend to fifty thousand rupees and further to one lakh rupees, in the case of repeated offenses by the same person. Also, Section 28 of the Spices Board Act, which prescribed punishment of imprisonment for contravention of Section 16 of the Act (relating to Control of Price and Distribution of Cardamom) has been proposed for deletion, aiming at de-regulation and trade facilitation.

The stakeholders benefitted by the amendments are spice exporters and growers, dealers & auctioneers of cardamom. As a step to facilitate ease of doing business, only civil penalty is proposed for contraventions such as export of spices without a certificate, failure to produce books and records and any other contravention in the Spices Board Act 1986. An approximate number of spice exporters and dealers, auctioneers and growers of cardamom who will be benefitted are 7000, 730 and 1,10, 000, respectively.

Decriminalization of the provisions in the existing Act will facilitate ease of doing business and provide fair & equitable benefits to all stakeholders, thereby ensuring that Spices Board acts as a facilitator rather than regulator of the sector and promotes faster growth and development of Spice sector, besides promoting export of spices in a liberalized environment. ”

2.139. Suggestions by the Committee:

2.139.1. After the briefing by the representatives of the Ministry and clarifications on the amendments proposed to be made in the Spices Board Act, 1986, specified at serial no. 23 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modifications during Clause-by-Clause consideration.

Section 26: Provisions in the act where only fine is currently prescribed, the same may also be converted to penalty.

Section 30: For penalties in the proposed provisions an adjudication mechanism with appellate provisions may be provided.

The Environment (Protection) Act, 1986

[Serial No. 24 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.140. **Administering Ministry:** Ministry of Environment, Forests and Climate Change

2.141. **Purpose of the Act:** The Environmental (Protection) Act, 1986 establishes the framework for studying, planning, and implementing long-term requirements of environmental safety and laying down a system of speedy and adequate response to situations threatening the environment. It is an umbrella legislation designed to provide a framework for the coordination of Central and State authorities.

2.142. **Amendments proposed to the Act:**

S. No.	Sections	Existing Provision	Provisions as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Insertion of clause (ca) after clause (c) in Section 2	Nil	(ca) "Fund" means the Environmental (Protection) Fund established under section 16;
2	Section 10.-- Powers of Entry and Inspection	(2) Every person carrying on any industry, operation or process of handling any hazardous substance shall be bound to render all assistance to the person empowered by the Central Government under subsection (1) for carrying out the functions under that subsection and if he fails to do so without any reasonable cause or excuse, he shall be guilty of an offence under this Act. (3) If any person willfully delays or obstructs any persons empowered by the Central Government under sub-section (1) in the performance of his functions, he shall be guilty of an offence under this Act. (4) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, or, in relation to the State of	(2) Every person carrying on any industry, operation or process of handling any hazardous substance shall render assistance, as may be required, to the person empowered by the Central Government under subsection (1) for carrying out the functions under that subsection and if he fails to do so without any reasonable cause, he shall be liable to pay the penalty provided under section 14B. (3) If any person willfully delays or obstructs any persons empowered by the Central Government under sub-section (1) in the performance of his functions under sub-sections (1) and (2), he shall be liable to pay the penalty provided under section 14B.

		Jammu and Kashmir, or an area in which that Code is not in force, the provisions of any corresponding law in force in that State or area shall, so far as may be, apply to any search or seizures under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said Code or as the case may be, under the corresponding provision of the said law.	(4) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as may be, apply to any search or seizures under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of that Code.
2.	Insertion of new section 14A after Section 14	Nil	14A. Penalty for contravention of section 7 or section 8.- (1) If any person, contravenes provisions of section 7 or section 8 or orders or directions issued thereunder, he shall be liable to pay the penalty in respect of each such contravention or non-compliance, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to fifteen lakh rupees: (2) Where any person continues contravention on non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of fifty thousand rupees every day during which such contravention continues.
3.	Insertion of section 14B after Section 14A	Nil	14B. Penalty for contravention of sections 9, 10 and 11.-- (1) If any person contravenes or does not comply with section 9, section 10 or section 11 or orders or directions issued under those sections, he shall be liable to pay the penalty in respect of each such contravention or non-compliance which shall not be less than ten thousand rupees and may extend to five lakh rupees:

			(2) Where any person continues contravention on non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees per day during which such contravention continues.”
4.	Section 15 Penalty for Contravention of the provisions of the Act and the Rules, Orders and Directions	(1) Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, shall, in respect of each such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years with fine which may extend to one lakh rupees, or with both, and in case the failure or contravention continues, with additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention. (2) If the failure or contravention referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years.	(1) Where any person contravenes or does not comply with any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, for which no penalty is provided, he shall be liable to pay the penalty in respect of each such contravention or non-compliance which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention or non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues.
5.	Insertion of section 15A Penalty for contravention by companies	Nil	15A. Penalty for contravention by companies. – (1) Where any company contravenes any of the provisions of this Act, such company shall be liable to pay the penalty for each such contravention which shall not be less than one lakh rupees and may extend to fifteen lakh rupees.

			(2) Where any company continues contravention on non-compliance under sub-section (1), the company shall be liable to pay an additional penalty of one lakh rupees every day during which such contravention continues.
6.	Insertion of section 15B Penalty for contravention by Government Department.	Nil	15B. Penalty for contravention by Government Department. – (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, such officer shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention.
7.	Insertion of section 15C Adjudicating Officer	Nil	15C. Adjudicating Officer. – (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties

		under this Act, may appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose the penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may- (a) call upon any person alleged to have contravened or not complied with the provisions of this Act and the rules made thereunder or having the knowledge of the facts and circumstances of the case; (b) require such person to produce any record, register or other document in his possession or any other document, which in the opinion of the adjudicating officer may be relevant to the subject-matter. (3) The adjudicating officer shall, after giving the person a reasonable opportunity of being heard in the matter, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened or has not complied with the provisions of the Act or the rules made thereunder, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of sections 14A, 14B, 15, 15A or 15B, as the case may be.

			(4) The adjudicating officer, while adjudicating the quantum of penalty under sub-section (3), shall have due regard to the following, namely: - (a) the population and the area impacted or affected due to such contravention or non-compliance; (b) the frequency and duration of such contravention or non-compliance; (c) the vulnerability of the class of persons likely to be adversely affected by such contravention or non-compliance; (d) the damage caused or likely to be caused to any person, as a result of such contravention or non-compliance, if any; (e) the undue gain derived out of such contravention or non-compliance; and (f) any such other factor, as may be prescribed. (5) The amount of penalty imposed under the provisions of section 14A, 14B, 15, 15A or 15B, as the case may be, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010)".
8.	Insertion of section 15D Appeal.	Nil	15D. Appeal. – (1) Any person aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under this Act may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010).

			(2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), such appeal shall not be entertained by the Tribunal unless such person has deposited with the Tribunal ten per cent. Of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer.
9.	Insertion of section 15E Penalty amount to be credited to Environmental (Protection) Fund.	Nil	15E. Penalty amount to be credited to Environmental Protection Fund. – Where any penalty or additional penalty, as the case may be, is imposed under sections 14A, 14B, 15, 15A or 15B, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16.
10.	Insertion of section 15F Offence for failure to pay penalty or additional penalty.	Nil	15F. Offence for failure to pay penalty or additional penalty. – (1) Where any person fails to pay the penalty or additional penalty, as the case may be, under sections 14A, 14B, 15, 15A or 15B within ninety days of such imposition, he shall be

			liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. (2) Where any offence under sub-section (1) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and he shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in sub-section (1), if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. <i>Explanation.</i> — For the

			purposes of this section, - (a) "company" includes body corporate, firm, trust, society and any other association of individuals; (b) "director", includes director of the company, partner of the firm, members of the society or trust or member of any association of individuals, as the case may be.'
13.	Section 16	Offences by companies.—(1) Where any offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
15.	Insertion of "CHAPTER IIIA FUND, ACCOUNTS AND AUDIT" after Chapter III	Nil	"CHAPTER IIIA FUND, ACCOUNTS AND AUDIT 16.Environmental Protection Fund. – (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, establish a fund to be known as the Environmental Protection Fund. (2) There shall be credited to the Fund- (a) the amount of penalty

			imposed under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and under this Act; (b) the interest or other income received out of investments made from the Fund; and (c) any other amount from such sources, as may be prescribed. (3) The Fund shall be applied for – (a) the promotion of awareness, education and research for the protection of environment; (b) the expenses for achieving the objects and for purposes of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981(14 of 1981) and this Act; (c) such other purposes, as may be prescribed. (4) The Central Government shall notify the administrator for the administration of the Fund and other matters connected therewith and incidental thereto in such manner, as may be prescribed. (5) The Central Government shall allocate seventy- five percent of the amount of penalties to the State Governments or Union territory administrations, which has been credited to the Fund. 16A. Accounts and audit of the Fund. – (1) The Central Government shall maintain separate accounts and other relevant records in relation to the Environmental Protection Fund and prepare an annual

			statement of accounts in such form, as may be prescribed, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India. (2) The accounts of the Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor – General of India at such intervals as may be specified by him and such audited accounts together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government. 16B. Annual Report.- The Central Government shall prepare its annual report in relation to Environmental Protection Fund giving a full account of its activities define under this Act in such form, as may be prescribed, for each financial year during the previous financial year and forward a copy thereof, within four months from the last date of the previous financial year, to the Central Government which shall cause the annual report and the audit report given by the Comptroller and Auditor-General of India to be laid before each House of Parliament.”.
14.	Section 17	Offences by Government Departments.—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of Government, the Head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this section	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

		shall render such Head of the Department liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.	
16	Insertion of new clause (aa) after clause (a) in Section 19	Nil	(aa) adjudicating officer or any officer authorised by him in this behalf;
17	Section 24	Effect of other laws.—(1) Subject to the provisions of sub-section (2), the provisions of this Act and the rules or orders made therein shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act. (2) Where any act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under any other Act then the offender found guilty of such offence shall be liable to be punished under the other Act and not under this Act.	24. Effect of other laws. – The provisions of this Act and the rules or orders made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.
3.	Insertion of clauses in Section 25(2) after clause (g) Power to make Rules	Nil	(ga) the manner of holding inquiry and imposing penalty by the adjudicating officer under sub-section (1) and other factors for determining quantum of penalty under clause (f) of sub-section (4), of section 15C; (gb) the other amount under clause (c) of sub-section (2) of section 16; (gc) the other purposes under clause (c) of sub-section (3) of section 16; (gd) the manner of administration of Fund under sub-section (4) of section 16;

			(ge) form for maintenance of accounts of the Fund and for preparation of annual statement of accounts under sub-section (1) of section 16A; (gf) form for preparing Annual Report of the Fund under section 16B;

2.143. **Submission by the Ministry:**

2.143.1. In their background note, the Ministry have submitted that at present in case of any non-compliance or contravention of the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, or of the rules or directions issued under the said Act is being governed under Section 15 of the Act, the violator will be punishable with imprisonment up to five years or with a fine up to Rs. 1, 00,000, or with both. In case of continuation of such violation, an additional fine of up to Rs. 5,000 for every day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention will be levied. Further, if the violation continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years.

2.143.2. Explaining the rationale behind the proposed amendments, the Ministry have submitted that:

- (a) Imprisonment provision for minor violations not leading to any injury to human or damage to environment is not justifiable.
- (b) Imprisonment provision for many provisions in the first instance itself is also not justifiable.
- (c) Criminal provisions many a times cause harassment to businesses and citizens for simple non-compliance.
- (d) As per the available records/information, total 1737 Criminal Cases have been registered for violation of Environmental norms under EPA, 1986; Water Act, 1974 and Air Act, 1981 over last three years i.e 2019-2021. Out of which only total 39 people were actually convicted under the above said Acts.
- (e) Courts were being needlessly burdened due to invoking of Section 15 of EPA, 1986 on minor and procedural defaults.

2.143.3. The Ministry have further submitted as under:

“Considering the above and experience gained in the implementation of the EPA, 1986 over a period of 36 years, it was observed that the criminal provisions contained in the existing Act neither act as a deterrent nor helps towards the cause of environment protection. Therefore, imposition of heavier penalties coupled with provisions of IPC, 1860 will act as a deterrent for habitual violators. It is proposed that imprisonment for minor lapses shall be replaced with heavier penalties. The amount of penalties to be imposed was fixed on the basis of the nature of offence. As an outcome, the proposed amendment with heavier penalties shall at one hand act as a deterrent for violators and at other hand shall encourage a culture of self-regulation for serious players.”

2.143.4. The Ministry have also informed the Committee that Inter-Ministerial Consultation (IMC) and Public Consultation (PC) was carried out through Public Notice published on website of MoEF & CC and in 61 newspapers PAN-INDIA. A total of 73 comments/ suggestions were received from PC and 9 comments from IMC which were duly examined and incorporated, as deemed fit, in the proposed bill.

2.143.5. Enumerating the salient features of the proposed amendments under the Act, the Ministry in their background note have submitted as under:

- i. Penal provision mentioned under EPA, 1986 is proposed to be completely decriminalized by substituting it with penalty and additional penalty.
- ii. The amount of penalty has been specified on the basis of the type and nature of the contravention of the provisions of EPA.
- iii. Penalty for non-compliance of Section 7 & Section 8 dealing with discharging/ emitting in excess and handling of hazardous substances respectively shall be covered under Section 14A with higher amount of penalty than contravention to other or provisions.
- iv. Penalty for contravention of Section 9,10 & Section 11 dealing with furnishing of information, powers for entry and inspection and powers to take sample respectively shall be covered under Section 14B with lesser amount of penalty as compared to penalty for the contravention of Section 7&8.
- v. In case of contravention of the rules or directions issued under the EPA for which no penalty has been provided the same shall be covered under Section 15.
- vi. Contravention of the provisions of the EPA by Companies shall be covered under Section 15A and by Govt departments under 15B respectively. Section 16 & 17 omitted.
- vii. Appointment of Adjudicating Officer is proposed for the purpose of determining the penalties under EPA, 1986. However, if the penalty and additional penalty, as the case may be, is not paid by the violator, criminal provision shall be applicable.
- viii. Provision for creation and management of fund namely Environment (Protection) Fund is also proposed for collection as well as proper utilization of fund collected from penalty.
- ix. Any person aggrieved by the Order of the Adjudicating Officer may prefer an appeal before the Hon'ble National Green Tribunal as prescribed under section 15D.

2.143.6. Apprising the Committee regarding the benefits of the proposed reform, the Ministry have submitted that amendment of the Environmental (Protection) Act, 1986 shall achieve the following:

- i. Proposed amendment will encourage self-regulation and create an atmosphere of trust based governance.
- ii. By way of the instant proposed amendment bill, the concept of Adjudicating officer for dealing with defaulters has been proposed to be introduced. In doing so, the proposed bill will ease out the stress on the criminal justice system.
- iii. Increased penalty amount will act as deterrent for law-abiding entrepreneurs which would ensure better compliance of laws while also promote better corporate management practices in their operations.

- iv. Eliminates the fear of abiding entrepreneurs and corporations at large, about the Government's commitments to promote ease of doing business and ease of living imprisonment on minor lapses. This reform will also send out a clear message to the law-in India.
- v. Efforts would boost foreign investments in India.

2.144. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.144.1. During the sitting held on 17th January, 2023, the Committee sought clarifications on the reasons for insertion of adjudicating officer to Section 19 of the Act relating to Cognizance of offence. In this regard the Ministry clarified that when the person who has been imposed with the penalty and he refuses to pay penalty, then it becomes a criminal offence for which prosecution has to be filed by somebody.

2.144.2. In this regard, representative from the Legislative Department (Ministry of Law & Justice) further clarified as under:

“No court shall take cognizance of an offence unless a complaint is filed by somebody. So, we are only enabling the Adjudicating Officer or any other officer.”

2.145. **Suggestions by the Committee:**

2.145.1. After discussion and clarifications on the amendments proposed to be made in the Environmental (Protection) Act, 1986, specified at serial no. 24 in the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modifications during Clause-by-Clause consideration.

Section 15 : Penalty amount may be increased from five thousand to ten thousand.

The National Housing Bank Act, 1987
[Serial No. 25 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.146. **Administering Ministry: Ministry of Finance**
[Department of Financial Services]

2.147. **Purpose of the Act:** To establish a bank to be known as the National Housing bank to operate as a principal agency to promote housing finance institutions both at local and regional levels and to provide financial and other support to such institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.

2.148. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision, as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Insertion of new Section 33C	Nil	33C. Power to take action against auditors. – Where any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under section 33, the Reserve Bank may, if satisfied, remove or debar the auditor from exercising the duties as auditor of any of the Reserve Bank regulated entities for a maximum period of three years, at a time.”
2.	Section 49(2)	If any person fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information which, under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees in respect of each offence and in the case of a continuing failure, with an additional fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the failure continues after conviction for the first such failure.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
3.	Section 49(2B)	If any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

		Bank or the Reserve Bank under section 33, he shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.	
4.	Section 49(3)(aa)	If any person other than an auditor— (aa) fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under any of the provisions of Chapter V; or	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
5.	Section 49(4)	If any other provision of this Act is contravened or if any default is made in complying with any other requirement of this Act, or of any order, regulation or direction made or given or condition imposed thereunder, any person guilty of such contravention or default shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees and where a contravention or default is a continuing one, with further fine which may extend to one hundred rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
6.	Section 52A (Marginal Heading)	Power of National Housing Bank and Reserve Bank to impose fine.-	Power of National Housing Bank and Reserve Bank to impose penalty.-
7.	Section 52A(1)	(1) Notwithstanding anything contained in section 49, if the contravention or default of the nature referred to in the said section is committed by a housing finance institution which is a company, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such company— (a) a penalty not exceeding five thousand rupees; or (b) where the contravention or	(1) Notwithstanding anything contained in section 49, if the contravention or default of the nature referred to in the said section is committed by a housing finance institution which is a company, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such company— (a) a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees; or (b) where the contravention or

		default is under sub-section (2A) or clause (a) or clause (aa) of sub-section (3) of that section, a penalty not exceeding five lakh rupees or twice the amount involved in such contravention or default, where the amount is quantifiable, whichever is more; and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to twenty-five thousand rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues.	default is under sub-section (2A) or clause (a) of sub-section (3) of that section, a penalty not exceeding ten lakh rupees or twice the amount involved in such contravention or default, where the amount is quantifiable, whichever is more; and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to one lakh rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues.
8.	Insertion of new sub-sections	Nil	(1A) If any person or housing finance institution which is a company fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information, which, under the provisions of this Act, is the duty of such person or housing finance institution to produce or furnish, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such person or housing finance institution, a penalty not exceeding one lakh fifty thousand rupees in respect of each contravention or default and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to seven thousand five hundred rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues. (1B) If any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under section 33, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on

			such person a penalty not exceeding ten lakh rupees. (1C) If any person (other than an auditor) or housing finance institution which is a company fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under any of the provisions of Chapter V, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such person or housing finance institution, a penalty not exceeding ten lakh rupees or twice the amount involved in such contravention or default, where the amount is quantifiable, whichever is more; and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to one lakh rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues. (1D) If any other provision of this Act is contravened or if any default is made in complying with any other requirement of this Act, or of any order, regulation or direction made or given or condition imposed thereunder, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on any person or housing finance institution which is a company, guilty of such contravention or default, a penalty not exceeding one lakh rupees in respect of each contravention or default and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to ten thousand rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues.”;

9.	Section 52A(2)	(2) For the purpose of imposing penalty under sub-section (1), the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, shall serve a notice on the housing finance institution which is a company requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed as a penalty and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such housing finance institution.	(2) For the purpose of imposing penalty under this section , the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, shall serve a notice on the person or housing finance institution which is a company requiring to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed as a penalty and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person or housing finance institution .
10.	Section 52A(3)	(3) Any penalty imposed by the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, under this section shall be payable within a period of thirty days from the date on which notice issued by the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, demanding payment of the sum is served on the housing finance institution which is a company and, in the event of failure of such housing finance institution to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the registered office or the head office of such housing finance institution is situated: Provided that no such direction shall be made, except on an application made by an officer of the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, authorised in this behalf, to the principal civil court.	(3) Any penalty imposed by the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, under this section shall be payable within a period of thirty days from the date on which notice issued by the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, demanding payment of the sum is served on the person or housing finance institution which is a company and, in the event of failure of such person or housing finance institution to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where such person ordinarily resides or, as the case may be, the registered office or the head office of such housing finance institution is situated: Provided that no such direction shall be made, except on an application made by an officer of the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, authorised in this behalf, to the principal civil court.

11	Section 52A(4)	(4) The court which makes a direction under sub-section (3), shall issue a certificate specifying the sum payable by the housing finance institution which is a company and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit.	(4) The court which makes a direction under sub-section (3), shall issue a certificate specifying the sum payable by the person or the housing finance institution which is a company, as the case may be, and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit.

2.149. **Submission by the Ministry:**

2.149.1. The Department of Financial Services has proposed to amend Section 49 and Section 52A of the National Housing Bank Act, 1987 and insertion of Section 33C in the Act. In their background note, the Department of Financial Services has stated that sub-sections (2), (2B), (3) and (4) of Section 49 of the Act currently provide for imposition of a fine and Section 52A provides for the power of the National Housing Bank and the Reserve Bank of India to impose a penalty. The proposal is to amend the said sub-sections of Section 49 by omitting them from Section 49 and suitably inserting them in Section 52A, thereby replacing the provision of imposition of fine with provision for imposition of penalty by the National Housing Bank and the Reserve Bank of India. These offences under Section 49 pertain to certain procedural lapses related to failure to produce any book, accounts or other document, failure to furnish any information etc. and, therefore, these can be brought under the purview of Section 52A of the Act. Section 33C is also proposed to be inserted in the Act on the lines of similar provisions available in the Reserve Bank of India Act, 1934 as consequential amendments in view of decriminalizing the offence of failure by auditors to comply with directions by their debarment or removal. Besides bringing the aforesaid provisions made under Section 49, consequential amendments have also been incorporated in Section 52A of the Act to enable the National Housing Bank or the Reserve Bank of India, as the case may be, to impose penalty for such violations.

2.150. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.150.1. The Committee held thorough discussions on the proposed amendments during their sitting held on 6th February, 2023. On a query raised by the Committee whether the expression “under the provisions of this Act” in Section 49(2) of the Act include any direction or orders issued under any rules and regulations. The representative from the Department clarified that the aforesaid expression is only in respect of the National Housing Bank Act, 1987. The Committee was also of the view that the Companies Act, 2013 should be checked up if any such provision is present therein. The Committee then proceeded to observe that the penalty comes only from the main provisions of the statute and not from the rules made thereunder.

2.150.2. As regards the newly incorporated Section 33C, the Committee raised their concern whether removal or debarment of an auditor of any of the Reserve Bank regulated entities on his failure to comply with any direction or order of the National Housing Bank or

the Reserve Bank of India only on the satisfaction of the Reserve Bank is a sufficient safeguard to impose penalty and a stigma on the auditors. The Committee felt that such a provision will not stand the judicial scrutiny when a reasonable opportunity of hearing is not being afforded. Accordingly, the words “if satisfied” in the proposed Section should be suitably replaced for the auditors should be given a reasonable opportunity of being heard by the Regulator in order to be able to present their case rather than simply being debarred on mere satisfaction of the Regulator.

2.151. **Suggestions by the Committee:**

2.151.1. After comprehensive deliberations and clarifications on the amendments proposed to be made in the National Housing Bank Act, 1987, specified at serial no. 25 of the Schedule to the Bill, the Committee concurred with most of the amendments proposed and decided to consider *inter alia* the following modifications during clause-by-clause consideration:

- (i) Section 33C: The expression “if satisfied” under the section shall be replaced suitably with the expression “reasonable opportunity of being heard.”

The Motor Vehicles Act, 1988

[Serial No. 26 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.152. **Administering Ministry:** Ministry of Road Transport and Highways

2.153. **Purpose of the Act:** The Motor Vehicles Act, 1988 (MV Act, 1988) governs practically all elements of road transport vehicles. It covers all areas covered by the Act's provisions, such as traffic laws, vehicle insurance, motor vehicle registration, controlling permits, and penalties.

2.154. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 192A	192A. Using vehicle without permit.— (1) Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be used in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 66 or in contravention of any condition of a permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may be used, shall be punishable for the first offence with imprisonment for a term which may extend to six months and a fine of ten thousand rupees and for any subsequent offence with imprisonment which may extend to one year but shall not be less than six months or with fine of ten thousand rupees or with both:	192A. Using vehicle without permit.— (1) Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be used in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 66 or in contravention of any condition of a permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may be used, shall be punishable for the first offence with imprisonment for a term which may extend to six months or a fine of ten thousand rupees, or with both and for any subsequent offence with imprisonment which may extend to one year but shall not be less than six months or with fine of ten thousand rupees or with both:
		Provided that the court may for reasons to be recorded, impose a lesser punishment.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
2.	Section 200	200. Composition of certain offences.-- (1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act punishable under section 177, section 178, section 179, section 180, section 181, section 182,	200. Compounding of offences. -- (1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act, punishable under section 177, section 177A, section 178, section 179, section 180, section

		sub-section (1) or sub-section (3) or sub-section (4) of section 182A, section 182B, subsection (1) or sub-section (2) of section 183, section 184 only to the extent of use of handheld communication devices, section 186, section 189, subsection (2) of section 190, section 192, section 192A, section 194, section 194A, section 194B, section 194C, section 194D, section 194E, section 194F, section 196, section 198, may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:	181, section 182, sub-section (1) or sub-section (3) or sub-section (4) of section 182A, section 182B, subsection (1) or sub-section (2) of section 183, section 184 to the extent of use of handheld communication devices, section 186, section 189, subsection (2) of section 190, section 192, section 192A, sub-section (3) of section 192B, section 194, section 194A, section 194B, section 194C, section 194D, section 194E, section 194F, section 196, section 198 and section 201, may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.
3.	Insertion of new proviso in Section 215(3)	Nil	Provided that the Central Government may, by notification in Official Gazette, constitute District Road Safety Committee for such district in such State, where the State Government has not constituted the Committee consisting of a Chairman and such other members as it considers necessary and on such terms and conditions as it may determine.

2.155. Submissions by the Ministry:

2.155.1. As regards the guiding criteria followed while reviewing the Act, the background note of the Ministry of Road, Transport and Highways stated that the various provisions of the MV Act, 1988, containing imprisonment were also reviewed in consultation with States/UTs. It was found that provisions are required to be retained for being unique to the MV Act and for being essential to create a deterrent against various offences and to also ensure road safety. As an alternative, some provisions are being made compoundable through amendment of Section 200 of MV Act.

2.155.2. The Ministry of Road Transport and Highways have identified following provisions for insertion in Section 200, for making them compoundable:

- i. Section 177A- Penalty for contravention of regulations under section 118.
- ii. Sub-section (3) of Section 192B- Offences relating to registration.
- iii. Section 201- Penalty for causing obstruction to free flow of traffic.

2.155.3. It further mentioned that the Section 192A of the MV Act, 1988 was identified as an anomaly. Section 192A (1) prescribes fine of Rs. 10,000 'and' imprisonment up to 6 months, for first offence, and fine of 10,000 'and/or' imprisonment of 6 months to 1 year, for subsequent offence. Therefore, the said provision is being amended to replace "and" with "and/or" for the penalty prescribed for the first offence. This amendment further rectifies the issue that Section 192A (1) of the MV Act although mentioned as a compoundable offence, could not be compounded due to the said anomaly. Section 215 of the MV Act, 1988 provides for Road Safety Councils and Committees. The sub-clause 3 of the said provision is being amended to empower the Central Government to establish Road Safety Committees only in the event the concerned State Government fails to.

2.156. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.156.1. During the deliberations, the Secretary, Ministry of Road Transport and Highways informed the Committee about the constitution of State and District level Road Safety Committees. The Ministry informed that a concurrent Power is being given to the Central Government under Section 215 (3) to constitute road safety Councils and Committees by adding a Provision.

2.156.2. The Committee in this regard pointed out differences in the language of the Section in the Bill presented in the House and the Statement of Amendments being produced before the Committee. The Secretary, Ministry of Road Transport and Highways stated that essence is similar though the wordings may differ and committed to correct the inconsistency.

2.157. **Suggestions of the Committee:**

2.157.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed to be made in the Motor Vehicles Act, 1988, specified at serial no. 26 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modifications during Clause-by-Clause consideration:

- (i) The existing marginal heading of Section 200 should be retained.
- (ii) Under Section 215, the new *proviso* proposed to be inserted should read like as under:

"Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute District Road Safety Committee for such district in such State, where the State Government has not constituted a District Road Safety Committee under sub-section (3). Provided further that where the Central Government constitutes a District Road Safety Committee, it shall consist of a Chairman and such other members as the Central Government considers necessary and shall be constituted on such terms and conditions as the Central Government may determine."

The Railways Act, 1989

[Serial No. 27 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.158. **Administering Ministry:** Ministry of Railways

2.159. **Purpose of the Act:** The Act provides in detail the legislative provisions regarding railway zones, construction and maintenance of works, passenger and employee services.

2.160. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	144	Prohibition on hawking, etc., and begging :- (2) If any person begs in any railway carriage or upon a railway station, he shall be liable for punishment as provided under sub-section (1).	Prohibition on hawking, etc., and begging.— (1) If any person canvasses for any custom or hawks or exposes for sale any article whatsoever in any railway carriage or upon any part of a railway, except under and in accordance with the terms and conditions of a licence granted by the railway administration in this behalf, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both: Provided that, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the court, such punishment shall not be less than a fine of one thousand rupees. (2) No person shall be permitted to beg in any railway carriage or upon any part of the railway. (3) Any person referred to in sub-section (1) or sub-section (2) may be removed from the railway carriage or any part of the railway or railway station, as the case may be, by any railway servant authorised in this behalf or by any other person whom such railway servant may call to his aid.

2.161. Submissions by the Ministry:

2.161.1. The Ministry of Railways in their background note have informed that the Ministry seeks to amend Section 144(2) which deals with prohibition on hawking etc. and begging. The Section 144(2) of Railways Act criminalizes begging with a penalty of a term which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees or with both with a proviso that in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the court, such punishment shall not be less than a fine of one thousand rupees. It is like being penalized for being poor and destitute. Therefore, the Ministry seeks to decriminalize begging by modifying Section 144(2).

2.161.2. As regards the exact number of times aforesaid criminal provision has been invoked, the Ministry in their background note provided the following statistics:

- (a) The number of cases registered under Section 144(2) of the Railway Act proposed to be decriminalized is 16391 during the year 2022 (Up to November 2022).
- (b) There are various other criminal punishment provisions for various offences on the railways which have been provided in the "Railways Act, 1989" and "Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966" as amended from time to time besides the Section 144(2) of the Railway Act, which are invoked from time to time.
- (c) There is no provision (Zero '0') in the "Railways Act, 1989" and "Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966" which has not been invoked at any point of time.
- (d) Further, the exact data on the number of cases registered under various sections of both the above mentioned Acts is as under:

S.No.	Act	Number of cases in given	
		2021	2022 (upto October)
1.	Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966	4,647	5,038
2.	Railways Act, 1989	4,19,516	5,88,720
Total		4,24,163	5,93,758

2.161.3. Other provisions for criminal punishment which are provided in the "Railways Act, 1989" and "Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966" as amended from time to time, are essential to ensure that there is a deterrent.

2.162. Discussion in the sitting of the Committee:

2.162.1. During the sitting the Committee held on 07.02.2023, the Committee enquired if the Ministry has examined the other provisions of the Act relating to minor offences under section 137 to 182 which can be decriminalised. The Committee in this regard sought to understand the rationale of imprisonment for petty offences like fraudulently travelling or travelling without ticket or crowding platforms without platform tickets. The Committee suggested that in such offences, imprisonments may be changed into penalties as these would have a greater deterrent effect in checking the menace. The representatives of the Railway Board apprised the Committee as under:

“सर, वह चीज छोटी लग सकती है। But it can cause major disruption to the train operations, and passenger safety.

.....सर, इसको तो हम लोगों ने रिव्यू के लिए दिया है। बाकी जो हैं, उसमें तीन मेजर कैटेगरीज़ ऑफेंसेज़ के हैं, जिसमें पैसेंजर की सेफ्टी, ट्रेन की सेफ्टी है। It can cause even major accidents if you do not control these offences. Trespassing on tracks and other things. These concern with running the railway safely, ensuring the passengers safety, ensuring the safety of the women who are travelling on the trains, and ensuring the safety of children who are there. So, all that is involved. कस तरह का खाना सर्व हो रहा है, उस तरह की चीजें भी हैं।”

2.162.2. The Committee further enquired about the provisions for tackling of repeat offenders, the representatives apprised as under:

“सर, बहुत बार ऐसा होता है क लोग हजार रुपये भी फाइन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैंने खुद भी हजारों बार टिकट चेकंग की है। कई लोग कहते हैं क हम पैसा नहीं दे सकते हैं। हमारे नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है। हम उन को कुछ घंटे के लिए रख लेते हैं, उसके बाद फाइनली शाम तक हम उनको छोड़ ही देते हैं। कुछ तो डटरेट करना ही पड़ेगा न, वरना हम फर टिकट भी न लें। कुछ तो डटर करना पड़ेगा।”

2.163. Suggestions by the Committee:

2.163.1. After detailed discussions with the representatives of the Ministry of Railways, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Indian Railways Act, 1989, specified at Serial No. 27 of the Schedule to the Bill. However, the Committee directed that the Ministry of Railways shall go through the Act once again and find out other provisions in the Act which can be decriminalized. The Committee decided to consider the Act during Clause-by-Clause consideration.

The Public Liability Insurance Act, 1991

[Serial No. 28 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.164. **Administering Ministry:** Ministry of Environment, Forests and Climate Change

2.165. **Purpose of the Act:** The Public Liability Insurance (PLI) Act, 1991 was enacted with the objective of providing relief to the victims of accidents that might occur while handling hazardous substances. The owner who has control over handling hazardous substances is required under the Act to take an insurance policy and pay matching amount to Environment Relief Fund established under the act.

2.166. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Section No.	Existing Provision	Provisions as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 2. Definitions (New Definitions are proposed in the Bill) clause (ha) shall be renumbered as (hb) and new clause be inserted as (ha) and clause (k) shall be inserted after clause (j)	Nil	(ha) "property" includes any private property or public property affected or damaged by any unit or undertaking, due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes of hazardous substance; (k) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) and the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.
2.	Section 3: Liability to give relief in certain cases on	(1) Where death or injury to any person (other than a workman) or damage to any property has resulted from an accident, the owner shall be	(1) Where death or injury to any person (other than a workman) or damage to any property has resulted from an accident, the owner shall be liable to

	principle of no fault. -	liable to give such relief as is specified in Schedule for such death, injury or damage.	reimburse such amount, or provide such other relief as may be prescribed, for- - death due to fatal accident; - medical expenses incurred due to total or partial disability; - loss of wages due to partial disability; - other injury or sickness; - damage to private property; or - any such other loss or damage, as may be prescribed.
3.	Section 4: Duty of owner to take out insurance policies. -	(1) Every owner shall take out, before he starts handling any hazardous substance, one or more insurance policies providing for contracts of insurance whereby he is insured against liability to give relief under sub-section (1) of section 3; Provided that any owner handling any hazardous substance immediately before the commencement of this Act shall take out such insurance policy or policies as soon as may be and in any case within a period of one year from such commencement.	(1) Every owner of any undertaking shall take out, before he starts handling any hazardous substance, one or more insurance policies for such undertaking or unit providing for contracts of insurance whereby he is insured against liability to give such relief or reimburse such amount referred to in sub-section (1) of section 3. <i>Explanation.</i> - For the purposes of this sub-section, it is hereby clarified that any undertaking having separate consent to operate under- - the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974); and - the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), shall be treated as a separate unit: Provided that any owner handling any hazardous substance immediately before the commencement of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2022, shall take out such insurance policy or policies as soon as may be and in

		(2A) No insurance policy taken out or renewed by an owner shall be for an amount less than the amount of the paid-up capital of the undertaking handling any hazardous substance and owned or controlled by that owner, and more than the amount, not exceeding fifty crore rupees, as may be prescribed. <i>(Explanation. -For the purpose of this sub-section, "paid-up capital" means in the case of an owner not being a company, the market value of all assets and stocks of the undertaking on the date of contracts of insurance.)</i>	any case within a period of one year from commencement of that Act. (2A) An insurance policy taken out or renewed by an owner for any undertaking or unit shall be for an amount which shall not be less than the amount of the paid-up capital of that undertaking or unit handling any hazardous substance owned or controlled by that owner and may extend to such amount as may be prescribed but not exceeding five hundred crore rupees. <i>Explanation. — For the purposes of this sub-section, "paid-up capital", in relation to an owner not being a company, means the market value of all assets and stocks of the undertaking on the date of contract of insurance.'</i>
4.	Section 6: Application for claim for relief. – Insertion of new sub-section (1A) after sub-section (1)	Nil	(1A) Where any damage has been caused to any public property or private property due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, an application for claim for restoration of the property may be made by the owner of the property or such other person, as may be prescribed, to the Collector.
5.	Insertion of new sub-section (9) in existing Section 7	NIL	(9) Where the environment is affected or damaged due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, the Central Government may, on an application made by Central

			Pollution Control Board or the State Pollution Control Board, as the case may be, allocate the fund for restoration of the damage so caused in the manner as may be prescribed.
6.	Insertion of new sub-section (1A) under Section 7A	NIL	(1A) There shall be credited to the Relief Fund established under sub-section (1)- (a) the amount as prescribed in sub-section (2C) of section 4; (b) the amount of penalty imposed under this Act; (c) the interest or other income received out of investments made from the Fund; and (d) any other amount from such sources, as may be prescribed.
7.	Section 14. Penalty for contravention	1. Whoever contravenes any of the provisions of 1 [sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (2A) or sub-section (2C)] of section 4 or fails to comply with any direction issued under section 12, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years, or with fine which shall not be less than one lakh rupees, or with both. 2. Whoever, having already been convicted of an offence under sub-section (1), is convicted for the second offence or any offence subsequent to the second offence, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than one lakh rupees. 3. Nothing contained in section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of	(1) Where any person contravenes any of the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4, he shall be liable to pay the penalty equal to the amount of annual premium for insurance policy and may extend up to twice the amount of such premium. (2) Where contravention under sub-section (1) continues, an additional penalty may be imposed by the adjudicating officer, which shall not exceed the amount of premium to be paid, for each month or part thereof during which the contravention continues.

		1974), or in the Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958), shall apply to a person convicted of an offence under this Act unless such person is under eighteen years of age.	
8.	Section 15.	If any owner fails to comply with direction issued under section 9 or fails to comply with order issued under sub-section (2) of section 11, or obstructs any person in discharge of his functions under section 10 or sub-section (1) or sub-section (3) of section 11, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.	15. Penalty for non-compliance of directions. - (1) Where any person does not comply with any directions issued under section 12, he shall be liable to pay a penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty to be imposed by the adjudicating officer, which shall not be less than ten thousand rupees every day during which such non-compliance continues. (3) Where any owner does not comply with direction issued under section 9 or obstructs any person in discharge of his functions under section 10 or under sub-sections (1), (2) or (3) of section 11, he shall be liable to pay penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (4) Where any person continues non-compliance under sub-section (3), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues.
9.	Insertion of new Section 15A	Nil	15A. Adjudicating Officer.- (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 14 and 15, may appoint the District

		Magistrate having jurisdiction over the area or an officer not below the rank of Director to the Government of India or an officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government, to be the adjudicating officer, to hold an inquiry in the manner, as may be prescribed and to impose the penalty: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4 and section 12, he may determine such penalty as he thinks fit in accordance the provisions of sections 14 and 15: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned an opportunity of being heard in the matter.
10	Insertion of new Section 15B	15B. Appeal. (1) Any person aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 14 or 15, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010).

			(2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), such appeal shall not be entertained by the Tribunal unless such person has deposited with the Tribunal ten per cent of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer.
11.	Section 16. Offences by Companies	1. Where any offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. 2. Notwithstanding anything contained in sub-section (1),	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

		where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. <i>Explanation. —For the purposes of this section, —</i> (a) “company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; (b) “director,” in relation to a firm, means a partner in the firm.	
12.	Section 17. Offences by Government Departments	Where an offence under this Act has been committed by any Department of Government, the Head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this section shall render such Head of the Department liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.	17. Penalty for contravention by Government Department.-- (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or State Government, the Head of the Department shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary. Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, he shall be liable to pay the penalty equal

			to one month of the his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention.
13.	Insertion of new Sections	Nil	17A. Penalty amount to be credited to Environmental Relief Fund.-Where any penalty or additional penalty, as the case may be, is imposed under section 14 or section 15 or section 17, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Relief Fund established under section 7A. 17B. Offence for failure to pay the penalty or additional penalty.-(1) Where any person fails to pay the penalty or additional penalty imposed for - - contravention or continued contravention under sections 14 or 17, as the case may be; or - non-compliance of the directions issued under section 15, within ninety days of such imposition, he shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend up to fifteen lakh rupees or with both. (2) Where any offence under sub-section (1) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

			Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. <i>Explanation.</i> —For the purposes of this section,— (a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; (b) “director,” in relation to a firm, means a partner in the firm.’
14.	Section 23. Power to make rules	(a) the maximum amount for which an insurance policy may be taken out by an owner under sub-section (2A) of section 4;	(a) such amount under sub-section (2A) of section 4;
15.	Insertion of new clauses after clause (e) in Section		(ea) amount or relief and any other loss or damage under sub-section (1) of section 3; (eb) such other person under sub-

	23		section (1A) of section 6; (ec) manner of allocation of fund for restoration of damage under sub-section (9) of section 7; (ed) any other amount from other sources under clause (d) of sub-section (1A) of section 7A; (ee) manner of holding inquiry under sub-section (1) of section 15A;
16.	THE SCHEDULE	THE SCHEDULE [See section 3(1)] i. Reimbursement of medical expenses incurred up to a maximum of Rs. 12,500 in each case. ii. For fatal accidents the relief will be Rs. 25,000 per person in addition to reimbursement of medical expenses if any, incurred on the victim up to a maximum of Rs. 12,500. iii. For permanent total or permanent partial disability or other injury or sickness, the relief will be (a) reimbursement of medical expenses incurred, if any, up to a maximum of Rs. 12,500 in each case and (b) cash relief on the basis of percentage of disablement as certified by an authorised physician. The relief for total permanent disability will be Rs. 25,000. iv. For loss of wages due to temporary partial disability which reduces the earning capacity of the victim, there will be a fixed monthly relief not exceeding Rs. 1,000 per month up to a maximum of 3 months: provided the victim has been hospitalised for a period exceeding 3 days and is	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

		above 16 years of age. v. Up to Rs. 6,000 depending on the actual damage, for any damage to private property	

2.167. **Submission by the Ministry:**

2.167.1. As per the existing legal framework, the Public Liability Insurance Act prescribes for mandatory Insurance policy for certain category of Industries and compensation for non-working population living in vicinity of the Industry in case of any accident. The Central Government, by notification, established a fund to be known as the Environmental Relief Fund. An Environmental Relief Fund was created through matching contribution by industries as the premium. The application for relief is to be made by the affected person to Collector based on the damage caused, like death, loss of employment, injury etc. The accumulated fund is about Rs.1000 crore till now, however, no claim of relief has been made under this act till date and hence the need of amendment was felt. Whoever contravenes any of the provisions shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years, or with fine which shall not be less than one lakh rupees, or with both. In case of continuation of such violation, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than one lakh rupees. If any owner fails to comply with direction issued or for any non-compliances shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

2.167.2. As regards the rationale behind the proposed amendments, the Ministry have stated that:

1. The proposed amendment will help in substantial progress of the Nation on account of the fact that India has now been recognized as an emerging and powerful economy in the world.
2. Elimination of the penal provisions under the PLI Act, 1991, will ameliorate fear of imprisonment and in case of any non-compliance or contravention of the provisions of the PLI Act, 1991 or of the rules or directions issued under the said Act, the violator will be punished through financial penalty and not jail term.
3. The proposed amendment will provide conducive business environment for the industries dealing with hazardous chemicals.
4. Also, the public affected by any accident will be provided swift and reasonable compensation by the proposed amendments. The amount of relief is sought to be made commensurate with the extent of damage done and also with the inflation.
5. The quantum of premium of the policy will be revised keeping in view the inflation index. The amendments will also widen the scope of the act and provide for allocation of fund from ERF for restoration of public property and environment.
6. The Schedule containing the quantum of the compensation has been omitted from the Act and will be notified in the Rules so as to ensure flexibility in revision.
7. As an outcome, the proposed amendment with heavier fines shall at one hand act as a deterrent for violators and at other hand shall encourage a culture of self-regulation for serious players.

2.167.3. The Ministry also informed the Committee that Inter-Ministerial Consultation (IMC) and Public Consultation (PC) were carried out through Public Notice published on website of MoEF&CC and in 82 newspapers PAN-INDIA. A total of 17 comments/suggestions were received from PC and 6 comments from IMC which were duly examined and incorporated, as deemed fit, in the proposed bill.

2.167.4. Enumerating the salient features of the proposed amendments in the Act, the Ministry have inter-alia stated as under:

1. The violations of various provisions of PLI act will not attract prosecution. Only non-payment of penalty/additional penalty will attract criminal liability.
2. Provisions for substantial penalty will be introduced for contravention and non-compliance of the provisions in place of imprisonment.
3. Provisions for Adjudicating officer for awarding the penalty and compensation amount will be introduced.
4. The provisions with respect to restoration of public property and environmental damage by utilization of Environment Relief Fund will be inserted.
5. The amount of limit of the insurance policy has been increased substantially as per inflation index.
6. The proposed amendment involves the omission of Schedule containing the quantum of relief and transferring it to the PLI Rules, 1991 for ease of revision of the amount of relief as per the inflation in future.
7. Appeal to Hon'ble National Green Tribunal has been introduced in case of grievance against the imposition of penalty.

2.167.5. The Ministry have also submitted that amendment proposed under the Act seek to achieve the following benefits:

1. Proposed amendment will encourage self-regulation and create an atmosphere of trust based governances.
2. By way of the instant proposed amendment bill, the concept of Adjudicating officer for dealing with defaulters has been proposed to be introduced. In doing so, the proposed bill will ease out the stress on the criminal justice system.
3. Increased penalty amount will act as deterrent for law-abiding entrepreneurs which would ensure better compliance of laws while also promoting better corporate management practices in their operations.
4. Eliminates the fear of imprisonment on minor lapses. This reform will also send out a clear message to the law-abiding entrepreneurs and corporations at large, about the Government's commitments to promote ease of doing business and ease of living in India.
5. The amount of limit of the insurance policy has been increased substantially as per inflation index.
6. Omission of Schedule containing the quantum of relief and transferring it to the PLI Rules, 1991 for ease of revision of the amount of relief as per the inflation in future.
7. Appeal to Hon'ble National Green Tribunal has been introduced in case of grievance against the imposition of penalty.

2.168. Discussion in the sitting of the Committee:

2.168.1. During the sitting held on 17th January, 2023, the Committee sought to know how the insurance premium to be paid and compensation for environment damage by any industry will be ascertained. The Ministry informed the Committee that the same shall be prescribed in the Rules. The Committee further enquired as to why the Ministry seeks to amend Section 3 to bring about compensation to be prescribed by Rules wherein earlier it is specified in the Schedule. The Ministry submitted that the same has been proposed to enable ease of periodical review of compensation.

2.169. Suggestions by the Committee:

2.169.1. After detailed discussion, the Committee agreed, in principle, with the amendment proposed to the Public Liability Insurance Act, 1991 specified at Serial No.28 of the Schedule to the Bill and decided to consider any further modifications, if required, during the clause-by-clause consideration of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022.

The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995

[Serial. No. 29 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.170. Administering Ministry: Ministry of Information and Broadcasting

2.171. **Purpose of the Act:** The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (CTN Act) was enacted to provide a framework for regulation of cable networks in India. The Act mandated a compulsory registration for cable operators and laid down provisions to regulate content to be broadcasted by the cable operators. The Act protects the interest of the subscribers and bars transmission of anti-national broadcasts which are inimical to our national interest. For contravening/violating any provision of the CTN Act, Section 16 prescribes for imprisonment which may extend up to 2 years, in case of first instance and 5 years for every subsequent offence. Section 17 of the Act casts accountability on the key persons holding responsible positions in case of offences committed by company, firm or association of Individual. Section 18 of the Act provides that no court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by any Authorised officer.

2.172. Amendments proposed to the Act:

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 16	“Punishment for contravention of provisions of this Act. – [(1)] Whoever contravenes any of the provisions of this Act shall be punishable, (a) for the first offence, with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both; (b) for every subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine which may extend to five thousand rupees. [(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the contravention of section 4-A shall be a cognizable offence under this section.]”	16. Penalty for contravention of provisions of this Act. – (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act shall be punishable,- (a) for the first offence, with advisory, or censure, or warning, or a penalty which may extend to twenty thousand rupees, or with both; (b) for every subsequent offence, with advisory, or censure, or warning, or a penalty which may extend to one lakh rupees, or with both; (c) for any violation thereafter, by cancellation of registration granted, for such period, by the designated officer, as may be prescribed.

			(2) The designated officer may, for the reasons to be recorded in writing, by order, impose penalty mentioned in sub-section (1): Provided that no such penalty shall be imposed without giving a reasonable opportunity of being heard. (3) Any person aggrieved by any penalty imposed by order under sub-section (2), may prefer an appeal to the Secretary to the Government of India or such other officer authorised by him: Provided that no such appeal shall be admissible after thirty days of imposition of penalty: Provided further that an appeal may be entertained after the expiry of the period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.
2.	Section 17	Offences by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

		all due diligence to prevent the commission of such offence. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any negligence on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation.—For the purposes of this section,— (a) “company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and (b) “director” in relation to a firm means a partner in the firm.	
3.	Section 18	Cognizance of offences. —No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made 1[by any authorised officer.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
4.	Insertion of clause (db) after clause (da) in Section 22		(db) the period and designated officer under sub-section (1) of section 16;

2.173. Submissions by the Ministry:

2.173.1. The Ministry of I&B in their background note informed that decriminalization of Offences and Penalties under the Cable Television Networks (Regulations) Act, 1995 aims at making the Act more business-friendly and boost the investor confidence in the sector. Penalties prescribed under Section 16 of the Act were re-examined and it was observed that

imprisonment provisions prescribed under Section are harsh for the offences which are mostly in the nature of technical violations. Serious offences like violation of copyright and actions prejudicial to sovereignty or integrity of India, security of India, etc. are already covered in copyright Act, and other criminal laws.

2.173.2. In order to make the Cable Television Networks (Regulations) Act, 1995 consistent with Government's Ease of Doing Business the Ministry of Information and Broadcasting has proposed to amend Section 16 and consequently Section 17 and 18 of the Act have become redundant due to proposed amendments in section 16, and thus, are proposed to be omitted.

2.173.3. As regards the penalties proposed in the Act, the Ministry informed as under:

(i) For the first offence, it has been proposed that imprisonment shall be replaced with Advisory, or Censure, or Warning, or a penalty. Further, maximum penalty has been increased from one thousand rupees to twenty thousand rupees. The designated officer may impose either or both, depending upon nature of violation.

(ii) For every subsequent offence, it has been proposed that imprisonment shall be replaced with Advisory, or Censure, or Warning or a fine. Further, maximum penalty for subsequent offence has been increased from five thousand rupees to one lakh rupees. The designated officer may impose either or both, depending upon nature of violation.

(iii) For any violation thereafter, it has been proposed to cancel the registration granted for such period which may be determined by the designated officer on the basis of facts of the case and subject to the rules to be framed.

2.174. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.174.1. During the briefing on the Bill on 09.02.2023, the representatives, Ministry of Information and Broadcasting deposed before the Committee about various provisions, the Ministry seeks to amend as stated below:

“Sir, the Cable Television Network Valuation Act, 1995 regulates the cable sector in India, and there is certain obligation cast by the Act on the Cable Network Operators. For example, there is an obligation to register; there is a process of encryption of the signal that they sent; and then adherence to programme code, advertisement code is there. There is a mandatory transmission of channels. Like this, there are several obligations cast on the Cable Network Operators. We are here only concerned about Section 16, 17, and 18.

Section 16 talks about contravention of the provisions of the Act. So, the existing Act gives certain consequences for non-compliance with the obligation cast. So, the provisions are basically: imprisonment and fine. First offence is imprisonment and fine; and second is also imprisonment and fine. So, we are decriminalising these two provisions. The imprisonment provisions are being deleted.

I will take you through the existing ones and the new ones. Then, Section 17 and 18 are consequential in nature because if the offence has been committed by a company, then who all will be responsible? The key persons are responsible. So, the liability will be fixed on the key persons in the company. So, because there is no imprisonment provision now, the new provision does not require the responsibility to be fixed on key persons of the company, therefore, we are proposing to delete Section 17 and 18. There is also one consequential change in Section 22 where we are defining who is a designated officer prescribed by law. We are using that provision and we are inserting it there in Section 22.”

2.174.2. The representatives, Ministry of Information and Broadcasting informed the Committee that the Ministry has proposed for inclusion of advisory or censure or warning or penalty which may extend to rupees 20,000 or both under section 16. Earlier it was two years of imprisonment or with fine. For part (b) for every subsequent offences, ‘with imprisonment for a term’ has been deleted and substituted with advisory or censure or warning or penalty which may extend to Rs. One lakh or with both. The imprisonment of five years or a fine of Rs. 5000 has been deleted from section 16. For violations thereafter, cancellation of registration granted for such period by designated officers has been provided for, to decriminalize the section.

2.174.3. The Committee in this regard sought to clarify if the ‘opportunity of hearing’ has been provided for in case of cancellation of registration, the Ministry representatives informed that it is under 16(2). The Committee observed that it is only for the purpose of imposed penalty and not covering case of cancellation of registration. The Committee made a point that the authority while working in a quasi-judicial capacity needs to extend the fair opportunity of being heard before issuing orders of cancellation.

2.174.4. The Committee further observed that provision to cancel the registration may be suitably incorporated and reworded as “the designated officer, may for thereasons to be recorded in writing’, by order, impose penalty or cancellation referred in sub-section (1). The Ministry agreed to carry out the requisite changes.

2.174.5. The Committee also asked Ministry to make consequent alternation in sec. 16 (3) in view of changes brought about in 16(1) and 16(2).

2.175. **Suggestions by the Committee:**

2.175.1. After detailed discussions on the amendments proposed to be made in the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, specified at Serial No. 29 of the Schedule to the Bill and decided to consider the following suggestions/modifications if required during Clause-by-Clause consideration:

- 16(1) (i) Terms “Punishable” and “Offence” to be substituted by “liable” and “contravention”.
- (ii) Period for repeat contravention needs to be specified
- (iii) Provision to cancel the registrations to be rephrased and placed in the Bill at more suitable place.

16(3) The words “after thirty days of receipt of such order” to substitute “after thirty days of such order”.

New insertion as a consequential change due to changes in 16(1) & (2).

The Trade Marks Act, 1999

[Serial No. 30 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.176. **Administering Ministry:** Ministry of Commerce and Industry
[Department for Promotion of Industry and Internal Trade]

2.177. **Purpose of the Act:** An Act to amend and consolidate the law relating to trade marks, to provide for registration and better protection of trade marks for goods and services and for the prevention of the use of fraudulent marks.

2.178. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision, as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 106: Penalty for removing piece goods, etc., contrary to section 81	If any person removes or attempts to remove or causes or attempts to cause to be removed for sale from any premises referred to in section 81 or sells or exposes for sale or has in his possession for sale or for any purpose of trade or manufacture piece goods or cotton yarn or cotton thread which is not marked as required by that section, every such piece and every such bundle of yarn and all such thread and everything used for the packing thereof shall be forfeited to Government and such person shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
2.	Section 107: Penalty for falsely representing a trade mark as registered	If any person contravenes any of the provisions of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.	(2) If any person contravenes any of the provisions of sub-section (1), he shall be liable to a penalty of not less than twenty-five thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.
3.	Section 108: Penalty for improperly describing a place of business as	If any person uses on his place of business, or on any document issued by him, or otherwise, words which would reasonably lead to the belief that his place of business is, or is officially connected with, the Trade	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

	connected with the Trade Marks office	Marks Office, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both	
4.	Section 109: Penalty for falsification of entries in the register	If any person makes, or causes to be made, a false entry in the register or a writing falsely purporting to be a copy of an entry in the register or produces or tenders or causes to be produced or tendered, in evidence any such writing knowing the entry or writing to be false, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
5.	Insertion of new Section after Section 112	Nil	112A. Adjudication of penalties.- (1) The Registrar may, by an order, impose penalty on a person for any contravention or default, the manner and conditions of recovery of penalty under the provisions of this Act, shall be such as may be prescribed. (2) The Registrar shall, before imposing any penalty, give a reasonable opportunity of being heard to the person who is in default. (3) Where the person fails to comply with the order made under sub-section (1), within a period of ninety days from the date of the receipt of the order, he shall be punishable with a fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both.
6.	Section 140: Power to require information of imported goods bearing false	(3) The importer or his agent shall, within fourteen days, comply with the requirement as aforesaid, and if he fails to do so, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.	(3) The importer or his agent shall, within fourteen days, comply with the requirement as aforesaid, and if he fails to do so, he shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees:

	trade marks		Provided that penalty under this section shall be levied by such authority as authorised under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for this purpose.
7	Insertion of new clause after clause (xxxiiia) after clause (xxxiii) in Section 157(2)	Nil	(xxxiiia) the manner and conditions of recovery of penalty under sub-section (1) of section 112A;

2.179. **Submission by the Ministry:**

2.179.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed to amend Sections 107, 140, 157, omit Sections 106, 108, 109 and incorporating Section 112A in the Trade Marks Act, 1999.

2.180. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.180.1. In their sitting held on 31st January, 2023, the Committee discussed the amendments proposed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade with their representatives. The representative of the Department apprised the Committee that India ranks fifth in Trade Mark filing as the complete process has been digitized. There has been four-fold increase in the registration of Trade Mark in the last nine years.

2.180.2. The Committee held in depth discussion on the amendments proposed in the Trade Marks Act, 1999 by the Department. The Committee agreed to the omission of existing Sections 106, 108 and 109 of the Act since these are covered under the Indian Penal Code, 1860. However, the Committee was dissatisfied with the quantum of penalty proposed in Section 107 of the Act. The Committee was of the view that considering the gravity of the contravention, the maximum ceiling of the penalty proposed should be five lakh rupees.

2.180.3. As regards the adjudication provision, the Committee was of the opinion that there must be an appellate authority above the adjudicating authority. At least one stage should be there for appeal and if the person who contravenes the provisions is not satisfied with the orders of the appellate authority, he can go to the court of law. The Committee felt that such a mechanism will certainly reduce the burden on the courts. Moreover, it will benefit the person because if a person goes to the court of law, he has to go through various steps involved in judicial process, whereas the appellate authority can decide the matter on a simple application. This will save money and time of the individuals especially the small traders.

2.180.4. During the deliberations, the Committee made a general observation that the provision for having an appellate authority should be made in almost all such Acts wherever

the penalty is imposed by the competent authority. Wherever a quasi-judicial authority is imposing penalty, one more tier of appellate authority should be provided in the Act. If that is done, almost ninety five *per cent* cases will be settled in the Department itself. The Committee further reiterated their view expressed by them in the very beginning that the Ministries concerned should look into effecting the amendments proposed in the Bill with retrospective effect.

2.181. Suggestions by the Committee:

2.181.1. After detailed deliberations and clarifications on the amendments proposed to be made in the Trade Marks Act, 1999, specified at serial no. 30 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider *inter alia* the following modifications during the clause-by-clause consideration of the Bill:

- (i) Section 107: The maximum amount of the penalty proposed should be five lakh rupees.
- (ii) Section 124A: There is a need to have appellate mechanism against decision taken by Registrar.

The Geographical Indications of Goods (Registrations and Protection) Act, 1999

[Serial No. 31 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.182. **Administering Ministry:** Ministry of Commerce and Industry
[Department for Promotion of Industry and Internal Trade]

2.183. **Purpose of the Act:** An Act to provide for the registration and better protection of geographical indications relating to goods.

2.184. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision, as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Insertion of a New Section	Nil	“37A. Adjudication of penalties.- (1) The Registrar may, by an order, impose penalty, on a person for any contravention or default under the provisions of this Act, the manner and conditions of recovery of penalty, shall be such as may be prescribed. (2) The Registrar shall, before imposing any penalty, give a reasonable opportunity of being heard to the person who is in default. (3) Where the person fails to comply with the order made under sub-section (1), within a period of ninety days from the date of the receipt of the order, the person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to five lakh rupees, or with both.”
2.	Section 42(2)	(2)If any person contravenes any of the provisions of sub-section (1),	(2) If any person contravenes any of the provisions of sub-

		he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.	section (1), he shall be liable to a penalty, of not less than twenty-five thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.
3.	Section 43	If any person uses on his place of business, or on any document issued by him, or otherwise, words which would reasonably lead to the belief that his place of business is, or is officially connected with, the Trade Marks Office, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
4.	Section 44	If any person makes, or causes to be made, a false entry in the register or a writing falsely purporting to be a copy of an entry in the register or produces or tenders or causes to be produced or tendered, in evidence any such writing knowing the entry or writing to be false, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
5	Insertion of new clause after clause (o) in Section 87(2)	Nil	“(oa) the manner and conditions of recovery of penalty under sub-section (1) of section 37A;

2.185. **Submission by the Ministry:**

2.185.1. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed to amend the aforesaid Sections of the Geographical Indications of Goods (Registrations and Protection) Act, 1999.

2.186. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.186.1. During the sitting of the Committee held on 31st January, 2023, the representatives of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade gave their presentation on the proposed amendments before the Committee. The Committee discussed the proposed amendments at length with the representatives of the Department. The Committee felt that the proposed amount of penalty under Section 42 of the Act is not justified and this should be reasonably increased considering the nature of offence. The

Committee also felt that there is a need to have appellate mechanism against the decision taken by the Registrar.

2.187. Suggestions by the Committee:

2.187.1. After detailed deliberations and clarifications on the amendments proposed to be made in the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, specified at serial no. 31 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider *inter alia* the following modifications during clause-by-clause consideration:

- (i) Section 42: The amount of penalty should be increased to five lakh rupees.
- (ii) Section 37A: The provision for Appellate Mechanism against the decision of the Register should be provided.

The Information Technology Act, 2000

[Serial No. 32 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.188. **Administering Ministry:** Ministry of Electronics and Information Technology

2.189. **Purpose of the Act:** The Information Technology Act, 2000 seeks to provide legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, commonly referred to as "electronic commerce", which involve the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information, to facilitate electronic filing of documents with the Government agencies.

2.190. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provisions as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 2 Sub-section (1), clause (e)	Section 2 Sub-section (1), clause (e) "appropriate Government" means as respects any matter,— (i) enumerated in List II of the Seventh Schedule to the Constitution; (ii) relating to any State law enacted under List III of the Seventh Schedule to the Constitution, the State Government and in any other case, the Central Government;	In section 2, in sub-section (1), in clause (e), for the long line, the following shall be substituted, namely:— "the State Government, and in any other case- (I) relating to relevant provision, or a computer resource, which is controlled by the respective Ministry or Departments of the Central Government, such Ministry or Department; or (II) not covered under sub-clause (I), the Central Government;".
2	Section 33 Surrender of licence.—	(2) Where any Certifying Authority fails to surrender a licence under sub-section (1), the person in whose favour a licence is issued, shall be guilty of an offence and shall be punished with imprisonment which may extend up to six months or a fine which may extend up to ten thousand rupees or with both.	(2) Where any Certifying Authority fails to surrender a licence under sub-section (1), the person in whose favour a licence is issued, shall be guilty of an offence and shall be liable to pay penalty which may extend to five lakh rupees.
3	Section 44	Penalty for failure to furnish information, return, etc.—	Penalty for failure to furnish information, return, etc.—

		If any person who is required under this Act or any rules or regulations made thereunder to— (a) furnish any document, return or report to the Controller or the Certifying Authority fails to furnish the same, he shall be liable to a penalty not exceeding one lakh and fifty thousand rupees for each such failure; (b) file any return or furnish any information, books or other documents within the time specified therefor in the regulations fails to file return or furnish the same within the time specified therefor in the regulations, he shall be liable to a penalty not exceeding five thousand rupees for every day during which such failure continues; (c) maintain books of account or records, fails to maintain the same, he shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees for every day during which the failure continues.	If any person who is required under this Act or any rules or regulations made thereunder to— (a) furnish any document, return or report to the Controller or the Certifying Authority fails to furnish the same, he shall be liable to a penalty not exceeding fifteen lakh rupees for each such failure; (b) file any return or furnish any information, books or other documents within the time specified therefor in the regulations fails to file return or furnish the same within the time specified therefor in the regulations, he shall be liable to a penalty not exceeding fifty thousand rupees for every day during which such failure continues; (c) maintain books of account or records, fails to maintain the same, he shall be liable to a penalty not exceeding one lakh rupees for every day during which the failure continues.
4	Section 45 Residual penalty.—	Whoever contravenes any rules or regulations made under this Act, for the contravention of which no penalty has been separately provided, shall be liable to pay a compensation not exceeding twenty-five thousand rupees to the person affected by such contravention or a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees.	Whoever contravenes any rules or regulations made under this Act, for the contravention of which no penalty has been separately provided, shall be liable to pay a penalty not exceeding one lakh rupees, in addition to compensation to the person affected by such contravention not exceeding. (a) ten lakh rupees, by an intermediary, company or body corporate, or (b) one lakh rupees, by any other person.
5	Section 46 Power to adjudicate.—	(1) For the purpose of adjudging under this Chapter whether any person has committed a	(1) For the purpose of adjudging under this Act whether any person has committed a

		contravention of any of the provisions of this Act or of any rule, regulation, direction or order made thereunder which renders him liable to pay penalty or compensation, the Central Government shall, subject to the provisions of sub-section (3), appoint any officer not below the rank of a Director to the Government of India or an equivalent officer of a State Government to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the manner prescribed by the Central Government.	contravention of any of the provisions of this Act or of any rule, regulation, direction or order made thereunder which renders him liable to pay penalty or compensation, the Central Government shall, subject to the provisions of sub-section (3), appoint any officer not below the rank of a Director to the Government of India or an equivalent officer of a State Government to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the manner prescribed by the Central Government.
6	Section 66A	Section 66A: Punishment for sending offensive messages through communication service, etc.— Any person who sends, by means of a computer resource or a communication device,—any information that is grossly offensive or has menacing character; or any information which he knows to be false, but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred or ill will, persistently by making use of such computer resource or a communication device; any electronic mail or electronic mail message for the purpose of causing annoyance or inconvenience or to deceive or to mislead the addressee or recipient about the origin of such messages, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine. Explanation.—For the purposes of	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

		this section, terms “electronic mail” and “electronic mail message” means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message.	
7	Section 67C	(2) any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to three years and also be liable to fine.	(2) any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable to pay penalty which may extend to twenty five lakh rupees.
8	Section 68	(2) Any person who intentionally or knowingly fails to comply with any order under sub-section (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine not exceeding one lakh rupees or with both.	(2) Any person who intentionally or knowingly fails to comply with any order under sub-section (1) shall be guilty of an offence and shall be liable to pay penalty which may extend to twenty-five lakh rupees.
9	Section 69B	(4) Any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.	(4) Any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with an imprisonment for a term which any extend to one year or shall be liable to fine which may extend to one crore rupees, or, with both.
10	Section 70B	(7) Any service provider, intermediaries, data centres, body corporate or person who fails to provide the information called for or comply with the direction under sub-section (6), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.	(7) Any service provider, intermediaries, data centres, body corporate or person who fails to provide the information called for or comply with the direction under sub-section (6), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one crore rupees or with both.
11	Section 72	Penalty for Breach of confidentiality and privacy.—	Penalty for Breach of confidentiality and privacy.—

		Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, if any person who, in pursuance of any of the powers conferred under this Act, rules or regulations made thereunder, has secured access to any electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material without the consent of the person concerned discloses such electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material to any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.	Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, if any person who, in pursuance of any of the powers conferred under this Act, rules or regulations made thereunder, has secured access to any electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material without the consent of the person concerned discloses such electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material to any other person shall be liable to penalty which may extend to five lakh rupees.
12	Section 72A	Punishment for disclosure of information in breach of lawful contract.— Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, any person including an intermediary who, while providing services under the terms of lawful contract, has secured access to any material containing personal information about another person, with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or wrongful gain discloses, without the consent of the person concerned, or in breach of a lawful contract, such material to any other person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both.	Punishment for disclosure of information in breach of lawful contract.— Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, any person including an intermediary who, while providing services under the terms of lawful contract, has secured access to any material containing personal information about another person, with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or wrongful gain discloses, without the consent of the person concerned, or in breach of a lawful contract, such material to any other person, shall be liable to pay penalty which may extend to twenty five lakh rupees.

2.191. Submissions by the Ministry:

2.191.1. Regarding the objectives kept in view during the review of the Information Technology Act, 2000, the Ministry of Electronics and Information Technology have in their

background note submitted that the provisions relating to punishment of contravention under the said Act have been reviewed keeping the following objectives in view:

- (a) Decriminalising imprisonment clauses wherever possible, or reducing the quantum of punishment or/and making the offence compoundable for Ease of Doing Business;
- (b) Maintaining uniformity in penalties for similar offences; and
- (c) Instead of fines, providing for penalties, to enable decisions at the level of administrative officers appointed as adjudicating officers, without burdening the courts.

2.191.2. The Ministry have further submitted that the review undertaken has been guided by the following principles:

- (a) Retention of the violation as a punishable criminal offence for more serious violations;
- (b) Bringing in alignment the quantum of punishment for offences of a similar nature;
- (c) In respect of contraventions by companies and other bodies corporate,—
 - (i) eliminating imprisonment; and/or
 - (ii) replacing the provision for fine imposed by court as punishment for a criminal offence by provision for financial penalty of a higher quantum imposed by administrative officers appointed as adjudicating officers; and
 - (iii) rationalising penalty/liability for non-criminal contraventions; and

2.191.3. Clarifying further on the subject, the Ministry inter alia submitted that amendments to Section 69 (B) [Not assisting in monitoring and collecting traffic data], Section 70 (B) [Not complying with directions of CERT-In, Section 44 (a) [Not furnishing document etc. to Controller of Certifying Authorities (CCA) for electronic signatures, Section 44(b) [Not filing return/ information with CCA] Section 44(c) [Non-maintenance of accounts/records by certifying authority] and Section 68 [Not complying with directions of CCA] have been proposed with a view to maintain uniformity in penalties for similar offences.

2.191.4. Amendments to Section 33 [Non-surrender or suspended or revoked licence by certifying authority], Section 67C [Non-preservation/retention of prescribed information by intermediary], Section 72 [Accessing of electronic records etc. by person in pursuance of powers conferred by the IT Act, without obtaining the consent of the person concerned], Section 72A [Disclosing information in breach of a lawful contract, or without consent of a person to cause wrongful loss or gain] and Section 45 [Penalty in cases where no penalty is specified in a section of the IT Act], have been proposed with a view to (i) eliminating imprisonment for contraventions by companies and other bodies corporate, (ii) replacing the provision for fine imposed by court as punishment for a criminal offence by provision for financial penalty of a higher quantum imposed by administrative officers appointed as adjudicating officers, and (iii) rationalising penalty/liability for non-criminal contraventions:

2.191.5. A consequential amendment is also proposed to section 46 to empower the adjudicating officer to adjudicate any contravention under the Act and impose financial penalty.

2.191.6. Amendment to omit section 66A has been proposed as the same has been struck down by the Supreme Court in the matter of Shreya Singhal vs. Union of India.

2.191.7. Amendment has been proposed to the definition of 'appropriate Government' in section 2(1)(e), with a view to enable various administrative Ministries/Departments to exercise powers under the IT Act in respect of matters allotted to them under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, as against the current position where only the Ministry of Electronics and Information Technology is enabled to exercise powers.

2.192. Discussion in the sitting of the Committee:

2.192.1. During the sitting held on January 16, 2023, the Committee sought clarification on the use of terminology 'directions and orders' in Section 46 of the Act in relation to grant of compensation under the Act. In response the Ministry submitted that power to issue directions or order have been given under Section 69, 69(a), 69(d), 70 (a), 70 (b) etc. It was further submitted that issuing authority while issuing directions also conveys the consequence of noncompliance of such direction. The contravention of the directions would lead to compensation.

2.193. Suggestions of the Committee:

2.193.1. After detailed discussions and clarifications being sought by the Committee on the amendments proposed to be made in the Information Technology Act, 2000, specified at serial no. 32 in the Schedule to the Bill, the Committee suggested the following modifications to the proposed amendments:

Section 2(1)(e):	Language of the amendment may be drafted so that the meaning is clearer.
Section 45:	The scope of penalty may be made consistent with that under sub-section (1A) of section 46.
Section 46:	The basis for compensation under sub-section (1A) of section 46 may be made consistent with that under sections 43 and 43A.
Section 72:	Provision for punishment as an offence may be retained. Alignment may be ensured with the provisions in the Digital Personal Data Protection Bill.
Section 72 A	In case criminal punishment is not proposed, the short title for the section may refer to "Penalty" rather than "Punishment". The provision for punishment as an offence may be retained. Alignment may be ensured with the provisions in the Digital Personal Data Protection Bill.

The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002

[Serial No. 33 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.194. **Administering Ministry:** Ministry of Housing and Urban Affairs

2.195. **Purpose of the Act:** An Act to provide for the operation and maintenance and to regulate the working of the metro railway in the National Capital Region, metropolitan city and metropolitan area and formatters connected therewith and incidental thereto.

2.196. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provisions as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 6(2)(h)		In section 6, in sub-section (2), in clause (h), the word “and” occurring at the end shall be omitted;
	Section 6(2)	Nil	After existing sub-section 6(2)(i), sub-section (j) shall be inserted as under: “levy and collect penalties as provided in this Act.” (the above clause is being inserted as one of the powers of the Metro Railway Administration under Section 6)
2	Section 59(2)	If any metro railway official is in a state of intoxication while on duty, he shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees or, where the improper performance of the duty would be likely to endanger the safety of any passenger travelling or being upon the metro railway, with imprisonment	In section 59 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:— “If any metro railway official or authorized person is in a state of intoxication while on duty, he shall be punishable with penalty which may extend to ten thousand rupees”

		for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.	
3	Section 63	If any passenger travels on the roof of a train or persists in travelling in any part of a train not intended for the use of passengers or projects any part of his body out of a train after being warned by any metro railway official to desist, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month , or with fine which may extend to fifty rupees, or with both, and shall also be liable to be removed from the train by any metro railway official authorised by the metro railway administration in this behalf.	If any passenger travels on the roof of a metro rail or persists in travelling in any part of a metro rail not intended for the use of passengers or projects any part of his body out of a metro rail after being warned by any metro rail official to desist, he shall be punishable with penalty which may extend to five thousand rupees, and shall also be liable to be removed from the metro rail by any metro rail official authorized by the metro rail Administration in this behalf.
4	Section 65	If any metro railway official, when on duty endangers the safety of any passenger,— (a) by any rash or negligent actor omission; or (b) by disobeying any rule, regulation or order which such official was bound by the terms of his employment to obey, and of which he had notice, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years , or with fine which may extend to six thousand rupees, or with both.	If any metro rail official or authorized person, when on duty endangers the safety of any passenger,— (a) by any rash or negligent act or omission; or (b) by disobeying any rule or order which such official was bound by the terms of his employment to obey, and of which he had notice, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year , or with fine which may extend to thirty thousand rupees , or with both.

5	Section 69 (4)	If any passenger liable to pay the excess charge and fare mentioned in sub-section(1), or the excess charge and any difference of fare mentioned in sub-section (2), fails or refuses to pay the same on a demand being made therefor, any metro railway official authorised by the metro railway administration in this behalf may apply to any Metropolitan Magistrate for the recovery of the sum payable as if it were a fine, and the Magistrate if satisfied that the sum is payable shall order it to be so recovered, and may order that the person liable for the payment shall in default of payment suffer imprisonment for a term which may extend to one month.	"If any passenger liable to pay the excess charge and fare mentioned in sub-section(1), or the excess charge and any difference of fare mentioned in sub-section (2), fails or refuses to pay the same on a demand being made therefor, any metro rail official authorized by the metro rail administration in this behalf may apply to any Metropolitan Magistrate or, as the case may be, Judicial magistrate of the first class, for the recovery of the sum payable as if it were a fine."
6	Section 70	If any passenger or any other person without reasonable and sufficient cause, makes use of, or interferes with, any means provided by the metro railway administration in a train for communication between passengers and metro railway official in charge of the train, or misuses alarm bell of the train, he shall be punishable with imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.	70. Needlessly interfering with means of communication in a train.- If any passenger or any other person without reasonable and sufficient cause makes use of, or interferes with, any means provided by the metro rail administration in a metro rail for communication between passengers and metro rail official in charge of the metro rail or misuses alarm bell or emergency stop push or emergency trip system or emergency call point of the metro rail, he shall be punishable with Penalty which may extend to ten thousand rupees.

7	Section 80	If any person requiring compensation from the metro railway administration under Chapter X makes a claim which is false or which he knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years , or with fine, or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
8	Section 82 (1)	If a person commits any offence mentioned in sections 59, 61, 65 to 79, he may be arrested without warrant or other written authority by any metro railway official or by a police officer not below the rank of a head constable or by any other person whom such metro railway official or police officer may call to his aid: Provided that where a person has been arrested, by any person other than the police officer, he shall be made over to a police officer, or, in the absence of a police officer, take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station.	If a person commits any offence mentioned in sections 61, 65 to 68, 71 to 79 , he may be arrested without warrant or other written authority by any metro railway official or by a police officer not below the rank of a head constable or by any other person whom such metro railway official or police officer may call to his aid: Provided that where a person has been arrested, by any person other than the police officer, he shall be made over to a police officer, or, in the absence of a police officer, take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station.

2.197. **Submissions by the Ministry:**

2.197.1. In their background note submitted to the Committee, the Ministry of Housing and Urban Affairs have submitted as under:

“Sections relating to travel without proper ticket or pass, making a false claim for compensation, travel on the roof of a train, etc. have imprisonment provisions. The imprisonment term under these provisions range from 1 month to 5 years, depending upon the nature of offence. Imprisonment and fine provisions under Sections 59(2), 63, 69(4) and 70 are proposed to be converted to penalty and Imprisonment and fine under Section 80 is proposed to be omitted. Imprisonment tenure in Section 65 is

proposed to be reduced. Further, power to levy and collect penalties has been given to Metro Rail Administration.”

2.198. Discussion in the sitting of the Committee:

2.198.1. During the sitting held on January 17, 2023, the Ministry submitted that with respect to Section 59 (2) of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 dealing with intoxication by metro railway official while on duty, the Ministry proposes to discontinue with punishment of imprisonment while increasing the penalty amount to Rs. 10,000/- from Rs. 250/-.

2.198.2. On concerns raised by the Committee that the proposed punishment prescribed in the provision does not commensurate with the gravity of the offence, the representatives of the Ministry of Housing and Urban Affairs informed the Committee that since the inception, no case has been registered till date under this Section. It was also informed that administrative action resulting in dismissal from service can also be initiated. The representatives also informed that in case act by the official endangers the safety of the passengers, Section 77 of the Act relating to Rash and Negligent shall also become applicable and the official concerned can be punished with imprisonment for one year. The Committee however, after detailed discussion on the matter felt that imprisonment provision should not be done away with and the same may be retained.

2.199. Suggestions by the Committee:

2.199.1. After detailed discussions and clarifications sought by the Committee on the amendments proposed to be made in the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002, specified at serial number 33 of the Schedule to the Bill, the Committee suggested the following modifications to the proposed amendments:-

Section 59 (2):	In first part “fine of two hundred and fifty rupees” to be changed to “penalty of ten thousand rupees”. In the second part imprisonment for two years and “fine” to be retained but the amount five hundred rupees of fine to be changed to ten thousand rupees.
Section 63:	The term “after being warned by any metro rail official to desist” to be deleted
Section 65:	Proposed imprisonment to be increased to two years from one year.
Section 82(1):	Consequential changes be carried out appropriately

The Prevention of Money-laundering Act, 2002

[Serial No. 34 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.200. **Administering Ministry:** Ministry of Finance
[Department of Revenue]

2.201. **Purpose of the Act:** An Act to prevent money-laundering and to provide for confiscation of property derived from, or involved in money-laundering and for matters connected therewith or incidental thereto.

2.202. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Paragraphs	Existing Provision		Provision, as amended by the Bill introduced in Lok Sabha												
1.	PARAGRAPH 21 OFFENCES UNDER THE TRADEMARKS ACT, 1999	Section	Description of offence	For Paragraph 21, the following Paragraph shall be substituted, namely:- “PARAGRAPH 21 OFFENCES UNDER THE TRADEMARKS ACT, 1999 (47 OF 1999) <table><tr><th>Section</th><th>Description</th></tr><tr><td>“103</td><td>Penalty for applying false trademarks, trade descriptions, etc.</td></tr><tr><td>104</td><td>Penalty for selling goods or providing services to which false trademark or false trade description is applied</td></tr><tr><td>105</td><td>Enhanced penalty on second or subsequent conviction.</td></tr><tr><td>107</td><td>Penalty for falsely representing a trademark as registered.</td></tr><tr><td>120</td><td>Punishment of abetment in India of acts done out of India.</td></tr></table>	Section	Description	“103	Penalty for applying false trademarks, trade descriptions, etc.	104	Penalty for selling goods or providing services to which false trademark or false trade description is applied	105	Enhanced penalty on second or subsequent conviction.	107	Penalty for falsely representing a trademark as registered.	120	Punishment of abetment in India of acts done out of India.
		Section	Description													
		“103	Penalty for applying false trademarks, trade descriptions, etc.													
		104	Penalty for selling goods or providing services to which false trademark or false trade description is applied													
		105	Enhanced penalty on second or subsequent conviction.													
		107	Penalty for falsely representing a trademark as registered.													
		120	Punishment of abetment in India of acts done out of India.													
103	Penalty for applying false trademarks, trade descriptions, etc.															
104	Penalty for selling goods or providing services to which false trademark or false trade description is applied															
105	Enhanced penalty on second or subsequent conviction.															
107	Penalty for falsely representing a trademark as registered.															
120	Punishment of abetment in India of acts done out of India.															

2	“PARAGRAPH 22 OFFENCES UNDER THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000	<table><tr><th>Section</th><th>Description</th></tr><tr><td>72</td><td>Penalty for breach of confidentiality and privacy.</td></tr><tr><td>“75</td><td>Act to apply for offence or contravention committed outside India.”;</td></tr></table>	Section	Description	72	Penalty for breach of confidentiality and privacy.	“75	Act to apply for offence or contravention committed outside India.”;	for Paragraph 22, the following Paragraph shall be substituted, namely:- “PARAGRAPH 22 OFFENCES UNDER THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 (21 OF 2000) <table><tr><th>Section</th><th>Description</th></tr><tr><td>“75</td><td>Act to apply for offence or contravention committed outside India.”;</td></tr></table>	Section	Description	“75	Act to apply for offence or contravention committed outside India.”;
Section	Description												
72	Penalty for breach of confidentiality and privacy.												
“75	Act to apply for offence or contravention committed outside India.”;												
Section	Description												
“75	Act to apply for offence or contravention committed outside India.”;												
3.	PARAGRAPH 25 OFFENCES UNDER THE ENVIRONMENT PROTECTION ACT, 1986	<table><tr><th>Section</th><th>Description</th></tr><tr><td>15 read with section 7</td><td>Penalty for discharging environmental pollutants, etc., in excess of prescribed standards</td></tr><tr><td>15 read with section 8</td><td>Penalty for handling hazardous substances without complying with procedural safeguards.</td></tr></table>	Section	Description	15 read with section 7	Penalty for discharging environmental pollutants, etc., in excess of prescribed standards	15 read with section 8	Penalty for handling hazardous substances without complying with procedural safeguards.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.				
Section	Description												
15 read with section 7	Penalty for discharging environmental pollutants, etc., in excess of prescribed standards												
15 read with section 8	Penalty for handling hazardous substances without complying with procedural safeguards.												
4.	PARAGRAPH 27 OFFENCES UNDER THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981	<table><tr><th>Section</th><th>Description</th></tr><tr><td>37</td><td>Failure to comply with the provisions for operating industrial plant.</td></tr></table>	Section	Description	37	Failure to comply with the provisions for operating industrial plant.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.						
Section	Description												
37	Failure to comply with the provisions for operating industrial plant.												

2.203. **Submission by the Ministry:**

2.203.1. As per their background note, the Department of Revenue proposed to decriminalize offences under Section 107 of the Trade Marks Act, 1999; Section 72 of the Information Technology Act, 2000; Section 15 of the Environment Protection Act, 1986; and Section 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as under:

- (i) substitution of paragraph 21 by deleting Section 107 (Penalty for falsely representing a trademark as registered) of Trade Mark Act, 1999;
- (ii) substitution of paragraph 22 by deleting Section 72 (Penalty for breach of confidentiality and privacy) of Information Technology Act, 2000;
- (iii) omission of paragraph 25 offences which deals with the offences under Section 15 read with Section 7 and 8 of the Environment Protection Act, 1986; and
- (iv) omission of paragraph 27 offences which deals with the offences under Section 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

2.203.2. The Department briefed in their background note that the aforesaid offences have been incorporated in the schedule to the Prevention of Money-laundering Act, 2002 keeping in view their grave nature and risk of money laundering associated therewith. Since incorporation of these provisions in the Schedule to the Prevention of Money-laundering Act, 2002, the Directorate of Enforcement have initiated a number of money laundering cases wherein substantial amount of proceeds of crime have been identified.

2.203.3. Deletion of Section 107 of the Trade Mark Act, 1999 from the Schedule to the Act may augment the malpractices in trade and may provide a potential area to money-launderers for generation of the proceeds of crime by indulging in money laundering activities such as trading in counterfeit goods. Such kind of trading may be associated with criminal syndicates and organized crime groups. Removing this provision may increase money laundering activities in such trade related activities.

2.203.4. Offence under Section 72 of the Information Technology Act, 2000 is a scheduled offence in paragraph 22 of the Act. This Section prescribed the penalty for breach of confidentiality and privacy. In the era where the digital records constitute the backbone of any administrative set up being corporate or government, it is likelihood wherein someone may misuse the data of any person by accessing the same without the consent of the person concerned and may disclose it to the third person, thus on the face of it by doing such act the person may likely to generate proceeds out of such act. So deletion of section 72 of the Information Technology Act, 2000 being the scheduled offence is opposed since the same has the potential of generation of proceeds of crime and in no way the deletion of the said section would commensurate the objective of the proposed Bill.

2.203.5. In respect of Environment related cases wherein omission of paragraph 25 offences which deals with the offences under Section 15 read with Section 7 and 8 of the Environment Protection Act, 1986 and omission of paragraph 27 offences which deals with the offences under Section 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 is proposed in the Bill, it is mentioned that the offences related to environment have larger impact on the society and on the health of humans and other living beings. Hon'ble Supreme Court has time and again pointed out the importance of healthy environment and sustainable development. The National Green Tribunal has also emphasis upon money laundering aspects of environment related crimes. Thus, the decriminalization as well as the consequential removal of these offences from paragraphs 25 and 27 of the Schedule to the Prevention of Money-laundering Act, 2002 may aggravate the environmental hazard and also let the offender enjoy the proceeds of crime generated out of activities causing harm to the environment.

2.203.6. The Department of Revenue in their background note accordingly mentioned that in view of the aforesaid, the Directorate of Enforcement opposes the decriminalization of the aforesaid offences and consequently the amendments so proposed in the Schedule to the Act by way of making deletion/omission/substitution of above said provisions of the proposed Bill. However, in their subsequent comments, the Department of Revenue has stated that since these offences are de-criminalized, it is these may be deleted from the Schedule to the Prevention of Money-laundering Act, 2002 as well.

2.204. Discussion in the sitting of the Committee:

2.204.1. The Committee held detailed deliberations on the above proposals of the Department of Revenue with the representatives of the Department.

Section 107 of the Trade Marks Act, 1999 is reproduced hereunder:

Section 107. Penalty for falsely representing a trade mark as registered.

(1) No person shall make any representation--

(a) with respect to a mark, not being a registered trade mark, to the effect that it is a registered trade mark; or

(b) with respect to a part of a registered trade mark, not being a part separately registered as a trade mark, to the effect that it is separately registered as a trade mark; or

(c) to the effect that a registered trade mark is registered in respect of any goods or services in respect of which it is not in fact registered; or

(d) to the effect that registration of a trade mark gives an exclusive right to the use thereof in any circumstances in which, having regard to limitation entered on the register, the registration does not in fact give that right.

(2) If any person contravenes any of the provisions of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(3) For the purposes of this section, the use in India in relation to a trade mark of the word "registered", or of any other expression, symbol or sign referring whether expressly or impliedly to registration, shall be deemed to import a reference to registration in the register, except--

(a) where that word or other expression, symbol or sign is used in direct association with other words delineated in characters at least as large as those in which that word or other expression, symbol or sign is delineated and indicating that the reference is to registration as a trade mark under the law of a country outside India being a country under the law of which the registration referred to is in fact in force; or

(b) where that other expression, symbol or sign is of itself such as to indicate that the reference is to such registration as is mentioned in clause (a); or

(c) where that word is used in relation to a mark registered as a trade mark under the law of a country outside India and in relation solely to goods to be exported to that country or in relation to services for use in that country.

Section 72 of the Information Technology Act, 2000 stipulates the following:

72. Penalty for Breach of confidentiality and privacy.—Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, if any person who, in pursuance of any of the powers conferred under this Act, rules or regulations made thereunder, has secured access to any electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material without the consent of the person concerned discloses such electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material to any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

Sections 7, 8 and 15 of the Environment Protection Act, 1986 are as under:

7. Persons carrying on industry operation, etc., not to allow emission or discharge of environmental pollutants in excess of the standards.— No person carrying on any industry, operation or process shall discharge or emit or permit to be discharged or emitted any environmental pollutants in excess of such standards as may be prescribed .

8. Persons handling hazardous substances to comply with procedural safeguards.— No person shall handle or cause to be handled any hazardous substance except in accordance with such procedure and after complying with such safeguards as may be prescribed.

15. Penalty for contravention of the provisions of the Act and the Rules, Orders and Directions.— (1) Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, shall, in respect of each such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years with fine which may extend to one lakh rupees, or with both, and in case the failure or contravention continues, with additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention. (2) If the failure or contravention referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years.

2.204.2. And, Section 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 is as under:

37. Failure to comply with the provisions of section 21 or section 22 or with the directions issued under section 31A.— (1) whoever fails to comply with the provisions of section 21 or section 22 or directions issued under section 31A, shall, in respect of each such failure, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years and with fine, and in case the failure continues, with an additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure continues after the conviction for the first such failure.

(2) If the failure referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine.

2.204.3. During the presentation by the Department of Revenue and the deliberations held with them, the Committee *inter alia* raised their concerns about decriminalization of Section 72 of the Information Technology Act, 2000 which provides penalty for breach of confidentiality and privacy. The Committee felt that the provisions which are being proposed to be amended in the Schedule to the Prevention of Money-laundering Act, 2002 essentially pertain to their original Acts being administered by the concerned Departments other than the Department of Revenue. The Department of Revenue is proposing only the consequential amendments in the Prevention of Money-laundering Act, 2002. The Committee were of the opinion that these matters would be examined once the discussions are held with the concerned Ministries/Departments administering the respective Acts during the Second Reading and finalize the same.

2.205. **Suggestions by the Committee:**

2.205.1. After detailed discussions, the Committee directed the Department of Revenue to re-examine the proposed amendments in the light of decriminalizing the main Acts and see especially in respect the Information Technology Act, 2000 if there are any other provisions under the Act imposing punishment.

The Food Safety and Standards Act, 2006

[Serial No. 35 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.206. **Administering Ministry:** Ministry of Health and Family Welfare
[Department of Health and Family Welfare]

2.207. **Purpose of the Act:** The Food Safety and Standards Act, 2006 is an Act to consolidate the laws relating to food and to establish the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith or incidental thereto.

2.208. **Amendments proposed to Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 59 (i)	Punishment for unsafe food.- Any person who, whether by himself or by any other person on his behalf, manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is unsafe, shall be punishable where such failure or contravention does not result in injury, with imprisonment for a term which may extend to six months and also with fine which may extend to one lakh rupees	Punishment for unsafe food.- Any person who, whether by himself or by any other person on his behalf, manufacturers for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is unsafe, shall be punishable- where such failure or contravention does not result in injury, with fine which may extend to three lakh rupees;
2	Section 61	Punishment for false information.- If a person, in connection with a requirement or direction under this Act, provides any information or produces any document that the person knows is false or misleading, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to two lakh rupees	Punishment for false information.- If a person, in connection with a requirement or direction under this Act, provides any information or produces any document that the person knows is false or misleading, he shall be punishable with fine which may extend to ten lakh rupees.

3	Section 63	Punishment for carrying out a business without license.- If any person or food business operator (except the persons exempted from licensing under sub-section (2) of section 31 of this Act), himself or by any person on his behalf who is required to obtain licence, manufacturers, sells, stores or distributes or imports any article of food without licence, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months and also with a fine which may extend to five lakh rupees.	Punishment for carrying out a business without license.- If any person or food business operator (except the persons exempted from licensing under sub-section (2) of section 31 of this Act), himself or by any person on his behalf who is required to obtain licence, manufacturers, sells, stores or distributes or imports any article of food without licence, shall be punishable with a fine which may extend to five lakh rupees.

2.209. Submissions by the Ministry:

2.209.1. The Ministry of Health and Family Welfare in their background note provided the following information on the proposed amendments:

“Section 59(i) of the said Act deals with the punishment for unsafe food, which does not result in injury. Provision of “imprisonment” in section 59(i), as it appears far in excess of the gravity of offence, has been proposed to be omitted. It is, however, proposed to increase the fine under 59(i), from one lakh to three lakhs, to act as deterrent.

Section 61 deals with the punishment for false information. The said provision punishes a person for false or misleading information/ documents. Amendment to omit the imprisonment and enhance the fine has been proposed.

Section 63 deals with the punishment for carrying out a business without license. Provision punishes a person for carrying on business without a license. Accordingly, amendment to omit the imprisonment has been proposed.”

2.210. Discussion in the sitting of the Committee:

2.210.1. The Secretary, Department of Health and Family Welfare during the briefing on the bill, apprised the Committee that in section 59(1), section 61 and section 63, the Ministry is proposing to remove imprisonment and increase fine from rupees one lakh to three lakhs to completely decriminalise these provisions.

2.210.2. The Secretary, Department. of Health and Family Welfare further informed the Committee that as Food Safety and Standards Act contains provisions for settling penalty disputes by administrative authority under section 50 to 58 and therefore, these could be considered for complete decriminalisation.

2.210.3. The Committee observed that all the sections from 50 to 58 use the word Penalty instead of fine and in line suggested that likewise 'Penalty' should be used in section 50, 61 and 63 as well.

2.210.4. In this regard, Secretary, Department of Health and Family Welfare informed that to fix substantive liability there should be clear definition of 'Unsafe Food' though 'Food' has been defined under section 3 of the Food Safety and Standards Act 2006. The definition talks about 'hazardous food' but not 'unsafe food' which covers several types of unsafe food. Keeping this in view only petty offences under section 56, 61 and 63 have been decriminalised.

2.210.5. The Committee, however, opined that complete decriminalisation of Section 59(1) may affect overall structure of the section, therefore, reduced imprisonment of 3 months period may be retained and fine may be extended to three lakh rupees.

2.210.6. The Committee also agreed to the removal of punishment under section 61 and 63 and to extended fine amount of Rs. ten lakh, and observed that word 'fine' and 'punishment' may be replaced with 'Penalty'.

2.210.7. During the course of discussion, the Committee observed that we should not forget the purpose of the Bill which is to unburden courts from unnecessary litigation. Therefore, for provisions which provides only for fine, our efforts should be to decriminalize them.

2.210.8. The Committee suggested that opening sentence of section 63 should be changed to 'penalty for carrying' instead of 'punishment for carrying' and in place of the words 'shall be punishable be substituted with "shall be liable to a penalty'. The Committee further suggested that section 61 and 63 may be placed after Section 58 and 'penalty' may be provided for in this section. The Committee asked the Ministry to review for renumbering these sections in accordance with uniformity of the Punishment/Penalty being provided for in these sections to maintain the harmonious flow of the provisions.

2.211. **Suggestions by the Committee:**

2.211.1. After detailed discussions, the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Food Safety and Standards Act, 2006, specified at Serial No. 35 of the Schedule to the Bill, and decided to consider the following suggestions/modifications if required during Clause-by-Clause consideration:

- Section 59(i): Imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to three lakh rupees.
- Section 61: Original Section to be deleted.
- Section 63: Original Section to be deleted.

The Government Securities Act, 2006

[Serial No. 36 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.212. **Administering Ministry:** **Ministry of Finance**
[Department of Economic Affairs]

2.213. **Purpose of the Act:** It is an Act to consolidate and amend the law relating to Government securities and its management by the Reserve Bank of India and for matters connected therewith or incidental thereto. "Government security" means a security created and issued by the Government for the purpose of raising a public loan or for any other purpose as may be notified by the Government.

2.213.1. The Act provides for terms and conditions including the forms of Government securities to be issued, such as (i) a Government promissory note payable to or to the order of a certain persons; or (ii) a bearer bond payable to bearer; or (iii) a stock; or (iv) a bond held in a bond ledger account.

2.214. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Section	Existing Provision	Provision, as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 30(1)	Contravention and penalties. – (1) If any person, for the purpose of obtaining for himself or for any other person any title to a Government security, makes to any authority in any application made under this Act or in the course of any inquiry undertaken in pursuance of this Act any statement which is false and which he either knows to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.	Contravention and penalties. – (1) If any person, for the purpose of obtaining for himself or for any other person any title to a Government security, makes to any authority in any application made under this Act or in the course of any inquiry undertaken in pursuance of this Act any statement which is false and which he either knows to be false or does not believe to be true, he shall be punishable <u>with fine</u> .

2.215. **Submission by the Ministry:**

2.215.1. The Department of Economic Affairs has proposed to amend sub-section (1) of Section 30 of the Government Securities Act, 2006. The Department, in their background note, has given the following rationale for amendment and decriminalisation of Section 30(1) of the Act:

- (i) It will make the Act less regressive in the present time by eliminating imprisonment clause and retaining only fine related clause.
- (ii) The matter was referred to the Reserve Bank of India, the regulator concerned, and it has been confirmed by them that “there has neither been any instance of invocation of imprisonment clause under Section 30(1) of the Government Securities Act, 2006 nor any fine has been imposed under the said Section of the Act.”
- (iii) As there had been no occasion for RBI to impose fine on any individual or entity dealing with the Government Securities Act, 2006 and the fact that institutions like banks, insurance companies, mutual funds, etc. mostly deal in large amount of Government securities, it was felt that imprisonment related clause may be removed and fine related provision only be continued as any contravening individual/institution will be liable for punishment with fine imposed by the Court on a complaint made by the RBI.

2.216. Discussion in the sitting of the Committee:

2.216.1. During their sitting held on 6th February, 2023, the Committee pondered the amendment proposed by the Department and examined Section 30 in entirety deliberating on all the sub-section and related sections of the Act. The Committee enquired whether there is any such provision of the Act which relates to contravention of any regulation or notification or direction. The Committee observed that sub-section (3) of Section 30 covers all types of contraventions. The Committee further observed as under:

“Instead of fine, the word ‘penalty’ will be there. It is because in the opening portion of sub-section 30, it is said “Contravention and penalties”. The thing is that penalty is to be decided by the RBI and fine is to be decided by the Court. We do not want that matter should go before the Court. We want that it should be before the RBI to decide the penalty. Our intent and object is very clear. Only for this purpose, if we are compelling the aggrieved person to go before the Court for fine by filing a complaint under sub-section (2), no purpose will be served.”

2.216.2. The representative from the Department submitted that this provision was kept because if somebody gives a wrong document or statement to obtain the title of the security, then the ownership cannot be decided by the Regulator. In such a case, there may be a police case and court adjudication. After having detailed discussion, the Committee opined that at the preliminary stage, it can even be decided by the RBI and if any person is aggrieved of that they can file the appropriate petition before the appropriate court of law. The Committee also considered that there are many other enactments where *mens rea* is there and the administrative authority is deciding the issue.

2.217. Suggestions by the Committee:

2.217.1. After deliberations and clarifications on the amendments proposed to be made in the Government Securities Act, specified at serial no. 36 of the Schedule to the Bill, the

Committee decided to consider *inter alia* the following modifications during clause-by-clause consideration:

- (i) Section 30(1): The fine related provision should be replaced with penalty provision to be imposed by the Reserve Bank of India and the quantum of penalty should be prescribed.
- (ii) Section 30(2): To be omitted.
- (iii) Section 30(3): This should be renumbered as sub-section (2).
- (iv) The Committee was of the view that the Ministry of Law and Justice may reformulate the above provisions in consultation with the Department of Financial Services.

The Cantonments Act, 2006

[Serial No. 37 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.218. **Administering Ministry:** Ministry of Defence
[Department of Defence]

2.219. **Purpose of the Act:** The administration in Cantonments is carried out as per the provisions of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), which replaced the repealed Cantonments Act, 1924. Many of the provisions of the earlier Act were retained in the new Act, and with the passage of time it was found necessary to amend certain provisions to keep pace with the changing times and keeping it aligned with best practices of modern municipal governance.

2.220. **Amendments proposed to Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 156	Subject to the provisions of any Act made in this regard and the rules and regulations made thereunder, whoever, being in charge of a blood bank or any other establishment which collects or supplies blood, plasma, marrow or any other substance for transfusion or treatment of patients or for any other medical use, fails to take adequate precautions or exercise adequate supervision thereby leading to or resulting in the supply of infected or contaminated blood, plasma, marrow or any other substance, shall be punishable with imprisonment which may extend to five years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.	To be omitted
2	Section 185(1)	No person employed in any service, or being employed in connection with the working of any system of public conservancy or sanitation or water supply or hospitals or dispensaries or electric supply or public transport services or such other essential services under a Board in any cantonment area, shall, in the absence	No person employed in any essential service under a Board in a cantonment shall, in the absence of any contract, resign without reasonable cause or absent himself from duty without proper authority and in case of such resignation or

		of any contract, resign without reasonable cause or absent himself from duty without proper authority and in case of such resignation or absence from duty he shall be punishable with imprisonment which may extend to one month; and the conditions of service specified herein shall, invariably be mentioned in the appointment letter of the persons employed to said services.	absence from duty, disciplinary proceedings shall be initiated against him in accordance with such procedure as may be prescribed.
3.	Section 285	If within a cantonment, or within such limit sad joining a cantonment as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, define, any person not subject to Army, Navy or Air Force law, or any person subject to Army, Navy or Air Force law, otherwise than as a military officer or a soldier knowingly barter, sells or supplies, or offers or attempts to barter, sell or supply, any spirituous liquor or intoxicating drug to or for the use of any soldier or soldier's wife or minor child without the written permission of the Officer Commanding the station, or of some person authorised by the Officer Commanding the station, to grant such permission, he shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, or with imprisonment for a term which may extend to six months, or with both.	If within a cantonment, or within such limit sad joining a cantonment as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, define, any person not subject to Army, Navy or Air Force law, or any person subject to Army, Navy or Air Force law, otherwise than as a military officer or a soldier knowingly barter, sells or supplies, or offers or attempts to barter, sell or supply, any spirituous liquor or intoxicating drug to or for the use of any soldier or soldier's wife or minor child without the written permission of the Officer Commanding the station, or of some person authorised by the Officer Commanding the station, to grant such permission, he shall be punishable with fine which may extend to seven thousand and five hundred rupees.
4.	Section 286	If within a cantonment, or within any limits defined under section 285— (a) any person subject to, Army, Navy or Air Force law, otherwise than as a military officer or a soldier; or (b) the wife or servant of any such person or of a soldier, has in his or her possession, except on behalf of the Central Government or for the private use of a military officer, more than one quart of any spirituous liquor, other than fermented malt-	If within a cantonment, or within any limits defined under section 285— (a) any person subject to, Army, Navy or Air Force law, otherwise than as a military officer or a soldier; or (b) the wife or servant of any such person or of a soldier, has in his or her possession, except on behalf of the Central Government or for the

		liquor, without the written permission of the Officer Commanding the station or of some person authorised by the Officer Commanding the station, to grant such permission, he or she shall be punishable, in the case of a first offence, with fine which may extend to two thousand five hundred rupees, and, in the case of a subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees.	private use of a military officer, more than one quart of any spirituous liquor, other than fermented malt-liquor, without the written permission of the Officer Commanding the station or of some person authorized by the Officer Commanding the station, to grant such permission, he or she shall be punishable, in the case of a first offence, with fine which may extend to three thousand rupees, and, in the case of a subsequent offence with fine which may extend to five thousand rupees.
5.	Section 287	Any police officer or excise officer may, without an order from a Judicial Magistrate, and without a warrant, arrest any person whom he finds committing an offence under section 285 or section 286, and may seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug in respect of which such an offence has been committed and any vessels or coverings in which the liquor or drug is contained. (2) Where a person accused of an offence under section 285 has been previously convicted of an offence under that section, an officer in charge of a police station may, with the written permission of a Judicial Magistrate, seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug within the cantonment or within any limits defined under that section which, at the time of the alleged, commission of the subsequent offence, belonged to, or	Seizure and confiscation of things for offences under sections 285 and 286.-- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974), any police officer or excise officer may, without an order from a Judicial Magistrate, and without a warrant, seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug in respect of which an offence under section 285 or section 286 has been committed and any vessels or coverings in which the liquor or drug is contained. (2) Where a person accused of an offence under section 285 has been previously convicted of an offence under that section, an officer in charge of a police station may, with the written permission of a Judicial Magistrate, seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug within the cantonment or within any

		was in the possession of, such person. (3) The court convicting a person of an offence under section 285 or section 286 may order the confiscation of the whole or any part of anything seized under sub-section (1) or sub-section (2). (4) Subject to the provisions of Chapter XXXIV of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) anything, seized under sub-section (1) or sub-section (2) and not confiscated under sub-section (3) shall be restored to the person from whom it was taken.	limits defined under that section which, at the time of the alleged, commission of the subsequent offence, belonged to, or was in the possession of, such person. (3) The court convicting a person of an offence under section 285 or section 286 may order the confiscation of the whole or any part of anything seized under sub-section (1) or sub-section (2). (4) Subject to the provisions of Chapter XXXIV of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) anything, seized under sub-section (1) or sub-section (2) and not confiscated under sub-section (3) shall be restored to the person from whom it was taken.
6	289(5)	Whoever in a cantonment manufactures, supplies, carries or uses for packaging or any other purposes material of non-biodegradable nature including polythene bags shall be punished with fine which may extend to five thousand rupees or imprisonment which may extend to six months.	Whoever in a cantonment manufactures, supplies, carries or uses for packaging or any other purposes material of non-biodegradable nature including polythene bags shall be punishable, in the case of a first offence, with a fine which may extend to five thousand rupees and, in the case of a subsequent offence, with a fine which may extend to ten thousand rupees.
7.	300(1)	Whoever in a cantonment loiters for the purpose of prostitution or importunes any person to the commission of sexual immorality, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees and in case of subsequent offence shall be punishable with imprisonment which may extend to one year.	Whoever in a cantonment loiters for the purpose of prostitution or importunes any person to the commission of sexual immorality, shall be punishable with fine which may extend to six thousand rupees.

8	314	Any member of the police force employed in a cantonment may, without a warrant, arrest any person committing in his view a breach of any of the provisions of this Act which are specified in Schedule IV: Provided that— (a) in the case of a breach of any such provisions as is specified in Part B of Schedule IV, no person shall be so arrested who consents to give his name and address, unless there is reasonable ground for doubting the accuracy of the name or address so given, the burden of proof of which shall lie on the arresting officer, and no person so arrested shall be detained after his name and address have been ascertained; (b) no person shall be so arrested for an offence under section 300 except— (i) at the request of the person importuned, or of a military officer in whose presence the offence was committed; or (ii) by or at the request of a member of the Military, Naval or Air Force Police, who is employed in the cantonment and authorised in this behalf by the Officer Commanding the Station, and in whose presence the offence was committed or by or at the request of any police officer not below the rank of assistant sub-inspector who is deployed in the cantonment and authorised in this behalf by the Officer Commanding the station.	314. Arrest without warrant.— Any member of the police force employed in a cantonment may, without a warrant, arrest any person committing in his view a breach of the provision of clause (a) of Section 304; Provided that in the case of a breach of such provisions, no person shall be arrested who consents to give his name and address, unless there is reasonable ground for doubting the accuracy of the name or address given, the burden of proof of which shall lie on the arresting officer, and no person arrested shall be detained after his name and address have been ascertained. This should be deleted.
9	331	Save as otherwise expressly provided in this Act, no court shall proceed to the trial of any offence made punishable by or under this Act, other than an offence specified in Schedule IV, except on the complaint of or upon information received from the Board concerned or a person authorized by	Save as otherwise expressly provided in this Act, no court shall proceed to the trial of any offence made punishable by or under this Act, other than an offence specified in clause (a) of section 304, except on the complaint of or

		the Board by a general of special order in this behalf.		upon information received from the Board concerned or a person authorized by the Board by a general of special order in this behalf.
10	332(1)	(1) The Chief Executive Officer or any person authorised by him, by general or special order in this behalf, may, either before or after the institution of the proceedings, compound an offence, made punishable by or under this Act other than an offence under Chapter XIV: Provided that no offence shall be compoundable which is committed by failure to comply with a notice, order or requisition issued by or on behalf of the Chief Executive Officer, unless and until the same has been complied with in so far as compliance is possible.		(1) The Chief Executive Officer or any person authorised by him, by general or special order in this behalf, may, either before or after the institution of the proceedings, compound an offence, made punishable by or under this Act other than an offence under clause (a) of section 304: Provided that no offence shall be compoundable which is committed by failure to comply with a notice, order or requisition issued by or on behalf of the Chief Executive Officer, unless and until the same has been complied with in so far as compliance is possible.
11	Schedule IV	174	Making or selling of food, etc., or washing of clothes, by infected person.	Schedule IV is proposed to be omitted in the Bill, as introduced.
		289(1)(a)(i)	Drunkenness, etc.	
		183(1)	Remaining in or re-entering, cantonment after notice of expulsion for failure to attend hospital or dispensary.	
		259	Destroying, etc., name of street or number affixed to building.	

		282	Feeding animal on faith, etc.	
		289(1)(a)(ii)	Using threatening or abusive words, etc.	
		289(1)(a)(iii)	Indecent exposure of person, etc.	
		289(1)(a)(iv)	Begging.	
		289(1)(a)(v)	Exposing deformity, etc.	
		289(1)(a)(vii)	Gaming.	
		289(1)(a)(xii)	Destroying notice, etc.	
		289(1)(a)(xiii)	Displaces, damages, alters, pavements, gutter, storm water drain.	
		289(1)(f)	Keeping common gaming-house, etc.	
		289(1)(g)	Beating Drum etc.	
		289(1)(h)	Singing, etc., so as to disturb public peace or order.	
		290(6)	Setting loose, or setting on, ferocious dog.	
		296	Discharging fire-arms, etc., so as to cause danger.	
		300	Loitering or importuning for sexual immorality.	

2.221. Submissions by the Ministry:

2.221.1. The Ministry of Defence in their background note informed that in line with the Government's policy of decriminalizing minor offences, various offences in Cantonments

Act, 2006 are proposed to be decriminalized by way of either removal of such provisions altogether, or by retaining only 'the fine' in case of such offences. Offences such as carrying, using, manufacturing non-bio-degradable material (including polythene bags), penal provision relating to persons employed in essential duty resigning / absenting without reasonable cause/proper authority, loitering or importuning for sexual immorality, selling spirituous liquor and intoxicating drug substances, possession of spirituous liquor, public nuisances etc. under the Cantonments Act, 2006 have been decriminalized in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. Many of these offences are proposed to be decriminalized are such offences which are already covered either under the Indian Penal Code (IPC) or other Central/State Legislations.

2.222. Discussion in the sitting of the Committee:

2.222.1 The representative from Ministry of Defence during the sitting dated 9.2.2023 briefed the Committee about the proposed amendments in the Cantonment Act, 2006. The representative deposed the following:

“Under the Cantonment Act, out of 24 offences, which is punishable with imprisonment, about 23 have been amended and have been either removed completely or the component of fine has been retained. Sir, Section 156, which we are proposing to amend, talks about the failure to take adequate precautions in collection and supply of blood which results in supply of infected or contaminated blood, plasma, marrow, etc. As per the existing Act, this offence is punishable with imprisonment up to five years or a fine up to Rs. one lakh or both. In the proposed amendments, this Section is proposed to be deleted.”

2.222.2. While deliberating upon the amendments in Section 156, covering offence of considerably of serious nature, the Committee sought rationale for repealing this section. The representative M/o Defence submitted the following:

“Sir, under the Drugs and Cosmetics Act, there is Section 27 which talks about penalty for manufacture, sale, etc., of drugs in contravention of this Chapter. Now, the drugs actually have been defined in a very elaborate term. It includes everything. Blood is also basically a part of the drug. Under this Act, a rule has been made, that is, the Drugs and Cosmetics Rules, 1945. In this, there is a complete chapter. Though that chapter has not been given any number, but Section 122 (e) to Section 122 (p) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 deal with the collection, distribution of blood, etc. Everything has been given in detail. There is a provision of licensing, inspection, etc. All such details are provided in the rules. If there is a contravention of these provisions, then under Section 27 of the Act only the penalty can be imposed. So, what we are saying is, the entire gamut of collection or transfusion of blood or blood centre is dealt with under the Drugs and Cosmetics Act or the rules laid thereunder.”

2.222.3. The Committee further asked whether both these sections are identical, the representative informed as under:

“It is not identical. Under the Drugs and Cosmetics Rules, there is an elaborate arrangement for managing these blood collection centres. So, our provision was only

in a very summarised way. But in the rules under the Drugs and Cosmetics Act, it has been provided in a very detailed manner. Each and every aspect of the Blood Collection Centre is actually covered. It is a very elaborate rule. 122-E is the rule.”

2.222.4. The Committee found the explanation as not satisfactory enough as it raised doubts if the penalty provision mentioned in the Drugs and Cosmetics Act penalises the blood bank as well. As the Drugs and Cosmetic Act that came into existence way back in 1940 and Cantonment Act which is as recent as 2006. Further, Committee viewed it to be vague to say that blood banks would be covered in section 27, as the two are essentially different, one is about negligence and the other is drug related issue.

2.222.5. The Committee then wished to know about other Acts which covers blood banks, the Ministry representative apprised that it is covered in the Rules of Drugs and Cosmetics Act. In this connection, one of the representatives deposed before the Committee, the following:

“The definition is contained under a subordinate legislation made under a different Act. The purpose of definition may be only restricted to administration of that particular Act. That definition can be changed, edited and it may not come to the Parliament. The Government may change the definition depending upon the change of circumstances. So, we do not know if the change would have some effects on the blood, that is, proposed to be dealt with under the Cantonments Act.”

2.222.6. The Committee being not sure about the coverage of the offence in remaining Acts and considering the grave nature of the offence, suggested to the Ministry to reconsider their proposal of repealing the section and instead to retain the section. The Committee asked Ministry to make specific note in this regard and submit to the Secretariat.

2.222.7. While pondering further over the proposal of Ministry to repeal Section 285, the Committee viewed that the section covers act of selling liquor and other intoxicating drug to the minor is a serious offence and hence should not be decriminalised. Similarly, whether the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Drugs Act, 1985 will be applicable in Cantonment and Ministry may see whether the amendments are compatible with the provisions. This does not fulfil the objectives of the Bill to decriminalise for the purpose of ease of doing business and it involves public safety therefore may be retained. However, Ministry representative informed that the matter is covered under the State Excise Act. The Committee asked the Ministry to first get sure if the State Excise Act applies to Cantonment Area as well and which among these would prevail.

2.223. Suggestions by the Committee:

2.223.1. Members of the Committee sought clarifications regarding compatibility and applicability of sections 156, 285, 286, 287(1), 289(5) and section 300(1) with other Central and State Acts and review the amendments proposed to the Cantonments Act, 2006, specified at Serial No. 37 in the Schedule to the Bill. The Committee further deliberated and after detailed discussion proposed to consider any amendments, if required, during the clause-by-clause consideration.

The Payment and Settlement Systems Act, 2007

[Serial No. 38 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.224. **Administering Ministry:** Ministry of Finance
[Department of Financial Services]

2.225. **Purpose of the Act:** To provide for the regulation and supervision of payment systems in India and to designate the Reserve Bank of India as the authority for that purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.

2.226. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision, as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 26(3):	If any person fails to produce any statement, information, returns or other documents, or to furnish any statement, information, returns or other documents, which under section 12 or under section 13, it is his duty to furnish or to answer any question relating to the operation of a payment system which is required by an officer making inspection under section 14, he shall be punishable with fine which may extend to ten lakh rupees in respect of each offence and if he persists in such refusal, to a further fine which may extend to twenty-five thousand rupees for every day for which the offence continues.	If any person fails to produce any statement, information, returns or other documents, or to furnish any statement, information, returns or other documents, which under section 12 or under section 13, it is his duty to furnish or to answer any question relating to the operation of a payment system which is required by an officer making inspection under section 14, he shall <u>liable to a penalty as may be imposed in accordance with the provisions of section 30.</u>
2.	Section 26(6):	If any provision of this Act is contravened, or if any default is made in complying with any other requirement of this Act, or of any regulation, order or direction made or given or condition imposed thereunder and in respect of which no penalty has been specified, then, the person guilty of such contravention or default, as the case may be, shall be	If any provision of this Act is contravened, or if any default is made in complying with any other requirement of this Act, or of any regulation, order or direction made or given or condition imposed there under and in respect of which no penalty has been specified, then, the person responsible of such contravention or default, as the case may be, shall be <u>liable to a penalty as may be imposed in</u>

		punishable with fine which may extend to ten lakh rupees and where a contravention or default is a continuing one, with a further fine which may extend to twenty-five thousand rupees for every day, after the first during which the contravention or default continues.	<u>accordance with the provisions of section 30.</u>
3.	Section 30: Power of Reserve Bank to impose fines	(1) Notwithstanding anything contained in section 26, if a contravention or default of the nature referred to in sub-section (2) or sub-section (6) of section 26, as the case may be, the Reserve Bank may impose on the person contravening or committing default a penalty not exceeding five lakh rupees or twice the amount involved in such contravention or default where such amount is quantifiable, whichever is more, and where such contravention or default is a continuing one, a further penalty which may extend to twenty-five thousand rupees for every day after the first during which the contravention or default continues	(1) Notwithstanding anything contained in section 26, if a contravention or default of the nature referred to in sub-section (2) <u>or sub-section (3)</u> or sub-section (6) of section 26, as the case may be, the Reserve Bank may impose on the person contravening or committing default a penalty not exceeding <u>ten lakh</u> rupees or twice the amount involved in such contravention or default where such amount is quantifiable, whichever is more, and where such contravention or default is a continuing one, a further penalty which may extend to twenty-five thousand rupees for every day after the first during which the contravention or default continues.

2.227. Submission by the Ministry:

2.227.1. The Department of Financial Services has proposed to amend Section 26 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 and consequential amendments in Section 30 of the Act. In their background note, the Department has stated *inter alia* that the existing sub-section (3) of Section 26 of the Act criminalizes a relatively routine procedural violation into an offence punishable by fine. The proposed amendment in this sub-section decriminalizes this by changing this into a liability to pay penalty. Similarly, sub-section (6) of Section 26 is an omnibus clause without any specificity of offence. Rather than fine, the proposed amendment in this sub-section seeks to empower the regulator to levy a penalty, thereby decriminalizing the Section. The consequential amendments proposed in Section 30 to include the aforesaid changes appropriately therein providing for the manner of levying penalty by the Reserve Bank of India.

2.228. Discussion in the sitting of the Committee:

2.228.1. During their sitting held on 6th February, 2023, the Committee discussed the proposed amendments at length. The Committee observed that from the very beginning when the Payment and Settlement Systems Act, 2007 came into effect, the word 'fine' is mentioned in the marginal heading to Section 30 of the Act whereas the provisions of the Section indeed pertain to imposition of 'penalties' as mentioned in the body of the Section. This fallacy in the original Act needed to be rectified.

2.229. Suggestions by the Committee:

2.229.1. After discussing the amendments proposed in the Payment and Settlement Systems Act, 2007 in detail, the Committee concurred with the amendments proposed by the Department of Financial Services and decided to consider *inter alia* the following modifications during clause-by-clause consideration:

- (i) Section 30: In the marginal heading of the Section, "Power of Reserve Bank to impose fines" be replaced with "Power of Reserve Bank to impose penalties".

The Collection of Statistics Act, 2008

[Serial No. 39 of the Jan Vishwas(Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.230. **Administering Ministry:** The Ministry of Statistics and Programme Implementation

2.231. **Purpose of Act:** The Act is intended to facilitate the collection of statistics on economic, demographic, social, scientific and environmental aspects by Government at all levels, and for matters connected herewith or incidental there to. The rules under the CoS Act, 2008, namely, the Collection of Statistics Rules, 2011 have been notified on 16.05.2011.

2.231.1. As per provisions under CoS Act, persons to furnish information requested for by the 'statistics officer' of any ministry or department in the central or state government or union territory administration, or any panchayat or municipality. The statistics officer also has the right to access any relevant document in the person's possession, including entering any premises where he believes the document to be kept in order to inspect or take possession.

2.232. **Amendments proposed to Act:**

Sl. No.	Section No.	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	Section 15. Penalty for neglect or refusal to supply particulars.—	15. Penalty for neglect or refusal to supply particulars.— (1) Whoever, fails to produce any books of account, vouchers, documents or other business records or whoever neglects or refuses to fill in and supply the particulars required in any information schedule or return given or sent to him or whoever neglects or refuses to answer any question or inquiry addressed to him as may be required under or for the purposes of any provision of this Act and the rules made thereunder, shall be punishable with a fine which may extend to one thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to five thousand rupees.	15. Penalty for neglect or refusal to supply particulars or any other acts in contravention of the Act.— (1) Whoever, acts in contravention of or fails to produce any books of account, vouchers, documents or other business records or whoever neglects or refuses to fill in and supply the particulars required in any information schedule or return given or sent to him or whoever neglects or refuses to answer any question or inquiry addressed to him as may be required under or for the purposes of any provision of this Act and the rules made thereunder, shall be punishable with a fine which may extend to one thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to five thousand rupees.

2.	Section 16. Penalty for making false statement.—	Section 16. Penalty for making false statement.—Whoever, wilfully makes any false or misleading statement or material omission in any information schedule or return filled in or supplied, or in answer to any question asked to him under this Act or the rules made thereunder, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to one thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to five thousand rupees or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
3	Section 17. Penalty for mutilation or defacement of information schedule.—	Section 17. Penalty for mutilation or defacement of information schedule.— Whoever, destroys, defaces, removes, or mutilates any information schedule, form, or other document containing particulars collected under this Act or requesting any such particulars, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
4	Section 18. Penalty for obstruction of employees.—	Section 18. Penalty for obstruction of employees.—Whoever, interferes with, hinders, or obstructs any employee in the exercise of any power or duty conferred by this Act, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

5	Section 19. Penalty for other offences.—	Section 19. Penalty for other offences.—Whoever— (a) acts in contravention of or fails to comply with any provision of this Act or any requirement imposed under this Act; or (b) wilfully deceives or attempts to deceive any statistics officer or any agency or any employee thereof, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
6	Section 20. Penalty for failure to carry out duties and functions by employees.—	Section 20. Penalty for failure to carry out duties and functions by employees.—If any person employed in the execution of any duty or functions under this Act,— (a) omits without lawful excuse to carry out his duty, or knowingly makes any false declaration, statement or return; or (b) pretends performance of his duties or obtains or seeks to obtain information which he is not authorised to obtain; or (c) fails to keep inviolate the secrecy of the information gathered or entered in the information schedules collected pursuant to this Act and, except as permitted under this Act, divulges the contents of any schedule filled in or any information furnished by any informant under this Act, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

7	Section 21. Penalty for impersonation of employee.—8	Section 21. Penalty for impersonation of employee.— Whoever, not being authorised to collect statistics under the provisions of this Act, by words, conduct or demeanor pretends that he is authorised to do so, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.
8	Section 22. General penalty.—	Section 22. General penalty.— Whoever, commits an offence under this Act for which no penalty is prescribed elsewhere than in this section, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to two thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to ten thousand rupees or with both.	Proposed for omission in the Bill, as introduced.

2.233. Submissions by the Ministry

2.233.1. The Ministry submitted the following note on the proposed amendments for decriminalization/rationalization of the CoS Act, 2008:-

“In pursuance of the Cabinet Secretary’s D.O. letter dated 01.06.2020, the Ministry had constituted a Committee to review the penal provisions under CoS Act, 2008 in order to identify the offences which can be decriminalised/ rationalized. After receiving the report of Committee, the Ministry had sought comments of general public on the Committee’s recommendations. Based on the recommendations of Committee and comments received from general public, a draft proposal for rationalization/ decriminalization of CoS Act, 2008 was prepared. As per the process of pre-legislative consultations, consultations on the draft proposal for rationalization/decriminalization of various penalties under CoS Act, 2008 were carried out with the concerned stakeholders viz. Central Ministries/Department, State/UT Govts., industry associations, general public. In view of the recommendations of Committee, comments received from various stakeholders, internal deliberations held in the Ministry and advice of the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) and subsequent review by MoSPI, amendments in the CoS Act, 2008 proposed for its decriminalization/ rationalization

through the Draft Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 introduced in the Lok Sabha on 22.12.2022 (at Sr. No. 39 of the said Bill).”

2.234. Discussion in the sitting of the Committee:

2.234.1. During their deliberations in sitting of the Committee on 09.02.2023, it was informed that the Ministry seeks to omit sections 16 to 22 dealing with various offences committed in contravention of this Act.

2.234.2. The Committee in this regard sought to understand the rationale behind retaining section 23, 24, 25 and 26, providing for cognizance of offences by courts under these sections, when the sections dealing with offences under Sections 16 to 22 have been omitted. The Ministry’s representatives informed that these provisions have been kept in view of section 15, under which there is provision for fine.

2.234.3. The Committee further enquired, if after repealing these sections, would section 15 (1) cover the offences by companies, the representatives, Ministry of Statistics and Programme Implementation responded affirmatively.

2.234.4. The Committee opined that these provisions may be omitted as the offences by companies are covered under section 15. Committee further suggested that to decriminalize section 15, the fine may be converted into penalty to avoid involvement of Courts in the adjudication process.

2.234.5. When Committee enquired about the sufficiency and effectiveness of quantum of penalty imposed under section 15(1), the representatives of Ministry of Statistics and Programme Implementation apprised the Committee that the sections applies to individuals as well as companies ranging from small to larger ones, that is why the amount has been kept low. The Committee, however, suggested that the amount of penalty may be increased to Rupees 1 Lakh.

2.234.6. In this regard, the Committee desired to know as to who will be exercising adjudication powers under the Act to realise the penalties, the Committee suggested that the prescription may be added in section 15.

2.234.7. On being asked about the Committee regarding the provisions for rule making powers under the Act, the Ministry representative informed about Section 33 of the Act. The Committee suggested to incorporate the necessary directions under Section 33.

2.235. Suggestions by the Committee:

2.235.1. After detailed discussions and clarifications on the amendments proposed to be made in the Collection of Statistics Act, 2008, specified at Serial No. 39 of the Schedule to the Bill, the Committee decided to consider *inter alia* the following modifications during clause-by-clause consideration:

Section 15(1)(i): The word “punishable” to be substituted with “liable” and “fine” may be converted to “penalty”. Word “prescribed” to be removed.

(ii) In case of Company, penalty may be extended to one lakh rupees.

Section 15(2)(i): The words “conviction of” may be substituted with “imposition of penalty on”.

(ii) The words ‘for an offence’ may be omitted

(iii) The words ‘conviction’ may be substituted with ‘imposition’.

(i) The word ‘punishable’ may be substituted with ‘liable’.

(ii) The word ‘fine’ may be converted to ‘Penalty’.

Section 23 to 26- may be omitted.

Sec 33 – Sub-clause (d) (6) to be added before 33 (2) (e). Regarding manner for prescribing penalty under section 15 in this regard adjudicating mechanism to be added in the Act.

The Legal Metrology Act, 2009

[Serial No. 40 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.236. **Administering Ministry:** Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
[Department of Consumer Affairs]

2.237. **Purpose of the Act:** The objective of the Act is to ensure public guarantee from the point of view of security and accuracy of the weighments and measurements and was enacted to establish and enforce standards of weights and measures, regulate trade and commerce in weights, measures and other goods which are sold or distributed by weight, measure or number. The Central Government and the State Governments are empowered to make Rules under section 52 and section 53 of the Act respectively.

2.237.1. Legal Metrology Act 2009 is the primary instrument which establishes and enforces the standards of weights and measures and regulates trade in weights and measures in the country and is the foundation of most business activities in the country.

2.238. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Sections	Existing Provision	Provision as amended in the Bill introduced in Lok Sabha
1	25	Whoever uses or keeps for use any weight or measure or makes use of any numeration otherwise than in accordance with the standards of weight or measure or the standard of numeration, as the case may be, specified by or under this Act, shall be punished with fine which may extend to twenty-five thousand rupees and for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to six months and also with fine.	Whoever uses or keeps for use any weight or measure or makes use of any numeration otherwise than in accordance with the standards of weight or measure or the standard of numeration, as the case may be, specified by or under this Act, shall be punished with fine which may extend to one lakh twenty five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to two lakh fifty thousand rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to five lakh rupees.
2	27	Every person who manufactures or causes to be manufactured or sells or offers, exposes or possesses for sale, any weight or measure which,- (a) does not conform to the standards of weight or measure specified by or under this Act; or	Every person who manufactures or causes to be manufactured or sells or offers, exposes or possesses for sale, any weight or measure which,- (a) does not conform to the standards of weight or measure specified by or under this Act; or (b) which bears thereon any

		(b) which bears thereon any inscription of weight, measure or number which does not conform to the standards of weight, measure or numeration specified by or under this Act, except where he is permitted to do so under this Act, shall be punished with a fine which may extend to twenty thousand rupees and for the second or subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.	inscription of weight, measure or number which does not conform to the standards of weight, measure or numeration specified by or under this Act, except where he is permitted to do so under this Act, shall be punished with a fine which may extend to one lakh rupees and for the second offence with fine which may extend to two lakh rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to four lakh rupees.
4	28	Whoever makes any transaction, deal or contract in contravention of the standards of weights and measures specified under section 10 shall be punished with fine which may extend to ten thousand rupees and for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.	Whoever makes any transaction, deal or contract in contravention of the standards of weights and measures specified under section 10 shall be punished with fine which may extend to fifty thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to one lakh rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to two lakh rupees.
5	29	Whoever violates section 11 shall be punished with fine which may extend to ten thousand rupees and, for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.	Whoever violates section 11 shall be punished with fine which may extend to fifty thousand rupees for the second offence with fine which may extend to one lakh rupees and for the third and subsequent offence, with a fine which may extend to two lakh rupees.
6	31	Whoever, being required by or under this Act or the rules made there under to submit returns, maintain any record or register, or being required by the Director or the Controller or any legal metrology officer to produce before him for inspection any weight or measure or any document, register or other record relating thereto, omits or fails without any reasonable excuse, so to do, shall be punished with fine which may extend to five thousand rupees and	Whoever, being required by or under this Act or the rules made there under to submit returns, maintain any record or register, or being required by the Director or the Controller or any legal metrology officer to produce before him for inspection any weight or measure or any document, register or other record relating thereto, omits or fails without any reasonable excuse, so to do, shall be punished with fine which may extend to twenty-five thousand

		for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one year and also with fine.	rupees and for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees.
7	34	Whoever sells, or causes to be sold, delivers, or causes to be delivered, any commodity, article or thing by any means other than the standard weight or measure or number, shall be punished with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees and, for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year, or with fine, or with both.	Whoever sells, or causes to be sold, delivers, or causes to be delivered, any commodity, article or thing by any means other than the standard weight or measure or number, shall be punished with fine which may extend to twenty five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees.
8	35	Whoever renders or causes to be rendered, any service through means other than the weight or measure or numeration or in terms of any weight, measure or number other than the standard weight or measure, shall be punished with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees and, for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which shall be extend to one year and also with fine.	Whoever renders or causes to be rendered, any service through means other than the weight or measure or numeration or in terms of any weight, measure or number other than the standard weight or measure, shall be punished with fine which may extend to twenty-five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees.
3	48	48. (1) Any offence punishable under section 25, sections 27 to 39, sections 45 to 47 or any rule made under sub-section (3) of section 52 may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded, on payment for credit to the Government of such sum as may be prescribed. (2) The Director or legal metrology officer as may be specially	48. (1) Any offence punishable under section 25, sections 27 to 39, section 41 , sections 45 to 47 or any rule made under sub - section (3) of section 52 may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded, on payment for credit to the Government of such sum as may be prescribed.

	authorised by him in this behalf, may compound offences punishable under section 25, sections 27 to 39, or any rule made under sub-section (3) of section 52. (3) The Controller or legal metrology officer specially authorised by him, may compound offences punishable under section 25, sections 27 to 31, sections 33 to 37, sections 45 to 47, and any rule made under sub-section (3) of section 53: Provided that such sum shall not, in any case, exceed the maximum amount of the fine, which may be imposed under this Act for the offence so compounded.	(2) The Director or legal metrology officer as may be specially authorised by him in this behalf, may compound offences punishable under section 25, sections 27 to 39, section 41 and any rule made under sub-section (3) of section 52. (3) The Controller or legal metrology officer specially authorised by him, may compound offences punishable under section 25, sections 27 to 31, sections 33 to 37, section 41, sections 45 to 47 and any rule made under sub-section (3) of section 53: Provided that such sum shall not, in any case, exceed the maximum amount of the fine, which may be imposed under this Act for the offence so compounded.

2.239. **Submissions by the Ministry:**

2.239.1. The administrative Ministry in their background note informed that Section 25 to 47 of LM Act 2009 under Chapter V provides for various penalties by way of levy of fine in case of first offence. For second & subsequent offence depending on the nature of the offence (i) either imprisonment or fine or both or, (ii) both imprisonment and fine or (iii) only imprisonment is prescribed. Provision of Appeal is made under Section 50 of the Act. Provision for nominating one Director of the company who will be responsible by the company under the Legal Metrology Act is made.

2.239.2. The background note further stated that Civil and criminal penalties presently prescribed under the LM Act, 2009 were reviewed with regard to their suitability for the imposition of criminal liability and to decriminalize the minor offences on the following principles:

- (i) which do not have *mens rea* (malafide/ criminal intent); and
- (ii) Where the larger public interest is not affected adversely.
- (iii) The monetary fine in first and second & subsequent offence has been proposed to be increased.

2.239.3. The Ministry of Consumer Affairs had placed the proposal to decriminalize the Legal Metrology Act, 2009 on the Department's website for public consultation and the comments were also sought from the State Governments/UTs on the proposal. Most of the

States and Industry associations were in favour of the decriminalization of the LM Act, 2009. Industry associations were in favor of decriminalization of most of the provisions of the Act; however, the responses of the States were varied in this regard.

2.239.4. As regards the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 slated for decriminalization, the Ministry in their written submission stated that Section 25 to 47 of LM Act, 2009 provides for various penalties by way of levy of fine in case of first offence. 6 sections (out of 23) have the provision of imprisonment in 1st offence. For second & subsequent offence depending on the nature of the offence the following has been prescribed:

- (i) either imprisonment or fine or both or
- (ii) both imprisonment and fine or
- (iii) only imprisonment

2.239.5. During the briefing on the Bill on 07.02.2023 by the administrative Ministry, as regards the penalties to be imposed under Section 25 for use of non-standard weight or measure, the Ministry stated that in this the amount of fine has been increased and imprisonment has been removed.

2.239.6. In this connection when the Committee sought clarifications as to why the amount of fine imposed under the amended section 25, is not in round figures, the Ministry representatives apprised the Committee that the amount has been increased five times, keeping in view the ceiling. The Committee opined that this amount may be rationalized and increased to round figures.

2.240. **Suggestions by the Committee:**

2.240.1. After detailed discussions the Committee agreed, in principle, with the amendments proposed to the Legal Metrology Act, 2009, specified at Serial No. 40 of the Schedule to the Bill, and the Committee decided to consider, *inter alia*, the following modifications during Clause-by-Clause consideration.

Section 25 : For the first offence, with fine which may extend to rupees one lakh, for the second offence, with fine which may extend to rupees two lakh and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to five lakh rupee.

The Factoring Regulation Act, 2011

[Serial No. 41 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.241. **Administering Ministry:** Ministry of Finance
[Department of Financial Services]

2.242. **Purpose of the Act:** The Act provides a framework for regulating the factoring ecosystem in the country.

2.243. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Section No.	Existing Provision	Provision, as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 21: Penalties	If a default is made in filing under section 19 the particulars of any transaction of assignment of receivables and realization of receivables by a factor, such company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees for every day during which the default continues.	21. Penalties. - If a default is made in filing under section 19 the particulars of any transaction of assignment of receivables and realisation of receivables by a factor, such company and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing offence, with an additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues, to be imposed by the Reserve Bank in accordance with the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 22.
2.	Section 22: Penalties for non-compliance of direction of Reserve Bank.—	(1) If any factor fails to comply with any direction issued by the Reserve Bank under section 6, the Reserve Bank may impose a penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing offence, with an additional fine which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues.	22. Penalties for non-compliance of direction by Reserve Bank.- (1) If any factor fails to comply with any direction issued by the Reserve Bank under section 6, or fails in filing the particulars of any transaction of receivables and realisation of receivables under section 19, the Reserve Bank may impose a penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing offence, with an

		additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues. (2) For the purpose of adjudging the penalty under sub-section (1), the Reserve Bank shall serve notice on the factor requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such factor. (3) Any penalty imposed by the Reserve Bank under this section shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the Reserve Bank demanding payment of the sum is served on the factor and in the event of failure of the factor to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the registered office of the factor is situated; or, in the case of a factor incorporated outside India, where its principal place of business in India is situated: Provided that no such direction shall be made except on an application made to the court by the Reserve Bank or any officer authorised by Reserve Bank in this behalf.	(2) For the purpose of adjudging the penalty under sub-section (1) or section 21, the Reserve Bank shall serve notice on the factor requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such factor. (3) Any penalty imposed by the Reserve Bank under this section or section 21, shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the Reserve Bank demanding payment of the sum is served on the factor and in the event of failure of the factor to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the registered office of the factor is situated; or, in the case of a factor incorporated outside India, where its principal place of business in India is situated: Provided that no such direction shall be made except on an application made to the court by the Reserve Bank or any officer authorised by Reserve Bank in this behalf: Provided further that the Reserve Bank may also recover the amount of penalty by debiting the current account, if any, of the defaulter or by liquidating the securities held to the credit of the defaulter.

		(4) The court which makes a direction under sub-section (3) shall issue a certificate specifying the sum payable by the factor and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit.	(4) The court which makes a direction under sub-section (3) shall issue a certificate specifying the sum payable by the factor and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit."

2.244. **Submission by the Ministry:**

2.244.1. The Department of Financial Services has proposed to amend Section 21 of the Factoring Regulation Act, 2011 and consequential amendments in Section 22 of the Act. In their background note, the Department has stated that Section 21 of the Act has been proposed to be amended by replacing the provision of imposition of fine with provision for imposition of penalty by the Reserve Bank of India. The offence relates to defaults made in filing in registration of certain assignments of receivable transactions in Central Registry set up under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, which is relatively routine in nature. Also, there are consequential insertions proposed in Section 22 of the Act to provide for the manner of levying penalty and recovery of penalty *i.e.* the adjudication process for levying penalty by RBI and the recovery of penalty is proposed to be prescribed.

2.244.2. The Department elaborated that the offence under Section 21 of the Factoring Regulation Act, 2011 is procedural and in the nature of not registering the particulars of transaction of assignment of receivables and receivables with the Registry. Therefore, 'fine' has been proposed to be changed to a 'penalty' to be levied by RBI for a procedural violation. Further, the proposed amendment in Section 22 of the Act is consequential to provide the manner in which penalty imposed under Section 21 shall be levied. Section 22 is also extended for penalties to be levied under Section 21 for violation of Section 19.

2.245. **Discussion in the sitting of the Committee:**

2.245.1. During their sitting held on 6th February, 2023, the representatives from the Department of Financial Service made their presentation before the Committee and briefed the Committee on the proposed amendments to the Factoring Regulation Act, 2011.

2.246. **Suggestions by the Committee:**

2.246.1. After the briefing by the Department of Financial Services, the Committee opined that before imposing a penalty, a reasonable opportunity should be given to the factor of being heard. From the date of issuing notice of show cause the factor must have sufficient time of being heard and adduce reasons for failure.

2.246.2. The Committee, however, agreed in principle with the amendments proposed to the Factoring Regulation Act, 2011, specified at Serial No. 41 of the Schedule to the Bill, and decided to consider the suggestions, if required, during clause by clause consideration.

The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

[Serial No. 42 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022]

2.247. **Administering Ministry:** Ministry of Electronics and Information Technology

2.248. **Purpose of the Act:** The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 seeks to provide for, as a good governance, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, to individuals residing in India through assigning of unique identity numbers to such individuals and for matters connected therewith or incidental thereto.

2.249. **Amendments proposed to the Act:**

Sl. No.	Section	Existing Provision	Provisions as amended by the Bill introduced in Lok Sabha
1.	Section 41	Penalty for non-compliance with intimation requirements—Whoever, being an enrolling agency or a requesting entity, fails to comply with the requirements of sub-section (2) of section 3 or sub-section (3) of section 8, shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with a fine which may extend to ten thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to one lakh rupees or with both.	Penalty for non-compliance with intimation requirements—Whoever, being an enrolling agency or a requesting entity, fails to comply with the requirements of sub-section (2) of section 3 or sub-section (3) of section 8, shall be liable to a penalty which may extend to one lakh rupees, or in the case of a company, with a penalty which may extend to ten lakh rupees.

2.250. **Submissions by the Ministry:**

2.250.1. The Ministry of Electronics and Information Technology have in their background note submitted that the provisions relating to punishment of contravention under the said Act have been reviewed keeping the following objectives in view:

- (a) Decriminalising imprisonment clauses wherever possible, or reducing the quantum of punishment or/and making the offence compoundable for Ease of Doing Business;
- (b) Maintaining uniformity in penalties for similar offences; and

- (c) Instead of fines, providing for penalties, to enable decisions at the level of administrative officers appointed as adjudicating officers, without burdening the courts.

2.250.2. The Ministry have further submitted that the review undertaken has been guided by the following principles:

- (a) Retention of the violation as a punishable criminal offence for more serious violations;
- (b) Bringing in alignment the quantum of punishment for offences of a similar nature;
- (c) In respect of contraventions by companies and other bodies corporate,—
 - (i) eliminating imprisonment; and/or
 - (ii) replacing the provision for fine imposed by court as punishment for a criminal offence by provision for financial penalty of a higher quantum imposed by administrative officers appointed as adjudicating officers; and
 - (iii) rationalising penalty/liability for non-criminal contraventions; and

2.251. Discussion in the sitting of the Committee:

2.251.1. During the sitting of the Committee held on 16 January, 2023, the representatives of the Ministry submitted that the both Section 3(2) and Section 8(3) of the Aadhaar Act have a limited purpose of informing the individual undergoing Aadhaar enrolment or authentication about nature, use etc. of information given by the individual. It was further submitted that of the nine sections (Sections 34 to 42 of the Act) which deal with penal provisions, offences which are of serious nature such impersonation, fraud etc., imprisonment has been retained, it is only in the case of non-intimation by Aadhaar Ecosystem Partner that punishment of imprisonment is being removed and the financial fine being increased.

2.251.2. The Committee thereafter sought to know the impact of the penalty proposed by the Ministry in the light of the proposed Digital Personal Data Protection Bill. The Committee also sought to know whether the amendments proposed in the Aadhaar Act are in consonance with the provisions of the Digital Personal Data Protection Bill. The representative from the Ministry in this regard submitted as under:

“..., we have examined the Digital Personal Data Protection Bill. As of now, we do not find any discrepancy between the Aadhaar Act and this Bill. Once the Bill becomes an Act and in case there are certain changes made, we will examine whether there is need for some changes in the Aadhaar Act.”

2.251.3. Explaining further on the issue, Secretary, MEITY stated as under:

“In the DPDP Bill also, we have no clause of criminalisation. There is no imprisonment in that also. That is one part. Obviously, Aadhaar Act has to be in compliance with both. So, we are in active consultation. Since both the Acts belong to the same Ministry, we are looking at both the Acts together so that there is no discord between the two Acts. Thirdly, I would like to submit that if we do this kind of a penalty, and basically imprisonment, even on somebody not furnishing information,

I think, that will actually become a deterrent because now-a-days, a lot of private entities like banks are asking for this information. SEBI is also asking for this information. They need it for authentication. Aadhaar has become an important tool of authentication. So, we want them to be a part of this larger ecosystem. When we are looking at making one unique identity for the whole nation so that one person should have single identity for all purposes, I think, this will go a long way once we do that.

2.251.4. On being further asked to justify the removal of imprisonment for non-furnishing of information and penalty for 1 lakh and 10 lakh(in case of a company) being imposed, Secretary, MEITY responded as under:

“Sir, xxxxxxx, the informed consent is part of our DPDP Bill also. It was there in the last Bill. If we look at the purpose here, the enrolling agencies are largely departmental agencies. There will not be any mens rea. The form is already there and they are signing it. If a senior medical officer, by mistake, is not able to get this thing or has forgotten to give that form, even then, the mens rea cannot be established. Penalty is something which one can give, but for imprisonment, there has to be a mala fide or mens rea. When we consulted, in consultation also, it came out. I think, hardly any case has come on this.”

2.251.5. The Committee was further informed that no cases have been registered under section 41 since its inception in 2016. The Ministry further submitted that normally the requesting entity is regulated by a regulator, whether it is RBI, SEBI or IRDA. In addition, the enrolment agencies and the requesting agencies are also bound through a separate contractual obligation. It was also submitted that there are multiple means of enforcing that the enrolment agencies and the requesting agencies follow the guidelines of the Aadhaar Act and the regulations under the Aadhaar Act, apart from this.

2.252. **Suggestions of the Committee:**

2.252.1. After detailed discussions and clarifications sought by the Committee on the amendments proposed to be made in the Act, the Committee observed that the **Ministry apprise the Committee on whether the amendments proposed in the Aadhaar Act are *in parimateria* with the DPDP Bill that the Government propose to introduce.**

2.253. LEGALITY, PRACTICABILITY AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO GIVE EFFECT TO THE SUGGESTIONS

2.253.1. The Committee asked all the concerned Ministries and Departments to submit their views on the legality, practicability and other related aspects on the amendments being considered in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The Committee also directed all the concerned Ministries and Departments to go through the amendments proposed and find out wherever any consequential changes in the Act once the amendments are adopted to give effect to the suggestions put forth by the Members of the Committee during the briefing on the amendments proposed in the Bill.

GENERAL RECOMMENDATIONS

1. The Committee note that the objective of the Jan Vishwas Bill is to achieve the principle of Minimum Government Maximum Governance and redefining the regulatory landscape of the country under the ease of living and ease of doing business reforms. The Committee further note that the Government in its effort to make the country as a preferred global investment destination and to boost investors confidence has brought this Bill which envisages rationalisation of monetary penalties and decriminalising a large number of offences of minor nature by replacing the punishment thereof with monetary penalties. The Committee also note that this Bill seeks to amend 183 provisions contained in 42 Acts which are being administered by 19 Ministries.

The Committee appreciate the motive and intent of the Government and note that the Government had earlier also repealed a number of laws from statute book as they had become obsolete or retention thereof as separate act was unnecessary. However, this Bill is a consolidated one with holistic approach to decriminalise offences of minor nature by replacing the punishment with monetary penalties, which will reduce the burden of judiciary. The Committee express their satisfaction that such reforms will go a long way in building the trust of the people in bureaucracy and Institutions at large which is the corner stone of a democratic Government.

The Committee, therefore, recommend that such exercise should be continued in future by reviewing other Acts too and bring similar legislations before Parliament.

(Recommendation No. 1)

2. The Committee note that many of the laws have been proposed to be amended by the Jan Vishwas Bill. The subjects “criminal law” and “criminal procedure” with some exceptions are included in the Concurrent List and the implementation thereof mainly lie with the State Governments/UTs and that legislations dealing with offences of minor nature may also have been enacted by some State Legislatures. The effort and intent of the Union Government to simplify and rationalise compliances to improve ease of living and ease of doing business should be reflected at the ground level. As many of the approvals, clearances and litigations take place at the State level, there is a need to simplify the compliance and requirements at the State level also. **Therefore, the Committee**

recommend that the Union Government and DPIIT may issue suitable advisories to State Governments and Union Territories to take suitable action on similar lines taken by Central Government in reforming their laws and decriminalising minor offences by replacing punishments with monetary penalties, which shall also reduce the burden of cases in Judicial system and improve investors' confidence. In this regard, the Committee also recommend that the nodal Ministry, namely DPIIT, may take the help of Niti Aayog and other stakeholders like regulatory bodies, business associations, industry bodies, etc. to create awareness by holding seminars and workshops about the reforms initiated through this Bill by the Union Government.

(Recommendation No. 2)

3. The Constitution provides for enactment of laws by the Parliament, and the State Legislatures. As per article 246 of the Constitution, List-II (State List) mentions subjects in respect of which the State Legislatures have exclusive jurisdiction to make law. The Committee note that by the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, the Union Government has shown its intent to decriminalise offences of minor nature and replace the punishments therein with monetary penalties. An exercise of similar nature is required to be done at the State level in respect of offences of minor nature contained in law, on subjects exclusively, provided for State Legislatures. The Committee, therefore, recommend that the Union Government may issue an advisory to all the State Governments to review the legislations which are in the exclusive domain of State Governments to decriminalise offences of minor nature on the similar lines as done by the Union Government so as to realize ease of living and ease of doing business in real sense .

(Recommendation No. 3)

4. The Committee note that there are a number of legislations spanning the huge number of economic activities for the development of the country. The Committee desire that an exercise similar to Jan Vishwas Bill should be carried out by the Government. In this regard, the Joint Committee desire that the Ministry should appoint a group of experts which should be a full time body consisting of legal professionals, industry bodies, members of bureaucracy and regulatory authorities, etc. to examine many other provisions of various laws that govern the twin aspects of ease of living and ease of doing business and suggest suitable amendments aimed at achieving the goal of the Union Government, namely, Minimum Government Maximum Governance by decriminalising offences of minor nature and replacing punishments for such offences with monetary penalties. **The Committee recommend that the Government should appoint a group to examine in this regard at the earliest.**

(Recommendation No. 4)

5. The Committee note that the Amendment Bill envisages a further thrust to businesses by eradicating the fear of criminal provisions for minor, technical and procedural defaults. The Committee feel that this will go a long way in realizing the vision of greater ease of doing business and an 'Atmanirbhar Bharat'. The Committee envisage that the amendments proposed in the Bill would accelerate investment decisions due to smoother processes and help in attracting more foreign and domestic investment and prevent the flight of capital to foreign countries. The Committee are hopeful that the Amendment Bill will speed up rationalizing criminal provisions and ensuring that businesses, citizens and the

government departments operate without fear of imprisonment for minor, technical or procedural defaults. The Committee are of the considered view that the clauses of criminality for small procedural lapses and minor defaults clog judiciary thereby burdening the courts needlessly and putting adjudication of major offences on the back burner. The Committee note that the Civil liabilities can be imposed with retrospective effect but criminal liabilities cannot be imposed retrospectively. However, the criminal liabilities can be done away with retrospective effect. **As such, the Committee recommend that the Government may look into legalities and other consequences of giving retrospective effect and if feasible, endeavour to bring the amendments proposed in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 with retrospective effect thereby abating the pending legal proceedings in respect of offences being decriminalised.**

(Recommendation No. 5)

6. The Committee note that in most of the Acts by way of the proposed amendment Bill, the concept of Adjudicating officer for dealing with defaulters has been proposed to be introduced. The Committee desire that the Ministry of Law alongwith the respective administering Ministries may ensure that adjudication mechanism alongwith appellate authority for appeal by the aggrieved parties for adjudication of penalty be provided for in each of the Act seeking to impose penalty while decriminalising the provisions. The Committee also desire that the Ministry of Law may also look into the aspect of incorporating an adjudication mechanism alongwith appellate authority for adjudication of penalty while decriminalization through levying of penalty in all Acts which may come for amendment in future too.

(Recommendation No. 6)

7. The Committee note that in 11 of the Acts, while imprisonment has been removed, the fine has either been retained or enhanced. The Committee are of the considered view that while the aim of Jan Vishwas (Amendment of provisions) Bill, 2022 is to enhance trust based governance for ease of living and doing business, it also seeks to reduce pressure on the judiciary, lessen the burden of the courts and help in efficient justice dispensation. The Committee would like to observe that the distinction between fine and penalty is that fine is determined by a court and penalty is levied by an executive authority. Hence, it is felt that retention of fine would not reduce compliance burden and lessen the litigations, which will nullify the objective sought to be achieved through the Bill. **The Committee, therefore, recommend that wherever feasible removal of imprisonment may be accompanied with levying of penalty instead of fine to avoid increase in litigation.**

(Recommendation No. 7)

CHAPTER-III**CLAUSE BY CLAUSE CONSIDERATION OF
THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022****Clause 2 of the Bill provides –**

“2. The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.”

As the amendments proposed to be incorporated in 42 enactments with the primary objective of decriminalizing and rationalizing certain offences of minor nature are specified in the Schedule to the Bill, the Committee decided to take up the Schedule into consideration before consideration of Clauses. Also taking into account that the said 42 enactments are being administered by 19 different Ministries/Departments of the Government of India, the Committee decided to group the proposed amendments to 42 Acts Ministry-wise and accordingly considered the amendments pertaining to Acts of a particular Ministry/Department together, one-by-one.

3.2 The existing provisions of the Acts and the amendments proposed to existing provisions by The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, as introduced in Lok Sabha, have already been dealt with and shown in tabular form in Chapter II. In this Chapter, therefore, for brevity, in some of the amendments proposed in the Bill, as introduced, instead of reproducing all the amended provisions, as they appear in the Bill, only those particular sections or sub-sections or clauses have been reproduced where the modifications have been made by the Committee.

3.3 While considering the amendments proposed to 42 Acts specified in the Schedule to the Bill, as introduced, the Committee in every case, took note of the modifications suggested by them to the proposed amendments during briefing by Ministries for examination by the Ministry from the angle of their legality, practicability and other aspects.

3.4 For facility of reference, consideration by the Joint Committee of amendments to Acts specified in the Schedule have been arranged serial-wise, as they appear in the Schedule.

CONSIDERATION OF THE SCHEDULE**1. Amendments proposed to The Press and Registration of Books Act, 1867****(Sl. No. 1 of the Schedule)**

3.5 The Ministry submitted inter alia as under during Clause by Clause consideration of amendments:

“महोदय, पछली बैठक में एक ही संशोधन का प्रस्ताव था जो आ खर में सैक्शन 8 सी, सैक्शन 19 के का संशोधन कया था। सबसे आ खरी प्रोवीजन पर संशोधन हुआ था। The last part said: “He shall be punishable with penalty not exceeding Rs. 10000.” कमेटी ने बोला था क ‘पनिशेबल वद’ के बदले ‘लाएबल फॉर पेनल्टी’ होगा। हमने यह संशोधन कर लिया है और कोई संशोधन प्रस्ता वत नहीं था।”

3.6 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.7 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Press and Registration of Books Act, 1867	(A) In section 8C,— xxx xxx xxx 12(3) No order for suspension or cancellation of certificate of registration shall be made under this section, without giving an opportunity of being heard to the publisher or owner of the newspaper, as the case may be. xxx xxx xxx	(A) In section 8C,— xxx xxx xxx 12(3) No order for suspension or cancellation of certificate of registration shall be made under this section, without giving a <u>reasonable</u> opportunity of being heard to the publisher or owner of the newspaper, as the case may be. xxx xxx xxx
	13(D) For section 19K, the following section shall be substituted, namely:—	13(D) For section 19K, the following section shall be substituted, namely: -

	19K. Penalty for contravention of section 19D or section 19E.- If the publisher of any newspaper – (a) refuses or neglects to comply with the provisions of clause (b) of section 19D or section 19E; or (b) publishes in the newspaper in pursuance of clause (b) of section 19D any particulars relating to the newspaper which he has reason to believe to be false, he shall be punishable with penalty not exceeding ten thousand rupees. xxx xxx xxx	“19K. Penalty for contravention of section 19D or section 19E.- If the publisher of any newspaper – (a) refuses or neglects to comply with the provisions of clause (b) of section 19D or section 19E; <u>or</u> (b) publishes in the newspaper in pursuance of clause (b) of section 19D any particulars relating to the newspaper which he has reason to believe to be false, he shall be <u>liable to</u> penalty not exceeding ten thousand rupees.”. xxx xxx xxx (Recommendation No. 9)

3.8 Amendment moved by Adv. Dean Kuriakose, MP in absentia was not accepted by the Committee as there was no justification.

2. Amendments proposed to The Indian Post Office Act, 1898

(Sl. No. 2 of the Schedule)

3.9 The Committee observed that during briefing by the Department of Posts on the proposed amendments, the Committee agreed in principle to the amendments proposed to the Indian Post Office Act, 1898.

3.10 The Department of Posts submitted :-

“महोदय, हमारा प्रस्ताव था कि पूरे चैप्टर 10 इं डयन पोस्ट ऑफिस एक्ट का 1898 जो पैनल्टीज एंड प्रोसीजर को डील करता है, उसे ओमिट कर दिया जाए, primarily because either they are covered by other rules and provisions or they have become redundant and obsolete over a period of time.”

3.11 The Committee deliberated on the amendments proposed in the Bill to the Indian Post Office Act, 1898 and decided not to make any modification in the amendments proposed at Sr. No. 2 of the Schedule to the Bill in view of the submission made by the Department.

3. Amendments proposed to The Boilers Act, 1923

(Sl. No. 3 of the Schedule)

3.12 The Ministry submitted the following:

“माननीय स मति की इच्छा थी और डायरेक्शंस थे। हमने इन प्र सपल सब मान ली हैं। केवल रेस्ट्रोस्पेक्टिव को छोड़ कर हमने सारी बातें लखी है।”

3.13 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.14 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Boilers Act, 1923	(A) In section 22,- (a) in clause (iii), for the word and figures "section 16," the words and figures "section 16, or" shall be substituted; (b) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:— "(iv) to report an accident to a boiler or boiler component when so required under section 18,". (B) For section 23, the following section shall be substituted, namely:— "23. Penalties for illegal use of boiler.—Any owner of a boiler who—	(A) In section 22,- (a) in clause (iii), for the word and figures "section 16," the words and figures, "section 16; or" shall be substituted; (b) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:- "(iv) to report an accident to a boiler or boiler component when so required under section 18,"; <u>(c) in the long line, for the words "punishable with fine", the words "liable to penalty" shall be substituted.</u> (B) For section 23, the following section shall be substituted, namely:- "23. Penalties for illegal use of boiler.- Any owner of a boiler who—

	(a) in any case in which a certificate or provisional order is required for the use of the boiler under this Act, uses the boiler either without any such certificate or order being in force or at a higher pressure than that allowed thereby; (b) uses or permits to be used a boiler which has been transferred from one State to another without such transfer having been reported as required under clause (b) of section 6; (c) fails to cause the register number allotted to the boiler under this Act to be permanently marked on the boiler as required under sub-section (6) of section 7, shall be liable for fine which may extend to one lakh rupees, and in the case of a continuing offence, with an additional fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such offence continues." xxx xxx xxx	(a) in any case in which a certificate or provisional order is required for the use of the boiler under this Act, uses the boiler either without any such certificate or order being in force or at a higher pressure than that allowed thereby; <u>or</u> (b) uses or permits to be used a boiler which has been transferred from one State to another without such transfer having been reported as required under clause (b) of section 6; <u>or</u> (c) fails to cause the register number allotted to the boiler under this Act to be permanently marked on the boiler as required under sub-section (6) of section 7, shall be liable <u>to penalty</u> which may extend to one lakh rupees, and in the case of a continuing <u>contravention or failure</u>, with an additional <u>penalty</u> which may extend to one thousand rupees for every day during which such <u>contravention or failure</u> continues." xxx xxx xxx (Recommendation No.10)
		<u>(D) In section 25, in sub-section (1), for the words "punishable with fine", the words "liable to penalty" shall be substituted.</u> (Recommendation No.11)

		<u>(E) After section 26, the following sections shall be inserted, namely:-</u> <u>“26A. Adjudication.-(1) The State Government or the Union territory administration, as the case may be, for the purposes of determining the penalties under sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30, may authorise the District Magistrate or the Additional District Magistrate, as the case may be, having jurisdiction, to be the adjudicating officer to hold an inquiry and to impose penalty, in the manner as may be prescribed, by the State Government or the Central Government, as the case may be.</u> <u>(2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30, he may impose penalty:</u> <u>Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>26B. Appeal. - (1) Whoever</u>

		<u>aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 26A, may prefer an appeal to an officer not below the rank of Secretary to the State Government or the Union territory administration, as the case may be, specially authorised by that Government or administration in this behalf, within sixty days from the date of receipt of order, in such form and manner as may be prescribed by the State Government or the Central Government, as the case may be.</u> <u>(2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</u> <u>(3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit.</u> <u>(4) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within sixty days from the date of filing.”.</u> (Recommendation No.12)
		<u>(F) In section 27, the words “Presidency Magistrate or a” shall be omitted.</u> <u>(G) In section 28A, in sub-section (1A), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-</u> <u>“(ca) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 26A;</u> <u>(cb) the form and manner of</u>

		<u>preferring appeal under sub-section (1) of section 26B;”.</u> (Recommendation No. 13) <u>(H) In section 29, in sub-section (1), after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:-</u> <u>“(ha) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 26A;</u> <u>(hb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 26B;”.</u> (Recommendation No. 14) <u>(I) In section 30, -</u> <u>(i) for the words “punishable, in the case of a first offence, with fine”, the words “liable to penalty, in the case of a first contravention, with penalty” shall be substituted;</u> <u>(ii) for the words “subsequent offence, with fine”, the word “subsequent contravention, with penalty” shall be substituted.</u> (Recommendation No. 15)

4. Amendments proposed to The Indian Forest Act, 1927

(Sl. No. 4 of the Schedule)

3.15 The Ministry submitted inter alia as under during Clause by Clause consideration of amendments:

“हमारे चार एक्ट्स हैं, जिनमें 16 पीनल प्रो वजन्स में से 9 में ड क्र मनलाइजेशन का प्रस्ताव रखा था। माननीय स मति ने 6 सुझाव दिए थे और हमने 6 सुझावों को एक्सेप्ट कर लिया है।”

3.16 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.17 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Indian Forest Act, 1927	(A) In section 26,— (i) in sub-section (1), clauses (d) and (e) shall be omitted; (ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:— "(1A) Any person who, in a reserved forest— (a) trespasses or pastures cattle or permits cattle to trespass; (b) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber, shall be liable to pay fine which may extend to five	(A) In section 26,— (i) in sub-section (1), clauses (d) and (e) shall be omitted; (ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:— "(1A) Any person who, in a reserved forest— (a) trespasses or pastures cattle, or permits cattle to trespass <u>shall be liable to penalty which may extend to five hundred rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-officer empowered under section 68;</u> (Recommendation No. 16) (b) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber <u>shall be liable to penalty which may extend to</u>

	hundred rupees in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting Court may direct to be paid." (B) In section 33,- (i) in sub-section (I), clauses (e), (f) and (g) shall be omitted; (ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:— "(1A) Any person who commits any of the following offences, namely:— (a) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any tree reserved under section 30, whether standing, fallen or felled, or closed portion of any protected forest; (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid; (c) permits cattle to damage any such tree, shall be liable to pay fine which may extend to five hundred rupees."	<u>five thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-officer empowered under section 68."</u> (Recommendation No. 17) (B) In section 33,- (i) in sub-section (I), clauses (e), (f) and (g) shall be omitted; (ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:- "(1A) Any person who, <u>in a protected forest-</u> (a) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any tree reserved under section 30, whether standing, fallen or felled, or closed portion of any protected forest; (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid, <u>Amendment Omitted</u> shall be liable to <u>penalty</u> which may extend to five <u>thousand</u> rupees <u>in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-officer empowered under section 68."</u> (Recommendation No. 18)

		(C) <u>In section 68,-</u> <u>(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-</u> <u>“Power to compound offences and impose penalties”;</u> <u>(ii) in sub-section (1)-</u> <u>(I) in clause (a), for the word “and”, the word “or” shall be substituted;</u> <u>(II) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-</u> <u>“(aa) to accept from any person a sum of money by way of penalty or compensation in violation of sub-section (1A) of section 26 and sub-section (1A) of section 33; and”.</u> (Recommendation No. 19)

5. Amendments proposed to The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937

(Sl. No. 5 of the Schedule)

3.18 The Department submitted inter alia as under during the Clause by Clause consideration of amendments:

“कृषि विभाग का जो एक्ट है Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, पछली बैठक में संशोधन हेतु जो प्रस्ताव आया था, उसमें कमेटी की जो रिकमेंडेशन्स थीं, उनको विभाग ने पूरा कर दिया है। बैठक के बाद 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे। कुल 4 अमेंडमेंट्स थे। सबकी सहमति से हमने उनको वैसे ही रखा है। ये 3 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं तथा कमेटी ने अपनी जो राय दी थी, उसके अनुसार हमने संशोधन कर लए हैं। पहला है काउंटरफीटिंग की पेनल्टी, that is Section 5, Penalty for Counterfeiting. The penalty was Rs.8 lakh. We have increased it to Rs.15 lakh because this has a stronger implication, whereas in other infringements the penalty is much lower. So, this has been increased to Rs.15 lakh.

In the appeal provision, as was suggested, the word 'modifying' has been deleted. It is only confirming or setting aside the order passed earlier.

वे सकली सैक्शन 4, सैक्शन 5, सैक्शन 5A, सैक्शन 5बी था। सैक्शन 4 में कोई सजेशन नहीं था। That was accepted. सैक्शन 5 में था – Penalty for Counterfeiting Grade Designation Mark. इसमें पहले इम्प्रिजनमेंट था – 'imprisonment for a term not exceeding three years and fine not exceeding five thousand rupees. This has been changed now. इम्प्रिजनमेंट हटा दिया गया था। पेनल्टी 8 लाख रुपये की थी, which was the amendment. Then, one suggestion was made. 8 लाख रुपये की पेनल्टी को 15 लाख रुपये करने के लए सजेशन आया था। That has been accepted."

3.19 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.20 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937	(A) In section 3, in sub-section (2), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:— "(ga) holding inquiry to impose penalty under sub-section (1) of section 5C; (gb) preferring appeal under sub-section (1) of section 5D;". (B) In section 4, for the words "imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees", the words "penalty of five lakh rupees" shall be substituted. (C) In section 5, for the words "imprisonment for a term not	(A) In section 3, in sub-section (2), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely: - "(ga) holding inquiry <u>and</u> impos<u>ing</u> penalty under sub-section (1) of section 5C; (gb) preferring appeal under sub-section (1) of section 5D;". (Recommendation No. 20) (B) In section 4, for the words "<u>punishable with</u> imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees", the words "<u>liable to</u> penalty <u>not exceeding</u> five lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 21) (C) In section 5, for the words "<u>punishable with</u> imprisonment

	exceeding three years and fine not exceeding five thousand rupees", the words "penalty of eight lakh rupees" shall be substituted. (D) In section 5A, for the words "imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees", the words "penalty of three lakh rupees" shall be substituted. (E) In section 5B, in sub-section (4), for the words "imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees", the words "penalty of five lakh rupees" shall be substituted. (F) For section 5C, the following sections shall be substituted, namely:— "5C. Adjudicating officer.— (1) The Central Government may, for the purposes of determining the penalties under sections 4, 5, 5A and 5B, appoint an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of Deputy Secretary to the State Government, to be adjudicating officer to hold an inquiry in the manner, as may be prescribed and to impose penalty:	for a term not exceeding three years and fine not exceeding five thousand rupees", the words "<u>liable to</u> penalty <u>not exceeding fifteen</u> lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 22) (D) In section 5A, for the words "<u>punishable with</u> imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees", the words "<u>liable to</u> penalty <u>not exceeding</u> three lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 23) (E) In section 5B, in sub-section (4), for the words "<u>punishable with</u> imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees, the words "<u>liable to</u> penalty <u>not exceeding</u> five lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 24) (F) For section 5C, the following sections shall be substituted, namely:- "5C. Adjudicating officer.- (1) The Central Government may, for the purposes of determining the penalties under sections 4, 5, 5A and 5B, appoint an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of Deputy Secretary to the State Government, to be adjudicating officer to hold an inquiry <u>and impose penalty</u>, in the manner

	Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sections 4, 5, 5A and 5B, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned an opportunity of being heard in the matter. 5D. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 5C may prefer an appeal to the Agricultural Marketing Adviser, Government of India within thirty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person in such manner as may be prescribed. (2) The Agricultural Marketing	as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sections 4, 5, 5A and 5B, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a <u>reasonable</u> opportunity of being heard in the matter. (Recommendation No. 25) 5D. Appeal.- (1) <u>Whoever</u> aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 5C may prefer an appeal to the Agricultural Marketing Adviser, Government of India within thirty days from the date <u>of receipt of order</u> in such manner as may be prescribed. <u>(2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the Agricultural Marketing Adviser that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</u>

	Adviser may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (3) The Agricultural Marketing Adviser referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal. 5E. Recovery.—Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by adjudicating officer under section 5C or ordered by the Agricultural Marketing Adviser under section 5D, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrears of land revenue."	(3) The Agricultural Marketing Adviser may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit. (4) The Agricultural Marketing Adviser referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing. (Recommendation No. 26) 5E. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by <u>the</u> adjudicating officer under section 5C or <u>order of</u> the Agricultural Marketing Adviser under section 5D, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue." (Recommendation No. 27)

6. Amendments proposed to The Drugs and Cosmetics Act, 1940

(Sl. No. 6 of the Schedule)

3.21 The Department submitted inter alia as under during the Clause by Clause consideration of amendments:

“.....हमने पूरा देख लिया है। इन्फैक्ट आपने पछली मीटिंग में ही करना शुरू कर दिया था, तब हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया था क आप ये हम पर छोड़ दीजिए, हम लोग कर लेंगे, तो अब कर लिया है। वही दिखा रहे हैं।”

3.22 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendment proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.23 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Drugs and Cosmetics Act, 1940	(A) In section 30, in sub-section (2), for the words "imprisonment which may extend to two years, or with fine which shall not be less than ten thousand rupees, or with both", the words "fine which shall not be less than five lakh rupees" shall be substituted. (B) In section 32B, in sub-section (1), after the words and figures "of section 13," the words, brackets, letters and figures "clause (d) of section 27 and clause (ii) of section 27A," shall be inserted.	(A) <u>In section 29, for the words "punishable with fine which may extend to five thousand rupees", the words "liable to penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted.</u> (Recommendation No. 28) (B) In section 30, in sub-section (2), for the words "imprisonment which may extend to two years, or with fine which shall not be less than ten thousand rupees, or with both", the words "fine which shall not be less than five lakh rupees" shall be substituted. (C) In section 32B, in sub-section (1), after the words and figures "of section 13," the words, brackets, letters and figures "clause (d) of section 27 and clause (ii) of section 27A," shall be inserted.

3.24 Amendment moved by Adv. Dean Kuriakose, MP in absentia was not accepted by the Committee as there was no justification.

7. Amendments proposed to The Public Debt Act, 1944

(Sl. No. 7 of the Schedule)

3.25 The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on the amendment proposed in the Bill stated that omission of Section 27 of the Public Debt Act, 1944 as proposed may be accepted.

3.26 The Committee agreed to the amendment proposed in the Bill.

8. Amendments proposed to The Rubber Act, 1947

(Sl. No. 8 of the Schedule)

3.27 The Department submitted inter alia as under during Clause by Clause consideration of amendments:

“For the purpose of adjudging the penalties under section 11(3) and 26, the Executive Director, Rubber Board shall appoint Secretary, Rubber Board or any other officer authorized by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the prescribed manner after giving any person concerned an opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty. (2) Whoever is aggrieved by any decision or order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Executive Director, Rubber Board within we have removed imprisonment.”

3.28 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.29 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Rubber Act, 1947	XXX XXX XXX	XXX XXX XXX <u>(C) In section 25, in sub-section (2), after clause (xxiii), the following clauses shall be inserted, namely:-</u> <u>“(xxiiia) the manner of imposing penalty under sub-section (1) of section 26B;</u> <u>(xxiiib) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 26B;”.</u> (Recommendation No. 29)

	(C) In section 26, in sub-section (1), in the long line, for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both", the words "liable to pay penalty which may extend to fifty thousand rupees" shall be substituted.	<u>(D)</u> In section 26, in sub-section (1), in the long line, for the words, "punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both", the words "liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees" shall be substituted. <u>(E) After section 26A, the following section shall be inserted, namely:-</u> <u>"26B. Adjudication of penalties.-</u> <u>(1) For the purposes of adjudging the penalties under sub-section (3) of section 11 and section 26, the Executive Director shall appoint the Secretary to the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty in the manner as may be prescribed, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Executive Director, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed.</u> <u>(3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Executive Director that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</u>

		<u>(4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing.</u> <u>(6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”.</u> (Recommendation No. 30)

3.30 Amendment moved by Adv. Dean Kuriakose, MP in absentia was not accepted by the Committee as there was no justification.

9. Amendments proposed to The Pharmacy Act, 1948

(Sl. No. 9 of the Schedule)

3.31 The Department submitted, inter alia, as under during Clause by Clause consideration of amendments:

“with imprisonment for a term which may extend upto three months, or with fine not exceeding two lakh rupees or with both.....उसे हमने इनकॉरपोरेट कर दिया है।”

3.32 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.33 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Pharmacy Act, 1948	(A) In section 26A, in sub-section (3), for the words "with imprisonment for a term which may	<u>(A) In section 18, in sub-section (2), after clause (h), the following clauses shall</u>

	extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees or with both", the words "on first conviction with fine which may extend to one lakh rupees and on subsequent conviction with fine not exceeding two lakh rupees" shall be substituted. (B) In section 41, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— "(1) If any person whose name is not for the time being entered in the register of the State claims that it is so entered or uses in connection with his name or title any words or letters reasonably calculated to suggest that his name is so entered, he shall be punishable on first conviction with fine which may extend to fifty thousand rupees and on subsequent conviction with fine not exceeding one lakh rupees: Provided that it shall not be an offence if the name of the person is entered in the register of another State and that at the time of claim, an application for registration in the State had been made." (C) In section 42, in sub-section (2), for the words "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees or with both", the words "fine which may extend	<u>be inserted, namely:-</u> <u>"(ha) the manner of imposing penalty under sub-section (1) of section 43A;</u> <u>(hb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 43A;".</u> (Recommendation No.31) <u>(B)</u> In section 26A, in sub-section (3), for the words "<u>punishable</u> with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees, or with both", the words "<u>liable to penalty</u> which may extend to one lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 32) <u>(C)</u> In section 41, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(1) If any person whose name is not for the time being entered in the register of the State <u>falsely pretends</u> that it is so entered or uses in connection with his name or title any words or letters reasonably calculated to suggest that his name is so entered, he shall be punishable on first conviction with fine which may extend to <u>one lakh</u> rupees and on subsequent conviction with <u>imprisonment which may extend to three months or with</u> fine not exceeding <u>two</u> lakh rupees, <u>or with both</u>:"

	to one lakh rupees and on subsequent conviction with fine not exceeding two lakh rupees" shall be substituted.	Provided that it shall be a defence if the name of the person is entered in the register of another State and that at the time of claim, an application for registration in the State had been made.”. (Recommendation No. 33) (D) In section 42, in sub-section (2), for the words “imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees or with both”, the words <u>“imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two lakh rupees, or with both”</u> shall be substituted. <u>(E) After section 43, the following section shall be inserted, namely:-</u> <u>“43A. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging the penalties under section 26A, the Central Government shall authorise the President of the State Council, where the alleged violation is committed, to be the adjudicating officer for holding an inquiry and impose penalty in the manner as may be prescribed under section 18, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(2) Whoever is aggrieved by any order of the</u>

		<u>adjudicating officer may prefer an appeal to the President, Central Council, within a period of forty-five days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed under section 18.</u> <u>(3) The President, Central Council may entertain an appeal after the expiry of forty-five days, if it is satisfied that the appellant was prevented from sufficient cause for filing the appeal within the said period.</u> <u>(4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within ninety days from the date of filing.</u> <u>(6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue."</u> (Recommendation No. 34)

10. Amendments proposed to The Industries (Development and Regulation) Act, 1951

(Sl. No. 10 of the Schedule)

3.34 The Department submitted, inter alia, as under during Clause by Clause consideration of amendments:

“इसमें आपने यह निर्देश दिया था क ‘फाइन’ को ‘पैनाल्टी’ कर देना चाहिए। इसे हमने मान लिया है। जैसा क पछली बार मैंने अनुरोध किया था क हमारे सामने परेशानी यह है क हमारे पास इसमें पूरे देश में केवल तीन अधिकारी हैं। हमने इसका यह तरीका निकाला है क हम कलेक्टर – डीएम को इसकी पावर दे रहे हैं।.....दूसरी बात आपने यह व्यक्त की थी ऐसा न हो क अपील सीधे हाई कोर्ट जाने लग जाए। अतः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एप्रो प्रएट कोर्ट में कलेक्टर के ऑर्डर की अपील का प्रावधान कर दिया गया है।..... डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कलेक्टर के लेवल पर अपील चली जाएगी। हम लोगों ने दूसरा ऑल्टरनेटिव यह सोचा क हम पावर एसडीएम को और अपील कलेक्टर को करने का प्रावधान कर दें।”

3.35 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.36 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Industries (Development and Regulation) Act, 1951	(A) In section 24, in sub-section (1), for the long line, the following long line shall be substituted, namely:— "he shall be punishable with fine which may extend to twenty-five lakh rupees." (B) Section 24A shall be omitted.	(A) (In section 24, in sub-section (1), for the long line, the following long line shall be substituted, namely:- "he shall be <u>liable to penalty</u> which may extend to twenty-five lakh rupees." (Recommendation No.35) (B) <u>For section 24A, the following sections shall be substituted, namely:-</u> <u>"24A. Adjudication.— (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under section 24, shall authorise the District Magistrate or the Additional District Magistrate, having jurisdiction, to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and impose the penalty in the manner, as may be prescribed.</u>

(2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of this Act, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance the provisions of section 24:

Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

24B. Appeal. - (1) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 24A, may prefer an appeal to an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, within thirty days from the date of receipt of order, in such form and manner as may be prescribed.

(2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit.

		<u>(4) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within sixty days from the date of filing.</u> <u>24C. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by adjudicating officer under section 24A or order of the appellate authority under section 24B, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue.”.</u> (Recommendation No.36) <u>(C) Section 27 shall be omitted.</u> (Recommendation No.37) <u>(D) In section 28, for the words “prosecuted”, the words “imposed penalty” shall be substituted.</u> (Recommendation No.38) <u>(E) Sections 29 and 29A shall be omitted.</u> (Recommendation No.39) <u>(F) In section 30,-</u> <u>(i) in sub-section (2), after clause (pp), the following clauses shall be inserted, namely:-</u> <u>“(ppa) the manner of imposing penalty under sub-section (1) of section 24A;</u> <u>(ppb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 24B;”;</u> <u>(ii) in sub-section (3), for the word “punishable”, the words “liable to penalty” shall be substituted.</u> (Recommendation No.40)

11. Amendments proposed to The Cinematograph Act, 1952**(Sl. No. 11 of the Schedule)**

3.37 During the Clause by Clause consideration of the amendments, the Ministry submitted:-

“ सनेमैटोग्राफ एक्ट में सेक्शन-14 और 15 है।

सेक्शन-7 (1) में कोई चेंजेज नहीं थे। उसके जो प्रोवाइजोस हैं, उसमें भी कोई सजेशन सजेस्टेड नहीं थे।”

3.38 The officials stated that Ministry has accepted the changes as suggested by the Committee.

3.39 The Committee then discussed the amendments proposed in the Bill and decided to accept the view of the Ministry and recommended the following amendments to the amendments proposed in the Bill.

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Cinematograph Act, 1952	(A) In Section 7, - (i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— ‘(1) If any person— (a) without lawful authority (the burden of proving which shall be on such person) alters or tampers in any way any film after it has been certified, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than ten lakh rupees, or with both; (b) exhibits or permits to be exhibited in any place, any film—	(A) In section 7,- (i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: - ‘(1) If any person— (a) without lawful authority (the burden of proving which shall be on such person) alters or tampers in any way any film after it has been certified, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than ten lakh rupees, or with both; (b) exhibits or permits to be exhibited in any place, any film-

	(i) which has not been certified by the Board; (ii) which, when exhibited does not display the prescribed mark of the Board; (iii) which, when exhibited displays a mark of the Board which has since been altered or tampered with after the mark has been affixed, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both and with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; (c) exhibits or permits to be exhibited in any place, a video film in contravention of the provisions of clause (a) or clause (b), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; xxx xxx xxx (ii) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—	(i) which has not been certified by the Board; (ii) which, when exhibited does not display the prescribed mark of the Board; (iii) which, when exhibited displays a mark of the Board which has since been altered, or tampered with after the mark has been affixed, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and <u>in the case of a continuing offence</u> with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; (c) exhibits or permits to be exhibited in any place, a video film in contravention of the provisions of clause (a) or clause (b), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and <u>in the case of a continuing offence</u> with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; xxx xxx xxx (ii) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

	"(4) Any person aggrieved by any penalty imposed under clauses (d) to (f) of sub-section (1), may prefer an appeal in such manner and to such appellate authority as may be prescribed." (B) In section 8, in sub-section (2), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:— "(ca) the authorised officer and the manner of levy of penalty by him in terms of clauses (d) to (f) of sub-section (1) of section 7; (cb) the manner of preferring appeal and appellate authority under sub-section (4) of section 7;" (C) In section 14, for the words "one thousand rupees and, in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to one hundred rupees for each day during which the offence continues", the words "one lakh rupees and, in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to ten thousand rupees for each day during which the offence continues" shall be substituted.	"(4) <u>Whoever</u> aggrieved by any penalty imposed under clauses (d) to (f) of sub-section (1) <u>or section 14</u>, may prefer an appeal to such appellate authority <u>within such period and in such form and manner</u> as may be prescribed." (Recommendation No. 41) (B) In section 8, in sub-section (2), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:- "(ca) the authorised officer and the manner of levy of penalty by him in terms of clauses (d) to (f) of sub-section (1) of section 7; (cb) the <u>period, form and</u> manner of preferring appeal and appellate authority under sub-section (4) of section 7;" (Recommendation No. 42) (C) In section 14, for the words "<u>punishable with fine which may extend to</u> one thousand rupees and, in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to one hundred rupees for each day during which the offence continues", the words "<u>liable to penalty of</u> one lakh rupees and, in the case of a continuing <u>contravention</u>, with a further <u>penalty</u> which may extend to ten thousand rupees for each day during which the <u>contravention</u> continues" shall be substituted. (Recommendation No. 43)

		<u>(D) For section 15, the following section shall be substituted, namely:-</u> <u>“15. Power to revoke or suspend licence.- (1) Where the holder of a licence has been convicted for an offence under clauses (a) to (c) of sub-section (1) of section 7, the licence may be revoked by the licensing authority.</u> <u>(2) Where the holder of a licence has been imposed penalty for contravention under clauses (d) to (f) of sub-section (1) of section 7 or section 14, the licence may be suspended by the licensing authority for a period not exceeding thirty days:</u> <u>Provided that in cases of more than three contraventions over a period of three years, the licensing authority, may, for the reasons to be recorded in writing, by order, revoke the licence:</u> <u>Provided further that no order under this section shall be made without giving the holder of the licence a reasonable opportunity of being heard.”.</u> (Recommendation No. 44)

12. Amendments proposed to The Tea Act, 1953

(Sl. No. 12 of the Schedule)

3.40 The Department submitted, inter alia, as under:-

“there were four sets of guidance given by the Committee in the last meeting. The first set of guidance was that in all the four Acts, where we are decriminalising the provisions and have put in penalty, an adjudication mechanism should also be put in place, which we have now proposed in the revised draft.

For Tea Board Act, there were two things. We had suggested for omission of five sections in which it was suggested that it should be parallel to other Boards also and we should retain or decide upon whether we want to have a penal provision for contravention of order and also the omnibus clause which allows for a penal provision for rules made thereunder. This was suggested, and we have decided that it is better to bring those provisions for Tea Board with a penalty provision instead of a fine and imprisonment provision. So, we have proposed accordingly.

Lastly, it was also suggested that in case there are any other provisions in the Act where fine is there without imprisonment, which has been left out, that fine should also be considered for to be converted into penalty. There was one such provision in the Spices Board Act where we felt that the fine has been left out. The provision of fine was there for false returns and things like that. That is also now proposed to be converted into penalty.

.....these were the four sets of guidance. We have accepted all the four. Accordingly, we have proposed amendments.”

3.41 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.42 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Tea Act, 1953	Sections 38 to 42 shall be omitted.	(A) Sections 38 to <u>40</u> shall be omitted. (Recommendation No. 45) (B) <u>In section 41, in sub-section (1), for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both,”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees” shall be substituted.</u> (Recommendation No. 46)

		<u>(C) In section 42, for the words “punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted.</u> <u>(Recommendation No. 47)</u> <u>(D) After section 42, the following section shall be inserted, namely:-</u> <u>“42A. Adjudication of penalties.-</u> <u>(1) For the purposes of adjudging the penalties under sub-section (1) of section 41 and section 42, the Deputy Chairman of the Board shall appoint the Secretary to the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the manner as may be prescribed, after giving a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Deputy Chairman of the Board, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed.</u>

		<u>(3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Deputy Chairman that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</u> <u>(4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing.</u> <u>(6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”.</u> (Recommendation No. 48) <u>(E) In section 49, in sub-section (2), after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely:-</u> <u>“(xa) the manner of imposing penalty under sub-section (1) of section 42A;</u> <u>(xb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 42A;”.</u> (Recommendation No. 49)

3.43 Amendment moved by Adv. Dean Kuriakose, MP in absentia was not accepted by the Committee as there was no justification.

13. Amendments proposed to The Copyright Act, 1957

(Sl. No. 13 of the Schedule)

3.44 The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry on the proposed amendment stated that omission of Section 68 as introduced in the Bill may be accepted.

3.45 The Committee decided to accept the view of the Department and agreed to the amendment proposed in the Bill.

14. Amendments proposed to The Merchant Shipping Act, 1958

(Sl. No. 14 of the Schedule)

3.46 The Ministry submitted, inter alia, as under:-

“कमेटी के द्वारा गत सप्ताह में जो हमारी डटेल एग्जा मनेशन हुई थी, वह मर्चेन्ट्स श पंग एक्ट, 1958 के प्रावधानों के बारे में था। दो प्रावधानों के अलावा, बाकी सभी में, कमेटी ने, जो हमने डीक्री मनलाइजेशन का प्रस्ताव दिया था, उससे सहमति व्यक्त की थी। प्रावधानों में कमेटी की राय थी क हम या तो इस कोरीटेन करें, क्योंकि वह न्यूक्लियर फ्यूएलड शप्स के बारे में था, जो क काफी गंभीर था। पहले हमने जो प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने इम्प्रीजनमेंट हटा कर पेनाल्टी की थी। कमेटी की यह राय थी क या तो आप इस प्रावधान की गंभीरता को देखते हुए इसे रीटेन कीजिए या फर अगर पेनाल्टी का प्रावधान करना है तो हमने जो पाँच लाख रुपये का प्रस्ताव किया था, उसे बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जाए।

स मति की गत बैठक के पश्चात हमने अपने मंत्रालय में इस पर पुनर्विचार किया और दो प्रावधान, जो सीरियल नं. 108 (e) (a) और 108 (e) (b) पर हैं, इस पर मंत्रालय ने यह निर्णय लिया क जो वर्तमान प्रावधान हैं, जिसमें इम्प्रीजनमेंट और फाइन हैं, उसी को हम लोग रीटेन करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 43 प्रावधानों में से हमारे 21 प्रावधान अब डीक्री मनलाइज हो रहे हैं। पहले 23 थे। इन प्रावधानों की गंभीरता को देखते हुए अब हम वापस डीक्री मनलाइज नहीं करना चाहते और इस को अब हम इम्प्रीजनमेंट और फाइन की श्रेणी में ही रखना चाहते हैं। पछली बार इन दोनों प्रावधानों के बारे में स मति की राय थी।

इसके अलावा, हमने बाकी प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि उसमें स मति के द्वारा सहमति प्रकट की गयी थी।”

3.47 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.48 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha				Format after incorporating amendments adopted by the Committee			
The Merchant Shipping Act, 1958	(A) in section 436, - (a) in sub-section (2), in the Table, against the serial numbers mentioned under column 1, in respect of the offences under column 2, relating to the sections under column 3 and the penalties under column 4, shall, respectively be substituted, in the manner as provided, namely:— X X X X X X X X X X				(A) in section 436, - (a) in sub-section (2), in the Table, against the serial numbers mentioned under column 1, in respect of the offences under column 2, relating to the sections under column 3 and the penalties under column 4, shall, respectively be substituted, in the manner as provided, namely:— X X X X X X X X X X			
	Serial No.	Offences	Section of this Act to which offence has reference	Penalties	Serial No.	Offences	Section of this Act to which offence has reference	Penalties
	1	2	3	4	1	2	3	4
	16			"Penalty which may extend to two lakh rupees."	16			"Penalty which may extend to two lakh rupees."
	X X X X X X X X X X				X X X X X X X X X X			
	108B			"The master or owner or agent shall be liable to penalty which may extend to five lakh rupees and the ship may also be detained."				

	108E(a)			"Penalty which may extend to five lakh rupees and the ship may also be detained."	<u>Amendment Omitted</u> (Recommendation No. 50)			
	108E(b)			"Penalty which may extend to five lakh rupees and the ship may also be detained."	<u>Amendment Omitted</u> (Recommendation No. 51)			
	109			"Penalty which may extend to five lakh rupees."	109			"Penalty which may extend to five lakh rupees."
	xxx xxx xxx (4) Any person aggrieved by an order of the Principal Officer referred to in sub-section (3), may, within a period of thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal before the Director-General in such form and manner as the Central Government may prescribe. xxx xxx xxx				xxx xxx xxx (4) <u>Whoever</u> aggrieved by an order of the Principal Officer under sub-section (3), may, within a period of thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal before the Director-General in such form and manner as the Central Government may prescribe. (Recommendation No. 52) xxx xxx xxx <u>(7) Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by Principal Officer of the Mercantile Marine Department under sub-section (3) or order of the Director-General under section (4), as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue."</u> xxx xxx xxx (Recommendation No. 53)			

15. Amendments proposed to The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961

(Sl. No. 15 of the Schedule)

3.49 The Department submitted, inter alia, as under:-

“जो पछली बैठक हुई थी, उसमें स मति से हमें कुछ सुझाव मले थे। मौटे तौर पर चार बातें कही गई थीं, जो अलग-अलग एक्ट्स में लागू होती हैं। एक बात यह कही गई थी क जहां हमने पेनल्टी का प्रावधान डाला था, उसमें यह था क अगर पेनल्टी के लए 60 दिन की बात की जाए तो हियरिंग के लए उ चत समय दिया जाए और उसके बाद 60 दिन का समय पेनल्टी के पेमेंट के लए दिया है। जब हमने फर से एक्ट को पढ़ा है तो हमारे दो नोटिसेस की बात है। We will go through the Sections with you.

One notice is a Showcause notice which is there in the initial subsection – please showcause why penalty should not be imposed. The second notice is a notice for actually paying the penalty. जो सेकण्ड नोटिस है और जो 60 दिन का समय दिया गया है, that is with reference to the second notice. It is not as if, जो पहले 6 तारीख की बैठक थी, उसमें यह शंका जाहिर की गई थी क पहले नोटिस के बाद ही हम एडज्यु डकेशन का टाइम नहीं देंगे, हियरिंग का टाइम नहीं देंगे और वहीं से 60 दिन की गणना शुरू कर देंगे। जब हमने उसको फर से पढ़ा तो समझ में यह आया क पहला नोटिस शो कॉज नोटिस है और दूसरा पे द पेनल्टी नोटिस है। पे द पेनल्टी नोटिस के बाद 60 दिन का समय है, to that entity to make the payment of the penalty. That is the demand notice.

स मति के वचार को रखते हुए यह कन्फ्यूजन फर न आए तो हमने जो सेकण्ड पे द पेनल्टी नोटिस है, उसका जो प्रावधान है, उसमें हमने प्री वयस नोटिस का लंक कर दिया है। We have said, subject to the provisions of the previous notice you should have issued showcause notice, you should have heard the other party and then come to the point of determination of penalty. हमने वह लंक लगा दिया है।”

3.50 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.51 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961	In section 47, in sub-section (2),— (i) for the words "punishable with a fine which may extend to two thousand rupees", the words "liable to a penalty which may extend to one lakh fifty thousand rupees" shall be substituted; (ii) for the words "fine which may extend to one hundred rupees", the words "penalty which may extend to seven thousand five hundred rupees" shall be substituted; (iii) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely:— "(3) For the purpose of adjudging the penalty under sub-section (2), the Corporation shall serve notice on the person requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person. (4) Any penalty imposed by the Corporation under this section shall be payable within a period of	In section 47, <u>for</u> sub-section (2), <u>the following sub-sections shall be substituted, namely:-</u> <u>"(2) If any person fails to produce any book, account or other document or to furnish any statement or information which, under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be liable to penalty which may extend to one lakh fifty thousand rupees in respect of each failure, and in the case of a continuing failure, with an additional penalty which may extend to seven thousand five hundred rupees for every day during which the failure continues after the first such failure.</u> (Recommendation No. 54) (3) For the purpose of adjudging the penalty under sub-section (2), the Corporation shall serve notice on the person requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person. (4) Any penalty imposed by the Corporation under this section shall be payable within a period

	fourteen days from the date on which notice issued by the Corporation demanding payment of the sum is served on the person and in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no direction shall be made except on an application made to the court by the Corporation or any officer authorised by it in this behalf. (5) The court which makes a direction under sub-section (4) shall issue a certificate specifying the sum payable by the person and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit."	of fourteen days from the date on which notice issued by the Corporation demanding payment of the sum is served on the person and in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on <u>an order or</u> direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no <u>order or</u> direction shall be made except on an application made to the court by the Corporation or any officer authorised by Corporation in this behalf. (5) The court which makes <u>an order or</u> direction under sub-section (4) shall issue a certificate specifying the sum payable by the person and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit. (Recommendation No. 55) <u>(6) No complaint shall be filed against any person in any court of law in respect of any contravention or default in respect of which any penalty has been imposed by the Corporation under sub-section (2).</u> <u>(7) Where any complaint has been filed against any person in any court in respect of any contravention or default of the nature referred to in sub-section (1), then, no</u>

		<u><i>proceedings for the imposition of any penalty on the person shall be initiated under sub-section (2).”.</i></u> (Recommendation No. 56)

6. Amendments proposed to The Warehousing Corporations Act, 1962

(Sl. No. 16 of the Schedule)

3.52 The Department for Food and Public Distribution, Ministry of Food and Public Distribution on the proposed amendment stated that omission of Section 38 as proposed in the Bill may be accepted.

3.53 The Committee agreed to the omission of Section 38 proposed in the Bill.

17. Amendments proposed to The Food Corporations Act, 1964

(Sl. No. 17 of the Schedule)

3.54 The Department for Food and Public Distribution, Ministry of Food and Public Distribution on the proposed amendment stated that omission of Section 41 as proposed in the Bill may be accepted.

3.55 The Committee agreed to the omission of Section 41 proposed in the Bill.

18. Amendments proposed to The Patents Act, 1970

(Sl. No. 18 of the Schedule)

3.56 The Department submitted as under:-

“सर, पेटेंट एक्ट में कमेटी की कुछ रेकमेंडेशंस थीं। हमने सारी एनालाइज़ की, We have all accepted them. उस हिसाब से हमने कुछ चेंजेज रेकमेंड कये हैं।.....”

3.56A In the original Jan Vishwas bill as introduced in the Parliament, provision of adjudication of penalty was proposed under the Patents Act, Trademarks Act, Geographical Indications Act. In another written communication, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade submitted the following:

“.....During the 2nd reading of Jan Vishwas Bill, Joint Parliamentary Committee recommended need for appellate mechanism to provide a person to get a forum to get his grievances addressed if not satisfied with the decision of the officer adjudicating penalty under the Patents Act, Trademarks Act or Geographical Indications Act, as the case may be. It was also recommended that the recovery of the penalty should be made by treating it as arrear of land revenue.

..... while the Department agrees with the recommendation of introduction of the appellate mechanism, however, it does not agree with the suggestion to treat the penalty dues as arrear of land revenue as under the Patents Act, Trademarks Act, Geographical Indications act, not every person on whom a penalty has been imposed will have an immovable property, especially for non-resident persons/entities. Hence, while the amendments in the Jan Vishwas Bill seeks to decriminalise the offences under Patents Act, Trademarks Act and Geographical Indications Act making them civil proceedings and providing a person an opportunity to present its case first before the authority adjudicating penalty and then before the appellate authority. However, if despite availing opportunities, a person refuses to pay penalty, especially when such person may not have an immovable asset or a property that could be use to recover penalty amount under the Revenue Recovery Act, it is essential that said recovery be done through the court, which may in addition to recovering the penalty due, may also impose fine or imprisonment or both. This will ensure that proposed amendments not just remain toothless but also that appropriate deterrence has been provided for those not complying with law of the country”.

3.56B In view of the submissions by the Department, the Committee decided that provision of fine/imprisonment for recovery of penalty may be retained with some modifications in all the three Acts, viz., Patents Act, Trademarks Act and Geographical Indications Act.

3.57 The Committee after taking into account the views of the Ministry decided to recommend the following amendments to the amendments proposed in the Bill:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Patents Act, 1970	(A) In section 120, for the words "he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees", the words "he shall pay, by way of penalty which may extend to ten lakh rupees, and in case of the continuing claim, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such claim continues" shall be substituted.	(A) In section 120, for the words, "he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees", the words "he shall <i>be liable to</i> penalty which may extend to ten lakh rupees, and in case of the continuing claim, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such claim continues" shall be substituted. (Recommendation No. 57)

	(B) Section 121 shall be omitted. (C) In section 122,— (i) in sub-section (1), for the long line, the following long line shall be substituted, namely:— "he shall pay, by way of penalty which may extend to one lakh rupees, and in case of the continuing refusal, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such refusal continues."; (ii) in sub-section (2), for the words "he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both", the words "he shall be punishable with penalty which shall not be less than twenty-five lakh rupees" shall be substituted. (D) In section 123, for the words "he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees in the case of a first offence and five lakh rupees in case of a second or subsequent offence", the words "he shall pay, by way of penalty, which may extend to five lakh rupees, and in case of the continuing default, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such default continues" shall be substituted.	(B) Section 121 shall be omitted. (C) In section 122,— (i) in sub-section (1), for the long line, the following long line shall be substituted, namely:- "he shall <u>be liable to</u> penalty which may extend to one lakh rupees, and in case of the continuing refusal <u>or failure</u>, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such refusal <u>or failure</u> continues."; (ii) in sub-section (2), for the words, "he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both", the words "he shall be <u>liable to penalty a sum equal to one half per cent. of the total sale or turnover, as the case may be, of business or of the gross receipts in profession as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five crore rupees, whichever is less</u>" shall be substituted. (Recommendation No. 58) (D) In section 123, for the words, "he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees in the case of a first offence and five lakh rupees in case of a second or subsequent offence", the words "he shall <u>be liable to</u> penalty, which may extend to five lakh rupees, and in case of the continuing default, a further penalty of one thousand rupees

	for every day after the first during which such default continues" shall be substituted." (Recommendation No. 59) (E) After section 124, the following sections shall be inserted, namely:- "124A. Adjudication of penalties.— (1) The Controller may, by an order, impose penalty on a person stating therein any contravention or default under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed. (2) The Controller shall, before imposing any penalty, give a reasonable opportunity of being heard to the person who is in default. (3) Where the person fails to comply with the order made under sub-section (1), within a period of ninety days from the date of the receipt of the order, the person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees, but which may extend to five lakh rupees, or with both."	(E) After section 124, the following sections shall be inserted, namely:- "124A. Adjudication of penalties. - The Controller may, by an order, <u>authorise an officer referred to in section 73, to be the adjudicating officer for holding an inquiry and impose penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>124B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 124A may prefer an appeal to the appellate authority, who shall be an officer at least one rank above the adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of receipt of the order, as the Central Government may by notification authorise in this behalf.</u> <u>(2) Every appeal under this section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed,</u> <u>(3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</u> <u>(4) No appeal shall be disposed of unless the</u>

		<u>appellant has been given a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal.</u> <u>(6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 124A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both."</u>
	(F) In section 159, in sub-section (2), after clause (xiii), the following clause shall be inserted, namely:— "(xiiia) the manner of imposing penalty under sub-section (1) of section 124A;"	(F) In section 159, in sub-section (2), after clause (xiii), the following clauses shall be inserted, namely:- "(xiiia) the manner of imposing penalty under section 124A; <u>(xiiib) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 124B;"</u> (Recommendation No. 60)

19. Amendments proposed to The Marine Products Export Development Authority Act, 1972

(Sl. No. 19 of the Schedule)

3.58 The Department submitted, inter alia, as under:-

"In the last meeting, the Committee had given to us four suggestions. The first set of suggestions was, wherever we have introduced penalty as against fine or

imprisonment, there should be an adjudication mechanism which should be laid down as part of the Bill. In all the four Acts, this was given. We have laid down the mechanism.....”

3.59 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.60 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Marine Products Export Development Authority Act, 1972	xxx xxx xxx "24. Penalties for obstructing a member or officer of Authority in the discharge of his duties and for failure to produce books and records.—Any person who— (a) obstructs any member authorised by the Chairman in writing or any officer or other employee of the Authority authorised by it in this behalf or any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Authority, in the exercise of any power conferred, or in the discharge of any duty imposed, on him by or under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; (b) having control over or custody of any account book or other record, fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act, shall be liable to pay penalty which may extend to	xxx xxx xxx "24. Penalties for obstructing a member or officer of Authority in discharge of his duties and for failure to produce books and records.— Any person who- (a) obstructs any member authorised by the Chairman in writing or any officer or other employee of the Authority authorised by it in this behalf or any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Authority, in the exercise of any power conferred, or in the discharge of any duty imposed, on him by or under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; (b) having control over or custody of any account book or other record, fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act, shall be liable to penalty which may extend to ten thousand rupees.

	ten thousand rupees. 25. Other penalties.- Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this Act or of any rules made thereunder other than the provisions, punishment for the contravention whereof has been provided for in sections 20, 23 and 24, shall be liable to pay a penalty not less than ten thousand rupees, or not exceeding an amount equivalent to the value of goods, whichever is higher, in respect of which such order has been made, and in case of a continuing contravention as aforesaid, a penalty of not less than fifty thousand rupees, or not exceeding an amount equivalent to twice the value of goods, whichever is higher, in respect of which such order has been made."	25. Other penalties.- Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this Act or of any rules made thereunder other than the provisions, punishment <u>or penalty</u> for the contravention whereof has been provided for in sections 20, 23 and 24, shall be liable to penalty not less than ten thousand rupees, or not exceeding an amount equivalent to the value of goods, whichever is higher, in respect of which such <u>contravention</u> has been made, and in case of a continuing contravention as aforesaid, a penalty of not less than fifty thousand rupees, or not exceeding an amount equivalent to twice the value of goods, whichever is higher, in respect of which such <u>contravention</u> has been made. (Recommendation No. 61) <u>25A. Adjudication of penalties.-</u> <u>(1) For the purposes of adjudging penalties under sub-section (3) of section 20, section 23, clause (b) of section 24 and section 25, the Chairman shall appoint the Secretary to the Authority or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and impose penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving the person concerned a reasonable</u>

		<u>opportunity of being heard.</u> <u>(2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Chairman, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed.</u> <u>(3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Chairman that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</u> <u>(4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(5) The appellate authority referred to in sub-section (2) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing.</u> <u>(6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”.</u> <u>(D) In section 33, in sub-section (2), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-</u> <u>“(qa) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 25A;</u> <u>(qb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 25A;”.</u> (Recommendation No. 62)

20. Amendments proposed to The High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978

(Sl. No. 20 of the Schedule)

3.61 The Committee observed that during briefing by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on the proposed amendments, the Committee asked the Ministry to examine the feasibility of repealing the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978. During Clause by Clause consideration, the Ministry agreed with the suggestion of the Committee for repeal of the Act.

3.62 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978	In section 10,— (i) in sub-section (1), for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words "punishable with fine" shall be substituted; (ii) in sub-section (2), for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words "punishable with fine" shall be substituted; (iii) in sub-section (3), for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words "punishable with fine" shall be substituted.	<u>Repealed</u> (Recommendation No. 63)

21. Amendments proposed to The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

(Sl. No. 21 of the Schedule)

3.63 The Ministry submitted, inter alia, as under:-

“हमारे चार एक्ट्स हैं, जिनमें 16 पीनल प्रो वजन्स में से 9 में ड क्र मनलाइजेशन का प्रस्ताव रखा था। माननीय स मति ने 6 सुझाव दिए थे और हमने 6 सुझावों को एक्सेप्ट कर लिया है।”

3.64 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.65 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Air and Control of Pollution) Act, 1981	xxx xxx xxx (B) After section 21, the following section shall be inserted, namely:— "21A. Power to issue guidelines.— (1) Notwithstanding anything contained in section 21, the Central Government in consultation with the Central Board, may, by notification in the Official Gazette, issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish or operate any industrial plant in an air pollution control area, including the mechanism for time bound disposal of the application made under section 21 or validity period of such consent.	xxx xxx xxx (B) After section 21, the following section shall be inserted, namely: - “21A. Power to issue guidelines. – (1) Notwithstanding anything contained in <i>this Act</i>, the Central Government in consultation with the Central Board, may, by notification in the Official Gazette, issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish or operate any industrial plant in an air pollution control area, including the mechanism for time bound disposal of the application made under section 21 or validity period of such consent. (Recommendation No. 64)

	(2) Every State Board, in discharge of its functions for the purposes of grant, refusal or cancellation of consent under section 21 shall act in accordance with the guidelines issued under sub-section (1)." (C) For sections 37 to 41, the following sections shall be substituted, namely:— '37. Failure to comply with provisions of section 22 or directions issued under section 31A.-(1) Whoever contravenes or does not comply with the provisions of section 22 or directions issued under section 31A, shall, in respect of each such contravention or non-compliance, be liable to pay penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention or non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees every day during which such contravention continues. 38. Penalties for certain acts.—(1) Whoever— (a) destroys, pulls down, removes, injures or defaces any pillar, post or stake fixed in the ground or any notice or other matter put up, inscribed or placed, by or under the authority of the Board; (b) obstructs any person acting under the orders or directions of the Board from exercising his powers and performing his functions under this Act;	(2) Every State Board, in discharge of its functions for the purposes of grant, refusal or cancellation of consent under section 21 shall act in accordance with the guidelines issued under sub-section (1)." (C) For sections 37 to 41, the following sections shall be substituted, namely: - '37. Failure to comply with provisions of section 22 or directions issued under section 31A.-(1) Whoever contravenes or does not comply with the provisions of sections 22 or directions issued under section 31A, shall, in respect of each such contravention, be liable to penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention under sub-section (1), he shall be liable to additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues. (Recommendation No. 65) 38. Penalties for certain acts. – (1) Whoever- (a) destroys, pulls down, removes, injures or defaces any pillar, post or stake fixed in the ground or any notice or other matter put up, inscribed or placed, by or under the authority of the Board; (b) obstructs any person acting under the orders or directions of the Board from exercising his powers and performing his functions under this Act;

	(c) damages any works or property belonging to the Board; (d) fails to furnish to the Board or any officer or other employee of the Board any information required by the Board or such officer or other employee for the purposes of this Act; (e) fails to intimate the occurrence of the emission of air pollutants into the atmosphere in excess of the standards laid down by the State Board or the apprehension of such occurrence, to the State Board and other prescribed authorities or agencies as required under sub-section (1) of section 23; (f) fails in giving any information which he is required to give under this Act, makes a statement which is false in any material particular, shall be liable to pay penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention or non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees every day during which such contravention continues. 38A. Penalty for contravention by Government Department.— (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall	(c) damages any works or property belonging to the Board; (d) fails to furnish to the Board or any officer or other employee of the Board any information required by the Board or such officer or other employee for the purposes of this Act; (e) fails to intimate the occurrence of the emission of air pollutants into the atmosphere in excess of the standards laid down by the State Board or the apprehension of such occurrence, to the State Board and other prescribed authorities or agencies as required under sub-section (1) of section 23; (f) fails in giving any information which he is required to give under this Act, makes a statement which is false in any material particular, shall be liable to penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention under sub-section (1), he shall be liable to additional penalty of ten thousand rupees <u>for</u> every day during which such contravention continues. (Recommendation No. 66) 38A. Penalty for contravention by Government Department.— (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to

	be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. 39. Penalties for contravention of certain provisions of this Act.—If any person contravenes any of the provisions of this Act or any order or direction issued	penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. 39. Penalties for contravention of certain provisions of this Act. - If any person contravenes any of the provisions of this Act or any order or direction issued thereunder, for which no penalty has been provided for in this Act, shall be

	thereunder, for which no penalty has been provided for in this Act, shall be liable to pay the penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees, and where such contravention continues, he shall be liable to pay an additional penalty which may extend to ten thousand rupees every day during which such contravention continues 39A. Adjudicating officer.—(1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 37, 38 and 39, shall appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose the penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened the provisions of this Act, he may determine such penalty as he thinks fit in liable to penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees, and where such contravention continues, he shall be liable to additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which such contravention continues. 39A. Adjudicating officer. - (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 37, 38, 38A and section 39, shall appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose the penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened the provisions of this Act, he may determine such penalty as he thinks fit under the provisions of sections 37, 38, 38A or 39, as the case may be:

	accordance with the provisions of sections 37, 38 or 39, as the case may be: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned an opportunity of being heard in the matter. (3) The amount of penalty imposed under the provisions of sections 37, 38 and 39, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). 39B. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under sections 37, 38 or 39, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), it shall not be entertained by the Tribunal unless the person has	Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a <u>reasonable</u> opportunity of being heard. (3) The amount of penalty imposed under the provisions of sections 37, 38, <u>38A</u> and 39, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (Recommendation No. 67) 39B. Appeal. - (1) <u>Whoever</u> aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under sections 37, 38, <u>38A</u> or 39, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), it shall not be entertained by the Tribunal unless the person has deposited with the Tribunal ten per cent. of the

	deposited with the Tribunal ten per cent. of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer. 39C. Penalty amount to be credited to Environmental Protection Fund.—Where an adjudicating officer imposes penalty or additional penalty, as the case may be, under sections 37, 38 or 39, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986). XXX XXX XXX	amount of the penalty imposed by the adjudicating officer. 39C. Penalty amount to be credited to Environmental Protection Fund. - Where an adjudicating officer imposes penalty or additional penalty, as the case may be, under sections 37, 38, 38A or 39, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986). (Recommendation No. 68) XXX XXX XXX

22. Amendments proposed to The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981

(Sl. No. 22 of the Schedule)

3.66 The Department submitted, inter alia, as under:-

“बस दो-तीन सेक्शंस ही हैं। वे भी रिपेटिटिव ही हैं। एक के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। अगला अगर हम देखें, तो वह subject to Sub-section 3 का है, जो क अभी लॉ मनिस्ट्री ने ओपाइन किया है क it is superfluous. It is a similar change in the case of BICGC....बाकी सब एक्सेप्टेड है। आपके सभी सुझाव एक्सेप्टेड हैं। We have accepted everything..... we will remove it. On the issue of principal civil court, we will seek the advice of the Ministry of Law.”

3.67 In view of the submissions made by the Department, the Committee after deliberating on the amendments proposed in the Bill to the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 agreed to the amendment proposed to the Act in the Bill, as introduced with minor changes in the proviso to sub-section (4) and sub-section (6) of Section 56, as mentioned below:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The National Bank for Agriculture and	In section 56, for sub-section (2),	In section 56, for sub-section (2),

Rural Development Act, 1981	the following sub-sections shall be substituted, namely:— xxx xxx xxx (4) Any penalty imposed by the National Bank under this section shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the National Bank demanding payment of the sum is served on the person and, in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no such direction shall be made to the court by the National Bank or by any officer authorised by the National Bank in this behalf. xxx xxx xxx (6) No complaint shall be filed against any person in any court in respect of any contravention or default in respect of which any penalty has been imposed by the National Bank under sub-section (2). xxx xxx xxx	the following sub-sections shall be substituted, namely:- xxx xxx xxx (4) Any penalty imposed by the National Bank under this section shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the National Bank demanding payment of the sum is served on the person and, in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no such direction shall be made <u>except on an application made</u> to the court by the National Bank or by any officer authorised by the National Bank in this behalf. xxx xxx xxx (6) No complaint shall be filed against any person in any court <u>relating to</u> any contravention or default in respect of which any penalty has been imposed by the National Bank under sub-section (2). xxx xxx xxx (Recommendation No. 69)

23. Amendments proposed to The Spices Board Act, 1986**(Sl. No. 23 of the Schedule)**

3.68 The Department submitted, inter alia, as under:-

“The manner of imposing a penalty under sub-section (1) in the manner of an appeal under sub-section (2) of Section 24(b).

In the Spices Board Act, 1986, the suggestion was for adjudication of penalties. That is the one we have brought in as a new section.....

section 30a, subsection 1 – for the purpose of adjudicating the penalties under section 26, 27, 29, the purpose of adjudicating the penalties under sections 26, 27, 29, and 30, the Secretary, Spices Board shall appoint an officer not below the rank of Director in Spices Board or any other officer authorised by the Central Government as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the prescribed manner after giving any person concerned an opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty.

sub-section (2): "Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Secretary, Spices Board, within a period of 60 days from the date of receipt of such order, in such form and order as may be prescribed.....लास्ट सब-सेक्शन 4 हटा देंगे।

In section 27, in the long line, for the words “imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both”, we had proposed the words “penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent contravention...”. We will have to change the word ‘offence’ with contravention.

The Committee guided that we should try to bring in some consistency across the Board. Section 38, 39, and 40 are being omitted. We are bringing back section 41(1) with the guidance of the Committee received in the last meeting. We are bringing back section 41 except for “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both”. The words “liable to pay penalty which may extend to fifty thousand rupees” shall be substituted. With these changes, we propose to retain the section.....We are retaining sections 41 and 42 with changes.”

3.69 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.70 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Spices Board Act, 1986	(A) In section 27, in the long line, for the words "imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the words "penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent offence penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted. (B) Section 28 shall be omitted. (C) In section 29, for the words "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the words "penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent	<u>(A) In section 26, for the words "punishable with fine which may extend to five hundred rupees", the words "liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent failure, penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted.</u> (Recommendation No. 70) (B) In section 27, in the long line, for the words "<u>punishable with</u> imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the words "<u>liable to</u> penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent <u>contravention</u>, penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 71) (C) Section 28 shall be omitted. (D) In section 29, for the words, "<u>punishable with</u> imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the words "<u>liable to</u> penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent

	offence penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted. (D) In section 30, for the words "imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention", the words "penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent offence, penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted.	<u>contravention</u>, penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 72) <u>(E)</u> In section 30, for the words, "<u>punishable with</u> imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention", the words "<u>liable to</u> penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent <u>contravention</u>, penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 73) <u>(F) After section 30, the following section shall be inserted, namely:-</u> <u>"30A. Adjudication of penalties.</u> <u>- (1) For the purposes of adjudging the penalties under sections 26, 27, 29 and 30, the Secretary to the Board shall appoint an officer not below the rank of Director in the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and to impose penalty in the manner as may be prescribed, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(2) Whoever is aggrieved by</u>

		<u>any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Secretary to the Board, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed.</u> <u>(3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Secretary to the Board that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</u> <u>(4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing.</u> <u>(6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”.</u> <u>(G) In section 38, in sub-section (2), after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely:-</u> <u>“(ma) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 30A;</u> <u>(mb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 30A.”.</u> <u>(Recommendation No. 74)</u>

3.71 Amendment moved by Adv. Dean Kuriakose, MP in absentia was not accepted by the Committee as there was no justification.

24. Amendments proposed to The Environment (Protection) Act, 1986**(Sl. No. 24 of the Schedule)**

3.72 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that the above said amendment may be incorporated in the Bill. Other amendments proposed in the Bill to the Act were agreed to by the Committee.

3.73 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Environment (Protection) Act, 1986	xxx xxx xxx (C) After section 14, the following sections shall be inserted, namely:— "14A. Penalty for contravention of section 7 or section 8.—(1) If any person, contravenes provisions of section 7 or section 8 or the rules made thereunder, he shall be liable to pay the penalty in respect of each such contravention or non-compliance, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention or non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of fifty thousand rupees for every day during which such contravention continues. 14B. Penalty for contravention of sections 9, 10 and 11.—(1) If any person contravenes or does not comply with the provisions	xxx xxx xxx (C) After section 14, the following sections shall be inserted, namely:— "14A. Penalty for contravention of section 7 or section 8. - (1) If any person, contravenes provisions of section 7 or section 8 or the rules made thereunder, he shall be liable to penalty in respect of each such contravention, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention under sub-section (1), he shall be liable to additional penalty of fifty thousand rupees for every day during which such contravention continues. 14B. Penalty for contravention of sections 9, 10 and 11. - (1) If any person contravenes or does not comply with the provisions of

	of section 9, section 10 or section 11 or orders or directions issued under those sections, he shall be liable to pay penalty in respect of each such contravention or non-compliance which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to five lakh rupees. (2) Where any person continues contravention or non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues." (D) For sections 15 to 17, the following shall be substituted, namely:— '15. Penalty for contravention of provisions of Act, rules, orders and directions.—(1) Where any person contravenes or does not comply with any of the provisions of this Act or the rules made or orders or directions issued thereunder for which no penalty is provided, he shall be liable to pay the penalty in respect of each such contravention or non-compliance which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention or non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention	section 9, section 10 or section 11 or orders or directions issued under those sections, he shall be liable to penalty in respect of each such contravention which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to five lakh rupees. (2) Where any person continues contravention under sub-section (1), he shall be liable to additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues." (D) For sections 15 to 17, the following shall be substituted, namely: - '15. Penalty for contravention of provisions of Act, rules, orders and directions. - (1) Where any person contravenes or does not comply with any of the provisions of this Act or the rules made or orders or directions issued thereunder for which no penalty is provided, he shall be liable to penalty in respect of each such contravention which shall not be less than <u>ten</u> thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (Recommendation No. 75) (2) Where any person continues contravention under sub-section (1), he shall be liable to additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention

	continues. 15A. Penalty for contravention by companies.—(1) Where any company contravenes any of the provisions of this Act, the company shall be liable to pay the penalty for each such contravention which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any company continues contravention or non-compliance under sub-section (1), the company shall be liable to pay an additional penalty of one lakh rupees for every day during which such contravention continues. 15B. Penalty for contravention by Government Department.—(1) Where contravention of any of the provisions of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary:	continues. 15A. Penalty for contravention by companies. - (1) Where any company contravenes any of the provisions of this Act, the company shall be liable to penalty for each such contravention which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any company continues contravention under sub-section (1), the company shall be liable to additional penalty of one lakh rupees for every day during which such contravention continues. 15B. Penalty for contravention by Government Department. – (1) Where contravention of any of the provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to penalty equal to one month of his basic salary:

	Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. xxx xxx xxx 15C(4) The adjudicating officer, while adjudicating the quantum of penalty under sub-section (3), shall have due regard to the following, namely:— xxx xxx xxx (f) any such other factor, as may be prescribed. xxxxx 15D. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under this Act may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). xxx xxx xxx CHAPTER IIIA FUND, ACCOUNTS AND AUDIT 16(3) The Fund shall be applied for— (a) the promotion of awareness, education and research for the protection of environment; (b) the expenses for achieving the objects and purposes of the Air (Prevention	Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. xxx xxx xxx 15C(4) The adjudicating officer, while adjudicating the quantum of penalty under sub-section (3), shall have due regard to the following, namely: - xxx xxx xxx (f) such other factor, as may be prescribed. xxxxx 15D. Appeal. - (1) <u>Whoever</u> aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under this Act may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (Recommendation No. 76) xxx xxx xxx <u>(E) After Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely: -</u> “CHAPTER IIIA FUND, ACCOUNTS AND AUDIT 16(3) The Fund shall be applied for – (a) the promotion of awareness, education and research for the protection of environment; (b) the expenses for achieving the objects and for purposes of the Air (Prevention and Control of

	and Control of Pollution) Act 1981 (14 of 1981), and this Act; xxx xxx xxx 16B. Annual Report.- The Central Government shall prepare its annual report in relation to Environmental Protection Fund giving a full account of its activities defined under this Act in such form, as may be prescribed, for each financial year during the previous financial year and forward a copy thereof, within four months from the last date of the previous financial year, to the Central Government which shall cause the annual report and the audit report given by the Comptroller and Auditor-General of India to be laid before each House of Parliament.”. xxx xxx xxx	Pollution) Act 1981(14 of 1981) and <u>under</u> this Act; xxx xxx xxx 16B. Annual Report.- The Central Government shall prepare its annual report in relation to Environmental Protection Fund giving a full account of its activities defined under this Act in such form, as may be prescribed, for each financial year during the previous financial year, <u>and shall be laid before each House of Parliament along with audit report</u> given by the Comptroller and Auditor-General of India.”. (Recommendation No. 77) xxx xxx xxx

25. Amendments proposed to The National Housing Bank Act, 1987 (Sl. No. 25 of the Schedule)

3.74 The Committee observed that during briefing by the Department of Financial Services, Ministry of Finance on the proposed amendments, a modification was suggested by the Committee in the proposed new section 33C for examination by the Department.

3.75 The Department submitted, inter alia, as under:-

“there is only one sub-Section in which the hon. Committee had suggested insertion which is Section 33(c) in which the Committee had suggested that the auditors should also be given and a reasonable opportunity of being heard.....So, we have amended the Section. Now, we are saying: “Where any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under Section 33, the Reserve Bank may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the auditor, remove or debar the auditor from exercising the duties as auditor of any of the Reserve Bank regulated entities for a maximum period of three years, at a time.” So, that we have changed”

3.76 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendment proposed by the Committee in new section 33C may be incorporated in the Bill. The Committee agreed to the other amendments proposed to the Act by the Bill.

3.77 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The National Housing Bank Act, 1987	(A) After section 33B, the following section shall be inserted, namely:— "33C. Power to take action against auditors.—Where any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under section 33, the Reserve Bank may, if satisfied, remove or debar the auditor from exercising the duties as auditor of any of the Reserve Bank regulated entities for a maximum period of three years, at a time." xxx xxx xxx	(A) After section 33B, the following section shall be inserted, namely: — "33C. Power to take action against auditors.—Where any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under section 33, the Reserve Bank may, <u>after giving a reasonable opportunity of being heard</u>, remove or debar the auditor from exercising the duties as auditor of any of the Reserve Bank regulated entities for a maximum period of three years, at a time." (Recommendation No. 78) xxx xxx xxx

26. Amendments proposed to The Motor Vehicles Act, 1988

(Sl. No. 26 of the Schedule)

3.78 The Ministry submitted *inter alia* as under:-

“जिसमें आपने कुछ सुझाव दिए थे। उन सारे सुझावों को मनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़ ने मान लये हैं। अगर आप अनुमति दें, तो मैं उनकी री डिंग भी कर सकता हूँ।”

3.79 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.80 Accordingly, the provisions, as amended, by the Joint Committee have been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Motor Vehicles Act, 1988	(A) In section 192A, in sub-section (1), — (i) for the words “and a fine of ten thousand rupees”, the words “or a fine of ten thousand rupees, or with both” shall be substituted; (ii) the proviso shall be omitted. XXXXXX (B) In section 200,— (i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:— “Compounding of offences.”; (ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— “(1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act, punishable under section 177, section 177A, section 178, section 179, section 180, section 181, section 182, sub-section (1) or sub-section (3) or sub-section (4) of section 182A, section 182B, sub-section (1) or sub-section (2) of section 183, section 184 to the extent of use of handheld communication devices, section 186, section 189, sub-section (2) of section 190, section 192, section 192A, sub-section (3)	(A) In section 192A, in sub-section (1), — (i) for the words “a fine of ten thousand rupees”, the words “a fine of ten thousand rupees, or with both” shall be substituted; (ii) the proviso shall be omitted. XXXXXX <u>(B) In section 200, <i>for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: —</i></u> “(1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act punishable under section 177, section 177A, section 178, section 179, section 180, section 181, section 182, sub-section (1) or sub-section (3) or sub-section (4) of section 182A, section 182B, sub-section (1) or sub-section (2) of section 183, <u>clause (c) of the Explanation to</u> section 184, section 186, section 189, sub-section (2) of section 190, section 192, section 192A, sub-section (3) of section 192B, section 194, section 194A, section 194B, section 194C, section 194D, section 194E, section 194F, section 196, section 198 and section 201, may, either before or after the institution of the

	of section 192B, section 194, section 194A, section 194B, section 194C, section 194D, section 194E, section 194F, section 196, section 198 and section 201, may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf." (C) In section 215, in sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:— "Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute District Road Safety Committee for such district in such State, where the State Government has not constituted the Committee, consisting of a Chairman and such other members as it considers necessary, and on such terms and conditions as it may determine."	prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf." (C) In section 215, in sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that <u>where a State Government has not constituted the District Road Safety Committee, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Committee for such District, consisting of a Chairman and such other members as it considers necessary and on such terms and conditions as it may determine.</u>" (Recommendation No. 79)

27. Amendments proposed to The Railways Act, 1989

(Sl. No. 27 of the Schedule)

3.81 The Bill seeks to substitute sub-section (2) of Section 144 as below:

"(2) No person shall be permitted to beg in any railway carriage or upon any part of the railway."

3.82 In view of submission by the Ministry, the Committee agreed to the amendment proposed in the Bill.

28. Amendments proposed to The Public Liability Insurance Act, 1991**(Sl. No. 28 of the Schedule)**

3.83 In view of the submissions made by the Ministry during Clause by Clause consideration, the Committee decided that the amendments proposed to the Act by the Bill, as introduced, may be accepted. However, the Committee agreed to amend the proviso to sub-section (2) of the proposed new section 15A so as to insert the word “reasonable” therein to bring the provision in conformity with the principle of natural justice.

3.84 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee, has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Public Liability Insurance Act, 1991	xxx xxx xxx (C) In section 4,— xxxxxx Provided that any owner handling any hazardous substance immediately before the commencement of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2022, shall take out such insurance policy or policies as soon as may be and in any case within a period of one year from the commencement of that Act.”; xxxxx (E) In section 7, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely:— “(9) Where the environment is affected or damaged due to manufacture, processing, treatment, package, storage,	xxx xxx xxx (C) In section 4, - xxxxxx Provided that any owner handling any hazardous substance immediately before the commencement of the <i>Jan Vishwas</i> (Amendment of Provisions) Act, 2023, shall take out such insurance policy or policies as soon as may be and in any case within a period of one year from commencement of that Act.”; xxxxx (E) In section 7, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely:— “(9) Where the environment is affected or damaged due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection,

	transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, the Central Government may, on an application made by the Central Pollution Control Board or the State Pollution Control Board, as the case may be, allocate the fund for restoration of the damage so caused in the manner as may be prescribed." XXXXX (G) For section 14, the following section shall be substituted, namely:— "14. Penalty for contravention.— (1) Where any person contravenes any of the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4, he shall be liable to pay the penalty equal to the amount of annual premium for insurance policy and may extend to twice the amount of such premium. (2) Where contravention under sub-section (1) continues, an additional penalty may be imposed by the adjudicating officer, which shall not exceed the amount of premium to be paid, for each month or part thereof during which the contravention continues." For section 15, the following sections shall be substituted,	destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, the Central Government may, on an application made by the Central Pollution Control Board or the State Pollution Control Board, as the case may be, allocate the fund <u>from the Environmental Relief Fund</u> for restoration of the damage so caused in the manner as may be prescribed." (Recommendation No. 80) XXXXX (G) For sections 14 and 15, the following sections shall be substituted, namely: — "14. Penalty for contravention. — (1) Where any person contravenes any of the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4, he shall be liable to penalty equal to the amount of annual premium for insurance policy and may extend to twice the amount of such premium. XXXX (2) Where any person continues non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to additional penalty to be imposed by the adjudicating officer, which shall not be less than ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues. (3) Where any owner does not

	namely:— "15. Penalty for non-compliance of directions.—(1) Where any person does not comply with any directions issued under section 12, he shall be liable to pay a penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. Where any person continues non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to pay an additional penalty to be imposed by the adjudicating officer, which shall not be less than ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues. Where any owner does not comply with the direction issued under section 9 or obstructs any person in discharge of his functions under section 10 or under sub-sections (1), (2) or (3) of section 11, he shall be liable to pay penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. Where any person continues non-compliance under sub-section (3), he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues. 15A. Adjudicating Officer.— (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 14 or 15, may appoint the District Magistrate having jurisdiction over the area or an officer not below the rank of Director to the Government of India or an	comply with the direction issued under section 9 or obstructs any person in discharge of his functions under section 10 or under sub-sections (1), (2) or (3) of section 11, he shall be liable to penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (4) Where any person continues non-compliance under sub-section (3), he shall be liable to additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues. 15A. Adjudicating Officer.- (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 14 or 15, may appoint District Magistrate having jurisdiction over the area or an officer not below the rank of Director to the Government of India or an officer not below the

	officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government, to be the adjudicating officer, to hold an inquiry in the manner, as may be prescribed and to impose the penalty: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4 and section 12, he may determine such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of sections 14 and 15: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned an opportunity of being heard in the matter. xxx xxx xxx 15B. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under sections 14 or 15, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of	rank of Joint Secretary to the State Government, to be the adjudicating officer, to hold an inquiry in the manner, as may be prescribed and to impose the penalty: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4 and section 12, he may determine such penalty as he thinks fit <u>under</u> the provisions of sections 14 and 15: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. (Recommendation No. 81) xxx xxx xxx 15B. Appeal.—(1) <u>Whoever</u> aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section <u>15A</u>, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green

	the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). xxx xxx xxx (J) For section 17, the following sections shall be substituted, namely:— '17. Penalty for contravention by Government Department.— (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of any officer, other than the Head of the Department, he shall be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. xxxxxxx	Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (Recommendation No. 82) xxx xxx xxx (J) For section 17, the following sections shall be substituted, namely: — '17. Penalty for contravention by Government Department. — (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or State Government, the Head of the Department shall be liable to penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, he shall be liable to penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. xxxxxxx

29. Amendments proposed to The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995

(Sl. No. 29 of the Schedule)

3.85 The Committee noted that during the briefing by the Ministry of Information and Broadcasting on the proposed amendments, certain modifications were suggested by the Committee in Section 16(1)(2)(3) and Section 22(2)(db) of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

3.86 The Ministry submitted, inter alia, as under:-

“इसमें कमेटी की रिकमेंडेशन थी, सैक्शन 16 के सबसैक्शन (1)(2)(3) में थी।.....
‘पनिशेबल’ की जगह ‘लाएबल’ हो गया।”

3.87 The Official further stated that all the suggestions made by the Committee have been accepted.

3.88 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.89 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995	(A) For sections 16 to 18, the following section shall be substituted, namely:— "16. Penalty for contravention of provisions of this Act.—(1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act shall be punishable,— (a) for the first offence, with advisory, or censure, or	(A) For <u>CHAPTER IV</u>, the following <u>CHAPTER</u> shall be substituted, namely:- <u>“CHAPTER IV</u> <u>PENALTIES</u> 16. Penalty for contravention of provisions of this Act. – (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act shall be <u>liable</u>,- (a) for the first <u>contravention</u>, with advisory, or censure, or

	warning, or a penalty which may extend to twenty thousand rupees, or with both; (b) for every subsequent offence, with advisory, or censure, or warning, or a penalty which may extend to one lakh rupees, or with both; (c) for any violation thereafter, by cancellation of registration granted, for such period, by the designated officer, as may be prescribed. (2) The designated officer, may, for the reasons to be recorded in writing, by order, impose penalty referred to in sub-section (1): Provided that no such penalty shall be imposed without giving a reasonable opportunity of being heard. (3) Any person aggrieved by any penalty imposed by order under sub-section (2), may prefer an appeal to the Secretary to the Government of India or such other officer authorised by him:	warning, or a penalty which may extend to twenty thousand rupees, or with both; (b) for every subsequent <u>contravention within a period of three years</u>, with advisory, or censure, or warning, or a penalty which may extend to one lakh rupees, or <u>with</u> both, by <u>such</u> designated officer, as may be prescribed. (2) The designated officer, may, for the reasons to be recorded in writing, by order, impose penalty referred to in sub-section (1): <u>Provided that in cases of more than three contraventions over a period of three years, the designated officer, in addition to penalty referred to in sub-section (1), may, for the reasons to be recorded in writing, by order, suspend or revoke the registration granted:</u> Provided <u>further</u> that no <u>order by the designated officer under this sub-section</u> shall be <u>made</u> without giving a reasonable opportunity of being heard. (3) <u>Whoever</u> aggrieved by <u>the order made</u> under sub-section (2), may prefer an appeal to the Secretary to the Government of India or such other officer authorised by him:

	Provided that no such appeal shall be admissible after thirty days of imposition of penalty: Provided further that an appeal may be entertained after the expiry of the period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time." XXX XXX XXX	Provided that no such appeal shall be admissible after <u>the expiry of</u> thirty days <u>from the date of receipt of such order:</u> Provided further that an appeal may be entertained after the expiry of the period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time." (Recommendation No. 83) XXX XXX XXX

30. Amendments proposed to The Trademarks Act, 1999

(Sl. No. 30 of the Schedule)

3.90 The Department submitted, inter alia, as under during Clause by Clause consideration of amendments:

“सर, सेक्शन 107 में यह था क जिसका ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड न हो और इसको गलत रजिस्टर्ड किया हुआ शो करे, तो हमने इसमें पेनल्टी लगाई थी। We had said again ‘not less than Rs. 25,000 may extend to Rs. 1 lakh.’

इसमें कमेटी की रेकमेंडेशन थी, the Committee said that Rs. 1 lakh is too less a limit for the upper cap. So, we have revised it. Now, we have said: ‘If any person contravenes any of the provisions of Sub-Section 1, he shall pay, by way of penalty, a sum equal to one-half per cent of the total sales or turnover as the case may be in business or gross receipts in the profession as computed in the audited accounts of such person or a sum equal to Rs. 5 lakh, whichever is less.....or he shall be liable to a penalty of not less than Rs. 25,000 which may extent to Rs. 5 lakh.”

3.91 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.92 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Trade Marks Act, 1999	xxxxxx (B) In section 107, in sub-section (2), for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words "liable to a penalty of not less than twenty-five thousand rupees but which may extend to one lakh rupees" shall be substituted. xxxxxx (D) after section 112, the following section shall be inserted, namely:— "112A. Adjudication of penalties.— (1) The Registrar may, by an order, impose penalty on a person for any contravention or default, the manner and conditions of recovery of penalty under the provisions of this Act shall be such as may be prescribed. (2) The Registrar shall, before imposing any penalty, give a reasonable opportunity of	Xxxxxxx <u>(B)</u> In section 107, in sub-section (2), for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words "<u>liable to penalty of a sum equal to one half per cent of the total sales or turnover, as the case may be, in business or of the gross receipts in profession, as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five lakhs rupees, whichever is less</u>". (Recommendation No. 84) xxxxxx (D) after section 112, the following sections shall be inserted, namely:— <u>"112A. Adjudication of penalties.— The Registrar may, by an order, authorise an officer referred to in section 3, to be adjudicating officer for holding an inquiry and impose penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>112B. Appeal.— (1) Whoever aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 112A may prefer an</u>

	being heard to the person who is in default. (3) Where the person fails to comply with the order made under sub-section (1), within a period of ninety days from the date of receipt of the order, he shall be punishable with a fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both."	<u>appeal to the appellate authority, who shall be an officer at least one rank above the adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of receipt of the order, as the Central Government may by notification authorise in this behalf.</u> <u>(2) Every appeal under this section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed,</u> <u>(3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</u> <u>(4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal.</u> <u>(6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 112A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both."</u> [Reference para 3.56B] (Recommendation No. 85)

	(E) In section 140, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:— "(3) The importer or his agent shall, within fourteen days, comply with the requirement as aforesaid, and if he fails to do so, he shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees: Provided that the penalty under this section shall be levied by such authority as authorised under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for this purpose." (F) In section 157, in sub-section (2), after clause (xxxiii), the following clause shall be inserted, namely:— "(xxxiiia) the manner and conditions of recovery of penalty under sub-section (1) of section 112A;"	(E) In section 140, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:— "(3) The importer or his agent shall, within fourteen days, comply with the requirement as aforesaid, and if he fails to do so, he shall be liable to ~~pay a~~ penalty of ten thousand rupees: Provided that the penalty under this section shall be levied <u>and recovered</u> by such authority under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for this purpose." <u>(F) In section 157, in sub-section (2), after clause (xxxiii), the following clauses shall be inserted, namely:-</u> <u>"(xxxiiia) the manner of imposing penalty under section 112A;</u> <u>(xxxiiib) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 112B; "</u> (Recommendation No. 86)

31. Amendments proposed to The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999

(Sl. No. 31 of the Schedule)

3.93 The Department submitted inter alia as under during Clause by Clause consideration of amendments:

“चारों एक्ट्स में सेम चीज है। हमने चारों में सेम फ्लॉसफी लगा दी है। इसमें जो सेक्शन 42 था, उसमें कमेटी की रेक्मेंडेशन थी।..... आगे अपीलेंट अथॉरिटी है। उसके बाद, कॉपी राइट एक्ट में ऐसा कोई सजेशन नहीं था, हम सेक्शन को ऑ मट ही कर रहे थे।“

3.94 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.95 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999	(A) After section 37, the following section shall be inserted, namely:— "37A. Adjudication of penalties.—(1) The Registrar may, by an order, impose penalty, on a person for any contravention or default under the provisions of this Act, the manner and conditions of recovery of penalty, shall be such as may be prescribed. (2) The Registrar shall, before imposing any penalty, give a reasonable opportunity of being heard to the person who is in default. (3) Where the person fails to comply with the order made under sub-section (1), within a period of ninety days from the date of receipt of the order, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to five lakh rupees, or with both."	(A) After section 37, the following section shall be inserted, namely:— <u>"37A. Adjudication of penalties.— The Registrar may, by an order, <u>authorise an officer referred to in section 3, to be adjudicating officer for holding an inquiry and impose penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving a reasonable opportunity of being heard.</u></u> <u>37B. Appeal.— (1) Whoever aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 37A may prefer an appeal to the appellate authority, who shall be an officer at least one rank above the adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of receipt of the order, as the Central Government may by notification authorise in this behalf.</u> <u>(2) Every appeal under this section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed,</u> <u>(3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority</u>

	(B) In section 42, in sub-section (2), for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words "liable to a penalty, of not less than twenty-five thousand rupees but which may extend to one lakh rupees" shall be substituted. XXXXXXX	<u>that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</u> <u>(4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard.</u> <u>(5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing.</u> <u>(6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 37A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both."</u> [Reference para 3.56B] (Recommendation No. 87) (B) In section 42, in sub-section (2), for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words "<u>liable to penalty of a sum equal to one half per cent of the total sales or turnover, as the case may be, in business or of the gross receipts in profession as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five lakh rupees, whichever is less</u>" shall be substituted. (Recommendation No. 88) XXXXXXX

	(D) In section 87, in sub-section (2), after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:— "(oa) the manner and conditions of recovery of penalty under sub-section (1) of section 37A;"	(D) In section 87, in sub-section (2), after clause (o), the following clauses shall be inserted, namely:— <u>"(oa) the manner of holding inquiry and imposing penalty under section 37A;</u> <u>(ob) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 37B;</u> " . (Recommendation No. 89)

32. Amendments proposed to The Information Technology Act, 2000

(Sl. No. 32 of the Schedule)

3.96 The Ministry submitted, inter alia, as under during Clause by Clause consideration of amendments:

“इसमें वहां काफी डटेल में डस्कशन हुई है। हमारा जो नया डीपीडीपी बिल है, उससे भी हम इसको एलाइन कर रहे हैं। वह जल्दी ही आने वाला है, कंसल्टेशन पूरा हो गया है। यह क्लॉज भी अगर हम देखें तो – it is ‘save as otherwise provided’ – यह एक से वंग क्लॉज है। जैसा माननीय स मति ने भी कहा था क इसे उससे एलाइन कर दिजिये, क्योंकि वह डीपीडीपी बिल भी हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, हमने उससे एलाइन किया है। सेक्शन 72ए भी सेम है। There was a suggestion that the word punishment should be replaced with penalty if there is no criminal punishment. We have accepted that..... जैसा माननीय स मति ने बताया था, वैसे ही हमने बदल दिया है।”

3.97 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.98 Accordingly, the provision, as amended by the Joint Committee, has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Information Technology Act, 2000	(A) In section 2, in sub-section (1), in clause (e), for the long line, the following shall be substituted, namely:— "the State Government, and in any other case— (I) relating to relevant provision, or a computer resource, which is controlled by the respective Ministry or Department of the Central Government, such Ministry or Department; or (II) not covered under sub-clause (I), the Central Government;".	Amendment omitted. (A) In section 33, in sub-section (2), for the words, "punished with imprisonment which may extend up to six months or a fine which may extend up to ten thousand rupees or with both", the words "liable to penalty which may extend to five lakh rupees" shall be substituted.
	(B) In section 33, in sub-section (2), for the words "punished with imprisonment which may extend up to six months or a fine which may extend up to ten thousand rupees or with both", the words "liable to pay penalty which may extend to five lakh rupees" shall be substituted. (C) In section 44,— (i) in clause (a), for the words "one lakh and fifty thousand", the words "fifteen lakh" shall be substituted; (ii) in clause (b), for the words "five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted; (iii) in clause (c), for the words "ten thousand", the words "one lakh" shall be substituted.	(B) In section 44,— (i) in clause (a), for the words, "one lakh and fifty thousand", the words "fifteen lakh" shall be substituted; (ii) in clause (b), for the words, "five thousand", the words "fifty thousand", shall be substituted; (iii) in clause (c), for the words, "ten thousand", the words "one lakh" shall be substituted. (C) In section 45, — <u>(i) for the words "rules or regulations", the words "rules, regulations, directions or orders" shall be substituted;</u> <u>(ii)</u> for the words, "compensation not exceeding twenty-five

	(D) In section 45, for the words "compensation not exceeding twenty-five thousand rupees to the person affected by such contravention or a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees", the following shall be substituted, namely:— "penalty not exceeding one lakh rupees, in addition to compensation to the person affected by such contravention not exceeding— (a) ten lakh rupees, by an intermediary, company or body corporate; or (b) one lakh rupees, by any other person." (E) In section 46, in sub-section (1), for the words "under this Chapter", the words "under this Act" shall be substituted. (F) Section 66A shall be omitted. (G) In section 67C, in sub-section (2), for the words "punished with an imprisonment for a term which may extend to three years and also be liable to fine", the words "liable to pay penalty which may extend to twenty-five lakh rupees" shall be substituted. (H) In section 68, in sub-section (2), for the words "on	thousand rupees to the person affected by such contravention or a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees", the following shall be substituted, namely:— "penalty not exceeding one lakh rupees, in addition to compensation to the person affected by such contravention not exceeding— ten lakh rupees, by an intermediary, company or body corporate; or one lakh rupees, by any other person." (D) In section 46, - <u>(i) in sub-section (1), for the words "under this Chapter", the words "under this Act" shall be substituted;</u> <u>(ii) <i>in sub-section (1A), the words "injury or" at both the places where they occur shall be omitted.</i></u> (E) Section 66A shall be omitted. (F) In section 67C, in sub-section (2), for the words, "punished with an imprisonment for a term which may extend to three years and also be liable to fine", the words "liable to pay penalty which may extend to twenty-five lakh rupees" shall be substituted. (G) In section 68, in sub-section (2), for the words, "on conviction to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine not exceeding one lakh rupees or with both", the words "to pay penalty which may extend to

	conviction to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine not exceeding one lakh rupees or with both", the words "to pay penalty which may extend to twenty-five lakh rupees" shall be substituted. (I) In section 69B, in sub-section (4), for the words "three years and shall also be liable to fine", the words "one year or shall be liable to fine which may extend to one crore rupees, or with both" shall be substituted. (J) In section 70B, in sub-section (7), for the words "one lakh", the words "one crore" shall be substituted. (K) In section 72, for the words "punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both", the words "liable to penalty which may extend to five lakh rupees" shall be substituted. (L) In section 72A, for the words "punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both", the words "liable to pay penalty which may extend to twenty-five lakh rupees" shall be substituted.	twenty-five lakh rupees" shall be substituted. (H) In section 69B, in sub-section (4), for the words, "three years and shall also be liable to fine", the words "one year or shall be liable to fine which may extend to one crore rupees, or with both" shall be substituted. (I) In section 70B, in sub-section (7), for the words, "one lakh", the words "one crore" shall be substituted. (J) In section 72, for the words, "punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both", the words "liable to penalty which may extend to five lakh rupees" shall be substituted. (K) In section 72A,- <u>(i) in the marginal heading, for the word "Punishment", the word "Penalty" shall be substituted;</u> (ii) for the words, "punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both", the words "liable to penalty which may extend to twenty-five lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 90)

33. Amendments proposed to The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002

(Sl. No. 33 of the Schedule)

3.99 The Ministry submitted, inter alia, as under:-

“हमारे मेट्रो के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के चैप्टर 11 में जो ऑफेन्सेस एंड पेनाल्टी है, उसमें ड क्र मनलाइजेशन किया है और उसको जन वश्वास बिल में लाया गया है। इसमें आठ प्रो वजन्स हैं। पहला सेक्शन-6 है, जिसमें हमने मेट्रो कंपनी को पावर दी है क वह पेनाल्टी को लेवी कर सकते हैं, जो पहले प्रावधान नहीं है। बाकी प्रावधान में जहां पर फाइन था, उसको हमने पेनाल्टी किया है। उसका प्रावधान पहले इस एक्ट में नहीं था। इसमें सेक्शन 6(2)जे इंsert किया है, जिसमें मेट्रो रेल एंड मनिस्ट्रेशन को यह पावर दी है।.....इसमें कोई सजेशन नहीं था। यहसेक्शन 6(2)जेहै।.....जो दूसरा था, वह 59 (2) में था। पहले हमने बोला था क इनटॉक्सिकेशन न करके आएगा और अगर मेट्रो ऑपरेशन में सेफ्टी अफेक्ट होती हो तो हमने पहले सजा के प्रावधान को खत्म करने के लए प्रपोज किया था। इसमें जब चर्चा हुई थी तो उस दौरान यह बताया गया क मेट्रो की सेफ्टी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। उसमें हमने दो साल सजा का प्रावधान रखा है।.....यह दो साल का है। अगर मेट्रो ऑ फ सयल Intoxicated condition में रहेगा तो उसको 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी, जो क पहले 250 रुपये का फाइन था। अगर वह इनटॉक्सिकेशन स्टेज में रहता है, जिससे पैसेंजर सेफ्टी अफेक्ट होती है तो उसमें दो साल के सजा का प्रावधान किया है।.....इसको हमने अक्सेप्ट कर लिया है।.....पुराने में भी दो साल का प्रावधान था, इस लए उसको रिटेन कर लिया है।.....इसमें हमने बस चेंजेज किया है, इनटॉक्सिकेशन के बारे में सजेशन आया था क अगर वह Intoxicated condition में पाया जाता है तो पहले जो 250 रुपये का फाइन था, उसे 10,000 रुपये के पेनाल्टी का प्रो वजन कर दिया।”

3.100 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.101 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002	(A) In section 6, in sub-section (2),— (a) in clause (h), the word "and" occurring at the end shall be omitted; (b) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:— "(j) levy and collect penalties under this Act." (B) In section 59, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:— "(2) If any metro railway official or authorised person is in a state of intoxication while on duty, he shall be punishable with penalty which may extend to ten thousand rupees." (C) In section 63, for the words "imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to fifty rupees, or with both", the words "penalty which may extend to five thousand rupees" shall be substituted.	(A) In section 6, in sub-section (2), after clause (<u>g</u>), the following clause shall be inserted, namely:— "(<u>ga</u>) levy and collect penalties under this Act₁." (B) In section 59, <u>in</u> sub-section (2),— <u>(i) for the words "punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees", the words "liable to penalty which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted;</u> <u>(ii) for the words "five hundred rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.</u> (Recommendation No. 91) (C) In section 63, for the words, <u>"after being warned by any metro railway official to desist, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to fifty rupees, or with both",</u> the words <u>"he shall be liable to</u> penalty which may extend to five thousand rupees" shall be substituted.

	(D) In section 65, in the long line, for the words "five years, or with fine which may extend to six thousand rupees, or with both", the words "one year, or with fine which may extend to thirty thousand rupees, or with both" shall be substituted. (E) In section 69, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:— "(4) If any passenger liable to pay the excess charge and fare mentioned in sub-section (1), or the excess charge and any difference of fare mentioned in sub-section (2), fails or refuses to pay the same on a demand being made therefor, any metro rail official authorised by the metro rail administration in this behalf may apply to the Metropolitan Magistrate or, as the case may be, Judicial Magistrate of the First Class, for the recovery of the sum payable as if it were a fine." (F) For section 70, the following section shall be substituted, namely:— "70. Needlessly interfering with means of communication in a train.—If any passenger or any other person without reasonable and sufficient cause makes use of, or interferes with, any means provided by the metro railway administration in a metro railway for communication between passengers and metro railway official in charge of the metro railway or misuses alarm bell or emergency stop push or emergency trip system or	(D) In section 65, in the long line, for the words "five years, or with fine which may extend to six thousand rupees, or with both", the words "<u>two years</u>, or with fine which may extend to thirty thousand rupees, or with both" shall be substituted. (E) In section 69, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(4) If any passenger liable to pay the excess charge and fare mentioned in sub-section (1), or the excess charge and any difference of fare mentioned in sub-section (2), fails or refuses to pay the same on a demand being made therefor, any metro rail<u>way</u> official authorised by the metro rail<u>way</u> administration in this behalf may apply to any Metropolitan Magistrate or, as the case may be, Judicial Magistrate of the First Class, for the recovery of the sum payable as if it were a fine." (F) For section 70, the following section shall be substituted, namely:- "70. Needlessly interfering with means of communication in a train.- If any passenger or any other person without reasonable and sufficient cause makes use of, or interferes with, any means provided by the metro railway administration in a metro railway for communication between passengers and metro railway official in charge of the metro railway or misuses alarm bell or emergency stop push or emergency trip system or

	emergency call point of the metro railway, he shall be punishable with penalty which may extend to ten thousand rupees." (G) Section 80 shall be omitted. (H) In section 82, in sub-section (1), for the words and figures "sections 59, 61, 65 to 79", the words and figures "sections 61, 65 to 68, 71 to 79" shall be substituted.	emergency call point of the metro railway, he shall be <u>liable to</u> penalty which may extend to ten thousand rupees." (G) Section 80 shall be omitted. (H) In section 82, in sub-section (1), for the words and figures "sections 65 to 79", the words and figures "sections 65 to 68, 71 to 79" shall be substituted. (Recommendation No. 92)

34. Amendments proposed to The Prevention of Money-laundering Act, 2002

(Sl. No. 34 of the Schedule)

3.102 The Committee observed that during briefing by the Department of Revenue, the Department stated that:-

“हमारे में consequential amendments हैं, जो तीन वभागों के चार एक्ट्स हैं। डीपीआईआईटी का ट्रेडमार्क्स एक्ट है। यह सीरियल नंबर 30 पर संशोधन हो रहा है। फर सीरियल नंबर 32 में इन फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में संशोधन हो रहा है। वह डलीट हो रहे हैं, डी क्र मनलाइज हो रहे हैं। सर, प्रमुखतः ये चार सेक्शन्स हैं। तीसरा सेक्शन एनवायरनमेंट का डी क्र मनलाइज हो रहा है, वह सीरियल नंबर 24 पर है और चौथा सीरियल नंबर 21 पर है। ये चार सेक्शन्स डी क्र मनलाइज हो रहे हैं। हमारे consequential amendments हैं, क्यों क वे डी क्र मनलाइज हो जाएंगे तो प्रवेशनऑफ मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट से भी हटाने पड़ेंगे। क्यों क ऑफेंस ही नहीं रहेगा। Predicate offence ही नहीं रहेगा। हमारा काम मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट में, जैसा आपको मालूम है, तभी प्रारम्भ होता है जब कोई क्राइम होता है। जो proceeds of crime है, वह मनीलॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं।”

3.103 In view of submission of the Department, the Committee agreed to the amendments proposed to the Act in the Bill, as introduced with minor changes. However, the Committee felt the need to substitute the word “Description” appearing at both the places in the headings of the tables in the Schedule with the words **“Description of Offences”** and **“Description of Offence”**, respectively.

35. Amendments proposed to The Food Safety and Standards Act, 2006

(Sl. No. 35 of the Schedule)

3.104 The Department submitted, *inter alia*, as under:-

“इसमें आपका सुझाव था क इसको कया जाए : “with imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to three lakh rupees.....यह एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दिया था। यह उस तरह का अनसेफ फूड है, जो अनसेफ तो है, ले कन उससे मुझे इंजरी नहीं हो रही है।”

3.105 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.106 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Food Safety and Standards Act, 2006	(A) In section 59, in clause (i), for the words "imprisonment for a term which may extend to six months and also with fine which may extend to one lakh rupees", the words "fine which may extend to three lakh rupees" shall be substituted. (B) In section 61, for the words "imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to two lakh rupees", the words "fine which may extend to ten lakh rupees" shall be substituted.	(A) In section 59, in clause (i), for the words "imprisonment for a term which may extend to six months and also with fine which may extend to one lakh rupees", the words "<u>three months and also with</u> fine which may extend to three lakh rupees" shall be substituted. (B) In section 61,:- (i) <u>in the marginal heading, for the word "Punishment", the word "Penalty" shall be substituted;</u> (ii) for the words "<u>punishable with</u> imprisonment for a term which may extend to three

	(C) In section 63, for the words "imprisonment for a term which may extend to six months and also with a fine which may extend to five lakh rupees", the words "fine which may extend to five lakh rupees" shall be substituted.	months and also with fine which may extend to two lakh rupees", the words "<u>liable to penalty</u> which may extend to ten lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 93) (C) In section 63, - (i) <u>in the marginal heading, for the word "Punishment", the word "Penalty" shall be substituted;</u> (ii) for the words "<u>punishable with</u> imprisonment for a term which may extend to six months and also with a fine which may extend to five lakh rupees", the words "<u>liable to penalty</u> which may extend to <u>ten</u> lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No. 94)

36. Amendments proposed to The Government Securities Act, 2006**(Sl. No. 36 of the Schedule)**

3.107 The Department Submitted that the Reserve Bank of India has confirmed that there was no instance of invocation of imprisonment clause under Section 30(1) of the Government Securities Act, 2006 or of imposing any fine under the said Section. As there had been no occasion for RBI to impose fine on any individual or entity dealing with the Government Securities Act, 2006 and the fact that institutions like banks, insurance companies, mutual funds, etc. mostly deal in large amount of Government securities, it was felt that imprisonment related clause may be removed and fine related provision only be continued as any contravening individual/institution will be liable for punishment with fine imposed by the Court on a complaint made by the RBI.

3.108 The Committee observed that sub-section (3) of Section 30 covers all types of contraventions and that:

“Instead of fine, the word ‘penalty’ will be there. It is because in the opening portion of sub-section 30, it is said “Contravention and penalties”. The thing is that penalty is to be decided by the RBI and fine is to be decided by the Court. We do not want that matter should go before the Court. We want that it should be before the RBI to decide the penalty. Our intent and object is very clear. Only for this purpose, if we are compelling the aggrieved person to go before the Court for fine by filing a complaint under sub-section (2), no purpose will be served.”

3.108A The Department submitted that this provision was kept because if somebody gives a wrong document or statement to obtain the title of the security, then the ownership cannot be decided by the Regulator. In such a case, there may be a police case and court adjudication. The Committee opined that at the preliminary stage, it can even be decided by the RBI and if any person is aggrieved of that they can file the appropriate petition before the appropriate court of law. The Committee considered that there are many other enactments where *mens rea* is there and the administrative authority is deciding the issue.

3.108B Accordingly, the provisions, as amended by the Joint Committee have been shown below in Tabular Form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Government Securities Act, 2006	In section 30, in sub-section (1), for the words "with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both", the words "with fine" shall be substituted.	In section 30,- <u>(i) in sub-section (1), for the words, "he shall be punishable" with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both", the words "the Bank may impose a penalty not exceeding five lakh rupees or twice the amount involved in such contravention, where the amount is quantifiable, whichever is higher, and where such contravention is a continuing one, with a further penalty, which may extend to five thousand rupees for every day after first day during which the contravention continues" shall be substituted;</u> <u>(ii) sub-section (2) shall be omitted.</u> (Recommendation No. 95)

37. Amendments proposed to The Cantonments Act, 2006

(Sl. No. 37 of the Schedule)

3.109 The Department submitted inter alia as under during the Clause by Clause consideration of amendments:

“जब पहली बैठक 9 तारीख को हुई थी तो उस समय हम लोगों ने 10 सेक्शन्स में अमेंडमेंट प्रपोज कये थे, जिसमें 24 ऑफेंसेज कवर हो रहे थे। माननीय स मत ने पाँच सेक्शन्स का जो हमारा अमेंडमेंट था, उस पर एग्री किया था। उसमें 19 ऑफेंसेज कवर हो रहे थे और पाँच सेक्शन्स के लए री-एग्जा मन करने के लए कहा था। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सेक्शन बाई सेक्शन एक-एक कर के बता देती हूँ।”

3.110 In view of the submissions made by the Department, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.111 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Cantonments Act, 2006	(A) Section 156 shall be omitted. (B) In section 185, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— "(1) No person employed in any essential service under a Board in a cantonment shall, in the absence of any contract, resign without reasonable cause or absent himself from duty without proper authority and in case of such resignation or absence from duty, disciplinary proceedings shall be initiated against him in accordance with such procedure as may be prescribed." (C) In section 285, for the word "five thousand rupees, or with imprisonment for a term which may extend to six months, or with both", the words "seven thousand and five hundred rupees" shall be substituted. (D) In section 286, in the long line, for the words "two thousand five hundred rupees, and, in the case of a subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees", the words "three thousand rupees, and, in the case of a subsequent offence with fine	(A) Section 156 shall be omitted. (B) In section 185, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(1) No person employed in any essential service under a Board in a cantonment shall, in the absence of any contract, resign without reasonable cause or absent himself from duty without proper authority and in case of such resignation or absence from duty, disciplinary proceedings shall be initiated against him in accordance with such procedure as may be prescribed." <u>Amendment Omitted.</u> (C) <u>Section 286 shall be omitted.</u> (Recommendation No. 96)

	which may extend to five thousand rupees" shall be substituted. (E) For section 287, the following section shall be substituted, namely:— "287. Seizure and confiscation of things for offences under sections 285 and 286.— Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any police officer or excise officer may, without an order from a Judicial Magistrate, and without a warrant, seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug in respect of which an offence under section 285 or section 286 has been committed and any vessels or coverings in which the liquor or drug is contained. (2) Where a person accused of an offence under section 285 has been previously convicted of an offence under that section, an officer in charge of a police station may, with the written permission of a Judicial Magistrate, seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug within the cantonment or within any limits defined under that section which, at the time of the alleged, commission of the subsequent offence, belonged to, or was in the possession of, such person. (3) The court convicting a person of an offence under section 285 or section 286 may order the confiscation of the whole or any part of anything seized under sub-section (1) or sub-section (2). (4) Subject to the provisions	(D) For section 287, the following section shall be substituted, namely:- "287. <u>Arrest of persons</u>, seizure and confiscation of things for offences under section 285.- <u>(1)</u> Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any police officer or excise officer may, without an order from a Judicial Magistrate, and without a warrant, <u>arrest any person who commits an offence under section 285,</u> and <u>may</u> seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug in respect of which an offence under section 285 has been committed and any vessels or coverings in which the liquor or drug is contained. (2) Where a person accused of an offence under section 285 has been previously convicted of an offence under that section, an officer in charge of a police station may, with the written permission of a Judicial Magistrate, seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug within the cantonment or within any limits defined under that section which, at the time of the alleged, commission of the subsequent offence, belonged to, or was in the possession of, such person. (3) The court convicting a person of an offence under section 285 may order the confiscation of the whole or any part of anything seized under sub-section (1) or sub-section (2). (4) Subject to the provisions of Chapter XXXIV of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of

	of Chapter XXXIV of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), anything seized under sub-section (1) or sub-section (2) and not confiscated under sub-section (3) shall be restored to the person from whom it was taken." (F) In section 289, in sub-section (5), for the words "punished with fine which may extend to five thousand rupees or imprisonment which may extend to six months", the words "punishable, in the case of a first offence, with a fine which may extend to five thousand rupees and, in the case of a subsequent offence, with a fine which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted. (G) In section 300, in sub-section (1), for the words "punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees and in case of subsequent offence shall be punishable with imprisonment which may extend to one year", the words "punishable with fine which may extend to six thousand rupees" shall be substituted. (H) For section 314, the following section shall be substituted, namely:— "314. Arrest without warrant.— Any member of the police force employed in a cantonment may, without a warrant, arrest any person committing in his view a breach of the provision of clause (a) of section 304: Provided that in the case of a breach of such provisions, no person shall be arrested who	1974) anything, seized under sub-section (1) or sub-section (2) and not confiscated under sub-section (3) shall be restored to the person from whom it was taken." <u>(E) In section 289, <i>sub-section (5) shall be omitted.</i></u> (Recommendation No. 97) <u>Amendment Omitted</u> <u>(F) In section 314, <i>in the proviso, in clause (a), the words, letter and figures "in the case of breach of any such provisions as is specified in Part B of Schedule IV," shall be omitted.</i></u> (Recommendation No. 98)

	consents to give his name and address, unless there is reasonable ground for doubting the accuracy of the name or address given, the burden of proof of which shall lie on the arresting officer, and no person arrested shall be detained after his name and address have been ascertained." (I) In section 331, for the word and figures "Schedule IV", the words, brackets, letter and figures "clause (a) of section 304" shall be substituted. (J) In section 332, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— "(1) The Chief Executive Officer or any person authorised by him, by general or special order in this behalf, may, either before or after the institution of the proceedings, compound an offence, made punishable by or under this Act other than an offence under clause (a) of section 304: Provided that no offence shall be compoundable which is committed by failure to comply with a notice, order or requisition issued by or on behalf of the Chief Executive Officer, unless and until the same has been complied with in so far as compliance is possible." (K) Schedule IV shall be omitted.	<u>Amendment Omitted</u> <u>Amendment Omitted</u> (G) <u>For SCHEDULE IV, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-</u> <u>"SCHEDULE IV</u> <u>(See section 314)</u> <table><tr><th><u>Section</u></th><th><u>Subject</u></th></tr><tr><td><u>183(1)</u></td><td><u>Remaining in, or re-entering, cantonment after notice of expulsion</u></td></tr></table>	<u>Section</u>	<u>Subject</u>	<u>183(1)</u>	<u>Remaining in, or re-entering, cantonment after notice of expulsion</u>
<u>Section</u>	<u>Subject</u>					
<u>183(1)</u>	<u>Remaining in, or re-entering, cantonment after notice of expulsion</u>					

		<u>for failure to attend hospital or dispensary.</u> <u>296</u> <u>Discharging fire-arms, etc., so as to cause danger.</u> <u>300</u> <u>Loitering or importuning for sexual immorality.</u> <u>304(a)</u> <u>Remaining in, or returning to, a cantonment after notice of expulsion.”</u> (Recommendation No. 99)

38. Amendments proposed to The Payment and Settlement Systems Act, 2007

(Sl. No. 38 of the Schedule)

3.112 The Department submitted inter alia as under:-

“.....there is Section 30 of the Payment and Settlement Systems Act. It is on page 22. In this, the marginal heading was given wrongly. It read: “Power of Reserve Bank to impose fines.” So, that marginal heading we have changed.....”

3.113 In view of the submissions made by the Department, the Committee agreed to the amendments proposed to the Act by the Bill, as introduced. The Committee also desired that marginal heading to Section 30 may also be modified.

3.114 Accordingly, the provision, as amended, has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Payment and Settlement Systems Act, 2007	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx

	(B) In section 30, in sub-section (1),— (i) after the word, brackets and figure "sub-section (2)", the words, brackets and figure "or sub-section (3)" shall be inserted; (ii) for the words "five lakh", the words "ten lakh" shall be substituted.	<u>(B)</u> In section 30,– <u>(a) in the marginal heading, for the word, "fines", the word "penalties" shall be substituted;</u> <u>(b)</u> in sub-section (1)– (i) after the word, brackets and figure, "sub-section (2)", the words, brackets and figure "or sub-section (3)" shall be inserted; (ii) for the words "five lakh", the words "ten lakh" shall be substituted. (Recommendation No. 100)

39. Amendments proposed to The Collection of Statistics Act, 2008

(Sl. No. 39 of the Schedule)

3.115 On Sections 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22, the Ministry submitted, inter alia, as under:-

"They have been omitted to facilitate ease of doing business and reduce the compliance burden."

3.116 In view of the submissions made by the Ministry, the Committee decided that amendments proposed by the Committee may be incorporated in the Bill.

3.117 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Collection of Statistics Act, 2008	(A) In section 15, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—	<u>(A) In section 9, for the word "prosecution" at both the places where it occurs, the</u>

	"(1) Whoever, acts in contravention of or fails to produce any books of account, vouchers, documents or other business records or whoever neglects or refuses to fill in and supply the particulars required in any information schedule or return given or sent to him or whoever neglects or refuses to answer any question or inquiry addressed to him as may be required under or for the purposes of any provision of this Act and the rules made thereunder, shall be punishable with a fine which may extend to one thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to five thousand rupees." (B) Sections 16 to 22 shall be omitted.	<u>word "penalty" shall be substituted.</u> (Recommendation No. 100) <u>(A) For CHAPTER IV, the following CHAPTER shall be substituted, namely:-</u> <u>"CHAPTER IV</u> <u>PENALTIES AND</u> <u>ADJUDICATION</u> <u>15. Penalty for neglect or refusal to supply particulars and other contraventions.-</u> (1) Whoever fails to produce any books of account, vouchers, documents or other business records or whoever neglects or refuses to fill in and supply the particulars required in any information schedule or return given or sent to him or whoever neglects or refuses to answer any question or inquiry addressed to him as may be required under or for the purposes of any provision of this Act <u>or whoever acts in contravention or fails to comply with any provision of this Act or any rules made thereunder or any requirement imposed under this Act,</u> shall be <u>liable to penalty</u> which may extend to one thousand rupees, <u>and</u> in the case of a company, with a <u>penalty</u> which may extend to <u>one lakh</u> rupees. <u>(2) The imposition of penalty on a person or company shall not relieve him or it of the obligations under sub-section (1), and if after the expiry of fourteen days from the date of imposition of penalty, he or it still fails to give the required particulars or continues to neglect or refuse or contravene any provision of this Act or any</u>

rules made thereunder or any requirement imposed under this Act, shall be liable to a further penalty which may extend to one thousand rupees, and in the case of a company, to a further penalty which may extend to five thousand rupees, for each day after the first during which the neglect, refusal or contravention continues.

15A. Adjudicating officer.- (1) The appropriate Government may, for the purposes of determining the penalties under section 15, appoint an officer as it may deem fit, to be adjudicating officer to hold an inquiry in the manner, as may be prescribed and to impose penalty:

Provided that the appropriate Government may appoint as many adjudicating officers as may be required.

(2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of this Act, he may impose penalty:

Provided that no such penalty shall be imposed without giving the parties concerned a reasonable opportunity of being heard.

		<u>15B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under this Act, may prefer an appeal to the appellate authority, above the rank of the adjudicating officer, authorised by the appropriate Government, within thirty days from the date of receipt of order in such form and manner as may be prescribed.</u> <u>(2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</u> <u>(3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit.</u> <u>(4) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal.</u> <u>15C. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed under this Act, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue."</u> <u>(B) In section 33, in sub-section (2), after clause (da), the following clauses shall be inserted, namely:-</u> <u>"(db) the manner of imposing penalty under sub-section (1) of section 15A;</u>

		<u>(dc) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 15B;”.</u> (Recommendation No. 101)

40. Amendments proposed to The Legal Metrology Act, 2009

(Sl. No. 40 of the Schedule)

3.118 The Department submitted inter alia as under during the Clause by Clause consideration of amendments:

“हम लोगों का पछली बार जो प्रस्ताव था, उसमें सेक्शन-25 में हम लोगों ने उसको फाइव टाइम्स करके 1 लाख 25 हजार रुपये किया था। कमेटी का सजेशन था क उसको राउंड अप करके एक लाख रुपये कर दिया जाए तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है।.....बस इतना ही था। बाकी सब पछली बार एक्सेप्ट कर लिया गया था। जैसे सेक्शन 27 था। इसी प्रकार से सेक्शन 28, 29, 31 और 34 है।”

3.119 In view of the submissions made by the Department, the Committee agreed to the amendments proposed to the Act by the Bill, as introduced, subject to modification in penalties, as recommended by them.

3.120 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Legal Metrology Act, 2009	(A) In section 25, for the words "twenty-five thousand rupees and for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to six months and also with fine", the words "one lakh twenty-five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to two lakh fifty thousand rupees and	(A) In section 25, for the words "twenty-five thousand rupees and for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to six months and also with fine", the words "one lakh rupees and for the second offence with fine which may extend to two lakh

	for the third and subsequent offence, with fine which may extend to five lakh rupees" shall be substituted. XXX XXX XXX	rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to five lakh rupees" shall be substituted. (Recommendation No.102) XXX XXX XXX

41. Amendments proposed to The Factoring Regulation Act, 2011

(Sl. No. 41 of the Schedule)

3.121 While agreeing to the amendments proposed to the Act by the Bill, as introduced, the Committee suggested that in Section 22, the word "offence" be replaced by word "failure".

3.122 Accordingly, the provision, as amended, by the Joint Committee has been shown below in Tabular form:

Title	Amendments proposed to the Act in the Bill as introduced in Lok Sabha	Format after incorporating amendments adopted by the Committee
The Factoring Regulation Act, 2011	XXX XXX XXX 22. Penalties for non-compliance of direction by Reserve Bank.— (1) If any factor fails to comply with any direction issued by the Reserve Bank under section 6, or fails in filing the particulars of any transaction of receivables and realisation of receivables under section 19, the Reserve Bank may impose a penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing offence, with an additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues. XXX XXX XXX	XXX XXX XXX 22. Penalties for non-compliance of direction by Reserve Bank.- (1) If any factor fails to comply with any direction issued by the Reserve Bank under section 6, or fails in filing the particulars of any transaction of receivables and realisation of receivables under section 19, the Reserve Bank may impose a penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing <i>failure</i>, with an additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues. (Recommendation No. 103) XXX XXX XXX

42. Amendments proposed to The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

(Sl. No. 42 of the Schedule)

3.123 The Ministry submitted that the provisions in Section 41 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 is in alignment with the DPDP Bill provisions and that there is no conflict with the provisions of the DPDP Bill. In view of the submissions made by the Ministry, the Committee after deliberating on the amendment proposed in the Bill to the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 decided to accept the amendments proposed by the Ministry at Sr. No. 42 of the Schedule of the Bill.

3.124 Drafting corrections/improvement:

The Committee during the course of deliberations noted certain drafting errors in a number of Clauses/Sections where drafting correction/language improvement was required for the purpose of clarity. Accordingly, the following drafting corrections /improvements in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022, as introduced, are suggested by the Committee:

Sl. No.	Serial No of the Schedule and Name of the Act	Drafting corrections/improvement
1.	Sl. No. 11 (The Cinematograph Act, 1952)	(i) Page 11, Line 19 Omit "a" before the word "penalty" (ii) Page 11, Line 45 Omit "a" before the word "penalty"
2.	Sl. No. 19 (The Marine Products Export Development Authority Act, 1972)	(i) Page 20, Lines 23-24 Omit "the" before the word "discharge" in the marginal heading to proposed Section 24 (ii) Page 20, Line 45 Omit "pay" before the word "penalty"

		(iii) Page 21, Line 01 Omit 'pay a' before the word "penalty"
3.	Sl. No. 21 (The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981)	(i) Page 22, Line 20 Omit "or non-compliance" after the word "contravention" (ii) Page 22, Line 21 Omit "pay" before the word "penalty" (iii) Page 22, Line 25 Omit "or non-compliance" after the word "contravention" (iv) Page 22, Line 26 Omit "pay an" after the words "liable to" (v) Page 23, Line 14 Omit "pay" after the words "liable to" (vi) Page 23, Line 18 Omit "or non-compliance" after the word "contravention" (vii) Page 23, Line 19 Omit "pay an" after the words "liable to" (viii) Page 23, Line 29 Omit "pay the" before the word "penalty" (ix) Page 23, Line 41 Omit "pay the" before the word "penalty" (x) Page 24, Line 02 Omit "pay the" before the word "penalty" (xi) Page 24, Line 06 Omit "pay an" before the word "additional" (xii) Page 24, Line 32 For "in accordance with", substitute "under" (xiii) Page 24, Line 36 Omit "an" before the word "opportunity" (xiv) Page 24, Lines 36-37 Omit "in the matter" after the word "heard"

4.	Sl. No. 22 (The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981)	Page 27, Line 16 Omit "pay a" before the word "penalty"
5.	Sl. No. 24 (The Environment (Protection) Act, 1986)	(i) Page 29, Line 30 Omit "pay the" before the word "penalty" (ii) Page 29, Lines 31-32 Omit "or non-compliance" after the word "contravention" (iii) Page 29, Line 37, Omit "pay an" before the word "penalty" (iv) Page 29, Line 47 Omit "pay" before the word "penalty" (v) Page 29, Line 48 Omit "or non-compliance" after the word "contravention" (vi) Page 30, Line 02 Omit "or non-compliance" after the word "contravention" (vii) Page 30, Line 03 Omit "pay an" before the word "additional" (viii) Page 30, Line 16 Omit "pay the" before the word "penalty" (ix) Page 30, Lines 17-18 Omit "or non-compliance" after the word "contravention" (x) Page 30, Line 22 Omit "or non-compliance" after the word "contravention" (xi) Page 30, Line 23 Omit "pay an" after the words "liable to" (xii) Page 30, Line 30 Omit "pay the" after the words "liable to" (xiii) Page 30, Line 35 Omit "or non-compliance" after the word "contravention"

		(xiv) Page 30, Line 37 Omit "pay an" before the word " additional" (xv) Page 30, Line 46 Omit "pay the" before the word "penalty" (xvi) Page 31, Line 07 Omit "pay the" before the word "penalty" (xvii) Page 32, Line 20 Omit "any" before the word "such" (xviii) Page 34, after Line 10 Insert " (E) After Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely: - "
6.	Sl. No. 26 (The Motor Vehicles Act, 1988)	(i) Page No 39, Lines 05-08 Omit ' (i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:- "Compounding of offences" ' (ii) Page 39, Lines 21-22 Omit ' to the extent of use of handheld communication devices" after the words 'section 184'
7.	Sl. No. 28 (The Public Liability Insurance Act, 1991)	(i) Page 43, Line 01 Omit "pay the" before the word "penalty" (ii) Page 43, Line 17 Omit "pay a" before the word "penalty" (iii) Page 43, Line 23 Omit "pay an" before the word "additional" (iv) Page 43, Line 33 Omit "pay" before the word "penalty" (v) Page 43, Line 39 Omit "pay an" before the word "additional" (vi) Page 44, Lines 19-20 For "'in accordance with", substitute "under" (vii) Page 44, Line 23 Omit "an" before the word "opportunity"

		(viii) Page 44, Line 24 Omit "in the matter" after the word "heard" (ix) Page 44, Line 27 For "sections 14 or 15", substitute "section 15A" (x) Page 45, Line 09 Omit "pay the" before the word "penalty" (xi) Page 45, Line 21 Omit "pay the" before the word "penalty"
8.	Sl. No. 30 (The Trade Marks Act, 1999)	Page 48, Line 38 Omit "pay a" before the word "penalty"
9.	Sl. No.32 (The Information Technology Act, 2000)	(i) Page 50, Line 08 Omit "pay" before the word "penalty" (ii) Page 50, Line 42 Omit "pay" before the word "penalty" (iii) Page 50, Line 48 Omit "pay" before the word "penalty" (iv) Page 51, Line 19 Omit "pay" before the word "penalty"
10.	Sl. No. 33 (The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002)	Page 51, Lines 22-23 Omit ' (a) in clause (h), the word "and" occurring at the end shall be omitted '
11.	Sl. No. 34 (The Prevention of Money-laundering Act, 2002)	(i) Page 52, Line 41 For "Description", substitute "Description of offences" (ii) Page 53, Line 08 For "Description", substitute "Description of offence"

(Recommendation No. 104)

CONSIDERATION OF CLAUSE 1 TO 4, ENACTING FORMULA AND LONG TITLE

During consideration of Clause Nos. 1 to 4, Enacting Formula and Long Title of the Bill, the Committee noted that the calendar year and the year of republic require amendment as the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 was introduced in the year 2022. Also Clause 4 require amendment due to recommendation regarding proposed repeal of the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978, by the Committee. Clauses 2 and 3 were adopted by the Committee without any change. However, Clauses 1, 4, Enacting Formula and Long Title, as amended by the Joint Committee, have been reproduced in Tabular form as below:

Clause No.	Clause as in the Bill, as introduced	Clause as modified by the Committee
	THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022	THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, <u>2023</u>
	A BILL	A BILL
	<i>to amend certain enactments for decriminalising and rationalising minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business</i>	<i>to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.</i>
	BE it enacted by Parliament in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—	BE it enacted by Parliament in the Seventy- <u>fourth</u> Year of the Republic of India as follows:
1. Short title and commencement	1. (1) This Act may be called the <i>Jan Vishwas</i> (Amendment of Provisions) Act, 2022. 2. It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule to this Act.	1. (1) This Act may be called the <i>Jan Vishwas</i> (Amendment of Provisions) Act, <u>2023</u> . (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule.

Clause 4. Savings	4. The amendment by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended enactment has been applied, incorporated or referred to; and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended; nor shall the amendment by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.	4. The amendment <u>or repeal</u> by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended <u>or repealed</u> enactment has been applied, incorporated or referred to; and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended <u>or repealed</u>; nor shall the amendment <u>or repeal</u> by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

The Joint Committee, therefore, recommend that the Bill, as amended, after inclusion of suggestions/recommendations made by the Committee be passed and the General Recommendations may be examined and implemented, if legally feasible, in due course.

(Recommendation No.105)

**NEW DELHI
13 MARCH, 2023
22 PHALGUNA, 1944 (SAKA)**

**P.P. CHAUDHARY
CHAIRPERSON,
JOINT COMMITTEE ON
THE JAN VISHWAS
(AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022**

Appendix - I**LOK SABHA****Thursday, December 22, 2022 / Pausha 1, 1944 (Saka)****MOTION IN LOK SABHA FOR REFERENCE OF THE BILL TO THE JOINT
COMMITTEE****SHRI PIYUSH GOYAL** moved the following Motion:

"That the Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 21 Members from this House:-

1. Shri P.P. Chaudhary
2. Dr. Sanjay Jaiswal
3. Shri Uday Pratap Singh
4. Shri Sanjay Seth
5. Smt. Queen Oja
6. Shri Khagen Murmu
7. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
8. Smt. Poonam Pramod Mahajan
9. Smt. Aparajita Sarangi
10. Shri Arvind Dharmapuri
11. Shri Rajendra Agrawal
12. Shri Rattan Lal Kataria
13. Shri Gaurav Gogoi
14. Adv. Dean Kuriakose
15. Shri A. Raja
16. Prof. Sougata Ray

17. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti
18. Shri Gajanan Chandrakant Kirtikar
19. Shri Rajiv Ranjan alias Lalan Singh
20. Shri Pinaki Misra
21. Shri Girish Chandra

and 10 Members from the Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of second part of the Budget Session, 2023;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion regarding reference was adopted."

Appendix - II**RAJYA SABHA****Friday, December 23, 2022/Pausha 2, 1944 (Saka)****MOTION FOR NOMINATION TO THE JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS
(AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022****THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL)** moved the following Motion:

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the Joint Committee of the Houses on the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Bill, 2022 and resolves that the following Members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee:-

1. Shri Ghanshyam Tiwari
2. Shri G.V.L. Narasimha Rao
3. Shri Mahesh Jethmalani
4. Dr. Radha Mohan Das Agrawal
5. Shri Vivek K. Tankha
6. Shri Sukhendu Sekhar Ray
7. Dr. Kanimozhi NVN Somu
8. Shri Narain Dass Gupta
9. Shri Sujeet Kumar
10. Shri Masthan Rao Beeda."

(The motion was adopted)

[Message was reported in Lok Sabha Bulletin Part II dated December 26, 2022]

Appendix - III**Details of the sittings of the Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022**

Sl. No.	Sitting No.	Date & Day	Agenda
1.	1st.	09 January, 2023 (Monday)	Briefing by the representatives of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) on the overall Bill and the Objectives and Purpose of the said Bill. The Representatives of the Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting.
2.	2nd.	16 January, 2023 (Monday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of the (i) Ministry of Electronics and Information Technology w.r.t. Sl. Nos. 32 and 42 of the Schedule to the Bill; (ii) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (Department of Agriculture & Farmers Welfare) w.r.t. Sl. No. 5 of the Schedule to the Bill and (ii) Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) w.r.t. Sl. Nos. 16 and 17 of the Schedule to the Bill on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting.
3.	3rd.	17 January, 2023 (Tuesday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of the (i) Ministry of Environment, Forest and Climate Change w.r.t Sl. Nos. 4, 21, 24 and 28

			of the Schedule to the Bill; and (ii) Ministry of Housing & Urban Affairs w.r.t. Sl. No. 33 of the Schedule to the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting
4.	4th.	31 January, 2023 (Tuesday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of the Ministry of Commerce and Industry - (i) Department for Promotion of Industry & Internal Trade and (ii) Department of Commerce w.r.t. the Acts pertaining to them being amended by the Ministries. The Representatives of the Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting.
5.	5th.	06 February, 2023 (Monday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of the Ministry of Finance- (i) Department of Financial Services (ii) Department of Economic Affairs and (iii) Department of Revenue on amendments proposed in the Bill related to them. The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting.
6.	6th.	07 February, 2023 (Tuesday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of (i) the Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health & Family Welfare (ii) the Ministry of Railways and (iii) the Ministry of Road Transport & Highways. The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and

			Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting.
7.	7th.	09 February, 2023 (Thursday)	Briefing/Oral Evidence of the representatives of (i) the Ministry of Information & Broadcasting (ii) the Ministry of Statistics & Programme Implementation (iii) Department of Posts (Ministry of Communications), (iv) Department of Consumer Affairs, (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution), (v) Department of Defence, (Ministry of Defence), and (vi) the Ministry of Ports, Shipping & Waterways. The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting.
8.	8th.	16 February, 2023 (Thursday)	Clause by Clause consideration of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The representatives of the following Ministries/Departments deposed before the Committee for their respective Acts: i. Department for Promotion of Industry and Internal Trade (Ministry of Commerce and Industry) ii. Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry) iii. Department of Consumer Affairs (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) iv. Department of Economic Affairs (Ministry of Finance) v. Department of Financial Services (Ministry of Finance)

			vi. Ministry of Railway vii. Department of Food & Public Distribution (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) viii. Department of Health & Family Welfare (Ministry of Health & Family Welfare) ix. Department of Posts (Ministry of Communications) The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting.
9.	9th.	17 February, 2023 (Friday)	Clause by Clause consideration of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The representatives of the following Ministries/Departments deposed before the Committee for their respective Acts: i. Department of Agriculture, & Farmers Welfare (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) ii. Ministry of Information & Broadcasting iii. Ministry of Ports, Shipping & Waterways iv. Department of Revenue (Ministry of Finance) v. Ministry of Electronics and Information Technology vi. Ministry of Environment, Forest and Climate Change vii. Ministry of Housing and Urban Affairs viii. Ministry of Road Transport & Highways ix. Ministry of Statistics and Program Implementation x. Department of Defence (Ministry of Defence)

			The Representatives of the Ministries of Commerce and Industry and Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) also remained present in the meeting.
10.	10th.	13 March 2023	Consideration and Adoption of the Draft Report of the Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022

Appendix - IV**LIST OF OFFICIAL WITNESSES WHO TENDERED ORAL EVIDENCE BEFORE THE
COMMITTEE**

Sl. No.	Name of Ministries/Departments	Date of Oral Evidence
1.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	09.01.2023
2.	Legislative Department of the Ministry of Law and Justice	09.01.2023
3.	Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice	09.01.2023
4.	Ministry of Electronics and Information Technology	16.01.2023
5.	Department of Agriculture & Farmers Welfare of the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare	16.01.2023
6.	Department of Food & Public Distribution of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution	16.1.2023
7.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	16.01.2023
8.	Legislative Department of the Ministry of Law and Justice	16.01.2023
9.	Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice	16.01.2023
10.	Ministry of Environment, Forest and Climate Change	17.01.2023
11.	Ministry of Housing & Urban Affairs	17.01.2023

12.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	17.01.2023
13.	Legislative Department of the Ministry of Law and Justice	17.01.2023
14.	Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice	17.01.2023
15.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	31.01.2023
16.	Department of Commerce of the Ministry of Commerce & Industry	31.01.2023
17.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	31.01.2023
18.	Legislative Department of the Ministry of Law and Justice	31.01.2023
19.	Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice	31.01.2023
20.	Department of Financial Services of the Ministry of Finance	06.02.2023
21.	Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance	06.02.2023
22.	Department of Revenue of the Ministry of Finance	06.02.2023
23.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	06.02.2023
24.	Legislative Department of the Ministry of Law and Justice	06.02.2023
25.	Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice	06.02.2023

26.	Department of Health & family Welfare of the Ministry of Health & family Welfare	07.02.2023
27.	Ministry of Railways	07.02.2023
28.	Ministry of Road Transport & Highways	07.02.2023
29.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	07.02.2023
30.	Legislative Department of the Ministry of Law and Justice	07.02.2023
31.	Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice	07.02.2023
32.	Ministry of Information & Broadcasting	09.02.2023
33.	Ministry of Statistics & Programme Implementation	09.02.2023
34.	Department of Posts of the Ministry of Communications	09.02.2023
35.	Department of Consumer Affairs of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	09.02.2023
36.	Department of Defence of the Ministry of Defence	09.02.2023
37.	Ministry of Ports, Shipping & Waterways	09.02.2023
38.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	09.02.2023
39.	Legislative Department of the Ministry of Law and Justice	09.02.2023
40.	Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice	09.02.2023

41.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	16.02.2023
42.	Department of Commerce of the Ministry of Commerce & Industry	16.02.2023
43.	Department of Consumer Affairs of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	16.02.2023
44.	Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance	16.02.2023
45.	Department of Financial Services of the Ministry of Finance	16.02.2023
46.	Ministry of Railways	16.02.2023
47.	Department of Food & Public Distribution of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution	16.02.2023
48.	Department of Health & Family Welfare of the Ministry of Health & Family Welfare	16.02.2023
49.	Department of Posts of the Ministry of Communications	16.02.2023
50.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	16.02.2023
51.	Legislative Department of the Ministry of Law and Justice	16.02.2023
52.	Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice	16.02.2023
53.	Department of Agriculture & farmers Welfare of the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare	17.02.2023
54.	Ministry of Information & Broadcasting	17.02.2023
55.	Ministry of Ports, Shipping & Waterways	17.02.2023

56.	Department of Revenue of the Ministry of Finance	17.02.2023
57.	Ministry of Electronics and Information Technology	17.02.2023
58.	Ministry of Environment, Forest and Climate Change	17.02.2023
59.	Ministry of Housing & Urban Affairs	17.02.2023
60.	Ministry of Road Transport & Highways	17.02.2023
61.	Ministry of Statistics & Programme Implementation	17.02.2023
62.	Department of Defence of the Ministry of Defence	17.02.2023
63.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce & Industry	17.02.2023
64.	Legislative Department of the Ministry of Law and Justice	17.02.2023
65.	Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice	17.02.2023

SUKHENDU SEKHAR RAY

Member of Parliament, Rajya Sabha
 Vice-Chairman-in-panel, Rajya Sabha
 Member, Public Accounts Committee
 Member, Standing Committee on Personnel,
 Public Grievances, Law & Justice
 Member, Consultative Committee on Finance



APPENDIX-V
 Chief Whip, All India Trinamool Congress
 in Rajya Sabha

7, Mahadev Road
 New Delhi 110001
 Tel./Fax : (011) 23327930

To
Shri P.P.Choudhury,
Hon'ble Chairman,
Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provision) Bill 2022
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi-110001

13th March 2023

Sir,

I do hereby submit my **Note of Dissent** on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill 2022, on the following reasons and grounds: -

1. Before I deal with amendments of provisions effected in the Forty-Two Acts under this bill, I would refer to Article 348 of the Constitution of India, which inter-alia stipulates that authoritative texts of all bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either house of Parliament shall be in the English Language. However, the long title of the bill does not contain such constitutional mandate as it would appear that two Hindi words "JAN VISHWAS" have been incorporated therein.
2. The bill seeks to amend 142 provisions across 42 Acts with the twin objectives of ease of doing business and ease of living for the Citizens. However, on perusal of the proposed amendments it appears that decriminalisation of various offences shall encourage resorting to illegal acts in most of the cases in detriment to ease of living for the citizens. Therefore, the first objective shall frustrate the second objective of the bill in many ways.
3. With reference to Paragraph 1.3 of Chapter One of the Draft Report on the said bill, two examples are given in regard to provisions of imprisonment upto three years under the Cinematograph Act 1952 and Agricultural Produce (Grading and marketing) Act 1937. The bill proposes to replace the provisions of 3 years imprisonment with monetary penalty. As a resultant effect, any film distributor or exhibitor may resort to exhibition of Adult Films for all irrespective of age. Similarly the provision for three years imprisonment for an offence of counterfeiting a grade designation mark under section 5 of The Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act 1937 has been replaced with penalty only.

CONTD.....2

Permanent Address : 111/1, Jodhpur Park, Kolkata - 700 068, Ph : 24725078
E- Mail : sukhendu.sekhar@sansad.nic.in ■ ssray.advocate@gmail.com

SUKHENDU SEKHAR RAY

Member of Parliament, Rajya Sabha
 Vice-Chairman-in-panel, Rajya Sabha
 Member, Public Accounts Committee
 Member, Standing Committee on Personnel,
 Public Grievances, Law & Justice
 Member, Consultative Committee on Finance



Chief Whip, All India Trinamool Congress
 in Rajya Sabha

7, Mahadev Road
 New Delhi 110001
 Tel./Fax : (011) 23327930

4. The original Act provides for Grading and Marketing relating to 177 Agricultural Products. Hence once the deterrent punishment of imprisonment of three years is done away with, counterfeiting of Grade designation mark shall be on the rise for marketing of degraded and inferior quality of Agricultural products effecting public health and ease of living for citizens.
5. As per Paragraph 1.8 of the draft report, all together 148 provisions for imprisonment have been proposed to be removed, which is a dangerous trend of legislation endangering safety and security of the Citizens, Public Health and Public Interest.
6. As per paragraph 2.4 of the draft report out of total 4,24,02, 907 pending cases, 3,15,00,000 are in relation to criminal proceedings(National Judicial Data Grid as on 23/2/2023). It has also been mentioned therein that as per NCRB prison statistics as on 31st December 2021 total number of 5,54,034 convicts were confined in different prisons in India against the capacity of 4,25,609 and that "decriminalizing of minor offences will certainly reduce the burden on judiciary and prisons....." Such arguments and or justifications for decriminalization of offences under the proposed 42 act do not hold good for the following reasons: -
 - A. With the growth of population and rapid development of technology, number and nature of crime have increased manifold.
 - B. In spite of several observations of Hon'ble Supreme Court, there does not exist any Bail Act in India and the Courts are to depend mainly on the Case Records and other materials produced before the courts.
 - C. In many of the cases, even accused persons granted bail by the court are languishing in Prisons for years together as they could not furnish Bail Bonds due to pecuniary difficulties or otherwise. The further argument/Justification given in the Paragraph under reference, such as, "As contrary to punishing wrongful conduct criminalization of minor acts of omission or commission often becomes a tool for the Executive project a strong image. As many of the Acts belong to British era where the State mistrusts its Citizens. It is no longer the case in the country." This is an anti - thesis to criminal jurisprudence and rule of law. It also puts a general stigma on the executive. As such I do not subscribe to the narratives of the paragraphs under reference.

CONTD...3

SUKHENDU SEKHAR RAY

Member of Parliament, Rajya Sabha
 Vice-Chairman-in-panel, Rajya Sabha
 Member, Public Accounts Committee
 Member, Standing Committee on Personnel,
 Public Grievances, Law & Justice
 Member, Consultative Committee on Finance



Chief Whip, All India Trinamool Congress
 in Rajya Sabha

7, Mahadev Road
New Delhi 110001
Tel./Fax : (011) 23327930

7. In this context I would mention Section 124A of The Indian Penal Code (which is a 163-year-old British Era Code) is still being followed in letter and spirit for punishing offenders including perceived offenders on the charge of Sedation.
8. In this context, I would mention that Supreme Court of India in its Judgement dated 10th July 2013 in the matter of Lily Thomas vs Union of India and others inter alia ruled that any member of Parliament, Member of the Legislative Assembly or Member of a Legislative Council who is convicted of crime and given a minimum of two years imprisonment, loses membership of the House with immediate effect.

Section 499 of Indian Penal Code has dealt with Defamation and Section 500 prescribes for punishment for Defamation with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. Therefore, even a Parliamentarian or a Legislator of the country may not only served with order of 2 years imprisonment or with fine or with both and shall lose his/her membership of the House with immediate effect, once convicted. Therefore, even there is a provision for 2 years of imprisonment and fine for the Law makers and stripping off their membership whereas in the present bill 148 number of provisions containing imprisonment and fine have been proposed to be removed.

9. It appears that this bill is to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing minor offences, etc. However, 'Minor Offences' have not been defined either in the Indian Penal Code or Criminal procedure Code. Therefore, the intent of the legislature was not to distinguish any offence as minor or major offence based on the term of imprisonment or otherwise. But one of the major grounds upon which the Bill stands for is that imprisonment on minor offences should be done away with.

CONTD.....4

SUKHENDU SEKHAR RAY

Member of Parliament, Rajya Sabha
 Vice-Chairman-in-panel, Rajya Sabha
 Member, Public Accounts Committee
 Member, Standing Committee on Personnel,
 Public Grievances, Law & Justice
 Member, Consultative Committee on Finance



Chief Whip, All India Trinamool Congress
 in Rajya Sabha

7, Mahadev Road
 New Delhi 110001
 Tel./Fax : (011) 23327930

10. It is stated that views from States and Union Territories were obtained while preparing the bill. However, I am not aware of any such views forwarded by States or Union Territories and as such I feel in absence of considered views of the states/ UT's, this bill is incomplete inasmuch as the proposed amendments shall have serious impact in enforcing Rule of Law.

11. Without prejudice to whatever stated herein above, I suggest that in all aforesaid 42 Acts wherein provisions for 2 years of imprisonment and above are existing, those should be retained and the provisions for imprisonment less than 2 years may be replaced with fine.

Finally, I would urge upon you to kindly incorporate this Note of Dissent of mine as part of the Draft Report to be submitted before the parliament.

With Warmest,

Yours Sincerely,

SUKHENDU SEKHAR RAY
 MEMBER

Joint Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provision) Bill 2022

13/3/2023

DEAN KURIAKOSE

Member of Parliament
(Lok Sabha)
Idukki, Kerala

Member:

- Standing Committee on Labour
- Consultative Committee on Rural Development



90, South Avenue
New Delhi - 110 011
Mob.: 9447877369

1058/DEL/2023

14th March, 2023**Sub: Dissent note to Jan Vishwas Bill, 2022**

Respected Sir/Madam,

I hope this letter finds you well. I am writing this to express my dissent with the final draft report published by the committee. I have moved the following amendments to the Bill.

1. In The Drugs and Cosmetics Act, 1940 -

Instead of (A), the following shall be substituted - "In section 30, in sub-section (2), for the words "imprisonment which may extend to two years, or with fine which shall not be less than ten thousand rupees, or with both", the words " imprisonment which may extend to two years, or with fine which shall not be less than five lakh rupees" shall be substituted."

also, (B) should be discarded.

2. In The Rubber Act, 1940 -

Instead of (A), the following shall be substituted - "(A) In section 11, in sub-section (3), for the words "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.", the words "imprisonment for a term which may extend to one year, or with penalty which may extend to one lakh rupees and cancellation of licence issued under section 14, or with both." shall be substituted"

also, (B) should be discarded.

also, instead of (C), the following shall be substituted - "(C) In section 26, in sub-section (1), in the long line, for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both", the words " punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or liable to

MP Office: 1. Opp. PWD Guest House, Telephone Exchange Road, Thodupuzha PO
Idukki Distt., Kerala - 685584 • Phone: 0486-2222266 • E-mail: deankuriakosemp@gmail.com

MP Office: 2. Alilkunnel Building, Idukki Colony (PO), Cheruthony-685602

• Phone: 04862,236266

DEAN KURIAKOSE

Member of Parliament
(Lok Sabha)
Idukki, Kerala

Member:

- Standing Committee on Labour
- Consultative Committee on Rural Development



90, South Avenue
New Delhi - 110 011
Mob.: 9447877369

pay penalty which may extend to fifty thousand rupees" shall be substituted"

3. In The Spices Board Act, 1986 -

Instead of (A), the following shall be substituted – "(A) In section 27, in the long line, for the words "imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the words " imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent offence penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted"

also, (B) should be discarded.

also, instead of (C), the following shall be substituted – "(C) In section 29, for the words "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the words " imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent offence penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted"

also, instead of (D), the following shall be substituted – "(D) In section 30, for the words "imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention", the words " imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent offence, penalty which may extend to one lakh rupees" shall be substituted."

4. In The Tea Act, 1953 – instead of "Section 38 to 42 shall be omitted", substitute "Section 38 to 40 shall be omitted".

5. Omit Serial No. 1 - amendments to The Press and Registration of Books Act, 1867 to be discarded.

MP Office: 1. Opp. PWD Guest House, Telephone Exchange Road, Thodupuzha PO
Idukki Distt., Kerala – 685584 • Phone: 0486-2222266 • E-mail: deankuriakosemp@gmail.com

MP Office: 2. Alikunnel Building, Idukki Colony (PO), Cheruthony-685602

• Phone: 04862-236266

DEAN KURIAKOSE

Member of Parliament
(Lok Sabha)
Idukki, Kerala



90, South Avenue
New Delhi - 110 011
Mob.: 9447877369

Member:

- Standing Committee on Labour
- Consultative Committee on Rural Development

6. Omit Serial No.2 - amendments to The Indian Post Office Act, 1898 to be discarded.
7. Omit Serial No.9 - amendments to The Pharmacy Act, 1948 to be discarded.
8. Omit Serial No.11 - amendments to The Cinematograph Act, 1952 to be discarded.
9. Omit Serial No.17 - amendments to The Food Corporations Act, 1964 to be discarded.
10. Omit Serial No.20 - amendments to The High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978 to be discarded.
11. Omit Serial No.11 - amendments to The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to be discarded.
12. Omit Serial No.24 - amendments to The Environment (Protection) Act, 1986 to be discarded.
13. Omit Serial No.29 - amendments to The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 to be discarded.
14. Omit Serial No.35 - amendments to The Food Safety and Standards Act, 2006 to be discarded.
15. Omit Serial No.39 - amendments to The Collection of Statistics Act, 2008 to be discarded.

With respect to the following acts, I submit the following objections. Please record them as part of the dissent note.

The Press and Registration of Books Act, 1867

The provision to suspend or cancel a certificate of registration is missing from the original act. Addition of such a provision actually imposes more cost to those who are running a publication. This will effectively act as a tool in the hands of the government of the day to control press and publications. Some of the reasons listed for suspending the certificate of registration makes no sense. For example, why should the government have the right to suspend the license if the newspaper is not able to publish less than half the issues? These pertain to more control rather than government making it easier to run newspapers. I also object to the extant in which the Press Registrar (who's appointed by the government) is empowered to suspend and cancel certificate of registration. Also, giving the press registrar the power to impose penalties is against the spirit of separation of powers. It is better left to the Magistrate to decide upon the punishments as prescribed by the law. Giving judicial powers to an administrative professional will only lead to more executive control and violation of justice. Citing all these, I strongly oppose the section 12 and section 13 as proposed in the amendment.

Amendment of 8C is used to confer extra judicial powers to the Press Registrar on par with the Magistrate. This again, is a case in which the doctrine of separation of powers is violated. I object to this.

DEAN KURIAKOSE

Member of Parliament
(Lok Sabha)
Idukki, Kerala



90, South Avenue
New Delhi - 110 011
Mob.: 9447877369

Member:

- Standing Committee on Labour
- Consultative Committee on Rural Development

Omitting Sections 15A to 17 is commendable, for it reduces the burden on the press and publications. No objection to these amendments.

No objection to substitution of section 19K, and omission of section 19L.

The Cinematograph Act, 1952

The punishment prescribed under Section 7(1)(a) is imprisonment up to three years, but comparable offences under Section 7(1)(d) or Section 7(1)(e) attracts only fines. There seem to be no rational application of mind here. Also, under Section 7(1)(d), an officer is authorized to levy a fine. I fail to understand how giving judicial powers to an officer leads to better administration of justice. There is scope for misuse here, for these powers could be misused by the executive to harass people. Instead of decriminalization, empowering an official to levy fines will lead to more harassment of people. I strongly object to these provisions.

The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995

In substituting sections 16 and 18, penalties have been reduced. However, omitting section 17 will lead to not being able to convict people working for a company in case of a company committing an offence. Hence, section 17 shouldn't be omitted. This could lead to companies committing offences and getting away with a mere fine. Since this act pertains to Cable Television Networks, there is a case in which their reporting or programs could not be properly regulated in the absence of being able to prosecute people associated with the companies that run these networks. Also, the penalties in question are being levied by a designated officer. This again amounts to giving judicial powers to the executive. The secretary is being made the appellate authority also doesn't sit well because the entire process is now limited to the executive. The ease of doing business shouldn't be made an excuse to give excessive powers to the executive. This will lead to further harassment of independent Cable Television Networks.

The Collection of Statistics Act, 2008

Omission of section 16 to 22 amounts to offences listed such that collection of statistics on economic, demographic, social, scientific and environmental matters by government is not hampered. If these offences are removed, there should be a means to ensure that proper data collection is done on behalf of the government. No such means are mentioned by the government. Ease of doing business shouldn't be an excuse to ease of committing offences. Also, ease of doing business cannot be a reason enough to degrade the quality of data collected by the government. I object to the said amendments.

The Indian Post Office Act, 1898

MP Office: 1. Opp. PWD Guest House, Telephone Exchange Road, Thodupuzha PO
Idukki Distt., Kerala - 685584 • Phone: 0486-2222266 • E-mail: deankuriakosemp@gmail.com
MP Office: 2. Alikunnil Building, Idukki Colony (PO), Cheruthony-685602
• Phone: 04862-236266

DEAN KURIAKOSE

Member of Parliament
(Lok Sabha)
Idukki, Kerala



90, South Avenue
New Delhi - 110 011
Mob.: 9447877369

Member:

- Standing Committee on Labour
- Consultative Committee on Rural Development

The Offences mentioned in Chapter X pertains to offences that could be committed while discharging the duties inside a post office. During that, they handle the property of public that is entrusted with the postal department. They cannot be dismissed as minor offences. Also, that they could be prosecuted under other laws are no justification to not prosecute the employees of Postal department under this act. If such dilutions are made to the penal provisions, it will lead to the staff not taking their work seriously. I strongly object to these amendments.

I also request to add a note that I observe that excessive powers are given to government appointed officers (permanent executive) to decide quantum of fines, levy penalties etc. This is found across the acts on which I have moved amendments. This is against the spirit of separation of powers enshrined in the constitution and also embodied as a directive in the Article 50 of the constitution.

Moreover, the amendments to The Spices Board Act, The Tea Act, The Rubber Act, 1947 etc. seeks to eliminate the penal provisions embedded in those acts. I feel that these will erode the effectiveness of implementation of provisions included in those acts. These are also in contravention to the interests of those who are protected by those acts. Please record these objections to the bill and move the amendments mentioned above.

Warm Regards,



Adv. Dean Kuriakose

MP Office: 1. Opp. PWD Guest House, Telephone Exchange Road, Thodupuzha PO
Idukki Distt., Kerala - 685584 • Phone: 0486-2222266 • E-mail: deankuriakosemp@gmail.com

MP Office: 2. Alikunnil Building, Idukki Colony (PO), Cheruthony-685602

• Phone: 04862-236266

-384-

Dr. KANIMOZHI NVN SOMU

M.B.B.S., M.S.

MEMBER OF PARLIAMENT (RAJYA SABHA)

MEMBER :

- Standing Committee on Education, Women, Children, Youth & Sports
- Consultative Committee for the Ministry of Power and New & Renewable Energy
- Joint Committee on Jan Vishwas



सत्यमेव जयते

503, Brahmaputra Apartments,
Dr. B.D. Marg, New Delhi - 110 001
Phone : 011-23312504, 23312503
E-mail : dr.kanimozhinvsomu@sansad.nic.in

Flat No.403, "NEWRY SERENITY"
New Door No.8, (Old No.12),
3rd Canal Cross Road, Gandhinagar,
Adyar, Chennai-600 020, Tamil Nadu
Mobile : +91-98402 99077

To
The Director, R. Ram Porskud.

Subj: Minutes of Dessant.

Sir,
In continuation of the JPC (JAN VISHWA)
meeting held on 13-03-2023, I hereby
submit the following. Dessant.

Enclosed.

Warm Regards.

N. S. Kanimozhi
(DW NO : 142)

1. The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937

Punishment of imprisonment is required and it act as deterrent for persons not doing mistakes. Imposing of fines alone would give them free hand to repeat the mistakes until they are caught and do not have any impact. Levying just Fines not exceeding five lakhs will never have any impact and may increase bribery and corruption.

2. The Drugs and Cosmetics Act, 1940

This is a very serious mistake cannot be taken lightly as it will have cascading effects on people especially women. Punishment of two years imprisonment will alone act as deterrent for persons not committing mistakes. Imposing of fines would give them an indirect sanction to repeat the mistakes until they are caught and do not have any impact. Levying just Fines not exceeding five lakhs will never have any impact and may increase bribery and corruption.

3. The Pharmacy Act, 1948

This is again a very serious mistake results in grievous issues hence cannot be taken lightly. Punishable with imprisonment will alone act as deterrent for persons not committing such grievous mistakes. Imposing of fines would give them an indirect sanction to repeat the mistakes until they are caught. Levying just Fines will never have any real impact and may increase bribery and corruption.

4. The Cinematograph Act, 1952

The film industry is already flooded with problems and issues due to the technological advancements and the introduction of new medium of exhibition like web series, OTT platforms etc. Any relaxation in this act will make them habitual to commit mistakes. Punishable by imprisonment will be the only way to control such mistakes committed by film industry otherwise the whole society will be affected particularly the youth and student community will be badly affected and diverted from studies. A strict censorship of harmful contents whether it is involving violence or crime or obscene or sexual exploitation is a must. Otherwise the future generation will be spoiled with rubbish contents. Hence any relaxation in this act will be detrimental to the well being of the society as a whole.

5. The Copyright Act, 1957

This will affect the morale of the people with honesty and just. Omitting the entire section 68 of Copy Right Act, 1957 would not be justifiable. This kind of relaxation would lead to proliferation of plagiarism which is already found in abundance. Hence this change is unwarranted and untenable.

6. The Merchant Shipping Act, 1958

The penalty prescribed for the contravention of any provision of this Act must be there to avoid any serious mistakes.

7. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961

The penalty and punishment prescribed for the contravention of any provision of this Act must be there to avoid any serious mistakes. Otherwise it will certainly increase the cheating and corruption.

8. Warehousing Corporations Act, 1962

Section 38 of the Warehousing Corporations Act, 1962

(1) Whoever, without the consent in writing of a Warehousing Corporation, uses the name of that Corporation in any prospectus or advertisement shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

(2) No court shall take cognizance of any offence under subsection (1) otherwise than on a complaint in writing by an officer authorised in this behalf by the Warehousing Corporation concerned.

Omitting the Section 38 is not justified and will increase cheating and forgery of documents. Hence section 38 should be retained.

9. The Food Corporations Act, 1964

Section 41 in The Food Corporations Act, 1964 (1) Whoever, without the consent in writing of a Food Corporation, uses its name in any prospectus or advertisement, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months,

or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Omitting the Section 41 is not justified and will increase cheating and forgery of documents. Hence section 41 should be retained.

10. The Marine Products Export Development Authority Act, 1972

Changes to concerned section access to account books and dealing with penalties and punishments are unwarranted. Punishment with imprisonment is necessary to control misuse of this law.

11. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

Changes in sections dealing with penalties and punishments are uncalled for.

12. The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981

The access to account books and related documents by the Officials is necessary. Any changes made in this law which curbs such inspection rights is detrimental to the the very purpose of such acts.

13. The Environment (Protection) Act, 1986

The access to account books and related documents by the Officials is necessary. Any change made in this law which

curbs such inspection rights is detrimental to the very purpose of such acts.

14. The National Housing Bank Act 1987

Section 21 of the original Act envisages the National Housing Bank to have access to records.- Sub section (1) The National Housing Bank shall have free access to all such records of any [institution] which seeks to avail of any credit facilities from the National Housing Bank and to all such records of any person who seeks to avail of any credit facilities from such [institution], the perusal of which may appear to the National Housing Bank to be necessary in connection with the providing of finance or other assistance to such [institution] or the refinancing of any loan or advance made to such person by that [institution].

The access to account books and related documents by the Officials is necessary. Any change made in this law which curbs such inspection rights is detrimental to the very purpose of such acts.

15. The Information Technology Act, 2000

Section 67 of the Information Technology Act, 2000 ('IT Act') has extended this law's reach to the digital medium. It imposes criminal liability on transmission or publication of any material that is obscene and appeals to the prurient interests of the populace. There is already a growing concern with regards to the criminal acts which falls under this Act.

Removing the punishment of imprisonment is again a very serious mistake results in grievous issues hence cannot be

taken lightly. Punishable with imprisonment will alone act as deterrent for persons not committing such grievous mistakes.

Therefore I would like to dissent up on the decisions taken by the committee in changing or relaxing certain important provisions of the laws enacted by the Parliament. Hence I oppose the DRAFT REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 and certain changes brought by the Joint Committee in this regard.

Appendix - VI**JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS)****BILL, 2022****MINUTES OF THE FIRST SITTING OF THE COMMITTEE**

The Committee sat on Monday, the 9th January, 2023 from 1100 hrs. to 1245 hrs. in Committee Room 'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri P.P. Chaudhary – Chairperson

MEMBERS**LOK SABHA**

2. Dr. Sanjay Jaiswal
3. Shri Uday Pratap Singh
4. Shri Sanjay Seth
5. Smt. Poonam Pramod Mahajan
6. Shri Rajendra Agrawal
7. Shri Rattan Lal Kataria
8. Shri Gaurav Gogoi
9. Prof. Sougata Ray
10. Shri Pinaki Misra
11. Shri Girish Chandra

RAJYA SABHA

12. Shri Ghanshyam Tiwari
13. Dr. Radha Mohan Das Agarwal
14. Shri Sukhendu Sekhar Ray
15. Dr. Kanimozhi NVN Somu
16. Shri Narain Dass Gupta

SECRETARIAT

1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary
2. Shri Raju Srivastava - Director
3. Smt. Maya Menon - Under Secretary

WITNESSES

Sl No.	Ministry/Department	Representatives
1.	Ministry of Commerce & Industry (DPIIT)	i. Shri Anurag Jain - Secretary ii. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Secretary iii. Ms. Supriya Devasthali - Director
2.	Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs)	i. Dr. Niten Chandra – Secretary ii. Ms. Sunita Anand – Joint Secretary & Legal Advisor
3.	Ministry of Law & Justice (Legislative Department)	iii. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Legislative Counsel iv. Shri Vinay Kumar Mishra – Deputy Legislative Counsel

At the outset, the Chairperson welcomed Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the Sitting convened to have a briefing about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by their Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022.

2. The Chairperson then asked the Representatives of Department for Promotion of Industry and Trade, Ministry of Commerce and Industry to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in the schedule to the Bill.

3. The Representatives of the Ministry explained the reasons for the proposed changes in the Bill as follows:

- i. Ease of living and ease of doing business in line with the Government mandate;
- ii. Decrease the burden on businesses and inspire confidence amongst the investors;

- iii. Focus on economic growth, public interest and national security should remain paramount;
- iv. Mens rea (malafide/criminal intent) plays an important role in imposition of criminal liability – therefore, it is critical to evaluate nature of non-compliance i.e. fraud as compared to negligence or inadvertent omission; and
- v. The habitual nature of non-compliance.

4. The Representatives of DPIIT explained the rationale for bringing this Bill, and stated that the Government wanted to encourage trust-based governance and improve ease of doing business. Towards this end, all Legislations were being reviewed from time to time and already certain actions like Labour Codes, Reforms in Mining Sector, etc. were carried out. In this exercise, the entire State Governments were taken on board for consultations, as also the Departments/Ministries of the Central Government. They were basically told to review on four counts (i) whether a Particular Provision is required at all or not (ii) can it be simplified (iii) can it be done online (iv) decriminalize the minor offences. Some of the Acts dates to pre-Independence period where small offences attracted imprisonment. These were to be changed to penalty/fine. Based on these factors, the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 has been prepared.

5. The Committee sought to know the difference between fine and penalty. The officials of Legislative Department clarified that fine is imposed by a judicial Court and penalty by an administrative/quasi judicial authority. There is a need for an adjudication and appellate mechanism in this structure.

6. Then the Representatives of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade made a power point presentation giving details about the different Acts and the Sections being amended by different Ministries/Departments in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 and brief overview of the same. Members sought some clarifications and the Officials provided replies to them.

7. The Committee then decided to have briefing/Evidence of the Representatives of the concerned administrative Departments/Ministries of the 42 Acts being administered by them.

The Committee then adjourned.

A verbatim record of the proceedings has been kept separately.

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS)**BILL, 2022****MINUTES OF THE SECOND SITTING OF THE COMMITTEE**

The second sitting of the Joint Committee was held on Monday, the 16th January, 2023 from 1500 hrs. to 1745 hrs. in Committee Room No 01, Extension to Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri P. P. Chaudhary - Chairperson

MEMBERS**LOK SABHA**

2. Shri Rajendra Agrawal
3. Shri Girish Chandra
4. Shri Gaurav Gogoi
5. Dr. Sanjay Jaiswal
6. Shri Rattan Lal Kataria
7. Prof. Sougata Ray
8. Shri Rajiv Ranjan Singh, alias Lalan Singh

RAJYA SABHA

9. Shri Ghanshyam Tiwari
10. Shri Sukhendu Sekhar Ray
11. Shri G.V.L. Narasimha Rao
12. Shri Mahesh Jethmalani
13. Shri Narain Dass Gupta

SECRETARIAT

1.	Shri Vinay Kumar Mohan	- Joint Secretary
2.	Shri Rahul Singh	- Deputy Secretary
3.	Smt. Maya Menon	- Under Secretary

WITNESSES

Sl. No.	MINISTRY/DEPARTMENT	REPRESENTATIVES
1.	The Ministry of Commerce & Industry (Department of Promotion of Industry and Internal Trade)	i. Ms. Manmeet K. Nanda, Joint Secretary ii. Ms. Supriya Devasthali, Director
2.	The Ministry Of Electronics and Information Technology	i. Shri Alkesh Kumar Sharma, Secretary ii. Shri Amit Agrawal, Additional Secretary iii. Dr. Saurabh Garg, CEO, UIDAI
3.	The Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (Department of Agriculture & Farmers Welfare)	i. Shri Manoj Ahuja, Secretary ii. Shri Abhilaksh Likhi, Additional Secretary iii. Dr. Vijaya Lakshmi Nadendla, Joint Secretary
4.	The Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution)	i. Shri Sanjeev Chopra, Secretary ii. Shri Ashok K. K. Meena, CMD (FCI) iii. Shri Subodh Kumar Singh, Additional Secretary (Policy & FCI)
5.	The Ministry of Law & Justice	i. Shri K. R. Saji Kumar, Joint Secretary & Legislative Counsel, Legislative Department ii. Ms. Sunita Anand, Joint Secretary & Legal Advisor, Department of Legal Affairs

2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the second sitting of the Joint Committee convened about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by their Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. He asked the Representatives of the respective Ministries/Departments to brief the Committee

on the relevant enactments administered by their department proposed to be amended, about the reasons to bring the said amendments, foreseeable impact of the same and whether proposed amendments shall have any retrospective effect on litigations pending before the courts, if any.

3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Electronics and Information Technology to inform the Committee regarding proposed amendments by their department in (i) The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and (ii) The Information Technology Act, 2000.

4. The representatives of the Ministry of Electronics & Information Technology then submitted that the Section 33, 44, 45, 67C, 68, 69B, 70B, 72, 72A of the Information Technology Act, 2000 are being amended to reduce imprisonment or increase fines. The officials also submitted that the imprisonment/fine imposed by Section 41 of the Act mentioned at SI No. 42 of the Schedule to the Bill is being replaced with increased penalty for which the Committee sought detailed clarifications on the reasons of the proposed amendment. The Committee also asked the officials to reexamine and give detailed justification for the proposed amendments and accordingly furnish the written reply to the queries raised by the Hon'ble Members.

(The Officials of Meity withdrew and then the Representatives of the Department of Agriculture & Farmers Welfare were called before the Committee)

5. The Chairperson then asked the Representatives of the Department of Agriculture & Farmers Welfare to provide briefing about the amendments proposed in the Agricultural Produce (Grading and Marking Act), 1937 mentioned at SI No 05 of the Schedule of the Bill. The Officials of the Ministry submitted that the imprisonment clauses that exist in four sections, namely 4, 5, 5A and 5B of the Act is being decriminalised by imposing increased penalty. Members asked certain clarifications on the amendments proposed and Officials of the Ministry clarified.

(The Officials of Department of Agriculture & Farmers Welfare then withdrew and the Representatives of the Department of Food & Public Distribution deposed before the Committee)

5. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Department of Food & Public Distribution of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution to brief on the reasons for the proposed amendments in the Food Corporations Act, 1964 and the Warehousing Corporation Act, 1962 mentioned at Sl. No. 16 & 17 of the Schedule to the Bill.

6. The representatives from the Ministries thereafter briefed the Committee on the the proposed amendment for deletion of Section-41 from the Food Corporations Act, 1964 and Section-38 from the Warehousing Corporation Act, 1962 alongwith justification.

7. The Chairperson thanked the Members of the Committee and the Officials of the Ministries for appearing before them and explaining the rationale behind in the amendments proposed in the Bill related to their Ministries.

The Committee then adjourned.

A verbatim record of the proceedings has been kept separately.

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS)**BILL, 2022****MINUTES OF THE THIRD SITTING OF THE COMMITTEE**

The third sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 17th January, 2023 from 1100 hrs. to 1410 hrs. in Committee Room No 01, Extension to Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri P. P. Chaudhary - Chairperson

LOK SABHA

2. Shri Rajendra Agrawal
3. Shri Girish Chandra
4. Shri Rattan Lal Kataria
5. Shri Rajiv Ranjan Singh, Alias Lalan Singh
6. Shri Pinaki Misra
7. Shri Sanjay Seth
8. Shri Uday Pratap Singh

RAJYA SABHA

9. Shri Ghanshyam Tiwari
10. Shri Sukhendu Sekhar Ray
11. Shri G.V.L. Narasimha Rao
12. Shri Mahesh Jethmalani
13. Shri Narain Dass Gupta
14. Shri Vivek K Tankha

SECRETARIAT

1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary
2. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary
3. Smt. Maya Menon - Under Secretary

WITNESSES

Sl No.	Ministry/Department	Representatives
1.	The Ministry of Commerce & Industry (Department of Promotion of Industry and Internal Trade)	i. Ms. Manmeet K. Nanda, Joint Secretary ii. Ms. Supriya Devasthali, Director
2.	The Ministry of Environment, Forest and Climate Change	i. Ms. Leena Nandan, Secretary ii. Shri Chandra Prakash Goyal, Director General of Forests and Special Secretary
3.	The Ministry of Housing & Urban Affairs	i. Shri Manoj Joshi, Secretary ii. Shri Jaideep, OSD (UT) and ex officio Joint Secretary
4.	The Ministry of Law & Justice	i. Shri K. R. Saji Kumar, Joint Secretary & Legislative Counsel, Legislative Department ii. Ms. Sunita Anand, Joint Secretary & Legal Advisor, Department of Legal Affairs

2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the third sitting of the Joint Committee convened about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by their Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022.

3. Thereafter, the Chairperson invited the Representatives of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change to brief the Committee on the relevant enactments administered by their Ministry. The representatives of the Ministry explained the proposed amendments under the Acts - The Indian Forest Act, 1927(SI no 04 of the Schedule); The Air (Prevention and Control of Pollution) Act of 1981 (SI No 21 of the Schedule); The Environment (Protection) Act, 1986 (SI No 24 of the Schedule) and The Public Liability Insurance Act, 1991 (S No 28 of the Schedule) through a power point presentation before the Committee.

4. The officials of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change submitted that 09 penal provisions under the Acts proposed to be amended are to be partially decriminalised. The officials submitted that broad contours for continuing offences have been made in the form of penalty, additional penalty and then criminal provision. The Committee observed that the fine of Rupees Five Hundred imposed under the Sections 26 & 33 of the Indian Forest Act may be replaced with penalty and adjudicating mechanism may be set up. In the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, violations pertaining Sections 22, 31A, 37, 38 and 39 are being proposed to be dealt with through imposition of financial penalties replacing prosecution in the court of law.

5. The Committee then were briefed on the Environment Protection Act 1986 wherein penal provision mentioned under the Act is proposed to be completely decriminalized by substituting it with penalty and additional penalty. Members asked certain clarifications on the amendments proposed by the Ministry and reasons for the same and Officials of the Ministries clarified. With respect to The Public Liability Insurance Act 2002, the officials informed that the provisions for substantial penalty are proposed be introduced for contravention and non-compliance of the provisions in place of imprisonment along with the insertion of provisions for utilization of Environment Relief Fund for restoration of public property and environmental damage by utilization and provided justifications for the said provisions to the Committee whereto the queries were raised on the amount of penalty being prescribed.

(The Officials of MoEFCC withdrew and then the Representatives of the Ministry of Housing & Urban Affairs deposed before the Committee)

6. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Housing and Urban Affairs to inform the Committee regarding proposed amendments by their department in the Metro Railways(Operation and Maintenance) Act, 2002 mentioned at SI No 33 of the Schedule to the Bill.

7. The representatives of the Ministry of Housing & Urban Affairs then submitted that the imprisonment and fine provisions under Sections 59(2), 63, 69(4) and 70 are proposed to be converted to penalty; imprisonment and fine under Section 80 is proposed to be omitted and imprisonment tenure in Section 65 is proposed to be reduced. The Committee

observed that imprisonment provisions under the Section 59(2) of the Act may be retained as the provisions deal with safety of the lives of the passengers. Members asked certain clarifications on the amendments proposed by the Ministry and reasons for the same and Officials of the Ministry clarified. The Chairperson also asked the officials to see consequential effects of the provisions being amended and accordingly adjustments to the proposed amendment may be made and furnished to the Committee.

9. The Chairperson thanked the Members of the Committee and the Officials of the Ministries for appearing before them and explaining the rationale behind in the amendments proposed in the Bill related to their Ministries.

The Committee then adjourned.

A verbatim record of the proceedings has been kept separately.

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS)**BILL, 2022****MINUTES OF THE FOURTH SITTING OF THE COMMITTEE**

The fourth sitting of the Joint Committee was held on Tuesday, the 31st January, 2023 from 1500 hrs. to 1715 hrs. in Committee Room No 02, Extension to Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri P. P. Chaudhary - **Chairperson**

LOK SABHA

2. Shri A. Raja
3. Shri Rajendra Agarwal
4. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti
5. Shri Girish Chandra
6. Shri Gaurav Gogoi
7. Shri Rattan Lal Kataria
8. Adv. Dean Kuriakose
9. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
10. Shri Sougata Ray
11. Shri Sanjay Seth
12. Shri Uday Pratap Singh

RAJYA SABHA

13. Shri Ghanshyam Tiwari
14. Shri Mahesh Jethmalani
15. Shri Narain Dass Gupta
16. Dr. Radha Mohan Das Agarwal
17. Dr. Kanimozhi NVN Somu
18. Shri Sujeet Kumar

SECRETARIAT

1.	Shri Vinay Kumar Mohan	- Joint Secretary
2.	Shri H. Ram Prakash	- Director
3.	Shri Rahul Singh	- Deputy Secretary
4.	Smt. Maya Menon	- Under Secretary

WITNESSES

SI No.	Ministry/Department	Representatives
1.	The Ministry of Commerce & Industry (Department of Promotion of Industry and Internal Trade)	iii. Shri Anurag Jain, Secretary iv. Shri Rajeev Singh Thakur, Additional Secretary v. Ms. Shruti Singh, Joint Secretary vi. Ms. Manmeet K. Nanda, Joint Secretary vii. Ms. Supriya Devasthali, Director
2.	The Ministry of Commerce (Department of Commerce)	i. Shri Sunil Barthwal, Secretary ii. Shri Sridhar Baku Addanki, Executive Director, Tobacco Board iii. Dr. K. G. Jagadeesha, CEO & Secretary, Coffee Board iv. Dr. M Angamuthu, Chairman, APEDA v. Dr. K N Raghavan, Executive Director, Rubber Board vi. Shri D. Sathiyam, Secretary, Spices Board
3.	The Ministry of Law & Justice	i. Shri K. R. Saji Kumar, Joint Secretary & Legislative Counsel, Legislative Department ii. Ms. Sunita Anand, Joint Secretary & Legal Advisor, Department of Legal Affairs

2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members of the Joint Committee on Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill 2022 and the representatives of Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Law and Justice.

3. The Chairperson made opening remarks about the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill 2022 and sought to know the changes being made by the Department for Promotion of Industry & Internal Trade and Department of Commerce in the Bill. The Chairperson also drew the attention of the officials to Directions 55 of Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.

4. The Ministry officials from DPIIT made a Power Point Presentation on the followings Acts and explained the existing provisions alongwith proposed amendments and also reasons for amendments.

- (i) Copyright Act, 1957 (Section 68 dealing with making false statement for deceiving or influencing any authority or office is being omitted);
- (ii) Patents Act, 1970 (Sections 120, 122 (sub-section (1) and (2)), 123 and 159 are being amended; Section 121 proposed to be omitted; New Section 124 AL regarding adjudication of penalty is proposed to be inserted;
- (iii) Trade Marks Act, 1999 – Sections 107, 140 and 157 are proposed to be amended; Sections 106, 108 and 109 are proposed to be omitted and a new Section 112 A is proposed to be inserted.
- (iv) Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 – 2 Sections (Sections 42 & 87) are proposed to be amended; Section 43 & 44 are proposed to be omitted; and a new Section 37 A is proposed to be inserted.
- (v) In the Boilers Act, 1923 – Amendment of section 22 seeks to insert a new clause (iv) in Section 22 by omitting similar provision (clause (d)) in Section 24; Section 23 is being substituted by a new Section 23 dealing with penalties for illegal use of boiler; and in Section 24 dealing with other penalties, clauses (a), (b) and (d) are proposed to be removed by inserting clause (a) & (b) in proposed new Section 23.

- (vi) In the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, section 24 (1), which has provision for imprisonment and fine, is being replaced with enhanced fine; Section 24 A dealing with penalty for false statement is being omitted.

5. The officials of Department of Commerce then made a presentation regarding the Rubber Act, 1947, the Tea Act 1953, the MPEDA Act, 1972 and the Spices Board Act, 1986. Now

- (i) In the Rubber Act 1947 Section 11, 13 and 26 are proposed to be amended which dealt with punishment for contravention of provisions under the Act.
- (ii) Under the Tea Act, 1953, the Sections 38, 39, 40, 41 & 42 are proposed to be amended by omitting them which will facilitate ease of doing business and provide fair benefits to all stakeholders.
- (iii) Under the MPEDA Act, 1972, Sections 20 (3), 23, 24 and 25 are proposed to be amended to replace imprisonment and fine with penalty. The proposed amendment will reduce regulatory compliance burden on marine exporters and prevent fear of undue harassment among stakeholders.
- (iv) The Spices Board Act 1986 prescribed criminal penalties for offences under the Act vide Section 27, 28, 29 and 30. Amendments have been proposed and Section 27, 29 and 30 to substitute punishment of imprisonment with civil penalty. Section 28 has been proposed for deletion to facilitate deregulation and trade.

Members sought clarifications on some of the provisions on some of the Acts and the concerned Ministry officials clarified them.

6. At the end, the Chairperson thanked all the Members and officials who participated in the discussions. The Committee authorized the Chairperson to finalise a Study Visit in connection with the examination of Bill to consult the various stakeholders at a suitable date.

The Committee then adjourned.

A verbatim record of the proceedings has been kept separately.

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL,
2022

MINUTES OF THE FIFTH SITTING OF THE COMMITTEE

The Committee sat on Monday, the 6th February, 2023 from 1500 hrs to 1720 hrs in Committee Room 'C', Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri P.P. Chaudhary – Chairperson

MEMBERS

LOK SABHA

2. Shri Uday Pratap Singh
3. Shri Sanjay Seth
4. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
5. Smt. Poonam Pramod Mahajan
6. Smt. Aparajita Sarangi
7. Shri Rajendra Agrawal
8. Shri Rattan Lal Kataria

RAJYA SABHA

9. Shri Ghanshyam Tiwari
10. Shri G.V.L. Narasimha Rao
11. Shri Mahesh Jethmalani
12. Dr. Radha Mohan Das Agarwal
13. Shri Vivek K. Tankha
14. Shri Narain Dass Gupta
15. Shri Sujeet Kumar

SECRETARIAT

1. Shri Vinay Kumar Mohan	- Joint Secretary
2. Shri H. Ram Prakash	- Director
3. Shri Rahul Singh	- Deputy Secretary
4. Smt. Maya Menon	- Under Secretary

WITNESSES

SI No	Ministry/Department	Representatives
1.	Ministry of Finance (Department of Financial Services)	i. Shri Suchindra Misra – Additional Secretary ii. Shri Pankaj Sharma – Joint Secretary
2.	Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)	i. Shri Rajeev Saksena – Joint Secretary ii. Ms. Aparna Bhatia – Advisor
3.	Ministry of Finance (Department of Revenue)	i. Shri Ritvik Pandey – Joint Secretary ii. Shri Amit Gunvant Bhole – Deputy Secretary
4.	Ministry of Commerce & Industry (Department for Promotion of Industry & Internal Trade)	i. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Secretary ii. Ms. Supriya Devasthali – Director
5.	Ministry of Law & Justice	i. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department ii. Dr. Amit Tyagi – Deputy Legal Advisor, Department of Legal Affairs

2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members and Officials/Representatives of the Ministries to the Sitting convened to have briefing about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by respective Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. The Chairperson also informed about the Confidentiality Clause of the proceedings and need to keep away from the Press until the Report is presented to Houses.

3. Before the Officials started their briefing, the Members of the Committee expressed their displeasure over the absence of Secretaries of all the three Departments who were scheduled to appear before the Committee. The Members of the Committee expressed their views that the final decision before the Committee need to be committed by the highest ranking officials of the Ministries namely, the Secretary of the concerned department. The Chairperson, while informing that the Secretaries had sought leave of absence a day prior to

the sitting, gave a direction to the Officials present of the concerned Ministries and DPIIT to convey the unhappiness of the Committee to them and ensure that they appear before the Committee in the future.

4. The Officials of Department of Financial Services made a power point presentation regarding the following 5 Acts administered by them and the amendments proposed in the Bill for decriminalization.

- i. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961,
- ii. The Payment and Settlement Systems Act, 2007,
- iii. The Factoring Regulation Act, 2011,
- iv. The National Housing Bank Act, 1987 and,
- v. The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981.

In the DICGC Act, 1961, Section 47(2) is proposed to be amended to replace the existing provisions for imposition of fine with penalty. Similarly, the consequential insertions proposed to provide for the manner of levying and recovery of penalty.

5. In the Payment and Settlement System Act, 2007, Sections 26(3) and 26(6) are proposed to be amended for minor procedural failure by replacing provision of imposition of fine with penalty. It is also proposed to amend Section 30 as consequential amendment providing for the manner of levying penalty by RBI.

6. The Officials then briefed about the Factoring Regulation Act, 2011 wherein Section 21 is proposed to be amended by replacing the provision of imposition of fine with penalty by RBI. Also, consequential insertions are being proposed in Section 22 to provide for manner of levying and recovering of penalty by RBI.

7. Under the National Housing Bank Act, 1987, sub-section (2), (2B), (3) and (4) of Section 49 are proposed to be omitted from that section by suitably inserting those in Section 52, thereby, replacing the provision of imposition of fine with penalty by NHB and RBI. Section 33(c) is also proposed to be inserted to debar or remove the Auditor in case of failure to comply with any direction given by NHB and RBI.

8. The officials then explained the rationale behind amending Section 56(2) of the Act where under it is proposed to replace imposition of fine with imposition of penalty by

NABARD. There are also consequential insertions proposed in Section 56 to provide for manner of levying and recovery of penalty by NABARD.

(The Officials of DoFS withdrew and then the Representatives of the Department of Economic Affairs (DoEA) deposed before the Committee)

9. The Officials of Department of Economic Affairs briefed the Committee about the proposed omission of Section 27 in the Public Debt Act, 1944. One of the reasons provided was no instance of invocation of Section 27 of Public Debt Act, 1944 so far.

10. Then the Committee were informed about the amendments proposed in Section 10 of the High Denomination Banknotes (Demonetization) Act, 1978. This Act provide to eliminate possible use of the legal tender character of notes of Rs. 1000, Rs. 5000 and Rs. 10000 denominations issued by RBI for financing transactions which are harmful to national economy. The Committee sought to know whether this amendment is really needed or the entire Act can be repealed.

11. The Committee were then briefed about the proposed amendments in Section 30(1) of the Government Securities Act, 2006 which propose to provide for replacing the existing imprisonment and/or fine with fine only.

(The Officials of DoEA withdrew and then the Representatives of the Department of Revenue were called before the Committee)

12. The Committee were then briefed by officials of Department of Revenue regarding the proposed amendments in the Prevention of Money Laundering Act, 2002. It was informed that these changes are consequential to decriminalization of certain offences in respective enactments and since these offences are being decriminalized, they may be deleted from the Schedule to the PMLA, 2002. The Committee made a general observation that based on the suggestions made by Members, the modifications suggested in the proposed amendments may be examined by the respective Departments and a statement be prepared about their acceptance or otherwise with reasons for consideration of the Committee during clause by clause consideration of the Bill.

The Committee then adjourned.

A verbatim record of the proceedings has been kept separately.

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS)**BILL, 2022****MINUTES OF THE SIXTH SITTING OF THE COMMITTEE**

The Committee sat on Tuesday, the 7th February, 2023 from 1500 hrs. to 1715 hrs in Committee Room No.1, Extension to Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri P.P. Chaudhary – Chairperson

MEMBERS**LOK SABHA**

2. Dr. Sanjay Jaiswal
3. Shri Sanjay Seth
4. Smt. Poonam Pramod Mahajan
5. Smt. Aparajita Sarangi
6. Shri Rajendra Agrawal
7. Shri Rattan Lal Kataria
8. Adv. Dean Kuriakose
9. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti
10. Shri Girish Chandra

RAJYA SABHA

11. Shri Mahesh Jethmalani
12. Shri Vivek K. Tankha
13. Shri Narain Dass Gupta
14. Shri Sujeet Kumar

SECRETARIAT

1.	Shri Vinay Kumar Mohan	- Joint Secretary
2.	Shri H. Ram Prakash	- Director
3.	Shri Rahul Singh	- Deputy Secretary
4.	Smt. Maya Menon	- Under Secretary

WITNESSES

Sl No	Ministry/Department	Representatives
1.	Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health & Family Welfare)	iii. Shri Rajesh Bhushan – Secretary iv. Shri G. Kamala Rao – CEO, FSSAI v. Dr. V.G. Somani – DCGI vi. Shri Sachin Mittal – Joint Secretary vii. Shri Rajiv Wadhawan – Advisor
2.	Ministry of Railways	i. Ms. Jaya Varma Sinha - Member (Operation & Business Development) & ex-officio Secretary ii. Shri Jyoti Kumar Satija- DIG (Projects) iii. Shri Ratnesh Kumar Jha - Executive Director (Public Grievances) iv. Shri Vipul Singhal - Director (Passenger Marketing)
3.	Ministry of Road, Transport & Highways	i. Smt. Alka Upadhyaya – Secretary ii. Shri Mahmood Ahmed – Additional Secretary iii. Dr. Piyush Jain – Director, MVL iv. Shri Shaaswat Jindal - Legal Consultant
4.	Ministry of Commerce & Industry (DPIIT)	i. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Secretary ii. Ms. Supriya Devasthali - Director
5.	Ministry of Law & Justice	i. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Legislative Counsel, (Legislative Department) ii. Dr. Amit Tyagi – Deputy Legal Advisor (Department of Legal Affairs)

2. At the outset, the Chairperson welcomed Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the Sitting convened to have briefing about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by their Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022.

3. The Chairperson asked the Representatives of Department of Health and Family Welfare to brief about the reasons for the proposed amendments in the (i) The Drugs and

Cosmetics Act, 1940 (SI No. 6 in the Schedule), (ii) The Food Safety and Standards Act, 2006 (SI No. 35 in the Schedule) and (iii) The Pharmacy Act, 1948 (SI No. 9 in the Schedule) . The Officials of the Ministry made a power-point presentation giving reasons behind the amendments in the Acts proposed in the Bill. The Committee observed that in the Food Safety and Standards Act, 2006, the proposed amendments to Sections 59(i), 61 and 63 provide for removal of imprisonment clause and increase of fine and suggested that since the said Sections deal with unsafe food, false information and carrying out a business without licence and can harm larger public, the provision for imprisonment may be retained; the term of 'imprisonment' may be reduced to three months in Sections 59 (i) and 63.

4. Similarly, in the Pharmacy Act, 1948, the proposed amendments in Section 26 A(3), Section 41(1) and Section 42(2) provide for removal of imprisonment clauses and increase in fine and also compounding of the fine. The Committee noted that these Sections deal with willfully obstructing an Inspector in the exercise of powers under the Pharmacy Act, 1948, penalty for false claim as registered and dispensing by unregistered persons, and therefore, these are all serious issues which can impact a larger public and suggested that the imprisonment clauses may be retained upto three months instead of six months so as to ensure effective deterrent in place.

(The Officials of MoHFW withdrew and then the Representatives of the Ministry of Railways were called before the Committee)

5. The Committee then were briefed by the Officials of the Ministry of Railways about the proposed amendment in Section 144(2) of the Railway Act, 1989 mentioned at S. No. 27 in the Schedule to the Bill. The proposed amendment relates to begging in any railway carriage or any part of the Railway for which at present the punishment is of imprisonment or fines. It is now being proposed to do away with this punishment provision. The Committee agreed with the reasoning provided by the Officials of Ministry of Railways but observed that there are penalties for offences like presence in platform without valid platform ticket, unauthorized travelling in train, indecent behavior due to inebriated state, etc. which attract imprisonment and court interventions and cases drag for several years, which need to be decriminalized. Therefore, the Committee observed that the Ministry should revisit other penal provisions in the Railways Act, 1989 and decriminalize as many provisions for offences of minor nature as has been done by other Ministries, which have examined many

of the provisions and brought amendments to make and facilitate ease of living and ease of doing business.

(The Officials of Ministry of Railways withdrew and then the Representatives of the Ministry of Road, Transport and Highway deposited before the Committee)

6. The Committee were then briefed by the Officials of Ministry of Road, Transport and Highways on the proposed amendments in the Motor Vehicle Act, 1988 as mentioned at S. No. 26 in the Schedule to the Bill. The proposed amendments pertain to decriminalization of minor offences and relate to Section 192(a), Section 200(1) and Section 215. It was elaborated that Section 192 (a), relating to using vehicle without permit which attracts imprisonment of one year, has been proposed to be modified to imprisonment 'and/or' fine as it is treated to be an anomaly and not a major offence. The Section 200(1) refers to composition of certain offences and Section 177(a), 192B(3) and Section 201 have been included under this Section for compounding of offences. These Offences are very minor in nature and hence will be dealt with administrative authority. The Third amendment relates to Section 215 which provides for constitution of District Road Safety Committee and where the State Governments have not constituted these Committees, then the Central Government shall constitute these Committees on prescribed terms and conditions and shall consist of a Chairperson and such other Members of the Central Government as considered necessary. The Committee pointed out that the amendment proposed in the Bill has only one provision and the power point presentation of the Ministry provides for two provisions and suggested that the Ministry should do necessary action to rectify the anomaly.

7. The Committee made a general observation that all the Ministries should examine the suggestions made by the Committee and come out with their considered responses during the clause by clause examination of the Bill.

8. The Chairperson thanked the Members of the Committee and the Officials of the Ministries for appearing before them and explaining the rationale behind in the amendments proposed in the Bill related to their Ministries.

The Committee then adjourned.

A verbatim record of the proceedings has been kept separately.

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS)**BILL, 2022****MINUTES OF THE SEVENTH SITTING OF THE COMMITTEE**

The Committee sat on Thursday, the 9th February, 2023 from 1500 hrs. to 1915 hrs. in Committee Room 'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri P.P. Chaudhary – Chairperson

MEMBERS**LOK SABHA**

2. Shri Uday Pratap Singh
3. Shri Sanjay Seth
4. Shri Khagen Murmu
5. Smt. Poonam Pramod Mahajan
6. Smt. Aparajita Sarangi
7. Shri Rajendra Agrawal
8. Adv. Dean Kuriakose
9. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti

RAJYA SABHA

10. Shri Ghanshyam Tiwari
11. Shri Mahesh Jethmalani
12. Shri Narain Dass Gupta

SECRETARIAT

1.	Shri Vinay Kumar Mohan	- Joint Secretary
2.	Shri H. Ram Prakash	- Director
3.	Shri Rahul Singh	- Deputy Secretary
4.	Smt. Maya Menon	- Under Secretary

WITNESSES

SI No	Ministry/Department	Representatives
1.	Ministry of Information & Broadcasting	i. Sh. Apurva Chandra – Secretary ii. Ms. Neerja Sekhar – Addl. Secretary iii. Sh. Vikram Sahay – Joint Secretary iv. Sh. Sanjiv Shankar – Joint Secretary v. Sh. Prithul Kumar – Joint Secretary
2.	Ministry of Statistics and Programme Implementation	i. Dr. G.P. Samanta – Secretary (S&PI) & Chief Statistician of India ii. Dr. Bivas Chaudhuri – Addl. Director General iii. Sh. Ghan Shayam – Addl. Director General iv. Sh. Tanweer Qamar Mohammad – Joint Secretary v. Sh. Parveen Shukla – Dy. Director General vi. Shri C.K. Jha – Dy. Director General
3.	Ministry of Communications (Department of Posts)	i. Shri Vineet Pandey – Secretary ii. Shri Jagannath Srinivasan – DDG (PO) iii. Ms. Aparajita Mridha – ASP
4.	Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs)	i. Shri Rohit Kumar Singh – Secretary ii. Ms. Nidhi Khare – Addl. Secretary iii. Shri Anupam Mishra – Joint Secretary
5.	Ministry of Defence (Department of Defence)	i. Smt. Nivedita Shukla Verma – Spl. Secretary ii. Shri Rakesh Mittal – Joint Secretary iii. Smt. Sharmishta Maitra – Director iv. Shri Ajay Kumar Sharma – DGDE

		v. Smt. Sonam Yangdol – Addl. DG (Cantts)
		vi. Shri Daman Singh – DDG (Cantts)
6.	Ministry of Ports, Shipping & Waterways	i. Shri Sudhansh Pant – Secretary ii. Shri Rajesh Kumar Sinha – Addl. Secy (PS&W) iii. Shri Sanjay Bariar – ADG (DG Shipping) iv. Shri Mandeep Singh Randhava – Director
7.	Ministry of Commerce & Industry (DPIIT)	i. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Secretary ii. Ms. Supriya Devasthali - Director
8.	Ministry of Law & Justice	i. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department ii. Dr. Amit Tyagi – Deputy Legal Advisor, Department of Legal Affairs

2. At the outset, the Chairperson welcomed Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the Sitting convened to have briefing about the proposed amendments pertaining to the Acts enforced by their Departments in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022. A general comment was made by the Committee for all the Ministries to examine the suggestions made as per the deliberations of the Committee thereto to Amendments proposed under the respective Acts being administered by the respective Ministries/Departments and submit a statement of their responses during the clause by clause consideration of the Bill.

3. The Chairperson asked the Representatives of Ministry of Information and Broadcasting to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in the (i) The Press and Registration of Books Act, 1867, (ii) The Cinematography Act, 1952 and (iii) the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 mentioned at Sl. Nos. 01, 11 & 29 of the schedule to the Bill.

4. The Representatives of the Ministry explained the proposed changes in the Press and Registration of Books, Act, 1867 wherein Section 12, 13, 14, 15A, 16, 16A, 16B, 17 and 19L are being amended and there are consequential changes in 8C(1), 8C(2) and 19K. Then the Cinematography Act, 1952 was taken up and the proposed amendments in Section 7(1)(a)(i), 7(1)(a)(ii), 7(1)(a)(iia), 7(1)(b), 7(1)(c) and provisions in Section 7(1) alongwith new provisions in sub-section (4) in Section 7, sub-section (2) of Section 8 and Section 14. Then the Representatives of the Ministry explained the amendments proposed in Section 16(1), Section 16(2), Section 16(3), Section 17 and Section 18 and insertion of new provisions in Section 22(2) of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995. Members asked certain clarifications on the amendments proposed by the Ministry and reasons for the same and Officials of the Ministries clarified.

5. The Chairperson then asked the Representatives of Ministry of Statistics & Programme Implementation to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in The Collection of Statistics Act, 2008, mentioned at Sl. No. 39 of the Schedule to the Bill. The Officials of the Ministry submitted that Sections 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 are proposed to be omitted. Section 15 (1) and Section 15(2) are being amended to increase the fine.

6. The Chairperson then asked the Representatives of the Department of Posts of the Ministry of Communication to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in The Indian Post Office Act, 1898 mentioned at Sl. No. 02 of the Schedule to the Bill. The Officials of the Ministry submitted that Section 49 to 72 (23 Sections) are proposed to be omitted in the Bill due to being outdated and are not relevant any more and other extant rules, laws and provisions can be applied to serve the same purpose.

(The Officials withdrew and then the next set of Representatives of the Ministries/Departments namely Department of Consumer Affairs, Department of Defence and Ministry of Shipping, Ports and Waterways were called before the Committee)

7. The Chairperson then asked the Representatives of Department of Consumer Affairs to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in the Legal Metrology Act, 2009, mentioned at Sl. No. 40 of the Schedule to the Bill. The Representatives of the

Department submitted that Section 25 to 47 of LM Act, 2009 provides for various penalties by way of levy of fine in case of first offence and either imprisonment or fine or both in case of second and subsequent offence. The amendment of eight Sections namely Section 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35 and 48 has been proposed in the Bill to decriminalize certain minor offences.

8. The Chairperson then asked the Representatives of Department of Defence to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in the Cantonments Act, 2006, mentioned at Sl. No. 37 of the Schedule to the Bill. The Representatives of the ministry informed that Section 156, 185, 285, 286, 287, 289, 300, 314, 331, 332 and Schedule IV are proposed for amendments. The Officials made a power point presentation explaining the existing and proposed amendments alongwith justification. Regarding Section 156, 285, 286, 287(1), 289(5), 301, the Committee sought a more detailed response for the justification on the amendments. The Committee advised the Officials to examine the applicability of other Acts in this Section and take a final decision when they appear before the Committee when it takes up Clause by Clause consideration of the Bill.

9. The Chairperson then asked the Representatives of Ministry of Ports, Shipping & Waterways to provide a briefing about the reasons for the proposed amendments in the Merchant Shipping Act, 1958, mentioned at Sl. No. 14 of the Schedule to the Bill. The Representatives of the Ministry informed the Committee that under Section 436(2) of the Merchant Shipping Act, 1958, there is an entire table which provides for penalties and fines for offences committed under this Act. In the proposed amendments, the guiding principle is to decriminalize minor offences and reduce the punishment from imprisonment and/or fine or both to penalty. A new provision for compounding of contravention and imposition of penalty by executive authority is being proposed. Members sought clarifications and officials gave replies to the same.

10. The Chairperson thanked the Members of the Committee and the Officials of the Ministries for appearing before them and explaining the rationale behind in the amendments proposed in the Bill related to their Ministries.

The Committee then adjourned.

A verbatim record of the proceedings has been kept separately.

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022**MINUTES OF THE EIGHTH SITTING OF THE COMMITTEE**

The eighth sitting of the Joint Committee was held on Thursday, the 16th February, 2023 from 1100 hrs. to 1430 hrs. in Committee Room No G074, Parliament Library Building, New Delhi.

PRESENT

Shri P. P. Chaudhary - Chairperson

MEMBERS**LOK SABHA**

2. Shri Girish Chandra
3. Dr. Sanjay Jaiswal
4. Shri Rattan Lal Kataria
5. Smt. Poonam Pramod Mahajan
6. Shri Pinaki Misra
7. Shri Khagen Murmu

RAJYA SABHA

8. Shri Ghanshyam Tiwari
9. Shri Vivek K Tankha
10. Shri Narain Dass Gupta
11. Dr. Radha Mohan Das Agrawal

SECRETARIAT

1. Shri H Ram Prakash - Director
2. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary
3. Smt. Maya Menon - Under Secretary

WITNESSES

SI No	Ministry/Department	Representatives
1.	Ministry Of Commerce & Industry (Department For Promotion Of Industry & Internal Trade)	i. Shri Anurag Jain, Secretary ii. Shri R. S. Thakur, Additional Secretary iii. Ms. Shruti Singh, Joint Secretary iv. Ms. Manmeet Nanda, Joint Secretary v. Ms. Supriya Devasthali, Director
2.	Ministry Of Commerce & Industry (Deptt. Of Commerce)	i. Shri Rajesh Agrawal, Addl. Secretary ii. Dr. K.N. Raghavan, Executive Director, Rubber Board iii. Shri D. Sathiyar, Secretary, Spices Board iv. Shri K.S. Pradeep, Secretary, MPEDA v. Shri Saurav Pahari, Deputy Chairman, Tea Board vi. Shri Neeraj Gaba, Director, vii. Shri Praveen Kumar, Director
3.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Deptt. Of Consumer Affairs)	i. Ms. Nidhi Khare, Addl. Secretary ii. Shri Anupam Mishra, Joint Secretary iii. Shri N. Natarajan, Director
4.	Ministry Of Communications (Deptt. Of Posts)	i. Shri Vineet Pandey, Secretary ii. Shri Jagannath Srinivasan, DDG(PO)
5.	Ministry Of Finance (Department Of Economic Affairs)	i. Shri Ajay Seth, Secretary ii. Shri Ashish Vachhani, Addl.Secretary(Budget) iii. Shri Rajev Saksena, Joint Secretary(Investment) iv. Ms. Aparna Bhatia, Advisor (BP&CT)
6.	Ministry Of Finance (Department Of Financial Services)	i. Shri Suchindra Misra, Additional Secretary ii. Shri Pankaj Sharma, Joint Secretary

		iii. Ms. Sushma Kindo, Joint Director iv. Shri Raghav Bhatt, Deputy Director v. Shri Shubhranshu Shekhar, OSD
7.	Ministry Of Railways	i. Ms. Jaya Varma Sinha, Member (Operation & Business Development) & ex-Officio Secretary, Railway Board ii. Shri Ratnesh Kumar Jha, Executive Director (Public Grievances), Railway Board iii. Shri Vipul Singhal, Director (Passenger Marketing), Railway Board
8.	Ministry of Food & Public Distribution	i. Shri Sanjeev Chopra, Secretary ii. Shri Ashok K.K. Meena, CMD iii. Shri Subodh Kumar Singh, Addl. Secretary iv. Shri Amit Kumar Singh, MD
9.	Ministry Of Health And Family Welfare (Department Of Health & Family Welfare)	i. Shri Rajesh Bhushan, Secretary ii. Shri G. Kamala Vardhana Rao, CEO, FSSAI iii. Dr. V.G. Somani, DCGI iv. Shri Sachin Mittal, Joint Secretary v. Shri Rajiv Wadhawan, Advisor
10.	Ministry of Law & Justice	i. Ms. Sunita Anand, Joint Secretary & Legal Advisor (Department Of Legal Affairs) ii. Shri. K. R. Saji Kumar, Joint Secretary and Legislative Counsel, (Legislative Department) iii. Shri Vinay Kumar Mishra, Deputy Legislative Counsel, (Legislative Department)

2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the eighth sitting of the Joint Committee convened for Clause by Clause consideration of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022.

3. Thereafter, the Chairperson invited the Representatives of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade to brief the Committee on the revisions made as per the deliberations held during the sittings of the Committee in the amendments proposed to the Acts mentioned at Sl No 03, 13, 31, 10, 18 and 30 in the Schedule to the Bill. The representatives of the Ministry submitted that all the suggestions made by the Committee have been accepted by their Department and accordingly incorporated except for the suggestion made regarding applicability of the amendments to the cases pending before the courts with retrospective effect.

(The Officials of DPIIT then withdrew and then the Representatives of the Department of Posts were called before the Committee)

4. The officials of the Department of Posts of the Ministry of Communications submitted that in order to decriminalise, sections 49 to 72 of the Indian Post Office Act, 1898 are proposed to be omitted under the Bill and the Committee have accepted the same. No further amendments have been proposed to the proposed amendments under the Bill.

(The Officials of Department of Posts (DoP) withdrew and then the Representatives of the Department of Economic Affairs were invited before the Committee)

5. Thereafter, the representatives of the Department of Economic Affairs informed the Committee that as per the suggestions of the Committee, the amendment to Section 3 (1) of the Government Securities Act 2006, has been accepted to modify the fine with penalties and accordingly make consequential changes. For the High Denomination Banknotes (Demonetization) Act, 1944, the Ministry officials said they had accepted the suggestions of the Committee and that the Act may be repealed. The Committee asked the representative of Ministry of Law & Justice to provide a draft for the same for consideration and adoption of the Bill.

(The Officials of DEA withdrew and then the Representatives of the Department of Commerce deposed before the Committee)

6. The representatives of the Department of Commerce then presented their statement on the revisions made as per the suggestions made by the Committee. The officials submitted that mechanism for adjudication & appeal has been included wherever fines/imprisonment has been replaced with penalties. The Officials informed that the Ministry has accepted all the suggestions of the Committee and has made necessary changes in the Act and showed them in their powerpoint presentation. The Committee observed that separate sections for adjudication and appellate mechanism may be made while considering the amendments proposed under the Marine Products Export Development Authority Act, 1972. The Committee raised queries over the revision being made to amendments and the officials accordingly clarified. The officials of Ministry of Law and Justice were asked to provide the revised draft as per the Committee deliberations for consideration and adoption of the Bill. Clause by Clause amendments proposed by Member Adv. Dean Kuriakose in relation to Section 11, sub section (3); Section 13, sub section (3) and Section 26, sub section (1) of the Rubber Act, 1947 and Section 38 to 42 of the Tea Act, 1953 were considered by the Committee and not accepted.

(The Officials withdrew and then the Representatives of the Ministry of Railways were called before the Committee)

7. The representatives of the Ministry of Railways were called upon to explain their position on the suggestions made by the Committee. The officials informed the Committee that they are modifying provisions in relation to begging inside Railway carriage or premises and will review other provisions of the Act. The Committee observed that there is more scope for decriminalising the provisions in the Railway Act and asked the Ministry to explore and identify other provisions wherever decriminalization can be carried out.

(The Officials of Railways withdrew and then the Representatives of Department of Consumer Affairs were called before the Committee)

8. The officials of the Department of Consumer Affairs submitted to the Committee that in relation to Section 25 of the Legal Metrology Act, 2009, the amount of fine for the first offence, second offence, and for the third and subsequent offence, has been revised as per the suggestions of the Committee to Rupees one lakh, two lakh and upto five lakh

respectively. Rest of the suggestions of the Committee were also accepted by the Ministry and revisions were made accordingly and shown in the powerpoint presentation.

(The Officials of DoCA withdrew and then the Representatives of the Department of Health & Family Welfare appeared before the Committee)

9. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Health & Family Welfare to brief the Committee regarding the views of the Ministry on suggestions of the Committee for the Acts mentioned at Sl No 6, 9 and 35 of the Schedule to the Bill. The Officials of the Ministry stated that the suggestions of the Committee regarding Section 29 and 30 (2) under the Drugs and Cosmetics Act, 1940; Section 59 (i), 61 and 63 under the Food Safety and Standards Act, 2006; and Section 26 A, 41 and 42 under the Pharmacy Act, 1948 have been accepted and necessary changes made in the provisions were shown to the Committee in their presentation. Clause by clause amendments proposed by Member Adv. Dean Kuriakose for Section 30, sub section (2) and Section 32 B sub section (1) were discussed by the Committee and not accepted.

(The Officials of MoHFW withdrew and then the Representatives of the Department of Financial Services were called before the Committee)

10. The representatives of the Department of Financial Services were called upon to explain their position on the suggestions made by the Committee in the proposed amendments in the Bill relating to the Ministry. The officials informed that in the 4 Acts being administered by the respective department, they have accepted all the suggestions of the Committee and revision in accordance have been made and submitted to the Committee. The Committee observed lack of clarity over the issuance of notice in the context of Section 47 (4) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and sought clarification with the Legislative Department of the Ministry of Law & Justice. The Committee also asked the ministry officials to revisit the connotation of principal civil court as mentioned in sub-section (3) of Section 56 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, so as to bring harmony in interpretation and designation.

(The Officials of DoFS withdrew and then the Department of Food and Public Distribution were called before the Committee)

11. The officials of the Department of Food and Public Distribution submitted that amendments proposed as per the suggestions of the Committee to the Amendments proposed to the Acts under the Bill mentioned in SI No 06, 09 and 35 of the Schedule were accepted by the Committee.

12. The Chairperson directed that the amendments agreed to by the Committee may be incorporated in the Bill alongwith consequential amendments, wherever necessary. The Chairperson then thanked the Members of the Committee and the Officials of the Ministries for appearing before them.

The Committee then adjourned.

A verbatim record of the proceedings has been kept separately.

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS)**BILL, 2022****MINUTES OF THE NINTH SITTING OF THE COMMITTEE**

The Committee sat on Friday, the 17th February, 2023 from 1100 hrs. to 1345 hrs. in Main Committee Room, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri P.P. Chaudhary – Chairperson

MEMBERS**LOK SABHA**

2. Shri Uday Pratap Singh
3. Shri Khagen Murmu
4. Smt. Poonam Pramod Mahajan
5. Shri Rajendra Agrawal
6. Shri Rattan Lal Kataria
7. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti

RAJYA SABHA

8. Shri Ghanshyam Tiwari
9. Shri Mahesh Jethmalani
10. Dr. Radha Mohan Das Agarwal
11. Shri Vivek K. Tankha
12. Dr. Kanimozhi NVN Somu
13. Shri Narain Dass Gupta

SECRETARIAT

1. Shri Vinay Kumar Mohan - Joint Secretary
2. Shri H. Ram Prakash - Director
3. Shri Rahul Singh - Deputy Secretary
4. Smt. Maya Menon - Under Secretary

WITNESSES

Sl No	Ministry/Department	Representatives
1.	Ministry of Information & Broadcasting	i. Sh. Apurva Chandra – Secretary ii. Ms. Neerja Sekhar – Addl. Secretary iii. Sh. Vikram Sahay – Joint Secretary iv. Sh. Sanjiv Shankar – Joint Secretary
2.	Ministry of Defence (Department of Defence)	i. Smt. Nivedita Shukla Verma – Spl. Secretary ii. Shri Rakesh Mittal – Joint Secretary iii. Smt. Sharmishta Maitra – Director iv. Shri Ajay Kumar Sharma – DGDE v. Smt. Sonam Yangdol – Addl. DG (Cantts) vi. Maj. Gen. R.S. Rawal – ADG (LWE)
3.	Ministry of Ports, Shipping & Waterways	i. Shri Sudhansh Pant – Secretary ii. Shri Rajesh Kumar Sinha – Addl. Secy (PS&W) iii. Shri Mandeep Singh Randhava – Director

-
4.	Ministry of Statistics and Programme Implementation	i. Dr. G.P. Samanta – Secretary (S&PI) & Chief Statistician of India ii. Sh. Ghan Shayam – Addl. Director General iii. Sh. Parveen Shukla – Dy. Director General
5.	Ministry of Environment, Forest and Climate Change	i. Ms. Leena Nandan – Secretary ii. Shri Chandra Prakash Goyal – DGF & SS iii. Shri Bivash Ranjan – ADGF iv. Shri Naresh Pal Gangwar – Addl. Secretary v. Shri R. Raghu Prasad – IG of Forests
6.	Ministry of Electronics & Information Technology	i. Shri Alkesh Kumar Sharma – Secretary ii. Shri Amit Agrawal – Addl. Secretary iii. Ms. Vidushi Chaturvedi – DDG iv. Shri Atul Kumar Chaudhary – DDG v. Shri Rakesh Maheshwari – Scientist 'G' & GC
7.	Ministry of Housing and Urban Affairs	Shri Jaideep – JS & OSD
8.	Ministry of Finance (Department of Revenue)	Shri Sanjay Malhotra - Secretary
9.	Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (Department of Agriculture & Farmers Welfare)	i. Shri Manoj Ahuja - Secretary ii. Dr. Vijaya Lakshmi Nadendla - Joint Secretary

10.	Ministry of Road Transport & Highways	i. Shri Mahmood Ahmed – Addl. Secretary ii. Dr. Piyush Jain - Director iii. Shri Shaashwat Jindal – Legal Consultant
11.	Ministry of Commerce & Industry (DPIIT)	i. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Secretary ii. Ms. Supriya Devasthali - Director
12.	Ministry of Law & Justice	i. Ms. Sunita Anand – Joint Secretary and Legal Advisor, Department of Legal Affairs ii. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Legislative Counsel, (Legislative Department)

2. At the outset, the Chairperson welcomed Members and the Officials/Representatives of the Ministries to the Sitting convened to have Clause by Clause reading of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022.

3. The Chairperson asked the Representatives of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to provide their views on the suggestions made by the Committee and informed about its acceptance or otherwise. The Representatives of the Ministry informed that the suggestions given by the Committee with respect to Section 5, 5(D) and 5(E) have been accepted and changes have been made in the provisions. The Committee accepted the Ministry's view and advised the Legislative Department to make appropriate changes in the revised Bill.

(The Officials of Department of Agriculture and Farmers Welfare withdrew and then the representatives of Department of Revenue(DoR) were called before the Committee)

4. Then, the Representatives of Department of Revenue submitted their view point regarding the amendments proposed in the Bill to the Committee. The Secretary,

Department of Revenue stated that all the amendments that have been proposed in the Bill relating to the Money Laundering Act are of consequential changes due to many of the provisions in some of the Acts becoming decriminalized. The proceeds of any crime is the starting point for the Money Laundering Act to come into force. Therefore, the Ministry has brought those amendments in the Bill to be consonance with the other amendments in other Acts brought by different Ministries. The Committee acknowledged the view point of the Ministry regarding the Bill.

(The Officials of DoR withdrew and the officials of Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) were called before the Committee)

5. Then, the Secretary of Ministry of Ports, Shipping and Waterways was called to explain the decision of the Ministry towards the suggestions made by the Committee during the briefing held regarding the amendments proposed by the Bill in the Merchant Shipping Act, 1958. The Representatives submitted that the amendments to 108E(a) and 108E(b) under Section 344G are not being pursued as proposed in the Bill and instead the provisions shall be retained in the Act as per the suggestion of the Committee. The rest of the amendments proposed have already been explained and the Committee had accepted the same.

(The Officials of MoPSW withdrew and the representatives of Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) deposed before the Committee)

6. The Committee then, called upon the Representatives of the Ministry of Housing and Urban Affairs to give the views of the Ministry to the suggestions made by the Committee on the amendments proposed in the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002. The Representatives submitted that the suggestions made in Section 59(2), 63, 65 and the consequential changes in the Act have been accepted and the necessary changes have been made in the provisions. The Committee sought certain clarifications on Section 63 and the Representatives clarified the same.

(The Officials of MoHUA withdrew and then the officials Ministry of Statistics and Programme Implementation were invited before the Committee)

7. Then, the Committee invited the Representatives of Ministry of Statistics and Programme Implementation to submit their response to the suggestions made by the Committee to the amendments proposed in the Collection of Statistics Act, 2008. The

Officials of the Ministry submitted that the Committee gave suggestions in Section 15(1) and 15(2). The word 'punishable' was to be substituted with 'liable' and 'fine' with 'penalty'. The amount of penalty may also be enhanced. Similarly, in suggestion to Section 15(2), the Committee suggested to replace the word 'conviction' with 'imposition' and 'punishable' with 'liable'. The Officials informed that the Ministry has accepted all the suggestions and has made necessary changes in the Act submitted to the Committee.

(The Officials of MoSPI withdrew and the representatives of Ministry of Information and Broadcasting (MoIB) were called before the Committee)

8. The Committee, then called upon the Representatives of Ministry of Information and Broadcasting to explain their position on the suggestions made by the Committee in the proposed amendments in the Bill. The Representatives of the Ministry informed that in the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, they have accepted all the suggestions made by the Committee to Section 16, 16(2) and 22(2)(db) and accordingly, the provisions of the Bill after revision were shared with the Committee. The Representatives of the Ministry informed that the Committee had suggested certain changes to Section 15 of the Cinematograph Act, , 1952 to which the Ministry has no objection and accordingly the revised provisions were shared with the Committee.

Then the Representatives explained the acceptance of the suggestions of the Committee made in the Press and Registration of Books Act, 1867 in Section 19(K) and where the words 'punishable with' be substituted with 'liable for' in the Bill and the revised formulation was shown to the Committee. Further, clause by clause amendments in relation to Section 8 C of the Press and Registration of Books Act, 1867 as proposed by Member Adv. Dean Kuriakose was considered by the Committee and not accepted.

(The Officials of MoIB withdrew and the representatives of Ministry of Defence were called before the Committee)

9. The Representatives of the Ministry of Defence were invited to explain their view point about the suggestions of the Committee on various amendments to the Cantonments Act, 2006. The Officials informed that the suggestions made by the Committee with respect to Section 156, 285, 286, 287, 289(5) and 332(1) have been examined in consultation with Army HQ and it is proposed to retain the existing provisions and the amendments in the Bill

may not be followed up. The consequential changes to Schedule IV will also get partially modified due to the changed view of the Ministry. The Committee sought certain clarifications from the Officials of the Ministry and the same were provided.

(The Officials of Ministry of Defence withdrew and then the Ministry of Electronics and Information Technology were invited before the Committee)

10. Then, the Committee called upon the Representatives of the Ministry of Electronics and Information Technology to explain the Ministry's standpoint on the amendments in the IT Act, 2000 and Aadhaar Act, 2016. The Officials of the Ministry stated that the suggestions of the Committee regarding Section 2(1), 45, 46 and 72A have been accepted and necessary changes made in the provisions were shown to the Committee. However, the suggestion of the Committee regarding Section 72 to retain the imprisonment and fine provision was not accepted by the Ministry wherein they justified that the proposed amendments will be effective deterrent and are in alignment with the draft Digital Personal Data Protection Bill being proposed by the Ministry. The Committee took the Ministry's view point into consideration. Then, the Representatives also suggested that the suggestion made by the Committee to decriminalize the provisions for imprisonment in the amendments proposed in the Aadhaar Act, 2016 are accepted and they will be suitably incorporated in the Digital Personal Data Protection Bill.

(The Officials of Meity withdrew and the representatives of Ministry of Environment, Forests and Climate Change deposed before the Committee)

11. The Committee then invited the Representatives of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to give their explanation regarding the suggestions of the Committee. The Officials of the Ministry stated that the suggestions of the Committee regarding the Air Act, 1981 with respect to Section 21 and 39 A have been accepted. Similarly, with respect to Environment Protection Act, 1986, the suggestions towards Section 15 have been accepted by the Ministry. Further, the suggestions of the Committee about the amendments to Indian Forest Act, 1927 with respect to Section 26 and 33 have been accepted. Finally, in the Public Liability Insurance Act, 1991, the suggestion of the Committee to Section 15 has been accepted. The revised formulation after the acceptance of the views of the Committee were shown to the Committee in its presentation.

(The Officials of MoEFCC withdrew and then the Ministry of Road Transport & Highway were called before the Committee)

12. The Committee then called upon the Representative of the Ministry of Road Transport & Highways to give their view point on the suggestions made by the Committee to the amendments proposed to the Motor Vehicles Act, 1988 in the Bill. The Representatives of the Ministry stated that the suggestions of the Committee to Section 200 and 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 have been accepted by the Ministry and suitable revision in the language in the Bill were shown to the Committee in the power point presentation.

13. The Committee then considered Clauses 1 to 4, Enacting Formula and Long Title of the Bill. The Committee agreed that in the Long Title, the words "minor offences" be replaced with the words "certain offences" and also the year "2022" and year of Republic in Enacting Formula be amended due to change in the year of Republic and Calendar year. The Chairperson directed the Officials of the Legislative Department of the Ministry of Law and Justice to suitably incorporate all the amendments that have been adopted in the Clause by Clause reading of the Bill and provide the Draft revised Bill to the Secretariat by 23 February, 2023.

The Committee then adjourned.

A verbatim record of the proceedings has been kept separately.

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS)
BILL, 2022

MINUTES OF THE TENTH SITTING OF THE COMMITTEE

The Committee sat on Monday, the 13th March, 2023 from 1500 hrs. to 1530 hrs. in Main Committee Room, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri P.P. Chaudhary – Chairperson

MEMBERS

LOK SABHA

2. Dr. Sanjay Jaiswal
3. Shri Uday Pratap Singh
4. Shri Sanjay Seth
5. Shri Khagen Murmu
6. Shri Rajendra Agrawal
7. Shri Rattan Lal Kataria
8. Shri Girish Chandra

RAJYA SABHA

9. Shri Ghanshyam Tiwari
10. Shri Mahesh Jethmalani
11. Shri Vivek K. Tankha
12. Shri Sukhendu Sekhar Ray
13. Dr. Kanimozhi NVN Somu
14. Shri Narain Dass Gupta
15. Shri Sujeet Kumar

SECRETARIAT

1. Shri Vinay Kumar Mohan	- Joint Secretary
2. Shri H. Ram Prakash	- Director
3. Shri Rahul Singh	- Deputy Secretary
4. Smt. Maya Menon	- Under Secretary

WITNESSES

Sl No	Ministry/Department	Representatives
1.	Ministry of Commerce & Industry (DPIIT)	i. Ms. Manmeet K. Nanda - Joint Secretary ii. Ms. Supriya Devasthali - Director
2.	Ministry of Law & Justice	i. Shri K.R. Saji Kumar – Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department

2. At the outset, Hon'ble Chairperson extended a warm welcome to all the Members to the tenth sitting of the Committee convened for the consideration and adoption of the Draft Report of the Committee. The Committee considered the Draft Report in its entirety and adopted the same. The Chairman also informed that if any Member wants to submit a Dissent note, the same may be submitted by 05.00 pm on March 14, 2023 and the same will be examined according to procedure and will be decided on merits.

3. The Committee also authorized the Chairperson to present the Report in the House and finalize an alternate Member from Lok Sabha to present the Report in the Lok Sabha. The Committee also finalized the names of the Member from Rajya Sabha to lay the Report on the table of Rajya Sabha and the alternate Member to lay the Report. It was also decided that the proceedings of the sittings of the Committee may be placed in the Parliament Library after the Report has been presented to Parliament, for reference of the Members of Parliament.

4. The Committee also appreciated the officials of the Secretariat, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and Legislative Department of Ministry of Law and Justice.

The Committee then adjourned.

THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022

AS REPORTED BY THE JOINT COMMITTEE

BILL NO. 299 OF 2022

[Words underlined indicate the amendments suggested by the Joint Committee and asterisks indicate omissions]

	THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2023	
	A BILL	
	<i>to amend certain enactments for decriminalising and rationalising (***) offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.</i> BE it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows: —	
Short title and commencement.	1. (1) This Act may be called the <i>Jan Vishwas</i> (Amendment of Provisions) Act, 2023. (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule (***)	
Amendment of certain enactments.	2. The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.	
Revision of fines and penalties.	3. The fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent. of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act.	
Savings.	4. The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;	
	and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of,	

	or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;	
	nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed;	
	nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.	

THE SCHEDULE

(See section 2)

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1867	25	The Press and Registration of Books Act, 1867	(A) In section 8C,- (i) in sub-section (1), after the words, figure and letter “declaration under section 8B”, the words, figures and letter “or an order of the Press Registrar suspending or cancelling the certificate of registration under section 12 or imposing penalties under section 13 or under section 19K” shall be inserted; (ii) in sub-section (2), after the words “records from the Magistrate”, the words “or from the Press Registrar, as the case may be,” shall be inserted. (B) For sections 12 to 14, the following sections shall be substituted, namely:- “12. Suspension or cancellation of certificate of registration.- (1) The Press Registrar may, by order, suspend the certificate of registration of a newspaper for a period not exceeding one year, if – (a) the publisher has failed to publish the newspaper continuously. <i>Explanation.</i> – For the removal of doubts, it is hereby clarified that if a newspaper publishes less than half of its issues, as are required to be published under rule (6) of section 5, such newspaper shall be deemed to have failed to publish continuously; or (b) the publisher of a newspaper has given false particulars in the annual statement; or

				(c) the publisher of a newspaper has failed to furnish the annual statement within two years from the end of the financial year for which the annual statement was to be furnished. (2) The Press Registrar may, by order, cancel the certificate of registration where- (i) a newspaper has ceased publication for a period exceeding twenty-four months; (ii) the publisher of a newspaper fails to furnish the annual statement even after the expiry of the period during which the certificate of registration was suspended under (***) clause (c) of sub-section (1); (iii) the registration was obtained on false representation or on concealment of any material fact; (iv) the title of the newspaper bears the same or similar title already held by any other owner of a newspaper either in the same language anywhere in India or in any other language in the same State or Union territory (***) . (3) No order for suspension or cancellation of certificate of registration shall be made under this section, without giving (**) a reasonable opportunity of being heard to the publisher or owner of the newspaper, as the case may be. (4) A copy of order of suspension or cancellation passed under this section shall be made available to the Central Government or the State Government or the Union territory administration, as the case may be, and to the Magistrate. 13. Penalty for certain contraventions.- The Press Registrar may impose a penalty- (i) not exceeding ten thousand rupees where the publisher prints or publishes any book or paper otherwise than in conformity with the provisions contained in section 3; (ii) not exceeding ten thousand rupees where the keeper of the press fails to make and subscribe the declaration in conformity with the provisions contained in section 4; (iii) not exceeding twenty thousand rupees where the publisher fails to furnish the annual statement as required under clause (a) of section 19D within one year from the end of the financial year in respect of which the annual statement was required to be furnished; (iv) not exceeding twenty thousand rupees where a person who has ceased to be a printer or publisher of any newspaper fails or neglects to make a declaration in compliance with the provisions of section 8; (v) not exceeding two thousand rupees for not delivering books or

				not supplying printer with maps referred to in section 9; (vi) not exceeding two thousand rupees where any printer of a newspaper neglects to deliver copies of the newspaper in compliance with the provisions of sections 11A and 11B.”. (C) Sections 15A to 17 shall be omitted. (D) For section 19K, the following section shall be substituted, namely: - “19K. Penalty for contravention of section 19D or section 19E.- If the publisher of any newspaper – (a) refuses or neglects to comply with the provisions of clause (b) of section 19D or section 19E; or (b) publishes in the newspaper in pursuance of clause (b) of section 19D any particulars relating to the newspaper which he has reason to believe to be false, he shall be (***) liable to penalty not exceeding ten thousand rupees.”. (E) Section 19L shall be omitted.
2.	1898	6	The Indian Post Office Act, 1898	Chapter X shall be omitted.
3.	1923	5	The Boilers Act, 1923	(A) In section 22,- (a) in clause (iii), for the word and figures “section 16,”, the words and figures, “section 16; or” shall be substituted; (b) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:- “(iv) to report an accident to a boiler or boiler component when so required under section 18,”; (c) <u>in the long line, for the words “punishable with fine”, the words “liable to penalty” shall be substituted.</u> (B) For section 23, the following section shall be substituted, namely:- “23. Penalties for illegal use of boiler.- Any owner of a boiler who— (a) in any case in which a certificate or provisional order is required for the use of the boiler under this Act, uses the boiler either without any such certificate or order being in force or at a higher pressure than that allowed thereby; or

			(b) uses or permits to be used a boiler which has been transferred from one State to another without such transfer having been reported as required under clause (b) of section 6; or (c) fails to cause the register number allotted to the boiler under this Act to be permanently marked on the boiler as required under sub-section (6) of section 7, shall be liable (***) to penalty which may extend to one lakh rupees, and in the case of a continuing (***) contravention or failure, with an additional (***) penalty which may extend to one thousand rupees for every day during which such (***) contravention or failure continues.”. (C) In section 24, clauses (a), (b) and (d) shall be omitted.
			(D) In section 25, in sub-section (1), for the words “punishable with fine”, the words “liable to penalty” shall be substituted.
			(E) After section 26, the following sections shall be inserted, namely:- “26A. Adjudication.- (1) The State Government or the Union territory administration, as the case may be, for the purposes of determining the penalties under sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30, may authorise the District Magistrate or the Additional District Magistrate, as the case may be, having jurisdiction, to be the adjudicating officer to hold an inquiry and impose penalty, in the manner as may be prescribed by the State Government or the Central Government, as the case may be. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. 26B. Appeal. - (1) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 26A, may prefer an appeal to an officer not below the rank of Secretary to the State Government or the Union territory administration, as the case may be, to be an appellate authority, specially authorised by that Government or administration in this behalf, within sixty days from the date of receipt of order, in such form and manner as may be prescribed by the State Government or the Central Government, as the case may be. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty

				days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit. (4) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within sixty days from the date of filing.”.
				(F) In section 27, the words “Presidency Magistrate or a” shall be omitted. (G) In section 28A, in sub-section (1A), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ca) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 26A; (cb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 26B;”. (H) In section 29, in sub-section (1), after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ha) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 26A; (hb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 26B;”. (I) In section 30, - (i) for the words “punishable, in the case of a first offence, with fine”, the words “liable to penalty, in the case of a first contravention, with penalty” shall be substituted; (ii) for the words “subsequent offence, with fine”, the words “subsequent contravention, with penalty” shall be substituted.
4.	1927	16	The Indian Forest Act, 1927	(A) In section 26,- (i) in sub-section (1), clauses (d) and (e) shall be omitted; (ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:- “(1A) Any person who, in a reserved forest- (a) trespasses or pastures cattle, or permits cattle to trespass shall be liable to penalty which may extend to five hundred rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-officer empowered under section 68; (b) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber shall be liable to (***) penalty which may extend to five (***) thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as (***) determined by a Forest-officer empowered under section 68.”. (B) In section 33,-

				(i) in sub-section (1), clauses (e), (f) and (g) shall be omitted; (ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:- “(1A) Any person who, (***) in a protected forest- (a) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any tree reserved under section 30, whether standing, fallen or felled, or closed portion of any protected forest; (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid, (***) shall be liable to (***) penalty which may extend to five (***) thousand rupees in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-officer empowered under section 68.”. (C) In section 68,- (i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:- “Power to compound offences and impose penalties”; (ii) in sub-section (1)- (I) in clause (a), for the word “and”, the word “or” shall be substituted; (II) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:- “(aa) to accept from any person a sum of money by way of penalty or compensation for violation of sub-section (1A) of section 26 or sub-section (1A) of section 33; and”.
5.	1937	1	The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937	(A) In section 3, in sub-section (2), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely: - “(ga) holding inquiry (***) and imposing penalty under sub-section (1) of section 5C; (gb) preferring appeal under sub-section (1) of section 5D;”. (B) In section 4, for the words “punishable with imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees”, the words “liable to penalty (***) not exceeding five lakh rupees” shall be substituted. (C) In section 5, for the words “punishable with imprisonment for a term not exceeding three years and fine not exceeding five thousand rupees”, the words “liable to penalty (***) not exceeding fifteen lakh rupees” shall be substituted. (D) In section 5A, for the words “punishable with imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees”, the words “liable to penalty (***) not exceeding three lakh rupees” shall be substituted.

				(E) In section 5B, in sub-section (4), for the words “punishable with imprisonment for a term not exceeding six months and fine not exceeding five thousand rupees”, the words “liable to penalty (***) not exceeding five lakh rupees” shall be substituted. (F) For section 5C, the following sections shall be substituted, namely:- "5C. Adjudicating officer.- (1) The Central Government may, for the purposes of determining the penalties under sections 4, 5, 5A and 5B, appoint an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of Deputy Secretary to the State Government, to be adjudicating officer to hold an inquiry and impose penalty, in the manner as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sections 4, 5, 5A and 5B, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a (***) reasonable opportunity of being heard in the matter. 5D. Appeal.- (1) (***) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 5C may prefer an appeal to the Agricultural Marketing Adviser, Government of India within thirty days from the date (***) of receipt of order in such manner as may be prescribed. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the Agricultural Marketing Adviser that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The Agricultural Marketing Adviser may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit (***) . (4) The Agricultural Marketing Adviser referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing (***) . 5E. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by the adjudicating officer under section 5C or (***) order of the Agricultural Marketing Adviser under section 5D, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear (***) of land revenue."
6.	1940	23	The Drugs and	(A) In section 29, for the words “punishable with fine which may

			Cosmetics Act, 1940	extend to five thousand rupees”, the words “liable to penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 30, in sub-section (2), for the words “imprisonment which may extend to two years, or with fine which shall not be less than ten thousand rupees, or with both”, the words “fine which shall not be less than five lakh rupees” shall be substituted. (C) In section 32B, in sub-section (1), after the words and figures “of section 13,”, the words, brackets, letters and figures “clause (d) of section 27 and clause (ii) of section 27A,” shall be inserted.
7.	1944	18	The Public Debt Act, 1944	Section 27 shall be omitted.
8	1947	24	The Rubber Act, 1947	(A) In section 11, in sub-section (3), for the words “imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “penalty which may extend to one lakh rupees or cancellation of licence issued under section 14, or with both” shall be substituted. (B) In section 13, sub-section (3) shall be omitted. (C) In section 25, in sub-section (2), after clause (xxiii), the following clauses shall be inserted, namely:- “(xxiiia) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 26B; (xxiiib) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 26B;”. (D) In section 26, in sub-section (1), in the long line, for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both”, the words “liable to (***) penalty which may extend to fifty thousand rupees” shall be substituted. (E) After section 26A, the following section shall be inserted, namely:- “26B. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging the penalties under sub-section (3) of section 11 and section 26, the Executive Director shall appoint the Secretary to the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty in the manner as may be prescribed, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Executive Director, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Executive Director that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

				(4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”.
9.	1948	8	The Pharmacy Act, 1948	<u>(A) In section 18, in sub-section (2), after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:-</u> <u>“(i) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 43A;</u> <u>(j) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 43A;”.</u> (B) In section 26A, in sub-section (3), for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees, or with both”, the words “(***) liable to penalty which may extend to one lakh rupees (***)” shall be substituted. (C) In section 41, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(1) If any person whose name is not for the time being entered in the register of the State (***) falsely pretends that it is so entered or uses in connection with his name or title any words or letters reasonably calculated to suggest that his name is so entered, he shall be punishable on first conviction with fine which may extend to (***) one lakh rupees and on subsequent conviction with imprisonment which may extend to three months or with fine not exceeding (***) two lakh rupees, or with both: Provided that it shall (***) be (***) a <u>defence</u> if the name of the person is entered in the register of another State and that at the time of claim, an application for registration in the State had been made.”. (D) In section 42, in sub-section (2), for the words “imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees or with both”, the words “imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to (***) two lakh rupees (***), or with both” shall be substituted. (E) After section 43, the following section shall be inserted, namely:- “43A. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging the penalties under section 26A, the Central Government shall authorise the President of the State Council, where the alleged violation is committed, to be the adjudicating officer for holding an inquiry and impose penalty in the manner as may be prescribed under section 18, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the President, Central Council, within a period of forty-five days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed under section 18.

				(3) The President, Central Council may entertain an appeal after the expiry of forty-five days, if it is satisfied that the appellant was prevented from sufficient cause for filing the appeal within the said period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within ninety days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”.
10.	1951	65	The Industries (Development and Regulation) Act, 1951	(A) In section 24, in sub-section (1), for the long line, the following long line shall be substituted, namely:- “he shall be (***) liable to penalty which may extend to twenty-five lakh rupees.”. (B) (***) For section 24A, the following sections shall be substituted, namely:- “24A. Adjudication.— (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under section 24, shall authorise the District Magistrate or the Additional District Magistrate, having jurisdiction, to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and impose penalty in the manner, as may be prescribed. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of this Act, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance the provisions of section 24: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. 24B. Appeal. - (1) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 24A, may prefer an appeal to an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, to be an appellate authority, within thirty days from the date of receipt of order, in such form and manner as may be prescribed. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit. (4) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. 24C. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by the adjudicating officer under section 24A or order of the appellate authority under section 24B, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land

				revenue.”. (C) Section 27 shall be omitted. (D) In section 28, for the words “prosecuted”, the words “imposed penalty” shall be substituted. (E) Sections 29 and 29A shall be omitted. (F) In section 30,- (i) in sub-section (2), after clause (pp), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ppa) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 24A; (ppb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 24B;”; (ii) in sub-section (3), for the word “punishable”, the words “liable to penalty” shall be substituted.
11.	1952	37	The Cinematograph Act, 1952	(A) In section 7,- (ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: - ‘(1) If any person— (a) without lawful authority (the burden of proving which shall be on such person) alters or tampers in any way any film after it has been certified, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than ten lakh rupees, or with both; (b) exhibits or permits to be exhibited in any place, any film- (i) which has not been certified by the Board; (ii) which, when exhibited does not display the prescribed mark of the Board; (iii) which, when exhibited displays a mark of the Board which has since been altered, or tampered with after the mark has been affixed, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; (c) exhibits or permits to be exhibited in any place, a video film in contravention of the provisions of clause (a) or clause (b), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to one lakh rupees for each day during which the offence continues; (d) exhibits or permits to be exhibited any film, which has been certified by the Board as “A” within the meaning of this Act to any

				minor, such person shall be liable to (***) penalty not exceeding ten thousand rupees per person for every such exhibition, levied by the authorised officer in such manner as may be prescribed; (e) exhibits or permits to be exhibited any film, which has been certified by the Board as "S" within the meaning of this Act, to a person who is not a member of such profession or class, shall be liable to (***) penalty not exceeding ten thousand rupees per person for every such exhibition, levied by the authorised officer in such manner as may be prescribed; (f) fails to comply with the provisions contained in section 6A or with any order made by the Central Government or by the Board in the exercise of any of the powers or functions conferred on it by this Act or the rules made thereunder, he shall be liable to (***) penalty not exceeding five lakh rupees, levied by the authorised officer and in such manner as may be prescribed: Provided that notwithstanding anything contained in section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), it shall be lawful for any Metropolitan Magistrate, or any Judicial Magistrate of the First Class specially empowered by the State Government in this behalf, to pass a sentence of fine exceeding five thousand rupees on any person convicted of any offence punishable under this Part under clauses (a) to (c): Provided further that no distributor or exhibitor or owner or employee of a cinema house shall be liable to punishment for contravention of any condition of endorsement of caution on that has been certified as "UA" under this Part.; (ii) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:- "(4) (**) Whoever aggrieved by any penalty imposed under clauses (d) to (f) of sub-section (1) or section 14, may prefer an appeal (**) to such appellate authority within such period and in such form and manner as may be prescribed." (B) In section 8, in sub-section (2), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:- "(ca) the authorised officer and the manner of levy of penalty by him in terms of clauses (d) to (f) of sub-section (1) of section 7; (cb) the period, form and manner of preferring appeal and appellate authority under sub-section (4) of section 7;" . (C) In section 14, for the words "punishable with fine which may extend to one thousand rupees and, in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to one hundred rupees for each day during which the offence continues", the words "liable to penalty of one lakh rupees and, in the case of a continuing (**) contravention, with a further (**) penalty which may extend to ten thousand rupees for each day during which the (**) contravention continues" shall be substituted.

				(D) For section 15, the following section shall be substituted, namely:- “15. Power to revoke or suspend licence.- (1) Where the holder of a licence has been convicted of an offence under clauses (a) to (c) of sub-section (1) of section 7, the licence may be revoked by the licensing authority. (2) Where the holder of a licence has been imposed penalty for contravention under clauses (d) to (f) of sub-section (1) of section 7 or section 14, the licence may be suspended by the licensing authority for a period not exceeding thirty days: Provided that in cases of more than three contraventions over a period of three years, the licensing authority, may, for the reasons to be recorded in writing, by order, revoke the licence: Provided further that no order under this section shall be made without giving the holder of the licence a reasonable opportunity of being heard.”.
12.	1953	29	The Tea Act, 1953	(A) Sections 38 to (***) 40 shall be omitted. (B) In section 41, in sub-section (1), for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both,”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees” shall be substituted. (C) In section 42, for the words “punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (D) After section 42, the following section shall be inserted, namely:- “42A. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging the penalties under sub-section (1) of section 41 and section 42, the Deputy Chairman of the Board shall appoint the Secretary to the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty in the manner as may be prescribed, after giving a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Deputy Chairman of the Board, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Deputy Chairman that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given

				a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”. (E) In section 49, in sub-section (2), after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely:- “(xa) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 42A; (xb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 42A;”.			
13.	1957	14	The Copyright Act, 1957	Section 68 shall be omitted.			
14.	1958	44	The Merchant Shipping Act, 1958	(A) In section 436,- (a) in sub-section (2), in the Table, against the serial numbers mentioned under column 1, in respect of the offences under column 2, relating to the sections under column 3 and the penalties under column 4, shall, respectively be substituted, in the manner as provided, namely:-			
				Serial No.	Offences	Section of this Act to which offence has reference	Penalties
				1	2	3	4
				16			“Penalty which may extend to two lakh rupees"
				29			“Penalty which may extend to two lakh rupees”
				35			“Penalty which may extend to two lakh rupees”
				43			“Penalty which

							may extend to two lakh rupees”
				44			“Penalty which may extend to fifty thousand rupees”
				57(a)			“He shall be liable to forfeit all or any part of the property he leaves on board and of the wages he has then earned and also if the desertion takes place at any place not in India, to forfeit all or any part of the wages which he may earn in any other ship in which he may be employed until his next return to India, and to satisfy any excess of wages paid

							by the master or owner of the ship from which he deserts to any substitute engaged in his place at a higher rate of wages than the rate stipulated to be paid to him;”
				57(b)			“He shall, if the contravention does not amount to desertion, be liable to forfeit out of his wages a sum not exceeding two days pay and in addition for every twenty-four hours of absence either a sum not exceeding six days’ pay or any expense properly incurred in hiring a

							substitute”
				59	(iv) Clause (d) of section 194	194(d)	“Imprisonment which may extend to three months, or fine which may extend to five hundred rupees, or both;”
					(iva) clause (e) of section 194	194(e)	“Imprisonment which may extend to one month, and also for every twenty-four hour of such disobedience or neglect, (***) forfeiture out of his wages of a sum not exceeding six days’ pay or any expenses, which may have been properly incurred in hiring a substitute”
				60			“Penalty which may extend to one lakh rupees”
				65			“Penalty which may extend to

						two lakh rupees”
				66(a)		“Penalty which may extend to two lakh rupees”
				68		“Penalty which may extend to fifty thousand rupees”
				72		“Penalty which may extend to two lakh rupees”
				84		“Penalty which may extend to one lakh rupees for the first offence and five lakh for every subsequent offence”
				108B		“The master or owner or agent shall be liable to penalty which may extend to five lakh rupees and the ship may also be detained”

				(***)			(***)
				(***)			(***)
				109			“Penalty which may extend to five lakh rupees”
				115D(ii)			“The offender shall be liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees”
				133			“Penalty which may extend to one lakh rupees and the vessel may also be detained”
				135			“Penalty which may extend to fifty thousand rupees”
				137			“Penalty which may extend to one lakh rupees and the vessel may also be detained”
				137J			“Penalty which may extend to one lakh rupees and the vessel may also be detained”;
				(b) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely:- “(3) The penalty prescribed for the contravention of any provision of this Act shall be imposed by the Principal Officer of the Mercantile Marine Department: Provided that no penalty under this section shall be imposed unless			

			the parties have been given a reasonable opportunity of being heard. (4) (***) Whoever aggrieved by an order of the Principal Officer (***) <u>under</u> sub-section (3), may, within a period of thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal before the Director-General in such form and manner as the Central Government may prescribe. (5) The Director-General may, after giving the parties an opportunity of being heard, within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal under sub-section (4), pass appropriate order. (6) Any contravention of the provisions of this Act for which penalty has been prescribed may be compounded for the first contravention by the Principal Officer referred to in sub-section (3) or such other Officer as may be notified by the Central Government in the Official Gazette in this behalf: Provided that where any such contravention has been compounded, the sum shall not, in any case, exceed the maximum amount of the penalty which may be imposed for such contravention. (7) Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed by the Principal Officer of the Mercantile Marine Department under sub-section (3) or order of the Director-General under sub-section (5), as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue.”. (B) After section 436, the following section shall be inserted, namely:- “436A. Power to make rules.—The Central Government may, subject to the condition of previous publication, make rules prescribing form and manner of appeal against the order of Principal Officer of the Mercantile Marine Department under sub-section (4) of section 436.”.
15.	1961	47	The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 In section 47, (***) for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:- “(**) (2) If any person fails to produce any book, account or other document or to furnish any statement or information which, under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be liable to penalty which may extend to one lakh fifty thousand rupees in respect of each failure, and in the case of a continuing failure, with an additional penalty which may extend to seven thousand five hundred rupees for every day during which the failure continues after the first such failure. (***) (3) For the purpose of adjudging the penalty under sub-section (2), the Corporation shall serve notice on the person requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person.

				(4) Any penalty imposed by the Corporation under this section shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the Corporation demanding payment of the sum is served on the person and in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on (***) an order or direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no order or direction shall be made except on an application made to the court by the Corporation or any officer authorised by it in this behalf. (5) The court which makes (***) an order or direction under sub-section (4) shall issue a certificate specifying the sum payable by the person and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit. (6) No complaint shall be filed against any person in any court of law in respect of any contravention or default in respect of which any penalty has been imposed by the Corporation under sub-section (2). (7) Where any complaint has been filed against any person in any court in respect of any contravention or default of the nature referred to in sub-section (1), then, no proceedings for the imposition of any penalty on the person shall be initiated under sub-section (2).”.
16.	1962	58	The Warehousing Corporations Act, 1962	Section 38 shall be omitted.
17.	1964	37	The Food Corporations Act, 1964	Section 41 shall be omitted.
18.	1970	39	The Patents Act, 1970	(A) In section 120, for the words “he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees”, the words “he shall (***) be liable to penalty which may extend to ten lakh rupees, and in case of the continuing claim, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such claim continues” shall be substituted. (B) Section 121 shall be omitted. (C) In section 122,- (i) in sub-section (1), for the long line, the following long line shall be substituted, namely:- “he shall (***) be liable to penalty which may extend to one lakh rupees, and in case of the continuing refusal or failure, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such refusal or failure continues.”; (ii) in sub-section (2), for the words, “he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both”, the words “he

				shall be (***) liable to penalty for a sum equal to one half per cent. of the total sale or turnover, as the case may be, of business or of the gross receipts in profession as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five crore rupees, whichever is less” shall be substituted. (D) In section 123, for the words “he shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees in the case of a first offence and five lakh rupees in case of a second or subsequent offence”, the words “he shall (***) <u>be</u> liable to penalty, which may extend to five lakh rupees, and in case of the continuing default, a further penalty of one thousand rupees for every day after the first during which such default continues” shall be substituted.”. (E) After section 124, the following sections shall be inserted, namely:- “124A. Adjudication of penalties. - The Controller may, by an order, (***) authorise an officer referred to in section 73, to be the adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. (***) 124B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 124A may prefer an appeal to the appellate authority, who shall be an officer at least one rank above the adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of receipt of the order, as the Central Government may by notification authorise in this behalf. (2) Every appeal under this section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal. (6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 124A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both.”. (F) In section 159, in sub-section (2), after clause (xiii), the following clauses shall be inserted, namely:-

				“(xiiia) the manner of holding inquiry and imposing penalty under (***) section 124A; (xiiib) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 124B;”.
19.	1972	13	The Marine Products Export Development Authority Act, 1972	(A) In section 20, in sub-section (3), for the words “be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “be liable to (***) penalty not less than ten thousand rupees or not exceeding twice the value of goods, whichever is higher, in respect of which such order has been made” shall be substituted. (B) In section 23, for the words “be punishable with fine which may extend to five hundred rupees”, the words “be liable to (***) penalty which may extend to ten thousand rupees” shall be substituted. (C) For sections 24 and 25, the following sections shall be substituted, namely:- “24. Penalties for obstructing a member or officer of Authority in (***) discharge of his duties and for failure to produce books and records.— Any person who- (a) obstructs any member authorised by the Chairman in writing or any officer or other employee of the Authority authorised by it in this behalf or any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Authority, in the exercise of any power conferred, or in the discharge of any duty imposed, on him by or under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; (b) having control over or custody of any account book or other record, fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act, shall be liable to (***) penalty which may extend to ten thousand rupees. 25. Other penalties.- Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this Act or of any rules made thereunder other than the provisions, punishment or penalty for the contravention whereof has been provided for in sections 20, 23 and 24, shall be liable to (***) penalty not less than ten thousand rupees, or not exceeding an amount equivalent to the value of goods, whichever is higher, in respect of which such (**) contravention has been made, and in case of a continuing contravention as aforesaid, a penalty of not less than fifty thousand rupees, or not exceeding an amount equivalent to twice the value of goods, whichever is higher, in respect of which such (**) contravention has been made. 25A. Adjudication of penalties.- (1) For the purposes of adjudging penalties under sub-section (3) of section 20, section 23, clause (b) of section 24 and section 25, the Chairman shall appoint the Secretary to the Authority or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving the person

				concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Chairman, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Chairman that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (2) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.”. (D) In section 33, in sub-section (2), after clause (q), the following clauses shall be inserted, namely:- “(qa) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 25A; (qb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 25A;”.
20.	1978	11	The High Denomination Banknotes (Demonetisation) Act, 1978	(***) Repealed.
21.	1981	14	The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981	(A) In section 21, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely: - “(1) No person shall establish or operate any industrial plant in an air pollution control area unless the previous consent of the State Board has been obtained in pursuance of an application made by such person in accordance with the provisions of this section: Provided that the Central Government may in consultation with the Central Pollution Control Board, by notification in the Official Gazette, exempt certain categories of industrial plants from the application of the provisions of this sub-section.”. (B) After section 21, the following section shall be inserted, namely: - “21A. Power to issue guidelines. - (1) Notwithstanding anything contained in (***) this Act, the Central Government in consultation with the Central Board, may, by notification in the Official Gazette, issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish or operate any industrial plant in an air pollution control area, including the mechanism for time bound disposal of the application made under section 21 or validity period of such consent.

			(2) Every State Board, in discharge of its functions for the purposes of grant, refusal or cancellation of consent under section 21 shall act in accordance with the guidelines issued under sub-section (1).”. (C) For sections 37 to 41, the following sections shall be substituted, namely: - 37. Failure to comply with provisions of section 22 or directions issued under section 31A.- (1) Whoever contravenes or does not comply with the provisions of sections 22 or directions issued under section 31A, shall, in respect of each such contravention (***), be liable to (***), penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention (***), under sub-section (1), he shall be liable to (***), additional penalty of ten thousand rupees <u>for</u> every day during which such contravention continues. 38. Penalties for certain acts. – (1) Whoever- (a) destroys, pulls down, removes, injures or defaces any pillar, post or stake fixed in the ground or any notice or other matter put up, inscribed or placed, by or under the authority of the Board; (b) obstructs any person acting under the orders or directions of the Board from exercising his powers and performing his functions under this Act; (c) damages any works or property belonging to the Board; (d) fails to furnish to the Board or any officer or other employee of the Board any information required by the Board or such officer or other employee for the purposes of this Act; (e) fails to intimate the occurrence of the emission of air pollutants into the atmosphere in excess of the standards laid down by the State Board or the apprehension of such occurrence, to the State Board and other prescribed authorities or agencies as required under sub-section (1) of section 23; (f) fails in giving any information which he is required to give under this Act, makes a statement which is false in any material particular, shall be liable to (***), penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention (***), under sub-section (1), he shall be liable to (***), additional penalty of ten thousand rupees <u>for</u> every day during which such contravention continues. 38A. Penalty for contravention by Government Department.- (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to (***)

			penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to (***) penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. 39. Penalties for contravention of certain provisions of this Act. - If any person contravenes any of the provisions of this Act or any order or direction issued thereunder, for which no penalty has been provided for in this Act, shall be liable to (***) penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees, and where such contravention continues, he shall be liable to (***) additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which such contravention continues. 39A. Adjudicating officer. - (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 37, 38, 38A and section 39, shall appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose the penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened the provisions of this Act, he may determine such penalty as he thinks fit (***) under the provisions of sections 37, 38, 38A or 39, as the case may be: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned (***) a reasonable opportunity of being heard (***)). (3) The amount of penalty imposed under the provisions of sections 37, 38, 38A and 39, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). 39B. Appeal. - (1) (***) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under sections 37, 38, 38A or 39, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3

			of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), it shall not be entertained by the Tribunal unless the person has deposited with the Tribunal ten per cent. of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer. 39C. Penalty amount to be credited to Environmental Protection Fund. - Where an adjudicating officer imposes penalty or additional penalty, as the case may be, under sections 37, 38, 38A or 39, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986). 39D. Offences for failure to comply with (****) provisions of section 21 and for failure to pay penalty.- (1) Whoever fails to comply with the provisions of section 21, shall, in respect of each such failure, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years and with fine, and in case the failure continues, with an additional fine which may extend to fifty thousand rupees for every day during which such failure continues after the conviction for the first such failure. (2) If the failure referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine. (3) Where any person fails to pay the penalty or the additional penalty, as the case may be, imposed under the provisions of this Act within ninety days of such imposition, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or additional penalty so imposed or with both. (4) Where any offence under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and he shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in sub-section

				(1) or sub-section (2) or sub-section (3), if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), where an offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. <i>Explanation.</i> - For the purposes of this section, - (a) "company" includes body corporate, firm, trust, society and any other association of individuals; (b) "director" includes director of the company, partner of the firm, members of the society or trust or member of any association of individuals, as the case may be.'. (D) In section 43, in sub-section (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: - “(aa) the adjudicating officer or any officer authorised by him in this behalf; or”. (E) In section 53, in sub-section (1), after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: - “(h) the manner of holding inquiry and imposing penalties by the adjudicating officer under sub-section (1) of section 39A.”.
22.	1981	61	The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981	In section 56, for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:- “(2) If any person fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information which, under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be liable to (***) penalty which may extend to one lakh fifty thousand rupees in respect of each failure and in the case of a continuing failure, an additional penalty which may extend to seven thousand five hundred rupees for every day during which the failure continues after the first such failure. (3) For the purpose of adjudging penalty under sub-section (2), the National Bank shall serve notice on the person requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed as a penalty and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person. (4) Any penalty imposed by the National Bank under this section shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the National Bank demanding payment of the sum is

				served on the person and, in the event of failure of the person to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the person is situated: Provided that no such direction shall be made except on an application made to the court by the National Bank or by any officer authorised by the National Bank in this behalf. (5) The court which makes a direction under sub-section (4) shall issue a certificate specifying the sum payable by the person and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit. (6) No complaint shall be filed against any person in any court (***) relating to any contravention or default in respect of which any penalty has been imposed by the National Bank under sub-section (2). (7) Where any complaint has been filed against any person in any court in respect of the contravention or default of the nature referred to in sub-section (1), then, no proceedings for the imposition of any penalty on the person shall be initiated under sub-section (2).”.
23.	1986	10	The Spices Board Act, 1986	(A) In section 26, for the words “punishable with fine which may extend to five hundred rupees”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent failure, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 27, in the long line, for the words “punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent (***) contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (C) Section 28 shall be omitted. (D) In section 29, for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent (***) contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (E) In section 30, for the words “punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention”, the words “liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent (***) contravention, penalty which may extend to one lakh rupees” shall be substituted.

				(F) After section 30, the following section shall be inserted, namely:- “30A. Adjudication of penalties. - (1) For the purposes of adjudging the penalties under sections 26, 27, 29 and 30, the Secretary to the Board shall appoint an officer not below the rank of Director in the Board or any other officer authorised by the Central Government, as the case may be, to be an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty in the manner as may be prescribed, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard. (2) Whoever is aggrieved by any order of the adjudicating officer may prefer an appeal to the Secretary to the Board, within a period of sixty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the Secretary to the Board that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing. (6) The amount of penalty imposed under sub-section (1), if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.”. (G) In section 38, in sub-section (2), after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely:- “(ma) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 30A; (mb) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 30A.”.
24.	1986	29	The Environment (Protection) Act, 1986	(A) In section 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: - ‘(ca) “Fund” means the Environmental Protection Fund established under section 16;’. (B) In section 10, for sub-sections (2) to (4), the following sub-sections shall be substituted, namely: - “(2) Every person carrying on any industry, operation or process of handling any hazardous substance shall render assistance, as may be required, to the person empowered by the Central Government under sub-section (1) for carrying out the functions under that sub-section and if he fails to do so without any reasonable cause, he shall be liable to (***)-penalty provided under section 14B. (3) If any person willfully delays or obstructs any person empowered by the Central Government under sub-section (1) in the performance

			of his functions under sub-sections (1) or (2), he shall be liable to (***) penalty provided under section 14B. (4) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as may be, apply to any search or seizures under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of that Code.”. (C) After section 14, the following sections shall be inserted, namely: - “14A. Penalty for contravention of section 7 or section 8. - (1) If any person, contravenes provisions of section 7 or section 8 or the rules made thereunder, he shall be liable to (***) penalty in respect of each such contravention (***) , which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention (***) under sub-section (1), he shall be liable to (***) additional penalty of fifty thousand rupees for every day during which such contravention continues. 14B. Penalty for contravention of sections 9, 10 and 11. - (1) If any person contravenes or does not comply with the provisions of section 9, section 10 or section 11 or orders or directions issued under those sections, he shall be liable to (***) penalty in respect of each such contravention (***) which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to five lakh rupees. (2) Where any person continues contravention (***) under sub-section (1), he shall be liable to (***) additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues.”. (D) For sections 15 to 17, the following shall be substituted, namely: - ‘15. Penalty for contravention of provisions of Act, rules, orders and directions. - (1) Where any person contravenes or does not comply with any of the provisions of this Act or the rules made or orders or directions issued thereunder for which no penalty is provided, he shall be liable to (***) penalty in respect of each such contravention (***) which shall not be less than (***) ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues contravention (***) under sub-section (1), he shall be liable to (***) additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues. 15A. Penalty for contravention by companies. - (1) Where any company contravenes any of the provisions of this Act, the company shall be liable to (***) penalty for each such contravention which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to fifteen lakh rupees.

				(2) Where any company continues contravention (***) under sub-section (1), the company shall be liable to (***) additional penalty of one lakh rupees for every day during which such contravention continues. 15B. Penalty for contravention by Government Department. – (1) Where contravention of any of the provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to (***) penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to (***) penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. 15C. Adjudicating Officer. - (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under this Act, may appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may- (a) call upon any person alleged to have contravened or not complied with the provisions of this Act and the rules made thereunder or having the knowledge of the facts and circumstances of the case; (b) require such person to produce any record, register or other document in his possession or any other document, which in the opinion of the adjudicating officer may be relevant to the subject-matter. (3) The adjudicating officer shall, after giving the person a reasonable opportunity of being heard in the matter, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened or has not complied with the provisions of the Act or the rules made thereunder, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of sections 14A, 14B, 15, 15A or section 15B, as the case may be. (4) The adjudicating officer, while adjudicating the quantum of penalty under sub-section (3), shall have due regard to the following,

			namely: - (a) the population and the area impacted or affected due to such contravention or non-compliance; (b) the frequency and duration of such contravention or non-compliance; (c) the vulnerability of the class of persons likely to be adversely affected by such contravention or non-compliance; (d) the damage caused or likely to be caused to any person, as a result of such contravention or non-compliance, if any; (e) the undue gain derived out of such contravention or non-compliance; and (f) (***) such other factor, as may be prescribed. (5) The amount of penalty imposed under the provisions of sections 14A, 14B, 15, 15A or 15B, as the case may be, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). 15D. Appeal. - (1) (***) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under this Act may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), such appeal shall not be entertained by the Tribunal unless such person has deposited with the Tribunal ten per cent. of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer. 15E. Penalty amount to be credited to Environmental Protection Fund. - Where any penalty or additional penalty, as the case may be, is imposed under sections 14A, 14B, 15, 15A or section 15B, the amount of the penalty shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16. 15F. Offence for failure to pay penalty or additional penalty. - (1) Where any person fails to pay the penalty or additional penalty, as the case may be, under sections 14A, 14B, 15, 15A or section 15B within ninety days of such imposition, he shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. (2) Where any offence under sub-section (1) has been committed by a

			company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of offence and he shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any person liable to any punishment provided in sub-section (1), if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. <i>Explanation.</i> - For the purposes of this section, - (a) "company" includes body corporate, firm, trust, society and any other association of individuals; (b) "director" includes director of the company, partner of the firm, members of the society or trust or member of any association of individuals, as the case may be.’ (E) After Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely: - “CHAPTER IIIA FUND, ACCOUNTS AND AUDIT 16. Environmental Protection Fund. - (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, establish a fund to be known as the Environmental Protection Fund. (2) There shall be credited to the Fund- (a) the amount of penalty imposed under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981), and under this Act; (b) the interest or other income received out of investments made from the Fund; and (c) any other amount from such sources, as may be prescribed. (3) The Fund shall be applied for – (a) the promotion of awareness, education and research for the protection of environment; (b) the expenses for achieving the objects and for purposes of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and

			under this Act; (c) such other purposes, as may be prescribed. (4) The Central Government shall notify the administrator for the administration of the Fund and other matters connected therewith and incidental thereto in such manner, as may be prescribed. (5) The Central Government shall allocate seventy-five per cent. of the amount of penalties to the State Governments or Union territory administrations, which has been credited to the Fund. 16A. Accounts and audit of Fund. - (1) The Central Government shall maintain separate accounts and other relevant records in relation to the Environmental Protection Fund and prepare an annual statement of accounts in such form, as may be prescribed, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India. (2) The accounts of the Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor - General of India at such intervals as may be specified by him and such audited accounts together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government. 16B. Annual Report.- The Central Government shall prepare its annual report in relation to Environmental Protection Fund giving a full account of its activities defined under this Act in such form, as may be prescribed, for each financial year during the previous financial year, and shall be laid before each House of Parliament along with audit report (***) given by the Comptroller and Auditor-General of India (***)”. (F) In section 19, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: - “(aa) adjudicating officer or any officer authorised by him in this behalf;”. (G) For section 24, the following section shall be substituted, namely: - “24. Effect of other laws. - The provisions of this Act and the rules or orders made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.”. (H) In section 25, in sub-section (2), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely: - “(ga) the manner of holding inquiry and imposing penalty by the adjudicating officer under sub-section (1) and other factors for determining quantum of penalty under clause (f) of sub-section (4), of section 15C; (gb) the other amount under clause (c) of sub-section (2) of section 16; (gc) the other purposes under clause (c) of sub-section (3) of section

				16; (gd) the manner of administration of Fund under sub-section (4) of section 16; (ge) form for maintenance of accounts of the Fund and for preparation of annual statement of accounts under sub-section (1) of section 16A; (gf) form for preparing Annual Report of the Fund under section 16B;”.
25.	1987	53	The National Housing Bank Act, 1987	(A) After section 33B, the following section shall be inserted, namely:- “33C. Power to take action against auditors.-Where any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under section 33, the Reserve Bank may, after giving a reasonable opportunity of being heard, remove or debar the auditor from exercising the duties as auditor of any of the Reserve Bank regulated entities for a maximum period of three years, at a time.”. (B) In section 49,- (i) sub-sections (2) and (2B) shall be omitted; (ii) in sub-section (3), clause (aa) shall be omitted; (iii) sub-section (4) shall be omitted. (C) In section 52A,- (I) in the marginal heading, for the word “fine”, the word “penalty” shall be substituted; (II) in sub-section (1),- (i) in clause (a), for the words “five thousand”, the words “twenty-five thousand” shall be substituted; (ii) in clause (b), - (a) the words, brackets and letters “or clause (aa)” shall be omitted; (b) for the words “five lakh”, the words “ten lakh” shall be substituted; (c) for the words “twenty-five thousand”, the words “one lakh” shall be substituted; (III) after sub-section (1), the following sub-sections shall be

			inserted, namely:- “(1A) If any person or housing finance institution which is a company fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information, which, under the provisions of this Act, is the duty of such person or housing finance institution to produce or furnish, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such person or housing finance institution, a penalty not exceeding one lakh fifty thousand rupees in respect of each contravention or default and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to seven thousand five hundred rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues. (1B) If any auditor fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under section 33, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such person a penalty not exceeding ten lakh rupees. (1C) If any person (other than an auditor) or housing finance institution which is a company fails to comply with any direction given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank under any of the provisions of Chapter V, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on such person or housing finance institution, a penalty not exceeding ten lakh rupees or twice the amount involved in such contravention or default, where the amount is quantifiable, whichever is more; and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to one lakh rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues. (1D) If any other provision of this Act is contravened or if any default is made in complying with any other requirement of this Act, or of any order, regulation or direction made or given or condition imposed thereunder, the National Housing Bank or the Reserve Bank, as the case may be, may impose on any person or housing finance institution which is a company, guilty of such contravention or default, a penalty not exceeding one lakh rupees in respect of each contravention or default and where such contravention or default is a continuing one, further penalty which may extend to ten thousand rupees for every day, after the first, during which the contravention or default continues.”; (IV) in sub-section (2),- (i) for the word, brackets and figure “sub-section (1)”, the

				words “this section” shall be substituted; (ii) for the words “housing finance institution” at both the places where they occur, the words “person or housing finance institution” shall be substituted; (V) in sub-section (3), - (i) for the words “served on the housing finance institution”, the words “served on the person or housing finance institution” shall be substituted; (ii) for the words “failure of such housing finance institution”, the words “failure of such person or housing finance institution” shall be substituted; (iii) for the words “the area where the registered office”, the words “the area where such person ordinarily resides or, as the case may be, the registered office” shall be substituted; (VI) in sub-section (4), after the words “payable by the”, the words “person or” shall be inserted.
26.	1988	59	The Motor Vehicles Act, 1988	(A) In section 192A, in sub-section (1),- (i) for the words “ (**) a fine of ten thousand rupees”, the words “(**) a fine of ten thousand rupees, or with both” shall be substituted; (ii) the proviso shall be omitted. (B) In section 200, (**) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act punishable under section 177, section 177A, section 178, section 179, section 180, section 181, section 182, sub-section (1) or sub-section (3) or sub-section (4) of section 182A, section 182B, sub-section (1) or sub-section (2) of section 183, clause (c) of the <i>Explanation</i> to section 184 (**), section 186, section 189, sub-section (2) of section 190, section 192, section 192A, sub-section (3) of section 192B, section 194, section 194A, section 194B, section 194C, section 194D, section 194E, section 194F, section 196, section 198 and section 201, may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.” (C) In section 215, in sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that (**) where a State Government has not constituted the District Road Safety Committee, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Committee for such District, consisting of a Chairman and such other members as it considers necessary and on such terms and conditions as it may

				determine.”.
27.	1989	24	The Railways Act, 1989	In section 144, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(2) No person shall be permitted to beg in any railway carriage or upon any part of the railway.”.
28.	1991	6	The Public Liability Insurance Act, 1991	(A) In section 2, - (i) clause (ha) shall be numbered as clause (hb) thereof and before clause (ha) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:- “(ha) “property” includes any private property or public property affected or damaged by any unit or undertaking, due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes of hazardous substance;”; (ii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely: - “(k) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882), and the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.”. (B) In section 3, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(1) Where death or injury to any person (other than a workman) or damage to any property has resulted from an accident, the owner shall be liable to reimburse such amount, or provide such other relief as may be prescribed, for- (a) death due to fatal accident; (b) medical expenses incurred due to total or partial disability; (c) loss of wages due to partial disability; (d) other injury or sickness; (e) damage to private property; or (f) such other loss or damage, as may be prescribed.”. (C) In section 4, - (a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:- “(1) Every owner of any undertaking shall take out, before he starts handling any hazardous substance, one or more insurance policies for such undertaking or unit providing for contracts of insurance whereby he is insured against liability to give such relief or reimburse such amount (***) referred to in sub-section (1) of section 3. <i>Explanation.</i> - For the purposes of this sub-section, it is hereby clarified that any undertaking having separate consent to operate under- (i) the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974); and (ii) the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of

				1981), shall be treated as a separate unit: Provided that any owner handling any hazardous substance immediately before the commencement of the <i>Jan Vishwas</i> (Amendment of Provisions) Act, 2023, shall take out such insurance policy or policies as soon as may be and in any case within a period of one year from commencement of that Act.”; (b) for sub-section (2A), the following shall be substituted, namely: - ‘(2A) An insurance policy taken out or renewed by an owner for any undertaking or unit shall be for an amount which shall not be less than the amount of the paid-up capital of that undertaking or unit handling any hazardous substance owned or controlled by that owner and may extend to such amount as may be prescribed but not exceeding five hundred crore rupees. <i>Explanation.</i> — For the purposes of this sub-section, “paid-up capital” in relation to an owner not being a company, means the market value of all assets and stocks of the undertaking on the date of contract of insurance.’ (D) In section 6, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: - “(1A) where any damage has been caused to any public property or private property due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, an application for claim for restoration of the property may be made by the owner of the property or such other person, as may be prescribed, to the Collector.”. (E) In section 7, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely:- “(9) Where the environment is affected or damaged due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, the Central Government may, on an application made by the Central Pollution Control Board or the State Pollution Control Board, as the case may be, allocate the fund <u>from the Environmental Relief Fund</u> for restoration of the damage so caused in the manner as may be prescribed.”. (F) In section 7A, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:- “(1A) There shall be credited to the Relief Fund established under sub-section (1)- (a) the amount (***) referred to in sub-section (2C) of section 4; (b) the amount of penalty imposed under this Act; (c) the interest or other income received out of investments made

				from the Fund; and (d) any other amount from such sources, as may be prescribed.”. (G) For sections 14 and 15, the following sections shall be substituted, namely:- “14. Penalty for contravention.- (1) Where any person contravenes any of the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4, he shall be liable to (***) penalty equal to the amount of annual premium for insurance policy and may extend to twice the amount of such premium. (2) Where contravention under sub-section (1) continues, an additional penalty may be imposed by the adjudicating officer, which shall not exceed the amount of premium to be paid, for each month or part thereof during which the contravention continues. (***) 15. Penalty for non-compliance of directions. - (1) Where any person does not comply with any directions issued under section 12, he shall be liable to (***) penalty which shall not be less than ten thousand rupees which may extend to fifteen lakh rupees. (2) Where any person continues non-compliance under sub-section (1), he shall be liable to (***) additional penalty to be imposed by the adjudicating officer, which shall not be less than ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues. (3) Where any owner does not comply with the direction issued under section 9 or obstructs any person in discharge of his functions under section 10 or under sub-sections (1), (2) or (3) of section 11, he shall be liable to (***) penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifteen lakh rupees. (4) Where any person continues non-compliance under sub-section (3), he shall be liable to (***) additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such non-compliance continues. 15A. Adjudicating Officer.- (1) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 14 or 15, may appoint the District Magistrate having jurisdiction over the area or an officer not below the rank of Director to the Government of India or an officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government, to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and impose penalty in the manner, as may be prescribed (***): Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-

			matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4 and section 12, he may determine such penalty as he thinks fit (***) under the provisions of sections 14 and 15: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a (***) reasonable opportunity of being heard (***) 15B. Appeal. (1) (***) Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section (***) 15A, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (2) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (3) The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (4) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (1), such appeal shall not be entertained by the Tribunal unless such person has deposited with the Tribunal ten per cent. of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer.”. (I) Section 16 shall be omitted. (J) For section 17, the following sections shall be substituted, namely: - ‘17. Penalty for contravention by Government Department.- (1) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or State Government, the Head of the Department shall be liable to (***) penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. (2) Where any contravention under sub-section (1) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, he shall be liable to (***) penalty equal to one month of his basic salary: Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention. 17A. Penalty amount to be credited to Environmental Relief Fund.- Where any penalty or additional penalty, as the case may be, is imposed under section 14 or section 15 or section 17, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Relief Fund established under section 7A.

				17B. Offence for failure to pay (***) penalty or additional penalty.- (1) Where any person fails to pay the penalty or additional penalty imposed for - (a) contravention or continued contravention under sections 14 or 17, as the case may be; or (b) non-compliance of the directions issued under section 15, within ninety days of such imposition, he shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend up to fifteen lakh rupees, or with both. (2) Where any offence under sub-section (1) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. <i>Explanation.</i> —For the purposes of this section,— (a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; (b) “director” includes director of the company and in relation to a firm, (***) a partner in the firm.’. (K) In section 23, in sub-section (2),- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:- “(a) such amount under sub-section (2A) of section 4;”; (ii) after clause (e), the following clauses shall be substituted, namely:- “(ea) amount or relief and any other loss or damage under

				sub-section (1) of section 3; (eb) such other person under sub-section (1A) of section 6; (ec) manner of allocation of fund for restoration of damage under sub-section (9) of section 7; (ed) any other amount from other sources under clause (d) of sub-section (1A) of section 7A; (ee) manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 15A;”. (L) The Schedule shall be omitted.
29.	1995	7	The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995	(A) For (***) CHAPTER IV, the following (***) CHAPTER shall be substituted, namely:- “CHAPTER IV PENALTIES 16. Penalty for contravention of provisions of this Act. – (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act shall be (***) liable,- (a) for the first (***) contravention, with advisory, or censure, or warning, or a penalty which may extend to twenty thousand rupees, or with both; (b) for every subsequent (***) contravention within a period of three years, with advisory, or censure, or warning, or a penalty which may extend to one lakh rupees, or with both, (***) by such designated officer, as may be prescribed. (2) The designated officer, may, for the reasons to be recorded in writing, by order, impose penalty referred to in sub-section (1): Provided that in cases of more than three contraventions over a period of three years, the designated officer, in addition to penalty referred to in sub-section (1), may, for the reasons to be recorded in writing, by order, suspend or revoke the registration granted: Provided further that no (***) order by the designated officer under this sub-section shall be (***) made without giving a reasonable opportunity of being heard. (3) (***) Whoever aggrieved by (***) the order made under sub-section (2), may prefer an appeal to the Secretary to the Government of India or such other officer authorised by him:

				Provided that no such appeal shall be admissible after the expiry of thirty days (***) from the date of receipt of such order: Provided further that an appeal may be entertained after the expiry of the period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.”. (B) In section 22, in sub-section (2), after clause (da), the following clause shall be inserted, namely:- “(db) the (***) designated officer under sub-section (1) of section 16;”.
30.	1999	47	The Trademarks Act, 1999	(A) Section 106 shall be omitted. (B) In section 107, in sub-section (2), for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both”, the words “(***) liable to penalty of a sum equal to one half per cent. of the total sales or turnover, as the case may be, in business or of the gross receipts in profession, as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five lakh rupees, whichever is less” shall be substituted. (C) Sections 108 and 109 shall be omitted. (D) after section 112, the following section shall be inserted, namely:- “112A. Adjudication of penalties. - The Registrar may, by an order, (***) authorise an officer referred to in section 3, to be adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving a reasonable opportunity of being heard. 112B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 112A may prefer an appeal to the appellate authority, who shall be an officer at least one rank above the adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of receipt of the order, as the Central Government may by notification authorise in this behalf. (2) Every appeal under this section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

				(4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing. (6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 112A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both." (E) In section 140, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(3) The importer or his agent shall, within fourteen days, comply with the requirement as aforesaid, and if he fails to do so, he shall be liable to (***) penalty of ten thousand rupees: Provided that the penalty under this section shall be levied and recovered by such authority (***) under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for this purpose." (F) In section 157, in sub-section (2), after clause (xxxiii), the following clauses shall be inserted, namely:- "(xxxiiia) the manner of (***) holding inquiry and imposing penalty under (***) section 112A; (xxxiiib) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 112B; "
31.	1999	48	The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999	(A) After section 37, the following sections shall be inserted, namely:- "37A. Adjudication of penalties. - (***) The Registrar may, by an order, (***) authorise an officer referred to in section 3, to be adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty under the provisions of this Act, in the manner as may be prescribed, after giving a reasonable opportunity of being heard. (***) 37B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 37A may prefer an appeal to the appellate authority, who shall be an officer at least one rank above the adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of

				receipt of the order, as the Central Government may by notification authorise in this behalf. (2) Every appeal under this section shall be preferred in such form and manner as may be prescribed. (3) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (4) No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. (5) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing. (6) Notwithstanding anything contained in this Act, if the person fails to comply with the order of the adjudicating officer under section 37A or the order of the appellate authority under this section, as the case may be, within ninety days of such order, he shall, in addition to the penalty, be punishable with fine of one lakh rupees or imprisonment for a term which may extend to one year, or with both." (B) In section 42, in sub-section (2), for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words "liable to (***) penalty of a sum equal to one half per cent. of the total sales or turnover, as the case may be, in business or of the gross receipts in profession as computed in the audited accounts of such person, or a sum equal to five lakh rupees, whichever is less" shall be substituted. (C) Sections 43 and 44 shall be omitted. (D) In section 87, in sub-section (2), after clause (o), the following clauses shall be inserted, namely:- "(oa) the manner (***) of holding inquiry and imposing penalty under (***) section 37A; (ob) the form and manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 37B; "
32.	2000	21	The Information Technology Act, 2000	(***) (A) In section 33, in sub-section (2), for the words "punished with imprisonment which may extend up to six months or a fine which may extend up to ten thousand rupees or with both", the words "liable

				to (***) penalty which may extend to five lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 44,- (i) in clause (a), for the words “one lakh and fifty thousand”, the words “fifteen lakh” shall be substituted; (ii) in clause (b), for the words “five thousand”, the words “fifty thousand”, shall be substituted; (iii) in clause (c), for the words, “ten thousand”, the words “one lakh” shall be substituted. (C) In section 45,- (i) for the words “rules or regulations”, the words “rules, regulations, directions or orders” shall be substituted; (ii) for the words, “compensation not exceeding twenty-five thousand rupees to the person affected by such contravention or a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees”, the following shall be substituted, namely:- “penalty not exceeding one lakh rupees, in addition to compensation to the person affected by such contravention not exceeding- (a) ten lakh rupees, by an intermediary, company or body corporate; or (b) one lakh rupees, by any other person.”. (D) In section 46, - (i) in sub-section (1), for the words “under this Chapter”, the words “under this Act” shall be substituted; (ii) in sub-section (1A), the words “injury or” at both the places where they occur shall be omitted. (E) Section 66A shall be omitted. (F) In section 67C, in sub-section (2), for the words “punished with an imprisonment for a term which may extend to three years and also be liable to fine”, the words “liable to (***) penalty which may extend to twenty-five lakh rupees” shall be substituted.

				(G) In section 68, in sub-section (2), for the words “on conviction to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine not exceeding one lakh rupees or with both”, the words “to (***) penalty which may extend to twenty-five lakh rupees” shall be substituted. (H) In section 69B, in sub-section (4), for the words “three years and shall also be liable to fine”, the words “one year or shall be liable to fine which may extend to one crore rupees, or with both” shall be substituted. (I) In section 70B, in sub-section (7), for the words “one lakh”, the words “one crore” shall be substituted. (J) In section 72, for the words “punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both”, the words “liable to penalty which may extend to five lakh rupees” shall be substituted. (K) In section 72A,- (i) in the marginal heading, for the word “Punishment”, the word “Penalty” shall be substituted; (ii) for the words “punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both”, the words “liable to (***) penalty which may extend to twenty-five lakh rupees” shall be substituted.
33.	2002	60	The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002	(A) In section 6, in sub-section (2), (***) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:- “(ga) levy and collect penalties under this Act;”. (B) In section 59, (***) in sub-section (2),- (***) (***) (i) for the words “punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees”, the words “liable to penalty which may extend to ten thousand rupees” shall be substituted; (ii) for the words “five hundred rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted. (C) In section 63, for the words “after being warned by any metro railway official to desist, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to fifty rupees, or with both”, the words “he shall be liable to

				penalty which may extend to five thousand rupees” shall be substituted. (D) In section 65, in the long line, for the words “five years, or with fine which may extend to six thousand rupees, or with both”, the words “two years, or with fine which may extend to thirty thousand rupees, or with both” shall be substituted. (E) In section 69, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(4) If any passenger liable to pay the excess charge and fare mentioned in sub-section (1), or the excess charge and any difference of fare mentioned in sub-section (2), fails or refuses to pay the same on a demand being made therefor, any metro railway official authorised by the metro railway administration in this behalf may apply to any Metropolitan Magistrate or, as the case may be, Judicial Magistrate of the first class, for the recovery of the sum payable as if it were a fine.”. (F) For section 70, the following section shall be substituted, namely:- “70. Needlessly interfering with means of communication in a train.- If any passenger or any other person without reasonable and sufficient cause makes use of, or interferes with, any means provided by the metro railway administration in a metro railway for communication between passengers and metro railway official in charge of the metro railway or misuses alarm bell or emergency stop push or emergency trip system or emergency call point of the metro railway, he shall be (***) liable to penalty which may extend to ten thousand rupees.”. (G) Section 80 shall be omitted. (H) In section 82, in sub-section (1), for the words and figures “sections 65 to 79”, the words and figures “sections 65 to 68, 71 to 79” shall be substituted.				
34	2003	15	The Prevention of Money-laundering Act, 2002	In THE SCHEDULE, in PART A,- (i) for PARAGRAPH 21, the following PARAGRAPH shall be substituted, namely:- “PARAGRAPH 21 OFFENCES UNDER THE TRADEMARKS ACT, 1999 (47 OF 1999) <table><tr><th>Section</th><th>Description of offence</th></tr><tr><td>“103</td><td>Penalty for applying false trademarks, trade descriptions, etc.</td></tr></table>	Section	Description of offence	“103	Penalty for applying false trademarks, trade descriptions, etc.
Section	Description of offence							
“103	Penalty for applying false trademarks, trade descriptions, etc.							

				<table><tr><td>104</td><td>Penalty for selling goods or providing services to which false trademark or false trade description is applied</td></tr><tr><td>105</td><td>Enhanced penalty on second or subsequent conviction.</td></tr><tr><td>120</td><td>Punishment of abetment in India of acts done out of India.”;</td></tr></table>	104	Penalty for selling goods or providing services to which false trademark or false trade description is applied	105	Enhanced penalty on second or subsequent conviction.	120	Punishment of abetment in India of acts done out of India.”;
104	Penalty for selling goods or providing services to which false trademark or false trade description is applied									
105	Enhanced penalty on second or subsequent conviction.									
120	Punishment of abetment in India of acts done out of India.”;									
				(ii) for PARAGRAPH 22, the following PARAGRAPH shall be substituted, namely:- “PARAGRAPH 22 OFFENCES UNDER THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 (21 OF 2000) <table><tr><th>Section</th><th>Description of offence</th></tr><tr><td>“75</td><td>Act to apply for offence or contravention committed outside India.”;</td></tr></table> (iii) PARAGRAPH 25 shall be omitted; (iv) PARAGRAPH 27 shall be omitted.	Section	Description of offence	“75	Act to apply for offence or contravention committed outside India.”;		
Section	Description of offence									
“75	Act to apply for offence or contravention committed outside India.”;									
35.	2006	34	The Food Safety and Standards Act, 2006	(A) In section 59, in clause (i), for the words “imprisonment for a term which may extend to six months and also with fine which may extend to one lakh rupees”, the words “imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to (***) <u>three</u> lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 61,- (i) in the marginal heading, for the word “Punishment”, the word “Penalty” shall be substituted; (ii) for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to two lakh rupees”, the words “(***) liable to penalty which may extend to ten lakh rupees” shall be substituted. (C) In section 63,-						

				(i) in the marginal heading, for the word “Punishment”, the word “Penalty” shall be substituted; (ii) for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to six months and also with a fine which may extend to five lakh rupees”, the words “(***) liable to penalty which may extend to (***) ten lakh rupees” shall be substituted.
36.	2006	38	The Government Securities Act, 2006	In section 30,- (i) in sub-section (1), for the words “he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both”, the words “(***) the Bank may impose a penalty not exceeding five lakh rupees or twice the amount involved in such contravention, where the amount is quantifiable, whichever is higher, and where such contravention is a continuing one, with a further penalty, which may extend to five thousand rupees for every day after first day during which the contravention continues” shall be substituted; (ii) sub-section (2) shall be omitted.
37.	2006	41	The Cantonments Act, 2006	(A) Section 156 shall be omitted. (B) In section 185, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(1) No person employed in any essential service under a Board in a cantonment shall, in the absence of any contract, resign without reasonable cause or absent himself from duty without proper authority and in case of such resignation or absence from duty, disciplinary proceedings shall be initiated against him in accordance with such procedure as may be prescribed.”. (***) (C) (***) Section 286 shall be omitted. (D) For section 287, the following section shall be substituted, namely:- “287. Arrest of persons, seizure and confiscation of things for offences under section 285 (***)- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any police officer or excise officer may, without an order from a Judicial Magistrate, and without a warrant, arrest any person who commits an offence under section 285 (***), and (***) may seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug in respect of which an offence under section 285 (***) has been committed and any vessels or

				coverings in which the liquor or drug is contained. (2) Where a person accused of an offence under section 285 has been previously convicted of an offence under that section, an officer in charge of a police station may, with the written permission of a Judicial Magistrate, seize and detain any spirituous liquor or intoxicating drug within the cantonment or within any limits defined under that section which, at the time of the alleged commission of the subsequent offence, belonged to, or was in the possession of, such person. (3) The court convicting a person of an offence under section 285 (***) may order the confiscation of the whole or any part of anything seized under sub-section (1) or sub-section (2). (4) Subject to the provisions of Chapter XXXIV of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) anything, seized under sub-section (1) or sub-section (2) and not confiscated under sub-section (3) shall be restored to the person from whom it was taken.”. (E) In section 289, (***) sub-section (5) shall be omitted. (***) (F) (***) In section 314, in the proviso, in clause (a), the words, letter and figures “in the case of breach of any such provisions as is specified in Part B of Schedule IV,” shall be omitted. (***) (***) (G) (***) For SCHEDULE IV, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:- “SCHEDULE IV (See section 314) <table><tr><th>Section</th><th>Subject</th></tr><tr><td>183(1)</td><td>Remaining in, or re-entering, cantonment after notice of expulsion for failure to attend hospital or dispensary.</td></tr><tr><td>296</td><td>Discharging fire-arms, etc., so as to cause danger.</td></tr><tr><td>300</td><td>Loitering or importuning for sexual immorality.</td></tr><tr><td>304(a)</td><td>Remaining in, or returning to, a cantonment after notice of expulsion.”.</td></tr></table>	Section	Subject	183(1)	Remaining in, or re-entering, cantonment after notice of expulsion for failure to attend hospital or dispensary.	296	Discharging fire-arms, etc., so as to cause danger.	300	Loitering or importuning for sexual immorality.	304(a)	Remaining in, or returning to, a cantonment after notice of expulsion.”.
Section	Subject													
183(1)	Remaining in, or re-entering, cantonment after notice of expulsion for failure to attend hospital or dispensary.													
296	Discharging fire-arms, etc., so as to cause danger.													
300	Loitering or importuning for sexual immorality.													
304(a)	Remaining in, or returning to, a cantonment after notice of expulsion.”.													
38.	2007	51	The Payment and	(A) In section 26,-										

			Settlement Systems Act, 2007	(i) in sub-section (3), for the words “punishable with fine which may extend to ten lakh rupees in respect of each offence and if he persists in such refusal, to a further fine which may extend to twenty-five thousand rupees for every day for which the offence continues”, the words and figures “liable to (***) penalty as may be imposed in accordance with the provisions of section 30” shall be substituted; (ii) in sub-section (6), for the words “punishable with fine which may extend to ten lakh rupees and where a contravention or default is a continuing one, with a further fine which may extend to twenty-five thousand rupees for every day, after the first during which the contravention or default continues”, the words and figures “liable to (***) penalty as may be imposed in accordance with the provisions of section 30” shall be substituted. (B) In section 30,- (a) in the marginal heading, for the word, “fines”, the word “penalties” shall be substituted; (b) in sub-section (1)- (i) after the word, brackets and figure, “sub-section (2)”, the words, brackets and figure “or sub-section (3)” shall be inserted; (ii) for the words “five lakh”, the words “ten lakh” shall be substituted.
39.	2009	07	The Collection of Statistics Act, 2008	(A) In section 9, in sub-sections (2) and (3), for the word “prosecution”, the word “penalty” shall be substituted. (B) (***) For CHAPTER IV, the following CHAPTER shall be substituted, namely:- “CHAPTER IV PENALTIES AND ADJUDICATION 15. Penalty for neglect or refusal to supply particulars and other contraventions.- (1) Whoever (***) fails to produce any books of account, vouchers, documents or other business records or whoever neglects or refuses to fill in and supply the particulars required in any information schedule or return given or sent to him or whoever neglects or refuses to answer any question or inquiry addressed to him as may be required under or for the purposes of any provision of this

			Act (***) or whoever acts in contravention or fails to comply with any provision of this Act or any rules made thereunder or any requirement imposed under this Act, shall be (***) liable to penalty which may extend to one thousand rupees (***), and in the case of a company, with a (***) penalty which may extend to (***) one lakh rupees. (2) The imposition of penalty on a person or company shall not relieve him or it of the obligations under sub-section (1), and if after the expiry of fourteen days from the date of imposition of penalty, he or it still fails to give the required particulars or continues to neglect or refuse or contravene any provision of this Act or any rules made thereunder or any requirement imposed under this Act, shall be liable to a further penalty which may extend to one thousand rupees, and in the case of a company, to a further penalty which may extend to five thousand rupees, for each day after the first during which the neglect, refusal or contravention continues. 15A. Adjudicating officer.- (1) The appropriate Government may, for the purposes of determining the penalties under section 15, appoint an officer as it may deem fit, to be adjudicating officer to hold an inquiry and impose penalty in the manner, as may be prescribed: Provided that the appropriate Government may appoint as many adjudicating officers as may be required. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of this Act, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the parties concerned a reasonable opportunity of being heard. 15B. Appeal.- (1) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under this Act, may prefer an appeal to the appellate authority, above the rank of the adjudicating officer, authorised by the appropriate Government, within thirty days from the date of receipt of order in such form and manner as may be prescribed. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit. (4) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose

				of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal. 15C. Recovery.- Notwithstanding anything contained in this Act, if penalty imposed under this Act, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue." (C) In section 33, in sub-section (2), after clause (da), the following clauses shall be inserted, namely:- “(db) the manner of holding inquiry and imposing penalty under sub-section (1) of section 15A; (dc) the form and manner of preferring appeal under sub-section (1) of section 15B;”.
40.	2010	1	The Legal Metrology Act, 2009	(A) In section 25, for the words “twenty-five thousand rupees and for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to six months and also with fine”, the words “one lakh (***) rupees and for the second offence with fine which may extend to two lakh (***) rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to five lakh rupees” shall be substituted. (B) In section 27, in the long line, for the words “twenty thousand rupees and for the second or subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both”, the words “one lakh rupees and for the second offence with fine which may extend to two lakh rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to four lakh rupees” shall be substituted. (C) In section 28, for the words “ten thousand rupees and for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “fifty thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to one lakh rupees and for the third and subsequent offence with fine which may extend to two lakh rupees” shall be substituted. (D) In section 29, for the words “ten thousand rupees and, for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “fifty thousand rupees for the second offence with fine which may extend to one lakh rupees and for the third and subsequent offence with a fine which may extend to two lakh rupees” shall be substituted. (E) In section 31, for the words “five thousand rupees and for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one year and also with fine”, the words “twenty-five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (F) In section 34, for the words “fine which shall not be less than two thousand rupees, but which may extend to five thousand rupees and,

				for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “fine which may extend to twenty-five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (G) In section 35, for the words “fine which shall not be less than two thousand rupees, but which may extend to five thousand rupees and, for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “fine which may extend to twenty-five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees” shall be substituted. (H) In section 48,- (a) in sub-sections (1) and (2), for the words and figures “sections 27 to 39” at both places where they occur, the words and figures “sections 27 to 39, section 41” shall be substituted; (b) in sub-section (3), after the words and figures “sections 33 to 37,”, the word and figures “section 41,” shall be inserted.”.
41.	2012	12	The Factoring Regulation Act, 2011	(A) For sections 21 and 22, the following sections shall be substituted, namely:- “21. Penalties.- If a default is made in filing under section 19, the particulars of any transaction of assignment of receivables and realisation of receivables by a factor, such company and every officer of the company who is in default shall be liable to (***) penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing offence, with an additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues, to be imposed by the Reserve Bank in accordance with the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 22. 22. Penalties for non-compliance of direction by Reserve Bank.- (1) If any factor fails to comply with any direction issued by the Reserve Bank under section 6, or fails in filing the particulars of any transaction of receivables and realisation of receivables under section 19, the Reserve Bank may impose a penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing (***) failure, with an additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which the default continues. (2) For the purpose of adjudging the penalty under sub-section (1) or section 21, the Reserve Bank shall serve notice on the factor requiring

				it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such factor. (3) Any penalty imposed by the Reserve Bank under this section or section 21 shall be payable within a period of fourteen days from the date on which notice issued by the Reserve Bank demanding payment of the sum is served on the factor and in the event of failure of the factor to pay the sum within such period, may be levied on a direction made by the principal civil court having jurisdiction in the area where the registered office of the factor is situated; or, in the case of a factor incorporated outside India, where its principal place of business in India is situated: Provided that no such direction shall be made except on an application made to the court by the Reserve Bank or any officer authorised by Reserve Bank in this behalf: Provided further that the Reserve Bank may also recover the amount of penalty by debiting the current account, if any, of the defaulter or by liquidating the securities held to the credit of the defaulter. (4) The court which makes a direction under sub-section (3) shall issue a certificate specifying the sum payable by the factor and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a civil suit.”.
42.	18	2016	The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016	In section 41, for the words “punishable with imprisonment which may extend to one year or with a fine which may extend to ten thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to one lakh rupees or with both”, the words “liable to (***) penalty which may extend to one lakh rupees, or in the case of a company, with (***) penalty which may extend to ten lakh rupees” shall be substituted.
